FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 31, अंक 9

गुरुवार, 27 फरवरी, 2003
8 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 19/11/03
Date

(खंड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 27 फरवरी, 2003/8 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 142, 144 से 146	7-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 141, 143, 147 से 160	31-85
अतारांकित प्रश्न संख्या 1434 से 1663	85-604
सभा पटल पर रखे गए पत्र	604-606
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	606
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	607
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	607
सभा का कार्य	609-610
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2002-2003	611-612
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2000-2001	612
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मकारों और कर्मचारियों को सांविधिक रूप से देय राशि का भुगतान न किया जाना	612-616
श्री बसुदेव आचार्य	612, 614-616

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री बालासाहिब विखे पाटील	612–613, 619–623
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	616–617
श्री चन्द्रकांत खैरे	617
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	618
सदस्यों द्वारा निवेदन	624–638
(एक) उत्तर प्रदेश में किसानों की दशा के बारे में	624–627
(दो) नोएडा में बांग्ला भाषी लोगों के विदेशी राष्ट्रिक होने के आरोप में पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के बारे में	633–638
नियम 193 के अधीन चर्चा	
अयोध्या मामला	642–816
श्री मुलायम सिंह यादव	642–654
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	654–666
श्री एस. जयपाल रेड्डी	666–681
श्री चन्द्रशेखर	681–683
श्री विनय कटियार	683–697
श्री सोमनाथ चटर्जी	697–709
श्री के. येरननायडू	709–712
श्री मोहन रावले	712–720
श्री राशिद अलवी	720–730
श्रीमती कृष्णा बोस	731–733
श्री एच.डी. देवगौड़ा	733–736
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	736–745
श्री ए.के.एस. विजयन	745–746
श्रीमती कान्ति सिंह	746–748
श्री प्रभुनाथ सिंह	748–754

विषय	कॉलम

योगी आदित्यनाथ 754–764

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 764–768

श्री प्रबोध पण्डा 771–774

श्री जे.एस. बराड़ 774–780

श्री जी.एम. बनातवाला 780–785

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 785–788

श्री जोवाकिम बखला 788–790

श्री अली मोहम्मद नायक 790–792

श्री अमर राय प्रधान 794–796

श्री रामदास आठवले 796–799

सरदार बूटा सिंह 802–804

श्री अरुण जेटली 804–815

लोक सभा

गुरुवार, 27 फरवरी, 2003/8 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री प्रदीप यादव (गोड्डा)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे बड़े दुख के साथ अपने छह भूतपूर्व सहयोगियों, श्री भुवनेश्वर भुयन, डा. मल्लिकार्जुन, श्री राधा चरण शर्मा, श्री बलवंत सिंह मेहता, श्री कमल नाथ झा और श्री नटवरलाल पटेल के निधन की सूचना देनी है।

श्री भुवनेश्वर भुयन 1983 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने असम के गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह 1983-84 के दौरान याचिका समिति के सदस्य थे।

श्री भुयन ने 1960 से 1975 के दौरान आर्य विद्यापीठ महाविद्यालय गुवाहाटी में लेक्चरर और बाद में प्रोफेसर तथा उसके पश्चात् दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्ष 1975 में वह इस महाविद्यालय के उप-प्रधानाचार्य बने तथा 1983 तक इस पद को सुशोभित करते रहे।

श्री भुयन अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से भी संबद्ध रहे। वह 1967-68 के दौरान असम महाविद्यालय शिक्षक संघ के संगठन सचिव और 1969 से 1970 के दौरान उसके महासचिव रहे। वह 1975 से 1983 तक अखिल असम महाविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव भी रहे।

वह 2001-2002 के दौरान असम मंडल की दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री भुयन 1984 के दौरान नैरोबी (कीनिया) में आयोजित पर्यावरण संबंधी अंतर-संसदीय सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी थे।

श्री भुवनेश्वर भुयन का निधन थोड़े समय बीमार रहने के बाद 70 वर्ष की आयु में गुवाहाटी, असम में 21 दिसम्बर, 2002 को हुआ।

डा. मल्लिकार्जुन 1971 से 1984 तथा 1989 से 1997 तक क्रमशः पांचवीं से सातवीं तथा नौवीं से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने आंध्र प्रदेश के मेडक और महबूबनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

डा. मल्लिकार्जुन एक योग्य प्रशासक थे और उन्होंने केन्द्र सरकार में 1980 से 1984 तक रेल, शिक्षा तथा समाज कल्याण, सूचना और प्रसारण, निर्माण और आवास एवम् खेल मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री तथा 1991 से 1996 तक रेल, रक्षा तथा संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्यमंत्री के रूप में कार्य किया। डा. मल्लिकार्जुन एक सक्रिय संसदविद् थे। उन्होंने 1996 से 1997 तक विशेषाधिकार समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। वह 1974 से 1975 तक तथा 1980 के दौरान याचिका समिति, 1981 के दौरान कार्यमंत्रणा समिति, 1990 के दौरान विशेषाधिकार संबंधी समिति, 1990 से 1991 तक लोक लेखा समिति और 1996 से 1997 तक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति तथा रक्षा समिति के सदस्य रहे।

वह 1971 से 1973 तक काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर; 1973 से 1974 तक आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 के अध्यधीन गठित सलाहकार समिति, 1976 के दौरान एन.सी.सी. संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति और 1990 से 1991 तक रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

कृषक परिवार से संबद्ध, डा. मल्लिकार्जुन एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने गरीबों और पद दलितों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने 1990 से 1991 तक तालुक सहकारी विपणन समिति तथा आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम के सभापति के रूप में कार्य किया। वह जिला सहकारी समिति के निदेशक भी थे। उन्होंने तेलंगाना स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी और तेलंगाना स्टूडेंट्स फ्रंट के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया। डा. मल्लिकार्जुन ने कई देशों की यात्रा की और वह 1976 के दौरान नैरोबी, कीनिया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल तथा 1984 के दौरान आस्ट्रेलिया गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

डा. मल्लिकार्जुन का निधन 61 वर्ष की आयु में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 24 दिसम्बर, 2002 को हुआ।

श्री राधा चरण शर्मा 1952 से 1962 तक पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तत्कालीन मध्य भारत के मुरैना-भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री शर्मा 1954 से 1957 तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 1954 से 1956 तक आवास समिति और 1959 से 1962 तक लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य थे।

इससे पूर्व, श्री शर्मा 1945 के दौरान ग्वालियर राज्य विधान सभा तथा मध्य भारत विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से वकील, श्री शर्मा ने बार एसोसिएशन, आम्भा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा।

श्री शर्मा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी तथा जमींदारी समाप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने बाल एवं महिला कल्याण, गरीब तथा पिछड़े वर्गों की सेवा करने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने में विशेष रुचि ली।

श्री राधा चरण शर्मा का निधन 88 वर्ष की आयु में मुरैना, मध्य प्रदेश में 4 जनवरी, 2003 को हुआ।

श्री बलवंत सिंह मेहता वर्ष 1948 से 1950 तक भारत की संविधान सभा तथा 1952 से 1957 तक पहली लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने क्रमशः संयुक्त राजस्थान और राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मेहता एक योग्य प्रशासक, थे। वह 1948 में तत्कालीन मेवाड़ राज्य की सरकार में मंत्री रहे और तत्पश्चात् उन्होंने राजस्थान की राज्य सरकार में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का पद सुशोभित किया।

श्री मेहता एक प्रख्यात संसदविद् थे। उन्होंने 1954 से 1956 तक लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने संसद की विभिन्न प्रवर समितियों तथा विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह 1951 के दौरान राजस्थान के निर्वाचन क्षेत्रों संबंधी संसदीय परिसीमन समिति और 1953 के दौरान भारतीय परिसीमन समिति के सदस्य भी थे।

श्री मेहता एक सुविख्यात राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह श्री प्रताप सभा और हल्दीघाटी मेले के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए भिन्न-भिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठनों में सक्रिय रूप से कार्य किया। उन्होंने बहुउद्देशीय सहकारी समिति, उदयपुर; राहत समिति, मेवाड़ और गुरुकुल, चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष, भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर के उपाध्यक्ष, सचिव, मेवाड़ हेतु बिहार भूकम्प राहत निधि तथा अखिल भारतीय संसदीय भू-दान समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री मेहता राजस्थान भू-दान यज्ञ समिति और राजस्थान में भील समुदाय के उत्थान तथा कल्याण कार्यों के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध रहे।

श्री मेहता एक विद्वान व्यक्ति थे और वह एक सांस्कृतिक पत्रिका-'लोक कला' के संपादक मंडल के सदस्य थे। उनके अन्य प्रकाशनों में 'लाइफ ऑफ मीराबाई एण्ड हर सांग्स', 'महाराणा प्रताप', 'फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़', 'मेवाड़ दिग्दर्शन' और 'राजपूतानी' शामिल हैं।

गांधीवादी जीवन शैली में सुदृढ़ विश्वास रखने वाले श्री मेहता एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे और उन्होंने हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री बलवंत सिंह मेहता का निधन 103 वर्ष की आयु में उदयपुर, राजस्थान में 31 जनवरी, 2003 को हुआ।

श्री कमल नाथ झा वर्ष 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार के सहरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह 1973 से 1980 तक राज्य सभा के भी सदस्य रहे। इससे पूर्व, श्री झा 1962 से 1967 तक बिहार विधान सभा के सदस्य थे।

श्री झा एक योग्य संसदविद् थे। वह 1981 से 1982 तक संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति और 1984 के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री झा ने कालेज के दिनों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल गए। अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।

पेशे से कृषक, श्री झा एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह 1950 से 1953 तक अखिल भारतीय किसान पंचायत तथा 1974 के दौरान महिला कालेज, पूर्णिया के सचिव रहे। उन्होंने

1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य और 1957 से 1967 तक जूट मजदूर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने कई अन्य मजदूर संघों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री कमल नाथ झा का निधन थोड़े समय बीमार रहने के बाद 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में 11 फरवरी, 2003 को हुआ।

श्री नटवरलाल पटेल 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पटेल 1974 से 1976 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और 1976 से 1977 तक विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य थे। वह 1974 से 1976 तक गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 और 1976 के अध्यधीन गठित सलाहकार समितियों के सदस्य भी थे।

इससे पूर्व श्री पटेल, 1962 से 1967 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े।

वह मेहसाना जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाना; काड़ी तालुका की प्रखंड समिति, भूमि विकास सहकारी बैंक, काड़ी शाखा और काड़ी तालुका, खादी ग्रामोद्योग मंडल के सभापति थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने सहकारी आंदोलन, कृषकों की दशा सुधारने और कृषि विकास में विशेष रुचि ली। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी कार्य किया।

श्री नटवरलाल पटेल का निधन 79 वर्ष की आयु में काड़ी, जिला मेहसाना, गुजरात में 12 फरवरी, 2003 को हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.14 बजे

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष, महोदय हम भारतीय क्रिकेट टीम को उनके कल के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहते हैं और हम सभी को भारतीय क्रिकेट टीम के फाइनल में पहुंचने के लिए शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए। चूंकि पहले क्रिकेट संबंधी निकाय के प्रमुख आप थे, इसलिए मेरा विचार है कि यह संदेश एक बार फिर से टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आपकी ओर से जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न सं. 141, श्री अनंत नायक।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, आपसे एक नम्र अनुरोध है। एक सरकारी समारोह के लिए आमंत्रण में एक माननीय सदस्य का नाम शामिल नहीं है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप इस मुद्दे को शून्य काल में उठा सकते हैं, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न सं. 141, श्री अनंत नायक—उपस्थित नहीं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न सं. 141, श्री सुरेश चन्देल—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न सं. 142, श्रीमती मिनाती सेन—उपस्थित नहीं हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री पांडियन, कृपया आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल शुरू करना चाहता हूं। किसी भी अन्य मुद्दे पर विचार नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया आप बैठ जाइए। आप सभा के नियमों को जानते हैं। जब अध्यक्षपीठ बोल रहे तो, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): मेरा विचार है कि यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जा चुका है। मुझे इसका खण्डन करना है।

अध्यक्ष महोदय: यदि किसी ने अध्यक्षपीठ की अनुमति के बगैर बोला है तो उसके द्वारा कही गई बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसलिए, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.17 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

'कॉस्मेटिक क्रीम' संबंधी विज्ञापन

\+
***142. प्रो. ए.के. प्रेमाजम:**
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न कॉस्मेटिक क्रीमों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इलैक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में दिये जा रहे विज्ञापनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विज्ञापन गोरी त्वचा वाले लोगों को श्रेष्ठता-मनोग्रंथि से ग्रस्त करते हैं और इससे विभिन्न वर्गों में असमान भावनाएं उत्पन्न होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अनेक महिला संगठनों ने इन विज्ञापनों में महिलाओं को अशिष्ट रूप में दर्शाने की आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम जब केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुनर्प्रसारित किये जाते हैं। तब केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

जनता और संगठनों के सदस्यों से समय-समय पर कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित शिकायतें/सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच के लिए अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दो अंतर्मंत्रालयीय समितियों का गठन किया है। कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता के ऐसे उल्लंघनों का ध्यान अधिकारियों और समितियों के सदस्यों द्वारा भी रखा जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.) से प्राप्त एक शिकायत प्रेषित है जो टी.वी. चैनलों पर प्रसारित एक कॉस्मेटिक क्रीम के विज्ञापन से संबंधित है जो महिला की गरिमा का कथित रूप से अपमान करने वाला, स्पष्ट रूप से पुत्र को वरीयता देने वाला, लिंग आधारित पारंपरिक अवधारणा को बढ़ाने वाला कि महिलाएं अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं आदि से संबंधित है। इस विज्ञापन को प्रसारित करके उपर्युक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण चार (4) टी.वी. चैनलों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किये गये हैं।

13 मामलों में, टी.वी. चैनलों को उन कार्यक्रमों/विज्ञापनों को प्रसारित/पुनर्प्रसारित न करने के निदेश दिए गए हैं जिनमें संहिताओं का उल्लंघन पाया गया हो यह एक सतत प्रक्रिया है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, बहुत से सौंदर्य प्रसाधन और इसी प्रकार के उत्पादों संबंधी विज्ञापन महिलाओं की बहुत खराब, अनुचित और नकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं। इन विज्ञापनों को

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख समय के दौरान विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। ये विज्ञापन वास्तव में रंगभेद की खुली अभिव्यक्ति हैं। ये विज्ञापन वास्तव में 'पुत्र प्राथमिकता' पर जोर देते हैं तथा उसका समर्थन करते हैं। ये विज्ञापन उन पुराने परंपरागत विचारों के समर्थन का भी संदेश देते हैं जो यह बताते हैं कि यदि महिला का रंग गोरा नहीं है तो वह कोई नौकरी अथवा कोई मुकाम हासिल करने में सक्षम नहीं है। इन विज्ञापनों में महिलाओं के बौद्धिक सामर्थ्य और क्षमता, मानसिक बल आदि के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। विज्ञापनों में यह दर्शाया जाता है कि मानों महिलाओं को नौकरी सिर्फ कुछ उबटनों का इस्तेमाल करने के कारण मिलती है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न सीधे-सीधे रखिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: सिर्फ एक मिनट, महोदय, मैं अपना प्रश्न रखने जा रही हूं।

उत्तर में यह बताया गया है कि इन विज्ञापनों की निगरानी करने तथा ऐसे व्यवहार को समाप्त करने के लिए दो अंतर-मंत्रालयीय समितियां हैं। इन दो अंतर-मंत्रालयीय समितियों के होने के बावजूद, जिन विज्ञापनों का मैंने जिक्र किया है वह वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किये जा रहे हैं। मैंने एक प्रश्न प्रिंट मीडिया के बारे में भी पूछा है। तथापि, उत्तर में प्रिंट मीडिया के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है।

जब दो अंतर-मंत्रालयीय समितियां हैं, तो वे देश में कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं की स्थिति पर प्रतिकूल असर डाल रहे इन विज्ञापनों की निगरानी करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस कर रही हैं? इन समितियों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री रविशंकर प्रसाद: मैं माननीय सदस्य की चिंता में उनके साथ हूं। इस विभाग के मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के तत्काल बाद, मुझे बहुत से पत्र मिले। कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों ने भी मुझसे अपनी चिंता व्यक्त की। मेरा रुख यह है कि मैं स्वत: विनियमन में विश्वास करता हूँ। मैंने सभी प्रसारण परिसंघों की तुलना और उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया तथा उनसे कहा कृपया स्वत: विनियमन करें, हमारी संवेदनाओं को ठेस न पहुंचाए"। वे एक संहिता को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगे हैं।

जहां तक हमारी दो समितियों का संबंध है तो मैं माननीय सदस्य की स्वत: विनियमन की अपनी व्यक्तिगत अपील के अतिरिक्त यह आश्वासन देना चाहता हूं कि दोनों समितियां अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही हैं। माननीय सदस्य को सिर्फ सूचित करने के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि गत वर्ष 12 मामलों में 22 चैनलों को 34 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इन 12 मामलों में से 32 अंतिम आदेश पारित किए गए हैं और उक्त विज्ञापन चैनलों से हटा लिए गए हैं। इस वर्ष, माननीय सदस्य द्वारा जिक्र किए गए विज्ञापनों समेत, दो मामलों में, विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में 27 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 18 आपत्तिजनक गीत दिखाने वाले तीन संगीत चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिनमें कि पॉप गीत बहुत ही बेहूदे और अश्लील थे। इसलिए, समिति अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है। होता क्या है कि हम कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं और वे अपने विज्ञापनों को तत्काल हटा लेते हैं। लेकिन, उसी समय, वे विज्ञापन किन्हीं अन्य चैनलों पर आना शुरू हो जाते हैं। हमारी समितियाँ उचित ढंग से कार्य कर रही हैं।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने दो बार एक उचित विषयवस्तु विनियामक की आवश्यकता पर बल दिया है। इसी प्रश्न पर मुझे विचार करने की जरूरत है।

अब तक, मैंने सभी चैनलों से स्वत: विनियामक के सिद्धांतों का पालन करने का नम्र अनुरोध किया है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: मैं माननीय मंत्री महोदय की बहुत आभारी हूं जिन्होंने बिल्कुल हाल ही में मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। मुझे विश्वास है कि वह इस मामले में कुछ कर पाएंगे। ये अंतर-मंत्रालयीय समितियां अवश्य ही वैसे ही कार्य कर रही हैं। जैसाकि मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था। लेकिन हमारे पास बड़ी संख्या में बहुत मजबूत महिला संगठन हैं जो इन मामलों से प्रतिदिन निपट रहे हैं।

क्या सरकार इन राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों को निगरानी समितियों में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी? चूंकि यह एक अंतर-मंत्रालयीय समिति है, तो क्या मंत्रालय महिला संगठनों को शामिल करके इसी पहलू की निगरानी करने के लिए कोई अन्य समिति गठित करने पर विचार करेगा ताकि यह अधिक प्रभावी बन सके और अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सके?

श्री रविशंकर प्रसाद: आखिरकार पूरी कार्रवाई अखिल भारतीय महिला लोकतांत्रिक संगठन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर की गई थी। इसी प्रकार, अन्य महिला संगठनों ने भी मुझसे शिकायत की है। क्या मैं इस महान सभा को सूचित कर सकता हूं कि दिनांक 27 मार्च को, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और अन्य महिला आयोग एक व्यापक चर्चा का आयोजन करने जा रहे हैं जहां पर मैं उपस्थित रहूंगा। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह निगरानी तंत्र सांविधिक आदेश के कारण है। एक मंत्री के रूप में,

मुझे सुझाव दिये जा सकते हैं। मेरे मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिये जा सकते हैं। इन महिला संगठनों से जो ठोस सुझाव प्राप्त होंगे उन पर निश्चित रूप से मैं विचार करूंगा।

एक प्रश्न जो माननीय सदस्या ने पूछा वह प्रिंट मीडिया के बारे में है। मैं माननीय सदस्या को सिर्फ सूचित करना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया के लिए भारतीय प्रेस परिषद है। हम वहां नहीं जाते हैं। प्रेस परिषद कार्रवाई करने का परामर्श देती है। यदि कोई शिकायत होती है, तो भारतीय प्रेस परिषद कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होती है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, भाग '(ख)' का प्रश्न है, "यदि हां, तो क्या ऐसे विज्ञापन गोरी त्वचा वाले लोगों को श्रेष्ठता मनोग्रंथि से ग्रस्त करते हैं और इससे विभिन्न वर्गों में असमान भावनाएं उत्पन्न होती हैं।" इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या आप उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

श्री रविशंकर प्रसाद: जहां तक उस विशेष भाग जो उबटन से संबंधित है, का संबंध है, तो समिति का विचार था कि उसमें निश्चय ही एक सुझाव दिया गया था कि पुत्री को पुत्र की तुलना में कमतर दिखाया गया था। उस मुद्दे को हमने उठाया है और एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जा चुका है। हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद, कार्रवाई की जाएगी।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: महोदय, हम गोरी चमड़ी के प्रति भारतीय प्रेम के दोहन के लिए मीडिया को दोष नहीं दे सकते। हमें केवल अपने वैवाहिक विज्ञापनों पर देखना पड़ेगा। यहां महिलाएं सबसे ज्यादा दोषी हैं। हमें केवल अश्लीलता पर नजर डालने की आवश्यकता है। उदाहरणस्वरूप, कामसूत्र के विज्ञापन अश्लील और उकसाऊ दोनों हैं। हमारे बच्चों को निश्चय ही कुछ निरोध पर 'कामसूत्र' के विज्ञापन से यौन शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहती हूं कि सरकार इस मामले में ध्यान दे। वे इस बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री रविशंकर प्रसाद: मैं माननीय सदस्या को यह सूचित करना चाहता हूं कि विभिन्न विज्ञापनों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए हैं उनमें 'कामसूत्र' विज्ञापन शामिल है। लेकिन इसमें बड़ा मुद्दा शामिल है। बड़ा मुद्दा यह कि ये निरोध भी जनसंख्या स्थिरीकरण नीति के हिस्से हैं। हम अपने आप इस पर निर्णय नहीं लेते हैं। जब भी स्वास्थ्य मंत्रालय सलाह देता है, हम उसी के अनुसार करते हैं।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर)**:** अध्यक्ष महोदय, हम मीडिया को देखने के आदी हैं लेकिन विशेष रूप से हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया देखने के ज्यादा आदी नहीं हैं, चूंकि इनमें महिलाओं के सम्मान को अक्सर कम महत्व देकर दिखाया जाता है। अब, चाहे वे विज्ञापन ट्रक या टायर या और किसी चीज के बारे में हो, जिसमें महिलाओं का कुछ भी लेना-देना नहीं है, उसे वहां रख दिया जाता है। हमें ऐसा बराबर देखने को मिलता है।

लेकिन जिस विशेष बिंदु को यहां उठाया गया है वह केवल महिलाओं के सम्मान के बारे में ही नहीं, यह मनुष्यों के सम्मान के बारे में भी है। भारत, जो हमेशा रंगभेद के खिलाफ लड़ा है, त्वचा के रंग का किसी भी चीज के लिए मानक बनाने के विरुद्ध रहा है, इस विशेष विज्ञापन में हमेशा यह कहा गया है कि यदि आपकी त्वचा किसी खास रंग की नहीं है, तो आप कोई रोजगार नहीं पा सकते, आप कुछ भी नहीं पा सकते और आपका जीवन असहाय हो जाएगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या कम से कम इसके लिए, वह जांच करवाएंगे एवं पता लगाएंगे कि यह सभी समितियों के मार्गनिर्देशों को कैसे पार कर गया जो वह कह रहे हैं कि यह उन्होंने किया है?

श्री रविशंकर प्रसाद: महोदय, वह बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्या हैं, क्या मैं उन्हें यह सूचित कर सकता हूं कि सेंसर बोर्ड की तरह हमारे पास विज्ञापन को पूर्व-सेंसर करने का कोई तरीका नहीं है? यह कई कमजोरियों में से एक है *...(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: इसका मतलब है आप इसका समर्थन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: कृपया विज्ञापन देने के लिए सेंसर बोर्ड के तंत्र को सुधारें। *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, हम विज्ञापनों पर पूर्व-सेंसर क्यों नहीं लगा सकते? अब शिकायतों के बाद नोटिस जारी किये गये हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप कृपया श्रीमती कृष्णा बोस के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री रविशंकर प्रसाद: महोदय, जहां तक श्रीमती कृष्णा बोस की चिंता का संबंध है, मंत्री बनने के बाद, यह मुद्दा मेरे ध्यान में लाया गया है। मैंने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। लेकिन कानूनी रूप से हमें एक खास प्रक्रिया अपनानी है। जैसे ही जवाब आता है, समिति इस पर विचार करेगी।

लेकिन जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है–महिलाओं को सब जगह दिखाया जाता है—यह एक बड़ा मुद्दा है जिसके

लिए महिला निकायों, हम सभी संसदविदों को निर्णय लेना पड़ेगा। मैं नैतिकता के सिपाही होने का दोषी नहीं बनना चाहता। यह मेरी दुविधा है।

इसलिए, मैं माननीय सभा का मार्गदर्शन चाहूंगा। मुझे खुशी है कि सभा इस संबंध में किसी तरह के तंत्र की आवश्यकता समझती है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (भोपाल): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सवाल पूछने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि 1991 और 1992 के बीच में एक समिति इस बात के लिए बनी थी कि टेलीविजन पर जो विज्ञापन आते हैं, उनमें श्लीलता क्या है और अश्लीलता क्या है, इसकी वह व्याख्या करेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट का बाद में क्या हुआ? दूसरे, जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों के उत्तर में यह बताया है कि वलगैरिटी के बारे में और एडवरटाइजमेंट के प्रकार के बारे में हैल्थ मिनिस्ट्री का भी रोल होता है। वस्तुओं के बारे में हैल्थ मिनिस्ट्री का रोल होता होगा, लेकिन भाषा के बारे में और भाषा में अगर हमारी संस्कृति और मान-मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जाती हों, उस पर तो पूरा का पूरा रोल मेरे ख्याल से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट की यदि उन्हें जानकारी है तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ और श्लीलता और अश्लीलता का निर्णय हैल्थ मिनिस्ट्री का नहीं, बल्कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को करना है, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय तुरन्त क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री रविशंकर प्रसाद: परम आदरणीय उमा जी को मैं इतना बताना चाहूंगा कि इन्होंने 1991 की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, मैं तहकीकात करके उस रिपोर्ट के बारे में इन्हें बता दूंगा। उमा जी, मुझे ऐसा बताया गया है कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी थी, लेकिन मैं जांच करा लूंगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, यह एक सच्चाई है कि जो उसकी भाषा होती है, उस भाषा के संबंध में अंतिम निर्णय करने का अधिकार हमारी कमेटी को होता है। इस तरह से जो अश्लील भाषा है, जैसा मैंने बताया कि 34 शो कॉज नोटिसेज इश्यू किये गये हैं, वे उनके दृश्यों और भाषा, दोनों विषयों के बारे में है। जो शो कॉज हमने दिया है, उसका उत्तर आते ही मैं इसे देखूंगा। जैसे दो फूहड़ गाने एम.टी.वी. पर दिखाये गये, जब हमने शो कॉज नोटिस दिये तो उन्होंने उन्हें विथड्रा कर लिया। यह ऑन गोइंग प्रक्रिया है, लेकिन भाषा में एक प्रकार की मर्यादा हो, इसका मैं विशेष ध्यान रखूंगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री प्रसारकों द्वारा स्व-नियंत्रण नियमन के बारे में बहुत अधिक उत्साही हैं एवं इसके साथ उन्होंने विज्ञापनों के प्री-सेंसरशिप" के तंत्र के अभाव में आपत्तिजनक विज्ञापनों को नियंत्रित करने में सरकार की असफलता के बारे में अपनी असहायता जताई है।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि यह मामला समय-समय पर सभा के समक्ष उठता रहा है और प्रत्येक बार महिलाओं को ही मीडिया में कुछ आपत्तिजनक विज्ञापनों में लक्ष्य किया गया था।

मैं इस बारे में माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा। कोई यह समझ सकता है कि क्या हम समाचारों के मामले में 'प्री-सेंसरशिप' की बात कर रहे थे, जो संभव नहीं है। लेकिन, निश्चय ही, विज्ञापनों के मामले में, अनुभवों से सीखते हुए, क्या यह बुद्धिमानी का काम नहीं होगा या क्या वह उस तरह की योजना शुरू करने पर विचार नहीं करेंगे?

उन्होंने अपने जवाब में जो कहा वह यह है कि कुछ लोगों को सूचनाएं जारी की गई; कुछ लोगों को विज्ञापन रोकने के लिए कहा गया, आदि। क्या यह पर्याप्त है, विशेषकर इस तथ्य के कारण कि सभी विज्ञापनदाता लाभ अर्जित करने के ख्याल से ज्यादा निर्देशित होते हैं, सूचना या समाचार आदि आम लोगों तक पहुंचाने के ख्याल से नहीं?

श्री रविशंकर प्रसाद: मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। एक मुद्दा है जिसे मैं सभा को बताना चाहूंगा। स्थिति यह है। हमारी परामर्शदात्री समिति ने विशेष रूप से उनके द्वारा कही गई बातों पर चिंता व्यक्त करते हुए 'स्व-नियंत्रण' का विचार प्रस्तुत किया।

लेकिन अभिसारिता विधेयक की भी दलील है। यह भी एक मुद्दा है कि अभिसारिता कानून के घेरे में इसी तंत्र के द्वारा संवहन और विषय वस्तु तैयार करके उसे पहुंचाने का कार्य किया जाए। ये वे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। नये मंत्री के रूप में, उस पर भी मेरा ध्यान जा रहा है। पहले मुझे सारी चीजों को समझने दें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सम्पूर्ण रूप से इस मामले की जांच करने के बाद, निश्चय ही, इन सब चिंताओं को दूर करूंगा।

तेल और गैस का तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादन

***144. श्री चन्द्रभूषण सिंह**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू-विज्ञानी अध्ययनों से पता चला है कि देश में अनेक तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस उत्पादन की बहुत अधिक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की खोज करने हेतु कोई विस्तृत योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत में ऐसे 26 तलछटीय बेसिन हैं जिनमें तेल और गैस की मौजूदगी होने का विश्वास है और जो लगभग 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। देश में तेल और गैस के पद्धतिबद्ध अन्वेषण के माध्यम से 7 तलछटीय बेसिनों नामत: असम शेल्फ, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट, खम्बात, कावेरी, कृष्णा गोदावरी, मुंबई अपतट और राजस्थान बेसिनों को उत्पादनशील बेसिनों के रूप में उन्नत किया गया है। तेल और गैस का अन्वेषण संभावनायुक्त स्वरूप का होता है जिसमें तेल और गैस की खोज के संबंध में परिणामों की अनिश्चितता रहती है।

"भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025" में वर्ष 2025 तक एक समयबद्ध और चरणबद्ध ढंग से 100% तलछटीय क्षेत्रों को अन्वेषण में शामिल कर लिए जाने की परिकल्पना है। 10वीं योजना के दौरान योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2006-07 तक लगभग 35% तलछटीय क्षेत्रों के मूल्यांकन की परिकल्पना है।

आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) के नामांकन आधार पर आबंटित क्षेत्रों में और नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) से पहले सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) के अंतर्गत क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयासों के अलावा एन ई एल पी के प्रथम और द्वितीय चक्र के तहत हस्ताक्षरित 47 ब्लाकों में भी प्रयास जारी हैं। हाल ही में एन ई एल पी के तृतीय चक्र के तहत 23 और ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) के तहत प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के अनुसार अन्वेषण किया जाएगा। नामांकन, एन ई एल पी पी एस सीज के तहत क्षेत्रों में तटीय और गहरे समुद्री क्षेत्रों सहित अपतटीय क्षेत्र शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह: अध्यक्ष जी, जैसा हम सब को विदित है कि जितना देश में तेल का कंजम्पशन है, उसका 30 परसेंट हम देश में अभी तक पैदा करने में सक्षम हुए हैं। ओ.एन.जी.सी. को 35 तेल कुओं की खुदाई करनी है, जिनकी गहराई 900 फीट से लेकर 3700 फीट तक है। इसमें करीब 37 सौ करोड़ रुपये का खर्चा आना है-एक बात तो यह है। दूसरे, एन.ई.एल.पी. के तहत पहले और दूसरे चरण में 47 एग्रीमेंट ओ.एन.जी.सी. ने किये और दूसरे चरण में 23 ब्लाकों में एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट हुए। इसमें बहुत अधिक रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें विनिवेश की भी आवश्यकता होगी। मेरा सरकार से सीधे-सीधे सवाल है कि क्या इन योजना में आपका विनिवेश का कोई इरादा है? यदि इरादा है तो अभी तक कितनी देशी और विदेशी कम्पनियों ने इसके लिए आपसे आग्रह किया है कि इसमें हम विनिवेश करेंगे?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, इसमें विनिवेश का कोई सवाल ही नहीं आता है। बिड्स मंगाई गई हैं और इस प्रकार से 70 कांट्रैक्ट्स दे दिये गये हैं। जिन कांट्रैक्टर्स को काम दिया गया है, वे अपने-अपने रिसोर्सेज बनाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। इसमें कोई डिसइन्वैस्टमेंट का सवाल नहीं आता है। जो काम जिनको दिया गया है, वह काम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं सदन को जरूर बताना चाहूंगा कि विगत एक साल में हमें इस योजना के तहत नई-नई डिस्कवरीज मिली हैं, जैसे वसई में ओ.एन.जी.सी. को लगभग 100 मिलियन टन के इक्वीवेलेंट गैस मिली है, रिलायंस और निको को कृष्णा गोदावरी बेसिन में 250 मिलियन टन गैस मिली है, उसी तरह कैरन एनर्जी को फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन में 60 मिलियन टन गैस मिली है। अभी राजस्थान में 20 मिलियन टन ऑयल मिला है। गुजरात में सूरत के पास भी मिला है। इसलिए यह योजना सफलतापूर्वक चल रही है और उसके लिए जो पूंजी लगानी आवश्यक है, वह पूंजी उपलब्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री चन्द्र भूषण सिंह: मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि ऐसी बहुत सी यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन के लिहाज से इकोनोमिकली बहुत महंगी पड़ती हैं, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि जो छोटी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, उन्हें पाइपलाइन जोड़ने के लिए काम देकर, या जैसे भी हो, जोड़ने की व्यवस्था की जाये—क्या सरकार के सामने ऐसा कोई विचार है?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं आया है लेकिन मैं जो समझा हूं, उसके हिसाब से कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर तेल क्षेत्र में जब काम करना है तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल आवश्यकताएं करोड़ों

रुपये रूप में होती हैं इसलिए उसे कोई लघु उद्योग या छोटी कम्पनी काम करे, मोटे तौर पर ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती हैं। यदि गैस पाइप लाइन डालनी है तो छोटे-छोटे कांट्रेक्ट्स न करके, जिन्होंने बड़ा कांट्रेक्ट लिया है, वे उनको कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर लघु उद्योगों को ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का विशेष काम करने की संभावना नहीं बनती है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मंत्री जी ने कहा कि 26 तलछटी बेसिनों में से के सात तलछटी बेसिनों को उत्पादक बेसिनों के रूप में उनका उन्नयन किया गया है। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि जहां तक ऊर्जा का संबंध है, हम पूरी क्षमता का दोहन करने में समर्थ नहीं हैं। हालांकि, हम जानते हैं कि वर्तमान विश्व में, ऊर्जा एक मजबूत हथियार है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अलावा पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी तलछटी बेसिनों का उन्नयन किया गया है।

मध्य पूर्व में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर जहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वहां युद्ध छिड़ने के मामले में सरकार ने किस तरह के ऐहतियाती उपाय किए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भारत अभी भी मध्य पूर्व से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है।

श्री राम नाईक: वस्तुत: मेरे पास आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े नहीं हैं। मेरे पास दसवीं पंचवर्षीय योजना के अद्यतन आंकड़े हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 1999 के पूर्व की स्थिति और अब की स्थिति क्या है। वर्ष 1999 से पूर्व, नामांकन द्वारा 67 प्रतिशत खोज कार्य दिया गया था और 33 प्रतिशत केवल उत्पादन-भागीदारी ठेके के माध्यम से 70 ठेके देने के बाद, तस्वीर इस तरह से बदली कि एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत, 67 प्रतिशत तलछटी क्षेत्र शामिल हैं और नामांकन जो कि पहले 67 प्रतिशत था, उसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। उत्पादन भागीदारी ठेका, जोकि 33 प्रतिशत था, उसे घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया।

लंबा या छोटा, एन.ई.एल.पी. शुरू होने से पहले केवल 4.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तेल की खोज की जा रही थी और एन.ई.एल.पी. के इन तीन चक्रों के पश्चात् शामिल क्षेत्र 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है जो पूर्व के मुकाबले तीन गुना अधिक है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैंने उनसे एहतियाती उपायों के बारे में पूछा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय से निजी तौर पर मिलकर पूछ सकते हैं। यह मुख्य प्रश्न से जुड़ा नहीं है।

श्री राम नाईक: इसीलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। चूंकि यह एक प्रमुख प्रश्न है और सबको यह पता ही होगा, मुझे यह अवश्य कहना चाहिये कि हमारी इच्छा है कि युद्ध न हो लेकिन यदि यह शुरू हो ही जाता है तो हमने पर्याप्त आपात प्रबंध किये हैं ताकि हमारे पास जो भंडार हैं वे दो महीने तक चले। आपात योजना बनायी गयी है। हमने युद्ध क्षेत्र के बाहर के देशों को अग्रिम ठेके दिये हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपूर्ति में बाधा न आये।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने उड़ीसा तट और अपतटीय क्षेत्र में तेल के खोज की कोशिश की है; यदि हां तो इस खोज कार्य में कौन सी सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियां लगी हैं और क्या उन्हें कोई सफलता मिली है।

श्री राम नाईक: महोदय, मुझे हर राज्य के बारे में अलग-अलग बताने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि एन.ई.एल.पी.-3 चक्र में हमने 70 ब्लाक दिये हैं। जहां तक उड़ीसा का सवाल है, एक ब्लाक में खोज का काम दिया गया है। आंध्र प्रदेश को एक ब्लाक दिया गया है; असम-एक ब्लाक; हिमाचल प्रदेश-एक ब्लाक; गुजरात-तीन ब्लाक; मिजोरम-एक ब्लाक; नागालैण्ड-एक ब्लाक, राजस्थान-दो ब्लाक; त्रिपुरा-एक ब्लाक; उत्तर प्रदेश-एक ब्लाक और पश्चिम बंगाल-एक ब्लाक। भूभाग पर स्थित इन 16 ब्लाकों में खोज का काम दिया गया है और अप्रैल के पहले हफ्ते के चौथे चक्र में यहां खोज कार्य शुरू होगा, जबकि कुछ और भूभाग वाले ब्लॉकों में खोज का यह कार्य किया जायेगा।

श्री खारबेल स्वाइं: लेकिन क्या उड़ीसा के मामले में अब तक कुछ सफलता मिली है।

अध्यक्ष महोदय: आप उनके साथ बैठकर जवाब पा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऑयल सैक्टर में एक्सप्लोरेशन के लिए किसी प्राइवेट सैक्टर या कॉरपोरेट सैक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट किया गया है या उन्हें किसी प्रकार की कोई तरजीह दी गई है? अगर दी गई है तो किस कॉरपोरेट हाउस को दी गई है? मेरा इसी से जुड़ा प्रश्न यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों पर हमारे यहां तेल आदि की कीमतों का दारोमदार है और इराक के साथ युद्ध इमीनेंट है, किसी वक्त भी हो सकता

है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं, इसे देखते हुए क्या पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव तलाश करने के लिए सरकार कोई रिसर्च कर रही है ताकि हम अपने कदमों पर खुद खड़े हो सकें?

श्री राम नाईक: जो हमने 70 ब्लॉक्स दिए हैं, वे प्राइवेट सैक्टर में ऑयल कंपनियों को दिए हैं जिन्होंने बिड्स दी हैं, उन सब लोगों को दिए हैं। इसमें प्राइवेट, फॉरैन और इंडियन सभी हैं।

श्री राशिद अलवी: बड़े कॉरपोरेट हाउस में एक-दो के नाम बता दीजिए।

श्री राम नाईक: हमने सदन में सारी जानकारी दी थी। इसके अलावा जो आपका दूसरा प्रश्न है कि पैट्रोल का ऑल्टरनेटिव क्या है, उसकी दृष्टि से दो सोर्सेज हैं, ...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: क्या रिलायेंस को भी आपने दिया है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राशिद अल्वी जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री राम नाईक: मैं बता दूंगा। जहां तक ऑल्टरनेटिव की बात है, हमने एक और दूसरा ऑल्टरनेटिव जो कोयले के बीच में कोल्बैड मिथेन गैस होती है, उसे निकालने की दृष्टि से प्रयास शुरू किए हैं। उसके तहत 8 ब्लॉक्स के लिए, विगत महीने में कॉंट्रैक्ट साइन हुए हैं और साथ ही साथ, जो गन्ने के शीरे या मौलेसिस से इथनाल बनता है, उसका पांच प्रतिशत पैट्रोल में ब्लैंड करने का हमने निर्णय करके जनवरी से प्रमुख 9 गन्ना उत्पादक राज्यों में हमने काम शुरू किया है। भविष्य में यह काम सारे देश में करेंगे और पांच प्रतिशत से दस प्रतिशत पर भी जाएंगे। ये दोनों बाते हैं। सप्लीमेंट्री के तौर पर इसे जानना आपके लिए लाभदायक होगा। जहां तक कौन-कौन सी कंपनियां इसमें शामिल हैं, जैसा आपने कहा कि उसमें रिलायेंस है, निको एजेंसी है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया है, आईओसी है, ये सभी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छी बिड्स दी हैं। उसका क्राइटीरिया होता है जिसके आधार पर हमने दिया है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिले हैं, जहां पर 1950 में गैस और तेल निकला था। गैस के आधार पर वहां दो पॉवर हाउस भी लगे हैं और बिजली भी पैदा हो रही है, परंतु बीच में वहां कुछ दूसरी कंपनियां आई और अब उन्होंने काम शुरू किया है। अभी मंत्री जी बता रहे थे। वहां बीस मिलियन टन के भंडार बाड़मेर जिले में गोड़ामालानी और सातों के पास मिले हैं। आगे उन्होंने बताया है कि वहां पर तेल के भंडार भी हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में तेल ज्यादातर रेगिस्तान के नीचे निकला है—आप गल्फ कंट्रीज में देख लीजिए। मेरा अनुरोध है कि वह एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां अकाल पर अकाल पड़ता रहता है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कारखाने नहीं हैं, कोई धंधा नहीं है, इसलिए जहां आपने ब्लॉक्स दिए हैं, परन्तु आपने उसमें भेदभाव किया है। मैं चाहता हूं कि वहां आप और ब्लॉक्स दें। अगर हिन्दुस्तान की कंपनियां नहीं हैं तो दूसरी बाहर की कंपनियां तैयार हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक दें ताकि दूसरी जगह भी ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जब वहां इतना ऑयल निकलना पक्का हो गया है तो रिफाइनरी की जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी ने कहा है कि कुछ ऑयल यहां से आप गुजरात ले जाएंगे, क्योंकि जितना निकला है, उसके लिए आप शोधन कारखाना खोल सकते हैं और उसे खोलने के लिए ओवरनाइट में निर्णय नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अभी से बहुत सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या आप कोई आश्वासन देंगे या घोषणा करेंगे कि बाड़मेर जिले में तेल शोधन के लिए एक रिफाइनरी खोलेंगे ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके?

श्री राम नाईक: 1950 से ऐसे प्रयास चल रहे थे लेकिन बीच में छोड़ दिये गए। अब फिर से प्रयास शुरू हुए हैं और उसका अच्छा फल आ रहा है। इसलिए राजस्थान में लगभग बीस मिलियन टन तेल जो अभी-अभी निकला है, उसके कारण हमें मिलेगा। अब और कहां से तेल या गैस मिल सकती है, उसके बारे में जो चौथा राउंड निकालेंगे, उस समय और ब्लॉक्स निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। जिन ब्लॉक्स में तेल गैस नीचे होने की संभावना है, निश्चित तौर पर वे ब्लॉक्स दिए जाएंगे। राजस्थान हिन्दुस्तान के ऑयल मैप पर आ गया है नहीं तो पहले आसाम, गुजरात और थोड़ा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश था लेकिन अब राजस्थान भी तेल के नक्शे पर आया है। इसके लिए राजस्थान के सभी लोगों का मैं अभिनन्दन करना चाहता हूं। जहां-जहां और तेल निकल सकता है, जहां व्यापारिक उपक्रमों से, वहां हम उसे निकालने की कोशिश करेंगे।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: हमारे यहां शोध कारखाना खोलने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: अभी वह आश्वासन नहीं देना चाहते। सोनाराम जी, आप बैठिए।

श्री राम नाईक: यदि आपकी अनुमति हो तो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति नहीं है।

श्री राम नाईक: बैठे-बैठे चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इसलिए बैठे-बैठे ही मैं बता देता हूं कि यदि ज्यादा तेल का भंडार मिलता है तो इस बात पर भी हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

रेलवे सुरक्षा कार्य

***145. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान रेलवे सुरक्षा के लिए "ग्रीन बुक" में उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रेलवे सुरक्षा कोष के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस कोष में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में रेलवे सुरक्षा हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। ग्रीन बुक में उल्लिखित और 2001-2002 में पूरा किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया था। 2001-02 में योजना शीर्ष-वार किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है:

मदें योजना-शीर्ष वार	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	शुद्ध खर्च (करोड़ रुपयों में)
रेलपथ नवीकरण	2050 कि.मी.	2490 कि.मी.	1106.6
पुल संबंधी निर्माण कार्य	165 अदद	170 अदद	44.15
सिगनल एवं दूर संचार	72 स्टेशन	75 स्टेशन	155.92
चल स्टाक	158 सवारी डिब्बे 1 डीजल रेल इंजन	158 सवारी डिब्बे 1 डीजल रेल इंजन	127.61
जोड़			1434.28

(ग) वर्ष 2001-2002 और 2002-03 (बजट अनुमान) के दौरान विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए कुल स्वीकृत राशि और 2001-02 एवं 2002-03 में (दिसंबर, 2002 तक) किये गये खर्च का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपयों में)	शुद्ध खर्च (करोड़ रुपयों में)
2001-02	1400.00	1434.28
2002-03	2210.00 (बजट अनुमान)	1345.03 (दिसम्बर 2002 तक)

(घ) संरक्षा के संबंध में किये जा रहे कुछ नवीनतम उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) गतायु परिसम्पत्तियों के नवीकरण तथा संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की नॉन लेप्सेबल रेल संरक्षा विशेष निधि की स्थापना की गई है;

(2) रेल संरक्षा संबंधी कोचों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए महाप्रबंधकों की खरीद शक्तियां बढ़ाई गई हैं;

(3) संरक्षा विभागों को विस्तृत आधार प्रदान किया जाएगा।

(4) सतर्कता सलाह की तर्ज पर संरक्षा अधिकारियों को भी दंड संस्तुत करने की शक्तियां दी गई हैं।

(5) रेल कर्मचारियों की भर्ती के तत्काल बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उनके ज्ञान को आवधिक तौर पर अद्यतन कराया जाता है। रेलपथ कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करने और उसे अद्यतन करने के लिए समय-समय पर गोष्ठियों/कार्यशालाओं/फील्ड प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(6) रनिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में सिमुलेटरों की खरीद की जाती है।

(7) चालन के समय धुरा/जर्नल्स की टूटन को रोकने के लिए हॉट बाक्सों के अलग हो जाने का समय पर पता लगाने के लिए गंध एवं धुआं देने वाले (ओडौर-कम-फ्यूम टाइप) हाट बाक्स डिटेक्टर का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है।

(8) गाड़ी की गति पर नजर रखने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल स्पीड रिकार्डर की व्यवस्था की जा रही है।

(9) प्रणाली में शामिल किये जा रहे नए मालडिब्बे अधिक विश्वसनीय कैसनब बोगियों और एयर ब्रेक प्रणाली से युक्त हैं। मालडिब्बों पर बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली का भी विकास किया गया है। मालडिब्बों में संयुक्त ब्रेक ब्लॉकों का भी धीरे-धीरे उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

(10) दुर्घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप होने वाले हताहतों की संख्या को कम करने के लिए चल स्टाक के डिजाइन में सुधार किया जा रहा है;

(11) मल्टी रिसेटिंग सतर्कता नियंत्रण उपस्कर, कम्प्यूटर नियंत्रित ब्रेक प्रणाली, विस्तृत डायनेमिक ब्रेक और पहिए को फिसलने से रोकने के लिए क्रीप कंट्रोल जैसी सम्मुनत संरक्षा विशेषशताओं वाले नई श्रेणी के डीजल रेल इंजनों की खरीद की जा रही है।

(12) सभी उत्पादन इकाइयों, अधिकांश मरम्मत कारखानों और बड़ी संख्या में शेड और डिपो ने अपनी गुणवत्ता अनुरक्षण प्रणाली के लिए आईएसओ-9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

(13) रेलपथ ज्यामिती और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(14) चोरी न किये जा सकने वाले इलास्टिक रेल क्लिप और फिश बोल्ट को विकसित किया जा रहा है।

(15) जहां कहीं व्यावहारिक हो, फिश प्लेट वाले ज्वाइंटों की संख्या कम करने और भेद्य समझे जाने वाले खण्डों में स्थित ज्वाइंटों में दो फिश बोल्टों की-प्रत्येक पटरी पर एक-बरिंग के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(16) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैपिंग और गिट्टी-सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रेलपथ-नवीकरण गाड़ियों का उपयोग भी किया जा रहा है।

(17) पटरियों में दरारों/वेल्डिंगों में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष-संसूचकों की खरीद की जा चुकी है। स्वनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण यानों की खरीद की जा रही है।

(18) रेल स्टील की विशिष्टियों का अपग्रेड किया गया है और यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यूआईसी) की विशिष्टियों के अनुरूप है।

(19) रेलपथ को सही हालत में रखने के लिए यथा समय रेलपथ नवीकरण किया जाता है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(20) मानसून, गर्मी और जाड़े के दौरान भेद्य खंडों में गैंगमनों द्वारा रेलपथ पर गश्त लगाई जाती है।

(21) रेलपथ संरचना को योजनागत आधार पर समुन्नत बनाया जा रहा है।

(22) विभिन्न स्तरों पर रेलपथ का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

(23) अधिक दुर्घटना की संभावना वाले चौपहिया मालडिब्बों (सीआरटी मालडिब्बों) को सेवा से हटाया जा रहा है।

(24) रेलपथ और पुलों पर अपराध की रोकथाम के लिए जब कभी अपेक्षित होता है राज्यों के पुलिस विभागों के साथ निकट संपर्क रखा जा रहा है।

(25) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने की सीमा तक कड़ा दंड दिया जा रहा है।

(26) सभी कास्ट आयरन स्क्रू पाइल पुलों का पुनर्निर्माण स्वीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधवः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं देश के रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मेरी तरफ से और शिव सेना की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कल जो रेल बजट सदन में पेश किया है, वह जनता का बजट है, आम लोगों का बजट है। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करके सवाल पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः नीतिश कुमार जी की ज्यादा प्रशंसा करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम वर्षों से इन्हें जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधवः क्या लाभ होने वाला है, वह पूरे देश की जनता जानती है। उसे बोलने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश रामराव जाधवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेल दुर्घटनाएं न हों, वैसे इसके लिए सुरक्षा के बहुत से उपाय समय-समय पर रेल मंत्री जी ने किए हैं लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विगत साल में हुई कई बड़ी रेल दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए, क्या सरकार यह सोचती है कि ग्रीन बुक में लिखे मानदंडों का पालन करने से ही देश में रेल यात्रा सुरक्षित हो जाएगी? मेरे प्रश्न 'ख' भाग यह है कि ग्रीन बुक में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी कमी रही और उसके क्या कारण हैं? मेरे प्रश्न का 'ग' भाग यह है कि भारतीय रेलवे में यात्रा पूरी तरह सुरक्षित बनाने तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक ले जाने के लिए ढांचा तैयार करने हेतु कितने निवेश की आवश्यकता है तथा सरकार ने उसके लिए क्या कोई प्राथमिकता सूची तैयार की है?

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, सेफ्टी पर ध्यान देना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, धन की कमी के कारण पिछले कई वर्षों में जितना पैसा रिनुवल के काम में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाला जाना चाहिए था, नहीं डाला जा सका। उसके चलते बहुत सारे एसेट्स जिनका रिनुवल होना चाहिए था, नहीं हो सका था और एक बड़ी लम्बी मात्रा उसकी तैयार हो गई। इसलिए 1998 में जब जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाई गई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कई प्रकार की अनुशंसाओं के अलावा एक अनुशंसा यह भी की थी कि जो भी पुराने एसेट्स हैं, जिनका रिनुवल होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है, उस बैकलॉग को समाप्त करने के लिए भारत सरकार को एकमुश्त कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने समय की स्थिति के हिसाब से अंदाजा लगाया था कि इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये के फंड की जरूरत पड़ेगी। उस रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और एक अप्रैल, 2001 से एक स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड 17,000 करोड़ रुपए का बनाया गया। इसके द्वारा जो हमारे ट्रैक रिनुवल का काम ओवर ड्यू है, वह किया जाएगा। ब्रिजेज का काम जहां बहुत जरूरी है रिप्लेसमेंट स्टाक का, वह रिबिल्डिंग किया जाएगा, सिग्नल इक्वीपमेंट्स का रिनुवल किया जाएगा और जो पुराना रोलिंग स्टाक है, उसके रिप्लेसमेंट का काम होगा इसके अलावा और भी आइटम्स सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए रखे गए हैं।

माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कि क्या इस काम को कर देने मात्र से ही सेफ्टी से संबंधित हर समस्या का हल हो जाएगा, तो मेरा यह कहना कि स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बन जाने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, यह सम्भव नहीं है, क्योंकि स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड हमारे ओवरएज्ड हैंड्स के रिनुवल के लिए बना है। इस कारण जो रेल दुर्घटनाएं हो सकती थीं, पुराने एसेट्स के कारण, उनको रोकने में मदद मिलेगी। हमने दुर्घटनाओं का भी विश्लेषण किया है। उसमें यह पाया गया है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यानी 65 प्रतिशत, ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। उसके बाद दूसरा नम्बर यानी 17 प्रतिशत एक्सीडेंट रोड यूजर्स की गलती के कारण होते हैं, जो लैवल क्रासिंग पर होते हैं। यह एक्सीडेंट की बड़ी मात्रा है। जहां तक ह्यूमन एरर का सवाल है, उसको दुरुस्त करने के लिए, जैसा मैंने कल के रेल बजट में उल्लेख किया था कि सेफ्टी केटेगरी में नीचे के लेवल पर जगह खाली थीं और काम मुश्किल से चल रहा है। करीब 20,000 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है। इन पोस्टों को विशेष अभियान चलाकर एक वर्ष में भरा जाएगा। दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा और बीच में रिफ्रैशर कोर्स चलाकर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके लिए माडर्न गजेट की जरूरत होगी, सिमुलेटर्स जैसे इक्वीप्मेंट्स को लाया जा रहा है। इस प्रकार से ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। सेफ्टी ड्राइव चलाया जा रहा है, ताकि एलीमेंट एक्सीडेंट्स में जो सबसे बड़ा कारण ह्यूमन एरर है, उसको एड्रेस कर सकें। इस प्रकार से अनेक इक्वीप्मेंट्स से संबंधित जो एक्सीडेंट होते हैं, उसको लेकर जो भी हमने कदम उठाए हैं, उसका जिक्र मैंने अपने रेल बजट में दो पेज पर किया है। उससे माननीय सदस्य की समस्या का समाधान होगा।

श्री सुरेश रामराव जाधव: रेलवे ने महाराष्ट्र में रेलवे पुलिस के 4370 पदों की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका 50 प्रतिशत खर्चा रेलवे बोर्ड को देना था। पिछले तीन साल से महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस मद में खर्च किए गए 31 करोड़ रुपए का भुगतान रेलवे द्वारा नहीं किया गया है, जिसकी प्रदेश सरकार मांग कर रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में बकाया भुगतान में देरी क्यों की जा रही है और कब तक यह भुगतान आपका मंत्रालय करने वाला है?

श्री नीतीश कुमार: हालांकि यह पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में यह विषय जब महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया तो मैंने तत्काल रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस विषय में महाराष्ट्र सरकार का जो भी दावा है, उसकी जांच करके इस मामले को सैटल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में सुरक्षा नेटवर्क संबंधी 26 विशेष लाइनों को सूचीबद्ध किया। बिन्दु (26) में कहा गया है:

> ''सभी कास्ट आयरन स्क्रू पाइल पुलों का पुनर्निर्माण स्वीकृत किया गया है''

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना के पूर्व या पश्चात इन प्रावधान को शामिल किया गया है।

श्री नीतीश कुमार: आप किस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपके लिखित उत्तर में रेलवे सुरक्षा उपायों के 26वें बिन्दु के अनुसार सभी कास्ट आयरन स्क्रू, पाइल पुलों का पुनर्निर्माण स्वीकृत किया गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस विशेष उपाय को रफी गंज में राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले शामिल किया गया था या बाद में? यदि इसे पहले शामिल किया गया था तो क्या पुनर्निर्माण वाली श्रेणी में उस विशेष पुल को शामिल किया गया था? यदि ऐसा नहीं तो क्या राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसे पुनर्निर्माण के लिए लिया गया था?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय ने डी.आर.एम. या महाप्रबंधक स्तर पर सुरक्षा उपायों की विफलता के कारण हुई आपदा के सिलसिले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने का नीतिगत निर्णय किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गायसल दुर्घटना के पश्चात एन.एफ. रेलवे के महाप्रबंधक की प्रोन्नति करके पश्चिम रेलवे का महाप्रबंधक बना दिया गया। मैं जवाबदेही की बावत जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किये गये सुरक्षा प्रस्तावों पर चूक हुई है। क्या मंत्री महोदय इन प्रश्नों का जवाब देंगे?

श्री नीतीश कुमार: लिखित जवाब के अनुसार ''सभी कास्ट आयरन स्क्रू पाइल पुलों का पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है''।

[हिन्दी]

इसका राजधानी एक्सप्रेस हादसे से कोई संबंध नहीं है। वह पहले हुआ था। जहां तक राजधानी एक्सप्रेस के एक्सीडेंट का सवाल है, आपने किसी और ब्रिज का उल्लेख किया है। राजधानी का एक्सीडेंट ब्रिज से पहले हुआ था और वह ब्रिज इस श्रेणी का ब्रिज नहीं है। राजधानी एक्सीडेंट के बारे में इंक्वायरी पूरी हो गयी है। मैंने सिविल-एवीएशन मिनिस्टरी से आग्रह किया है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाए। यदि रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उसके बाद लोग अपनी राय फार्म कर सकते हैं। अगर हमारे इंवैस्टीगेशन सिस्टम में कोई कमी है तो एक पब्लिक डिबेट के जरिये और संसद में डिबेट के जरिये उसे भी ठीक कर सकते हैं। मैंने सिविल एवीएशन मिनिस्टर को अपनी मिनिस्टरी की तरफ से पत्र भी लिखा है कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नागर विमानन मंत्रालय ने इसे प्रकाशित नहीं किया है। एक कैबिनेट मंत्री हमें बताते हैं कि उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से इसे प्रकाशित करने को कहा है और नागर विमानन मंत्रालय उसे प्रकाशित नहीं कर रहा है। तब उत्तरदायी कौन है? सरकार उत्तरदायी है। वे यह नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, इसका सीधा मतलब हुआ कि सरकार में तालमेल नहीं है।

श्री नीतीश कुमार: इसमें अनावश्यक अर्थ निकालने की कोशिश नहीं है। जो नियम बने हुए हैं उनके हिसाब से रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है ताकि इसको लेकर संसद के अंदर और बाहर चर्चा होती है। अगर रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो संसद को जानने का अधिकार है, लोगों को जानने का अधिकार है। पहले रेलवे में भी इसे लेकर मन में रहता था कि रिपोर्ट क्यों प्रकाशित हो। लेकिन अब हमने इस बात के लिए सबको तैयार किया कि रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए। रेलवे ने भी लिखा है कि रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए। वह अब अंतिम चरण में है। किसी भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट अगर प्रकाशित होती है तभी लोग जान पाएंगे कि सचमुच में इंक्वायरी ठीक ढंग से हुई।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है।

राजधानी एक्सप्रेस की भयानक दुर्घटना समूचे राष्ट्र की चिंता का विषय है। मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने नागर विमानन मंत्री को रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए लिखा और दूसरे विभाग के मंत्री रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर रहे हैं और संसद को अंधेरे में रखा गया है। यह बहुत अनुचित है। यह सरकार की जवाबदेही का सवाल है। मंत्री महोदय स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। सरकार इसी तरह काम करती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: माननीय दासमुंशी जी, इसका इतना ज्यादा अर्थ निकालने की कोशिश मत कीजिए। हमारी कोशिश रिपोर्ट प्रकाशित करने की रही है।

अध्यक्ष महोदय: मुंशी जी ने आपकी बात को बराबर समझा है। आपने जो कहा है, उन्होंने उसे बराबर समझा है।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष जी, ऐसा प्रयत्न पहली बार हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 146—श्री चन्द्रकांत खैरे।

श्री चन्द्रकांत खैरे: प्रश्न संख्या 146 ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जब तक तहलका डॉट कॉम की जांच पूरी नहीं हो जाती, हम उन्हें सुनने को तैयार नहीं हैं। हम वॉकआउट कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.59 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में 'रिमोट कंट्रोल' विमानों की बरामदगी

***146. श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में गोलाबारूद से लदे दो रिमोट नियंत्रित पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा इन एयरक्राफ्ट्स की पूरी तरह से जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया गया;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक पाकिस्तानी विमानों ने कितनी बार भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन किया है;

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (च) जम्मू-कश्मीर में गोलाबारूद से भरा हुआ कोई रिमोट नियंत्रित पाकिस्तानी विमान नहीं पाया गया है। तथापि, 5 फरवरी, 2003 को एक मानवरहित वायुयान भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस आया था जिसे जम्मू-कश्मीर के मंधार में मार गिराया गया था।

1 जनवरी, 2001 से 15 फरवरी, 2003 तक पाकिस्तानी विमानों/मानवरहित वायुयानों द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की सत्रह

घटनाएं हो चुकी हैं। भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की उपर्युक्त घटनाएं बहुत कम और अल्पकालिक थीं।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास किसी भी विमान पर नजर रखने और उसकी घुसपैठ को रोकने के लिए अपेक्षित हवाई रक्षा तंत्र मौजूद है। किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर संबंधित देश के साथ राजनयिक माध्यमों से विरोध भी दर्ज कराए जाते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों एक मानवरहित वायुयान भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस आया था, जिसे जम्मू-कश्मीर के मंधार में मार गिराया गया। एन्क्वायरी के दौरान पाया गया कि उसमें गोला-बारूद नहीं था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसमें क्या था? इस प्रकार की 17 घटनायें हो चुकी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की घटनाओं को सरकार ने गम्भीरता से लिया है या नहीं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, जिस यूएवी को हमारी सेना ने मार गिराया है, उसमें कोई शस्त्र नहीं था। जब वह गिरा तो उसमें मलबा था। 17 बार पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयर स्पेस में यूएवी आए, लेकिन यह जहाज दूर तक नहीं पहुंचा था। ऐसा नहीं कि फोर्स के जरिए या सेना के जरिए उसको रोकने या उड़ाने की आवश्यकता हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

***141. श्री अनन्त नायक:**
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जो रुग्ण हैं तथा घाटे में चल रहे हैं और उपक्रम-वार घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन रुग्ण इकाइयों को बेचने अथवा बन्द करने अथवा उनका पुनरुद्धार करने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) दिनांक 31.12.2002 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार उक्त अवधि तक औद्योगिक एवं वित्तीय बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या 68 थी तथा 31.3.1999 तक ऐसे उद्यमों की संख्या 66 थी। दिनांक 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 68 उपक्रमों में से 60 उपक्रमों ने वर्ष 2000-2001 के दौरान घाटा उठाया था। लाभकारिता के सम्बन्ध में वर्ष 2000-2001 तक की ही सूचना उपलब्ध है। घाटा के कारण उद्यम-सापेक्ष होते हैं। बहरहाल, कुछ सामान्य कारणों में अप्रचलित संयंत्र व मशीनें, पुरानी प्रौद्योगिकी, बाजार में मन्दी की स्थिति, ब्याज का अत्यधिक बोझ, उत्पादन की अधिक लागत, अधिशेष श्रमशक्ति आदि शामिल हैं।

सरकार की वर्तमान नीति सभी गैर-रणनीतिक उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26% तक या यदि आवश्यक हो तो उससे कम करने, जिन मामलों में सम्भव हो उनमें सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन तथा पुनरुद्धार करने तथा कामगारों के हितों का पूर्ण संरक्षण करने की है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के बारे में बी.आई.एफ.आर. विचार करता है तथा रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से उनके पुनरुद्धार/पुनर्वास की योजनाएं तैयार करता है। 31.12.2002 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, बी.आई.एफ.आर. ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 19 उपक्रमों के लिए पुनरुद्धार योजना की स्वीकृति दी थी, जिनमें से 2 उपक्रमों को 'अब अरुग्ण' घोषित कर दिया गया है।

बी.आई.एफ.आर. ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों को परिसमाप्त कर देने की भी अनुशंसा की है, क्योंकि उनके पुनरुद्धार की सम्भावना नहीं है। बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत 68 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की स्थिति विवरण-I में दर्शायी गई है।

सरकार की नीति के अनुसार क्षेत्र के जिन रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों में विनिवेश किया जा चुका है अथवा विनिवेश की प्रक्रिया जारी है, उनकी सूची विवरण-II में दी गई हैं।

किसी केन्द्रीय सरकारी उपक्रम/एकक को बन्द करने का निर्णय अन्तिम विकल्प के तौर पर पुनरुद्धार के सभी प्रयासों के असफल हो जाने की स्थिति में किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों/एककों को बन्द किया जा चुका है, उनकी सूची विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

31.12.2002 तक बीआईएफआर के पास पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	आदेश की तारीख	लाभ/हानि(-) (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
(क) पुनरुद्धार योजना स्वीकृत			
1.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	31.3.1995	-7.02
2.	भारत वेगन एण्ड इंजी. कं. लि.	1.10.2002	-4.69
3.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	17.10.1995	1.74
4.	ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.	17.10.2002	-37.41
5.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	26.8.1996	-189.26
6.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	23.12.1998	-34.52
7.	जेसप एण्ड कं. लि.	20.9.2002	-48.77
8.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल, एवं माहे) लि.	7.2.2002	-92.55
9.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	22.2.2002	-58.48
10.	नेटेका (गुजरात) लि.	10.2.2002	-141.45
11.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	1.10.2002	-207.67
12.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	12.2.2002	-100.78
13.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	1.10.2002	-188.24
14.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	5.2.2002	-135.68
15.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	15.2.2002	-129.72
16.	यूपी ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	12.7.2002	0.03
17.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.	9.5.1995	0.16

1	2	3	4
(ख)	**बंद करने का नोटिस जारी**		
18.	बंगाल इम्युनिटी लि.	1.12.2002	15.41
19.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.	23.7.2002	-37.69
20.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	15.11.2001	-5.59
21.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.	10.5.2000	-328.16
22.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	23.2.2001	-245.39
23.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं.	19.9.2001	-187.31
24.	नेशनल जूट मैन्यू. कारपो.	23.2.2001	-320.74
25.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स	11.4.2002	-0.97
26.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि.	1.10.2002	-32.66
27.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	9.10.2002	-8.15
28.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	24.10.2002	-45.92
(ग)	**बंद करने की अनुशंसा**		
29.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.	1.11.2002	-9.29
30.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	12.6.2000	-54.74
31.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.	22.7.1996	-43.87
32.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	1.6.2002	-53.36
33.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि.	19.1.1995	-13.98
34.	साईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	10.7.2000	-59.49
35.	एल्गिन मिल्स कं. लि.	30.9.1994	-61.56
36.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल	7.12.2001	-19.44
37.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मा लि.	4.7.2000	-29.8
38.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी क.	29.6.2001	-230.72
39.	नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन	20.12.1993	-0.34
40.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	1.10.2002	0.09
41.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड फार्मा लि.	20.11.2002	-108.30
42.	रेरोल बर्न लि.	13.7.2001	-4.96

1	2	3	4
43.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्म लि.	3.12.2001	-9.78
44.	सदर्न पेस्टीसाइड्स लि.	1.11.2001	-6.09
45.	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यु कं.	1.7.1996	उ.न.
46.	टेनरी एण्ड फुटवियर कं.	14.2.1995	-31.43
(घ)	**अनुरक्षणीय होने के कारण खारिज**		
47.	भारत कोकिंग कोल लि.	3.4.2002	-1276.70
48.	भारत इम्युनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपो.	2.4.1997	0.87
49.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	29.11.2002	-792.90
50.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि.	29.11.2002	-17.84
51.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	17.11.1997	-1.67
52.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर लि.	13.11.1995	-15.26
(ङ)	**प्रारूप योजना परिचालित**		
53.	सीमेंट कारपोरेशन लि.	12.6.1998	-230.76
54.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.	4.7.2001	-2.08
55.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	20.2.1997	-66.43
(च)	**जांच जारी**		
56.	बीको लॉरी लि.	-	-8.67
57.	बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	-	-4.47
58.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	-	-917.19
59.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	-	-4.98
60.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	-	-71.41
61.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	-	-2,19
62.	नेपा लि.	-	4.86
63.	प्रागा टूल्स लि.	-	-34.96
(छ)	**अब रुग्ण नहीं**		
64.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	20.8.2001	-1.20
65.	स्कूटर्स इंडिया लि.	1.7.2000	5.10

1	2	3	4
(ज)	**असफल एवं पुनः प्रारंभ**		
66.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	14.9.2001	-45.22
(झ)	**एएआईएफ द्वारा प्रतिप्रेषित**		
67.	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया	1.12.2002	-948.84
(ञ)	**न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित**		
68.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो.	1.12.2002	-1956.58

विवरण II

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन रुग्ण औद्योगिक उद्यमों की सूची, जिनमें विनिवेश किया जा चुका है। विनिवेश प्रक्रिया जारी है

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विनिवेशित रुग्ण औद्योगिक उद्यम का नाम

1. पारादीप फास्फेट्स लि.

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन रुग्ण औद्योगिक उद्यमों के नाम, जिनमें विनिवेश प्रक्रिया जारी है

1. भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.
2. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
3. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.
4. हिन्दुस्तान केबल्स लि.
5. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
6. इंस्ट्रूमेंटशन लि.
7. जेसप एण्ड कंपनी लि.
8. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
9. नेपा लि.
10. टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि.
11. भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.
12. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.
13. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.

विवरण III

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन रुग्ण औद्योगिक उद्यमों की सूची, जिन्हें बंद कर दिया गया है

1. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.
2. भारत प्रोसेस एण्ड मैकिनिकल इंजीनियर्स लि.
3. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
4. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपो लि.
5. नेशनल बाइसिकल कारपो. ऑफ इंडिया लि.
6. उद्योग पुनर्स्थापन निगम
7. सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि.
8. टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपो. लि.
9. वेबर्ड ईंडिया लि.
10. आरबीएल लि.
11. टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि. की टांगरा इकाई।
12. एचएमटी लि. की 4 इकाइयां
13. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. के घाटा उठाने वाले 7 ताप सह एकक-गढ़ाई एकक
14. एनटीसी की 31 मिलें।

[हिन्दी]

विश्व कप क्रिकेट के मैचों के प्रसारण हेतु समझौता

***143. श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्रीमती प्रभा राव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने आई. सी. सी. विश्व कप क्रिकेट मैचों के सीधे प्रसारण हेतु ग्लोबल क्रिकेट कॉरपोरेशन के साथ किसी समझौते को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षरित समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप दूरदर्शन द्वारा कितनी धनराशी अर्जित की जायेगी;

(घ) क्या दूरदर्शन द्वारा विश्व कप क्रिकेट के सभी मैचों का प्रसारण नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। समझौते की मुख्य विशेषताएं अनुबंध में दी गई हैं।

(ग) दूरदर्शन को इस टूर्नामेंट के प्रसारण से कम से कम 20.43 करोड़ रुपये कमाने की संभावना है।

(घ) से (च) कुल मिलाकर 16 मैचों का डी डी-1 पर सीधा प्रसारण और 43 मैचों का आस्थगित आधार पर डी डी-2 पर प्रसारण किया जा रहा है।

विवरण

1. ग्लोबल क्रिकेट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड निम्बस कम्यूनिकेशन लिमिटेड और प्रसार भारती के बीच 11 सितंबर 2002 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
2. ग्लोबल क्रिकेट कार्पोरेशन आई.सी.सी. ग्लोबल क्रिकेट कारपोरेशन, 2007 तक की क्रिकेट टूर्नामेंट का स्थलीय अधिकार धारक है।
3. प्रसार भारती की स्वीकृति से निम्बस कम्यूनिकेशन लिमिटेड को एक राजस्व प्रबंधन कम्पनी के रूप में चुना गया है।
4. प्रसार भारती ने फरवरी-मार्च 2003 में होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के कुछ चुनिंदा मैचों के प्रसारण के लिए ग्लोबल क्रिकेट कारपोरेशन से प्रसारण के टी.वी. अधिकारों के निःशुल्क स्थलीय प्रसारण अधिकार ले लिया है।
5. दूरदर्शन डी डी-1 पर वर्ल्ड कप के 16 मैचों का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सीधा प्रसारण करेगा:

1. प्रारंभिक दौर	-	8 मैच, भारत के 6 मैचों सहित।
2. सुपर सिक्स दौर	-	5 मैच।
3. सेमीफाइनल	-	2 मैच।
4. फाइनल	-	1 मैच।
कुल	-	16 मैच।

6. मैसर्स निम्बस कम्यूनिकेशन लिमिटेड, दूरदर्शन को निम्नलिखित न्यूनतम गारंटी राशि उपलब्ध करवाएगा:—

आई.सी.सी. वर्ल्ड कप मैच 2003

क्र.सं.	मैचों का विवरण	न्यूनतम गारंटी प्रति मैच	प्रसारित मैचों की संख्या	राजस्व की न्यूनतम राशि, रुपये में
1	गैर-भारतीय मैच	1.00 करोड़ रुपये प्रति मैच	7	7.00 करोड़
2.	भारत के मैच	1.25 करोड़ रुपये प्रति मैच	6	7.50 करोड़
3.	सेमीफाइनल	1.25 करोड़ रुपये प्रति मैच	2	2.50 करोड़
4.	सेमीफाइनल भारत समेत	1.50 करोड़ रुपये प्रति मैच	-	-
5.	फाइनल	1.60 करोड़ रुपये प्रति मैच	1	1.60 करोड़
6.	फाइनल भारत समेत	1.75 करोड़ रुपये प्रति मैच	-	-
7.	डी डी मैट्रो पर आस्थगित प्रसारण		43	1.40 करोड़
8.	मुख्य अंश	1.00 लाख रुपये प्रति मैच	43	00.43 करोड़
	कुल			20.43 करोड़

7. उपरोक्त न्यूनतम गारंटी की राशि निवल होगी जिसमें सेवा कर और विपणन के लिए एजेंसी का कमीशन शामिल नहीं होगा।

8. उपरोक्त 6 और 7 खण्ड के अनुसरण में, मैसर्स निम्बस ने प्रसार भारती को 20.43 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रदान की है।

9. यदि श्रृंखला के लिए लागू कुल न्यूनतम गारंटी पूरी नहीं होती है तो बैंक गारंटी को भुनाया जा सकता है।

10. बैंक गारंटी, न्यूनतम गारंटी राशि और प्रसार भारती के अन्य बकाया राशि की वसूली के बाद ही बैंक गारंटी निर्मुक्त की जाएगी।

11. सभी कर आदि ग्लोबल क्रिकेट कारपोरेशन द्वारा वहन किए जाने हैं।

12. मैचों को प्रस्तुत करना ग्लोबल क्रिकेट कारपोरेशन की जिम्मेदारी होगी।

13. निम्बस कम्यूनिकेशन लिमिटेड को विज्ञापन राजस्व आय के 15 प्रतिशत से ज्यादा कमीशन नहीं दिया जाएगा।

14. प्रसार भारती द्वारा प्रति मैच 7200 सेकेण्ड के वाणिज्यिक समय की अनुमति दी जाएगी।

15. यदि 7200 सेकेण्ड का अतिरिक्त प्रसारण समय बेचा जाता है तो प्रसार भारती को मैच में 60,000 रुपये (निवल) प्रति 10 सेकेण्ड और मैच के बाहर 15000 रुपये (निवल) प्रति 10 सेकेण्ड प्राप्त होंगे।

16. डी डी मैट्रो 43 मैचों का प्रसारण करेगा जिनमें आस्थगित आधार पर प्रातः 9.30 बजे और सायं 4.30 बजे के बीच डी डी-1 पर सीधे प्रसारित 16 मैच शामिल हैं।

विदेशी समाचार चैनलों को 'अपलिंकिंग' सुविधा प्रदान करना

***147. श्री पी.आर. खूंटे:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी नियंत्रित समाचार चैनलों को 'अपलिंकिंग' सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कदम से प्रसार भारती पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने यह मांग की है कि वी.एस.ए.टी. सम्प्रेषण में प्रसारण बैंड को भी संचार मंत्रालय से अलग करके इसे मंत्रालय के क्षेत्राधीन में लाया जाना चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(च) क्या इस संबंध में रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालयों की राय भी ली गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (छ) सरकार को पहली बार एक पूर्णतया विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी से भारत से 24 घंटे के समाचार चैनल को अपलिंक करने संबंधी एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो भारत पर केन्द्रित है। जहां तक यह समाचार और समसामयिक विषयक चैनलों और अपलिंक हेतु प्रौद्योगिकी तटस्थ दिशानिदेशों से संबंधित है, इससे मौजूदा अपलिंकिंग नीति पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श शुरू कर दिया गया है और मामले को मंत्रिमंडल में विचारार्थ पेश करने का प्रस्ताव है।

मौजूदा नीति के अनुसार, भारतीय दर्शकों के लिए सभी टी.वी. चैनल को उनके स्वामित्व (इक्विटी ढांचे सहित) या प्रबंधन नियंत्रण पर ध्यान दिए बिना भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते वे पात्रता मादण्डों को पूरा करते हों और विभिन्न निबन्धन और शर्तों का पालन करने सहित अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करते हों।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि का उपयोग

***148. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार रेलवे के पास राज्य-वार कुल कितनी भूमि है;

(ख) रेलवे के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी भूमि अप्रयुक्त है;

(ग) क्या रेलवे की ऐसी भूमि का उपयोग करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त भूमि का किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से रेलवे द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(च) अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा राज्य-वार रेलवे की कितनी भूमि का अतिक्रमण किया गया; और

(छ) सरकार द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क), (ख) और (च) भूमि के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते, भारतीय रेलों पर अप्रयुक्त भूमि और अतिक्रमण के अंतर्गत भूमि सहित कुल भूमि का जोन-वार विवरण निम्नलिखित है:

(हेक्टेयर में)

जोनल रेलवे	कुल भूमि	अप्रयुक्त भूमि	अतिक्रमित भूमि
मध्य	49371	3114	130
पूर्व	19265	1531	97
पूर्व मध्य	33561	1328	42
उत्तर	45306	2997	1179
पूर्वोत्तर	26032	948	47
पूर्वोत्तर सीमा	43223	2831	230
उत्तर पश्चिम	27749	955	37
दक्षिण	33207	2200	77
दक्षिण मध्य	33148	2209	50
दक्षिण पूर्व	78040	501	255
पश्चिम	34305	2251	74
जोड़	423207	20865	2218

(ग) और (घ) ऐसी खाली पड़ी भूमि, जिसकी रेलवे के परिचालन और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं होती, से संबंधित प्रयोजनों के लिए (जैसे थोक तेल स्थापनाएं, साइडिंगें आदि) वृक्षारोपण, खेतीबाड़ी और वाणिज्यिक पौधारोपण के लिए अल्पकालिक लाइसेंस पर दे दी जाती है।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान भूमि के उपयोग से हुई आमदनी नीचे दर्शाई गई है:

(करोड़ रुपयों में)

1999-2000	-	30.37
2000-2001	-	94.49
2001-2002	-	235.53*

*इसमें तेल कंपनियों से प्राप्त बकाया लाइसेंस फीस के 131 करोड़ रुपये शामिल हैं:

(छ) रेलवे, अपनी भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार निरंतर कार्यरत रहती है।

काली सूची में शामिल गैर-सरकारी संगठन

***149. श्री भास्करराव पाटील:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में खराब कार्य-निष्पादन वाले गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने गैर-सरकारी संगठन अनियमितताओं में संलिप्त हैं और पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि के आबंटन हेतु मानदंडों में और संशोधन किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1999-2000 से 2001-02 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	संस्थाओं के नाम और पता	काली सूची में डालने-अनुदान रोकने के कारण
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	श्री दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी, डी नं. 17-105 सुन्दरायेट स्ट्रीट, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश	जाली पाया गया।
2.	क्राइस्ट रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशन सोसाइटी, दल्लायापल्ली (5) कोडीकांडा (डाकघर) चिल्लामैथूर मंडल, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।
3.	संघमेश्वरा एजुकेशन सोसाइटी डी. नं0 11-292-ए-2-02 चौथा क्रॉस, अरविन्द नगर, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।
4.	कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, पामेड़ी, अनन्तपुर आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।
5.	आदर्श महिला मंडली, एम आई जी 2-50, एपीएचबी कालोनी, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।
6.	मर्सी मानिरिटी एजूकेशनल सोसाइटी, 132668, पहला क्रास, रामचन्द्र नगर, अनन्पुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।
7.	मदर इंडिया, गोरान्तला, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।
8.	लर्निंग इन दि फील्ड आफ ट्रेनिंग फ्लैट नं. 302, रॉकी अपार्टमेंट, वेंकटरेड्डी कालोनी, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश	परियोजना और संगठन का अस्तित्व नहीं है।
9.	युवजन विकलांगगुला समक्रेसमा, संगम कुमारा, पालम रोड, गुन्टुर, आंध्र प्रदेश	सीआईएफ के निरीक्षण के समय लाभग्राहियों की संख्या कम पाई गई, लाभग्राही वास्तविक बेसहारा बच्चे भी नहीं।
10.	सोशल सर्विस सोसाइटी फार पुअर पीपुल, 1/2909, थराकारामपुरम, धर्मावारम, अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश	वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास केन्द्र को अनुदान दिया गया था उसका अस्तित्व नहीं पाया गया।

1	2	3
बिहार		
11.	ग्रामीण विकास संगठन, डाकघर कुरमाथु, भाया-पाईबीघा गया (बिहार)	गैर-सरकारी संगठन को बिहार सरकार की झूठी सिफारिश पर मंत्रालय से अनुदान मिला बताया जाता है, यह सूचना सचिव, बिहार सरकार ने सीसीडी के कार्यालय के माध्यम से दी है।
दिल्ली		
12.	दिल्ली एजूकेशन सेंटर, जिया सराय, नई दिल्ली	कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया गया और आगे सहायता अनुदान रोक दिया गया।
गोवा		
13.	आशा भवन, गोवा	गैर-सरकारी संगठन को कार्य करते हुए नहीं पाया गया।
गुजरात		
14.	उन्नीग्रामोद्योग रचनात्मक समिति, सुरेन्द्र नगर, गुजरात	परियोजना संतोषजनक तरीके से कार्य करती हुई पायी गई।
15.	बागनीनिकेतन 10-तुलसी मार्ग बोंग कालोनी, अहमदाबाद, गुजरात	संगठन योजना के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा था।
कर्नाटक		
16.	राजीव गांधी मैमोरियल परीक्षा पूर्व कोचिंग सेंटर बीदर (कर्नाटक)	संस्था का अस्तित्व नहीं है। सरकार की सिफारिश जाली थी।
17.	इंडिपैंडेंट परीक्षा पूर्व कोचिंग सेंटर मुनियप्पा लेआउट, के आर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक	संस्था का अस्तित्व नहीं है। सरकार की सिफारिश जाली थी।
महाराष्ट्र		
18.	जन कल्याण समाज विकास संस्था, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।
19.	इंटरनेशनल मिशन ऑफ डा. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।
20.	अंपग एसोशियेशन, अमरावती, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।
21.	तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरावती, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।
22.	शिव शक्ति एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।
23.	जामुवंत महाराष्ट्र शिक्षा संस्था, बंजारा कालोनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	परियोजना का काम बहुत असंतोषजनक पाया गया और वह तकरीबन काम नहीं कर रही थी।
24.	सावित्री बाई ज्योतिराव फुले समाज सेवा संस्था, जिला अकोला, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश

1	2	3
25.	अपंग एसोसिएशन नन्द गांव खांडेश्वर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश।
26.	अपंग महिला मंडल, अमरावती, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश।
27.	अक्षर सार्वजनिक वाचनालय, अम्बिका नगर, जिला अकोला, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश।
राजस्थान		
28.	चेतन पब्लिक स्कूल, शिक्षण समिति, नेहरू नगर, जयपुर, राजस्थान	परियोजना संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहीं थी।
तमिलनाडु		
29.	एनमास काउंसिलिंग, 157, चेन्नई, तमिलनाडु	परियोजना संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही थी और निधियों का दुर्विनियोजन।
उत्तर प्रदेश		
30.	अम्बेडकर शिक्षा प्रसारक समिति, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	गैर-सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।
31.	अंजुमन मदरसा इस्लामिया जलायु, उत्तर प्रदेश	गैर-सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया
32.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	गैर-सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।
33.	यू पी राणा वेणी माधव जन कल्याण समिति, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	डी एम, रायबेरली की प्रतिकूल रिपोर्ट।
34.	अभिनव सेवा संस्थान, द्वारकागंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	गैर-सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।
35.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	केन्द्र योजना में परिकल्पित अनुसार काम नहीं कर रहा था।
36.	हरिजन कल्याण समिति, करौली, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	केन्द्र कार्य करता हुआ नहीं पाया गया।
37.	करूणोदय सेवा संस्थान, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	केन्द्र कार्य करता हुआ नहीं पाया गया।
38.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संघ, बी-405, गोपाल टावर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा जाली सिफारिश की रिपोर्ट बतायी गयी।
39.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद्, डाक नवाबगंज, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार और संयुक्त सचिव (एस डी एंड ए) जिन्होंने 17.6.2002 को निरीक्षण किया था, ने इसके काम न करने की सूचना दी।

1	2	3
40.	जन सेवा संस्थान, काउंधियारा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	10.7.2000 और 27.1.2001 के दो निरीक्षणों से दोनों परियोजनाओं में किसी कार्यकलाप का पता नहीं चला।
41.	सर्व कल्याण संस्थान, 564-44, गुरू नानक नगर, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना का अस्तित्व नहीं पाया गया।
42.	अनन्त आश्रम सेक्टर एफ, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना का अस्तित्व नहीं पाया गया।
43.	प्रभात अन्तराष्ट्रीय, एमडी-1 एलडीए कालोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पाई गई।
44.	सेवा लोक कल्याण समिति, तारांगनी मार्ग, इलीडको कालोनी, बंगला बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पाई गई।
45.	भारतीय समाज उत्थान सेवा संस्थान, नेहरू नगर, चाकियावा, हिदोरिया, उत्तर प्रदेश	श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी, संसद सदस्य (देवरिया) के दिनांक 10.10.2001 के पत्र से यह शिकायत मिली कि संगठन का अस्तित्व नहीं था। मंत्रालय के अधिकारियों की आगे जांच से यह और भी सत्यापित हुआ।
46.	अखिल भारतीय समाज कल्याण एवं महिला विकास सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश	श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी, संसद सदस्य (देवरिया) के दिनांक 10.10.2001 के पत्र से यह शिकायत मिली थी कि संगठन का अस्तित्व नहीं था। मंत्रालय के अधिकारियों की आगे जांच से यह और भी सत्यापित हुआ।
47.	अम्बेडकर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, राम जानकी नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	परियोजना संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही थी।
48.	मुरलीधर शिक्षा कल्याण समिति, रूस्तमपुर, धिया, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	परियोजना संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही थी।
49.	नन्दनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, हरबंसपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट और संगठन से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
50.	अवध संस्थान, रामघाट अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	परियोजना और संगठन का अस्तित्व नहीं था।
51.	परोपकारी संस्थान, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	निरीक्षण के समय मौजूद संवासियों की संख्या बहुत कम थी।
52.	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	संगठन उस परियोजना के लिए कार्य नहीं कर रहा था जिसके लिए अनुदान स्वीकृत था।

1	2	3
53.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, 280-69 तिलक नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	संगठन उस परियोजना के लिए कार्य नहीं कर रहा था जिसके लिए अनुदान स्वीकृत था।
पश्चिम बंगाल		
54.	विवेकानन्द अनन्त आश्रम, गांव व डाक कमलाई, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल।	परियोजना संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही थी।

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***150. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश-भागीदारी का मुद्दा अब निपटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय देश में विदेशी समाचार एजेंसियों की भागीदारी संबंधी वर्तमान नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 1956 के संकल्प के अंतर्गत विदेशी समाचार एजेंसियों को भारतीय लोगों के स्वामित्व और प्रबंधन वाली भारतीय समाचार एजेंसी के माध्यम से ही देश के भीतर समाचार वितरण करने की अनुमति है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने विदेशी शेयरधारिता को समाचार प्रकाशन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 26 प्रतिशत या प्रसारण (केबल आदि) के अन्य क्षेत्रों में 49 प्रतिशत के स्तर के सामान लाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क), (च) और (छ) जी हां। यह निर्णय किया गया है कि:

(1) उपयुक्त सुरक्षा उपायों के अधीन समाचारों तथा सम-सामयिक मामलों से संबंधित समाचारपत्रों तथा आवधिकों को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति।

(2) वैज्ञानिक तकनीकी तथा विशेषज्ञता वाली मैगजीनों-आवधिकों-पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति।

(3) विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी तथा विशेषज्ञता वाले मैगजीनों-आवधिकों-पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति।

(ख) से (ङ) 1956 से लागू मौजूदा नीति में यह अपेक्षा की गई है कि विदेशी समाचार एजेंसियां इस देश में केवल भारतीय समाचार एजेंसियों के माध्यम से समाचार वितरित करें।

यह पता लगाने के उदेश्य से कि क्या इस बीच देखे गए तीव्र प्रौद्योगिकीय/अन्य परिवर्तनों से समाचार एजेंसियों से संबंधित 1956 की नीति की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है, समाचार एजेंसियों से सम्बद्ध मीडिया कार्मिकों/उद्योग से परामर्श करना आवश्यक समझा गया है।

अंधविश्वास-विवाहेतर संबंधों को प्रोत्साहन देने वाले धारावाहिकों पर प्रतिबंध

***151. श्री हरिभाई चौधरी:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के दोनों चैनलों और केबिल पर इस समय चल रहे सभी धारावाहिक दो विषयों अर्थात अंधविश्वास

और विवाहेतर संबंधों पर ही आधारित हैं और इन धारावाहिकों में ग्रामीण भारत की झलक दिखाई नहीं देती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन सभी कार्यक्रमों में ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और कृषि का प्रसारण भी नाममात्र का ही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि लोक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं करता जो अंधविश्वास और अवैध संबंधों को प्रोत्साहित करते हों। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों का प्रसारण पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व दर्शन किया जाता है कि वे कार्यक्रम परिवार में देखने योग्य हों तथा दूरदर्शन की प्रसारण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हों।

उपग्रह चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को जब केबल नेटवर्क से प्रसारित किया जाता है तो उनके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। यह कार्यक्रम संहिता, ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देती जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हों या सुरुचि और शालीनता को आघात पहुंचाते हों।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों में विज्ञान, कला, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है।

निजी उपग्रह टी.वी नेटवर्क के कार्यक्र म संबंधी निर्णयों में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चावल की भूसी आधारित ऊर्जा संयंत्र

***152. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीच्यूट फॉर सॉलिड वेस्ट रिसर्च एंड इकॉलाजिकल बेलेंस के अनुसार चावल की भूसी संबंधी प्रौद्योगकी पर आधारित लघु विद्युत संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और क्योटो प्रोटोकाल के अनुसार यह प्रौद्योगिकी सतत विकास को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त किसानों और मिल मालिकों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रौद्योगिकी को शुरू करने में कहां तक सफल हुई है; और

(ग) सरकार इसके तत्काल उपयोग हेतु किस सीमा तक प्रयास कर रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य में मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) सरकार को उस प्रैस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें विशाखापत्तनम में इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड वेस्ट रिसर्च एंड इकॉलाजिकल बेलेंस (आईएनएसडब्लूएआरईबी) को 'चावल भूसी की राख' (आरएचए) पर आधारित विद्युत संयंत्र के विचार को रेखांकित किया गया है। यह प्रैस रिपोर्ट इस अर्थ में भ्रामक है कि चावल भूसी को विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, न कि चावल भूसी राख को। सरकार को इस संस्थान के विचारों की जानकारी है। विद्युत उत्पादन के लिए चावल भूसी और अन्य प्रकार के बायोमास के इस्तेमाल से सभी परिचित हैं।

(ख) और (ग) चावल भूसी सहित बायोमास से विद्युत के उत्पादन के लिए देश में 164 मेवा. की कुल क्षमता पहले ही स्थापित कर ली गई है। 218 मेगावाट की क्षमता कार्यान्वयन के अंतर्गत है। दसवीं योजना के दौरान बायोमास विद्युत उत्पादन के लिए 250 मेवा. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्य संवर्धानात्मक प्रोत्साहनों के अलावा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध हैं। बायोमास विद्युत परियोजनाओं के ग्रिड कनैक्शन के लिए विभिन्न राज्यों में नीतियां आरंभ की गई हैं।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति की समीक्षा

***153. प्रो0 रासासिंह रावत:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आरक्षण नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय समाज के विभिन्न वर्गों में आरक्षण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या विभिन्न वर्गों में कपितय जातियां आरक्षण का अधिकाधिक लाभ उठा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अनेक वर्गों और जातियों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर आन्दोलन किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार की अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के बारे में क्या नीति है और क्या सम्पन्न वर्ग संबंधी प्रावधानों का पालन किया जाता है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, नहीं। पदों के सभी समूहों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध है। आखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े अन्य वर्गों के लिए आरक्षण क्रमशः 15%, 7.5% तथा 27% है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए समय-समय पर मांग की जाती रही है।

(छ) और (ज) सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं है। क्रीमी लेयर स्थिति को निर्धारित करने के लिए मानदंड का पालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि

***154. श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री दिलीप संघाणी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैस प्रशुल्क नीति के अनुसार तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तरलीकृत प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि परिवहन प्रशुल्क से जुड़ी हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जीएआईएल) जैसे गैस उद्योग के अतिरिक्त उर्वरक और ऊर्जा संयंत्र क्षेत्रों की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति का सामना करने और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि वापस लेने हेतु क्या कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की अनुमति के साथ मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा गया है। एल एन जी के मूल्य बाजार निर्धारित होंगे और ये संबंधित कंपनी द्वारा नियत किए जाएंगे न कि सरकार द्वारा। एलएनजी के मूल्यों को कंपनियों द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा इन्हें घोषित नहीं किया गया है। इसलिए एलएनजी के मूल्यों में कोई वृद्धि करने या उर्वरक क्षेत्र, विद्युत संयंत्रों या गेल से इसके विरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों का आवंटन

***155. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक तेल कंपनियां अपनी विपणन योजना के अनुसार पेट्रोल पम्प आबंटित कर रही हैं; और

(ख) किन-किन तेल कंपनियों ने विपणन योजना का उल्लंघन किया है और उनके विरुद्ध की-गई-कार्रवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियां विभिन्न

चयन बोर्डों द्वारा किए गए डीलरों के चयन के आधार पर देश में विभिन्न स्थानों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पम्प) आबंटित करती हैं। ये सभी आबंटन, निम्न दो योजनाओं के तहत किए गए आबंटनों के अलावा जो विपणन योजना से बाहर हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित विपणन योजनाओं के अंतर्गत किए गए हैं-

(1) आपरेशन विजय (कारगिल) में शहीद हुए रक्षा कार्मिक की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटनों के लिए विशेष योजना।

(2) वास्तविक अनुकम्पा आधारों पर और योग्य मामलों में निम्न व्यक्तियों को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए सरकार का विवेकाधीन कोटा।

(क) रक्षा/अर्ध-सैनिक/पुलिस कार्मिक, जो कार्रवाही में शहीद हो गए हों या ऐसे व्यक्तियों, जो अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए स्थायी रूप से विकलांग हो गए हों और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है, के आश्रित;

(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हो गए हों या स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों, और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं हुआ है, के आश्रित।

1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति के परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलरों का चयन अब तेल विपणन कंपनियों द्वारा, सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित विपणन योजनाओं और तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्वयं अनुमोदित की जाने वाली विपणन योजनाओं में से किया जाना है।

''कुटीर ज्योति कार्यक्रम'' के अंतर्गत विद्युत कनैक्शन

***156. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ''कुटीर ज्योति कार्यक्रम'' के अंतर्गत राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना की कोई समीक्षा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस समीक्षा का क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों ने ''सिंगल प्वाइंट कनेक्शन'' सुविधा देना बंद कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं और यह सुविधा कब से समाप्त की गयी है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्ष 2002-03 के दौरान प्रत्येक राज्य को दिए गए सिंगल प्वाइंट कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (च) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) की रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत मुहैया कराये गये कनेक्शनों का लक्ष्य और उपलब्धि निम्नवत हैः

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1999-2000	5,40,000	4,97,373
2000-2001	6,50,000	5,24,674
2001-2002	7,00,000	4,70,125

गत तीन वर्षों के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2002-03 के दौरान 653007 कनैक्शन मुहैया कराये जाने के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 15.2.2003 तक 242091 है। यह प्रत्यशा की जाती है कि वर्ष के दौरान 566770 कनेक्शन मुहैया कराये जायेंगे। ब्यौरा विवरण-II में दिये गये हैं।

मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय ने कुटीर ज्योति कार्यक्रम की दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए सदस्य (विद्युत प्रणाली) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) की अध्यक्षता में मार्च, 2001 में एक समिति का गठन किया है। समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं:

(1) असमुपयोजित निधियां अन्य मांगकर्ता राज्यों को प्रदान की जा सकती हैं। आवंटित निधियों के समुपयोजन की यह समीक्षा दूसरी तिमाही के अन्त में की जा सकती है और अपेक्षित समायोजन तीसरी तिमाही के अन्त में किया जा सकता है।

(2) रा.वि. बोर्ड/यूटीलिटियों में सब-डिवीजनल यूनिटों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(3) एनजीओ की भागीदारी पर भी विचार किया जाए।

(4) राज्य सरकारों द्वारा कराये गये बीपीएल सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर बीपीएल हाउस होल्ड के निर्धारित मानदण्डों के साथ लाभभोगियों का चयन करने तथा अग्रिम रूप से सूची तैयार करने के लिए पंचायती संस्थाओं के साथ परामर्श करके रा.वि. बोर्डों/विद्युत युटीलिटीयों को अधिकार प्रदान किये जाए।

(5) सिंगल प्वाइंट कनेक्शन प्रदान करना तथा एक या दो प्वाइंट से कनेक्शन बढ़ाया जारी रखा जाए।

(6) कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कनेक्शनों की मीटरिंग और रीडिंग तिमाही आधार पर की जानी चाहिए और यदि विद्युत की खपत तीन माह में 45 यूनिटों से अधिक हो जाती है तो कनेक्शन को सामान्य कनेक्शन में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

मंत्रीसमूह (जीओएम) की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए विद्युतीकरण का यूनिट खर्च विशेष श्रेणी के राज्यों में 1000 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये किया है और अन्य राज्यों में 1500 रुपये किया है।

इसके अतिरिक्त, आरईसी द्वारा फरवरी 2000 में ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओआरजी) बडोदरा के माध्यम से कुटीर ज्योति कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन का एक स्वतंत्र अध्ययन किया गया था।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार किसी भी राज्य ने कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सिंगल प्वाइंट कनेक्शन की सुविधा बंद नहीं की है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान गोवा, जम्मू व कश्मीर और मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों के कुटीर ज्योति कनेक्शनों को मुहैया कराये जाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश राज्य कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।

विवरण-I

कुटीर ज्योति कार्यक्रम: गत तीन वर्षों के दौरान कार्यनिष्पादन (1999-2000)

क्र.सं.	राज्य	1999-00				2000-01				2001-02			
		अनुदान (लाख रुपये)		कुटीर ज्योति कनेक्शन (संख्या)		अनुदान (लाख रुपये)		कुटीर ज्योति कनेक्शन (संख्या)		अनुदान (लाख रुपये)		कुटीर ज्योति कनेक्शन (संख्या)	
		आवंटन	आहरित	लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	आहरित	लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	आहरित	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	280	541	28000	38000	202	1391	20150	130000	217	2000	21700	200000
2.	अरुणाचल प्रदेश	190	60	19000	7772	18	54	1790	6000	20	121	1953	10884
3.	असम	170	0	17000	569	468	0	46810	1688	504	0	50410	553
4.	बिहार	520	283	52000	41945	1143	312	114250	25342	929	582	92880	54310
5.	गोवा	130	0	13000	0	1	0	100	0	1	0	108	0
6.	गुजरात	175	50	17500	5000	158	42	15750	4200	170	39	16990	3900
7.	हरियाणा	115	0	11500	0	98	0	9750	0	105	182	10500	13536
8.	हिमाचल प्रदेश	100	38	10000	4080	40	32	4000	2036	43	17	4306	1601
9.	जम्मू-कश्मीर	105	0	10500	0	48	9	4800	528	52	0	5169	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	कर्नाटक	210	1596	21000	200000	243	1411	24300	145087	262	1427	26166	60018
11.	केरल	160	150	16000	15000	142	550	14200	35152	153	100	15290	18717
12.	मध्य प्रदेश	350	573	35000	35714	548	20	54800	51770	439	8	43897	4950
13.	महाराष्ट्र	300	420	30000	35757	490	230	49000	14607	528	20	52767	7420
14.	मणिपुर	105	0	10500	0	32	0	3150	0	34	25	3390	0
15.	मेघालय	210	45	21000	5625	35	29	3520	3500	38	22	3790	2820
16.	मिजोरम	115	115	11500	11500	8	100	830	10000	9	30	890	3000
17.	नागालैंड	125	113	12500	11815	24	78	2400	12000	26	100	2580	6000
18.	उड़ीसा	250	16	25000	5286	357	0	35700	41	384	0	38440	0
19.	पंजाब	110	50	11000	50000	45	25	4500	2500	48	50	4840	5000
20.	राजस्थान	220	92	22000	9940	240	121	24000	15012	258	150	25840	15000
21.	सिक्किम	105	15	10500	0	9	0	900	0	10	0	969	0
22.	तमिलनाडु	270	341	27000	40421	308	384	30800	45919	332	317	33169	42700
23.	त्रिपुरा	105	124	10500	19217	56	88	5600	13783	60	97	6031	9000
24.	उत्तर प्रदेश	640	3	64000	131	1257	2	125700	509	1288	0	128784	0
25.	पश्चिम बंगाल	340	84	34000	4601	532	0	53200	5000	573	20	57290	1686
26.	झारखंड									302	121	30157	1699
27.	छतीसगढ़									151	152	15118	7331
28.	उत्तरांचल									66	0	6576	0
	कुल जोड़	5400	4709	5400000	497373	6500	4878	650000	524674	7000	5580	700000	470125

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन एवं प्रत्याशित उपलब्धियां

क्र.सं	राज्य	कार्यक्रम		राज्य/रा.वि. बोर्डों द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम		उपलब्धियां (15.2.2003 के अनुसार)		प्रत्याशित उपलब्धियां (2002-03)	
		आवंटन (लाख रुपये)	कनेक्शन (संख्या)	अनुदान राशि (लाख रुपये में)	कनेक्शन (संख्या)	आहर (लाख रुपये में)	कनेक्शन (संख्या)	अनुदान (लाख रुपये में)	कनेक्शन (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	309.90	20660	1500.00	10,0000	1417.00	90360	1450.00	92000
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.90	1550	27.90	1550	20.00		22.95	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	720.00	40000	720.00	40000			540.00	20000
4.	बिहार	1327.05	88470	1327.05	88470	240.00	70161	963.53	72000
5.	झारखण्ड	430.65	28710	430.65	28710		17531	327.83	20000
6.	गोवा	7.50	500	0.00	0			0.00	0
7.	गुजरात	242.70	16180	91.50	6100	48.00	2636	90.75	6000
8.	हरियाणा	150.00	10000	150.00	10000	87.00	1802	135.00	8000
9.	हिमाचल प्रदेश	61.49	3416	22.86	1270	18.00	406	22.86	1270
10.	जम्मू व कश्मीर	73.80	4100	0.00	0			0.00	0
11.	कर्नाटक	373.80	24920	373.80	24920	62.00	4480	1122.50	107000
12.	केरल	218.40	14560	218.40	14560	109.00	16605	184.20	17000
13.	मध्य प्रदेश	627.15	41810	627.15	41810	314.00	1444	538.58	30000
14.	छत्तीसगढ़	216.00	14400	457.50	30500	108.00	5580	378.75	20000
15.	महाराष्ट्र	753.75	50250	225.00	15000	144.00	4416	202.50	12000
16.	मणिपुर	48.42	2690	0.00	0			0.00	0
17.	मेघालय	54.18	3010	54.18	3010	27.00		45.09	2000
18.	मिजोरम	12.60	700	54.00	3000	54.00	3000	54.00	3000
19.	नागालैंड	36.90	2050	90.90	5050	45.00		90.45	5000
20.	उड़ीसा	549.15	36610	1000.00	66667			726.00	30000
21.	पंजाब	69.15	4610	69.15	4610	35.00	800	64.58	4000
22.	राजस्थान	369.15	24610	225.00	15000	230.00	1419	172.50	8000
23.	सिक्किम	13.86	770	13.86	770	7.00		11.43	500
24.	तमिलनाडु	473.85	31590	600.00	40000	422.00	17451	525.00	30000
25.	त्रिपुरा	86.15	4786	216.00	12000	97.00	4000	180.00	8000
26.	उत्तर प्रदेश	1834.05	122270	1050.00	70000	525.00		787.50	35000
27.	उत्तरांचल	94.05	5225	728.10	40450	365.00		544.05	20000
28.	पश्चिम बंगाल	818.40	54560	818.40	54560			521.70	15000
	कुल	10000.00	653007	11091.40	718007	4374.00	242091	9700.73	566770

[अनुवाद]

लड़ाकू विमान का विनिर्माण

*157. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो इंजन वाले मध्यम मार क्षमता वाले लड़ाकू विमान और लागत प्रभावी अंतरिक्ष यान का विनिर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश के विद्युत क्षेत्र में सुधार

*158. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री महबूब जाहेदी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने विशेषकर मध्य प्रदेश ने, विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने हेतु केन्द्र के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन राज्य सरकारों द्वारा इस समझौते के अंतर्गत केन्द्र से कितनी सहायता की मांग की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) जी हां। समयबद्ध तरीके से विद्युत सेक्टर के पुनर्गठन और सुधारों हेतु तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को भारत सरकार की सहायता से संबद्ध करने के लिए 26 राज्यों ने विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 16 मई, 2000 को भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

राज्य सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रम

1. राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन
2. गांवों एवं हैमलेटों का 100% विद्युतीकरण
3. सभी स्तरों पर ऊर्जा आडिट
4. राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना
5. टैरिफ यौक्तिकरण

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारत सरकार से मांगी गयी सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:

1. केन्द्रीय उत्पादक केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति
2. राज्य को अतिरिक्त विद्युत पात्रता हेतु पावरग्रिड द्वारा पारेषण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण एवं सुधार
3. उप-पारेषण व वितरण नेटवर्क का चरणबद्ध ढंग से उन्नयन करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता का विस्तार
4. प्रणाली हानि कटौती कार्यक्रम (सिस्टम लास रिडक्शन प्रोग्रैम), जिसमें चरणबद्ध ढंग से उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली समेत उपयुक्त प्रौद्योगिकी शामिल होगी, के अध्ययन हेतु तकनीकी परामर्श सम्बन्धी सहायता।
5. सिस्टम लॉस डिटक्शन कार्यक्रम निष्पादन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता। केन्द्र सरकार कम्पनियों अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, पावरग्रिड से पुनर्गठित संस्थाओं द्वारा उच्च वाणिज्यिक परम्पराओं को ग्रहण करने के साथ लेखा परीक्षा नीतियों को स्वीकारने पर सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
6. गांवों और हैमलेटों के 100% विद्युतीकरण हेतु निधियां प्राप्त करने में सहायता।
7. विद्युत वित्त निगम द्वारा निवेशों की वित्त व्यवस्था हेतु एक्सपोजर लिमिट, रेट आफ रिटर्न, डेब्ट सर्विज कवरेज अनुपात के बारे में सामान्य शर्तों में छूट।
8. राज्य में विद्युत उतपादन में अतिरिक्त निवेश से सम्बन्धित प्रस्तावों को सहायता का विस्तार।
9. राज्य में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य वितरण कम्पनी को सीधे नए केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिक

*159. **डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुरेश कुरूप:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 20003 की स्थिति के अनुसार देश में वरिष्ठ नागरिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की एकल परिवार प्रणाली से उत्पन्न परिस्थितियों के शिकार वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उनके समाधान हेतु कोई विशिष्ट एजेंसी अथवा शाखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के विभिन्न राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों की दशा सुधारने के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) 31 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार देश में वरिष्ठ नागरिकों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों की राज्यवार जनसंख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल विभाग है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाओं/लाभों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) उन वृद्धाश्रमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है जिनके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण I

1991 की जनगणना के अनुसार भारत, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60 वर्ष तथा उसके अधिक की जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	60 वर्ष तथा उससे अधिक की जनसंख्या
1	2	3
	भारत*	5,66,81,640
1.	आंध्र प्रदेश	45,10,929
2.	अरुणाचल प्रदेश	37,560
3.	असम	11,94,460
4.	बिहार	54,08,629
5.	गोवा	82,507
6.	गुजरात	26,37,308
7.	हरियाणा	12,67,741
8.	हिमाचल प्रदेश	4,20,003
9.	कर्नाटक	31,42,708
10.	केरल	25,67,365
11.	महाराष्ट्र	55,10,131
12.	मध्य प्रदेश	43,89,202
13.	मणिपुर	1,11,105
14.	मिजोरम	33,186
15.	मेघालय	78,742
16.	नागालैंड	63,777
17.	उड़ीसा	22,80,956
18.	पंजाब	15,90,059
19.	राजस्थान	27,67,870
20.	सिक्किम	18,508
21.	तमिलनाडु	41,61,822
22.	त्रिपुरा	1,93,295
23.	उत्तर प्रदेश	95,46,943
24.	पश्चिम बंगाल	41,15,573
25.	अंडमान निकोबार	9,546
26.	चंडीगढ	28,351
27.	दादर और नगर हवेली	5,943
28.	दमन व दीव	6,327
29.	दिल्ली	4,39,520
30.	लक्षद्वीप	2,639
31.	पांडिचेरी	58,440

*जम्मू व कश्मीर को छोड़कर जहां 1991 की जनगणना उस समय वहां हावी अशांत स्थितियों के कारण नहीं की जा सकी।

विवरण II

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाएं/लाभ दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाएं/लाभ
1	2	3
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एन पी ओ पी) घोषित की है जिसमें वृद्ध व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है कि उनकी चिंताएं राष्ट्र की चिंताएं है और उन्हें असुरक्षित, उपेक्षित और दरकिनार जीवन नहीं जीना पड़ेगा। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एन पी ओ पी) उस व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्रदान करती है जो 60 वर्ष का हो गया है। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एन पी ओ पी) में अन्य बातों के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, आश्रय के लिए सहायता, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना संबंधी जरूरतों पर बल, समुचित रियायतों, छूट और कटौतियों का प्रावधान आदि उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने जैसे उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के प्रति विशेष ध्यान देने की परिकल्पना की गई है।
		(2) मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है:
		(क) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं /स्वैच्छिक संगठनों/स्वसहायता समूहों को सहायता की योजना। इस योजना के अर्न्तगत वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्र के लिए एकमुश्त निर्माण अनुदान दिया जाता है।
		(ख) "वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" की पूर्व योजना को संशोधित करके वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वृद्धश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों की स्थापना तथा रखरखाव के लिए तथा वृद्ध व्यक्तियों को गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों को प्रतिमाह 75/- रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 2002-03 से राज्य योजना को हस्तांतरित कर दी गई है।
		(2) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं या

1	2	3
		चावल) प्रदान किया जाता है जो अन्यथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
3.	वित्त मंत्रालय	(1) वित्त अधिनियम 1992 की धारा 88 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को 15,000 रु. तक आय कर में छूट अथवा वास्तविक कर, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है, जिन्होंने संबंधित पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
		(2) वरिष्ठ नागरिकों को परन्तुक धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न भरने के लिए "छह में एक" (वन बाई सिक्स) योजना से छूट दी जाती है।
		(3) वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80ध के अंतर्गत चिकित्सा बीमा के संबंध में कटौती 15000/-रु. तक है।
		(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर उच्चतर ब्याज दरों की अनुमति दी है। (65 वर्ष तथा इससे ऊपर के आयु वाले व्यक्ति) तदनुसार दिनांक 15.5.2001 से बैंकों ने सावधी जमा पर 0.5 प्रतिशत की उच्चतर ब्याज दर की अनुमति दे दी है।
		(5) आय कर रिटर्न भरते समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काऊंटर निर्धारित किए गए हैं। निर्धारण वर्ष की 31 मार्च तक 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भोगी होना चाहिए और उन्हें स्वयं आना चाहिए, उन्हें अपना आयकर रिटर्न प्रस्तुत करते समय प्राथमिकता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, मौके पर ही मूल्यांकन सुविधा भी प्रदान की जाती है।
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	इस मंत्रालय ने (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर) पंजीकरण तथा नैदानिक जांच के लिए वृद्ध. व्यक्तियों के लिए अस्पतालों में अलग पंक्ति बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये हैं।
5.	रेल मंत्रालय	(1) भारतीय रेलवे 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए तथा 65 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए राजधानी/शताब्दी ट्रेनों सहित सभी श्रेणियों और ट्रेनों में 30% की छूट प्रदान करती है।
		(2) भारतीय रेलवे के पास वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट खरीदने/बुकिंग करने/रद्द करने के लिए अलग से कांउटरों की सुविधा भी है।
6.	नागर विमानन मंत्रालय	(1) इंडियन एयरलाइंस/जेट एयरवेज 65 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों (पुरुष और महिलाएं) को किफायती दर्जे में सभी घरेलू उड़ानों के लिए मूल किराये पर 50% की छूट प्रदान कर रहा है।
		(2) सहारा इंडिया एयरलाइन्स 62 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों (पुरुष और महिलाएं) को किफायती दर्जे में सभी घरेलू उड़ानों के लिए मूल किराए पर 50% की छूट प्रदान कर रहा है।

1	2	3
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (ए एस टी आर यू) की बसों की अगली पंक्ति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो सीटों का आरक्षण।
8.	दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ने सम्पत्ति कर जमा करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कांउटर खोला है।
9.	विविध	(1) दूरसंचार मंत्रालय द्वारा 65 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता है। (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने वृद्ध व्यक्तियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने और उनका तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को परामर्श दिया है।

विवरण III

गैर-सरकारी संगठनों तथा वृद्धाश्रमों की राज्य-वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	वृद्धाश्रम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	150	117
2.	असम	15	7
3.	बिहार	1	1
4.	गुजरात	5	3
5.	हरियाणा	20	5
6.	हिमाचल प्रदेश	1	0
7.	जम्मू व कश्मीर	8	4
8.	कर्नाटक	47	49
9.	केरल	3	2
10.	मध्य प्रदेश	7	6
11.	महाराष्ट्र	23	7
12.	मणिपुर	38	24
13.	नागालैंड	3	1
14.	उड़ीसा	59	44
15.	पंजाब	16	6
16.	राजस्थान	5	2
17.	तमिलनाडु	63	49
18.	त्रिपुरा	3	2
19.	उत्तर प्रदेश	64	35
20.	पश्चिम बंगाल	57	35
21.	दिल्ली	10	0
22.	पांडिचेरी	4	3
23.	चंडीगढ़	1	0
	कुल	603	402

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेने संबंधी सेवाएं बढ़ाना

***160. श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बच्चों को गोद लेने संबंधी सेवाएं बढ़ाने में राज्य सरकारों से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किन-किन राज्यों ने राज्य दत्तक ग्रहण सेवा प्रकोष्ठों और दत्तक ग्रहण सेवा संबंधी राज्य सलाहकार बोर्डों की स्थापना की है;

(घ) केन्द्र सरकार ने गोद लेने संबंधी सेवाओं को सुचारू बनाने और अवैध रूप से गोद लेने को रोकने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) गोद लेने संबंधी सेवाएं प्रदान कराने वाले गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को सुचारू बनाने तथा इसका पर्यवेक्षण करने के उपाय कर रही हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने दत्तक ग्रहण सैलों की स्थापना की है जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने दत्तक ग्रहण संबंधी राज्य सलाहकार बोर्डों की स्थापना की है।

(घ) पहली बार 1998 में देश के भीतर दत्तक ग्रहण से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए, तब से दत्तक ग्रहण में शामिल प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा अवैध दत्तक ग्रहण को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को अनेक परिपत्र जारी किए गए हैं।

(ङ) अपेक्षित ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(च) गैर-सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका अनाथों तथा निराश्रित बच्चों को सेवा प्रदान करना और देश के भीतर दत्तक ग्रहणों को बढ़ावा देना है।

विवरण

वर्ष 2001-02 के दौरान देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा

(रु. में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2001-02
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश		
1.	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन ईटानगर	533,700.00
	उप-योग	533,700.00
असम		
1.	श्रीमंता शंकर मिशन, नागांव	172,125.00
2.	हेलाल संघ काम्युनिटी सेंटर, करीमगंज	151,686.00
	उप-योग	323,811.00
दिल्ली		
1.	सेवा भारती, झंडेवाला	466,650.00
	उप-योग	466,650.00

1	2	3
हरियाणा		
1.	हरियाणा स्टेट कॉउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर चंडीगढ़	223,650.00
2.	एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज एसोशियेशन, पंचकुला	354,452.00
	उप-योग	578,102.00
हिमाचल प्रदेश		
1.	एच.पी. स्टेट कॉउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, शिमला	191,803.00
	उप-योग	191,803.00
कर्नाटक		
1.	जयंती ग्राम वूमेन एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोशियन, बीजापुर	252,000.00
	उप-योग	252,000.00
केरल		
1.	दिनासेवनसभा, पट्टुमभ, कानपुर	232,200.00
2.	केरल स्टेट कांउसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर थाइकूड, तिरुवंतपुरम	278,290.00
3.	होली एंगलस फाउंडिंग होम, त्रिसूर	161,325.00
4.	आनंद भवन (फाउंडिंग होम) पालाकड	198,598.00
	उप-योग	870,413.00
मध्य प्रदेश		
1.	श्री बांके बिहारी कुंज बहुद्देशीय महिला कल्याण समिति, भिंड	518,850.00
	उप-योग	518,850.00
महाराष्ट्र		
1.	आधारश्रम, नासिक	707,100.00
2.	बाल विकास महिला मंडल, लातूर	512,100.00
3.	दनयान गंगोत्री एजुकेशन सोसाइटी, लातूर	516.150.00
4.	पंकज बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, भंडारा	933,300.00
5.	जिला प्रोबेशन एंड आफटर केयर एसोसिएशन, कोल्हापुर	496,800.00
6.	वत्सालय ट्रस्ट, मुंबई	453,533.00
7.	संधी निकेतन शिक्षण संस्थान, नानदेड़	493,900.00

1	2	3
8.	श्रीमती नारसाबाई महिला मंडल, नानदेड़	452,700.00
9.	जिला प्रोबेशन एंड आफटर केयर एसोसिएशन, अहमदनगर	513,337.00
10.	ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, नानदेड़	526,950.00
11.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	497,250.00
12.	जयश्री सुशिक्षित बेरोजगार महिला मंडल, नागपुर	172,125.00
13.	रोहिणी कल्याणकारी महिला मंडल, भंडारा	329,719.00
14.	साकार (सोसाइटी फार एडोपशन नालेज, अवेयरनेस एंड रिसोर्स) औरंगाबाद	69,398.00
	उप-योग	6,674,362.00
	मणिपुर	
1.	सोशल रिफारमेसन एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन लेके, इंफाल (ईस्ट)	479,700.00
2.	कॉम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थाउबल	479,700.00
3.	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रीलिफ एंड रिहाइबीलीटेशन सर्विस, चूराचंदपुर	172,125.00
4.	इंटीग्रेटेड वूमेन एंड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट सेंटर (डब्लूसीडीसी) इंफाल	172,125.00
	उप-योग	1,303,650.00
मिजोरम		
1.	इंटरनेशनल पुअर चिल्ड्रेन, ऐजल	525,600.00
	उप-योग	525,600.00
उड़ीसा		
1.	सुभद्रा मेहताब सेवा सदन, खुर्दा	241,200.00
2.	बनवासी सेवा समिति, कंधामाल (फलबानी)	512,100.00
3.	लूथेरन महिला समिति, केंद्रपाड़ा	504,000.00
4.	महर्षि दयानंद सर्विस मिशन, धेनकानाल	229,050.00
5.	अनाथ प्ररित्यक्ता बालाश्रम, नयागढ़	418,725.00
	उप-योग	1,905,075.00
राजस्थान		
1.	श्री करनी नगर विकास समिति, कोटा	547,200.00
2.	मधु स्मृति महिला और बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा	493,200.00
	उप-योग	1,040,400.00

1	2	3
	तमिलनाडु	
1.	मलेशियन सोशल सर्विस, चेन्नई	291,600.00
	उप-योग	291,600.00
	त्रिपुरा	
1.	त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, अगरतला	266,850.00
2.	त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर नूतन नगर, अगरतला (वेस्ट)	69,038.00
	उप-योग	335,888.00
पश्चिम बंगाल		
1.	रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, बैरकपुर	161,325.00
2.	विवेकानंद वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, कोलकाता	69,488.00
	उप-योग	230,813.00
	कुल योग	16,042,717.00

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल के आयात का विनियंत्रण

1434. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल के आयात को विनियंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में देश में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने वाली कंपनियां कौन-कौन सी हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान निर्यात आयात नीति के अनुसार राज्य व्यापार उद्यम के रूप में आई ओ सी के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के आयात की अनुमति है। निर्यात आयात नीति में परिवर्तन, यदि कोई हों, सरकार की 2003-04 की निर्यात आयात नीति में प्रतिबिम्बित होंगे।

(ग) वर्तमान में सभी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मुक्त रूप से अनुमति है, सिवाए उन उत्पादों के जो निर्यात आयात कोड 2710 के तहत सूचीबद्ध हैं, जिनके आयातों की राज्य व्यापार उद्यम के रूप में आई ओ सी के माध्यम से अनुमति है।

[अनुवाद]

मुम्बई में शवदाह स्थल को गैस की आपूर्ति

1435. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय को मुम्बई में गैस प्रयुक्त शवदाह स्थल को रिआयती दरों पर सी.एन.जी. की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड (एम जी एल) मुंबई नगर के विभिन्न भागों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। एम जी एल की नीति के अनुसार शवदाह स्थल को गैस की आपूर्ति उस दर पर की जाएगी, जिस पर गैस घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है, जो घरेलू

एल पी जी की तुलना में 20% सस्ती है। मुम्बई स्थित शवदाह स्थल को अभी गैस की आपूर्ति के लिए पंजीकरण करवाना है।

भाषाई समूहों के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम

1436. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के दिल्ली केन्द्र ने अपने प्रसारणों का आबंटन दिल्ली में रहने वाले भाषाई समूहों की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न भाषाई समूहों की मांगों को पूरा करने के लिए आबंटित कार्यक्रमों तथा उनके समय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन विभिन्न भाषाओं में ''क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा'' चला रहा है तो दिल्ली के घरों में केबल के माध्यम से भी उपलब्ध है। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रतिदिन लगभग दो घंटे के हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं क्योंकि इस केन्द्र द्वारा जिस सेवा क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है उसकी प्रत्येक सप्ताह बारी-बारी से आधे घंटे के लिए उर्दू और पंजाबी में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

बिना आरक्षण के यात्रा करने वाले यात्री

1437. श्री टी. गोविन्दन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को यह पता है कि बिना आरक्षण के यात्रा करने वाले यात्री लम्बी दूरी की गाड़ियों में आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां, अधिकांशत: कम दूरी के यात्रियों द्वारा अनधिकृत यात्रा करने के कुछ मामलों का पता चला है। गाड़ी टिकट परीक्षकों (टीटीई) को जांच करने और ऐसे यात्रियों को दंडित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आरक्षित सवारी डिब्बों में टिकट जांच करने हेतु लगाए गए कर्मचारियों के अलावा, ऐसे दुराचार को रोकने के लिए नियमित अभियान भी चलाए जाते रहे हैं।

नैमित्तिक कामगारों को नियमित करना

1438. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियमित रेल सेवाओं में विभिन्न रेल डिविजनों पर 80 तथा 90 के दशक के दौरान कई सालों तक कार्य करने वाले नैमित्तिक कामगारों को नियमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेल डिविजनों में ऐसे भूतपूर्व नैमित्तिक कामगारों की संख्या कितनी है जिन्हें नियमित किया जा चुका है और ऐसे नैमित्तिक कामगारों की संख्या कितनी है जिन्हें अर्हक सेवा पूरा करने के बावजूद नियमित नहीं किया गया है;

(ग) क्या पूर्व दो दशकों में नैमित्तिक सेवा के विभागीय रिकार्डों के उपलब्ध न होने के कारण उनको नियमित करने में दिक्कतें आ रही हैं;

(घ) क्या नियमित करने के लिए ऐसे कामगारों द्वारा प्रस्तुत नैमित्तिक सेवा के सबूत पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उन कामगारों को नियमित करने के लिए अपनाए गए मापदण्ड कौन से हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामान का गुम होना

1439. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह विनिर्णय दिया है कि यात्री अपने सामान की चोरी अथवा उसके गुम होने पर रेलवे के विरुद्ध उपभोक्ता अदालतों में क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलगाड़ियों में यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या रेलवे के दावा न्यायाधिकरण केवल उन्हीं मामलों को ले रहे हैं जिनमें चोरी हुआ अथवा गुम हुआ सामान रेलवे में कैरिएज हेतु बुक किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यात्रा के दौरान जिन यात्रियों के सामान गुम हुए हैं उनके पास इस क्षति की पूर्ति हेतु क्या उपाय उपलब्ध हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) गुजरात राज्य आयोग द्वारा पास किए गये आदेश के विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य तथा संजीव दिलसुकराय दवे एवं अन्य के बीच 2000 की पुनर्याचिका सं. 1590 के फैसले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने रेलों के विरुद्ध निर्णय दिया है।

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों में पुलिस और रेल सुरक्षा बल द्वारा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना अपराधियों की गतिविधियों की आसूचना का आदान-प्रदान करना और एहतियात बरतने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना, चल टिकट परीक्षक द्वारा निगरानी रखना और भेद्य खंडों में रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा गाड़ियों का मार्गरक्षण करना शामिल है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ढुलाई के लिए रेलवे में बुक कराए गए सामान की चोरी या हानि के मामलों के अलावा, रेल दावा अधिकरण रेलवे में बुक कराए गए माल/समान पार्सल और मवेशियों की क्षति, नुकसान, सुपुर्दगी न हो पाने आदि, दुर्घटना और अप्रिय घटनाओं और किराए और मालभाड़े की धन वापसी संबंधी मामले भी निपटाता है।

(च) रेलवे उत्पीड़ित यात्रियों को राजकीय रेल पुलिस के पास अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में सहायता देती आई है ताकि उनके द्वारा उचित कार्यवाही की जा सके।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में महीशया को शामिल करना

1440. श्री प्रबोध पण्डा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने "महीशया" को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की कुल संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में "महीशया" जाति/समुदाय को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन सी बी सी) में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची 27.5.2002 को यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और 8.1.2003 को यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में दी गई है। पश्चिम बंगाल के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदायों की सूची अब तक जारी निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचनाओं में दी गई है:

राजपत्र अधिसूचना	दिनांक
163	20.10.1994
60	11.3.1996
210	11.12.1996
241	27.10.1999
270	6.12.1999
71	4.4.2000
210	21.9.2000
246	6.9.2001

[हिन्दी]

झारखंड द्वारा प्रेषित अनु.जा./अनु.ज.जा. कल्याण संबंधी योजनाएं

1441. श्री ब्रजमोहन राम: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार को अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) झारखंड राज्य सरकार ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजे हैं तथा की-गई-कार्रवाई/किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई और अनुमोदन नहीं करने के कारण संलग्न विवरणों-I और II में दिया गया है।

विवरण I

झारखंड राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों के कल्याण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की योजना-वार स्थिति

क्र.सं.	योजना का नाम	2002-03 के दौरान निर्मुक्त निधियां (रु. लाखों में)	निधियां नहीं निर्मुक्त करने के कारण
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत निर्मुक्त पहले अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र भी नहीं भेजा है।
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	266.64	
3.	पी सी आर तथा अत्याचार	105.97	
4.	अनुसूचित जाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
5.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
6.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुर्नवास	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
7.	पुस्तक बैंक	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
8.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति	1.15	.
9.	कोचिंग और संबद्ध	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

विवरण II

झारखंड राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों के कल्याण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की योजना-वार स्थिति

क्र.सं.	योजना का नाम	2002-03 के दौरान निर्मुक्त निधियां (रु. लाख में)
1	2	3
1.	जनजाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	5870.24
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	2093.50

1	2	3
3.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए होस्टल	शून्य
4.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	शून्य
5.	अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	शून्य
6.	पुस्तक बैंक	शून्य
7.	प्रतिभा का उन्नयन	शून्य
8.	राज्य जनजाति विकास निगमों को अनुदान	शून्य

टिप्पणी: उपर्युक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार से सहायता की मांग संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जनजाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गई है। उपर्युक्त क्र.सं. 3-8 पर योजनाओं के अंतर्गत कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है, क्योंकि प्रस्तावों को मानदंडों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया है। राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

पेट्रोनेट द्वारा बिछाई गई पाईपलाईनें

1442. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोनेट तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के तत्वाधान में प्रस्तावित योजनाबद्ध तथा निर्मित की जाने वाली विभिन्न पाईपलाईनों की स्थिति क्या है;

(ख) विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी भागीदारों तथा उन्हें स्वीकृत इक्विटी के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोनेट में इक्विटी का आबंटन किस मूल आधार पर किया जाता है;

(घ) भागीदारों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) पाईपलाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ङ) पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पी आई एल) और देश में इसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरम्भ की गई और आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी स्थिति और पूरा होने की अनुमानित तारीख सहित संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार पी आई एल इसके द्वारा गठित प्रत्येक परियोजना सहायक कंपनी में 26% इक्विटी का धारण करेगी। शेष इक्विटी, तेल परिशोधन कंपनी, जिसके उत्पादकों का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाएगा, सहित भागीदारों द्वारा, इच्छुक तेल विपणन कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के अलावा अन्य तेल कंपनियों द्वारा धारित की जाएगी। फिलहाल पी आई एल की विभिन्न सहायक कंपनियों में इक्विटी भागीदार 11% से 26% इक्विटी का धारण कर रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम	स्थिति	पूर्ति की अनुमानित तारीख
1	2	3	4
1.	वादीनार-कांडला	सिक्का-कांडला भाग प्रचालनरत है।	शेष 17 कि.मी. पाइपलाइन वादीनार में एस्सार आयल की प्रस्तावित रिफाइनरी के साथ पूरी होगी।
2.	कोचीन-कोयंबतूर-करूर	पाइपलाइन प्रचालनरत है	-

1	2	3	4
3.	मंगलौर-बंगलौर	पाइपलाइन का निर्माण पूरा हो गया है।	पाइपलाइन मार्च, 2003 तक चालू हो जाएगी।
4.	मध्य भारत	विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण पूरा हो गया है। पी एण्ड एम पी अधिनियम के तहत प्रयोक्ता के अधिकार अधिग्रहण के प्रकाशन पर कार्यवाही जारी है। परियोजना क्रियान्वित किए जाने की विधि की जांच की जा रही है।	संशोधित कार्यक्रम वैकल्पिक क्रियान्वयन ढांचे के मूल्यांकन के बाद पक्का किया जाना है।
5.	पाराद्वीप-राउरकेला	परियोजना पी आई एल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित	क्रियान्वयन पारादीप में प्रस्तावित रिफाइनरी के साथ पूरा होना है।
6.	बीना-झांसी-कानपुर	-वही-	क्रियान्वयन बीना में प्रस्तावित रिफाइनरी के साथ पूरा होना है।
7.	भटिण्डा-पठानकोट	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।	क्रियान्वयन भटिंडा में प्रस्तावित रिफाइनरी के साथ पूरा होना है।

[हिन्दी]

भर्ती में अनियमितताएं

1443. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि सी.बी.आई. ने अहमदाबाद (गुजरात) में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न रिक्तियों को भरने के मामले में बरती गई अनियमितताओं को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां, एक जरिए से सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा रेल सतर्कता ने संयुक्त रूप से 17/18.8.2002 को छापा मारा और रेलवे भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर पद की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की चोरी के मामले का पता चला। इस रैकेट में संलिप्त दोषियों तथा चोरी से लाभ पाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। परीक्षा निरस्त कर दी गई है। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) जी हां, सभी रेलवे भर्ती बोर्डों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे प्रश्न पत्रों की गोपनीयता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और इनके मुद्रण, भंडारण तथा परिवहन के पुख्ता इंतजाम करें ताकि इस प्रकार की चोरी की घटना की पुनरावृति न हो।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एल.पी.जी. एजेंसियां/बिक्री केन्द्र

1444. श्री बीर सिंह महतो: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में एल.पी.जी. एजेंसियों और खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) डी.एस.बी.एस. द्वारा कितने साक्षात्कार किए गए और सरकार को इन चयनों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन शिकायतों के संबंध में कराई गई जांचों का क्या परिणाम निकला है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने किसी विशेष वर्ष में देश के किसी राज्य में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, जनवरी, 2000 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में डीलर चयन बोर्डों ने 49 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 79 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए साक्षात्कार लिए हैं। इन चयनों के विरुद्ध प्राप्त कुछ शिकायतों की डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों में वर्णित शिकायत निवारण प्रणाली के अनुसार जांच की गई।

पेट्रोनेट द्वारा गैस का आयात

1445. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतर के अधिकारियों के एक दल ने इंडियन आयल कंपनियों के संयुक्त उपक्रम पेट्रोनेट लिमिटेड द्वारा गैस के आयात पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के भीतर प्रचुर मात्रा में गैस के पाये जाने के दृष्टिगत भारत की आयात पर निर्भरता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो कतर तथा अन्य देशों से भारत द्वारा कितनी मात्रा में गैस का आयात किया जा रहा है; और

(घ) गैस का आयात किस मूल्य पर किया जा सकता है और पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे आयातों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) प्राकृतिक गैस के 120 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) वर्तमान आबंटन की तुलना में इसकी वर्तमान आपूर्ति लगभग 65 एम एम एस सी एम डी है। हाइड्रोकार्बन झलक 2025 के अनुसार प्राकृतिक गैस की मांग वर्ष 2006-07 में 231 एम एम एस सी एम डी तक हो जाएगी। मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के नेतृत्व वाले एक परिसंघ द्वारा की गई गैस की हाल की खोज लगभग 25-35 एम एम एस सी एम डी तक की होगी। प्राकृतिक गैस की इस खोज के बावजूद प्राकृतिक गैस की मांग एवं आपूर्ति के बीच अभी भी बड़ा अंतराल होगा। इस अंतराल को पूरा करने के लिए एक विकल्प तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात करना है।

(ग) और (घ) पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) जो चार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों अर्थात गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी एल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बी पी सी एल) तथा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, ने 7.5 मिलियन टन एल एन जी, दहेज के लिए 5 एम एम टी पी ए तथा कोच्चि टर्मिनल के लिए 2.5 एम एम टी पी ए के आयात के लिए कतर की रास गैस के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पी एल एल वर्तमान में दहेज, गुजरात में 5 एम एम टी पी ए क्षमता के एल एन जी टर्मिनल की स्थापना कर रही है। इस योजना के दिसम्बर, 2003 में यांत्रिक रूप से पूरा होने की आशा है। चूंकि एल एन जी का आयात अभी आरम्भ नहीं हुआ है, इसलिए एल एन जी के आयात पर व्यय उपगत करने का प्रश्न नहीं उठता।

असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुराने रेलवे पुल

1446. **श्री एम. के. सुब्बा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम तथा पूर्वोतर क्षेत्र के अन्य राज्यों में रेलवे ऐसे कितने पुल हैं जो बहुत पुराने और बेकार हो चुके हैं और जिनकी बड़े पैमाने पर मरम्मत, मजबूत करने अथवा उसे दोबारा बनाने की जरूरत है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु खतरा बन चुके इन पुराने और टूटे हुए पुलों की मरम्मत, मजबूत करने और उन्हें पुनः बनाने के लिए क्या कोई विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेल पुलों की मरम्मत, बदलाव, आयु एवं हालत के मद्देनजर किया जाता है और केवल आयु ही इसमें निर्धारित कारक नहीं होती है। असम तथा पूर्वोतर के अन्य राज्य पूर्वोतर सीमा रेलवे द्वारा सेवित किए जाते हैं जहां किसी भी रेलवे पुल को अधिक कमजोर अथवा बहुत अधिक पुराना नहीं कहा जा सकता, बहरहाल, इस समय 961 रेलवे पुल 100 से अधिक वर्ष पुराने हैं जिसमें से 500 पुल मीटर लाइन खण्ड पर हैं और शेष 461 पुल छोटे लाइन खण्ड पर हैं। मीटर लाइन खण्ड पर 500 पुलों में से 432 पुलों को आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में पुनर्स्थापित/सुदृढ़ीकरण के लिए पहले ही स्वीकृत किए गए हैं। जबकि शेष 68 पुल गैर-महत्वपूर्ण लाइनों पर स्थित हैं जहां यातायात की मात्रा कम हैं। छोटे लाइन खण्ड पर एक पुल को छोड़कर सभी पुल छोटे हैं जहां यातायात का घनत्व और माल लदान का स्तर कम

है और इसलिए इन पुलों में बहुत अधिक मरम्मत अथवा परिवर्तन की गुंजाइश अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) भारतीय रेलवे पर ऐसा कोई पुल नहीं है जिनकी हालत खस्ता कही जा सके। बहरहाल, 527 पुल ऐसे हैं जिन्हें कमजोर (1.4.2002 को) की श्रेणी में रखा गया है और जिनकी मरम्मत/पुनर्स्थापन की जरूरत है। इसमें से 2002-03 के दौरान 341 पुलों के पुनर्स्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 31.3.2003 तक 189 पुलों को पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, वास्तविक हालत/पुरानेपन के आधार पर और जहां से भारी सामान ले जाना अपेक्षित होता है, कमजोर पुलों के अलावा, पुलों का पुनर्स्थापन/पुल निर्माण भी शुरू किया जाता है। 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार कुल 4484 पुलों के पुनर्स्थापन/पुल निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी जिसमें से 2002-03 में 999 पुलों को निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 31.1.2003 तक 754 पुलों पर कार्य पूरा हो चुका है।

नीपको में तनाव

1447. **डा. जयंत रंगपी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी 2003 के "द ट्रिब्यून" (असम संस्करण) में छपे समाचार "टेंशन इन नीपको कैम्पस एट उम्रानगसू फालोइंग डी.एच.डी. थ्रैट" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नीपको, राज्य सरकार या सी.आई.एस.एफ. जैसी अन्य एजेंसियों पर सामान्यत: निर्भरता के अतिरिक्त अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नीपको के सुरक्षा विभाग में श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रजिस्ट्रार अदालतों की स्थापना

1448. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा देश में समाचार-पत्रों के विस्तार के लिए देश में रजिस्ट्रार अदालतों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन शहरों में इन अदालतों के गठन की संभावना है; और

(घ) इन पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस प्रज्वलन

1449. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राकृतिक गैस का प्रज्वलन अभी भी हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस का प्रज्वलन किस सीमा तक हो रहा है;

(ग) क्या प्रज्वलित हो रही प्राकृतिक गैस के उपयोग की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितना निवेश अपेक्षित है; और

(ङ) देश में उपलब्ध गैस भंडारों के उचित उपयोग के लिए कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 को दौरान 29.71 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) के कुल गैस उत्पादन में से लगभग 16.7 बीसीएम की मात्रा जला दी गयी थी, जो लगभग 5.6% बैठती है।

(ग) से (ङ) तकनीकी और सुरक्षा कारणों, तेल उत्पादन शुरू होने और संबद्ध हेतु डाउन स्ट्रीम आधारभूत संरचना तैयार करने के समय अंतराल साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की अनुपलब्धता और उपभोक्ता आफटेक में घटा-बढ़ी के कारण गैस का प्रज्वलन किया जा रहा है।

गैस प्रज्वलन में कमी करने के लिए अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निवेशों में समय-समय पर घट-बढ़ होती रहती है। गैस प्रज्वलन में कमी करने हेतु किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कम्प्रेशन सुविधा की स्थापना, डिबोटलनेकिंग और गैस रिक्तीकरण पाइपलाइनों का निर्माण।
2. गैस कम्प्रेशरों में क्षमता नियंत्रण समावेशन और उभार को समाप्त करने हेतु गैस होलउरों की स्थापना।
3. बाह्य उपभोक्ताओं द्वारा कम उत्थापन के दौरान भूमिगत रिक्त भंडारों में गैस संरक्षण हेतु भंडारण सह प्रवाह वापसी योजना (फ्लोबैक स्कीम) की कार्यान्वयन।

कोचीन में स्काई बस मेट्रो

1450. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप रेलवे ने कोचीन में स्काई बस मेट्रो शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्काई बस मेट्रो प्रणाली एक शहरी यातायात प्रणाली है। यह प्रणाली रेलवे की नहीं है और इसलिए ऐसी प्रणाली रेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होती है। ऐसी प्रणाली के निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप

1451. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम "यूनीवर्सल आब्लीगेशन" के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल के बिक्री केन्द्र स्थापित करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम इस नीति को किस सीमा तक लागू कर रहे हैं;

(घ) क्या उन्हें देश में अपने बिक्री नेटवर्क को फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां "ङ" श्रेणी के बाजारों (ऐसे दूर-दराज क्षेत्र जहां राष्ट्रीय/राजमार्ग नहीं हैं तथा कृषिक बाहुल्य वाले क्षेत्रों, जहां 10 कि.मी. अर्धव्यास के अंतर्गत कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं हैं) एवं "घ" श्रेणी के बाजारों (राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग) समेत सभी क्षेत्रों में व्यवहार्य स्थानों, की पहचान करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करती हैं। ऐसे व्यवहार्य स्थानों को तेल उद्योग की विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

अक्षम/शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों को एल.पी.जी. एजेंसियों/पेट्रोल पंपों का आबंटन

1452. डा. बलिराम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऐसे अक्षम/शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान एल.पी.जी. एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों का आबंटन किया गया है;

(ख) डीलरशिप आबटन में अक्षम/शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या उक्त राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा समाप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों (पी एच)

के पक्ष में निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओज) तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें (एल पी जी) आबंटित की हैं-

राज्य	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप
दिल्ली	1	1
हरियाणा	4	5
उत्तर प्रदेश	20	18

(ख) से (घ) 5 प्रतिशत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं।

उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

1453. **श्रीमती रीना चौधरी:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की उत्तर प्रदेश को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के तहत लाने की कोई ठोस योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) सरकार के पास उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, लघु पनबिजली और बायोमास के संवर्धन एवं उपयोगिता के लिए बहुत से कार्यक्रम हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों और उनमें प्राप्त उपलब्धियों दिनांक 31.3.2002 के अनुसार, का विवरण संलग्न है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, विचार और अनुमोदन किया जाता है। बायोगैस एवं और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों के परामर्श से वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2002-03 हेतु, 10,000 बायोगैस संयंत्रों, 6000 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों और 100 सौर सड़क रोशनी प्रणालियों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों के दिनांक 31.3.2002 के अनुसार विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	31.3.2002 के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3
क.	**विद्युत उत्पादन**	
1.	लघु पनबिजली (मेवा.) (25 मेगावाट तक)	21.50
2.	बायोमास विद्युत/सहउत्पादन (मेगावाट)	46.50
3.	बायोमास गैसीफायर (किलोवाट)	1731
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत (किलोवाट)	325
5.	अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति (मेगावाट)	1.00
ख.	**विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां**	
6.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (संख्या)	371587
7.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (संख्या)	1415

1	2	3
8.	उन्नत चूल्हा (सं. लाख में)	40.59
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम:	
	1. सौर सड़क रोशनी प्रणालियां (संख्या)	800
	2. घरेलू रोशनी प्रणालियां (संख्या)	83142
	3. सौर लालटेन (संख्या)	79842
	4. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र (किलोवाट पीक)	178.9
10.	सौर कुकर (संख्या)	50309
11.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (संख्या)	212
ग. अन्य कार्यक्रम		
12.	बैटरी चालित वाहन (संख्या)	32
13.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम (ऊर्जा पार्कों की संख्या)	20
14.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (ब्लाकों की संख्या)	115

[अनुवाद]

खुदरा बिक्री केन्द्रों हेतु स्थानों के चयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा साक्षात्कार

1454. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए नए डीलरों/पेट्रोल पंप स्थलों के मालिकों के चयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के चार तेल उपक्रमों द्वारा कितने साक्षात्कार लिए गए हैं;

(ख) संबंधित डीलरों द्वारा इन नए स्थलों पर कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या अचानक नए दिशानिर्देशों को लागू करने से विनियंत्रण के वर्तमान परिदृश्य में बड़ी मात्रा में विनिवेश बेकार चला गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों का विचार ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू करने का है जहां सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और निवेश किए जा चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 20 दिसम्बर, 2002 के अपने निर्णय में, संचार माध्यमों में रिपोर्ट किए गए कुछ विशेष मामलों को छोड़कर, 1 जनवरी, 2000 से डीलर चयन बोर्डों (डी एस बीज) की सिफारिशों पर किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस के ओ-एल डी ओ डिलरशिपों के आबंटनों को रद्द करने वाले सरकार के दिनांक 9 अगस्त, 2002 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इस न्यायालय ने भारत के उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश को शामिल करके एक समिति भी नियुक्त की है तथा संचार माध्यमों में रिपोर्ट किए गए इन मामलों को जांच के लिए इस समिति को भेजा है। न्यायालय ने इस समिति से अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय को तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। चयन के शेष उन मामलों के संबंध में, जिनकी जांच पूर्वोक्त समिति द्वारा नहीं की जा रही है, सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को आगे की कार्रवाही करने को कहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में अ.जा./अ.ज.जा. को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

1455. श्री भीम दाहालः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अ.जा./अ.ज. जातियों के लोगों को कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किए गये हैं;

(ख) इन राज्यों में अ.जा./अ.ज.जा. जातियों के लोगों द्वारा कितने पेट्रोल पम्प चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अ.जा./अ.ज.जा. जातियों के लोगों को आबंटित कुछ पेट्रोल पंपों को गैर-अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों (अर्थात 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अनु.जा./अनु.जन.जा.) श्रेणी के लिए आरक्षित पच्चीस खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोल पम्प) अनु.जा./अनु.ज.जा के लोगों को आबंटित किए गए थे। इनमें से कोई भी सिक्किम राज्य में आबंटित नहीं किया गया।

(ख) से (घ) उपर्युक्त में से, चालू किए गए सारे खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटियों, जो अनु.जा./अनु.जन.जा. के हैं, द्वारा स्वयं संचालित किए जा रहे हैं।

डीलर के कमीशन में वृद्धि

1456. डा. चरणदास महंतः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम मूल्य वृद्धि के प्रभाव की भरपाई हेतु नियत और पहले से अनुमोदित फार्मूले के अनुसार आर.पी.ओ. डीलरों के कमीशन को नहीं बढ़ा रहे हैं;

(ख) दिसम्बर 2002 और जनवरी, 2003 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा पेट्रोल और एच.एस.डी. की दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और पेट्रोल डीलरों द्वारा विपणन/विक्रय लागत पर किलो-वार और प्रतिशत-वार शुद्ध कितना नेट प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम इसके लिए निर्धारित सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मूले का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन के साथ सरकार अब पेट्रोल तथा डीजल पर डीलरों के कमीशन को नियत नहीं कर रही है, अब यह तेल कंपनियों के द्वारा नियत किया जा रहा है।

तेल कंपनियों ने डीलरों के कमीशन में पिछला संशोधन 1 नवम्बर, 2002 से किया है। इस संशोधन के अनुसार, पेट्रोल पर डीलर कमीशन में 613 रुपए प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर 636 रुपए प्रति किलोलीटर तथा डीजल पर 365 रुपए किलोलीटर से बढ़ाकर 385 रुपए प्रति किलोलीटर कर दिया गया था।

दिल्ली में 16 नवम्बर, 2002 से आगे पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य विवरण में दिए गए हैं। डीलर कमीशन के कुछ घटक पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों पर निर्भर करते हैं।

विवरण

दिल्ली में 16 नवम्बर, 2002 से आगे पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में परिवर्तन

(रुपए प्रति लीटर)

की स्थिति के अनुसार	पेट्रोल	डीजल
16.11.2002	29.57	18.57
1.12.2002	28.91 (-2.2%)	18.06 (-2.7%)
3.1.2003	29.93 (+3.5%)	19.07 (+5.6%)
16.1.2003	30.33 (+1.3%)	19.47 (+2.1%)
1.2.2003	30.71 (+1.3%)	19.84 (+1.9%)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पहले के मूल्य की तुलना में प्रतिशत (%) परिवर्तन दर्शाते हैं।

नए पेट्रोल पम्पों की स्थापना

1457. डा. रमेश चन्द तोमरः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्पष्ट प्राधिकार के बावजूद नए पेट्रोल पम्पों की स्थापना और नए डीलरों के चयन की प्रक्रिया रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों को एल.ओ.आई. जारी करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को संयम बरतने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दिशानिर्देशों को भूतलक्षी प्रभाव से जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों से निजी कंपनियों को मदद मिलेगी और विनियंत्रण की गति कम होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न स्थानों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) के डीलरों का चयन तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्वयं अपने द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। जबकि खुदरा बिक्री केन्द्रों आदि की स्थापना के लिए उपर्युक्त स्थानों के चयन जैसे आरम्भिक काम आरम्भ कर दिए गए हैं, डीलरों का चयन इस संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद किया जाएगा।

विद्युत आपूर्ति की लागत और विद्युत प्रशुल्क

1458. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत आपूर्ति की लागत और औसत प्रशुल्क के बीच अंतर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान प्रवृति को सही करने के लिए कोई कार्यवाही की है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विद्युत आपूर्ति की लागत और औसत टैरिफ में बढ़ते हुए अंतर का मुख्य कारण उच्च पारेषण एवं वितरण हानि (टी एण्ड डी) तथा राज्य विद्युत बोर्ड का अकुशल प्रचालन है। भारत सरकार राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रही है। जिसमें विद्युत क्षेत्र में समयबद्ध रूप से सुधार करने के लिए केन्द्र एवं राज्यों की संयुक्त प्रतिबद्धता शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य राज्य के विद्युत में दक्षता लाना तथा टी एण्ड डी हानियों में कमी करना है। इन समझौता ज्ञापनों को अब करार ज्ञापनों (एमओए) में परिवर्तित किया जा रहा है जिनमें लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट किया गया है क्योंकि राज्यों में सुधार कार्यक्रम से परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। अब तक इस कार्यक्रम में 25 राज्यों को शामिल किया जा चुका है।

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के पारित होने के पश्चात् राज्य को धारा 29(2) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टैरिफ में पर्याप्त एवं सुधारोन्मुख दक्षता के साथ ही आपूर्ति की लागत प्रदर्शित हो। अभी तक 13 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व और लागत में अंतर में वास्तविक रूप से कमी लाने के लिए राज्य को अनुदान के जरिए प्रोत्साहित किया जाना है।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

1459. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चालू/नई रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक आवंटित निधियों और हुए व्यय का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इन चालू रेल परियोजनाओं को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क), (ख) और (ङ) महाराष्ट्र राज्य में चालू/नई रेल परियोजनाओं तथा मार्च 2002 तक हुआ खर्च 2002-03 के लिए परिव्यय और लक्ष्य की स्थिति जहां कहीं निर्धारित है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना	(करोड़ रु. में)		लक्ष्य की स्थिति जहां कहीं निर्धाति है
		मार्च 2002 तक खर्च	बजट परिव्यय 2002-03	
1	2	3	4	5
नई लाइनें				
1.	अमरावती-नरखेड़	60.97	10	फिलहाल 44 किमी. खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। खंड के शेष भाग में बड़े पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
2.	पुनटाम्बा-शिरडी	3.15	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। भूमि के उपलब्ध होते ही कार्य शुरू किया जाएगा।
3.	पनवेल-करजत	58.5	20	सभी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति के अग्रिम चरण में है और सुरंग का कार्य पूरा हो गया है। परियोजना के 2003-04 में पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	अहमदनगर-बीड-परली वैजनाथ	3.49	15	अहमदनगर छोर से 15 किमी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, शेष खंड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। भूमि के उपलब्ध होते ही कार्य कार्य शुरू किया जाएगा।
5.	बारामती-लोनड	0.49	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 27 किमी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मिट्टी और पुल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
आमान परिवर्तन				
6.	मीरज-लातूर	142.26	30	कुरुडूवाड़ी और पंढरपुर के बीच कार्य पूरा हो गया है। लातूर-लातूर रोड पर मिट्टी और पुल संबंधी तथा गिट्टी सप्लाई कार्य पूरे हो गए हैं। रेल पथ को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इस भाग को 2002-03 में पूरा करने का लक्ष्य है। कुरुडूवाड़ी-लातूर और मीरज-पंढरपुर खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
7.	शोलापुर (होटगी)-गडग	136.61	20	कार्य चरणों में किया जा रहा है शोलापुर-होटगी (16 किमी) और होटगी से बीजापुर तक का कार्य पूरा हो गया है। बीजापुर से गडग तक के शेष खंड में कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
8.	सिकंदराबाद-मडखेड और जनखपमेट-बोधन	117	30	मुदखेड-धर्माबाद, धर्माबाद-निजामाबाद (40 किमी.) और जनखमपेट-बोधन (20 किमी.) खंड यात्री यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। निजामाबाद-बोलराम खंड (146 किमी.) पर मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
9.	मुडखेड-अदीलाबाद	7.98	30	कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। बहरहाल वित्तीय तंगी के कारण ठेकेदार विफल हो गया था और अब कार्य को रेल वित्त के अंतर्गत किये जाने की योजना है। 80 किमी. खंड में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी छोटे और बड़े पुलों संबंधी और गिट्टी संग्रहण के शेष कार्य के लिए ठेके दे दिए गए हैं और कार्य शुरू कर दिया गया है।
10.	अकोला-पूरना	0.44	10	अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। पूरना से हिंगोली खंड में मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
11.	गोंदिया-चांदफोर्ट	241.89	0.01	कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं।
दोहरीकरण				
12.	दिवा कल्याण 5-6ठी लाइन का दोहरीकरण	9.99	25	मिट्टी, पुल और यार्ड में लिंकिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है। परियोजना के 2003-04 में पूरा करने का लक्ष्य है।
13.	पनवेल-रोहा-भूमि अधिग्रहण	2.6	0.5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू किया जाएगा।
14.	दौंड-भिगवन	47.15	0.5	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
15.	पनवेल-जसई-जनखमपेट	0.002	3.12	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। कार्य की समीक्षा कर ली गई है और कार्य शुरू करने का विनिश्चय किया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
16.	पनकी-शोलापुर	0	5	भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। मिट्टी और पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
17.	दीवा-वसई (पूरक)	151.28	0.5	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।

1	2	3	4	5
महानगर परियोजन परियोजना				
18.	बेलापुर-पनवेल-पूर्व पश्चिम गलियारे के भाग के रूप में दैनिक डबल लाइन का दोहरीकरण	84.76	0.5	दोहरी लाइन चालू कर दी गई है और 14.4.2000 को दैनिक यातायात के लिए खोल दी गई है। शेष कार्य सिडको द्वारा निष्पादित किया जाना है, जो प्रगति पर है।
19.	कुर्ला-थाणे 5वीं और 6ठी लाइन (चरण 1) (कुर्ला-भांडूप)	64.89	10	मिट्टी संबंधी गिट्टी की आपूर्ति, रेलपथ लिंकिंग, बड़े पुल, शिरोपरि उपस्कर की संरचनाओं की आधारशिला और खड़ा करने तथा अन्य कार्य प्रगति पर हैं।
20.	नयी मुंबई में गलियारे नं. 1 का थाणे तुर्थे नेरूल/वासी भाग	121.28	1	दूसरी लाइन के लिए सिविल कार्य पूरे होने को है। विद्युतीकरण तथा सिगनल संबंधी कार्य प्रगति पर है। थाणे भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।
21.	बेलापुर-सीवुड-उरान विद्युतीकृत दोहरी लाइन	27.39	1	पनवेल क्रिक पर महत्वपूर्ण पुल का कार्य। छोटे पुलों का निर्माण सीवुड सबवे और सनपारा कार शेड में कार्य प्रगति पर है। शिडकों को पेश आ रही वित्तीय तंगियों के कारण परियोजना के निष्पादन का कार्य दो चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण का कार्य एकहरी लाइन के शुरू करने से संबंधित था और मार्च, 2003 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था। बहरहाल, सिडको को पेश आ रही वित्तीय तंगियों के दृष्टिगत चरण-1 के पूरा करने में विलंब हुआ है।
22.	कुर्ला-थाणे 5वीं और 6ठी लाइन (भांडूप से थाणे) चरण-2	24.44	10	भांडूप-मुलुंड और मुलुंड-थाणे खंड के बीच मिट्टी संबंधी, गिट्टी की आपूर्ति, पुल और भूमिगत केबल द्वारा पांचवीं और छठी लाइन 22 केवी एरियल फिडर ऑब्सट्रक्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
23.	थाणे-मुंम्बरा 5वीं और 6ठी लाइन	0	0.1	यह विनिश्चय किया गया है कि थाणे-दिवा तक संपूर्ण खंड के लिए स्वीकृति एक बार में ली जाए। इसके लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
24.	सातांक्रुज-बोरीवली 5वीं और 6ठी लाइन	81.54	0.4	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
25.	बोरीवली और विरार के बीच चौहरी लाइन	115.09	118	महत्वपूर्ण पुलों, बड़े पुलों, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और क्वार्टरों के निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है। मिट्टी तथा छोटे पुल पूरे हो गए हैं। गिट्टी संग्रह का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
26.	विरार-दाहनु रोड-स्वचालित सिगनलिंग	25.68	1	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
27.	विरार-दहानु रोड-ईएमयू के चलाने के लिए सुविधाओं का विकास तथा टर्मिनल सुविधाएं	0.08	3	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। मिट्टी और पुलों के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।
रेल विद्युतीकरण				
28.	उधना-जलगांव	108.9	30	मार्च 2002 तक 176 मार्ग किमी. अर्जित हो गया है। दिसम्बर 2003 में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र में चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा जिनकी प्रगति विभिन्न चरणों में इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किमी.
नई लाइन:		
1.	मनमाड-धुले वाया इंदौर	350
2.	शिरपुर-महू	185
3.	कुरला-माहुल	-
4.	खंडवा से नरदाना वाया खारगोन, सेंधवा	225
5.	उमरंर से नागपुर वाया खापरखेडा और कोराडी	45
6	शोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद	60
7.	चिंचवाड और रोहा	95
8.	गोरेगांव-बोरीवली	7
9.	लातूर रोड-मुदखेड	120
10.	उमरेर से नागभीर	90
आमान परिवर्तन:		
11.	पुलगांव-आरवी आमान परिवर्तन सहित आमला तक विस्तार	154
12.	छिंदवाडा-नैनपुर	140
13.	नागभीर से नागपुर	126
14.	छिंदवाडा-नागपुर	150
दोहरीकरण:		
15.	मुंबई सेंट्रल-बोरावली पांचवीं और छठी लाइन	30

(ग) रेल मंत्रालय में ऐसा कोई पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपनगरीय रेल प्रणाली

1460. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में उपनगरीय रेल प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु और कर्नाटक सहित देश के अन्य हिस्सों में भी उपनगरीय रेल प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है;

(ग) और (घ) वर्तमान में (1) मौजूदा रेल अवसंरचना का उन्नयन करके बेंगलोर (कर्नाटक) में अंत: मॉडल परिवहन प्रणाली शुरू करने के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है (2) 2239 करोड़ रुपए की लागत पर और अनुमानत: 60 किमी. लम्बाई में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली की व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/शहर का नाम	परियोजना की कुल स्वीकृत लागत (रेलवे का हिस्सा)
1.	पश्चिम बंगाल/कोलकाता	2652.35
2.	तमिलनाडु/मुंबई	724.60
3.	महाराष्ट्र/मुंबई	1087.99
4.	आंध्र प्रदेश/हैदराबाद और सिकंदराबाद	34.32
	जोड़	4499.26

केन्द्रीय मंत्री को सेना पदक

1461. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना मुख्यालय ने केन्द्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह को कारगिल युद्ध के दौरान कूटनीति में उनकी भूमिका के लिए सेना पदक देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पदक मंत्री महोदय को प्रदान किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिए जाने की जरूरत है। इस अवस्था में पुरस्कार दिए जाने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन

1462. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी आयात-निर्यात नीति में आवश्यक परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में आयात-निर्यात नीति में आवश्यक परिवर्तन करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात-आयात नीति के तहत मौजूदा उपबंधों का सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है और यदि कोई परिवर्तन हुए तो वे सरकार की 2003-04 की निर्यात-आयात नीति में प्रतिबिंबित होंगे।

[अनुवाद]

भारतीय सीमेंट निगम के विकास की नीति

1463. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में तान्दूर स्थित भारतीय सीमेंट निगम (सी.सी.आई.) संयंत्र के 1000 कामगारों के परिवारों के अकथनीय कष्टों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि यह संयंत्र राज्य के सुदूर और पिछड़े क्षेत्र में स्थित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास की सरकारी नीति की तर्ज पर इस योजना को पुनर्जीवित करने हेतु क्या कार्रवाही करने/किये जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया का तांदूर संयत्र संचलन में है और इस संयंत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों/मजदूरों को वेतन तथा मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्हें जन कल्याणकारी सुविधाएं दी जा रही हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकार को ऋण

1464. **श्री रामपाल सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हजारों गांवों के विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकारों को आसान ऋण मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ब्याज पर राजसहायता देने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) गांवों, हैमलेटों, दलित बस्तियों के विद्युतीकरण की गति को प्रगतिमान बनाने की दृष्टि से और इस प्रयोजनार्थ राज्यों के संसाधनों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने हाल ही में राज्य सरकारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई स्कीम आरंभ की है ताकि उन्हें 1 से 3% वार्षिक (दलित बस्तियों की विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 1% तथा हैमलेटों और गांवों के लिए 3%) की भिन्न-भिन्न रियायत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इन नई स्कीमों का अद्वितीय पहलू यह है कि यदि वे निर्धारित समयावधि में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाती हैं तो यह ब्याज माफ कर दिया जाएगा और उधार लेने वाले को वापस कर दिया जाएगा, जिससे स्कीमें ब्जाज मुक्त हो जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत आरईसी ने 10वीं योजना अवधि के दौरान 500 करोड़ रु. निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) सरकार का दलित बस्तियों समेत और गैर विद्युतीकृत गांवों के ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने ऋण के लिए, प्रस्तावित एपीडीआरपी कार्यक्रम के तहत, 4% ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने का विचार है। यदि ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति संतोषजनक है तो सभी हैमलेटों और परिवारों में विद्युतीकरण को कवर करने के लिए स्कीम का विस्तार किया जाए। ग्राम विद्युतीकरण पारम्परिक और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए होगा। ऋणों के वितरण के पश्चात् निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क लिया जाना

1465. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2002 में आयोजित मुख्य मंत्रियों की बैठक के दौरान कृषि उपभोक्ताओं से कम से कम 50 पैसे यूनिट विद्युत शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य उक्त समझौते का पालन करने में विफल रहें हैं और किसानों को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) दिनांक 3 मार्च 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह सहमति हुई थी कि "मुफ्त बिजली देने की प्रथा खत्म किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्रियों द्वारा विगत में लिए गए निर्णय अर्थात न्यूनतम 50 पैसे कृषि टैरिफ को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जा सकता है।" तथापि, तमिलनाडु और पंजाब राज्य इस निर्णय से सहमत नहीं हैं।

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार यदि राज्य सरकार राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी वर्ग के उपभोक्ता को सब्सिडी देना चाहती है तो सब्सिडी द्वारा प्रभावी व्यक्ति को इस क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाना होगा।

पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को अभी हाल के समय तक कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली दी जाती थी। पंजाब राज्य ने कृषि के लिए खपत होने वाली बिजली के लिए टैरिफ निर्धारित कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य ने भी मुफ्त विद्युत आपूर्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छोटे किसानों तक ही सीमित रखा है।

[हिन्दी]

सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत

1466. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों/आवासों में 30 प्रतिशत कम बिजली की खपत का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत् इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए गठित सांविधिक "निकाय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो" की कार्य योजना तैयार की गयी है जिसमें ऊर्जा संरक्षण की रणनीति का विशेष उल्लेख किया गया है। इस कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता लाकर ऊर्जा खपत में कमी लाने का भी उल्लेख है। प्रथमत: केन्द्र सरकार के 9 भवनों में ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य की शुरुआत की गयी है।

उपर्युक्त के अनुसरण में यह आशा है कि केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा आगामी 5 वर्षों में लगभग 30% ऊर्जा की बचत

की जा सकेगी। राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों को भी अपने-अपने सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा बचत के उपाय करने की सलाह दी गयी है।

पवन विद्युत उत्पादन के उपयोग वाली मशीनों के आयात पर राजसहायता

1467. **श्री राम प्रसाद सिंह:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन ऊर्जा उत्पादन एककों में उपयोग आने वाली मशीनों/कलपुर्जों के आयात पर राजसहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ घरेलू उद्यमी भी इस प्रकार की मशीनों का विनिर्माण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्वदेशी विनिर्मित मशीनों की तुलना में ऐसी आयातित मशीनों की लागत का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) पवन विद्युत जनरेटरों में उपयोग के लिए मशीनरी/कल-पुर्जों के आयात पर कोई सब्सिडी नहीं है। तथापि, विशिष्ट महत्वपूर्ण संघटकों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(ग) और (घ) भारत में पवन विद्युत जनरेटरों का निर्माण स्थानीय उत्पादन के माध्यम से किया जा रहा है। चूंकि पूर्ण मशीनों के रूप में इनका विदेश से आयात नहीं किया जा रहा है, उनकी कीमत की तुलना स्वदेशी रूप से निर्मित मशीनों से नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

गुजरात में निको रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा गैस की खोज

1468. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:**
श्री राजैया मल्याला:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की कम्पनी, निको रिसार्सेज लिमिटेड ने गुजरात में सूरत के नजदीक आनलैंड ब्लाक में गैस की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नए खोजे गए ब्लाक में गैस की अनुमानित मात्रा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) नीको रिसोर्सिस लिमिटेड (निको), कनाडा, जो एकल धारक एवं प्रचालक कंपनी है, ने गुजरात राज्य में स्थित तथा नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के द्वितीय चक्र के तहत एवार्ड किए गए एक भूस्थित ब्लाक सी बी-ओ एन एन 2000/2 के अंतर्गत चार कूपों में गैस की खोज की रिपोर्ट दी है। नीको ने कूप भीमा-1 में गैस के प्राथमिक भंडार अनुमान 7.2 बलियन घन फीट तक होने की सूचना भी दी है।

[हिन्दी]

नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अवैध विक्रेता

1469. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने नई और पुरानी दिल्ली स्टेशनों पर से अवैध विक्रेताओं को हटाने हेतु कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों को इस अभियान को तुरंत रोकने हेतु कोई धमकी मिली है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाही की है;

(ङ) क्या सरकार नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों से अवैध विक्रेताओं को हटाने हेतु पूरी तरह वचनबद्ध है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002 के दौरान रेल सुरक्षा बल और दिल्ली रेलवे पुलिस द्वारा 1624 गैर-कानूनी वेंडरों/फेरी वालों को नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां, दिल्ली रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा विशेष बल द्वारा रेलवे अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत गैर-कानूनी वेंडरों/फेरी वालों के विरुद्ध नियमित/विशेष छापे मारे जा रहे हैं। यह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त बटालियनों की संख्या बढ़ाया जाना

1470. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने में सेना की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर, सरकार ने सेना की अतिरिक्त

बटालियनों विशेषकर सीमा पर तैनात करने हेतु उनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बटालियनों की कितनी संख्या बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसी ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को कतिपय अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) नियमित सेना के अतिरिक्त बटालियनों खड़ी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जम्मू-कश्मीर में सेना तथा अन्य सुरक्षा बलों की सहायता के लिए उत्तरी कमान में तैनाती के वास्ते प्रादेशिक सेना की सात बटालियनें खड़ी करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) विद्रोहरोधी कार्यों में तैनात सेना के कार्मिक विशेष भत्ते के लिए हकदार हैं जिसे विशेष प्रतिपूर्ति (विद्रोहरोधी) भत्ते के रूप में जाना जाता है। यह भत्ता कार्मिकों के रैंक (अन्य रैंक से लेफ्टिनेंट कर्नल तक) के आधार पर 1000 रुपए प्रतिमाह से लेकर 3700 रुपए प्रतिमाह तक सात स्तरीय है। भत्ते की यह राशि तीन श्रेणी में है जो तैनाती के लिए क्षेत्र में कठिनाई के कारण और संक्रियाओं की सघनता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

विद्युत प्रशुल्क

1471. श्री भास्करराव पाटील:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 2002 के "दि स्टेटसमैन में" अनसर्टेनटी ओवर पावर टैरिफ चेंज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या प्रशुल्क नीति में संशोधन करने में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) नई विद्युत प्रशुल्क नीति के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) जी, हां। विद्युत सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति तैयार करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर विनियामक आयोगों की स्थापना करने के उद्देश्य से किया गया था। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की। अधिनियम की धारा 51 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार की विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43ए(2) के प्रावधानों को निरस्त कर दिया और टैरिफ निर्धारण की शक्ति केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को प्रदान की।

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 13(ई) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सहायता एवं सलाह से एक टैरिफ नीति तैयार करने का प्रावधान है।

टैरिफ नीति पर एक संकल्पना पत्र (कॉनसेप्ट पेपर) तैयार करने के लिए विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और, चूंकि विद्युत क्षेत्र के सहज विकास के लिए टैरिफ का काफी महत्व है, अतः यह आवश्यक समझा गया है कि कार्यकारिणी दल की रिपोर्ट पर स्टेकहोल्डरों एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर प्रारूप टैरिफ नीति को अंतिम रूप दिया जाए। विभिन्न स्टेकहोल्डरों तथा विशेषज्ञों की टिप्पणियों एवं मतों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ नीति को अंतिम रूम देने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष सी ई ए और क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) के प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल का आयात

1472. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की कतिपय कम्पनियों ने सरकार से देश में पेट्रोल और डीजल के आयात की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो अनुमति मांगनी वाली ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कम्पनियों को आयात की अनुमति दी गई है; और

(घ) वर्तमान में स्वीकृति हेतु लंबित अनुरोधों की संख्या क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार पेट्रोल तथा डीजल के आयातों की राज्य व्यापार उद्यम के रूप में आई.ओ.सी. के माध्यम से अनुमति है। मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड, जिन्हें सरकार द्वारा परिवहन ईंधनों के लिए विपणन अधिकार प्रदान किए गए हैं, ने देश में पेट्रोल तथा डीजल आयात करने के लिए अनुमति मांगी है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कलन्दरों का पुनर्वास

1473. श्रीमती मेनका गांधी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम में कलन्दरों के पुनर्वास की एक योजना है जहां कलन्दरों को अपने जानवर सौंपने पर ऋण/अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के माध्यम से कलन्दरों को कितनी राशि वितरित की गई है;

(ग) इस योजना से लाभान्वित होने वाले कलन्दरों की संख्या क्या है;

(घ) क्या गाँव में रहने वाले कलन्दरों को ऐसी योजना के बारे में जानकारी देने हेतु कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ङ) जी हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने अपनी राज्य माध्यम एजेंसी अर्थात हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कलन्दरों के पुनर्वास के लिए योजना तैयार की थी। हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम ने कार्यशाला आयोजित की जहां कलन्दरों को योजना के ब्यौरे के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें कोई अन्य व्यवसाय आरंभ करने और अपने पशुओं को छोड़ देने के लिए कहा गया। आठ कलन्दरों को आटो-रिक्शा चलाने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। तथापि, यह योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि कलन्दर या तो पशुओं को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे या फिर अपने पशुओं को छोड़ने के पहले प्रतिपूर्ति लागत के रूप में अधिक धनराशि की मांग की।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर कृषि कार्यक्रम

1474. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर कृषि सम्बन्धित कार्यक्रमों का समय बढ़ाने की निरंतर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दूरदर्शन का डी डी-1 चैनल अपने "कृषि दर्शन" नामक नियत चंक में कृषि सम्बन्धित कार्यक्रमों को नियमित रूप से प्रसारित करता है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय केन्द्रों पर कृषि आधारित कार्यक्रमों के लिए नियमित प्रसारण चंक हैं। विभिन्न बाध्यताओं के काररण दूरदर्शन इस समय कृषि कार्यक्रमों का समय बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तथापि, दूरदर्शन ने देश में प्रत्येक ट्रांसमीटर के आस-पास के 15 कि.मी. के क्षेत्र को कवर करके चुनिंदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से सप्ताह में आधे घण्टे के कार्यक्रमों की नैरोकास्टिंग शुरू की है जो कि प्रमुखतया कृषि संबंधी कार्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त कृषि को शामिल करके ग्रामीण विकास के सकारात्मक सूचनाप्रद कार्यक्रमों को भी दिखाया जा रहा है।

[अनुवाद]

कंप्यूटर के माध्यम से सनसनीखेज मुद्दे लीक होना

1475. श्री वाई. वी. राव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष कुछ सैन्य अधिकारियों ने कंप्यूटर के माध्यम से सनसनीखेज मुद्दे लीक किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मुद्दे लीक होने से हमारे सैन्य बलों की संचालन नीति को किस हद तक नुकसान होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) वर्गीकृत सूचनाओंयुक्त एक कंम्प्यूटर हार्ड-डिस्क की अदला-बदली से संबंधित एक मामला सरकार के ध्यान में आया है। फरवरी, 2002 में जम्मू में कवचित रेजीमेंटों में एक रेजीमेंट ने असावधानी से अपनी कम्प्यूटर हार्ड डिस्क, जिसकी मेमोरी में वर्गीकृत सूचनाएं थीं, को एक उन्नयति रूपान्तरण से बदल दिया था। सेना प्राधिकारियों ने इस पुरानी हार्ड डिस्क को, जिसे एक सिविल ठेकेदार ने जम्मू

विश्वविद्यालय परिसर के एक कम्प्यूटर में लगाया था, पुनः प्राप्त कर लिया था। संबंधित सेना कार्मिक, जिसने इस विषय में निर्धारित सुरक्षा अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया था, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई आरंभ कर दी गई है।

(ग) हमारी योजनाओं के किसी भी तरह के खुलासा होने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए समुचित कार्यवाई की गई है।

मंगलौर-शोरनूर रेल लाइन का दोहरीकरण

1476. **श्री के. मुरलीधरन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगलौर-शोरनूर रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कार्य में तेजी लाए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कुल 307 कि.मी. में से अभी तक 194 कि.मी. का दोहरीकरण पूरा हो चुका है।

(ख) कार्य की प्रगति के अनुरूप आवश्यक निधि का आबंटन किया जा रहा है।

(ग) 2004-2005 तक समूचे दोहरीकरण के पूरा हो जाने की संभावना है।

'रबाब' वाद्य यंत्र का संरक्षण

1477. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस्ताद अल्लाऊद्दीन खान आकाशवाणी में अपने जीवन काल में जिस 'रबाब' नामक वाद्य यंत्र को बजाते थे उसे संरक्षित करके रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वाद्य यंत्र आकाशवाणी के अभिलेखागार में नष्ट हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अल्लाऊद्दीन खान के इस वाद्य यंत्र को संरक्षित करने हेतु कोई अन्य स्रोत खोजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इरेडा द्वारा परियोजनाओं हेतु ऋण

1478. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी से स्वीकृत ऋण वाली परियोजनाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इरेडा द्वारा अपने आंरभ से कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया;

(ग) इरेडा के पास कर्नाटक और महाराष्ट्र की ऋण स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं की संख्या क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नाप्पन): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 31 जनवरी, 2002 तक, इरेडा द्वारा 359.20 करोड़ रु. की ऋण राशि के साथ कुल 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंजूर की गई परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रारंभ से लेकर 31 जनवरी, 2003 तक इरेडा द्वारा कर्नाटक में 205 परियोजनाओं के लिए 1338.17 करोड़ रु. की कुल राशि और महाराष्ट्र में 275 परियोजनाओं के लिए 885.05 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(ग) और (घ) इरेडा के पास ऋण की मंजूरी के लिए कर्नाटक से 7 परियोजनाएं और महाराष्ट्र से 3 परियोजनाएं लंबित हैं। इरेडा द्वारा एक परियोजना को सामान्यतया उसके पंजीकरण के 90 दिनों के अन्दर क्लियर किया जाता है बशर्ते कि आवेदक द्वारा पूर्ण /आवश्यक विवरण और कागजात प्रस्तुत किए जाएं और परियोजना तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टिकोणों से व्यवहार्य पाई जाए। इसके अतिरिक्त, परियोजना कानूनी दृष्टिकोण से भी क्लियर होनी चाहिए।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान परियोजनाओं के राज्यवार विवरण और इरेडा द्वारा मंजूर किए गए ऋण (31.1.2003 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएं	
		परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	1	0.90
2.	हिमाचल प्रदेश	1	53.32
3.	झारखंड	1	0.07
4.	कर्नाटक	12	250.84
5.	केरल	2	1.56
6.	महाराष्ट्र	12	28.78
7.	राजस्थान	2	6.94
8.	तमिलनाडु	4	13.25
9.	पश्चिम बंगाल	2	3.54
	कुल	37	359.20

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेल और गैस का अन्वेषण

1479. **श्री रामशकल:**
डा. अशोक पटेल :
श्री रामपाल सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने देश में गैस भंडार के अन्वेषण हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उक्त प्लान के अन्तर्गत अन्वेषण कार्य करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपने प्रस्ताव 'भारत हाइड्रोकार्बन झलक 2025' में निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं।

(ख) 10वीं योजना अवधि के दौरान ओ.एन.जी.सी. की परिकल्पना, आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में और नई अन्वेषण लाईसेंस नीति (एन ई एल पी) के भविष्य के चक्रों और कोल बेड मीथेन (सी बी एम) नीति के तहत ओ एन जी सी को अवार्ड किए गए अन्य राज्यों में अपने तटीय रकबों में हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण करने की है।

(ग) 10वीं योजना में ओ.एन.जी.सी. द्वारा हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के लिए आबंटन की गई धनराशियां लगभग 8,721 करोड़ रुपये की है जिसमें से लगभग 71 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान कोल बेड मीथेन (सी बी एम) अन्वेषण के लिए किया गया है।

फतुहा-इस्लामपुर रेल लाइन

1480. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में फतुहा-इस्लामपुर के बीच रेल लाइन अपने आमान पविर्तन हेतु नियत तारीख से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त लाइन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्माण कार्य के दोबारा कब शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.2002 तक इस परियोजना पर 42.99 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 2002-2003 के दौरान इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। बहरहाल, वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वास्तविक खर्च का पता लग पाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अब यह कार्य पूरा हो गया है और इस खण्ड को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

आई.आर.सी.टी.सी. की स्थापना

1481. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में रेल यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने की वर्तमान खान-पान सेवा विभागीय और गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री मूल्य में कोई वृद्धि न करने का रेलवे की खान-पान सेवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे में गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही खान-पान सेवा में खाद्य वस्तुओं के बिक्री मूल्य में वृद्धि करने का है ताकि खान-पान सेवा की गुणवत्ता बरकरार रखी जा सके और रेल यात्रियों को बेहतर खान-पान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय रेलवे में खान-पान सेवाओं का एक मानक रखने के लिए विभागीय और निजी रूप से संचालित दोनों खान-पान सेवाओं के लिए लागू खाद्य वस्तुओं की एक समान दर सूची को समय-समय पर निश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

पुल निरीक्षण और प्रबंध प्रणाली

1482. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या रेल मंत्री पुल निरीक्षण और प्रबंध प्रणाली के बारे में 28 नवम्बर, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुल निरीक्षण और प्रबंधन प्रणाली का अमरीका, कनाडा, डेनमार्क और इटली में तत्स्थानिक आकलन करने वाले अधिकारियों के दल ने सरकार को अपनी दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की गई और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दौरा रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दौरा रिपोर्ट का अध्ययन कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) टीम 28.11.2002 को वापस हुई और 14.1.2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। टीम ने पुल निरीक्षणों और प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन किया। यह देखा गया था कि विदेश में भी पुल आयु एवं हालत के आधार पर निर्मित किए जाते हैं और न केवल आयु के आधार पर यही प्रक्रिया भारतीय रेलों पर अपनाई भी जाती है। भारतीय रेलों के लिए पानी निरीक्षणों, पुल संबंधी प्रबंधन प्रणाली आदि के अंतर्गत गैर-विनाशक जांच उपस्कर के उपयोग के संबंध में कतिपय सिफारिशें की गई हैं।

(ग) से (ङ) रेलवे बोर्ड के संबंधित तकनीकी निदेशालय द्वारा रिपोर्ट की गहन जांच की गई है और अपेक्षित प्रौद्योगिकियों के शीघ्र और उपयोगी कार्यान्वयन के लिए सुधार का प्रस्ताव है। रेलवे के लिए गैर-विनाशक उपस्करों की खरीद के लिए कुछ कार्रवाई पहले से ही आरंभ कर दी है। बहरहाल, उनके वित्तीय निहितार्थ के लिए सुझावों की जांच की जानी है और अंतिम निर्णय शीघ्र लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

लंबित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

1483. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री शिवराजसिंह चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बार-बार बिजली की कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार के पास विद्युत उत्पादन परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति हेतु लंबित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार का भी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विद्युत की मांग को उपलब्ध विद्युत के अन्तर्गत रखने के लिए राज्यों को अपने विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए विद्युत कटौती/प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। पारेषण एवं वितरण प्रणाली की समस्याओं के कारण और वाणिज्यिक कारणों से ग्रिड से निकासी पर प्रतिबंध होने के कारण भी कुछ मामलों में विद्युत कटौती की गई है।

(ग) 6 विद्युत परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी)/मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में जांचाधीन है। उनमें ये शामिल हैं: हरियाणा में यमुना नगर टी.पी.पी. (2×250 मे.वा.), गुजरात में कच्छ लिग्नाइट आधारित टी.पी.पी. (यूनिट-4, 1×75 मे.वा.), नार्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) की त्रिपुरा गैस आधारित पी.पी. थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) की कहलगांव एस.टी.पी.पी. चरण-2 (2×500 मेगावाट) और केरल में एन.टी.पी.सी. की कायमकुलम सी.सी.जी.टी. चरण-2 (3×650 मे.वा.) इत्यादि। बाद की दो स्कीमों को फरवरी, 2003 में के.वि.प्रा. में प्राप्त किया गया है।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश की कोई स्कीम टी.ई.सी. हेतु के.वि.प्रा.में लंबित नहीं है। तथापि, के.वि.प्रा. में प्राप्त की गई निम्नलिखित स्कीमों को नीचे इंगित सूचनाओं/स्वीकृतियों के अभाव में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एम.पी.ई.बी.) को लौटा दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना व क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	डी.पी.आर. प्राप्ति की तिथि	डी.पी.आर. लौटाने की तिथि	लंबित सूचनाएं/स्वीकृतियां
1.	अमरकंटक टी.पी.एस. एक्स यू-5(210मे.वा.) एम.पी.एस.ई.बी. 10वीं योजना प्रोजेक्ट	13.11.2002	4.12.2002	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्वीकृति - केन्द्रीय जल आयोग स्वीकृति - राख कुंड हेतु भूमि उपलब्धता - अनंतिम वित्तीय पैकेज
2.	मालवा टी.पी.एस.(2×500 मे.वा.) एम.पी.एस.ई.बी. 10वीं योजना प्रोजेक्ट	6.11.2002	18.11.2002	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र - भूमि उपलब्धता - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्वीकृति - विद्युति आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) और 29(3) की अनुपालना - अनंतिम वित्तीय पैकेज

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति सूची में कीर और मीना जनजातियों को हटाना

1484. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति सूची से कीर और मीना जनजातियों को हटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने विचार व्यक्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में बनाए रखने के लिए अपने निर्णय की समीक्षा की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने कीर और मीना समुदायों को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाने की सिफारिश की थी। तद्नुसार, इन समुदायों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची से दिनांक 8.1.2003 से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 25.1.2003 के पत्र के तहत इन समुदायों को उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची से नहीं हटाने का अनुरोध किया है उनको पुनः शामिल करना राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश के स्वरूप पर निर्भर करता है।

क्लिप मीटरिंग केबल सिस्टम

1485. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं द्वारा टी.वी. चैनलों के प्रयोग का पता लगाने हेतु एक क्लिप मीटरिंग सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिस्टम के कब तक शुरू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (रविशंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकार में नौकरी देने संबंधी आरक्षण नीति

1486. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहां राजपत्रित नौकरी या श्रेणी 'क' संबंधी रोजगार का संबंध है, सरकार ने सरकारी विभागों और विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाले स्वायत्तशासी संस्थाओं में नौकरी देने में आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को केन्द्र और राज्यों, दोनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों हेतु नामित आरक्षित पदों को भरने में बहुत कठिनाई हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) मंत्रालय/विभाग मंत्रालयों तथा विभागों में और उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा वे समूह के राजपत्रित पदों में आरक्षण सहित सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्यतौर पर उपलब्ध होते हैं। कुछ मामलों में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जब आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं। भारत सरकार के अन्तर्गत सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित रिक्तियां अलग-अलग श्रेणियों द्वारा बाद के भर्ती वर्षों में भरे जाने के लिए रिक्त रखी जाती हैं। पदोन्नति के मामलों में उपयुक्त आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में आरक्षण के बाद के वर्षों में आगे लाया जाता है। राज्य सेवाओं में आरक्षण अलग-अलग राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न रियायतें तथा छूटें दी जाती हैं। सीधी भर्ती के मामले में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्षों तक छूट, परीक्षा आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट, संघ लोक सेवा आयोग। समक्ष प्राधिकारी के विवेक से अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट, उपयुक्तता आदि के मानकों में छूट जैसी रियायतें पाते हैं। पदोन्नति के मामलों में वे विचार करने के लिए सामान्य जोन के भीतर उपयुक्त अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के मामले में रिक्तियों की संख्या के पांच गुणा तक विचारणीय जोन में विस्तार अंकों। मूल्यांकन के मानकों में छूट, जहां पदोन्नति के लिए उपरी आयु सीमा आयु आदि 50 वर्ष से अधिक नहीं निर्धारित की है ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट जैसी रियायत

पाते हैं। अ.पि. वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें तीन वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट जैसी रियायतें दी जाती हैं। सीधी भर्ती के मामले में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध भी है।

निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं

1487. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार, विशेष रूप से राजस्थान में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनावार उसके पूरा होने का क्या लक्ष्य नियत किया गया है और कितनी निर्माण लागत का अनुमान लगाया गया;

(ग) मूल समयावधि के भीतर पूरी न होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजनावार, विशेषकर राजस्थान में सम्बन्धित लक्षित समयावधि से पीछे चल रही परियोजनाओं की लागत कितनी बढ़ी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) देश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	नई लाइन	आमान परिवर्तन	दोहरीकरण	महानगर परिवहन परियोजनाएं	रेल विद्युतीकरण
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	9	7	7	1	2
असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	7	4	0	0	0
बिहार	12	10	12	0	2
छत्तीसगढ़	2	0	7	0	0
दिल्ली	0	0	2	0	2
गुजरात	3	9	1	0	1
हरियाणा	1	1	0	0	3
हिमाचल प्रदेश	2	0	1	0	0
जम्मू और कश्मीर	2	0	1	0	0
झारखंड	6	1	1	0	3
कर्नाटक	8	7	7	0	0
केरल	3	1	5	0	2
मध्य प्रदेश	4	2	3	0	0
महाराष्ट्र	5	7	6	10	1
उड़ीसा	7	2	10	0	3
पंजाब	५	0	1	0	2
राजस्थान	4	9	0	0	0

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	2	12	3	3	2
उत्तर प्रदेश	6	10	16	0	6
उत्तरांचल	0	2	0	0	0
पश्चिम बंगाल	9	3	23	5	4

कुछ परियोजनाएं एक से अधिक राज्य में पड़ती हैं और इसलिए उपरोक्त तालिका में ये सभी राज्यों में दर्शायी गई हैं जिसमें वे आती हैं। राजस्थान में रेल परियोजनाओं, उनके निर्माण की अनुमानित लागत और पूरा करने की लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित है; का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रत्येक परियोजनाओं के लक्ष्य संसाधनों की समग्र उपलब्धता और प्रत्येक परियोजना की प्रगति के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। अधिक लागत और समय की गणना केवल उन्हीं मामलों में की जा सकती है जिनमें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना को पूरा करने की समय सूची की योजना बनाई जा सकती है और परियोजना शुरू करते समय आश्वस्त होते हैं। रेल परियोजना के मामले में, योजना आकार का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया जाता है और इस प्रकार अधिक लागत और समय का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

राजस्थान में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)	लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित है
1	2	3	4
नई लाइन			
1.	दौसा-गंगापुर	214.26	-
2.	अजमेर-पुष्कर	67.00	-
3.	रामगंज मंडी-भोपाल	425.00	-
4.	कोलायत-फलौदी	163.93	2004-05
आमान परिवर्तन			
1.	भिलड़ी-समदड़ी	244.74	-
2.	फुलेरा-जोधपुर-पीपाड़ रोड-बिलाड़ा	21.46	-
3.	लूनी-मारवाड़ और जोधपुर-लोनी	114.21	पूरा कार्य हो गया है। वित्तीय समायोजन/अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
4.	सादुलपुर-हिसार के आमान परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण आशोधन सहित रेवाड़ी-सादुलपुर	282.76	--

1	2	3	4
5.	श्रीगंगानगर- सरूपसर	112.28	-
6.	आगरा-बांदीकुई	178.03	बांदीकुई-भरतपुर 2003-04
7.	अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	294.69	-
8.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	632.35	कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
9.	लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव	283.94	लूनी-जसई (196 कि.मी.) 2002-03 में। संपूर्ण परियोजना 2003-04 में।

उत्तर रेलवे अस्पताल में लापरवाही के मामले

1488. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे अस्पताल, नई दिल्ली में हाल ही में लापरवाही के कथित मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लापरवाही के इन मामलों के संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले और दोषी डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों अथवा उनके संबंधियों को कोई क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। उत्तर रेलवे अस्पताल, नई दिल्ली में लापरवाही का कोई मामला प्रकाश में नही आया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

आर.ई.सी. द्वारा खर्च की गई राशि

1489. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
प्रो. दुखा भगत:
श्री अनन्त नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यवार कितनी राशि व्यय की गयी या प्रदान की गयी।

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस राशि का पूर्णतः उपयोग किया है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा विद्युत बोर्ड और विशेष रूप से झारखंड राज्य द्वारा अपने प्रादुर्भाव के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार शेष कितनी धनराशि अभी तक अप्रयुक्त रहीं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आर.ई.सी.) द्वारा राज्यों को किए गए संवितरणों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

आर.ई.सी. द्वारा किए गए ऋण संवितरण राज्यों तथा यूटिलिटीज द्वारा रिपोर्ट किए गए निष्पादित कार्यों पर आधारित हैं जिसमें अग्रिम का यथानुपात समायोजन जो आमतौर पर किसी परियोजना के लिए मंजूरी ऋण का 20% होता है, पहले कर लिया जाता है।

(ग) आर.ई.सी. ने गांवों, पुरवों तथा दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकारों को रियायती ब्याज दरों (दलित बस्तियों के लिए 1% तथा गांवों व पुरवों के विद्युतीकरण हेतु 3%) पर ऋण सहायता देने की एक नई योजना हाल में शुरू की है, जिसमें गांवों का विद्युतीकरण विकेन्द्रीकृत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भी शामिल है।

(घ) झारखंड बिहार से सृजित एक नया राज्य है तथा आर.ई.सी. को भुगतान में अनवरत चूक के कारण आर.ई.सी. से कोई वित्तीय सहायता नहीं ले रहा है। राज्यों द्वारा प्रयुक्त सहायता राशि आर.ई.सी. द्वारा संवितरित राशि है जैसा कि विवरण में बताया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आर.ई.सी. द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र .सं.	राज्य	2001-02 संवितरण	2000-01 संवितरण	1999-2000 संवितरण
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	68032	50623	29435
2.	अरुणाचल प्रदेश	765	-	1481
3.	असम	-	-	296
4.	बिहार	-	-	-
5.	गोवा	188	104	243
6.	गुजरात	61010	53572	36160
7.	हरियाणा	25113	9212	3420
8.	हिमाचल प्रदेश	5535	4409	2734
9.	जम्मू व कश्मीर	3556	3133	1568
10.	कर्नाटक	37327	27086	25949
11.	केरल	52221	46982	24026
12.	मध्य प्रदेश	-	131	8508
13.	महाराष्ट्र	55828	75223	39842
14.	मणिपुर	-	499	1761
15.	मेघालय	-	-	-
16.	मिजोरम	597	565	509
17.	नागालैंड	400	246	1143
18.	उड़ीसा	503	1807	8610
19.	पंजाब	68828	58959	33183
20.	राजस्थान	75400	70898	34636

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	10800	924	20727
23.	त्रिपुरा	350	643	1005
24.	उत्तर प्रदेश	-	-	15106
25.	प. बंगाल	160	43	54
26.	नीपको	-	-	10000
	अखिल भारत	466613	405813	300396

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1490. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में नई रेल लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन करने, रेल लाइन का दोहरीकरण करने और रेल मार्गों के विद्युतीकरण किये जो हेतु नए/चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में निर्माणाधीन/नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं पर परियोजना वार अभी तक कितनी राशि खर्च हुई है;

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इन निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं के समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विशेष पैकेज हेतु अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की समय-सीमा के भीतर पूरा करने हेतु कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में नई लाइनों को बिछाने के लिए नये/चालू सर्वेक्षण, आमान परिवर्तन, लाइनों का दोहरीकरण तथा रेल मार्गों के विद्युतीकरण के पूरा होने/प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) पूरे कि ए गए सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूरा करने का वर्ष	किमी.	लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
नई लाइनें				
1.	बागलकोट-कुडाची	2000-01	111	242
2.	हैदराबाद-रायचुर	2000-01	190	456
3.	नीपानी-रायबाग वाया चिकौड़ी	2000-01	97	107

1	2	3	4	5
4.	डारवाड बेलगाम वाया बैलोंगल और किटुर	2000-01	97	229
5.	बीजापुर-अटनी-शेडबाल	2000-01	112	214
आमान परिवर्तन				
6.	चिकबल्लापुर-कोलार	2000-01	85	54
दोहरीकरण				
7.	रामनगरम-मैसूर	2000-01	93	173
8.	भिगवन-गुलबर्गा	2002-03	241	510

चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड, इन परियोजनाओं की अलाभपद्र प्रकृति और संसाधनों की भारी तंगी के कारण उपरोक्त परियोजनाओं को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। रामनगरम-मैसूर और भिगवन-गुलबर्गा के मामले में सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(2) चालू सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.
नई लाईन		
1.	निलामबुर रोड-नंजनगुड	120
2.	मैसूर-मंगलौर	240

(ख) से (घ) कर्नाटक राज्यों में चालू/नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा तथा मार्च 2002 तक हुआ खर्च, 2002-03 के लिए परिव्यय और निर्धारित लक्ष्यों सहित स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना	बजट में शामिल करने का वर्ष	लागत	मार्च 2002 तक खर्च	बजट परिव्यय 2002-03	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें						
1.	मुनीराबाद-मेहबूबनगर	1997-98	420.12	6.61	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, इस नयी लाइन परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। येरमारस और कृष्णा के बीच दोहरीकरण के लिए मिट्टी संबंधी और छोटे पुल निकट भविष्य में पूरे होने वाले हैं। येरमारस से बदलापुर तक दो ब्लाक खंडों का दोहरीकरण 2002-03 के दौरान शुरू करने की योजना है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	गडवल-रायचूर	1998-99	108.91	0.75	1	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। गडवल छोर से भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य के लिए कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस संबंध में निविदाएं संबंधी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है।
3.	हुबली-अंकोला	1996-97	997.58	14.65	20	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। हुबली-किरवाटी खंड के लिए राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे प्रस्तुत कर दिए गए हैं और भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास 16.4 करोड़ रु. जमा करा दिए गए हैं। मिट्टी तथा छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की चार के-राइड परियोजनाओं में से एक के रूप में पहचान की गई है।
4.	गुलबर्गा-बीदर	1997-98	242.42	0.64	15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। खानापुर से बीदर तक संरेखण में बदलाव के लिए सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। बीदर छोर 31 किमी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और आगे 22 किमी. के लिए प्रक्रिया चल रही है।
5.	कोटुर-हरिहर वाया हरपनहल्ली	1995-96	124.03	0.21	7	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 4 गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मिट्टी तथा छोटे पुलों के लिए 2 पहुंच मार्गों के लिए (10) निविदा जारी की गई हैं और एक स्टेशन इमारत खोल दी गई है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार 2/3 भागीदारी के लिए सहमत है।
6.	कदूर-चिकमंगलूर-सकलेशपुर	1996-97	157	9.3	9	240 हेक्टेयर भूमि में से 220 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। शेष वन भूमि है जिसके अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है, 40 किमी. खंड में मिट्टी तथा छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं सुरंग (300 मीटर) और दो पुलिया के लिए मिट्टी संबंधी जांच कार्य प्रगति पर है।
7.	हसन-बैंगलोर	1996-97	412.91	56.77	8	2.5 किमी. वन भूमि को छोड़कर हसन और श्रवणबेलगोला के बीच (43 किमी.) 1 बैंगलोर

1	2	3	4	5	6	7
						से नीलामंगला (16 किमी.) भूमि उपलब्ध है। भूमि के लागत के संबंध में 23.5 करोड़ रु. राज्य सरकार के पास जमा करा दिए गए हैं। हसन छोर से 43 किमी. में से 35 किमी. और बैंगलोर छोर से 16 किमी. में से 10 किमी. के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। हसन-श्रवणबेलगोला को 2003-2004 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	बैंगलोर-सत्यमंगलम	1997-98	225	0.28	0.25	बैंगलोर से चामराजनगर (बरास्ता कनकापुर-162 किमी.) तक। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण संबंधी योजना अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने पर बनाई जायेगी और संरेखण तैयार हो गए हैं।
आमान परिवर्तन						
9.	सोलापुर (होटगी)-गदग	1993-94	263.91	136.61	20	कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर-होटगी (16 किमी.) और होटगी-बीजापुर (94 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग तक के शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के दृष्टिगत राज्य सरकार परियोजना के वित्त पोषण के लिए भागीदारी कर रही है।
10.	मैसूर-चामराजनगर	1997-98	175	0.1	15	पांच पहुंच मार्गों के लिए मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों के लिए निविदाएं खोली गई हैं और अगले 3 पहुंच मार्गों के लिए प्रक्रिया चल रही है। कबीनी नदी पर पुल के लिए निविदा खोली गयी है। अशोकापुरम और नंजनगुड के बीच मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों के लिए ठेके दे दिए गए हैं।
11.	बैंगलोर-हुबली-बीरूर-शिमोगा	1992-93	429.95	418.32	0.01	बैंगलोर-हुबली और बिरुर तथा शिमोगा के बीच लाइन पर कार्य पूरा हो गया है। शिमोगा-तालगुप्पा खंड पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
12.	मंगलोर-हसन	1995-96	193.39	184.84	0.01	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
13.	येलहंका-चिकबल्लापुर कहीं-कहीं आमान परिवर्तन और कोलार-बंगारपेट	1994-95	57.54	57.5	0.01	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
14.	यशवंतपुर-सेलम	1995-96	176.29	175.81	0.01	बयाप्पनहल्ली से सेलम तक खंड में पूरा हो गया है। बहरहाल, लिंगराजपुरम और बंसवाड़ी में ऊपरी सड़क पुल के लिए जनता के विरोध करने के कारण बयाप्पनहल्ली-यशवंतपुर को चालू नहीं किया जा रहा है। लिंगराजपुरम और बंसवाड़ी में ऊपरी सड़क पुल के लिए ठेका दे दिया गया है।
15.	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर	1994-95	325.93	168.66	45	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुरम पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। मंगलोर-काबाकापुदुर(40 किमी.) और काबाकापुदुर-सुबरमनया रोड (42 किमी.) को क्रमश: 2002-03 और 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
दोहरीकरण						
16.	हासपेट-गुंतकल	1996-97	159.1	25.13	38.35	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना की तीव्र प्रगति करने के दृष्टिगत के-राइड के अंतर्गत वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है। बेलारीतोरणागल्लू (30 किमी.) खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस खंड को 2003-04 में पूरा करने का लक्ष्य है।
17.	विद्युतीकरण सहित बैंगलोर-केंगेरी	1995-96	20.73	0.68	5.01	कर्नाटक सरकार कार्य की लागत का 2/3 वहन करने को तैयार है। कार्य 7.8.02 को पुन: चालू कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी और पुलों संबंधी कार्य शुरू करने तथा भूमि अधिग्रहण के लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं।
18.	केंगरी-रामागरम	1997-98	45	0.04	9.01	कर्नाटक सरकार कार्य की लागत का 2/3 वहन करने को तैयार है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ऊपरी सड़क पुल पर कार्य शुरू करने और भूमि अधिग्रहण के लिए तैयारी की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
19.	यशवंतपुर-तुमकुर	1997-98	91.82	5.32	5	मिट्टी संबंधी, छोटे पुलों और पैनल अंतर्पाशन संबंधी कार्य प्रगति पर है। अरकावाथी नदी पर बड़े पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।
20.	बैंगलोर-व्हाइटफील्ड-बैगलोर सिटी-कृष्णाराजपुरम	1997-98	85	0.01	0.01	कार्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद पूरा किया जाएगा।
21.	व्हाइट फील्ड-कुप्पम	1992-93	162.23	75.54	15	व्हाइट फील्ड से बंगारपेट (47 किमी.) तक प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बंगारपेट-विबँवनाथन के 2002-03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) रेल मंत्रालय में ऐसा कोई पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता ।

दीन दयाल उपाध्याय की रचनाओं का प्रकाशन

1491. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार श्री दीन दयाल उपाध्याय की रचनाओं के 75 खंड प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना की स्कीम के अन्तर्गत ''प्रकाशन विभाग का प्रचार कार्यक्रम'' में ''ऐतिहासिक स्मारकों और चित्रकलाओं पर कॉम्पैक्ट डिस्क'' ''आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत पुस्तकों की अनुवाद 'परियोजना'' ''दीन दयाल उपाध्याय के संकलित कार्य का प्रकाशन'' ''प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण'' और ''मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण'' जैसे कार्यकलापों की योजना बनायी गई है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस स्कीम को कार्यान्वित किया जाएगा।

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

1492. **श्री बिक्रम केशरी देव:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नई/चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इनमें परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अभी तक इन पर हुए व्यय सहित प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं हेतु व्यय में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और इन्हें पूरा करने हेतु तिथि निर्धारित करने के लिए परियोजना-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) उड़ीसा में विभिन्न चालू नई लाइन परियोजनाओं आमान परिवर्तन, दोहरीकरण तथा रेल विद्युतीकरण कार्यों के संबंध में

परियोजना-वार प्रगति 31.3.2002 तक किये गये खर्च, 2002-03 के दौरान बजट आवंटन तथा निर्धारित की गई संभावित लक्ष्य तिथि तथा राज्य में विभिन्न चालू सर्वेक्षण कार्यों की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मौजूदा स्थिति	31.3.2002 तक किया गया खर्च (करोड़ रु. में)	2002-03 के दौरान बजट आवंटन (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
नई लाइनें				
1.	दैतारी-बांसपानी (155 किमी.)	बांसपानी से जोरूली तक (11 किमी.) पूरी हो गई है। शेष खंड पर मिट्टी, पुल तथा अन्य आनुषंगिक कार्य प्रगति पर हैं। जोरूली से क्योंझर (48 किमी.) को 2002-03 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। समग्र परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 2004-05 है।	294.95	40.00
2.	लांजीगढ़ रोड जूनागढ (56 किमी.)	भूमि अंशत: अधिगृहीत कर ली गई है। चरण-1 में लांजीगढ़ से भवानी पटना (31 किमी.) तक कार्य शुरू कर दिया गया है और मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	16.93	2.00
3.	खुर्दा रोड बोलनगीर (289 किमी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अंशत: पूरा हो गया है। खुर्दा रोड छोर से 2.5 किमी. लंबाई पर, जहां रेलवे के पास भूमि उपलब्ध है कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण के लिए अब तक राज्य सरकार के पास 5.16 करोड़ रु. की राशि जमा करा दी गई है।	11.59	5.00
4.	हरिदासपुर-पारादीप (82 किमी.)	अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तथा कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।	16.90	5.00
5.	अंगुल-सुकिंदा रोड (98.8 किमी.)	सभी प्रमुख पुलों के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा मृदा जांच संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं।	0.6	1.00
	आमान परिवर्तन			
1.	रूपसा-बंगारीपोसी (89 किमी.)	चरण-1, में रूपसा-बारीपदा (52 किमी.) खंड का आमान परिवर्तन किए जाने की	10.67	5.00

1	2	3	4	5
		योजना है। उसमें मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।		
2.	नौपाडा-गुनुपुर (90.05 किमी.)	कार्य शुरू करने के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। विस्तृत अनुमान प्रक्रियाधीन हैं।	0.4	10.00
दोहरीकरण				
1.	रजतगढ़-नेरगंडी (29 किमी.)	रजतगढ़ से सालेगांव तक का खंड पूरा हो गया है। सालेगांव से नेरगुंडी (6 किमी.) के बीच शेष खंड को 2002-03 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।	76.38	3.50
2.	रघुनाथपुर-रहमा (23 किमी.)	कार्य पूरा हो गया है तथा खंड चालू कर दिया गया है।	66.50	0.68
3.	नेरगुंडी-कटव-रघुनाथपुर (47 किमी.)	नेरगुंडी-केन्द्रपाड़ा रोड तथा रघुनाथपुर कटक खंडों में मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। नेरगुंडी-केन्द्रपाडा रोड खंड को 2003-04 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।	61.84	10.00
4.	रहमा-पारादीप (23.14 किमी.)	पारादीप को छोर पर अंतिम 4 किमी. को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। परियोजना को 2003-04 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।	24.34	10.00
5.	महानदी तथा विरूपा पर दूसरा पुल (2.60 किमी.)	विरूपा पुल के लिए ठेके दे दिए गए हैं, तथा उपसंरचना संबंधी कार्य प्रगति पर है। जहां तक महानदी पुलों का संबंध है। परामर्शदाताओं ने विस्तृत अभिकल्प तथा आरेखण प्रस्तुत कर दिए हैं।	4.91	20.00
6.	लांजीगढ़-टिटलागढ़ (47.12 किमी.)	केसिंगा-नोरला रोड (23 किमी.) खंड में रेलपथ लिंकिंन का कार्य प्रगति पर है, जिसे 2002-03 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। शेष खंड पर मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	38.38	15.00
7.	रजतगढ़-बेरांग (31.5 किमी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।	0.32	5.00

1	2	3	4	5
8.	खुर्दा रोड-पुरी (चरण-1) (15.3 किमी.)	मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	7.05	5.00
9.	संबलपुर-रेंगाली (22.7 किमी.)	बक्शे तथा अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है	0	0.50
10.	झारसुगुडा बाईपास (8.73 किमी.)	नक्शे तथा अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।	0	0.50
रेल विद्युतीकरण				
1.	तालचेर-कटक-पारादीप शाखा लाइन सहित खडगपुर/ निमपुरा-भुवनेश्वर	जनवरी, 2003 तक 191 मार्ग किमी. को 25 केवी पर विद्युतीकृत कर दिया है। शेष 349 मार्ग किमी. पर कार्य प्रगति पर है तथा परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2003 है।	192.45	21.57
2.	खुर्दा रोड-पुरी सहित भुवनेश्वर -कोट्टावलासा	खुर्दा रोड पुरी को छोड़ कर पूरा हो गया है जो बाद में तथा मार्च 2004 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।	275.45	30.00

चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर किए गए खर्च का पता वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही चलेगा।

2002-03 के बजट में प्रस्तावित नए कार्य 127.13 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर कटक-बरांग का दोहरीकरण तथा 133.41 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर खुर्दा रोड-बरांग तीसरी लाइन का कार्य है।

सर्वेक्षण

क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	फुलबनी-बेरहमपुर नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
2.	बेरागढ़-नवपाड़ा रोड नई लाइन	फील्ड कार्य पूरे हो गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
3.	जेपोर-नवरंगपुर नई लाइन	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है
4.	जेपोर-मलकांगिरी नई लाइन	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है
5.	खारतापालन, बालोदा बाजार, बटगांव तथा सारनगढ़ के रास्ते रायपुर-झारसुगुडा नई लाइन	फील्ड कार्य पूरे हो गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
6.	कटक तथा भुवनेश्वर के बीच उपनगरीय परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

1	2	3
7.	खुर्दा रोड-पुरी दोहरीकरण	फील्ड कार्य पूरे हो गए है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
8.	टिटलागढ़-झारसुगुड़ा दोहरीकरण	फील्ड कार्य पूरे हो गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
9.	आर-वी लाइन पर टिटलागढ़-रायपुर दोहरीकरण	फील्ड कार्य पूरे हो गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
10.	चक्रधरपुर-बोंडामुंडा तीसरी लाइन	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ङ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यों में प्रगति हो रही है। वर्तमान बजटीय सहायता के माध्यम से तथा गैर-बजटीय स्रोतों से भी संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ परियोजनाओं का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक से किया गया है। इसके अलावा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग पर पड़ने वाली बहुत सी परियोजनाएं ''राष्ट्रीय रेल विकास योजना'' के अंतर्गत शामिल हो गई हैं, जिससे वे शीघ्र पूरी होंगी।

फ्रांस के साथ चर्चा

1493. **श्री सुबोध राय:**
श्री परसुराम माझी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नौवें दौर की चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण परिणाम निकले;

(ग) क्या भारत-फ्रांस के बीच सैनिक अभ्यास करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता का नौवां दौर नई दिल्ली में 6 जनवरी, 2003 को आयोजित किया गया था ।

(ख) इस वार्ता का परिणाम बहुत से सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों जिनमें आतंकवाद, फ्रांसीसी सरकार को हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी सरोकारों से अवगत करवाना और हमारे रक्षा तथा सुरक्षा संबंधी संबंधों को सुदृढ़ बनाना शामिल थे, पर गहन मतैक्य की पुष्टि करना था ।

(ग) और (घ) भारत-फ्रांस सैन्य अभ्यासों के बारे में फ्रांस के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सहायक प्रचालन प्रबंधक की परीक्षा में अनियमितताएं

1494. **श्री अरुण कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेल द्वारा मार्च, 2001 में सहायक प्रचालन प्रबन्धक/सहायक यातायात प्रबन्धक के पद हेतु आयोजित की गई परीक्षा में हुई अनियमितताओं के संबंध में सतर्कता जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और यह जांच रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) मार्च 2001 में पूर्व रेलवे द्वारा आयोजित सहायक प्रचालन प्रबन्धक/सहायक यातायात प्रबन्धक के चयन में अनियमितताओं के संबंध में दोषी पाए गए पांच अधिकारियों के विरुद्ध जांच के बाद उचित विभागीय कार्रवाई की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के लिए नई तेल और गैस नीति

1495. डा. महेन्द्र सिंह पाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नव गठित राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए एक नई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी नीति तैयार कर रहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या नीति बनाई जा रही है और उत्तरांचल के विकास और वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

म्यांमार से गैस का आयात

1496. डा. अशोक पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंगलादेश से गैस आयात करने के संबंध में तुलनात्मक रूप से उसके सहयोगपूर्ण रवैये को देखते हुए पड़ोसी देश म्यांमार से गैस आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने म्यांमार के पेट्रोलियम क्षेत्रों से पाइपलाइन के माध्यम से गैस लाने की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने म्यांमार अपतट में स्थित ब्लाक ए-1 में देवू इंटरनेशनल कारपोरेशन, कोरिया से एक समनुदेशन लिया है। यह ब्लाक देवू इंटरनेशनल कारपोरेशन, कोरिया को म्यांमार आयल एण्ड गैस इंटरप्राइजेज द्वारा अक्तूबर 2002 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत एवार्ड किया गया था। यह ब्लाक बंग्लादेश के निकट उत्तर पश्चिमी म्यांमार में अराकान अपतट में राखीन तट से दूर 3885 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला है। प्रचुर गैस खोजों के मामले में गेल भारतीय क्षेत्रों को गैस का परिवहन अपतटीय पाइपलाइन के माध्यम से करेगी।

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

1497. श्री रामदास आठवले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को गत तीन वर्षों के दौरान पदोन्नतियां दी गई और नई नियुक्तियां भी हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न श्रेणियों में हुई नई नियुक्तियों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन भर्तियों और पदोन्नतियों में अ.जा. और अ.ज.जा. हेतु आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बिहार में तेल और गैस के भण्डार

1498. श्री राम रघुनाथ चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार की पूर्णिया बेसिन में तेल और गंगा बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार के बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग तेल की खोज हेतु न तो ड्रिलिंग मशीनें उपलब्ध करा रहा है और न ही विशेषज्ञों की सेवा दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णिया और गंगा बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) अब तक बिहार राज्य में, पूर्णिया बेसिन और गंगा घाटी बेसिन सहित, हाइड्रोकार्बनों की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं की गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जी रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) नई अन्वेषण लाईसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) की भावी योजनाओं के तहत संबंधित क्षेत्र प्रस्तुत करने को ध्यान रखते हुए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) ने नई माप-चित्रण और भूवैज्ञानिक खोज हेतु बिहार राज्य में गंगा घाटी बेसिन में 2002-03 के दौरान द्विआयामी (2डी) भूकम्पीय डाटा के 1,150 लाइन किलोमीटर (एल.के.एम.) का अधिग्रहण किया है।

[अनुवाद]

रेल यात्री डिब्बा फैक्टरी

1499. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर आई.सी.एफ. पेरम्बूर, चेन्नई स्थित विभिन्न यात्री डिब्बा कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष फैक्टरी-वार वास्तविक उत्पादन कितना रहा;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक फैक्टरी विशेषकर आई.सी.एफ. को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) यात्री डिब्बा कारखानों विशेषकर आई.सी.एफ. पेरम्बूर के विकास/आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेल मंत्रालय के अधीन इस समय रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला तथा सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चैन्नै, नामक दो सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाईयां हैं। इन दोनों कारखानों की वर्तमान संस्थापित क्षमता प्रति वर्ष 1000 सवारी डिब्बा है।

(ख) विगत तीन वर्षों और जनवरी, 2003 तक चालू वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन इस प्रकार था:-

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 जनवरी, 03 तक
सडिका	1006	1000	1025	681
रेडिका	1182	1190	1204	756

(ग) सवारी डिब्बा निर्माण कार्यकलापों के लिए विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष 2002-03 के लिए आवंटित की गई निधियां नीचे दी गई हैं:

आकड़े करोड़ रु. में (संशोधित अनुमान के अनुसार)

वर्ष	रेडिका	सडिका
1999-00	452.77	354.11
2000-01	523.50	569.45
2001-02	547.23	598.41
2002-03	513.91	557.71

(घ) आधुनिकीकरण/अपग्रेडेशन एक सतत् प्रक्रिया है। रेलवे की जरूरतों तथा आवश्यकताओं के अनुसार, समय-समय पर संबंधित इकाई में आधुनिकीकरण/अपग्रेडेशन के लिए निवेश किया जाता है। रेडिका में नवीनतम डिजाइन के लिंके-हॉफमैन बुश (एल.एच.बी.) किस्म के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै को 1984-94 के दौरान आधुनिकीकृत किया गया था। इसके अलावा, सडिका में निम्नलिखित विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं तथा इस समय प्रगति पर हैं:

1.	सडिका में उपयुक्त पेंटिंग सुविधाओं का सृजन।	26.55 करोड़ रु.
2.	मुंबई रेल विकास निगम के लिए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के निर्माण के लिए सुविधाओं में वृद्धि/अपग्रेडेशन	45.32 करोड़ रु.
3.	फेज प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित ई.एम.यू. सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए सडिका में अतिरिक्त अवसंरचना संबंधी सुविधाएं।	5.60 करोड़ रु

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

1500. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान जिन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने का प्रस्ताव है उनकी राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) किन-किन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 2002-03 के दौरान चालू की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थिति के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) 2002-03 में अतिरिक्त/विस्तार यूनिटों की स्थापना के द्वारा ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। नवीकरण एवं आधुनिककरण/जीवन विस्तार कार्यों के माध्यम से मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित क्षमता अभिवृद्धि तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन मानीटरिंग की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 2002-03 के दौरान चालू की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मे.वा.)	स्थिति
1	2	3
थर्मल		
केन्द्रीय क्षेत्र:		
सिम्हाद्री टी.पी.एस.यू-2, एनटीपीसी, आन्ध्र प्रदेश	500	24.8.2002 को यूनिट तुल्यकालिक बनाया गया।
नेवेली एफएसटी विस्तार, यूनिट-1 एवं 2—एनएलसी, तमिलनाडु	2×210	यूनिट-1 को 21.10.2002 को तुल्यकालिक बनाया गया यूनिट-2 : 2003-04 तक विस्तारित। मै. लायड्स इन्सुलेशन इंडिया लि. द्वारा इन्सुलेशन सामग्री की आपूर्ति तथा एन.एल.सी. और मै. एन्सेल्डो के बीच मध्यस्थता महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
राज्य क्षेत्र:		
प्रगति सीसीजीटी, जीटी-2, एसटी, दिल्ली	104.6+121.2	9.11.02 को जीटी-2 तुल्यकालिक बनाया गया। 31.1.2003 को एसटी तुल्यकालिक बनाया गया।
रामगढ़ सीसीजीटी चरण-2, जीटी-2, एसटी, राजस्थान	37.5+37.8	7.8.2002 को जीटी-2 तुल्यकालिक बनाया गया। एसटी हाइड्रोलिक टेस्ट किया गया। एसटी को फाउंडेशन पर स्थापित किया गया। रोटर स्थल पर प्राप्त जेनरेटर स्टेटर फाउंडेशन पर स्थापित तथा रोटर संचालित किया गया।
टीपीपी आधारित अकरिमोटा लिग्नाइट, यूनिट-1, गुजरात	125	वित्तीय व्यवस्था में विलंब होने के कारण 2003-04 तक परियोजना विस्तारित।

1	2	3
रायचूर, टीपीपी यूनिट-7, कर्नाटक	210	11.12.2002 को यूनिट तुल्यकालिक बनाया गया।
वलुथुर सीसीजीटी जीटी+एसटी, तमिलनाडु	60+34	24.12.2002 को जीटी तूल्यकालिक बनाया गया। 10.8.2002 को एसटी-हाइड्रोलिक जांच पूरा किया गया। स्टीम टरबाइन उत्थापन का काम प्रगति पर है।
लेइमाखोंग डीजीपीपी यूनिट-4 से 6, मणिपुर	18	अप्रैल, 2002 में यूनिट तूल्यकालिक बनाया गया।
रोखिया जीटी विस्तार यूनिट-7, त्रिपुरा	21	11.7.2002 को यूनिट तूल्यकालिक बनाया गया।
बारामुरा जीटी विस्तार यूनिट-4, त्रिपुरा	21	27.11.2002 को यूनिट तूल्यकालिक बनाया गया।
निजी क्षेत्र:		
दाभोल सीसीजीटी, महाराष्ट्र	1444	परियोजना में विलंब हो रहा है। एमएसईबी तथा डीपीसी के बीच विवाद को सुलझाना महत्वपूर्ण है।
बंबूफ्लैट डीजी-1 से 4, अं. तथा नि. द्वीप समूह	20	डीजी-2 और 4 तूल्यकालिक बनाए गए। स्वीकार्यता जांच प्रगति पर है।
पेड्डापुरम सीसीजीटी, आंध्र प्रदेश	78	12.9.2002 को तूल्यकालिक बनाया गया।
नेवेली टीपीएस जीरो यूनिट, तमिलनाडु	250	11.10.2002 को तूल्यकालिक बनाया गया।
हाइड्रो		
टिहरी चरण-1, टीएचडीसी, उत्तरांचल	1000	2002-03 में यूनिट-4 (250 मे.वा. को चालू किया जाना था, किंतु यह विलंबित होकर 2003-04 तक पहुंच जाएगी। पुनर्वास, विपथन सुरंग टी-1 और टी-2 की बंदी आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
राज्य क्षेत्र:		
बनसागर टोंस फेज-2, मध्य प्रदेश	30	2002-03 में चालू की जाने वाली यूनिट-2 (15 मे.वा.) को 1.9.2002 को चालू कर दिया गया है।
बनसागर टोंस फेज-3, मध्य प्रदेश	60	2002-03 के लिए निर्धारित यूनिट-3 (20 मे.वा.) को 2.9.2002 को चालू किया गया ।
सरदार सरोवर, गुजरात	1450	2003-04 के लिए निर्धारित यूनिट-3 तथा 4 (100 मे.वा.) को समय से पहले 4.9.2002 को चालू किया गया।

1	2	3
श्री सैलम एलबीपीएच, आंध्र प्रदेश	900	यूनिट 4 और 5 (300 मे.वा.) को 2002-03 में चालू किया जाना था। यूनिट 4 (150 मे.वा.) 29.11.2002 को चालू किया गया। यूनिट 5 (300 मे.वा.) के मामले में सिविल/मैकेनिक कार्य लगभग पूरे और 2002-03 के दौरान चालू कि ए जाने की संभावना है।
पोट्टेरू, उड़ीसा	6	30.6.2002 को दोनों यूनिटें चालू।
लिकिम रो, नागालैंड	24	7.4.2002 को यूनिट 3 (8 मे.वा.) चालू की गई ।
चडिंल एलबीसी, बिहार	8	अधिकांश सिविल/ मैकेनिकल कार्य पूरे, किन्तु परियोजना विलंबित होकर 2003-04 तक पहुंच जाएगी।
निजी क्षेत्र:		
बास्पा-2, हिमाचल प्रदेश	300	परियोजना को 2003-04 में चालू किया जाना था। यूनिट-1 को 24.1.2003 को चालू किया गया।

नोट:-एनटीपीसी के तलचेर एसटीपीपी चरण-2 (उड़ीसा) की यूनिट 3 (500 मे.वा.) पूर्वनिर्धारित कर 4.1.2003 को तुल्यकालिक बनाई गई।

विवरण II

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान अतिरिक्त/विस्तार यूनिटों के जरिए संस्थापित क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

परियोजना का नाम	2001-02 के अनुसार क्षमता (मे.वा.)	2002-03 के दौरान क्षमता में वृद्धि (मे.वा.)	2002-03 के अंत में कुल क्षमता (मे.वा.)
थर्मल			
रामगढ़ सीसीजीटी	73	37.8	110.8
डाभोल सीसीजीटी	740	1444	2184*
रायचूर टीपीपी	1260	210	1470
सिम्हाद्री टीपीपी	500	500	1000
पेद्दापुरम सीसीजीटी	142	78	220
हाइड्रो			
बाण सागर टोंस चरण-2	15	15	30
बाण सागर टोंस चरण-3	40	20	60
श्रीसेलम एलबीपीएच	450	300	750
लिकिम रो	16	8	24

*अगली प्रगति वर्तमान विवाद के समाधान पर निर्भर है।

(ख) आर एंड एम/जीवन विस्तार कार्यों के जरिए मौजूदा यूनिटों की दर वृद्धि कर क्षमता में वृद्धि संबंधी ब्यौरे

परियोजना/राज्य का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	
	एलई कार्यों से पूर्व	एलई कार्यों के बाद क्षमता
कोठागुडम यूनिट-6, आं.प्र.	105	120
कोरबा पूर्व यूनिट-2, छत्तीसगढ़	40	50
कोरबा पूर्व यूनिट-3, छत्तीसगढ़	40	50
तालचेर यूनिट-3, उड़ीसा	60	62.5
कुल	255	282.5
हाइड्रो		
नागझरी, कर्नाटक	270	300
महात्मा गांधी, कर्नाटक	120	144
कुल	390	444

कार्यशील पूंजी और क्रय आदेशों की कमी

1501. श्री राम टहल चौधरी:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम कार्यशील पूंजी और क्रयादेशों की घटती संख्या की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्य हेतु इन उपक्रमों से उच्चाधिकारियों की संख्या में कमी लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) दिनांक 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2001-2001 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 56 उपक्रमों की कार्य चालन पूंजी ऋणात्मक थी। इन उद्यमों के नाम विवरण में दिए गए हैं। क्रय आदेशों के संबंध में कोई सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) से (ङ) सरकार तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्धित प्रबन्धनों द्वारा उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं, जिसमें नए सिरे से राशि लगाना, वित्तीय तथा व्यापार पुनर्गठन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण, क्रय अधिमानता के माध्यम से आदेशों की प्राप्ति औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से पुनर्स्थापन पैकेज की स्वीकृति तथा सरकारी क्षेत्र के गैर-रणनीतिक उपक्रमों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना शामिल हैं। कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण करने के लिए सरकार ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है।

विवरण

ऐसे सरकारी उद्यमों की सूची, जिनकी वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए ऋणात्मक कार्यचालन पूंजी है

1. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.
2. भारत गोल्ड माइन्स लि.
3. भारत कोकिंग कोल लि.
4. इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
5. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.
6. बंगाल इम्युनिटी लि.
7. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
8. महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
9. मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
10. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.
11. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
12. यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
13. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.
14. हैवी इंजीनियरिंग कंपनी लि.
15. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.

16. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.

17. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.

18. प्रागा टूल्स लि.

19. आर.बी.एल. लि.

20. विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.

21. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.

22. साईकिल कारपो. ऑफ इंडिया लि.

23. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.

24. भारत ऑफ्थैल्मिक ग्लास लि.

25. सीमेंट कारपो. ऑफ इंडिया लि.

26. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.

27. हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो. लि.

28. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.

29. टेनरी एंड फुटवियर कारपो. ऑफ इंडिया लि.

30. टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि.

31. बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्टस लि.

32. ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.

33. ब्रुशवेयर लि.

34. कानपुर टेक्सटाईल्स लि.

35. एल्गिन मिल्स कं.लि.

36. नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.

37. नेटेका (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एंड माहे) लि.

38. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एंड राजस्थान) लि.

39. नेटेका (गुजरात) लि.

40. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.

41. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.

42. नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.

43. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.

44. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.

45. भारतीय चाय व्यापार निगम लि.

46. एअर इंडिया लि.

47. इंडियन एअरलाइंस लि.

48. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.

49. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

50. केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि.

51. असम अशोक होटल निगम लि.

52. पांडिचेरी अशोक होटल निगम लि.

53. रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.

54. उत्कल अशोक होटल निगम लि.

55. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.

56. मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि.।

[अनुवाद]

यू.ए.ई. से वापस आने वालों को परिवहन सुविधा

1502. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यू.ए.ई. सरकार द्वारा हाल में 'आम माफी' पाए लोगों को वहां से वापस लाने हेतु नौसेना के जहाजों की सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षण नीति

1503. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के चारों कोनों से आरक्षण की भारी मांग के कारण आरक्षण नीति एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरंभ में आरक्षण नीति केवल 10 वर्ष के लिए ही बनाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या तब से प्रत्येक सरकार इस नीति को समय-समय पर बढ़ाती रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश को सामाजिक विभाजन से बचाने हेतु इस परंपरा को समाप्त करने पर विचार करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लोक सभा, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण आरंभ में 10 वर्षों के लिए दिया गया था और इस आरक्षण को समय-समय पर बढ़ाया गया है। इस आरक्षण को 25 जनवरी, 2000 से आगे 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए संविधान 79वां संशोधन अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया गया था।

सेवाओं में आरक्षण किसी विशिष्ट अवधि के लिए शुरू नहीं किया गया था।

(घ) आरक्षण समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलों में सामान खोना या चोरी होना

1504. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग रेलों में सामान खोने या चोरी होने का जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों द्वारा रेल विभाग के पास बुक कराए गए सामान के खोने या चोरी होने के दावों के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस खाते में कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे प्रशासन केवल बुक किए गए सामान की चोरी और नुकसान के लिए जिम्मेदार है।

(ख) बुक किए गए सामान के मामले में परेषिती/पृष्ठांकित परेषिती या परेषक/परेषिती से प्राप्त प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत करने वाली किसी अन्य एजेंट द्वारा दावा किया जा सकता है।

मुआवजे के दावे निर्धारित प्रोफार्मा में महाप्रबंधक या मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक या मुख्य दावा अधिकारी को या स्टेशन माल शेड या पार्सल कार्यालय पर या तो बुकिंग रेलवे या गंतव्य रेलवे या उस रेलवे पर जहां नुकसान या चोरी हुई है, किये जा सकते हैं। दावा आवश्यक कागजात जैसे रेलवे रसीद, बीजक या माल के सेल इन्वायस आदि के साथ बुकिंग तिथि से 6 महीनों के भीतर किया जा सकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में माल, पार्सल और सामान की चोरी और नुकसान के दावों का भुगतान निम्नलिखित है:

वर्ष	विवरण	राशि (रुपयों में)
1999-2000	माल	857.99
	पार्सल और सामान	306.56
2000-2001	माल	435.70
	पार्सल और सामान	246.16
2001-2002	माल	419.85
	पार्सल और सामान	332.75

केरल में गैस पाइप लाइन परियोजना

1505. श्री पी.सी. थामस: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में एल एन जी की गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों से इस गैस का परिवहन किया जाएगा और इस प्रस्तावित परियोजना का टर्मिनल किस स्थान पर होगा;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय गैस प्राधिकरण ने कोई भूमिका निभाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना से संबंधित मंत्रालयों द्वारा एक अन्तर-मंत्रालयीय दल का गठन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) गेल इंडिया लिमिटेड (गेल) कायमकुल के रास्ते कोच्चि से बंगलौर तक पुनः गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के परिवहन के लिए एक पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव की जांच कर रही है। अमोदन की तारीख से इस परियोजना के 40 महीनों के भीतर पूरी होने का

अनुमान है जिसमें 1987.17 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की आवश्यकता होगी। इस पाइपलाइन में पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) के कोच्चि एल एन जी टर्मिनल से पुनः गैसीकृत एल एन जी आएगी और इस के द्वारा आलवाये कांजीराक्कोड-मैंगलोर और कांजीराक्कोड-बंगलौर से होकर गुजरने वाले पाइपलाइन नेटवर्क के विभिन्न भागों को गैस की आपूर्ति की जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षण केन्द्रों पर क्लोज सर्किट कैमरा टी.वी.

1506. श्री पदमसेन चौधरी :
श्री रामपाल सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आरक्षण केन्द्रों पर हाल ही में क्लोज सर्किट कैमरा टी.वी. लगाए जाने का प्रबंध किया है जिससे दलालों को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऐसा प्रबंध किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां दलालों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आरक्षण कार्यालय नई दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर नौ कैमरे संस्थापित किए गए हैं।

(ग) फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा समझौते

1507. डा. वी. सरोजा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने हथियारों के व्यापार हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने देश में उत्पादित हथियारों का तीसरी दुनिया के देशों को निर्यात करने हेतु बातचीत की थी या समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) और (ख) सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी कमीशन के तहत् पोत-विनिर्माण, उड्डयन तथा थल सेनाओं के लिए एक कार्यकारी दल गठित है जो हथियारों के व्यापार सहित रक्षा सहयोग से संबद्ध द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करता है।

(ग) और (घ) भारत ने हथियार/गोलाबारूद के निर्यात हेतु तीसरी दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई करार नहीं किया है। तथापि, भारत कुछ देशों को उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार हथियार/गोलाबारूद निर्यात कर रहा है।

पवन ऊर्जा में संभावनाएं

1508. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों विशेषकर सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब किया गया था; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या आवश्यक कार्यवाही की/किए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) जी हां। पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत 80 के दशक के मध्य से गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में पवन सर्वेक्षण किए गए हैं। सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र और गुजरात के अन्य तटीय क्षेत्रों 38 स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें पवन विद्युत विकास के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। गुजरात के लिए पवन विद्युत की 9,675 मेगावाट की सकल संभाव्यता का आकलन किया गया है।

गुजरात में 167 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में पवन विद्युत के आगे विकास के लिय एक नीति की घोषणा की है। सरकार द्वारा वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम द्वारा ऋण देना

1509. **श्री भर्तृहरि महताब: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य को ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऋण जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने उड़ीसा को 64.42 लाख रुपए के आविक ऋण और 75.00 लाख रु. के माइक्रो ऋण निर्मुक्त किए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण उड़ीसा राज्य को ऋण निर्मुक्त नहीं किया है।

पुलुमपेट-गूटी लाइन का दोहरीकरण कार्य

1510. **डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलुमपेट-गूटी लाइन का दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उस पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य को शीघ्र करने के लिए साथ-साथ पुल निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) स्वर्णिम चतुर्भुज के सुदृढ़ीकरण के भाग के रूप में इस कार्य को 305 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत से चरणों में शुरू किया गया है। इस समय पुल्लमपेट-झाकरापेट खंड में कार्य शुरू किया गया है जहां पर मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। चेयेरू पुल को छोड़कर सभी बड़े पुलों के लिए ठेके दे दिये गये हैं तथा कार्य शुरू हो गया है। चेयेरू पुल के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से कुड्डापाह, मुद्दानूर तथा कोंडापुरम रायलचेरुवू के बीच शेष खंडों पर कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। 2002-2003 के दौरान परियोजना के लिए 10 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसे पूरा खर्च किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

गैस के छोटे सिलिण्डरों की बिक्री

1511. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गैर-कानूनी रूप से गैस के छोटे सिलिण्डरों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) कम आय वर्ग के ग्राहकों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घरेलू प्रयोजनार्थ 5 किलोग्राम वजनी छोटे गैस (एल पी जी) सिलिण्डरों की विपणन कर रही है। तेल विपणन कंपनियों ने छोटे गैस सिलिण्डरों की किसी गैर-कानूनी बिक्री की रिपोर्ट नहीं दी है।

कारगिल युद्ध की विधवाओं को सुविधाएं

1512. **श्री ताराचन्द भगोरा: क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी भी कारगिल युद्ध में हुये शहीदों की विधवाओं को परिवार का पालन-पोषण करने में परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की विधवाएँ कितनी हैं;

(ग) क्या अनेक विधवायें कृषि भूमि, घरों के निर्माण हेतु भूखंड और पेट्रोल पंपों की अभी भी प्रतीक्षा कर रहीं हैं, जिनका कि उन्हें तीन वर्ष के भीतर देने का वादा किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन विधवाओं को ये वादा की गई सुविधाएं कब तक दी जाएंगी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) कारगिल के शहीदों की विधवाओं के पुनर्वास के उपाय के रूप में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरांत उनमें से प्रत्येक को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अदा की गई है तथा उनके लिए मृतक सिपाही द्वारा अंतिम आहरित वेतन के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन मंजूरी की गई है। इन विधवाओं को राष्ट्रीय रक्षा कोष से आवास हेतु 5 लाख रु. तथा बच्चों की शिक्षा हेतु प्रति बच्चा 1 लाख रु. अथवा प्रति परिवार 2 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। तथापि, ग्रेनेडियर स्वर्गीय श्री परमिंदर सिंह की पत्नी श्रीमती सुमन तथा मेजर स्वर्गीय श्री विवेक गुप्ता की पत्नी मेजर (डा.) राज श्री गुप्ता के लिए कल्याण पैकेज को अभी लागू किया जाना है कि क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

जहां तक पेट्रोल पंपों के आवंटन का संबंध है, 460 विधवाओं/निकटतम रिश्तेदारों ने कारगिल के शहीदों की विधवाओं हेतु विशेष योजना के तहत तेल उत्पाद संबंधी एजेंसियों के आवंटन हेतु अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं। ये आवेदन-पत्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेज दिए गए थे जिनमें से 308 मामलों में आशय-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

गुड्सयार्ड का कोचुवेली से नीमोम रेलवे स्टेशन को स्थानान्तरण

1513. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार कोचुवेली रेलवे स्टेशन से नीमोम रेलवे स्टेशन को गुड्सयार्ड के स्थानान्तरण और तिरूअनन्तपुरम के अन्तर्गत नीमोम रेलवे स्टेशन पर नये अतिरिक्त लूप होल्ड, गुड्स रिसेप्सन और डिसपेच रेल लेवल प्लेटफार्म की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

माल की ढुलाई के लिए डिब्बों की आवश्यकता

1514. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल की ढुलाई के लिए उत्तर और पश्चिमी रेलवे के पास कितने माल डिब्बे हैं;

(ख) क्या माल की ढुलाई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और डिब्बों की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवश्यक संख्या में डिब्बों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जनवरी, 2003 के दौरान उत्तर और पश्चिम रेलवे पर मालडिब्बों का औसतन बेड़ा (अनंतिम) क्रमशः 46013 और 30906 चौपहिया मालडिब्बे था।

(ख) और (ग) मालडिब्बों के मौजूदा बेड़े से भारतीय रेलों पर जनवरी 2003 तक प्रारंभिक राजस्व मालभाड़ा लदान का आनुपातिक लक्ष्य 7.87 मिलियन टन तक बढ़ा है। जनवरी 2003 तक उत्तर रेलवे पर संचयी प्रारंभिक राजस्व मालभाड़ा लदान आनुपातिक लक्ष्य से 7.76 मिलियन टन अधिक है जबकि पश्चिम रेलवे पर संचयी मालभाड़ा लदान आनुपातिक लक्ष्य से 3.21 मिलियन टन कम था। पश्चिम रेलवे पर लदान में कमी रेल संचालन के लिए कम यातायात प्राप्त होने के कारण भी थी।

(घ) मालडिब्बों की खरीद एक सतत् प्रक्रिया है जो उपयोग-कर्ता मंत्रालयों/ग्राहकों द्वारा दिए गए यातायात के पूर्वानुमानों और माल लदान के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर की जाती है। मालडिब्बों की खरीद प्रतिवर्ष आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर की जा रही है।

[अनुवाद]

निधियों का अन्यत्र प्रयोग

1515. श्री रामजी मांझी: यह रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोनल रेलवे में एक परियोजना से दूसरी परियोजना में निधियों के प्रयोग के मामले होते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि निधियों का प्रयोग लिखित रूप से औचित्यपूर्ण आकस्मिकता के अतिरिक्त एक परियोजना से दूसरी परियोजना में न किया जाए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां, नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय निधियों का डायवर्जन अथवा पुनर्विनियोग निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से बहाल किया जाता है। पुनर्विनियोग शुरू करने की आवश्यकता निम्न के कारण उत्पन्न हुई:

- भूमि का अधिग्रहण, संविदात्मक समस्याओं, न्यायालय मामले आदि में विलंब के कारण कुछ परियोजनाएं धीमी चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप आवंटित निधियां फालतू हो गई हैं।
- लक्ष्यबद्ध परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करना ।
- संसाधनों की उपलब्धता में परिवर्तन।

इस संबंध में सख्त नियम मौजूद हैं कि केवल आवश्यक होने पर ही पुनर्विनियोग सुनिश्चित किए जाते हैं। इनका लिखित में औचित्य सिद्ध किया जाना होता है तथा अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण योजना शीर्षों में पुनर्विनियोग करने से मौजूदा दिशा-निर्देशों/नियमों में क्षेत्रीय रेलों को प्रतिबंधित किया गया है जबकि अन्य शीर्षों में अनुमत पुनर्विनियोग की राशि संबंधी सीमा तय की गई है। क्षेत्रीय रेलों के अधिकार से बाहर पुनर्विनियोगों में रेलवे बोर्ड की पूर्व-अनुमति लेनी अपेक्षित होती है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

1516. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री और संसद सदस्यों ने मंडी-बिलासपुर होकर कालका-परवानु, चंडीगढ़, पोंटा साहिब-देहरादून, बैजनाथ-भानुपाल्ली की बड़ी लाइन को बढ़ाए जाने, पठानकोट-जोगेन्द्र नगर कांगड़ा घाटी की छोटी लाइन को बड़ी में परिवर्तन और नालागढ़-बड्डी होकर भानुपल्ली-बिलासपुर-रामपुर, झनौली-पिनजौर तक एवं कमरहट्टी-देहरादून रेल लाइन हेतु आवंटन में वृद्धि और इन रेल लाइनों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तदनुसार बजट में वृद्धि की गई है और निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी हां। संसाधनों की तंगी और काफी संख्या में चल रही नई परियोजनाओं के कारण प्रस्तावित नई लाइनों के निर्माण पर विचार करना संभव नहीं है। तालका-परवानू के बीच नई लाइन के निर्माण कार्य की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इस लाइन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के काम्बली गांव में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है जिसके संबंध में बताया गया है कि टर्मिनस स्टेशन के लिए काम्बली से टिपरा तक स्थान चयन की समीक्षा भी की जा रही है। जैसे ही राज्य सरकार से अंतिम निर्णय का पता चलता है और भूमि उपलब्ध हो जाती है वैसे ही इस लाइन के निर्माण कार्य को वास्तविक रूप में शुरू कर दिया जाएगा।

किसानों को क्षतिपूर्ति

1517. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के चार जिलों में भारी हथियार और गोलाबारूद से लैस बलों की तैनाती से इन जिलों के कई गांव की न केवल फसल बर्बाद हुई है, बल्कि पशुओं के चारागाह भी बर्बाद हुए हैं;

(ख) क्या इन जिलों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी लाने वाली सहायक नहरें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार की तरफ से चार जिलों के कलक्टरों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 200 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सैन्य टुकड़ियों की लामबंदी के चलते राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे किसानों/लोगों की फसलों आदि को नुकसान होने की रिपोर्टों की जानकारी सरकार को है।

राजस्थान सरकार ने सैन्य टुकड़ियों की लामबंदी के चलते फसलों, सड़कों तथा सिंचाई नहरों आदि को हुये नुकसान के लिए 74.92 करोड़ रुपए की धनराशि दर्शाई है। रक्षा मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया था तथा केवल फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, किसानों को भुगतान के लिए राजस्थान सरकार को 54,31,57,580 रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1518. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना में नये संयंत्रों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो इन नई परियोजनाओं के लिए कौन-कौन से स्थान चिन्हित किए गए हैं;

(ग) इन नई परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी निधियां आवंटित की गई; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क), (ख) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ की दृष्टि से नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा संचालित की जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	परियोजना/क्षमता (मे.वा.)/स्थिति	चालू किए जाने की तारीख
1.	सिम्हाद्री एसटीपीपी (2× 500 मे.वा.) आंध्र प्रदेश	अगस्त 2002 में यूनिट-2 (500 मे.वा.) चालू
2.	तालचेर एसटीपीपी चरण-2 (4×500 मे.वा.) उड़ीसा	वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान 500 मे. वा. क्षमता के साथ यूनिट 1, 2, 3 तथा 4 को क्रमशः चालू किया जाना है।
3.	रामागुंडम एसटीपीपी चरण-3 (1×500 मे.वा.) आन्ध्र प्रदेश	इस यूनिट को 2005-06 में चालू किया जाना है।
4.	रिहंद एसटीपीपी चरण-2 (2×500 मे. वा.) उत्तर प्रदेश	वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 500 मे. वा. की क्षमता सहित क्रमशः यूनिट 1 तथा 2 को चालू किया जाना है।

इसके अतिरिक्त 10वीं योजना के दौरान एनटीपीपी ने लाभ की दृष्टि से निम्नांकित विद्युत परियोजनाओं के कार्य निष्पादन/विस्तार की योजना बनाई है, मंजूरी स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर है:-

क्र.सं.	परियोजना / क्षमता (मे.वा.)/स्थिति	चालू किए जाने की तारीख
1	2	3
1.	विंध्याचल एसटीपीपी चरण-3 (2×500 मे.वा.) मध्य प्रदेश	वर्ष 2006-07 के दौरान 500 मे.वा. की क्षमता सहित क्रमशः यूनिट 1 तथा 2 को चालू किया जाना है।
2.	कहलगांव एसटीपीपी चरण-2 (2×500 मे.वा.) बिहार	वर्ष 2006-07 के दौरान 500 मे.वा. की क्षमता सहित क्रमशः यूनिट 1 तथा 2 को चालू किया जाना है।

1	2	3
3.	सिपत एसटीपीपी चरण-1 (3×660 मे.वा.) छत्तीसगढ़	वर्ष 2006-07 के दौरान 660 मे.वा. की क्षमता सहित यूनिट 1 तथा 2 को चालू किया जाना है।
4.	बाढ़ एसटीपीपी (3×660 मे.वा.) बिहार	वर्ष 2006-07 के दौरान 660 मे.वा. की क्षमता सहित यूनिट 1 को चालू किया जाना है।
5.	फिरोज गांधी ऊंचाहार चरण-3 (1×210 मे.वा.) उत्तर प्रदेश	इस यूनिट को 2006-07 के दौरान चालू किया जाना है।

संक्षेपण : एसटीपीपी - सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
टीपीपी - थर्मल पावर प्रोजेक्ट

(ग) किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा किसी धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, एनटीपीसी इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन आंतरिक संसाधनों, बाजार तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण के माध्यम से करेगा।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं में निवेश

1619. श्री राजो सिंह :
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं में कोई निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) इसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले ही निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर चुका है:

कहलगांव-1 (बिहार)	-	840 मे.वा.
सिंगरौली (उत्तर प्रदेश)	-	2000 मे.वा.
रिहन्द-1 (उत्तर प्रदेश)	-	1000 मे.वा.
एनसीटीपीपी (उत्तर प्रदेश)	-	840 मे.वा.
दादरी गैस (उत्तर प्रदेश)	-	817 मे.वा.
औरय्या (उत्तर प्रदेश)	-	652 मे.वा.

एनटीपीसी उ.प्र. में रिहन्द-2 (1000 मे.वा.) का क्रियान्वयन कर रहा है जिसके लिए गत दो वर्षों में किया गया खर्च निम्नवत था:

2000-01	-	1.70 करोड़ रु.
2001-02	-	294.06 करोड़ रु.

एनटीपीसी ने उत्तर में ऊंचाहार-2 (420 मे.वा.) जिसे अक्टूबर 1999 में पूरा कर लिया गया था। पर भी वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान 70.67 करोड़ रु. और 9.03 करोड़ रुपए खर्च किया है।

इसके अतिरिक्त एनटीपीसी ने पुरानी बकाया राशियों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश से दो परियोजनाएं नामश: ऊंचाहार-1 (420 मे.वा.) और टांडा टीपीएस (440 मे.वा.) क्रमश: फरवरी, 1992 और जनवरी, 2000 में हाथ में ली है। टांडा ताप विद्युत स्टेशन के आर एण्ड एम पर वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमश: 45.46 करोड़ रुपये और 66.49 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

एनटीपीसी 10वीं योजना में ऊंचाहार में 210 मे.वा. क्षमता की एक और यूनिट जोड़ने का प्रस्ताव रखता है। एनटीपीसी 10वीं योजना के दौरान हिार में 4379.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कहलगांव (1000 मे.वा.) और 7947.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बाढ़ एसटीपीपी (1980 मे.वा.) को आरम्भ करने का प्रस्ताव रखता है।

ये परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की होने के नाते राज्य सरकार एनटीपीसी के इन निवेशों में कोई हिस्सेदारी नहीं रखते हैं।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाया जाना

1520. **श्री के.ए. सांगतम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना वर्तमान परिदृश्य में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली-दिमारपुर के बीच राजधानी एक्सप्रेस सेवा में प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाए जाने की है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार इस खंड पर राजधानी एक्सप्रेस की सेवा सप्ताह में दो बार के बजाय दैनिक आधार पर करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी सतत् प्रक्रिया है और यह यातायात पैटर्न, संसाधनों की उपलब्धता और परिचालनिक दबाव पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

आयुध डिपो कार्यशालाओं को उत्पादक यूनिटों के रूप में बदलना

1521. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्षा सामान उपलब्ध कराने की जटिलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयुध डिपो की कार्यशालाओं की उत्पादक यूनिटों में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा सामानों को युद्ध क्षेत्रों में भेजने की प्रणाली में परिवर्तन कर नई तकनीक स्वीकार करने का प्रस्ताव सरकार को भी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) युद्ध क्षेत्र में तैनात सेना से संबंधित रक्षा सामग्री सीधे ही आयुध निर्माण/विनिर्माण यूनिटों से फिल्ड यूनिटों को भेजी जाती है जिससे समय तथा लागत की बचत होती है। इसके अतिरिक्त युद्धक रक्षा सामग्री के परिवहन के लिए कन्टेनरों का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि सामग्री का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देने का मानदंड

1522. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा "अनु.जा. के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहयता योजना" के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के क्या मानदंड हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 01.04.1999 से आज तक इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार विशेषकर राजस्थान में गैर-सरकारी संगठन-वार, योजना-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान की योजना के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों को अनुमोदित व्यय के 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को शामिल करना है ताकि उन्हें किसी न किसी क्षेत्र में स्वयं के स्तर पर आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने या लाभप्रद रूप से नियोजित होने में समर्थ बनाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होने के उद्देश्य से किसी संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:-

1. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हो; अथवा

2. प्रचलित विधि के अंतर्गत दर्ज एवं सार्वजनिक न्यास; अथवा
3. कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेन्स प्राप्त एक धमार्थ कंपनी; अथवा
4. भारतीय रेड क्रास सोसाइटी या इसकी शाखाएं; तथा या
5. अपने स्तर पर विधिक दर्जा प्राप्त कोई अन्य सार्वजानिक निकाय अथवा संस्था;
6. स्वैच्छिक संगठन को इस योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करते समय कम से कम दो वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
7. अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों की संख्या 60% से कम नहीं होना चाहिए।
8. किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह लाभार्थ संचालित नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कोचिंग तथा संबद्ध केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए सहायता की स्वीकृति सार्वजनिक तथा निजी कोचिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले तथा अभ्यर्थियों की सफलता दर के संबंध में पूर्व तीन वर्षों के दौरान विशिष्टता प्राप्त ख्यातियुक्त संस्थाओं के लिए की जाती है, बशर्ते संस्थान या तो एक न्यास हो, साझेदारी फर्म हो या संबंधित कानून के अंतर्गत दर्ज सोसाइटी हो और यह कि संस्थान को उन पाठ्यक्रमों में कोचिंग देने का अनुभव हो जिनके लिए योजना के अंतर्गत सहायता की मांग की गई है।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को 1.4.1999 संगठनवार तथा वर्षवार स्वीकृत सहायतानुदान का ब्यौरा विवरण-I दिया गया है। इसी प्रकार, केन्द्रीय प्रायोजित कोचिंग तथा संबद्ध योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए सहायता देने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को 1.4.1999 से वर्षवार तथा संगठनवार स्वीकृत सहायतानुदान के ब्यौरे विवरण-II पर दिए गए विवरण में हैं।

विवरण I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2002-2003 (दिनांक 25.2.2003 के अनुसार) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान मंजूर किए गए स्वैच्छिक संगठनों का राज्यवार ब्यौरा

						राशि			
क्र.सं.	राज्य	जिला	संगठन का नाम	परियोजना	पता	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	रोहिणी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	अगरबत्ती रोलिंग ट्रेडिंग सेंटर	21-9-136 एस. सादलापाली-515211	-	37800	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	मास मूमवेंट फोर रूरल रिकंस्ट्रक्शन	रेसिडेन्शियल स्कूल	ओड चेल्लू-515561, पो. कादरी ताल्लूक, जिला-अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	981180	891450	981180	540090
3.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	सेंटर फोर रूरल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी	रेसिडेन्शियल स्कूल	नं. 2-163, चकला स्ट्रीट, गोरंतला	823725	-	-	-
4.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	मदर इंडिया	रेसिडेन्शियल स्कूल	गोरंतला-515231 जिला-अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	1247715	495990	254700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	पीपुल्स एक्शन डेवलपमेंट	रेसिडेन्शियल स्कूल	एक्स-मिलिट्री कॉलोनी-515591, जिला-अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	1246815	504683	1352762	537147
6.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	धराकरमा ब्राह्मी महिला मंडली	रेसिडेन्शियल स्कूल	डी. ओ. नं. 16/260-सी-3, उमानगर ओल्ड टाउन जिला-अनन्तपुर 515005 आंध्र प्रदेश	917704	523040	549090	-
7.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	सोसियो एकनॉमी एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी	टाइपिंग सेंटर	150451, बी-कमलानगर	35746	68147	-	-
8.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	काम्यूनिटी रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्थ	टेलरिंग	12/12, पालमनेर-517586	402930	149130	-	-
9.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	ग्रामीण समीक्षा संघम	रेसिडेन्शियल स्कूल	रंगनाथ पुरम, कालाकड़, पो. मंडल, 517236, चित्तूर, जिला आ.प्र.	981180	549090	981180	-
10.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	पेडा प्रजाला समिति	टाइपिंग एंड शार्टहैंड एंड कम्प्यूटर सेंटर एंड रेसिडेन्शियल स्कूल	गंगाधरनलोरे-517125, जिला चित्तौर, आ.प्र.	2100561	-	3717251	1149955
11.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	मदर्स एजुकेशन सोसाइटी फार रूरल एंड ओरफन्न	रेसिडेन्शियल स्कूल	11-62-5, भंदुरपेट, श्रीकालाहस्ती, चित्तूर, जिला आ.प्र.	-	-	-	403402
12.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	पजा अभ्युदय सेवा समिति	रेसिडेन्शियल स्कूल	प्लाट नं. 233, दुर्गा नगर कालोनी, ग्रीम्सपेट चित्तूर, जिला आ.प्र.	-	-	981180	1067040
13.	आंध्र प्रदेश	कुड्डप्पा	डॉ. अम्बेडकर दलित वर्ग अभिविरुद्धि संघम	टाइपिंग एंड शार्टहैंड एंड कम्प्यूटर सेंटर	6/82, गजुला स्ट्रीट, मासपेट, कुड्डप्पा 516001, जिला आ.प्र.	877406	324247	787546	458369
14.	आंध्र प्रदेश	कुड्डप्पा	इंटीग्रेटेड कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी	क्राफ्ट सेंटर	6/969-डी-2-1, नूनेवारीपल्ली रोड, राजमपेट-516115, कुड्डप्पा-जिला आ.प्र.	211500	-	237870	-
15.	आंध्र प्रदेश	दिल्ली	हरिजन सेवक संघ	रेसिडेन्शियल स्कूल	किंग्स्वे कैंप, दिल्ली-110009	1786350	618615	59400	2167823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	आंध्र प्रदेश	इस्ट गोदावरी	प्रसंथी एजुकेशन कल्चरल एंड वेलफेयर एशोसिएशन	होस्टल	मेन रोड, गोवाकरम-33286, जिला, ईस्ट गोदावरी	-	-	-	170775
17.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	श्री सत्य कुमारी महिला वालुन्टरी आर्गेनाइजेशन	टीवी/वीसीआर/रेडियो रिपेयरिंग सेंटर	ग्राम बंकपेटा, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी, जिला आं.प्र.	-	142719	194760	97380
18.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	आदर्श महिला मंडली	क्राफ्ट सेंटर	दून नं. 3-295(1), 8वां लेन, पंडारीपुरम, चिलाकालूरीपेट, जिला-गुंटूर, आ.प्र.	-	141629	387271	134309
19.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	आ.प्र. नील आर्मस्ट्रांग टीम	होस्टल	श्रीपुडी, पो. चंदोली	671895	-	-	1247400
20.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	इंदिरा मेमोरियल वीकर सेक्शन डेवलपमेंट सोसाइटी	होस्टल	डी. नं. 14-6-30/4, 4था लेन, नेताजीनगर, नीडुबरोलू-522124, पोन्नूर (एमडीएल), गंटूर जिला आ.प्र.	1014120	476100	1163600	424800
21.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	रूरल ऑरगनाइजेशन फार सोशल एक्टिविटी	रेसिडेन्शियल स्कूल	मंचेनावरीपलेम, पिटालावनीपलेम (मंडल) जिला आ.प्र.	870480	870480	942480	518490
22.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	एस.एटी. एंड बीसी एंड मॉनिटरिंग सेंटर वेलफेयर सेवा संगम	कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर	करलापलेम, जिला-गंटूर जिला, आ.प्र.	263189	90030	270090	89363
23.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	श्री शारदा महिला विज्ञाना समिति	क्राफ्ट सेंटर	बापाटला-522101, गंटूर जिला, आ.प्र.	202384	-	528870	111780
24.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	रेसिडेन्शियल स्कूल	डी. ओ. नं. 5-8-11/32/7 ब्रोदीपेट, गंटूर जिला 522002 आ.प्र.	981180	542906	1413270	549090
25.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	विजया एजुकेशनल सोसाइटी	रेसिडेन्शयल स्कूल	डोर नं. 12-1-12, प्रकाशनगर नर्सरीपेट-522601, गंटूर जिला आ.प्र.	981180	540423	1411623	-
26.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	वेलम्मा वीकर सेक्शन महिला मंडली	क्राफ्ट सेंटर	मंचनावरीपल्म, पित्तलावनपलम, मंडल	173299	-	-	238351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	वीकर सेक्शन महिला डवलपमेंट सोसाइटी	क्राफ्ट सेंटर	शारदापुरम, पो. गुंटूर आ.प्र.	-	-	165075	136110
28.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	न्यू गांधी आल इंडिया फोरम सोसियो इकनॉमीक ग्रोथ स्टडीज	कम्प्यूटर, टाइपिंग एंड शार्टहैंड सेंटर	हा.नं. 8-2-541/ए, बंजारा हिल्स, रोड नं. 7, हैदराबाद	-	521326	-	181447
29.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	ज्योति वेलफेयर एसो.	टाइपिंग एंड क्राफ्ट सेंटर	हा.नं. 804-550/93, नटराज नगर, बोराबंदा, हैदराबाद-500018, आ.प्र.	392459	137369	337857	118806
30.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	राजधानी सल्म्स प्रोग्रेसिव डवलपमेंट, सोसाइटी	रेसिडेन्शियल स्कूल	13-3-1049/243, इंदिरा नगर, जियागुडा हैदराबाद-500006, आ.प्र.	1247715	540990	835052	927085
31.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सुदार एजुकेशनल सोसाइटी	रेसिडेन्शियल स्कूल	अलीजापुर, गोलकंडा फोर्ट-सब पो. हैदराबाद-500008, आ.प्र.	1800994	744525	785580	522680
32.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	मास्टरस एजुकेशनल कल्चरल एंड वूमेनस वेलफेयर सोसाइटी	रेसिडेन्शियल स्कूल	अलगुनूर, एलएमडी कालोनी, करीमनगर	1247715	964980	0	-
33.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	साई सरस्वती एजूकेशनल सोसाइटी	टाइपिंग एंड शार्टहैंड	साई सरस्वती नगर	61702	184230	0	-
34.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	यूथ एसो. फॉर रूरल एंड डवलपमेंट	अनिवासीय रेसिडेन्शियल स्कूल	हा.नं. 11-10-694/3 बराहनपुरम, जिला, खम्माम	232650	-	-	-
35.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	जयश्री महिला संगम	टाइपिंग एंड शार्टहैंड ट्रेनिंग सेंटर एंड रेसिडेन्शियल स्कूल	द्वारा लिटिल फ्लावर स्कूल, बिहाइंड आर.सी.एम. चर्च, मधिरा-507203, खम्मामजिला, आ.प्र.	1096380	79234	2167662	620224
36.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	आ.प्र. गिरिजन सेवक संघ	रेसिडेन्शियल स्कूल	चंदामामपेट, नंदीगामा-521185, कृष्णा जिला, आ.प्र.	964980	540990	1388970	964980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	सिटी एजुकेशनल सोसाइटी	टाइप, शार्टहैंड एंड रेसिडेन्शियल स्कूल	32-41-19, रेविन्यू कॉलोनी, माचावरम डाउन, विजयवाडा, आ.प्र.	1251630	661140	1765620	669240
38.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	इंटीग्रेटेड डवलपमेंट सोसाइटी	रेसिडेन्शियल स्कूल	राहुपेट, नंदीगामा-521185, कृष्णा जिला आ.प्र.	964980	540990	1388970	964980
39.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	कवेरू चेरीटेबुल ट्रस्ट	कंप्यूटर ऑटो ड्राइविंग, टीवी/वीसी आर/टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	13/150, पतीपेडा, गुदीवाडा-521301, कृष्णा जिला, आ.प्र.	575708	134070	1043393	-
40.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	महाभाग्य महिला मंडली	क्राफ्ट सेंटर	हा.नं. 18-116-756, माधव नगर, कयनूल-618002, आंध्र प्रदेश	303930	160480	332999	-
41.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	नव भारत एजुकेशनल सोसाइटी	अनिवासीय स्कूल	केवीएस कालोनी, कोथापेटा धून-61822, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश	148140	-	778230	-
42.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	प्रोग्रेसिव एशोसिएशन फार अपलिफ्टमेंट आफ लोअर क्लासेस	कंप्यूटर सेंटर	गांधीनगर, जदचेरला	183720	170718	-	-
43.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	बीथल एजुकेशनल सोसाइटी	होस्टल, अवासीय स्कूल	जदचेरला-509301, जिला महबूबनगर, आ.प्र.	1035810	1719360	2097720	996390
44.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	सोशल एक्शन फार सोसल डेवलपमेंट	अवासीय स्कूल	(नेताजी आवासीय स्कूल), प्लॉट नं. 243, श्रीनिवास कालोनी, जिला महबूबनगर, आ.प्र.-509002,	1247715	507510	931500	-
45.	आंध्र प्रदेश	मेडक	फ्रेन्डस वीकर सेक्शन वेलफेयर एशोसिएशन	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	2-22-39, चिलाका नगर उप्पल, रंगारेड्डी जिला, आ.प्र.	-	-	99296	138581
46.	आंध्र प्रदेश	मेडक	ज्योति एजुकेशन सोसाइटी	क्राफ्ट सेंटर	हा.नं. 5-187, जे.पी. कालोनी, पतानचेरू, जिला मेडक, आ.प्र.-502319	84870	-	493290	-
47.	आंध्र प्रदेश	मेडक	रूरल एंड अरबन प्रोग्रेसिव सोसाइटी	क्राफ्ट सेंटर	हा.नं. 106-39, नीयर इंस्पेक्शन बंग्लो, पो. एंड मंडल, सदाशिवपेट, मेडक जिला-502291, आ.प्र.	-	-	124280	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	आंध्र प्रदेश	नालगौंडा	पीनाकिनी एजुकेशन एकाडमी	आवासीय स्कूल	मुखारपुर गांव, पोचरामपल्ली मंडल, नालगौंडा जिला आ.प्र.-508284	1383300	540990	1442925	1678428
49.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	एस, एटी, बीसी, वेलफेयर ऐसोसिएशन	क्राफ्ट सेंटर	24/576-1 ओल्ड जूडे बंग्लो मुलापेट, जिला नेल्लोर-5240003	0	83129	0	-
50.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	जयलक्ष्मी महिला मंडली	क्राफ्ट सेंटर	20/151, राजागिरी स्ट्रीट, मुलापेट, जिला नेलोर-524003, आ.प्र.	63090	0	394022	-
51.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	उमा महेश्वरी महिला मंडली	प्रिंटिंग एंड डाइंग आन कॉटन फैब्रिक्स सेंटर	24/603-2, मुलापेट वेलकरस रोड, जिला नेलोर-524003, आ.प्र.	-	-	81788	-
52.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	निर्मला एजुकेशनल एंड वेलफेयर एकादमी, जिला निजामाबाद, आ.प्र.	क्राफ्ट सेंटर	डोर नं. 4-7-681, गंगामणी निलायम, नीयर गांधी चौक, शिवा इलेक्ट्रिक के पीछे अम्बारपेट, जिला निजामाबाद, आ.प्र.	-	141629	96721	-
53.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	श्री साई महिला मंडली	गैर आवासीय स्कूल	यूरेसलम नगर, नीयर रेलवे स्टेशन, अमानाबक्लू, प्रकाशम जिला, आ.प्र.	-	-	-	199529
54.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	अरूणोदय अ.जा. वेलफेयर ऐसोसिएशन	आवासीय स्कूल	थारलूपाडू रोड, मरकापुर जिला प्रकाशम, आ.प्र.-523316	981180	549090	981180	944590
55.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	डा. बी.आर. अम्बेडकर कारपेंट्री एंड पेंटिंग इंस्टीट्यूट	कारपेंट्री ट्रेनिंग सेंटर	किथापट्टनम-523286, जिला, प्रकाशम, आ.प्र.	-	85080	139290	-
56.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	महिला मंडली	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर क्राफ्ट सेंटर	स्टेशन रोड, चिराला-52157, जिला प्रकाशम, आ.प्र.	-	476280	304920	283320
57.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	चिराला ताल्लूक हरिजन संगम	आवासीय स्कूल एंड होस्टल	डी. नं. 1-100-5 वैकुंटजापुरम चिराला	894960	0	-	-
58.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	प्रकाशम जिला बालाहीना वरगला कालोनी वराला सेवा संगम	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर एंड क्राफ्ट सेंटर	3-1-10(20), नीयर किनीजुदू बस स्टैंड राजप्पंगल रोड ओंगोले-523002, जिला प्रकाशम, आ.प्र.	275372	0	663735	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	समसूरुथिका महिला मंडली	होस्टल	चिकूरापाडू, नागुलुप्पालापाडू मंडलम, जिला प्रकाशम, आ.प्र.	515295	0	813060	594495
60.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	श्रीनिवास महिला मंडली	गैर-आवासीय स्कूल	मस्तूर-523301, जिला प्रकाशम, आ.प्र.	-	-	204120	-
61.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	द.आ.प्र. पीयूपल्स सोसिओइक्नामी डेवलपमेंट सोसाइटी	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	पीछे-लक्ष्मी थियेटर सोलमोन सेंटर चिराला-523155, जिला प्रकाशम, आ.प्र.	289119	125820	254745	-
62.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पिंकी फ्लोवर्स एजुकेशनल सोसाइटी	अवासीय स्कूल	एस-5/सी-454, एनजीओएस कालोनी वनस्थलीपुरम	1002455	0	0	1740951
63.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	ओरग्नाइजेशन फोर रूरल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	जिला रंगारेड्डी	452418	-	-	-
64.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	ज्योति महिला मंडली	अवासीय स्कूल	नं. 7-89, संजय गांधी नगर, आदिया जीदोमेतला, जिला, रंगारेड्डी, आ.प्र.	1243305	540990	964980	1388970
65.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	माइनिरिटीस एंड वीकर सेक्शन एम्प्लाईस ऐसोसिएशन	होस्टल और टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	हा.नं. 12-18, नारापेल्ली घाटकेश्वर मंडल, जिला रंगारेड्डी, आ.प्र.	1026315	1462505	1042740	1042740
66.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पदमाश्री पलेसीमा अभीभरूधी महिला मंडली	अवासीय स्कूल	हा.नं. 3-3-750, चप्पल बजार कुचीगुडा जिला रंगारेड्डी आ.प्र.	981180	549090	623619	981180
67.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	गैर-आवासीय स्कूल	4/1, एमआईजी फ्लेट्स, 3रा फेज केपीएचबी कालोनी, कुकातपल्ली पो. जिला रंगारेडी, आ.प्र.	227550	515700	515700	203550
68.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	तेलंगाना वीकर सेक्शन्स डेवलपमेंट सोसाइटी	अवासीय स्कूल, टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	प्लाट नं. 161, सिटी पब्लिक स्कूल प्रिमीसेस जयानगर कालोनी, कुकातपल्ली जिला रंगारेड्डी, आ.प्र.	1122233	1115960	1043268	693832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	कलवेरी कमीशन	अवासीय स्कूल	हा.नं. 3-36-23, न्यू संजीवा नगर कालोनी ईस्ट मरेदपल्ली, सिकंदराबाद	855612	549090	0	1375920
70.	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	स्वान एजुकेशनल सोसाइटी	अवासीय स्कूल, टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	8-1-282 नीयर डोकाल्लमा टेमपल शिवाजी नगर आर पी रोड, सिकंदराबाद-500003, आ.प्र.	1218330	1186380	1186380	651690
71.	आंध्र प्रदेश	विशाखापतम	चाइल्ड फाउंडेशन आफ इण्डिया	अवासीय स्कूल, टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर एंड कंप्यूटर सेंटर	39-5-30, मुरलीनगर, विशाखापत्तनम-530007, आ.प्र.	2183393	1704960	2491740	939780
72.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	ओरगनाइजेशन फोर कमपिरीहेन्सिव रूरल कम्यूनिटी डेवलपमेंट	ओपथालिमिक नर्स टेकनीसियन कोर्स प्रोजेक्ट फार कंट्रोल ब्लाइंडस	बीएचपीपी, विशाखापत्तनम	1302120	542275	0	1608552
73.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	आरगनाइजेशन फोर रूरल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	बीएचपीपी, विशाखापत्तनम	-	123114	-	-
74.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	प्रियदर्शनी सर्विस आँरगनाइजेशन	अवासीय स्कूल, टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर और कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर	डी. नं. 45-56-9 शालीग्रामपुरम, विशाखापत्तनम-24, आ.प्र.	1182245	711795	2029635	540990
75.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	महालक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी	टंकण और क्राफ्ट सेंटर	5-8-10, दक्किनी स्ट्रीट, जिला विशाखापत्तनम, आ.प्र.	-	643692	343823	580601
76.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	फ्रीडम फाइटर वेलफेयर्स ऐसोसिएशन	पुस्तकालय	पो-धर्मावरम, जिला वारंगल, आ.प्र.	-	-	102375	-
77.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	गौतम एजुकेशन सोसाइटी	अवासीय स्कूल	हा.नं. 9-1, डा. बी.आर. अम्बेडकर नगर, चेरियल-506223, जिला वारंगल, आ.प्र.	964895	540990	1363878	540990
78.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	लोक सेवा केंद्रम	होस्टल	एम.आई.जी. मधुबन कलोनी, पो. कातेदन, जिला वारंगल, हैदराबाद-500077, आ.प्र.	0	1354995	1141650	458550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	स्नेहा	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	6-2-49, काकाजी कलोनी, हनमकोंडा, जिला वारंगल, आ.प्र.	-	86700	111679	56571
80.	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसाइटी	अवासीय स्कूल	सूर्यलयम स्ट्रीट तानुकू, वेस्ट गोदावरी जिला आ.प्र.-534211	955454	540109	1388520	964980
81.	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	सैंट मेरी रिहाबिलिटेशन सेंटर फोर ओरफेन्स एंड विडोस एंड लीपरस	होस्टल	पो.बा.नं. 21 बेथलामपेट (ए.ओ.) पर्लाकल, वेस्ट गोदावरी जिला आ.प्र.-534260	261855	465210	668565	261855
82.	असम	लखिमपुर	नेशनल यूथ वेलफेयर मिशन	गैर अवासीय और अवासीय स्कूल	"पायनियर" ग्रा. बोलामा, पो. सोनापुर जिला नार्थ लखीमपुर, असम	549090	1486845	1262430	1064790
83.	असम	डिबरूगढ़	इंटरनेशनल ब्रदरहुड मिशन	अवासीय स्कूल	महाबोधी विहार, ज्योति नगर, जिला डिबरूगढ़	-	1530270	-	-
84.	असम	गोलाघाट	आल इंडिया सेंटर फोर अरबन एंड रूरल डेवलपमेंट ऐसोसिएशन	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर, एंड टीवी रिपेयर्स सेंटर	जिला गोलाघाट, पो. बोकाघाट, असम	241200	479911	232923	-
85.	असम	गोवाहाटी	रिसर्च एंड इनवेस्टीगेशन सोसिओ एजुकेशनल सिस्टम	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	श्रीमंतापुर, रूपनगर, गुवाहाटी, असम	-	-	-	118080
86.	असम	कामरूप	डा. अम्बेदकर मिशन	गैर अवासीय स्कूल	ग्राम घोपातरी पो. चंगसारी जिला कामरूप, असम	721950	1027800	946618	639900
87.	असम	नागांव	ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर	गैर आवासीय स्कूल प्राइमरी स्कूल	रूपाही, भक्तगांव (नीयर कंदबेला प्राइमरी स्कूल) पो. रूपाही, जिला नागांव, असम-782125	-	-	88875	271350
88.	असम	नागांव	ग्लोबल हेल्थ इम्यूनिशेसन एंड पोपलेशन कंट्रोल ऑरग्नाइजेशन	गैर अवासीय स्कूल	ग्रा. रंगालू, पो. जुमारमूर जिला नागांव, असम-782427	-	160875	470700	271350
89.	असम	नागांव	ग्राम विकास परिषद	गैर अवासीय स्कूल	रंगालू, पो. जमारमूर जिला नागांव असम-782427	198000	459000	470700	271350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	असम	नागांव	नीलांचल उन्नयन संस्कृतिका परिषद	क्राफ्ट सेंटर	अम्लोकी (बाली बोस्टी) पो. अमोनी, जिला नागांव, असम-782138	-	75689	203997	-
91.	असम	नागांव	पीठारी भोकेशनल इंस्टीच्यूट	टीवी/वीसीआर/ आडियो ट्रेनिंग सेंटर	टाप फ्लौर बार लाइब्रेरी जिला एंडपो नागांव, असम	78450	97380	292140	97380
92.	असम	सिलचर	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम	मोबाइल डिस्पेंसरी	रामकृष्ण मिशन रोड, जिला सिलचर, असम 788004	575685	230130	115065	-
93.	बिहार	बक्सर	महालक्ष्मी सिलाई कटाई शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	गैर-अवासीय स्कूल	चित्रिबन, पो. बक्सर, जिला बक्सर, बिहार	-	137745	403740	305550
94.	बिहार	ईस्ट सिंहभूम	वूमेन इन सोशल एक्शन	आइटीआइ	इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, पो. बाहरागोरा	95490	-	-	-
95.	बिहार	गया	अवासीय बालिका विद्यालय	अवासीय स्कूल	गया	318627	-	-	-
96.	बिहार	कटिहार	महिला मुक्ति वाहिनी	आवासीय स्कूल, टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	ए-32, पुलिस कालोनी, अनीसाबाद पटना-800002, बिहार	-	1119399	1554074	620179
97	बिहार	मधुबनी	हरिजन सेवक संघ	गैर-आवासीय स्कूल	किंग्सवे कैंप, दिल्ली-110009	2033933	2522520	1992965	3181919
98	बिहार	मुजफ्फरपुर	तिरहुत विकास मंच	क्राफ्ट सेंटर	ग्रा.पो. बरद, वाया नरमा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	-	-	-	531180
99.	बिहार	मुजफ्फरपुर	नवीन भारतीय प्रतिष्ठान	आवासीय स्कूल	गांव बालूघाट, पो. मुजफ्फरपुर (जीपीओ), मुजफ्फरपुर, बिहार	-	-	-	627930
100.	बिहार	नालंदा	भारतीय जन कल्याण समिति	क्राफ्ट सेंटर	ग्रा.पो. कोनाड, जिला नालंदा	-	-	142686	285372
101	बिहार	नालंदा	शांतीदूत	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	उदंतपुरी बिहारशरीफ जिला नालंदा बिहार, 803101	-	-	64809	-
102.	बिहार	पलामू	बिनोबा अवासीय बालिका विद्यालय	आवासीय स्कूल	चिनाकी डाल्टेनगंज जिला पलामू बिहार (रणवे हरिजन सेवक संघ)	1614521	-	-	-
103.	बिहार	पूर्णिया	अशोक कुमार महतो महिला प्रशिक्षण केन्द्र	गैर-आवासीय स्कूल	ग्राम पो. सहरा, वाया पूर्णिया पोलीटेक्निक, जिला पूर्णिया बिहार	-	-	-	807750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.	बिहार	पूर्णिया	आदिवासी कल्याण सेवा सदन	आवासीय स्कूल	ब्रांच-हरिनकोल, ग्रा. एंड पो. धमदाहा, जिला पूर्णिया बिहार	-	-	3003012	637403
105.	बिहार	रोहतास	मुसहर कल्याण सेवा संघ	टाइपिंग एंड शोर्टहैंड सेंटर	मोहनिया कमौर (भभुआ, रोहतास)	61800	-	-	354600
106.	बिहार	सहरसा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण	आवासीय स्कूल	कनप सौर बजार, जिला सहरसा, बिहार	543147	888700	1388970	540990
107.	बिहार	सीतामढ़ी	तरियाणी सेवास्थान, सीतामढ़ी, बिहार	क्राफ्ट सेंटर	तारा नगर, चाटोनो, पो. तरियानी, सीतामढ़ी, जिला पटना, बिहार	-	-	348660	181080
108.	बिहार	सीतामढ़ी	राजेन्द्र इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर	रेसिडेन्शियल स्कूल	गांव-हलीमपुर, पो. दुमरी कल्याण, जिला सीतामढ़ी, बिहार	-	-	-	1456470
109.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	अनुज समाज सेवा	अनिवासीय स्कूल	बी.एम. 105, गोतम नगर, राजनंदगांव, पुरानी बस्ती, छत्तीसगढ़	-	-	141120	625500
110.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	एकता ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रसार समिति	होस्टल	एच-12, रेलवे स्टेशन रोड, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	-	-	191250	529200
111.	दिल्ली	दिल्ली	अभा शिक्षा समिति	क्राफ्ट सेंटर	जी-263-264, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083	53850	258629	279780	279779
112.	दिल्ली	दिल्ली	अखिल भारतीय ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	13/76, कल्याण पुरी, नई दिल्ली-110091	315900	227780	290835	143887
113.	दिल्ली	दिल्ली	भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर दलित एवं शिक्षा समिति	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	बी-153, राजवीर कालोनी एक्सटेंशन-96	-	-	-	302900
114.	दिल्ली	दिल्ली	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	सी-4/433, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली-110041	693765	569774	608458	621360
115.	दिल्ली	दिल्ली	आल इंडिया कोणार्क एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर	क्यू-21, मानसकुंज रोड, उत्तमनगर, दिल्ली-110059	852920	768251	692435	731790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	दिल्ली	दिल्ली	आल इंडिया वूमेनस कॉनफरेन्स	हेयर एंड स्कीप केयर ट्रेनिंग सेंटर	सरोजनी हाउस 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001	-	138525	111900	-
117.	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय कल्याण समिति	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	पी.2/197, सुल्तानपुरी, दिल्ली-41	-	-	88230	241871
118.	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय मानव शिक्षा समिति	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	जे-939, जहांगीरपुरी, दिल्ली-33	-	-	88230	242276
119.	दिल्ली	दिल्ली	ग्रामोउत्थान कल्याण परिषद	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर एंड केयर सेंटरस, टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	सी-1897, जहांगीरपुरी, दिल्ली	688860	579136	712920	870436
120.	दिल्ली	दिल्ली	ग्रास रूट्स	ट्रेनिंग मिल्स	आई-25, लाजपत नगर, दिल्ली	1341000	2655270	-	-
121.	दिल्ली	दिल्ली	आल इंडिया सेंटर फार अरबन एंड रूरल डेवलपमेंट	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर (बंद) टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	5, भाई वीर सिंह मार्ग गोल मार्किट, नई दिल्ली	1574415	1422848	-	-
122.	दिल्ली	दिल्ली	हरिजन सेवक संघ	होस्टल, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मेडिकल रिलीफ एंड अवासीय स्कूल	किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली-110009	4349595	4407174	4444803	2545964
123.	दिल्ली	दिल्ली	शिवास एजुकेशन सोसाइटी	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	हा.नं. 540, मेन रोड अली विहार, बदरपुर, नई दिल्ली-4	-	177673	-	-
124.	दिल्ली	दिल्ली	इंदूस एजुकेशनल वेलफेयर ऑरगनाइजेशन	कंप्यूटर सेंटर	एफ-45, करमपुरा, नई दिल्ली-110015	-	342900	222750	200520
125.	दिल्ली	दिल्ली	इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	अवासीय स्कूल टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर, कम्प्यूटर	82, सेवक पार्क नजफगढ़, नई दिल्ली	1195890	1368363	2527857	1070226
126.	दिल्ली	दिल्ली	आर.के. मिशन	मोबाइल डिस्पेंसरी	आर.के. आश्रम मार्ग, पहाड़गंज, नई दिल्ली	315090	555390	438390	526085
127.	दिल्ली	दिल्ली	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीच्यूट	अवासीय स्कूल	7इ स्वामी रामतीरथ झांसी रोड, नई दिल्ली	600480	0	-	447515
128.	दिल्ली	दिल्ली	महिला बाल उत्थान एवं कला मंच	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	इ-2/323, जे.जे. कलोनी मदनगीर, डा. अम्बेदकर नगर, नई दिल्ली-62	142965	258660	331583	129330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129.	दिल्ली	दिल्ली	महिला विकास एजुकेशन सोसाइटी	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	के-362, प्रेम नगर-2, 70 फीट रोड, किरारी, नागलोई, दिल्ली-110041	70335	171855	185458	93640
130.	दिल्ली	दिल्ली	मुक्ति संग्राम संघ	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	1/ए, गली नं. 1 शकरपुर (खास) दिल्ली-110092	190440	133297	343760	142768
131.	दिल्ली	दिल्ली	लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी ऑफ एजुकेशन	कम्प्यूटर सेंटर	गली नं. 2, बिहारी कलोनी शहादरा	268470	0	-	-
132.	दिल्ली	दिल्ली	नागरिक शिक्षा समिति	क्राफ्ट सेंटर	एन-1, शामनगर, ख्याला रोड, नई दिल्ली-110018	-	-	66240	266760
133.	दिल्ली	दिल्ली	नारी उत्थान समिति	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर क्राफ्ट सेंटर	185/31ए, मेन कृष्णा गली नं. 5, मौजपुर दिल्ली-110053	2551336	977298	966829	933498
134.	दिल्ली	दिल्ली	परचिता शिक्षा समिति	क्राफ्ट सेंटर	जे.जे. कालोनी, शकरपुर दिल्ली-110034	64724	341698	644741	647339
135.	दिल्ली	दिल्ली	प्रगति ग्रामोद्योग संस्थान	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	25, ताजपुर गांव, बदरपुर नई दिल्ली-110044	175050	259650	130500	-
136.	दिल्ली	दिल्ली	समाज सेवा संघ	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर एंड अनिवासीय स्कूल	नं.-69/10, गली नं. 16, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-110053	966375	1313329	1111207	1115280
137.	दिल्ली	दिल्ली	शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी	अनिवासीय स्कूल एंड लाइब्रेरी, क्राफ्ट सेंटर	330-बी, गली नं. 11, राज नगर-2, पालम कालोनी, नई दिल्ली-110045	710940	911578	963567	969930
138.	दिल्ली	दिल्ली	शोषण उन्मूलन परिषद	वोकेशनल ट्रेड सेंटर	नानक भवन चंद्रा लोक कलोनी, शाहदरा दिल्ली-110093	-	2911263	4020353	3006399
139.	दिल्ली	दिल्ली	श्री मुख्तियार सिंह स्मृति शिक्षा	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर, अनिवासीय स्कूल	38, पूथ कलान, दिल्ली-110041	1764000	1770726	173559	1588320
140.	दिल्ली	दिल्ली	श्री संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति	क्राफ्ट सेंटर	116, कोटला मयूर विहार, दिल्ली-100091	-	-	171016	339180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141.	दिल्ली	दिल्ली	श्री स्वतंत्र भारती शिक्षा समिति	क्राफ्ट सेंटर	ए-2-271, गली नं. 3, इस्ट ऑफ गोकलपुर, अमर कालोनी, दिल्ली	153180	381411	358371	183150
142.	दिल्ली	दिल्ली	द हेल्थ एंड केयर सोसाइटी	क्राफ्ट सेंटर	6/11, दूसरा फ्लोर, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली-17	-	-	80805	-
143.	दिल्ली	दिल्ली	अरबन एंड रूरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी	क्राफ्ट सेंटर	सुल्तानपुर रोड, पूथ खुर्द, दिल्ली-110039	-	553338	570360	285180
144.	दिल्ली	दिल्ली	विकास टेरीटेबल सोसाइटी	टाइप एंड शार्टहैंड सेंटर	के-24, गली नं. 11, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53	-	122249	176641	93690
145.	दिल्ली	दिल्ली	वीकर सेक्शन वेलफेयर फेडरेशन	क्राफ्ट सेंटर	डी-1/43, डा. अम्बेडकरनगर सेक्टर 4 (मदनगीर) न्यू दिल्ली-110062	664614	181242	686637	601421
146.	गुजरात	अहमदाबाद	श्री भवानी महिला सेवा संघ	क्राफ्ट सेंटर	11/125-शांति, अपार्टमेंट, अपो. प्रगतिनगर नरनापुरा, जिला अहमदाबाद-13, गुजरात	62340	302940	285570	144270
147.	गुजरात	अहमदाबाद	आदर्श सेवा ट्रस्ट	बलवादी सेंटर	डा. अम्बेदकर कलोनी, अपो. सी.एन. विद्यालय, अम्बावदी, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	34991	-
148.	गुजरात	अहमदाबाद	गांधी खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ	क्राफ्ट सेंटर	इ/351, पार्श्वनाथ टाउनशिप, न्यू नरौदा, कृष्णानगर, अहमदाबाद-382340, गुजरात	-	-	63405	249450
149.	गुजरात	अहमदाबाद	गुजरात महिला विकास परिषद	क्राफ्ट सेंटर	310/2 अशोक टेलर्स सरसपुर, अहमदाबाद-380018, गुजरात	-	-	65685	-
150.	गुजरात	अहमदाबाद	डीएन पेलेटेकनिक एजुकेशन ट्रस्ट	टीवी, वीसीआर सेंटर	मुरलीधर वहरो, नीयर रायपुर दरवाजा, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	66930	193860
151.	गुजरात	अहमदाबाद	इंदिरा गांधी ग्रामोद्योग संघ	क्राफ्ट सेंटर	15, सर्वोदय सोसाइटी, बतवा (इस्ट), अहमदाबाद-382440, गुजरात	-	-	67339	275460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152.	गुजरात	अहमदाबाद	महिला उत्कर्ष मंडल	क्राफ्ट सेंटर	ए/6, गुरुबार रतना अपार्टमेंट, अपो. रूरल अपार्टमेंट, मगनपुरा, राधास्वामी रोड, रानीप, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	68565	272220
153.	गुजरात	अहमदाबाद	श्री अक्षय एजुकेशन ट्रस्ट	लाइब्रेरी सेंटर	मेघा अपो. जारीवाला पार्क, नीयर इश्वर भुवन, कॉमर्स सिक्स रोडस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	78552	-
154.	गुजरात	अहमदाबाद	नवरचना महिला विकास मंडल	क्राफ्ट सेंटर	अम्बेदकरनगर-2, नीयर बस स्टेशन (घेलासा)-382450, गुजरात	-	-	91020	274650
155.	गुजरात	अहमदाबाद	आयूष फाउंडेशन	क्राफ्ट सेंटर	डी-4, पंचवटी अपार्टमेंट, क्रास चार रस्ता, इलिस ब्रिज अमरावादी, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	91470	-
156.	गुजरात	अहमदाबाद	मितेस महिला सेवा ट्रस्ट	क्राफ्ट सेंटर	8, जय भवानीनगर, नीयर अश्वमेघ हाई स्कूल भगवतीनगर रोड, हतकेश्वर, अमरावादी, अहमदाबाद 26, गुजरात	-	-	112890	275460
157.	गुजरात	अहमदाबाद	गिरिराज सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	क्राफ्ट सेंटर	नीयर रेलवे स्टेशन, नवीचाल, नारोदा, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	112920	137730
158.	गुजरात	अहमदाबाद	श्रम बिंदू चचरावडी वसना	क्राफ्ट सेंटर	ग्रा.पो. चचरावादी वसना, टीए. सनद, जिला अमरावादी, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	-	144405
159.	गुजरात	अहमदाबाद	श्री रविराज सेवा संघ	क्राफ्ट सेंटर	रोहितवास, पो. देतरोजता वीरामगम, जिला अमरावादी, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	-	147794
160.	गुजरात	अहमदाबाद	जनकल्याण सेवा संघ	क्राफ्ट सेंटर	76/1802, गुजरात हाउसिंग बोर्ड मेघानीनगर, असरवा, अमरावादी, अहमदाबाद, गुजरात-380016	-	-	124254	214410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161.	गुजरात	गांधीनगर	भारती कल्याणी मंडल	क्राफ्ट सेंटर	ब्लाक नं. 144/8 सीएचएच टाइप सेक्टर-23, गांधीनगर, गुजरात	-	-	137030	275460
162.	गुजरात	अहमदाबाद	हरिजन सेवक संघ	रेसिडेन्सियल स्कूल	किंग्सवे कैंप, दिल्ली-110009	924885	742773	146174	556001
163.	गुजरात	अहमदाबाद	सनातन एजुकेशनल ट्रस्ट	क्राफ्ट सेंटर	रामजीभाई नीचली, कशवनर वनकरवास, सबरमती, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	157810	269520
164.	गुजरात	अहमदाबाद	श्री नवचेतना कल्याणी मंडल	टाइपिंग, शार्टहैंड एंड बालवाडी सेंटर	14, नंद बंग्लोस, अपो. सिमाधर पार्क सोसाइटी, जनतानगर रोड, धातलोदिया, अहमदाबाद-380061, गुजरात	20025	173115	292668	286560
165.	गुजरात	अहमदाबाद	अश्विनी महिला सेवा संघ	क्राफ्ट सेंटर	सेलारानंद मंगल कॉम्प्लेक्स-3 नीयर परिमल क्रॉसिंग, अम्बावाइ, अहमदाबाद-7, गुजरात	-	120585	296460	93631
166.	गुजरात	अहमदाबाद	हीराल खादी ग्रामोद्योग संघ	क्राफ्ट सेंटर	ब्लॉक नं. 30, रूम न. 168, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, नालसरोवर रोड, करण नगर, ग्राम पो. सनद, तालुक सनद, जिला अहमदाबाद-382110, गुजरात	115515	387675	298944	275544
167.	गुजरात	अहमदाबाद	परिश्रम महिला सेवा संघ	क्राफ्ट सेंटर एंड बलवादी सेंटर	41/बी, हीरा मास्टर्स चाली, मोहनीनगर, अहमदाबाद-16, गुजरात	-	84209	342066	164430
168.	गुजरात	अहमदाबाद	देवादंदी	क्राफ्ट सेंटर	ग्राम पो. सोनाकुई, टी.ए. धोलका, जिला अहमदाबाद, गुजरात	-	-	-	148455
169.	गुजरात	अहमदाबाद	नवोदय युवक मंडल	क्राफ्ट सेंटर	13/149, न्यू करनावातिनागर, इतेस्वर, अमरावती, अहमदाबाद-380026, गुजरात	-	134910	364860	272760
170.	गुजरात	अहमदाबाद	श्री पत्नी सेरी सेवा संघ	बलवादी एंड क्राफ्ट सेंटर	प्रगति चौक एनआर गायकवाड हवेली पेखाद	-	96794	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171.	गुजरात	गांधीनगर	श्री सर्वोदय ट्रस्ट	लेदर एंड ट्रेनिंग सेंटर	कोरडा, श्रेरठा, कस्तूरीनगर, टीए एंड जिला गांधीनगर, गुजरात	-	-	89685	120960
172.	गुजरात	गांधीनगर	गायत्री सेवा संघ	लेदर एंड ट्रेनिंग सेंटर	38, मधुरैसनागर ओएनजीसी रोड, कालोल (इस्ट), जिला गांधीनगर, गुजरात	-	35955	108160	53730
173.	गुजरात	गांधीनगर	जिज्ञासा सेवा संघ	क्राफ्ट सेंटर	178/7, मंजूश्री मेल्स न्यू चॉल, नीयर पेट्रोल पंप, बालिया लिमाडी चार रस्ता, असरवा, अहमदाबाद-16, गुजरात	-	-	159760	133240
174.	गुजरात	गांधीनगर	श्री विवेकानंद ग्राम विकास प्रतिष्ठान ट्रस्ट	क्राफ्ट सेंटर	5, हिमांशु सोसाइटी, रनिप, अहमदाबाद-380005 गुजरात	-	91800	176220	105030
175.	गुजरात	गांधीनगर	श्री चुमंदाकरूपा खादी ग्रामोद्योग सेवा सदन ट्रस्ट	क्राफ्ट एंड बलवाड़ी सेंटर	158/2, सर्वागमनगर, नीयर धंजीवैस चावल, मेघनीनगर अंतिम बस पड़ाव, गुजरात	-	-	217050	310886
176.	गुजरात	गांधीनगर	पी.वी. एजुकेशन ट्रस्ट	गैर-आवासीय स्कूल	विद्या आश्रम, ब्लाक नं. 189/1, एल टाइप, बी/ही इंक्वारी ऑफिस, सेक्टर 3, गांधीनगर-382013, गुजरात	177476	313918	407028	487530
177.	गुजरात	गांधीनगर	मानव अधिकार संघ	मोबाइल डिस्पेंसरी एंड 10 बडेड हॉस्पीटल एंड क्राफ्ट सेंटर	1820, सुभाषनगर, आइ.ओ.सी. रोड, चंदखेड़ा, जिला गांधीनगर-382424 गुजरात	314956	880695	923509	1448552
178.	गुजरात	गांधीनगर	महात्मा गांधी ग्राम विकास ट्रस्ट	लेदर एंड आर्ट ट्रेनिंग सेंटर	सेक्टर 17, ब्लॉक 45/3, सीएचएच टाइप	45225	-	-	-
179.	गुजरात	गांधीनगर	एल.जी. महिला संघ	क्राफ्ट सेंटर	12, बनसारी अपार्टमेंट, मणिनगर सोसाइटी, चार रास्ता, मणिनगर अहमदाबाद-380008, गुजरात	-	-	125665	341075
180.	गुजरात	खेड़ा	मानीनगर बालकन तिवारी ट्रस्ट	कारपेन्ट्री ट्रेनिंग सेंटर	बी-3/केल्ल आनन्द मंगल काम्पलेक्स-3 परीमल क्रासिंग, राजनगर क्लब लेन, अहमदाबाद, गुजरात	-	-	137624	236686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181.	गुजरात	मेहसाना	अभीशेख शिक्षा ट्रस्ट	लेदर आर्ट ट्रेनिंग सेंटर	कोरदा ताल काडी, पोस्ट पांधुरपुर, जिला मेहसाना, गुजरात	-	80730	99900	67500
182.	गुजरात	साबरकांठा	श्री नवचेतन शिक्षा ट्रस्ट	क्राफ्ट केन्द्र	प्लाट नं. 773 पंचशील पार्क, समिति सेक्टर, गुजरात	-	-	68234	216184
183.	गुजरात	साबरकांठा	श्री सनतोक कुरूपा शिक्षा ट्रस्ट	कंप्यूटर केन्द्र	रेलवे स्टेशन रोड प्रानतीज, गुजरात	248910	173850	180060	80235
184.	गुजरात	साबरकांठा	श्री रनदीप ट्रस्ट	लेदर एंड आर्ट ट्रेनिंग केन्द्र	जिला साबारकांठा, गुजरात	-	-	26955	55080
185.	गुजरात	सुरेन्द्र नगर	श्री उनी ग्रामद्योग रचनात्मक समिति	क्राफ्ट केन्द्र	पोस्ट-गोदावरी जिला सुरेन्द्र नगर	-	271080	-	-
186	हरियाणा	रेवाड़ी	हरी सिंह शिक्षा संस्था	क्राफ्ट केन्द्र	कृष्णा हाउस रेवाड़ी	223169	264485	-	-
187.	हरियाणा	सोनीपत	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति	गैर-आवासीय स्कूल और कंप्यूटर	संत गरीब दास गली नं. 2, काकरोई रोड, सोनीपत	705690	83745	809550	695760
188.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	जन जागृति संस्थान	ब्यूटीशियन	326/13, अरबन स्टेट, कुरुक्षेत्र	-	77819	-	-
189	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	श्री प्रेम भिक्षुक संस्थान समिति	गैर-आवासीय विद्यालय एवं टाईप शार्टहैंड और क्राफ्ट सेंटर	पी बी नं. 16, ज्योति नगर, कुरुक्षेत्र	-	1001707	-	83995
190.	हरियाणा	जिन्द	अमर ज्योति फाउंडेशन	गैर आवासीय विद्यालय एवं टाईप शार्टहैंड और क्राफ्ट सेंटर	प्रथम तल, ट्रीसुरी कार्यालय, जुलाना, जिला जिंद, हरियाणा	133639	1508276	465501	960154
191	हरियाणा	झज्झर	भारतीय कल्याण समिति	क्राफ्ट केन्द्र	हा.नं. 5, वार्ड नं. 12, गांधी चौक ओल्ड सिविल हॉस्पिटल, जिला झज्झर, बहादुरगढ़, हरियाणा	525060	234180	262080	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192.	हरियाणा	जगाधरी	सामाजिक अवेरनेश फार हुमेनटरियन एक्शन इन रूरल एरिया	क्राफ्ट सेंटर	104 सहारा भवन, महाराजा अग्रसेन चौक, स्कूल छिपरा गार्डन यमुना नगर	-	162010	-	-
193.	हरियाणा	पानीपत	लोक कल्याण फाउंडेशन	टाइपिंग शार्टहैंड सेंटर	समालखा जिला पानीपत, हरियाणा	50220	224100	59940	-
194.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	हिमगिरी कल्याण आश्रम	क्राफ्ट सेंटर	गांव शिल्ली, जिला सोलन	-	56670	-	-
195.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	हि.प्र. अ.जा. एवं अ.ज.जा. विकास निगम	आठ क्राफ्ट सेंटर	जैन भवन, सोलन, हिमाचल प्रदेश	-	-	191798	78202
196.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	महिला विकास मंच	क्राफ्ट सेंटर	मोहल्ला खापुरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश	-	88639	219269	-
197.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	मानव कल्याण सेवा समिति	क्राफ्ट सेंटर	गांव काराई पोस्ट तहसील छोपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश	-	-	191798	78202
198.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	एस डी एजुकेशनल सोसाइटी	कंप्यूटर सेंटर	78/ए गोले पुल्लीतलब टिप्लू, जम्मू	-	270149	-	-
199.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	महिला विकास केन्द्र	क्राफ्ट सेंटर	एच.ओ. इपी-74 लखदता बाजार, जम्मू तवी	-	138830	-	-
200.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	कलमकारी सेंटर सोसाइटी	मोबाइल डिसपेंसरी	उपर पलोरा, पो.आ. पलोरा, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	-	349849	145184	-
201.	झारखंड	ईस्ट सिंहभूम	वोमैन इन सोसल एक्शन	वैल्डर एंड फिटर ट्रेनिंग सेंटर	रघुनाथपुर, मिदनापुर जिला	-	-	190980	-
202.	कर्नाटक	बेंगलोर	अध्याना विद्या ट्रस्ट	आवासीय स्कूल और टाइपिंग और शार्टहैंड औरकमपुट और गैर. आ. स्कूल	नं. 952, 42 क्रॉस, जेआरडी ब्लॉक, राजाजीनगर, बंगलौर, कर्नाटक	170752	789525	1400037	1201860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203.	कर्नाटक	बेंगलोर	अरूनधती एजूकेशन ट्रस्ट	आवासीय स्कूल	नं. 638, दूसरा ब्लॉक बसवेश्वरनगर, बंगलौर, कर्नाटक	803277	1367770	981180	970380
204.	कर्नाटक	बेंगलोर	बहुजन विकास केन्द्र	टाइपिंग शार्टहैंड केन्द्र	जयभीम नगर, बंगलौर, कर्नाटक	313645	111487	332566	111487
205.	कर्नाटक	बेंगलोर	बुद्धा एजुकेशन सोसायटी	आवासीय स्कूल	जयभीम नगर 27 मैन, बीटीएम फेर, बंगलौर, कर्नाटक	1351080	1551080	1551080	756340
206.	कर्नाटक	बेंगलोर	चेनाम्मा, चैरिटेबल ट्रस्ट	आवासीय स्कूल	5/5 अलाहल्ली अनजानपुर पोस्ट, बेंगलोर साउथ, बेंगलोर, कर्नाटक	1380174	1297035	970380	543690
207.	कर्नाटक	बेंगलोर	दक्षिण भारत दलित एजूकेशन सोसाइटी	आवासीय स्कूल	नं. 5 नीयर आदि कबीर आश्रम, बंगलौर, कर्नाटक	801855	942480	1241010	536490
208.	कर्नाटक	बंगलौर	डा. श्री जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ	आवासीय उच्च स्कूल	नं. 49, एच बी समाज रोड, बासावगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	1410885	1095300	617400	935847
209.	कर्नाटक	बंगलौर	गौथम एजूकेशन सोसाइटी	आवासीय स्कूल	नं. 1684 रेलवे पारलेई रोड, केंगेरी टाउन, बंगलौर, कर्नाटक	543690	1144515	1191681	964980
210.	कर्नाटक	बंगलौर	जन कल्याण ट्रस्ट	आवासीय स्कूल क्राफ्ट, टाइप एवं शार्ट हैंड	193-ए	1895603	1390352 .	1423973	1423432
211.	कर्नाटक	बंगलौर	पंचशीला वेलफेयर एसोसिएशन	आवासीय विद्यालय	73, बी.एस.के. तीसरा स्टेज, गीरि नगर, बंगलौर, कर्नाटक	977077	1139603	1556652	1124270
212.	कर्नाटक	बंगलौर	प्रियदर्शनी सेवा ट्रस्ट	आवासीय स्कूल	नं. 2048, ईस्ट इंड बी मेन रोड, जयानगर, बंगलौर, कर्नाटक	739590	1286100	933480	486969
213.	कर्नाटक	बंगलौर	श्री तुंगभद्रा विद्या समस्ते	आवासीय स्कूल	सं. 1059 प्रथम तल, मेन रोड, विजय नगर, बंगलौर, कर्नाटक	223890	574981	29540	180540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214.	कर्नाटक	बंगलौर	उदय विद्या केन्द्र	आवासीय स्कूल एवं कंप्यूटर केन्द्र	मन्नारायनपल्या सुल्तान पलया मेन रोड, आर टी नगर, बंगलौर, कर्नाटक	1147410	1067625	1267149	1003896
215.	कर्नाटक	बंगलौर	दिव्य ज्योति विद्या केन्द्र	शिल्प केन्द्रस	विश्व बिल्डिंग, चिकनालेआउट, सोंडेकोप्पा सर्किल नील मंगला, बंगलौर ग्रामीण	-	158430	364184	247860
216.	कर्नाटक	बंगलौर	ज्ञान ज्योति जयभीम एजूकेशन सोसायटी	टंकण एवं आशु लेखन प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासीय स्कूल	सं. 13/12 चिकाबुगोडी न्यू एक्सटेंशन, थावरकेरे पोस्ट बंगलौर	805365	1348701	1331166	-
217.	कर्नाटक	बंगलौर	श्री वाश्वेश्वर रूरल एजूकेशन सोसाइटी	गैर-आवासीय स्कूल	येलेथोडाडल्ली, चेन्नापटना तालुक बंगलौर ग्रामीण कर्नाटक	182580	428843	456081	457992
218.	कर्नाटक	बेलगांव	नालन्दा कल्चरल एजूकेशनल रिसर्च सोसाइटी	गैर-आवासीय स्कूल	हनुमान नगर, 11वीं स्टेज, जिला बेलगांव कर्नाटक	312390	417600	472500	316350
219.	कर्नाटक	बीदर	महात्मा फुले एजूकेशनल सोसाइटी	गैर-आवासीय स्कूल	कमलानगर तालुक बीदर	273832	-	-	892109
220.	कर्नाटक	बीदर	बलवन्त राव वराले एजूकेशन सोसाइटी	आवासीय स्कूल	हुमनाबाद जिला बिदर, कर्नाटक	743623	950712	1227468	233090
221.	कर्नाटक	बीदर	बीदर इंटिग्रेटिड रूरल विकास ट्रस्ट	सचल औषधालय	मकान नं. 8-9-107/8, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, बीदर	-	-	367425	315090
222.	कर्नाटक	बीदर	सरस्वती महिला मंडल	शिल्प केन्द्री	मंतेश्वर नगर अमर थियेटर के नजदीक भाल्की, बीदर	-	78629	313200	163080
223.	कर्नाटक	बीजापुर	कीतूर रानी चन्नमा युवती मंडल	गैर-आवासीय स्कूल	मुद्दीबिहार जिला बीजापुर, कर्नाटक	201900	214186	380250	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224.	कर्नाटक	बीजापुर	श्री दुर्गादेवी बंजारा सेवा संघ	गैर-आवासीय स्कूल	सोम देवर हट्टी टंडा नं. 1 टीकियू, जिला बीजापुर	295500	592432	515700	515700
225.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	श्री रामकृष्णा एजूकेशन सोसायटी	आवासीय उच्च और प्राथमिक विद्यालय	वेदवार्थिंगारा, के एच बी कालोनी, हिरीयूर, जिला चित्रदुर्ग	-	-	500166	1683854
226.	कर्नाटक	दामनगेरे	श्री होयशाला विद्या समस्ते	आवासीय स्कूल	निर्लीज पोस्ट देवनगिरी टिक्यू, देवनगिरी जिला	970380	517590	964915	960480
227.	कर्नाटक	गडग	श्री महाराणा प्रताप सिंह एजूकेशन सोसाइटी	आवासीय स्कूल	हुईगल रोड, बेटागिरी गडक कर्नाटक	937980	527490	1280970	527490
228.	कर्नाटक	गुलबर्गा	भाग्योदय विद्या वर्धक संघ	आवासीय स्कूल	चन्दापुर चिंचोली जिला गुलबर्गा	576060	1284950	964980	523665
229.	कर्नाटक	गुलबर्गा	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर विद्या वर्धक संघ	आवासीय स्कूल	सोरापुर जिला गुलबर्गा, कर्नाटक	903294	964980	964980	964980
230.	कर्नाटक	कोलार	श्री अम्बिका एजूकेशन ट्रस्ट	आवासीय स्कूल	रामपुरा, हुलीबेले पोस्ट बांगरपेट जिला कोलार	962730	964980	964980	527490
231.	कर्नाटक	कोलार	कावेरी रूरल एम सी/एस टी डवलपमेंट सोसाइटी	आवासीय स्कूल	बंगपल्ली टाउन जिला कोलार कर्नाटक	981180	942508	958707	934110
232.	कर्नाटक	कोलार	कोलार एजुकेशन सोसाइटी	आवासीय विद्यालय	जयनगर 5वां क्रास कोलार	821475	1323737	492962	1315466
233.	कर्नाटक	कोलार	श्री सारदधम्बा एजुकेशन सोसाइटी	आवासीय विद्यालय	कूम्बबाडली मेलूर पोस्ट जिला कोलार कर्नाटक	135405	459000	33300	-
234.	कर्नाटक	कोलार	चिकबल्लारपुर रूरल एजुकेशन विद्यालय	गैर-आवासीय तालुक	चिकबल्लारपुर	-	278677	-	-
235.	कर्नाटक	कोलार	श्री वेंकटेश्वरा विध्या समस्ते	गैर-आवासीय विद्यालय	तेकाल रेलवे स्टेशन जिला कोलार कर्नाटक	137880	-	458613	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236.	कर्नाटक	कोलार	श्री विद्यानिकेतन एजुकेशन सोसाइटी	आवासीय स्कूल	डोडामालडोडी विलेज चीमंदरा पोस्ट सश्रीनिवासपुर तालुक	1138860	-	-	-
237.	कर्नाटक	कोलार	श्री विवेक एजुकेशन सोसाइटी	आवासीय स्कूल	चोक्काहाल्ली क्रास नयानहल्ली कोलार, आंध्र प्रदेश	805074	964980	940068	423990
238.	कर्नाटक	माण्डया	जनूश एजुकेशन सोसाइटी	इलेक्ट्रिशयन ट्रेनिंग	-	38520	-	192420	142920
239.	कर्नाटक	माण्डया	कर्नाटक दलित प्रोग्रेसिव सैंटर	आवासीय स्कूल	नं. 42 इन्द्रा महल 5 मैन गांधीनगर	2460375	1929960	-	770220
240.	कर्नाटक	मैसूर	श्रीमती रमाबाई अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी	आवासीय स्कूल	1064, पहली क्रास रोड, कुक्मपवूनगर कर्नाटक	964980	540990	964980	918000
241.	कर्नाटक	रायचूर	सुपरणा वोमेन वेलफेयर एसोसिएशन	आवासीय स्कूल	आर आर कालोनी आशापुर रोड, जिला रायचूर कर्नाटक	964980	-	540990	-
242.	कर्नाटक	शिमोगा	श्री सेवालाल विद्या समस्ते	आवासीय स्कूल	रविन्द्र नगर सिमोगा सिटी	518850	-	-	-
243.	केरल	इरनाकुलम	श्री रामाकृष्णा अवदिता आश्रम	टाइपिंग व शार्टहैंड एवं पुस्तकालय केन्द्र	पो. कलाडी जिला इरनाकुलम केरल	246285	311310	263718	115638
244.	केरल	कोल्लम	माता अमृतानन्दमयी मठ	होस्टल	अमृतापुरी पो. कोल्लम केरल	-	1391689	725050	-
245.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	अवंति शिक्षा समिति	क्राफ्ट सेंटर	न्यू राम नगर अधरताल जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	495770	335160	362061	181080
246.	मध्य प्रदेश	भिंड	आदर्श शिवम सामाजिक विकास	मोटर वाइंडिंग फिटिंग सेंटर	एस सी तिवारी भारोली रोड, मध्य प्रदेश	-	-	95234	-
247.	मध्य प्रदेश	भिंड	अंतो बाई शिक्षा प्रसार समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	पुरानी बस्ती जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	-	-	161280	316350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
248.	मध्य प्रदेश	भिंड	अशोक महिला मंडल	टाइपिंग और अवासीय विद्यालय	लाहर जिला भिण्ड मध्य प्रदेश	554760	112050	485392	112050
249.	मध्य प्रदेश	भिंड	डा. भीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्रसार एवं समाज सेवा समिति	गैर-आवासीय सैकेण्डरी स्कूल	जनकपुर तहसील लहर वार्ड नं. 10 जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	-	81450	320085	-
250.	मध्य प्रदेश	भिंड	ग्रामीण विकास महिला मंडल	शिल्प केन्द्र	वीरेन्द्र वाटिका लहर रोड, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	-	-	142635	279779
251.	मध्य प्रदेश	भिंड	झलकारी बाई महिला एवं बाल कल्याण शिक्षा प्रसार समिति	गैर-आवासीय सैकेण्डरी स्कूल	कबीर कालोनी गोहदा जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	-	-	97020	-
252.	मध्य प्रदेश	भिंड	रवि जैन सेवा समाज समिति	टीवी/वीसीआर/रेडियो केन्द्र	अरूण दीक्षित का घर हाउसिंग बोर्ड कालोनी भिण्ड, मध्य प्रदेश	-	-	78642	194760
253.	मध्य प्रदेश	भिंड	शारदा महिला मंडल	टाइपिंग सेंटर 10, वीडड अस्पताल, गैर आवासी स्कूल	लहर, जिला भिण्ड मध्य प्रदेश	292950	112050	700023	112050
254.	मध्य प्रदेश	भिंड	विवेकानंद समाज कल्याण संस्थान	टाइप एवं शार्ट हैंड प्रशिक्षण केन्द्र	हाउसिंग बोर्ड कालोनी वीरेड भवन, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	-	-	81113	174420
255.	मध्य प्रदेश	भोपाल	संत सेवा समिति	शिल्प केन्द्र	वैशाली काम्प्लैक्स एम पी नगर जोन-2 भोपाल, मध्य प्रदेश	-	-	69240	-
256.	मध्य प्रदेश	भोपाल	विकास समाज सेवा संस्थान	टाइप एवं शार्ट हैंड केन्द्र	संजय काम्प्लैक्स हर्षवर्धन नगर, भोपाल मध्य प्रदेश	-	-	91012	-
257	मध्य प्रदेश	भोपाल	श्री श्री मां आनन्द मई उपवन शिक्षा समिति	गैर-आवासीय विद्यालय	श्री श्री मां आनन्दमई आश्रम, बहराइच, भोपाल, मध्य प्रदेश	-	367499	379198	216646
258.	मध्य प्रदेश	छतर पुर	रामरतन शिक्षा प्रसार एवं समाज सेवा समिति	गैर-आवासीय सैकेण्डरी स्कूल	बीरपुरा रोड नागांव छतर पुर, मध्य प्रदेश	-	-	117540	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259.	मध्य प्रदेश	दमोह	आदर्श शिक्षा समिति	शिल्प केन्द्र	ग्राम हिन्दोरिया जिला, दमोह, मध्य प्रदेश	68632	-	556195	121890
260.	मध्य प्रदेश	दतिया	जगत शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा	शिल्प केन्द्र	1, सदर बाजार, दतिया, मध्य प्रदेश	-	-	182490	276539
261.	मध्य प्रदेश	दतिया	जन शांतिसमाज कल्याण सेवा समिति	टाइप शार्टहैंड और शिल्प केन्द्र	बी रोड, जिला दतिया, मध्य प्रदेश	-	-	231074	-
262.	मध्य प्रदेश	दतिया	रीना समाज सेवा समसिति	गैर-आवासीय विद्यालय	दतिया, झांसी रोड, दतिया।	-	174870	661330	1604790
263.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग्राम चेतना समिति	टाइपिंग शार्टहैंड गैर आवासीय विद्यालय	हाऊस आफ श्री के सी शर्मा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	-	71474	574590	596610
264.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय समिति	सचल औषधालय	तानसैन रोड, जिला, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	-	487665	294745	147195
265.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	शक्ति स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति	शिल्प केन्द्र	बी-868, आनन्द नगर, राहोदपुर, मध्य प्रदेश	-	-	184742	278160
266.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सोसाइटी फार सोशल रूरल डेवलपमेंट	शिल्प केन्द्र	आनन्द नगर ए बी रोड, मोरेना, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश	-	-	69240	272759
267.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	युवा जागृति शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान	गैर-आवासीय स्कूल	किला गेट, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश	-	-	115459	695867
268.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	एतिहासिक महिला शिक्षा समिति	शिल्प केन्द्र एवं अनावसीय विद्यालय	ग्राम मेधी उदना, पाटन जिला जबलपुर मध्य प्रदेश	1072881	818100	877860	497430
269.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	भारती महिला शिक्षा समिति	टाइप शार्ट हैंड केन्द्र	1567/1-ए, उदय नगर, जबलपुर	99630	-	-	379890
270.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति	टाइपिंग शार्टहैंड व ऑटो ड्राइविंग	1314, मिश्रा मार्किट रांझी बस्ती जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	431250	507000	647910	220830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	नवचेतना शिक्षा समिति	शिल्प केन्द्र	275 ललित नगर, गुपेश्वर, जबलपुर, मध्य प्रदेश	455985	726039	901206	306090
272.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	न्यू विकास शिक्षा समिति	शिल्प केन्द्र	102, रांझी बाजार वहिकल तिराहा, जबलपुर, मध्य प्रदेश	458555	335160	361260	181080
273.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	रंक उन्मूलन संस्था	शिल्प एवं कंप्यूटर केन्द्र	ग्राम पंचायत मानगांव चंपायरन जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	674988	512727	542700	260550
274.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सैद्धांतिक शिक्षा समिति	टाइपिंग एवं शार्टहैंड और कंप्यूटर केन्द्र	एच नं. 111, मानगांव चंपानगर पोस्ट वेस्टलैंड जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	452751	216655	632543	208555
275.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	शशि महिला जागृति समिति	क्राफ्ट टाइप व शार्टहैंड एवं कंप्यूटर केन्द्र	बी-1 नवनीत एन्कलेव, रंधी बाजार, जिला जबलपुर, म.प्र.	558272	590580	607768	304470
276.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	शिवशक्ति महिला आदिमजन जाति कल्याण समिति	क्राफ्ट टाइप व शार्ट हैंड केन्द्र	हा.नं. 1440 पोस्ट शंकरशाह नगर रामपुर छपर, जिला जबलपुर, म.प्र.	640080	607860	607860	303930
277.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	वेद महिला मंडल	टाइप व शार्ट हैण्ड एवं कम्प्यूटर केन्द्र	हा. नं. 920, गुरुद्वारा मैदान रांझी बाजार	452760	193975	585038	197764
278.	मध्य प्रदेश	मंडला	अंकुर संस्थान एवं शिक्षा समिति	टाइपिंग एवं शार्टहैण्ड प्रशिक्षण केन्द्र	शाहपुरा निवास रोड, जिला मंडला, मध्य प्रदेश	371700	229500	256500	126900
279.	मध्य प्रदेश	मुरैना	जन सेवा समाज समिति	शिल्प केन्द्र	कल्लू की चक्की गणेशपुर, जिला मुरैना	-	-	159136	279779
280.	मध्य प्रदेश	मुरैना	कमला स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रसार समिति	टाइपिंग शार्टहैंड केन्द्र	हाउस बोर्ड कालोनी जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	-	-	108000	187380
281.	मध्य प्रदेश	मुरैना	श्री शांति निकेतन प्रसार सिमति	आवासीय और गैर-आवासीय जूनियर हाई स्कूल और होस्टल	एच आई जी 904, हाऊसिंग बोर्ड, कालोनी मुरैना, मध्य प्रदेश	264100	-	1376560	1802250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	ज्ञानवर्धन एवं समाज उत्थान शिक्षा समिति	शिल्प केन्द्र	वर्णी कालोनी, 11 तहसील, गोटे गांव मध्य प्रदेश	312557	518940	443160	181080
283.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	मोहिनी महिला शिक्षा समिति	क्राफ्ट सेंटर	विजय नगर छप्पर, शंकरशाह	84232	0	562795	128190
284.	मध्य प्रदेश	सतना	आल इंडिया सेंटर फार अरबन एवं रूरल डवलपमेंट सोसाइटी	टाइप एंड शार्टहैंड केन्द्र	16, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट नई दिल्ली	209790	-	-	-
285.	मध्य प्रदेश	शाहडोल	महाकोशल महिला शिक्षा समिति	क्राफ्ट केन्द्र	तुलसीनाथ जबलपुर	87584	0	568198	142590
286.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी	वाटिका समाज सेवा समिति	टाइप एवं शार्टहैंड	शिवपुरी, मध्य प्रदेश	-	-	87728	-
287.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	गीता ग्रामीण समाज सेवा समिति	क्राफ्ट व आवासीय विद्यालय	भवन मोहल्ला निवाडी जिला, मध्य प्रदेश	-	-	293061	761879
288.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	आरधना ग्रामीण सेवा समिति	होस्टल	सागर रोड, टीकमगढ़	-	-	186210	923400
289.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	साधना ग्रामीण सेवा समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	तिगरिया रोड, निवारी रोड, टीकमगढ़	-	-	152550	515700
290.	मध्य प्रदेश	सिहोर	ग्रामीण विकास सेवा समिति	छात्रावास	सब्जी मंडी सिहोर, मध्य प्रदेश	-	-	-	603135
291.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	शिव समाज कल्याण समिति	टाइपिंग एवं शार्टहैंड केन्द्र	आरेछा रोड, जिला टीकमगढ़, म.प्र.	-	-	102131	151944
292.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	श्री बल्लभ शिक्षा प्रसार समिति	गैर-आवासीय सैकेण्डरी स्कूल	20 सिविल लाईन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	-	-	158220	625500
293.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	भवानी समाज संस्कार समिति	गैर-आवासीय स्कूल	5/1 एकपत उज्जैन, तह. जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश	-	-	-	152640
294.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ	गैर-आवासीय स्कूल	166(ई) मुनी नगर उज्जैन, मध्य प्रदेश	292507	-	765137	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295.	महाराष्ट्र	अकोला	स्व. तेहलाराम खुराना प्रतिष्ठान	छात्रावास (सैकेण्डरी)	स्टेट बैंक कालोनी, एच नं. 13, दौरा नगर हिंगोली, महाराष्ट्र	-	-	198360	-
296.	महाराष्ट्र	अमरावती	विद्यार्थी विकास शिक्षण संस्थान	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	अदगांव तह. होर्शी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	-	-	89370	-
297.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	चेतना शिक्षा संस्थान	गैर-आवासीय स्कूल	एन 9/एम 277/3, न्यू औरंगाबाद	285494	-	-	-
298.	महाराष्ट्र	लातूर	बाला शिक्षा संस्थान	छात्रावास	नालगीर तह. जिला लातूर, महाराष्ट्र	839070	959400	912150	126000
299.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	जै विश्वकर्मा सर्वोदय संस्थान	शिल्प केन्द्र	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	-	-	138675	-
300.	महाराष्ट्र	वासिम	महिला उत्कर्ष मंडल	आवासीय सैकेंडरी स्कूल	सिविल लाइन रिसूद जिला, वासिम महाराष्ट्र	-	-	-	464000
301.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	भारतीय ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान	क्रिच सेंटर	पोस्ट पारदी तहसील नागभीर जिला चन्द्रपुर	-	12305	-	-
302.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	सांक्रित्यायन शिक्षण प्रसारक मंडल	शिल्प केन्द्र	वार्ड नं. 12, रेस्ट हाउस रोड, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	-	-	68835	-
303.	महाराष्ट्र	धुले	महात्मा फूले युवक विकास मंडल	होस्टल	चौग्रन पोस्ट सिंडखेडा जिला धुले, महाराष्ट्र	184080	0	1048185	887850
304	महाराष्ट्र	धुले	सरस्वती महिला सेवाभावी संस्था	होस्टल	दयोपुर, विष्णुनगर, धुले, महाराष्ट्र	-	-	698850	529200
305	महाराष्ट्र	धुले	उज्जवल रूरल विकास सोसाइटी	होस्टल	स्वामी समरथ कालोनी, वारूल रोड, सिंडखेड़ा जिला, महाराष्ट्र	-	-	190305	910350
306.	महाराष्ट्र	गडचिरौली	भाग्यशाली बहुउद्देश्यीय कं. संस्था	गैर-आवासीय स्कूल	बोरी, तह. अहेरी जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र	82440	464994	302670	494010
307.	महाराष्ट्र	अकोला	सूर मंदिर आर्ट इंस्टीट्यूट	प्रिंटिंग, कंपोजिंग एवं बुक बाइंडिंग सेंटर	मार्फत स्वामी विवेकानन्द शिक्षण प्रसारक मंडल हिंगोली जिला	-	107504	-	323190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
308.	महाराष्ट्र	हिंगोली	प्रेरणा जन सेवा संस्था	टाइपिंग एवं शार्टहैंड केन्द्र	अन्नापूर्णा प्रथम तल, रेलवे स्टेशन रोड जिला परभनी	-	110025	-	292545
309.	महाराष्ट्र	हिंगोली	श्री स्वामी विवेकानन्द शिक्षण प्रसारक मंडल	होस्टल	अन्नापूर्णा प्रथम तल रेलवे स्टेशन रोड, हिंगोली महाराष्ट्र	-	-	174870	-
310.	महाराष्ट्र	जालना	काशीविश्वेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल	गैर-आवासीय स्कूल	पोस्ट सुरनगली जिला जालना	261120	-	-	-
311.	महाराष्ट्र	जालना	महाराष्ट्र सैनिक शिक्षण प्रसारक मंडल	गैर-आवासीय स्कूल	जिला जालना महाराष्ट्र	163350	194109	241520	472500
312.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	श्री स्वामी समरथ शिक्षण संस्थान	गैर-आवासीय स्कूल	पीठ वेदगन तहसील हात्कनंगले जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	-	-	86670	515700
313.	महाराष्ट्र	लातूर	भारत मल्टीपरपज शिक्षा सोसायटी	आवासीय स्कूल	बालगीर तालुक उदगर, लातूर, महाराष्ट्र	1245465	963587	964530	964980
314.	महाराष्ट्र	लातूर	महिला बहुउद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मंडल	होस्टल	नालगरी जिला लातूर, महाराष्ट्र	1121720	925650	898650	912600
315.	महाराष्ट्र	लातूर	रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक मंडल	गैर-आवासीय स्कूल	जिला लातूर, महाराष्ट्र	-	-	133245	-
316.	महाराष्ट्र	लातूर	विमुक्त भटक्या जाति सेवा समिति	आवासीय स्कूल	धोनोवाडी (गोनसी) लातुर, महाराष्ट्र	1263915	948780	937980	527490
317.	महाराष्ट्र	लातूर	बालाजी युवक मंडल	आवासीय स्कूल	तालुक उदगीर	781020	-	-	-
318.	महाराष्ट्र	नागपुर	भारतीय आदिजाति सेवक संघ	शिल्प केन्द्र	मालवीय नगर, खामला जिला नागपुर, महाराष्ट्र	117895	0	338112	-
319.	महाराष्ट्र	नागपुर	एकता बहुद्देश्यीय शिक्षा सोसाइटी	शिल्प केन्द्र	59 मयूर नगर ढप्पलवाडी नारी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	-		159759	253541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
320.	महाराष्ट्र	नागपुर	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोमेन चाइल्ड एंड यूथ डवलपमेंट	फाइव क्रेच सेंटर	ओल्ड पोस्ट आफिस, बिल्डिंग मैन रोड, खामला नागपुर, महाराष्ट्र	334170	157248	606285	176715
321.	महाराष्ट्र	नानदेड	ज्योति फूले सेवा ट्रस्ट	अस्पताल (सेकेण्डरी)	7 लक्ष्मी नारायन अपार्टमेंट, शिवाजी नगर, जिला नानदेड, महाराष्ट्र	-	-	190170	523800
322.	महाराष्ट्र	नानदेड	मतोसी प्रतिष्ठान	गैर-आवासीय विद्यालय	श्रीनाथ नगर जिला नानदेड, महाराष्ट्र	-	-	171810	625500
323.	महाराष्ट्र	नानदेड	संत गौरा कुम्भार शिक्षा संस्थान	होस्टल	श्रीनाथ नगर तारोड (बीके) जिला नानदेड, महाराष्ट्र	-	-	624780	923402
324.	महाराष्ट्र	नानदेड	संत रविदास समाज सेवा मंडल	गैर-आवासीय स्कूल	किवाला पोस्ट लोहा, नानदेड	334200	-	-	-
325.	महाराष्ट्र	नानदेड	श्री राम शिक्षा प्रसारक मंडल	आवासीय स्कूल	नावंडी तालुक, उदगीर	1065933	-	-	-
326.	महाराष्ट्र	नानदेड	श्रीसंत शिरोमणि मनमथ स्वामी शिक्षण प्रसारक मंडल	आवासीय प्राइमरी स्कूल	श्वेता (बी) लोहा नानदेड, महाराष्ट्र	-	-	163170	764980
327.	महाराष्ट्र	नानदेड	विश्वकर्मा प्रतिष्ठान	सेकेण्डरी होस्टल	ज्योति डाइमंड सराफा बाजार, नानदेड, महाराष्ट्र	-	-	317970	923402
328.	महाराष्ट्र	लातूर	अहिल्या देवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल	होस्टल	उदगीर लातूर जिला, महाराष्ट्र	-	-	118170	804600
329.	महाराष्ट्र	ओसमाबाद	हरिसुंदर महिला बहुउद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मंडल	होस्टल (सै.) व गैर आवासीय स्कूल	रिक्कासे निवास नई आबादी जिला लातूर, महाराष्ट्र	273825	495000	708030	1896480
330.	महाराष्ट्र	ओसमाबाद	जीजा माता शिक्षण प्रसारक मंडल	गैर-आवासीय सैकेण्डरी स्कूल	सालगरा ओसमाबाद महाराष्ट्र	-	-	235620	-
331.	महाराष्ट्र	परभनी	अन्नपूर्णा शिक्षण संस्थान	शिल्प केन्द्र	रेलवे स्टेशन रोड हिंगोली, जिला परभनी, महाराष्ट्र	-	-	259005	139079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332.	महाराष्ट्र	परभनी	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक मंडल	होस्टल	अम्बेडकर नगर गंगाखेड परभनी महाराष्ट्र	-	-	183150	-
333.	महाराष्ट्र	परभनी	सरस्वती ध्यान प्रसारक संस्थान	होस्टल (सैकेंडरी)	पूरना, जिला परभनी, महाराष्ट्र	-	-	176130	-
334.	महाराष्ट्र	परभनी	श्री जगदम्बे विध्या प्रसारक संस्था	आवासीय स्कूल	आनन्द नगर जिला परभनी, महाराष्ट्र	-	1021907	1373220	-
335.	महाराष्ट्र	परभनी	कामेल एजुकेशन सोसाइटी	गैर-आवासीय स्कूल	बागी रोड, परभनी जिला	97351	-	-	-
336.	महाराष्ट्र	परभनी	श्री राजे शंभाजी महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल	गैर-आवासीय स्कूल	तदुनवाडी, तालुक पालम जिला, परभनी महाराष्ट्र	97351	0	302250	757998
337.	महाराष्ट्र	पुणे	सावित्री फूले मगसरगिया शिक्षण संस्था	गैर-आवासीय स्कूल	मार्फत पी एस घोडेश्वर, वर्धा जिला	0	251370	-	-
338.	महाराष्ट्र	पुणे	सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटी	छात्रावास एवं टाइप और शार्टहैंड	846, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र	5888010	2041651	695064	-
339.	महाराष्ट्र	सतारा	श्री संत गाडगे महाराज मिशन	गैर-आवासीय स्कूल	6 विद्यार्थी भुवन त्रिभुवनरोड, जिला सतारा, मुम्बई, महाराष्ट्र	103725	0	618381	475730
340.	महाराष्ट्र	थाणे	अखिल भारतीय मगस वर्गीस समाज प्रबंधन संस्थान	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	16 प्रकाश अपार्टमेंट, काटमनीवली, जिला थाने, महाराष्ट्र	-	210735	189105	59430
341.	मणिपुर	इम्फाल	रूरल सोशल एवं एजुकेशन डेवलपमेंट एसो.	टाइप एवं शार्टहैंड केन्द्र	मयंग, चंदेल इम्फाल	132390	219915	220725	110362
342.	मणिपुर	इम्फाल	दि मणिपुर अनुसूचित जाति वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	कंप्यूटर एवं शिल्प केन्द्र	पावना, बाजार, इम्फाल	226065	899145	339990	319680
343.	मणिपुर	ईस्ट इम्फाल	कीरो वोमेन वेलफेयर एसोसिएशन	आवासीय स्कूल	कीरो मणिपुर जिला इम्फाल ईस्ट	717825	-	-	879941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344.	मणिपुर	ईस्ट इम्फाल	बाशिखोंग चनुरा सिनलोन लुप	शिल्प केन्द्र	बाशिखोंग किटनपयुग, ईम्फाल	55859	-	491490	129060
345.	मणिपुर	ईस्ट इम्फाल	क्यामगेई खोईरीम लीकई वोमेन वेलफेयर एसो.	टाइप एवं शार्टहैंड	क्यामगेई मलय लीकइ इम्फाल	82976	271058	-	-
346.	मणिपुर	ईस्ट इम्फाल	दि इम्फाल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी	आवासीय स्कूल	पोस्ट रिंगैलांग	799785	-	-	-
347.	मणिपुर	ईस्ट इम्फाल	वेस्टर्न रूरल सोसियो-इकोनोमिक डेवलपमेंट आर्गे.	गैर-आवासीय स्कूल	हिनोखोषबी, कोंजेंग लीकाई, मणिपुर	137460	453960	424350	316350
348.	मणिपुर	ईस्ट इम्फाल	एवांग सीकमई खूमन वोमेन सोसाइटी	टाइपिंग व शार्टहैंड	पोस्ट सिकमी		130635	-	-
349.	मणिपुर	ईस्ट इम्फाल	खुलखुल माका आइडल वोमेन सोसाइटी	शिल्प केन्द्र	इम्फाल वैस्ट जिला मणिपुर	-	176745	248460	124230
350	मणिपुर	तमीमगलोंइंग	रूरल डाउन ट्रोडन पीपल अपलिफ्टमैंट	शिल्प केन्द्र	मोइरानगखोम काबुल खुल इम्फाल	124245	227385	-	105984
351.	मणिपुर	थोबल	जाधिया शिक्षा समिति	प्रिंटिंग एंड बुकिंग बाइंडिंग सेन्टर	संगईयुमफाम वागबिंग, मणिपुर	-	-	-	152053
352.	मणिपुर	थोबल	सेंटर फॉर रूरल डवलपमेंट	अगरबत्ती रोलिंग ट्रेनिंग सेंटर	चीरापुर मयई थोबल मणिपुर	-	-	-	167895
353	मणिपुर	थोबल	इंटेग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन	टाइप एवं शार्टहैंड और शिल्प केन्द्र	वारंगल थोबल मणिपुर	257321	343087	435325	136474
354.	मणिपुर	थोबल	दि ईस्टर्न यसेयन वेलफेयर एसोसिएशन	गैर-आवासीय स्कूल	वांगजिंग जिला, थोबल, मणिपुर	433238	798637	618300	355050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
355.	मणिपुर	थोबल	दि एजूकेशनल अनएम्पलाइड यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन	टाइपिंग एंड शिल्प केन्द्र	खोंग जैन टेकचाम पोस्ट वांगजिंग	255746	-	-	-
356.	मणिपुर	थोवल	टाइप इंस्टीच्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस	टाइपिंग एंड शार्टहैंड और शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	थोबाल, मणिपुर	110464	460992	259808	136384
357.	उड़ीसा	बालासोर	अम्बेडकर कल्याण समिति	लड़कियों के लिए आवासीय उच्च स्कूल	बालासोर, उड़ीसा	-	-	317340	-
358.	उड़ीसा	बालासोर	हरिजन सुर्ख कमेटी	आवासीय स्कूल	बालासोर, उड़ीसा	200000	-	-	-
359.	उड़ीसा	बैरागढ़	मून लाईट क्लब	टीवी/वीसीआर एंड रेडियो रिपेयर, आवासीय स्कूल केन्द्र	धेनकल, उड़ीसा	973980	1061424	1175940	1175940
360.	उड़ीसा	बरीपाड़ा	भारतीय जन कल्याण केन्द्र	कम्प्यूटर केन्द्र	जामुनदीपुर बरीपाडा	-	319006	-	-
361.	उड़ीसा	भद्रक	जंगली उन्यान परिषद	गैर-आवासीय स्कूल	चारमपा जिला, भद्रक, उड़ीसा	197940	453598	515340	316269
362	उड़ीसा	भद्रक	निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी संघ	सीय स्कूल	एस/2-138 निलदरी विहार, भुवनेश्वर	981180	981180	981180	981045
363.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	अम्बेडकर एजुकेशनल काम्पलेक्स	गैर-आवासीय स्कूल	एस-1, 148 एम आइ जी निलादिविहार, चन्द्रशेखपुर, उड़ीसा	555389	1180980	1848780	1038240
364.	उड़ीसा	भुवेश्वर	काउंसिल	टीवी/वीसीआर/ रेडियो कम्प्यूटर क्रेच	प्लाट नं. 420, शाहिद नगर, भुवनेश्वर	479450	744280	968575	404599
365.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	आर्गेनाइजेशन फार सोशल डेवलपमेंट	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	ए/85, शहीद ननगर, भुवनेश्वर	173730	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
366.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	जन कल्याण समिति	होस्टल क्राफ्ट, टाइप एवं शार्टहैंड	प्लाट नं. 1550 भीमतांगी	852975	1006200	-	-
367.	उड़ीसा	भुवेश्वर	कलिंगा सेंटर	टाइप एवं शार्टहैंड	बी/22 एससीआर इन्द्राधानु मार्किट काम्पलेक्स नयापल्ली, उड़ीसा	218836	101317	303953	101317
368.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	उड़ीसा मल्टीपरपस डेवलपमेंट सेंटर	कोकोनट कायर सेंटर	4-14/एम आई जी वी डी एकालोनी चन्द्रशेखपुर, भुवनेश्वर	-	-	91710	-
369.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	राज्य अक्षम संघ	आवासीय स्कूल और क्रेच सेंटर	नं. 6 म्यूनिसिपल ब्लाक यूनिट-4, मार्किट, भुवनेश्वर	2120580	2120580	2120580	168849
370.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	वोलेन्ट्री इंस्टीट्यूट फार सोशल वेलफेयर एक्टीविटिस	पांच क्रेच सेंटर एंड आवासीय स्कूल	एससीआर 90, खारवेलनगर, भुवनेश्वर उड़ीसा	2092970	2498310	2498310	1974960
371.	उड़ीसा	बौध	यूथ जस्टिस एंड नेशनल एक्शन	मोबाईल डिस्पेंसरी आवासीय स्कूल	41, एकसरा विला जयदेव विहार बीबीएसआर-15, जिला बौंध, उड़ीसा	-	-	664065	-
372.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	गुरुदत्ता ग्रामोद्योग	गैर आवासीय स्कूल	प्लाट सं. 11, स्टेशन इस्क्वायर भुवनेश्वर, उड़ीसा	107671	515700	515700	316350
373	उड़ीसा	कटक	बंकी अंचालिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद	5 क्रेच एंड टाइपिंग एंड शार्टहैंड और आर्ट सेंटर एवं आ. स्कूल	बंकी जिला कटक उड़ीसा	1792710	1783410	1793910	916425
374.	उड़ीसा	कटक	बासुदेव पाथागर	गैर-आवासीय स्कूल	न्यूगांव पोस्ट, निवाली, कटक	-	-	124920	-
375.	उड़ीसा	कटक	कटक जिला हरिजन आदिवासी संस्काल योजना	आवासीय स्कूल	छाता (हाफोमेलाक) फकीराबाद वाया थाकुरपतना, जिला कटक	964980	964980	964980	540990
376.	उड़ीसा	कटक	उड़ीसा खादी	टाइप एवं शार्टहैंड एम.टी. वी/वी सी आर/रेडियो कम्प्यूटर केन्द्र	प्लाट नं. 805 और 823 आर आर एल भुवनेश्वर	610526	269483	134741	134742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377.	उड़ीसा	कटक	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट	आवासीय स्कूल एंड छात्रावास	गरजनगा, कटक	886680	981180	1710180	1892880
378.	उड़ीसा	धेनकनल	आदर्श सेवा संगठन	प्रिंटिंग कम्पोजिंग बा इंडिंग ट्रेनिंग सेंटर आवासीय स्कूल	अनन्तपुर वाया भुवनेश्वर जिला धेनकनल	1565105	1112848	1192050	1199340
379.	उड़ीसा	धेनकनल	अरूण इंस्टीट्यूट रूरल अफेयर्स	गैर-आवासीय स्कूल	कायमुल वाया महीमांगदी जिला धेनकनल	276300	625050	625500	1261980
380.	उड़ीसा	धेनकनल	नेशनी यूथ सर्विस एक्शन एवं सोशल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट	क्रेच (5)	पो. संथापुर	-	608439	-	-
381.	उड़ीसा	धेनकनल	जीवन ज्योति क्लब फार सोशल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट	होस्टल (सैकेण्डरी)	महादिया पो. बेलपाडा, वाया गडसिला जिला धेनकनल, उड़ीसा	-	-	191070	912600
382.	उड़ीसा	धेनकनल	महालक्ष्मी महिला समिति	शिल्प केन्द्र	केन्द्रपाडा पी.ओ. केन्डापत वाया जिला भुवनेश्वर, उड़ीसा	-	143100	170129	-
383.	उड़ीसा	धेनकनल	महिला उन्नयन	होस्टल (सैकेण्डरी)	अम्बापाडा पोस्टआ करमुल, वाया गदासिला, जिला धेनकनल, उड़ीसा	-	-	191070	923400
384.	उड़ीसा	धेनकनल	भगवती युवक संघ	बालवाडी	पाकेकडुंगा, वाया बंटाला	278820	104760	-	-
385.	उड़ीसा	धेनकनल	सोसायटी फार रूरल एडवांसमेंट एंड डेमोक्रेटीक ह्यूमैनटीरियेन एक्शन	5 बालवाडी, क्राफ्ट एवं आवासीय स्कूल	पतुसाहु कातेनी पी.ओ. कुलारिया वाया महीमगाडट, जिला धेनकनल, उड़ीसा	1111790	1635838	1797075	1283040
386.	उड़ीसा	गंजाम	हिन्दी शिक्षा निकेतन	आवासीय विद्यालय टाइप शार्टहैंड व 5 बालवाडी	मानिक नगर-2 लेन पीओ हींजीलीकाट जिला गंजम, उड़ीसा	1106799	1641022	1726830	1422945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
387.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर पुर	कटक जिला अंबेडकर मैमोरियल आर्गेनाइजेशन	टाइप सेंटर	कुजंग, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	-	-	641250	128250
388.	उड़ीसा	जगतसिंह पुर	उड़ीसा वोलेन्टरी आर्गेनाइजेशन फार रूरल सोसियो डेवलपमेंट	आवासीय स्कूल	गोपालकुड (कलीयापत) जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	1191197	1239930	549090	-
389.	उड़ीसा	जाजपुर	हरिजन सेवक संघ	आवासीय स्कूल	जाजपुर	2079810	2082312	-	-
390.	उड़ीसा	कालाहांडी	श्री आर.के. आश्रम	मोबाईल डिस्पेंसरी	विवेकानन्दा जटिया रामपुर, कालाहांडी	289980	243180	121590	-
391.	उड़ीसा	केन्द्रपाड़ा	गांधीयन इंस्टीट्यूट टेक्नीकल एडवांसमेंट	टीवी/वीसीआर एवं रेडियो ट्रेनिंग सेंटर	जगन्नाथपुर, नैइदीपुर जिला केन्द्रपाडा, उड़ीसा	-	-	125582	159753
392.	उड़ीसा	केन्झोर	पीपल्स आर्गेनाइजेशन आफ ओरिंटेशन एंड रिनोवेशन	शिल्प केन्द्र	पोस्ट न्यूगन वाया श्रीगिदा, उड़ीसा	-	119023	281529	343260
393.	उड़ीसा	खेलकनाल	श्री श्री सिंध्या पटरानी युवक संघ	शिल्प केन्द्र	पो. सनतापुर वाया गोन्डीया जिला उड़ीसा	149398	75033	225099	75033
394.	उड़ीसा	खुर्द	गोपानघु पधागार	टाइप और शार्टहैंड ट्रेनिंग केन्द्र और आ. स्कूल	पो. राजरंतपुत जिला नयागढ़, उड़ीसा	1239892	1087830	1317330	663840
395.	उड़ीसा	खुर्द	गुरू महिमा युवक संघ	शिल्प केन्द्र	पो. अभयमुखी, जिला खुर्द, उड़ीसा	182430	60876	182628	-
396.	उड़ीसा	खुर्द	जुगा ज्योति महिला समिति	5 क्रेच सेंटर	दुर्गाप्रसाद पो. रामचंडी जिला खुर्द, उड़ीसा	130610	535950-	535950	223695
397.	उड़ीसा	खुर्द	पीपल्स आर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर इम्पलॉयमेंट रूरल डेवलपमेंट	10 क्रेच एवं आवासीय स्कूल	इन्द्रधानु मार्किट काम्पलैक्स, नयापल्ली	282375	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
398.	उड़ीसा	खुर्द	नेहरू सेवा संघ	आवासीय स्कूल	पी ओ बानपुर जिला खुर्द, उड़ीसा	1155600	636300	1060290	-
399.	उड़ीसा	खुर्द	विश्व जीवन सेवा संघ	आ. स्कूल शिल्प और दो क्रेच केन्द्र	पो. सारधपुर, गायसांपुत, जिला खुर्द, उड़ीसा	2473824	2349408	3572010	1572825
400.	उड़ीसा	कुरूमपदा	बैराबी क्लब	आवासीय स्कूल	कुसमपाड़ा, हैदरपाड़ा	981180	979020	-	1520270
401.	उड़ीसा	मयूरभंज	पल्ली विकास	टाइप एवं शार्टहैंड	पो.ओ. अनला	-	204188	-	-
402.	उड़ीसा	फुलबनी	सुभद्रा मेहताब सेवा सदन	क्राफ्ट ब्रेच एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर	पोओ उदयगीर, जिला फुलबनी, उड़ीसा	824229	839730	839731	390705
403.	उड़ीसा	पुरी	डा. अम्बेडकर युवा हरिजन युवा परिषद	आवासीय स्कूल	-	-	-	159840	-
404.	उड़ीसा	पुरी	गोपाबन्धु कलाश्री क्लब	पांच क्रैच केन्द्र	पो. दन्दामुकुन्दपुर	526230	26115	526230	-
405.	उड़ीसा	पुरी	नील कंठेश्वर	कंप्यूटर केन्द्र	टिगिरिया जोरकार	257760	88470	-	-
406.	उड़ीसा	पुरी	होली होम	गैर-आवासीय सैकेण्डरी स्कूल	डी/एलए-2, वीसएस नगर जिला पुरी, भुवनेश्वर	-	-	142020	625500
407.	उड़ीसा	पुरी	विद्युत क्लब	आवासीय स्कूल (2)	पी.ओ. हाल्दीपारा बाजपुर	1946160	1962360	-	-
408.	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	तालगारडा हरिजन साही महिला समिति	स्टील फर्नीचर मेकिंग केन्द्र	गाइकानपाली टापारिया गोपाल जिला सुन्दरगढ़	-	70425	143100	143100
409.	पंजाब	जालन्धर	महिला मंडल	शिल्प व कंप्यूटर केन्द्र	बुल्डाण्णा तहसील फिलापुर जिला जालन्धर, पंजाब	-	671148	185017	-
410.	पंजाब	मुक्तसर	वोमेन इंस्टीट्यूट फार सेल्फ इम्पलायमैंट	सिविंग और वीविंग सेंटर	मार्फत उपायुक्तरेड क्रास भवन, मुक्तसर	833990	0	0	-
411.	राजस्थान	अलवर	आदर्श विद्या निकेतन संस्थान	गैर-आवासीय स्कूल	कुड रोड, जिला अलवर, राजस्थान	-	-	122580	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412.	राजस्थान	बारा	हैल्पिंग हैंडस सोसाइटी	शिल्प केन्द्र	7 सी/31 महावीर नगर, कोटा, राजस्थान	-	-	88230	-
413.	राजस्थान	भरतपुर	निराश्रित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग	शिल्प केन्द्र	पाई बाग, जिला भरतपुर, राजस्थान	-	176860	344579	344578
414.	राजस्थान	भरतपुर	ग्रामीण विकास संस्थान	टाइपिंग केन्द्र	बी-33 रणजीत नगर भरतपुर	54637	0	0	0
415.	राजस्थान	बीकानेर	बाल बोध विद्या पीठ संस्था	गैर-आवासीय स्कूल	महाजन तहसील, बीकानेर, राजस्थान	1253025	1639980	1459080	1459080
416.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	रानी लक्ष्मी शिक्षा संस्थान	शिल्प केन्द्र	आदर्श नगर पैट्रोल पंप रावत भाटा चित्तौड़गढ़, राजस्थान	-	-	88230	166079
417.	राजस्थान	दौसा	प्रसस्वी संस्थान	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	गीता भवन विवेकानन्द कालोनी, दौसा, राजस्थान	-	-	88920	-
418.	राजस्थान	दौसा	महावीर बाल शिक्षा एवं विकास समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	सैनी आदर्श विद्या मंदिर के पास होडाली भवन, बीकानेर	-	-	93640	-
419.	राजस्थान	धौलपुर	गोपाल शिक्षा एवं सेवा समिति	शिल्प केन्द्र	2/84 हाउसिंग बोर्ड कालोनी धौलपुर	-	-	83730	152580
420.	राजस्थान	धौलपुर	चम्बल विकास संस्था	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	24 धुलैट रोड, धौलपुर	-	-	87300	314100
421.	राजस्थान	हनुमानगढ़	महिला कल्याण समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	गांधी कालोनी पीलीबंगा, हनुमानगढ़ राजस्थान	-	-	80370	169710
422.	राजस्थान	हनुमानगढ़	ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	वार्ड 13 पीलीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान	-	-	87480	-
423.	राजस्थान	हनुमानगढ़	विकास माडल स्कूल प्रबंध समिति	शिल्प केन्द्र	पीलीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान	-	-	88230	-
424.	राजस्थान	हनुमानगढ़	आदर्श बाल वाटिका विद्यालय समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	वार्ड नं. 5 रावतसर हुमानगढ़, राजस्थान	-	-	88245	-
425.	राजस्थान	हनुमानगढ़	दयानन्द पब्लिक स्कूल समिति	डेरी मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर	गांधी कालोनी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान	209398	123899	384300	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
426.	राजस्थान	हनुमानगढ़	तैगोर बाल भवन शिक्षा समिति	गैर-आवासीय स्कूल	इंदिरा कालोनी गली नं. 4 वार्ड 24 हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान	295500	602358	515097	316350
427.	राजस्थान	जयपुर	जैक/जिला सोसाइटी	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	एच नं. 5/276 एसएफएस अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर, राजस्थान	-	-	85590	-
428.	राजस्थान	जोधपुर	सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट	टाइपिंग केन्द्र	638ए बरकत नगर टाउन टौंग फाटक, जयपुर	-	114422	-	-
429.	राजस्थान	जोधपुर	ग्रामीण बाल विकास संस्थान	गैर-आवासीय स्कूल	पीपर सिटी जोधपुर राजस्थान	344880	664920	292050	-
430.	राजस्थान	जोधपुर	राधा बाल विद्या मंदिर अकादमी	गैर-आवासीय स्कूल	बस स्टैंड पीपर सिटी जोधपुर, राजस्थान	490140	693180	316350	-
431.	राजस्थान	कोटा	मधु स्मृति एवं बाल कल्याण उत्थान संस्था	गैर-आवासीय स्कूल	बीओ रंगादी कोटा राजस्थान	124020	0	0	-
432.	राजस्थान	कोटा	अंकित बाल विद्या मंदिर शिक्षण समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	श्री बी.सी. जैन का मकान हनुमान मंदिर के पीछे बजरंगदल नील रोड, कोटा राजस्थान	-	-	85140	310950
433.	राजस्थान	कोटा	नवोदय बाल विद्यालय समिति	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	महावीर नगर विजिटर योजना कोटा, राजस्थान	-	-	85140	308700
434.	राजस्थान	कोटा	आशापला शिक्षा समिति	शिल्प केन्द्र	बड़ौदा हाउस सुरजपोल कोटा	-	-	88230	169589
435.	राजस्थान	कोटा	एक्सीलैंट चिल्ड्रन पब्लिक सोसाइटी	शिल्प केन्द्र	4 एस 17 दादावरी एक्सटेंशन उरिया बस्ती, छौहारा, कोटा	-		88230	148889
436.	राजस्थान	कोटा	इंदिरा गांधी स्व रोजगार प्रशिक्षण समिति	शिल्प केन्द्र	प्रेम नगर, कोटा राजस्थान	-	-	88230	169589
437.	राजस्थान	कोटा	मंजीन विकास एवं प्रशिक्षण समिति	शिल्प केन्द्र	गुरुद्वारा भीम गंजामंडी के नजदीक, कोटा जंक्शन, राजस्थान	-	-	88230	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438.	राजस्थान	कोटा	न्यू वीर सावरकर विद्यालय समिति	शिल्प केन्द्र	चन्द्र भवन, गुमानपुर, कोटा राजस्थान	-	-	88230	-
439.	राजस्थान	कोटा	श्रद्धालय आश्रम	गैर-आवासीय स्कूल	सुरजापले जिला कोटा, राजस्थान	-	-	105840	310950
440.	राजस्थान	कोटा	टैगोर ग्रामीण उत्थान समिति	क्राफ्ट सेन्टर	विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान	-	-	115410	168712
441.	राजस्थान	कोटा	सुमित बाल विद्यालय शिक्षा विकास समिति	अनावासीय विद्यालय	11/बी/3 महावीर नगर, कोटा, राजस्थान	-	-	177570	5112200
442.	राजस्थान	कोटा	सुहित जन कल्याण समिति	क्राफ्ट सेन्टर व अनावासय विद्यालय	सूरजपोल कोटा, राजस्थान	-	-	220665	456239
443.	राजस्थान	नागौर	ग्रीनवैल चिल्ड्रन सोसायटी	अनावासीय विद्यालय, टाइप, शोर्टहैंड	राठौरी कुआं, नागौर, राजस्थान	152280	152280	152280	76140
444.	राजस्थान	नागौर	एमडी, पब्लिक स्कूल समिति	अनावासीय विद्यालय	राठौरी कुआं, नागौर, राजस्थान	1121160	264980	901800	5409090
445.	राजस्थान	हनुमानगढ़	श्री रविन्द्रनाथ टैगोर विद्यालय समिति	क्राफ्ट	वार्ड सं. 10 रावतसर	140490	495270	0	285180
446.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास समिति	टाइप, शोर्टहैंड	मियांवाली, श्रीगंगानगर, राजस्थान	-	-	74984	194400
447.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	श्री कृष्ण विद्यालय प्रबंध समिति	अनावासीय विद्यालय	पदमपुर, श्रीगंगानगर, राजस्थान	-	-	84420	504900
448.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	सीमावर्ती महिला कल्याण सोसाइटी	अनावासीय विद्यालय	वार्ड सं. 8, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान	-	-	84870	515430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
449.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	विद्यामंदिर शिक्षा समिति	क्राफ्ट सेन्टर	3 जी-20, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान	-	-	88230	339179
450.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	यौवन संस्थान	क्राफ्ट सेन्टर	3/25, हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर, राजस्थान	-	-	88230	336299
451.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	शिशु निकेतन प्राथमिक पाठशाला समिति	अनावासय विद्यालय	सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, राजस्थान	-	-	88920	472500
452.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	शान्ति पब्लिक स्कूल समिति	अनावासय विद्यालय	प्रेम नगर कालोनी, श्रीगंगानगर, राजस्थान	-	-	89190	515700
453.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	जय भवानी पब्लिक स्कूल समिति	अनावासय विद्यालय	वार्ड नं. 7 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर	-	-	89312	515700
454.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	बीएस पब्लिक स्कूल समिति	अनावासय विद्यालय	ग्रा.पो. महियांवाली, श्री गंगानगर	-	-	89370	515700
455.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट संस्था	अनावासय विद्यालय	वार्ड नं. 2 पदमपुर-335041 श्रीगंगानगर	-	-	89370	515700
456.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	आदर्श शिक्षा समिति	आवासीय विद्यालय	117/एच ब्लाक, श्रीगंगानगर	-	-	133335	549090
457	राजस्थान	श्रीगंगानगर	मनोहर बाल मंदिर समिति	क्राफ्ट एवं अनावासीय विद्यालय	5-डी-ब्लाक श्रीगंगानगर 335001	-	-	189030	826980
458.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	4 एलएल, पब्लिक स्कूल समिति	आवासीय विद्यालय	चांदनी चौक, पुरानी आबादी, श्रीगगानगर	-	-	191520	549090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
459.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	बलराम आदर्श विद्यालय समिति	अनावासीय विद्यालय/ क्राफ्ट सेन्टर	मीरा चौक श्रीगंगानगर	-	-	198210	844079
460.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	नेहरू मॉडल स्कूल समिति	क्राफ्ट एवं अनावासीय विद्यालय	108-109, सीता कालोनी, श्रीगंगानगर	-	-	271880	826980
461.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	नेशनल पब्लिक स्कूल समिति	टाईप एवं शार्टहैंड केन्द्र	पुरानी आबादी, चांदनी चौक, श्रीगंगानगर	299548	0	362055	205740
462.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	आदर्श शिक्षा समिति	आवासीय अनावासीय विद्यालय	प्रेमनगर कालोनी पायल टॉकीज के पीछे, श्रीगंगानगर	504900	504900	504900	936920
463.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	पब्लिक सेवा सोसा	आवासीय अनावासीय विद्यालय	1-ए, छोटी बलवंत सिंह की ढांणी, श्रीगंगानगर	504900	504900	663570	1486080
464.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	जन कल्याण शिक्षा समिति	आवासीय अनावासीय विद्यालय	528, मेन रोड, अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर	-	967860	675180	1486080
465.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	समरहिल विद्यालय समिति	आवासीय विद्यालय	केशरी सिंह पुर, श्रीगंगानगर	549090	1413270	981180	967680
466.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	एस लाला आरआरएम वेलफेयर स.	अनावासीय प्राथमिक विद्यालय	180, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर	-	-	84690	504900
467.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	जैक एवं जिला प्रबंध समिति	आवासीय विद्यालय	7ई, छोटी श्रीगंगानगर	-	:	173475	981180
468.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	एस.के. पब्लिक स्कूल समिति	अनावासीय/ आवासीय विद्यालय	चांदनी चौक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर	561017	499427	634176	1495080
469.	सिक्किम	नामची	अनुसूचित जाति कल्याण संघ	फोटोग्राफी	नामची, साउथ सिक्किम	-	-	186486	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470.	तमिलनाडु	चेन्नई	रूरल एजुकेशन एवं इकानामिक डेवेलपमेंट एसोसिएशन	कम्प्यूटर	3, पीटर्स रोड, दूसरा तल, रयापेट	420605	454716	-	607095
471.	तमिलनाडु	चेन्नई	इनमास काउंसेलिंग टेक्निकल सेंटर	लिफ्ट टेक्नालॉज, ट्रेनिंग सेंटर	157, अलवरपेट स्ट्रीट, चेन्नई	-	912750	-	-
472.	तमिलनाडु	दिल्ली	हरिजन सेवक संघ	आवासीय विद्यालय (2)	1. एनएमआर, सुब्रामन मेमारियल, 2. 106, नॉर्थ स्ट्रीट, थिरूकोविल	4024620	1126643	2877183	-
473.	तमिलनाडु	डिंडी गुलान्ना	सो. फार पीपुल्स एक्शन फार चेंज एंड एजुकेशन	कंप्यूटर	कोडाईकनाल 624101, डिंडीगुलान्न	235768	145890	316920	-
474.	तमिलनाडु	ईरोड	भगवथी वेलफेयर ट्रस्ट	मोटर वाइडिंग व फिटिंग	कट्टूपलायम, मेट्टूर, पो. मोदाकुरिची तालुक ईरोड-63824	-	-	93435	-
475.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	महात्मा गांधी सोशल सर्विस एवं एजूकेशन सं.	क्राफ्ट	उथीरामेरूर रोड, करूनाकली 603303 मदुरांताकम	228645	179686	90090	179820
476.	तमिलनाडु	मदुरई	सेंटर फार डेव. कम्यूनिकेशन ट्रस्ट	आवासीय विद्यालय	1/167, वेस्ट स्ट्रीट कमाधीपुरम थेनी जिला	1247715	540990	927765	-
477.	तमिलनाडु	शिवगंगइ	रूरल एजुकेशन एवं डेव. स.	कम्प्यूटर सैंटर व आवासीय विद्यालय	थांडी रोड कलयारकोविल 630551, शिवगंगइ	1280235	1019535	1653480	616860
478.	तमिलनाडु	थिरूवलूर	अन्नाई इंदिरा रूरल डेव. चेरिटेबल इंस्ट.	क्राफ्ट	84, नगरी रोड, पाल्लीपेट 631207 थिरूवालूर	-	-	68234	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
479.	तमिलनाडु	थिरूवालूर	सेंटर फार रूरल इक्नामिक डे.रा. इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग	क्राफ्ट सेंटर	24, गुड्डापकम गांव पुदुचाथिरम थिरूमझिस 19 वाया थिरूवालूर	394560	172980	354060	362160
480.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली	महालक्ष्मी रवि टेलरिंग वूमैंस सोसायटी	क्राफ्ट सेंटर	नं. 57, जोथीसामी स्ट्रीट, तिरूतानी, थिरूवालूर	-	-	148395	-
481.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली	सो. फार कम्यूनिटी ओर. एंड पीपुल्स एजुकेशन	कम्प्यूटर ट्रेनिंग	पी/17, 6 क्रास रोड, अहमद कालोनी, रामालिंगानगर थिरूवालूर	-	247860	163440	-
482.	तमिलनाडु	तिरूवन्नमलाई	नेशनल इकानामिक एवं एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी	कम्प्यूटर ट्रेनिंग	करूनगीलकपम, कालवसल, पोलुर तिरूवन्नमलाई	269460	-	269460	-
483.	त्रिपुरा	अगरतला	अबर्लाम	क्राफ्ट ट्रेनिंग	अबर्लाम, अपना घर, एयरपोर्ट रोड, टीआरटीसी के पास बरजाला, अगरतला	-	723517	339270	171360
484.	त्रिपुरा	अगरतला	एसोसिएशन फोर सोशल हेल्थ इन इंडिया	क्रैच	त्रिपुरा ब्रांच नं. 3, 2 लेन जय नगर, अगरतला	-	23833	5404	-
485.	त्रिपुरा	अगरतला	गांधी सड़क ग्राम सेवा केन्द्र	आवासीय स्कूल	90ए/1बी सुरेन सरकार रोड, कलकत्ता	-	-	-	964980
486.	त्रिपुरा	अगरतला	वेस्ट बंगाल एससी/एसटी एंड माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएशन	कम्प्यूटर व आईटीआई	90ए/1बी सुरेन सरकार रोड, कलकत्ता	277780	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
487.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	आदर्श कल्याण सेवा समिति	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	54/2 जोशीपुरा बहराइच	858825	937980	432090	1530270
488.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	आदर्श सांस्कृतिक सतसंग कला केन्द्र	आवासीय विद्यालय	गांव एवं पोस्ट औरस, उन्न	964980	540990	1388970	540990
489.	उत्तर प्रदेश	बरेली	शीलग्राम विकास संस्थान	कम्प्यूटर सेंटर	हरूंगला, बीसलपुर	94575	585042	0	-
490.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	श्री बंसराज सिंह चौहान पूर्व माध्यमिक विद्यालय	आवासीय विद्यालय	हर्वानानक	1593450	821025	0	945810
491.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सोशल व इकानामिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन	टाइप व शॉर्टहैंड टीवी/वीसीआर/ रेडियो रिपेयर	गौरव सी-2116 इंदिरानगर	-	136575	0	-
492.	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	श्री सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति	आवासीय विद्यालय	सैननगर पो. झांस	1247715	540990	0	-
493.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्राम विकास समिति	टाइपिंग	ग्राम व पोस्ट पटवई	297101	293613	151886	78300
494.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	अवध ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	क्राफ्ट	ई-3225, राजाजीपुरम लखनऊ	433680	-	207060	-
495.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	शक्ति साधना संस्थान	कम्प्यूटर	मौहल्ला तारिनपुर, इदगाह के पास, सीतापुर	146310	73155	219465	-
496.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान	टाइप व शॉर्टहैंड	ग्राम आजाद, गोकर णनाथा चौराहा, डालीगंज	103950	261900	261900	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
497.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	समाज सेवा संस्थान	छात्रावास	डा. बी.आर. अम्बेडकर सिद्धार्थनगर फैजाबाद रोड बाराबंकी	-	-	-	310000
498.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	ग्रामीण महिला एवं बाल कल्याण समिति	टाइप व शॉर्टहैंड	एल-163-164 आवास विकास कालोनी बाराबंकी	-	-	265028	-
499.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	महिला कल्याण समिति	कम्प्यूटर	73 शेर मोहम्मद पीलीभीत	-	299017	265935	169710
500.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सार्वजनिक शिक्षा समिति	स्टील फर्नीचर व स्प्रे पेंटिंग	565/180 पूरन नगर आलमबाग	248400	108000	291600	-
501.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	प्रगतिशील उद्योग समिति	टीवी/रेडियो/ वीसीआर	तारा का पुरवा गांव जुग्गौ	304110	.13580	303660	113580
502.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	त्रिमूर्ति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण समिति	क्राफ्ट सेंटर	962, शिवविहार सिविल लाइंस, डिस्ट्रिक्ट आपूर्ति के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के निवास के सामने, उन्नाव	-	157534	306081	136380
503.	उत्तर प्रदेश	झांसी	डा. एस. राधा कृष्णन पब्लिक महिला प्रशिक्षण केन्द्र	क्राफ्ट सेंटर	ए-3 दीनदयाल नगर सिपरी बाजार, झांसी	358920	171360	342720	-
504.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	अटल ग्रामोद्योग सेवा समिति	अनावासीय विद्यालय	शिवकांती सदन मोहल्ला चाणक्यपुरी अमेठी सुल्तानपुर	204225	569176	504900	310950
505.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	सर्वजन कल्याण समिति	टाईप व शॉर्टहैंड	भार्गव नगर 2 डीएम रोड बुलंदशहर	144450	-	511200	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	किसानसेवा समिति	क्राफ्ट, आईटी आई, टीवी, वीसीआर, डीजल पंपसेट रिपेयर सेंटर	गांव व पोस्ट मूरी, बांकापुर तहसील,	457268	-	520020	996030
507.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	उप्र अनुसूचित विमुक्त एवं जनजाति सेवक संघ	आवासीय विद्यालय	97/बी, दारूल शफा	813395	964980	833112	963730
508.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	एशियन सेंटर फार आर्गेनाइजेशन रिसर्च व डेवलपमेंट एकार्ड	क्राफ्ट सेंटर	सी-126, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	-	94500	567547	-
509.	उत्तर प्रदेश	मऊ	बालबाड़ी एवं निर्बल सेवा नारी कला केन्द्र	अनावासीय सेकंडरी स्कूल	गांव व पोस्ट मऊ	272925	445725	862650	368475
510.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर हरिजन सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	22/9 लेबर कालोनी पुराना कानपुर	500760	836055	954221	-
511.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	बाल कल्याण केन्द्र	अनावासीय विद्यालय	पिंडारा देवरिया	196785	-	1020600	313650
512.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा प्रसार समिति	अनावासीय विद्यालय	गांव विष्णुपुरा पोस्टचौरी चौरा, गौनार, गोरखपुर	256500	-	1031400	316350
513.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	विवेकानंद युवा महिला एवं बाल सेवा संस्थान	अनावासीय विद्यालय	गांव भाटूजामुवां पोस्ट पैकोली महाराज देवरिया	131550	-	1031400	316350
514.	उत्तर प्रदेश	कुशी नगर	श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ	अनावासीय विद्यालय	गांव व पोस्ट भाटाहीं खुर्द, कुशीनगर	144495	-	1067400	-
515.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	अपंग असहाय जन विकास संस्थान	अनावासीय विद्यालय	गांव मुस्सेपुर पोस्ट मंडावली, नजीबाबाद, बिजनौर	549090	1124846	1074448	606424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
516.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	कृषक विकास समिति	आवासीय विद्यालय	विवेकानंद कालोनी, मौहम्मदाबाद, गाजीपुर	823725	423990	1337220	-
517.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्था	आवासीय विद्यालय व टाइप, शार्टहैंड सेंटर	फैजाबाद	1340280	653040	1375308	669240
518.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	भारतीय समाज सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	बर्फखाना, मिश्री की बाग, पोस्ट चौक, लखनऊ	1377360	833490	1388970	1395090
519.	उत्तर प्रदेश	ऐटा	ज्ञान भारती महिला कल्याण एवं शिक्षा प्रसार समिति	आवासीय विद्यालय	102, होली गेट, ऐटा	964980	540990	1388970	540990
520.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	जन कल्याण शिक्षा समिति	आवासीय विद्यालय	गांव व पोस्ट भठहीन खुर्द (लाला) वाया फजीलनगर कुशीनगर	1247715	540990	1388970	540990
521.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान	आवासीय विद्यालय	गांव बलियावा (करावांही) पोस्ट भाटाही-खुर्द, कुशीनगर	1160460	2210670	1388970	540990
522.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ	प्रतापगढ़ महिला एवं शिक्षा सिमति	आवासीय विद्यालय	देवोकाली सदन	964980	540990	1388970	540990
523.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	त्रिवेणी मानव उदयमिता विकास संस्थान	आवासीय विद्यालय	पुरे पिटाई, इलाहाबाद-फैजाबाद रोड, प्रतापगढ़	676949	924541	1413270	549090
524.	उत्तर प्रदेश	मऊ	स्व तपेश्वर राम कल्याण समिति	आवासीय विद्यालय	मो. सैदपुर पोस्ट मोहम्माबाद गोहना, मऊ	1591520	1169442	1469894	535590
525.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	ज्ञानयोग चैरीटेबल ट्रस्ट	दस बिस्तरवाला हौस्पिटल	बिलग्राम रोड, हरदोई-24100	340499	-	1479600	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526.	उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद	स्वामी अत्मदेव गोपालानंद शिक्षा संस्थान	आवासीय विद्यालय, टीवी वीसीआर, मोटर वाइंडिंग व फिटर	उगराजपुर पोस्ट, पीपरगांव	1098067	607534	1608558	527490
527.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	निर्बल समाज कल्याण संस्थान	आवासीय विद्यालय व कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर	202ए/39, जवाहर नगर (हाथी पार्क के पास) लखनऊ	1142820	631035	1566883	627390
528.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	पवन सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	गांव व पोस्ट मोहना वाया-पारसपुर, गोंडा	1444275	549090	2015055	706635
529.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	शांति सर्वोदय संस्थान	आवासीय व अनावासीय विद्यालय	शांतिकुंज मोह मेवाटियां, तरबगंज रोड, गोंडा	1496880	923940	2069820	865405
530.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	सर्वोदया आश्रम	आवासीय विद्यालय	गांव सिकंदरपुर ब्लाक व पोस्ट टंडियावन, गोंडा	1289957	1488116	2147589	819715
531.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	ग्रामीण उत्थान संस्थान	जूनियर आवासीय विद्यालय	पोस्ट कोयलसवा कुशीनगर	179970	-	2505960	657990
532.	उत्तर प्रदेश	उत्तरकाशी	हरिजन सेवक संघ	आवासीय विद्यालय (3)	किंगजवे कैंप दिल्ली	-	-	2761169	1438132
533.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर	आवासीय विद्यालय एवं अस्पताल	गांव-मंगोल पोस्ट सहाबाद, रामपुर	1507137	2412363	3757500	1507500
534.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	न्यू पब्लिक विद्यालय समिति	आवासीय विद्यालय एवं कम्प्यूटर सेंटर	505/21-डी कृष्णा भवन टैगोर मार्ग जिला उन्नाव	-	2568713	-	-
535.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	अभिनव सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	सुलतानपुर	782232	-	-	-
536.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	अकाई पोलीक्राफ्ट एसोसिएशन	आवासीय विद्यालय	सी-1225, इंदिरा नगर लखनऊ	799245	399960	-	916560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537.	उत्तर प्रदेश	नोएडा	अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण शिक्षा	आवासीय विद्यालय	नोडा	732509	-	-	130950
538.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	ऑल इंडिया ट्राइबल यूथ डेवलपमेंट	आवासीय विद्यालय	बहराइच	753277	-	-	-
539.	उत्तर प्रदेश	आलमबाग	अम्बेडकर शिक्षा समिति	प्रिंटिंग एवं कम्पोजिंग	केए/58 श्याम नगर आलमबाग लखनऊ	339030	114480	-	-
540.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	गोंडा	775818	-	-	-
541.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	आशा महिला शिल्प कला केन्द्र	मोटर वाईडिंग व फिटिंग प्रशिक्षण केन्द्र	नई सुभाष नगर ग्राम हुमायूं फिरोजाबाद	263160	131580	-	-
542.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	अवध संस्थान	टाइप एवं शार्टहैंड एवं आवासीय विद्यालय	-	896490	-	-	103530
543.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	बद्रीनाथ समाज विकास	आवासीय विद्यालय	सीतापुर	802890	-	-	-
544.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	बाल एवं महिला कल्याण समिति	क्राफ्ट सेंटर	फतेहपुर	269460	85560	-	-
545	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	बिजनौर सेवा संस्थान	टाइपिंग सेंटर	मंडावर रोड मंडौली सेधु, बिजनौर	38104	-	-	-
546.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति	आवासीय विद्यालय	बाराबंकी	806040	-	-	-
547.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	ह्युमन सर्विस चेरिटेबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया	टीवी/वीसीआर क्राफ्ट, फोटोग्राफ, स्कूटर व मोटर साइकिल, प्लबिंग मोटर वाईडिंग, प्रिंटिंग व कंपोजिंग	सी-234 निराला नगर	790360	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
548.	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	जे.पी. सेवा समिति	टीवी, वीसीआर, रेडियो	पोस्ट अमोलार फर्रुखाबाद	141030	-	-	-
549.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	जन विकास समिति	आवासीय विद्यालय	सोनभद्र	800235	-	-	-
550.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	जन विकास संस्थान	टाइप व शार्टहैंड	इटौनिया, पश्चिम पूरबगांव गौरीगंज	236970	264600	-	-
551.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	जनता सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	रामपुर	806040	-	-	-
552.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	कपिल बाल एवं सेवा महिला संस्थान	आवासीय विद्यालय	674, सिविल लाइंस, बस्ती	-	1530270	-	-
553	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	करूणोदय सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	मिर्जापुर	822408	-	-	-
554.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	खादी एवं ग्रामोद्योग विकास संस्थान	क्राफ्ट एवं हैंड ब्लाक प्रिंटिंग, कंप्यूटर	अलीगढ़	329540	75735	-	-
555.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल वेलफेयर	आवासीय विद्यालय	फैजाबाद	806040	-	-	-
556.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	नव विकास समिति	आवासीय विद्यालय	फैजाबाद	775365	-	-	-
557.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	निर्बल वर्ग सेवा समिति	टाइपिंग सेंटर	37, ऊंची चौपाल, रामपुर	308887	103657	-	-
558.	उत्तर प्रदेश	जालौन	पी.के. लोक निवास	टाइपिंग सेंटर	गांव व पोस्ट जालौन	120037	-	-	-
559	उत्तर प्रदेश	गौंडा	प्रगति विकास भारती	आवासीय विद्यालय	गौंडा	805590	-	-	-
560.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ ग्रामोद्योग समिति	टाइपिंग सेंटर	गांव पुर बेदुआ पोस्ट अफीम की कोठी	48060	-	-	208980
561.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	साहित्य सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	सुल्तानपुर	806040	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
562.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	सत्य अहिंसा बाल विकास समिति	आवासीय विद्यालय	गाजीपुर शाखपुर समोध	823725	-	-	-
563.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	श्री कंचनलाल सगुण सेवा संस्थान	प्रिंटिंग व कंपोजिंग	गांव व पारा हमीरपुर	58365	181530	-	-
564.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	स्मिता शिक्षा प्रसार समिति	आवासीय विद्यालय	मिर्जापुर	806040	-	-	-
565.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	सुभी शिक्षा प्रसार समिति	आवासीय विद्यालय	बाराबंकी	756000	-	-	-
566.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर	विक्रम सेवा संस्थान	आवासीय विद्यालय	लखीमपुर	797684	-	-	-
567.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	हरिजन सेवक संघ	आवासीय विद्यालय	हरदोई	2119290	-	-	605162
568.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	किसान ग्रामोद्योग विकास संस्थान	दरी मेकिंग	प्रसादीलाल रोड, मुरादाबाद	65700	-	-	-
569.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	महिला ग्रामीण उत्थान समिति	अनावासीय विद्यालय	महिला आईटीआई के पास, जिला परिषद भवन	250964	-	-	-
570.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	माडर्न शिक्षा विकास समिति	अनावासीय विद्यालय	प्रेम नगर माता मंदिर के पास लाइन पार	215896	-	-	-
571.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	भृगमुनि ग्रामोद्योग संस्थान	आवासीय विद्यालय	एमआईजी 28 राजकीय कालोनी, सिकोट अलीगंज	617377	-	-	-
572.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	अवध सामाजिक उत्थान समिति	अनावासीय विद्यालय	12/53, इंदिरा नगर लखनऊ	193463	-	-	-
573.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	शुभम बाल एवं महिला उन्नयन संस्थान	टाइपिंग व शार्टहैंड	सी-109 सेक्टर डी एलडीए कालोनी लखनऊ	178725	-	-	-
574.	उत्तर प्रदेश	उत्तरकाशी	हरिजन सेवक संघ	आवासीय विद्यालय	उत्तरकाशी	549090	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
575.	उत्तर प्रदेश	इटावा	अर्चना जन सहयोगी सेवा समिति	क्राफ्ट सेंटर	समिति कालोनी, इटावा	68175	-	-	-
576.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	सैदा ग्राम उद्योग संस्थान	पिथौरागढ़	द्वारा चर्मशील विक्रय केन्द्र पुराना बाजार	59760	-	-	-
577.	उत्तर प्रदेश	नैनीताल	कुमाँचल ग्रामोद्योग संस्थान	आईटीआई	इंडस्ट्रियल एस्टेट बैयल्ली रोड, हलद्वानी	107460	-	-	-
578.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	अम्बेडकर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	अनावासीय विद्यालय	रामजानकी नगर बरसातपुर गोरखपुर	152580	-	-	-
579.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	बोधी सत्वा बाबा साहेब डा. अम्बेडकर स्मारक समिति	प्रिंटिंग कंपोजिंग व बुक बाइंडिंग सेंटर	68/363, छितवापुर पाजावा	-	100125	-	-
580.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	गरिमा वेलफेयर सोसाइटी	हैंड मशीन, एंब्रायडरी व क्राफ्ट सेंटर्स	संकर गोलवेनी असम चौक, पीलीभीत	-	285075	-	-
581.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	हरिजन सेवक संघ	आवासीय विद्यालय	किंग्जवे कैंप बाराबंकी	1421764	3884602	-	-
582.	उत्तर प्रदेश	चमोली	गढ़वाल सब्जी सप्लायर व अनुसूचित जाति बेरोजगार समिति	टाइपिंग व क्राफ्ट सेंटर	सुभाषनगर गोपेश्वर चमोली	448675	-	-	-
583.	उत्तर प्रदेश	देहरादून	इंदिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान	आवासीय विद्यालय	होशियारी मंदिर, रायवाला देहरादून	837225	1388970	-	964980
584.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	प्रेरणा पब्लिक स्कूल समिति	अनावासीय विद्यालय	प्रेरणा भवन दीवान निवास के पास तल्ला भटकोट पिथौरागढ़	196740	494100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
585.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	महिला ग्रामीण उत्थान समिति	अनावासीय विद्यालय	महिला आईटीआई के पास परिषद भवन तिलदुकारी पिथौरागढ़	-	316350	-	-
586.	उत्तर प्रदेश	-	उ.प्र. ग्रामीण महिला एवं बाल कल्याण सोसाइटी	-	-	-	150998	-	97425
587.	उत्तर प्रदेश	पौड़ी गढ़वाल	यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक्स	टीवी/वीसीआर रेडियो	बद्रीनाथ रोड कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल	-	63990	-	-
588.	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	डा. भीमराव अंबेडकर समाजोत्थान समिति	क्राफ्ट सेंटर	नया बाजार, बेरीनाग, पिथौरागढ़	-	-	88230	-
589.	उत्तरांचल	नैनीताल	आस्था सामाजिक संस्था	प्रिंटिंग एवं बुक बाइंडिंग	बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल	-	-	164985	40165
590.	उत्तरांचल	नैनीताल	कुमांचल ग्रामोद्योग संस्था	वेल्डिंग एवं फिटर	इंडस्ट्रियल इस्टेट बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल	-	-	165060	-
591.	उत्तरांचल	पौडी गढ़वाल	यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक्स	टीवी/वीसीआर रेडियो ट्रेनिंग सेंटर	बद्रीनाथ रोड, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल	-	-	191970	-
592.	उत्तरांचल	लखनऊ	यूपी अनुसूचित विमुक्त एवं जनजाति सेवक संघ	आवासीय विद्यालय	97/बी दारूल शफा लखनऊ	-	-	292122	963730
593.	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	प्रेरणा पब्लिक स्कूल समिति	अनावासीय विद्यालय	प्रेरणा भवन दीवान निवास के पास तल्ला भटकोट	-	-	316350	447156
594.	उत्तरांचल	चमोली	गढ़वाल सब्जी सप्लायर एवं अनुसूचित जाति बेरोजगार समिति	टाइप व क्राफ्ट	सुभाष नगर गोपेश्वर चमोली	-	-	774738	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
595.	उत्तरांचल	देहरादून	इंदिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान	आवासीय विद्यालय	होशियारी मंदिर रायवाला देहरादून	-	-	807030	-
596.	पश्चिम बंगाल	24 परगना	सोसायटी फोर रूरल एवं अरबन विकास	आवासीय विद्यालय	एट/पीओ काकद्वीप 24 परगना	576090	1323087	981180	529290
597.	पश्चिम बंगाल	24 परगना	विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर होम	आवासीय विद्यालय	पो काकद्वीप 24 परगना	1029780	889364	964980	540208
598.	पश्चिम बंगाल	24 परगना	रामाकृष्णा मिशन आश्रम	2 होस्टल डिस्पेंसरी क्राफ्ट वेल्डिंग व फिटिंगव आर्ट	पो नरेन्द्रपुर 24 परगना दक्षिण बर्द्धवान पश्चिम	1652163	1701481	1665845	926196
599.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	बेकवर्ड कम्यूनिटी विकास समिति	अनावासीय विद्यालय	पल्ली श्री पुरबा पारा पो कृष्ण नगर बांकुरा	137970	-	-	-
600.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	जातिय जन कल्याण सेवा समिति	अनावासीय विद्यालय	उदयराम पुर (ढीच रोड) कहया नगर	-	426780	-	-
601.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धवान	भतार डा. बी.आर. अंबेडकर अभाषिक शिक्षा निकेतन	अनावासीय विद्यालय	एट/पो करजना चट्टी बर्द्धवान	605430	812340	2133855	554616
602.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	गांधी सड़क ग्राम सेवा केन्द्र	आवासीय विद्यालय	908/18 सुरेन सरकार रोड	-	-	-	847980
603.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धवान	सैंट्रल सीडूयल्ड कास्ट व ट्राइब्स वेलफेयर एसोसिएशन	अनावासीय विद्यालय व क्राफ्ट सेंटर	नीचू कालोनी 4 न. संकरीपुकु पो. श्रीपल्ली बर्द्धवान	961920	945720	1551240	2473020
604.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धवान	नूतनहट विकास समिति	टाइप एवं शॉर्टहैंड सेंटर	पो व गांव झीलू बर्द्धवान	-	-	94275	91575
605.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	भारत सेवाश्रम संघ	होस्टल एवं मोबाइल यूनिट	211 रास बिहारी एवन्यू	177457	1285785	1280925	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
606.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	गांधी सड़क सेवा संघ	अनावासीय विद्यालय एवं 4 आईटीआई	1बीटी रोड कमरहाती (मुक्ति सिनेमा बंगला	939252	1185320	1614092	695530
607.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दीनाजपुर	रघुनाथपुर डा. बीआर अंबेडकर एससी व एसटी वेलफेयर विकास समिति	अनावासीय विद्यालय	द्वारा प्रबोध कुमार बर्मन मंगलापुर पो. बेलटाला पार्क दक्षिण बीजापुर	-	275848	573300	357300
608.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	डा. बी.आर. अंबेडकर अकेडमी	अनावासीय विद्यालय	बद्राजोटे पो. बटसी दार्जिलिंग	-	-	1101965	-
609.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	डा. बी.आर. अंबेडकर शिशु बंगाल	आवासीय विद्यालय	गुरूंग बस्ती प्रधान नगर सिलीगुड़ी	-	305055	948312	-
610.	पश्चिम बंगाल	हुगली	खजुरदाहा विवेकान्द ग्रामीण विकास संस्था	क्राफ्ट सेंटर	एट/पो खजुरदाहा हुगली	-	-	65865	-
611.	पश्चिम बंगाल	हुगली	दुलाल स्मृति समसद	टाइप व शार्टहैंड	ग्रा व पो. खजुरदाहा धनियाखली हुगली	80336	0	103410	-
612	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	हरिजन सेवक संघ	आवासीय विद्यालय	किंगस्वे कैंप	2147178	1018959	1068499	562389
613.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	डा. बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल एजुकेशन सेंटर	आवासीय विद्यालय	गंगादेवी पो. चेनगोरी वाया क्रांथहात	1236330	1059075	-	-
614.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	श्री श्री हरिचन्द मटुआ सेवाश्रम ट्रस्ट	अनावासीय विद्यालय	सांतिधाम हरिचंद ठाकुर रोड पुरबांचल ठाकुरपुर कोलकाता	-	-	366750	463500
615.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	कंधारपुर सुखदा स्मृति पाठागार	अनावसीय विद्यालय	पो. चाकौलखोला ब्लाक रामनगर-2 मिदनापुर	-	546728	920700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
616.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	तरूण संघ	टीवी/वीसीआर/ रेडियो ट्रेनिंग सेंटर	गांव फकीरचाक बाराबंकी मिदनापुर	-	-	62445	-
617.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	सिधु कानु एजुकेशनल सोसाइटी	आवासीय विद्यालय 2 क्राफ्ट सेंटर 1	एट तारापारा कानगूरिया	808537	2758650	-	-
618.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	डाडलीबार प्रबाती संघ	आवासीय विद्यालय	डाढधीबा	810990	0	0	15,05,980
619.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	वेस्ट बंगाल शडयूल कास्ट ट्राइब्स व माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएशन	4 कम्प्यूटर 5 आईटीआई 1 आवासीय विद्यालय सह स्कूल काम आईटीआई टाइप व शार्टहैंड डीजल टीवी/वीसीआर/ रेडियो ट्रेनिंग सेंटर	90ए/1बी सूरेन सरकार रोड	5920964	2508350	6195678	5962331
620.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	वूमैन सोशल एक्शन	कारपेंट्री वेल्डिंग व फिटिंग ट्रेड	मिदनापुर	136937	-	-	-
621.	पश्चिम बंगाल	मुर्शीदाबाद	रामकृष्णा मिशन आश्रम	मोबाइल डिस्पेंसरी	पो. सरगाची आश्रम मुर्शिदाबाद	-	-	129250	334015
622.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ	छात्रावास आर्ट एवं मेडिकल रिलीफ केन्द्र	पो. विवेकानंद नगर पुरुलिया	1018929	716391	525669	-
623.	पश्चिम बंगाल	साउथ 24	अभय चरण डेस्टीट्यूट होम	अनावासीय विद्यालय	गां व पो. दक्षिण चंद्रनगर नमखाना साउथ 24 परगना	-	-	1569960	527130
	योग					254790798	224872988	289070829	223470422

विवरण II

2001-2002 तथा 2002-2003 (25.02.2003 के अनुसार) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कोचिंग तथा संबद्ध योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान मंजूर किए गए स्वैच्छिक संगठनों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	प्रदेश का नाम	संस्था का नाम	1999-2000	2000 2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	जागृति शिक्षा सोसायटी, हैदराबाद	शून्य	5.62	6.09	6.09
2.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन स्टडीज सर्किल, हैदराबाद	शून्य	15.08	शून्य	-
3.	आंध्र प्रदेश	रावॅस स्टडीज सर्किल, हैदराबाद	1.69	शून्य	1.69	-
4.	आंध्र प्रदेश	सामाजिक इंटीग्रेटिड रूरल सोसायटी	शून्य	3.89	3.09	4.33
5.	आंध्र प्रदेश	वेनेला शिक्षा सोसायटी खमाम	सून्य	1.60	1.70	1.82
6.	आंध्र प्रदेश	डा. बी.आर. अंबेडकर यूथ एसोसिएशन	शून्य	शून्य	शून्य	4.33
7.	आंध्र प्रदेश	सहाय कल्याण एसोसिएशन	शून्य	शून्य	सून्य	3.08
8.	आंध्र प्रदेश	रवि अकेडमी कंप एग्जाम्स	शून्य	शून्य	शून्य	2.00
9.	असम	रघुरटोक क्लब एवं लाईब्रेरी	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
10.	असम	बहुमुखी कृषि अरु कल्याण संस्था	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
11.	दिल्ली	दिल्ली शिक्षा केन्द्र	17.52	10.37	18.67	4.67
12.	दिल्ली	एसएन दासगुप्ता कॉलेज	8.25	3.58	1.95	-
13.	जम्मू एवं कश्मीर	इंस्टीट्यूट ऑफ एमपीए श्रीनगर	2.39	शून्य	शून्य	-
14.	झारखंड	दिल्ली शिक्षा केन्द्र	शून्य	शून्य	शून्य	4.62
15.	मध्य प्रदेश	अशोक कोचिंग केन्द्र	166	शून्य	शून्य	-
16.	मध्य प्रदेश	अशोक महिला मंडल, भीन्ड	11.22	शून्य	शून्य	-
17.	मध्य प्रदेश	बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, मऊ	1.87	शून्य	शून्य	2.07
18.	मध्य प्रदेश	ज्ञान विकास समिति, भोपाल	शून्य	2.02	शून्य	-
19.	मध्य प्रदेश	जगनाथ शिक्षा प्रा सम	0.93	शून्य	शून्य	-
20.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जबलपुर	शून्य	2.02	शून्य	-
21.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल	शून्य	4.20	शून्य	-
22.	मध्य प्रदेश	लाल बहादुर शिक्षा संस्था	0.48	शून्य	शून्य	-

1	2	3	4	5	6	7
23.	मध्य प्रदेश	महाकौशल एकेडमी, रीप	शून्य	1.94	शून्य	-
24.	मध्य प्रदेश	रीचा समाज सेवा	0.93	शून्य	शून्य	-
25.	मध्य प्रदेश	श्री लव शिक्षा प्ररा समिति	0.93	शून्य	शून्य	-
26.	मध्य प्रदेश	सुरूचि वाय शिक्षा संस्थान	शून्य	2.93	शून्य	-
27.	मध्य प्रदेश	ग्राम भारती संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	1.80
28.	महाराष्ट्र	चैतन्या बहु समिति, नागपुर	1.02	1.02	3.08	-
29.	महाराष्ट्र	चाणक्य बहु समिति, पुणे	शून्य	3.96	शून्य	-
30.	महाराष्ट्र	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम परीक्षा	6.90	शून्य	शून्य	-
31.	महाराष्ट्र	स्वामी विवेकानंद श्री	शून्य	2.46	शून्य	2.46
32.	महाराष्ट्र	तराईलोक्य बुध सहायक संस्था	शून्य	शून्य	शून्य	1.75
33.	महाराष्ट्र	कैरियर विकास एकेडमी	शून्य	शून्य	शून्य	4.16
34.	उड़ीसा	एलसी इंस्टट, भुवनेश्वर	3.43	शून्य	2057	-
35.	उड़ीसा	उड़ीसा स्टडी सर्किल	1.25	1.24	1.33	-
36.	राजस्थान	उदयपुर स्टडी सर्किल	शून्य	3.94	शून्य	-
37.	तमिलनाडु	आईसीई कैरियर गाईडेंस	शून्य	3.04	शून्य	8.64
38.	तमिलनाडु	डा. जीआर दामो कॉलेज, कोयम्बटूर	शून्य	शून्य	5.18	-
39.	तमिलनाडु	सेंथील चेरिटेबल ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	4.33
40.	तमिलनाडु	लोटस शिक्षा सामाजिक सर्विस व चारी ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	2.00
41.	तमिलनाडु	विस्डम शिक्षा मेमोरियल इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	शून्य	1.06
42.	उत्तर प्रदेश	शारदा अकेडमी, कानपुर	शून्य	3.00	शून्य	-
		योग	60.47	71.69	45.35	61.63

गन्ने की खोई से विद्युत का उत्पादन

1523. **श्री शशि कुमारः** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में चीनी मिलों की खोई और कचरा से विद्युत उत्पादन करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो संभावित क्षमता और देश में विद्युत उत्पादन के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) उन सहकारी चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक देश में कर्नाटक या अन्य राज्यों में विद्युत उत्पादन में इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नपन): (क) और (ख) चीनी मिलों में खोई सह उत्पादन के माध्यम से अतिरेक विद्युत उत्पादन और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अनुमानित विद्युत उत्पादन संभाव्यता निम्न प्रकार से है:

चीनी मिलों में खोई सह उत्पादन से अतिरेक विद्युत	- 3500 मेवा.
चीनी मिलों में प्रैसमड	- 250 मेगावाट समतुल्य
नगरीन ठोस अपशिष्ट	- 900 मेगावाट समतुल्य

खोई आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत तकनीकी, वित्तीय और प्रचालन पैरामीटरों पर निर्भर करते हुए 2.5 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के बीच है। अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में लागत 6.00 करोड़ रुपए से 12.00 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के बीच है जो अपशिष्ट की विशेषताओं, प्रौद्योगिकी और स्थल विशेष पर निर्भर करती है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने राज्य में 14 सहकारी चीनी में सह उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 'अनापत्ति' सूचित कर दी है। इसके अलावा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में 11 सहकारी चीनी मिलों में खोई सह उत्पादन परियोजनाओं की योजना है।

मैला ढोने की प्रथा

1524. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर पर मैला ढोने के कार्य में लगे लोगों को संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के सुधार और इस प्रथा के उन्मूलन के लिए उठाए गए उपायों के फलस्वरूप ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके पुनर्वास के लिए खर्च किए गए धन का मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार का योगदान क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) वर्ष 2000-01 में एक जनगणना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 12,613 सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की पहचान राजस्थान में की गई। इस प्रकार, मध्य प्रदेश में सिर पर मैला ढोने के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों की संख्या 80,072 है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप 6,76,009 अभिज्ञात सफाई कर्मचारियों में से अब तक 4,08,972 सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पुनर्वासित किया जा चुका है। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

वर्ष	प्रशिक्षण	पुनर्वास	कियोस्क	कुल
1999-2000	0.49	35.13	-	35.62
2000-2001	1.62	34.55	-	36.17
2001-2002	20.43	49.15	62.10	131.68

(च) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन एस एल आर एस) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राजस्थान को 29 मार्च, 2000 तक 1661.79 लाख रु. निर्मुक्त किए।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सफाई कर्मचारियों की सं.	पुनर्वासित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	30921	28167
2.	असम	40413	1594
3.	बिहार	12226	285
4.	गुजरात	64195	11653
5.	हरियाणा	36362	15558
6.	हिमाचल प्रदेश	4757	2023
7.	जम्मू व कश्मीर	4150	211
8.	कर्नाटक	14555	11847
9.	केरल	1339	141

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश*	80072	80755
11.	महाराष्ट्र	64785	19086
12.	उड़ीसा	35049	10681
13.	पंजाब**	531	2988
14.	राजस्थान	57736	14169
15.	तमिलनाडु	35561	23687
16.	उत्तर प्रदेश***	149202	180719
17.	पश्चिम बंगाल	23852	2338
18.	दिल्ली	17420	2941
19.	नागालैंड	1800	0
20.	मेघालय	607	0
21.	पांडिचेरी	476	129
	कुल	676009	408972

* पहले के आंकड़े 14,283 हैं।

** अविभाजित मध्य प्रदेश के आंकड़े 93,394 हैं।

*** एसयूडीए द्वारा 15.8.2001 से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नए आंकड़े 40,227 हैं।

[हिन्दी]

अनु.जा./अनु.ज.जा. के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु योजना

1525. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनु.जा. और अनु.ज.जा. के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत अनु.जा. और अनु.ज.जा. के कितने व्यक्तियों को यह लाभ दिया जा रहा है; और

(घ) इन योजनाओं के लाभग्राहियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए योजनाओं का अपेक्षित राज्यवार ब्यौरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

क्र.सं.	अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं	अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं
1	2	3
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान
3.	पीसीआर तथा अत्याचार	अनु. जनजातियों के लिए लड़कियों के लिए छात्रावास
4.	अनु. जाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास	अनु. जनजातियों के लिए लड़कों के लिए छात्रावास
5.	राज्य अनु.जाति विकास निगम	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

1	2	3
6.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम	अनु. जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक को सहायता अनुदान
7.	पुस्तक बैंक	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
8.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	राज्य जनजाति विकास सरकारी निगमों को सहायता अनुदान
9.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृति	जनजाति क्षेत्रों में अनु. जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
10.	अनु. जातियों के लिए कोचिंग तथा संबद्ध	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
11.	अनु.जा/अनु.ज.जा. के छात्रों की योग्यता का उन्नयन	ग्राम अन्न बैंक योजना
12.	राज्य अनु.जाति विकास निगम	आदिम जनजातीय समूहों का विकास
13.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति योजना	मैट्रिकोत्तर छात्रवृति
14.	अनु. जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	राष्ट्रीय समुद्रपारी छात्रवृति योजना
15.	अनु. जातियों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम	अनु. जनजातियों के लिए कोंचिग तथा संबद्ध
16.	राष्ट्रीय अनु. जाति वित्त विकास निगम	अनु. जनजातीय कि योग्यता का उन्नयन
17.		पुस्तक बैंक योजना
18.		राज्य जनजातिय विकास वित्त निगम
19.		जनजातियों द्वारा आवागमन

[अनुवाद]

विद्युत आपूर्ति के उचित प्रबंधन के लिए कर्नाटक को धनराशि

1526. श्री आर.एल. जालप्पाः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यस्ततम अवधि में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विभिन्न राज्यों से अधिक विद्युत लेने पर दंड के माध्यम से कुल कितनी धनराशि वसूल की गयी;

(ख) उपलब्धता आधारित शुल्क मापदंडों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के उपयुक्त प्रबंधन के लिए कर्नाटक को कुल कितनी निधियां जारी की गई; और

(ग) व्यस्ततम अवधि में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों द्वारा ली गयी ऊर्जा का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उपलब्धता आधारित टैरिफ (शुल्क)/एबीटी को उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है। एबीटी व्यवस्था के तहत प्रणाली में निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत लिए जाने के कारण लाभार्थी द्वारा निर्धारित आदान-प्रदान प्रभारों के रूप में अतिरिक्त भुगतान (दंड स्वरूप नहीं) करने की प्रणाली है जिसका दर प्रणाली के अनुरूप है। इसी प्रकार लाभार्थी अपने हिस्से के लिए निर्धारित मात्रा से कम बिजली लेने और बाकी के हिस्से की बिजली अन्य यूटिलिटियों द्वारा लिए जाने की स्थिति में भुगतान प्राप्त करने का हकदार है। यह प्रावधान व्यस्ततम समय सहित 24 घंटे के लिए लागू है।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में एबीटी के क्रियान्वयन के समय से कम/ज्यादा विद्युत आपूर्ति के लिए दिनांक 1.1.2003 से 9.2.2003 तक के दौरान कर्नाटक द्वारा प्राप्त तथा भुगतान की निवल राशि क्रमशः 1268.601 लाख रु. तथा 145.602 लाख रु. थी।

(ग) माह जनवरी, 2003 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से घटक राज्यों द्वारा ली गई विद्युत का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रम (एम.यू.)	आहरण (एम.यू.)	अतिआहरण एवं कम आहरण
1.	कर्नाटक	708	806	98
2.	तमिलनाडु	920	1018	98
3.	केरल	389	471	82

[हिन्दी]

सराय रोहिल्ला स्टेशन पर कूड़ाघर का निर्माण

1527. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री आदि शंकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर नये कूड़ाघर के निर्माण के विरुद्ध विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 1 पर दिल्ली छोर में एक कूड़ाघर का निर्माण किया गया है और इस सम्बन्ध में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

एक अभ्यावेदन न्यू रोहतक रोड रेजिडेंट वैल्फेयर एसोसिएशन (रजि.), नई दिल्ली के उपाध्यक्ष का दिनांक 18.1.2003 का और दूसरा शिरोमणि युवा अकाली दल (बादल) (दिल्ली राज्य), नई दिल्ली का दिनांक 18.1.2003 का प्राप्त हुए थे।

(ग) इस मामले पर संबंधित रेलवे अधिकारी द्वारा उपरोक्त संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और स्टेशन की सफाई सुनिश्चित करने के लिए कूड़ाघर उपलब्ध कराने की आवश्कता को उन्हें बता दिया गया है।

[अनुवाद]

रेल पटरी में सुधार

1528. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य रेलवे की मुम्बई और सूरत रेलवे लाइन के बीच पटरी में सुधार करने का है;

(ख) रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) हाल ही में मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे के नजदीक दहानु में कौन-कौन सी दुर्घटना घटी; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सावधानी बरतने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि मुंबई-सूरत पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है।

(ख) इस खंड पर पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) 31.1.2003 को दहानु के निकट 117 डाउन पैसेंजर गाड़ी पालघर और बोयसर के बीच पटरी से उतर गई थी। रेलवे संरक्षा आयुक्त, पश्चिम सर्किल, मुंबई इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

(घ) गाड़ी के पटरी से उतरने का प्रथम दृष्टतया कारण एक गर्डर पुल पर पटरी में दरार आना था जहां यू एस एस एफ डी परीक्षण के दौरान खामी का पता लगा।

ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने पुलों पर ऐसी पटरियां, यदि कोई हो, को हटाने और फील्ड स्टाफ जिसमें यू एस एस एफ डी परीक्षक तथा रेलपथ पर्यवेक्षक दोनों शामिल हैं, को विशेष रूप से पुलों पर से खराब पटरियों को हटाने के लिए शिक्षित करने का अभियान चलाया।

एक पद एक पेंशन योजना को लागू करना

1529. श्री परसुराम माझी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा कर्मियों के लिए एक पद एक पेंशन लागू करने का प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां तो उपर्युक्त प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) यह प्रस्ताव पांचवें वेतन आयोग को भेजा गया था, जिसने इसकी सिफारिश नहीं की थी। बाद में, सरकार ने इस प्रस्ताव पर पुन: विचार किया। तथापि, इसे प्रशासनिक तथा वित्तीय कारणों और इसके सिविल पक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र तथा स्वायत्त निकायों पर पड़ने वाले प्रभावों की वजह से इस पर सहमत होना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

किशोर न्याय अधिनियम में विसंगतियों को दूर करना

1530. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 32, 33, 41(6) और 56 में कमियों/विसंगतियों को दूर करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विसंगतियो को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं। किशोर (देखभाल एवं बाल संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधिनियमित होने से किशोर न्याय अधिनियम, 1986 रद्द हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यात्रियों द्वारा किया गया हुड़दंग

1531. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7.2.2003 के दैनिक जागरण में 8 बुकिंग काउंटर न खोलने पर यात्रियों द्वारा किए गए हुड़दंग की बात सामने लाने वाले समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काउंटर न खोले जाने के मामले में जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे बुकिंग को निजी व्यक्तियों को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जांच से पता चला है कि आमतौर पर 8-10 बुकिंग कर्मचारी अनुपस्थित रहते है लेकिन दुर्घटना वाले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 कर्मचारी अनुपस्थित थे। परिणामस्वरूप कुछ काउंटर नहीं खोले जा सके। बहरहाल बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतारें अथवा हो-हल्ला नहीं हुआ। बहरहाल, किसी विशेष दिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कर्मचारी की कमी होने की स्थिति में अन्य क्रियाकलापों से कर्मचारियों को हटाकर काउंटरों पर लगाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता

[हिन्दी]

लखनऊ और हावड़ा के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

1532. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लखनऊ से हावड़ा तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) लखनऊ से उतरेतिया और जाफराबाद से हावड़ा के बीच दोहरी लाइन पहले से ही विद्यमान है। उतरेतिया-जाफराबाद खंड के बीच कहीं-कहीं दोहरीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस समय, उतरेतिया-चन्द्रौली, बंधुआ कलां-सुल्तानपुर और श्री कृष्णानगर-जाफराबाद खंडों के बीच के कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

विद्युतीकरण के संबंध में, हावड़ा से मुगलसराय रेल लाइन पहले से ही विद्युतीकृत है। मुगलसराय-जाफराबाद खंड का विद्युतीकरण संबंधी कार्य मुगलसराय-लखनऊ परियोजना के चरण-1 के रूप में 1999-2000 के रेल बजट में शामिल किया गया था बशर्ते कि प्रक्रियात्मक स्वीकृतियां प्राप्त हों। अभी भी स्वीकृत किया जाना है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में लम्बित परियोजनाएं

1533. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में विचाराधीन, पूरी की गयां और विभिन्न चरणों में लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और अधिक उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए निर्देश देने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को स्वीकृत किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयवंती मेहता): (क) से (घ) तमिलनाडु की उन परियोजनाओं के ब्यौरे जो पूरी ही गयी हैं, निर्माणाधीन हैं और विचाराधीन हैं, विवरण के रूप में संलग्न हैं। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

तमिलनाडु राज्य में क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत वालुथुर (गैस) (34 मेगावाट) और कुट्टालम (गैस) (100 मेगावाट) ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

एनटीपीसी ने तमिलनाडु में एन्नौर में 1000 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की इसकी तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता की शर्त पर स्थापना एवं प्रचालन के उदेश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी प्रवर्तित करने के लिए 12.7.2002 को तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

राज्य सरकार द्वारा तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 के संबंध में आईपीपी के साथ निष्पन पीपीए को निरस्त करने और नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम गठित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में विद्युत परियोजना की स्थिति

परियोजनाओं के नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2
क. पूरी हुई विद्युत परियोजनाएं	
केन्द्रीय क्षेत्र	
थर्मल	
नैवेली (लिग्नाइट)	1770
नैवेली टीपीएस-1 विस्तार यूनिट-1(लिग्नाइट)	210
राज्य क्षेत्र	
थर्मल	
एन्नोर (कोयला)	450
तूतीकोरिन (कोयला)	1050
मेत्तूर (कोयला)	840
उत्तर मद्रास (कोयला)	630
बेसिन ब्रिज (गैस)	120
नरीमनम (गैस)	10
कोविलकलप्पल (गैस)	107
वल्थूर जीटी (गैस)	60
जल विद्युत	
पाइकारा	71.95
मोयार	36
कुण्डा	555

1	2
मेत्तूर बांध	40
मेत्तूर टनल	200
पेरियार	140
कोडयार	100
शोलयार	95
अलियार	60
सरापथी	30
पपनासम	28
सुरूलियार	35
संखलार	20
लोअर मेत्तूर	120
कदमपराज	400
वईगई	6
लोअर भवानी	16
सतनूर बांध	7.5
पार्सन वैली	30
पूनाची	2
त्रिमूर्ति	1.95
मरबाकंडी	0.75
निजी क्षेत्र	
थर्मल	
पिल्लईपेरुमलनल्लूर (गैस)	330.5
बेसिन ब्रिज (डीजल)	200
समलपट्टी (डीजल)	105.66
समयानल्लूर (डीजल)	106
नैवेली जीरो (लिग्नाइट)	250
कुल	8234.31

1	2
ख. निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं	
केन्द्रीय क्षेत्र	
थर्मल	
एनएलसी प्रथम विस्तार (लिग्नाइट)	210
एनएलसी द्वितीय विस्तार (लिग्नाइट)	2×250
राज्य क्षेत्र	
थर्मल	
वलथूर (गैस)	34
कुट्टालम (गैस)	100
जल विद्युत	
पाइकारा अल्टीमेट	3×50
भवानी कट्टाली	3×2×15
कुल	1084

भिखारियों की संख्या में वृद्धि

1534. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में भिखारियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन भिखारियों को आमतौर पर राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न चौराहों पर भीख मांगते देखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की दिल्ली की सड़कों पर भिखारियों की इस मुसीबत को समाप्त करने की योजना है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे भिखारियों का पुनर्वास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, सड़कों पर भिखारियों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल में

कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, भिखारियों के लिए दिल्ली सरकार को मान्यता प्राप्त संस्थाओं से किसी वृद्धि की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जागरूकता अभियान आरंभ किया है जिसके द्वारा चौराहों पर भिखारियों को भीख देने वाले मोटर वाहन चालकों को दण्डित किया जा रहा है तथा दिल्ली के लाल बत्ती क्रासिंग पर पोल कियोस्कों और सड़क रेलिंगों पर भिक्षावृति रोधी संदेश वाले 2000 से अधिक संदेश बोर्ड लगाए गए हैं। विभिन्न मास मीडिया साधनों का उपयोग करके अभियान को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनायी जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भिक्षावृत्ति रोधी दस्तों ने सार्वजनिक स्थानों पर भिखारियों को पकड़ने के लिए समय-समय पर छापा मारने में भी तेजी लायी है। इस समय, विशेषकर नई दिल्ली जिला में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध गहन अभियान के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नियमित और निरंतर छापे मारे जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। बम्बई भिक्षावृति निवारण अधिनियम 1959 के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में भिखारियों के लिए 12 अभिरक्षा संस्थाओं की स्थापना की है जहां भिक्षावृति से उन्हें वापस लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठहरने, खानपान, चिकित्सा देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन संस्थाओं में वजीफे की एक योजना भी आरम्भ की गई है जिसके द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य कार्यकलापों में भाग लेने वाले संवासियों को प्रोत्साहन के रूप में निर्धारित राशि प्रदान की जाती है, जो मुक्त किए गए संवासियों को अपने उद्यम आरम्भ करने में सहायता करने के लिए बीज पूंजी के रूप में भी सहायता करता है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा परामर्श/मनोवैज्ञानिक उपचार के माध्यम से पुनर्वास कार्यक्रम भी हाल में लामपुर कम्पलैक्स में आरंभ किया गया है।

पुरातात्विक स्मारकों का रखरखाव

1535. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) ने देश में पुरातात्विक स्मारकों की बहाली तथा रखरखाव हेतु एक न्यास शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से हाल में कुछ परियोजनाएं चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार किया है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण, सुरक्षा एवं इसका संवर्द्धन करने के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्कृति निधि के साथ सहयोजन में "दि इंडियन आयल फाउन्डेशन" के नाम और अभिनाम में एक और गैर-लाभकारी न्यास की स्थापना की है।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में किसी परियोजना को आरंभ करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत प्लासी, तामलुक शाही महल एवं सम्पदा, बारगा, भीमा मन्दिर, महिसादल शाही महल एवं सम्पदा, मोयनागढ़ (किला) तथा ताम्रलिप्त बांदर अवशेषों के विरासत स्थलों को संरक्षण में लेने के लिए कुछ एक स्रोतों से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। ये सिफारिशें संकलित की गई हैं तथा संबंधित स्थलों के अग्रतानिर्धारण के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेज दी गई है।

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र पर कम आयात शुल्क का प्रभाव

1536. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां-जहां से ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आयात किया जाता है; और

(ख) कोयले पर आयात शुल्क और कोयला आधारित ताप विद्युत पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) ताप विद्युत संयंत्र सामान्यत: आस्ट्रेलिया, चीन, इन्डोनेशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका से कोयला आयात करते हैं।

(ख) ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नॉन कोकिंग कोयले पर वर्तमान आयात शुल्क (2002-03 के दौरान) निम्नानुसार हैं:

नोन कोकिंग कोयले हेतु वर्तमान आयात शुल्क ढांचा

कोयले का प्रकार	मूल शुल्क	विशेष शुल्क समेत अन्य शुल्क	कुल (प्रभावी)
नोन कोकिंग कोयला	25%	50%	30%

विद्युत क्षेत्र के लिए देश में उच्च श्रेणी के पर्याप्त कोयले की अनुलब्धता की वजह से तथा विशेष तौर पर निर्धारित विद्युत संयंत्रों द्वारा 34% से अधिक राख तत्व वाले कोयले के प्रयोग के संदर्भ में तथा 1 जून, 2002 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में, देशी उच्च राख तत्व वाले कोयले में मिश्रित करने हेतु निम्न राख वाले कोयले का आयात करना आवश्यक हो गया है। तटवर्ती क्षेत्रों में स्थिति ताप विद्युत संयंत्र देशी कोयले की उच्च उतराई (लैंडिड) लागत के कारण मिश्रण हेतु आयातित कोयला प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी, उच्च सीमा शुल्क की वजह से, आयातित कोयला महंगा हो जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है।

रेलगाड़ियों में डकैती

1537. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या जैसा हाल ही में "दि वीक" में प्रकाशित हुआ है पलामू एक्सप्रेस में रोज डकैती होती है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे ने यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या दिल्ली और अलीगढ़ खंड में भी डकैती और यात्रियों की लूटपाट का खतरा बढ़ता जा रहा है जैसा कि 13 फरवरी, 2002 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उचित कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

1538. **श्री आदि शंकर:**
श्री जी.जे. जावीया:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जामनगर, भावनगर और पोरबंदर रेल मंडलों के अंतर्गत उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) वर्ष 2003 के दौरान यह सुविधा किन स्टेशनों पर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आरक्षण कोटा बढ़ाने की कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक पूरी किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेल प्रधान कार्यालय को 1 जनवरी, 2002 से आज तक चैम्बर ऑफ कामर्स पैसेंजर्स एसोसिएशन से कोई पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(च) क्या मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेल प्रधान कार्यालय को 1 जनवरी, 2002 से आज तक चैम्बर ऑफ कामर्स पैसेंजर्स एसोशिएशन से कोई पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(छ) आरक्षण कोटा कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जामनगर और पोरबंदर पश्चिम रेलवे के मंडल नहीं हैं। गुजरात राज्य में स्थित स्टेशनों, जहां कम्प्यूटर आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध है, के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उन स्टेशनों, जहां कंप्यूटर आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराने हेतु मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और शीघ्र ही ये सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की संभावना है, के नाम इस प्रकार हैं: वस्त्रापुर, अमरेली, वीरामगाम, ध्रांगन्ध्रा, हिम्मतनगर, भचायू, दाहोद और बिलीमोरा।

(ग) से (छ) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	रेलवे
1	2	3
1.	अहमदाबाद	पश्चिम रेलवे
2.	अल्कापुरी	पश्चिम रेलवे
3.	आनंद	पश्चिम रेलवे
4.	अंकलेश्वर	पश्चिम रेलवे
5.	भक्तिसागर	पश्चिम रेलवे
6.	भरूच	पश्चिम रेलवे
7.	भावनगर	पश्चिम रेलवे
8.	द्वारका	पश्चिम रेलवे
9.	गांधीधाम	उत्तर पश्चिम रेलवे
10.	गांधीग्राम	पश्चिम रेलवे
11.	गांधीनगर	पश्चिम रेलवे
12.	गोधरा	पश्चिम रेलवे
13.	हापा	पश्चिम रेलवे
14.	जामनगर	पश्चिम रेलवे
15.	जूनागढ़	पश्चिम रेलवे
16.	मणिनगर(अहमदाबाद)	पश्चिम रेलवे
17	मेहसाणा	पश्चिम रेलवे
18.	नाडियाड	पश्चिम रेलवे
19.	नवसारी	पश्चिम रेलवे
20.	न्यू भुज	उत्तर पश्चिम रेलवे
21.	पदमावती कॉम्पलैक्स सीबीओ (वडोदरा)	पश्चिम रेलवे
22.	पालनपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
23.	पोरबंदर	पश्चिम रेलवे
24.	प्रतापनगर (वडोदरा)	पश्चिम रेलवे
25.	राजकोट	पश्चिम रेलवे
26.	साबरमती	पश्चिम रेलवे
27.	सरदारग्राम	पश्चिम रेलवे
28.	सूरत	पश्चिम रेलवे
29.	सुरेन्द्रनगर	पश्चिम रेलवे
30.	उधना	पश्चिम रेलव
31.	वडोदरा	पश्चिम रेलवे
32.	वलसाड	पश्चिम रेलवे
33.	वापी	पश्चिम रेलवे
34.	वीरावल	पश्चिम रेलवे

[अनुवाद]

गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन में गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) की भागीदारी

1539. श्रीमती प्रभा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) ने केजी बेसिन के केजीओएसएम 2001-03 में भागीदारी करने हेतु अपनी रूचि व्यक्त करते हुए गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जीएसपीसी) से संपर्क किया है;

(ख) गेल द्वारा कितनी इक्विटी लिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या जीएसपीसी गेल के अनुरोध पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने अपने द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित इक्विटी धनराशि का ब्यौरा नहीं दिया है।

(ग) और (घ) जब कभी गेल अपनी कोई रुचि कृष्णा गोदावरी अन्वेषण ब्लाकों में दिखाएगी गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जीएसपीसी) गेल के अनुरोध पर विचार कर सकती है।

एनईएलपी में कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी

1540. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने एनईएलपी नीति पर सहमति व्यक्त की है और पेट्रोलियम के लाभ में हिस्सेदारी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार की क्या राय है;

(ग) एनईएलपी नीति में कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी की दर क्या है;

(घ) क्या ये दरें विद्यमान रायल्टी दरों से कम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति करने हेतु कोई पहल की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) अक्तूबर, 2000 में गुजरात सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के लिए सहमति प्रदान की और उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के उपबंधों के तहत राज्य में एनईएलपी ब्लाकों से केन्द्र सरकार को होने वाले लाभ पेट्रोलियम के 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए अनुरोध किया था। यह अनुरोध सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (च) एनईएलपी के तहत भूस्थित क्षेत्रों के लिए रायल्टी की दर कच्चे तेल के लिए 12.5 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत है और इन दरों को अंतिम रूप देते समय सरकार द्वारा रायल्टी निर्धारित करने के लिए प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा गया है।

रेल पुलों/रेल उपरि पुलों/रेल अंडर ब्रिजों की परियोजनाएं

1541. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में विशेषकर राजस्थान राज्य में नई/चल रही रेल पुलों/रेल उपरी पुलों/रेल अंडर ब्रिजों की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त परियोजनाओं हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में निधि आबंटित की जाती है और कार्य को समय से पूरा करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है।

विवरण

पुलों/ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के आंकड़े तथा इसके लिए निधियों का आबंटन रेलवे-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार बहरहाल, राजस्थान (जैसाकि माननीय संसद सदस्य ने पूछा है), उत्तर, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा सेवित किया जाता है, तदनुसार, भारतीय रेलों पर नए/चालू रेल पुलों/ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के ब्यौरे तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03) के प्रथम वर्ष के दौरान इन कार्यों के लिए आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं:

रेलवे	1.4.2002 को नए/चालू रेल पुलों की संख्या	संशोधित परिव्यय 2002-03 (आंकड़े करोड़ रु. में)	नए/चालू ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों की संख्या	संशोधित परिव्यय 2002-03 (आंकड़े करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
मध्य	563	47.21	23	5.31
पूर्व	234	15.64	33	6.47

1	2	3	4	5
उत्तर	842	30.86	24	18.66
पूर्वोत्तर	105	7.08	22	1.82
पूर्वोत्तर सीमा	376	21.94	7	5.00
दक्षिण	346	8.53	130	53.79
दक्षिण मध्य	227	17.83	54	18.21
दक्षिण पूर्व	463	24.82	35	13.50
पश्चिम	798	22.56	11	8.49
पूर्व मध्य	253	20.20	42	15.15
उत्तर पश्चिम	277	2.51	4	2.70
जोड़	4484	219.18	385	149.10

बायोगैस विकास के प्रावधान हेतु राजसहायता

1542. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना स्थापित करने हेतु राज सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक विभिन्न राज्यों में स्थापित बायोगैस परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में बायोगैस अपनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।

(ख) वर्ष 2002-03 के लिए विभिन्न राज्यों और संस्थाओं को आबंटित केन्द्रीय सब्सिडी सहित केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) अब तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कुल संचयी लगभग 34.5 लाख परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) देश में बायोगैस संयंत्रों के संवर्धन के लिए किए गए प्रयास तथा उठाए जा रहे कदमों में एक दिवसीय महिला शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करना; संयंत्रों के निर्माण और रख-रखाव में मिस्त्रियों, निर्माताओं और उद्यमियों के प्रशिक्षण का आयोजन करना; राज्य स्तर बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से तकनीकी सहायता; टर्न की आधार पर पहले तीन वर्षों के मुफ्त रख-रखाव वारंटी के साथ संयंत्रों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और उद्यमियों को शामिल करना; प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक दोनों मीडिया के माध्यम से प्रचार; और केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध कराने के अलावा राज्य नोडल विभागों तथा एजेंसियों को सेवा प्रभार शामिल हैं।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए आवंटित केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/एजेंसी	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	477.40
अरुणाचल प्रदेश	25.00
असम	25.00

1	2
बिहार	15.50
छत्तीसगढ़	248.00
गुजरात	217.00
गोवा	3.10
हरियाणा	31.00
हिमाचल प्रदेश	8.00
जम्मू एवं कश्मीर	4.00
झारखंड	6.20
कर्नाटक	620.00
केरल	46.50
मध्य प्रदेश	341.00
महाराष्ट्र	310.00
मणिपुर	37.50
मेघालय	25.00
मिजोरम	50.00
नागालैंड	37.50
उड़ीसा	403.00
पंजाब	93.00
राजस्थान	6.20
सिक्किम	50.00
तमिलनाडु	62.00
त्रिपुरा	37.50
उत्तर प्रदेश	310.00
उत्तरांचल	20.00
पश्चिम बंगाल	403.00
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	1090.00
सतत विकास एजेंसी, कंजीरापल्ली, केरल	310.00
बायोटेक, तिरूवनन्तपुरम, केरल	31.00

झज्जर में आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र

1543. श्रीमती मिनाती सेनः
श्री हन्नान मोल्लाहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झज्जर घटना में आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, जहां 5 दलितों की हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो आरोपितों के नाम सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) उन धाराओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत आरोपितों पर आरोप लगाए गए हैं; और

(घ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) इस मामले को हरियाणा सरकार के साथ उठाया गया है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है और जब प्राप्त होगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बी.एस.सी.एल. की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन

1544. श्री महबूब जाहेदीः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. बैंक ने 9 दिसम्बर, 2002 को सुनवाई में सरकार की बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड के पुनरुद्धार अथवा उसकी परिसम्पत्तियों का इकाईवार मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कंपनी का इकाईवार मूल्यांकन नहीं कराना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या बी.आई.एफ.आर. बैंक ने कंपनी के लिए पूरी तरह अनुमोदित पुनर्वास योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी है और आठ माह का समय दिया है जो 30 सितम्बर, 2002 को समाप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो डब्ल्यू.बी.टी.आई. को टी.आर.एस. प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार समय-समय पर इसको पुनर्जीवित करने की योजना को अंतिम रूप देते समय या अन्यथा वेतन में संशोधन पर विचार करती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इकाई-वार मूल्यांकन आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) मसौदा पुनरुद्धार योजना (डी.आर.एस.) को समय-सीमा के भीतर अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। तत्पश्चात् बी.आई.एफ.आर. ने अपने दिनांक 10.2.2003 के आदेश के तहत सरकार को मसौदा पुनरुद्धार योजना (डी.आर.एस.) को 30 अप्रैल, 2003 से पहले प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(च) से (ज) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कहा गया है कि वे वेतन संशोधन को तभी प्रभावी बनाए जब वे अपेक्षाओं को पूरा करने के पर्याप्त संसाधन रखते हों। चूंकि, इस समय, कम्पनी रुग्ण है और पर्याप्त फालतू संसाधन सृजित करने की स्थिति में नहीं है।

मेजिया ताप विद्युत परियोजना में भर्ती

1545. **श्री सुनील खां:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेजिया ताप विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है कि पहली, दूसरी तथा तीसरी इकाई शुरू करने के पश्चात् भूमि गंवाने वाले में से पांच सौ बीस लोगों को भर्ती किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार भूमि गंवाने वालों तथा मेजिया ताप विद्युत परियोजना के प्रबंधन के बीच नवम्बर, 2002 में एक बैठक की गई थी कि शेष 267 भूमि गंवाने वालों की भर्ती किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो 267 भूमि गंवाने वालों के नाम एम.टी.पी.एस. के नोटिस बोर्ड पर न दर्शाये जाने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) ने सूचित किया है कि मेजिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच भूमि गंवाने वालों की भर्ती के बारे में कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है। तथापि डी.वी.सी., परियोजना पूर्ण होने तक परियोजना की वास्तविक जनशक्ति जरूरत के अनुसार श्रेणी "घ" पदों में चरणबद्ध ढंग से 520 भूमि गंवाने वालों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सिद्धांततः सहमत हो गया है। इस नीति के अनुरूप डी.वी.सी. ने अब तक मेजिया थर्मल पावर में 247 भूमि गंवाने वालों की भर्ती कर ली है।

(ख) राज्य सरकार ने डी.वी.सी. प्रबंधन के साथ नवम्बर, 2002 में बैठक आयोजित की थी, जिसमें प्रबंधन ने यह कहा था कि भूमि गंवाने वालों के पैनल, जिसे जिला अधिकारियों से प्राप्त बड़ी संख्या में नामों से तैयार किया जा रहा है, को अंतिम रूप देने पर परियोजना में रिक्त पदों पर शेष 273 व्यक्तियों की भर्ती पर विचार किया जाएगा।

(ग) शेष भूमि गंवाने वालों का पैनल तैयार हो जाने पर डी.वी.सी. प्रबंधन जिला प्राधिकारियों को इसकी सूचना देगा।

पुराने रेल पथों का प्रतिस्थापन करना

1546. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेल पथों की लंबाई और प्रतिशत क्या है जो तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाने के लिए अनुपयुक्त है;

(ख) पुराने पथों के प्रतिस्थापन हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और उस पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने हेतु पथों का परीक्षण करने के लिए कितनी मशीनों की जरूरत है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलपथों को गति क्षमता और वार्षिक यातायात के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है। इस समय बड़ी लाइन की श्रेणी और प्रत्येक श्रेणी में रेलपथ की लम्बाई नीचे दी गई है:

मार्ग	गति क्षमता (किमी. प्रति घंटा)	रेलपथ लंबाई (किमी. में)
1	2	3
ए	160 तक	13816
बी	130 तक	15297
सी	उपनगरीय	1319

1	2	3
डी विशेष	100 तक	4641
डी	100 तक	11719
ई विशेष	75 तक	2128
ई	75 तक	13242
कुल		62162

तदनुसार, प्रत्येक श्रेणी में रेलपथ संरचना मुहैया कराई गई है। बहरहाल, गाड़ी की गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है यथा सिगनलिंग की प्रणाली, चल स्टाक की किस्म, गति प्रतिबंध यदि कोई हो, आदि।

(ख) रेलपथ नवीकरण सहित 1.4.2001 को मौजूदा परिसम्पत्तियों का बकाया नवीकरण करने के लिए 2001-2002 के दौरान 17000 करोड़ रु. की राशि से व्यपगत न होने वाली विशेष रेलवे संरक्षा निधि (एस.आर.एस.एफ.) का गठन किया गया है। विशेष रेलवे संरक्षा निधि में से कुल 16538 किमी. रेलपथ नवीकरण स्वीकृत किया गया। इस बकाया कार्य को 31.3.2007 तक पूरा करने की योजना है बशर्ते की निधि उपलब्ध हो।

अब तक की गई प्रगति नीचे दी गई है:

वर्ष	खर्च (करोड़ रु. में)	किमी. में प्रगति (सीटीआर यूनिट में)
2001-02 (वास्तविक)	1360	2490
2002-03 (लक्ष्य)	1661	2645

(ग) भारतीय रेलवे ने पहले ही हस्तचालित रेलों के परीक्षण हेतु 383 अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीनों का प्रयोग शुरू कर दिया है।

सेल्फ प्रॉपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग (एस.पी.यू.आर.टी.) कारों पर विचार किया गया है।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1547. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कार्यरत रूग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थानवार संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) लाभ/घाटे में चल रहे/बी.आई.एफ.आर. के भेजे गए उपक्रमों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार नाम क्या हैं;

(घ) विनिवेश किए जाने वाले उपक्रमों के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार ने उनके पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में सुधार लाने हेतु और उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2000-2001 के अनुसार 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 29 उपक्रम थे, जिनके पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित हैं। उनकी अवस्थिति तथा निवल परिसंपत्तियों के रूप में कार्य-निष्पादन, लाभ/हानि तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों से सम्बन्धित विवरण संलग्न है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम विवरण में दिए गए हैं, जिनमें सरकारी नीति के अनुसार विनिवेश किया जाना है, जिसके अन्तर्गत सभी गैर-रणनीतिक सरकारी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर 26% अथवा इससे कम तक विनिवेश किया जा सकता है।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं, जिनमें पुनरूद्धार योजनाएं तैयार करना, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, व्यापार तथा वित्तीय पुनर्गठन करना, क्रय अधिमानता नीति लागू करना, लागत नियंत्रण उपाय करना तथा कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण करना इत्यादि शामिल हैं। कर्मचारियों की संख्या के यौक्तिकीकरण के उद्देश्य के लिए सरकार ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारम्भ की है। मानव संसाधन यौक्तिकीकरण के कारण प्रभावित कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन की योजना प्रारम्भ की गई है, ताकि स्वरोजगार के आधार पर नए धन्धे अपनाने में उनकी सहायता की जा सके।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार निवल परिसंपत्तियों तथा लाभ/हानि सहित महाराष्ट्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची

(लाख रुपए)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	अवस्थिति पंजीकृत कार्यालय/ मुख्यालय	निवल परिसंपत्ति	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5
1.	एयर इंडिया चार्ट्स लि.	मुम्बई	8	1
2.	एयर इंडिया	मुम्बई	36364	-4413
3.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.#	मुम्बई	407939	82012
4.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	मुम्बई	22948	-858
5.	भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम लि.	मुम्बई	70287	3555
6.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	पुणे	-13408	-498*
7.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.#	रायगढ़	19787	-3906
8.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.#	मुम्बई	648542	108801
9.	होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.#	मुम्बई	3031	-2508
10.	इंडियन ऑयल ब्लैंडिंग लि.	मुम्बई	6152	197
11.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	मुम्बई	1580435	272033
12.	इंडियन रेअर अर्थ्स लि.	मुम्बई	13373	3349
13.	इण्डो हांक्के होटल लि.	मुम्बई	466	22
14.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	नागपुर	-748	-298*
15.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि.	मुम्बई	-1734	-1784*
16.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.	नागपुर	10220	2005
17.	मझगांव डॉक लि.#	मुम्बई	27670	-1836
18.	मिलेनियम टेलीकॉम लि.	मुम्बई	-50	0
19.	खनिज गवेषण निगम लि.	नागपुर	-393	-606
20.	मुम्बई रेलवे विकास निगम लि.	मुम्बई	2572	84
21.	नेशनल बाइसिकल कारपो. ऑफ इंडिया लि. (विनिवेशित)	मुम्बई	-20873	-34*

1	2	3	4	5
22.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	मुम्बई	2010	331
23.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	मुम्बई	-133943	-20767*
24.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	मुम्बई	-118069	-18824*
25.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	मुम्बई	136677	6497
26.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	मुम्बई	-1908	-815*
27.	भारतीय नौवहन निगम लि.	मुम्बई	218748	38256
28.	विदेश संचार निगम लि. (विनिवेशित)	मुम्बई	658874	177883
29.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	नागपुर	114089	237

*बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित केन्द्रीय सरकारी उद्यम।
#विनिवेश किए जाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम।

तीव्रगति की विशेष रेलगाड़ियां

1548. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली विशेष रेलगाड़ी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इन तीव्र गति की विशेष रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है और इन्हें किन-किन खंडों पर चलाया जाएगा;

(ग) वर्तमान तीव्र गति की रेलगाड़ियां किस अधिकतम गति से चलाई जा रही है; और

(घ) क्या नई तीव्र गति की रेलगाड़ियों को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां। दिसम्बर, 2002 में कोंकण रेलवे पर 150 किमी. प्रति घंटा की गति पर एक विशेष गाड़ी चलाकर एक परीक्षण किया गया था।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) मौजूदा उच्च-गति की गाड़ियां जो 130 किमी. प्रति घंटा की अधिकतम गति पर परिचालित की जा रही है।

(घ) नई उच्च गति वाली गाड़ी के लिए उपयोग किए गए रेल इंजन जनरल मोटर्स संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित किए गए थे। बहरहाल, इसी प्रकार की क्षमता वाले रेल इंजन फिलहाल भारत में डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में निर्मित किए जा रहे हैं। उपयोग किए गए सवारी डिब्बे जर्मनी के मैं. अल्सरोय एल.एच.बी. से आयातित किए गए थे और इसी प्रकार के अभिकल्प वाले सवारी डिब्बे रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला में भी निर्मित किए गए हैं।

राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना

1549. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में 7 लाख लोग राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के पात्र है जबकि सरकार वर्तमान में केवल 1.42 लाख लोगों को पेंशन दे रही है;

(ख) क्या पेंशन के रूप में लाभग्राहियों को दिये जा रहे 75 रुपये प्रतिमाह बहुत कम है जबकि कीमतें बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आपके मंत्रालय की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है एवं इसका ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा योजना सहित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) वाले राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम को राज्य योजना को वित्त वर्ष 2002-03 से हस्तांतरित किए जाने तक इनका संचालन कर रहा था। एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले उन निराश्रित व्यक्तियों को 75/- रु. की मासिक पेंशन देने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही थी जिनकी संख्या का अनुमान राज्य की आबादी, निर्धनता अनुपात और कुल आबादी में 65 + आयु समूह के अनुपात जैसे मानदंडों के आधार पर किया गया था। इन मानदंडों के आधार पर राजस्थान के लिए नियत धनराशि की सीमा 1.41 लाख थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है।

(च) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में सुरक्षा योजना

1550. श्री एम.के. सुब्बा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे ने इस क्षेत्र में आतंकवादियों की निरंतर धमकियों के बावजूद दुर्घटनाओं को कारगर ढंग से रोकने हेतु सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विकास के लिए व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी कार्यान्वयन पर अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। ट्रैक और महत्वपूर्ण पुलों की संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस तथा सिविल प्राधिकारियों के समन्वय से एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। इसमें ट्रैक पर गश्त लगाना, महत्वपूर्ण पुलों पर प्रकाश व्यवस्था करना, सुरक्षा संबंधी पथप्रदर्शी गाड़ी चलाना और संयुक्त नियंत्रण कक्षों की स्थापना शामिल है। 2002-03 के दौरान किया गया संभावित खर्च 21.6 करोड़ रु. है।

(ग) विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) 2.8 करोड़ रुपए (अनुमानित) की लागत पर 14 रेलवे पुलों पर सुरक्षा संबंधी प्रकाश व्यवस्था।

(2) अप्रैल, 2001 से जनवरी, 2003 तक बैरकों तथा सुरक्षा गश्त पर 1.58 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। 2001-2002 के दौरान रेलवे सुरक्षा विशेष बल की बटालियनों की तैनाती पर अतिरिक्त 18 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी

1551. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा उपकरणों के निजी क्षेत्र में उत्पादन के लिए छह प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के साथ समझौते हेतु कई विदेशी रक्षा कम्पनियों ने गहरी रुचि प्रदर्शित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग ने रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए छह आशय-पत्र जारी किए हैं:-

	निजी उद्यमी का नाम	मदें
	1	2
(1)	मैसर्स रामोस इंडिया	बुलेट प्रूफ उपस्कर तथा अन्य सुरक्षा वस्त्र
(2)	मैसर्स लार्सेन एंड टूब्रो लिमिटेड	कवचित तथा अन्य युद्धक वाहन आदि

1		2
(3)	मैसर्स लार्सेन एंड टूब्रो लिमिटेड	युद्धपोत, पनडुब्बी, शस्त्र प्लेटफार्म तथा उच्च गति मोटरयान आदि।
(4)	-वही-	रेडार तथा सोनार प्रणाली आदि।
(5)	-वही-	शस्त्र लांचर, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि।
(6)	मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड	बहु-भूमिका वाले हल्के कवचित वाहन

(ग) भारत में निजी क्षेत्र के साथ गठबंधन के लिए विदेशी कंपनियों से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एच.एम.टी., श्रीनगर इकाई का पुनरुद्धार

1552. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.एम.टी. घड़ियों की श्रीनगर इकाई बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उद्योग के पुनरुद्धार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार इस इकाई को वर्ष 1991-92 से ही वित्तीय सहायता मुहैया कराती रही है। सरकार ने श्रीनगर वाच फेक्टरी (एस.डब्ल्यू.एफ.) के लिए जम्मू कश्मीर सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से उपयुक्त छूट/बजटीय सहायता से 0.5 मिलियन घड़ियां प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में एक पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की है। योजना के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी के नवीकरण एवं प्रतिस्थापन तथा पूंजीगत व्यय के लिए 3.35 करोड़ रुपये सहित 17.70 करोड़ रुपये बजटीय सहायता मुहैया कराई गई है जो निम्नानुसार हैं:

विवरण	कुल
क. संयंत्र एवं मशीनरी का नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	2.50
ख. पूंजीगत व्यय-एकीकरण कार्य (एसेम्बली ऑपरेशन)	0.85
ग. अतिरिक्त कार्यशील पूंजी	7.30
घ. नकद हानि (ऋण पर कर पूर्व तथा सीसी ब्याज पर विचार करने के बाद)	7.05

सरकार ने वर्ष 2000 में श्रीनगर वाच फैक्टरी सहित एचएमटी के लिए एक दूसरी पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की। योजना के अनुसार श्रीनगर वाच फैक्टरी का गठन एक पृथक सहायिका के रूप में हुआ तथा वास्तविक मजदूरी और वेतन व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में 3 वर्षों की अवधि तक वार्षिक बजटीय सहायता मुहैया कराई जानी है। पुनरुद्धार योजना के आधार पर वर्ष 2000 में 32.81 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

[अनुवाद]

कूपन रिवैलिडेटिंग मशीन

1553. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मुम्बई में पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे में अधिष्ठापित कूपन रिवैलिडेटिंग मशीनों की व्यवहार्यता और उपयोगिता संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकतर मशीनें कार्य नहीं करतीं और कूपन खरीदने वाले यात्रियों को इस मशीन के कार्य न करने के कारण काउन्टर से कूपन पर मुहर लगवानी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और पिछले तीन महीनों के दौरान कूपन रिवैलिडेटिंग मशीन के रख-रखाव प्रभार, अधिष्ठापन प्रभार, लागत और उपयोगिता संबंधी प्रभार क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) कार्ड टिकटों को जारी करने के लिए बुकिंग काउंटरों पर कतारों की लंबाई कम करने के लिए, पश्चिम रेलवे में व्यवहार्यता एवं उपयोगिता सर्वेक्षण करने के बाद पायलट परियोजना के रूप में कूपन वैलिडेटिंग मशीन स्थापित की गई थी। पश्चिम रेलवे के यात्रियों से प्राप्त मांग के आधार पर बाद में इस सुविधा को मध्य रेलवे पर भी मुहैया कराया गया था।

(ग) कुछ मशीने कभी-कभार विफल हो जाती हैं। ऐसे मौकों पर यात्रियों को बुकिंग काउंटरों से कूपनों पर हाथ से स्टैंप लगवानी पड़ती है जिसके लिए उनको प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) विफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है:

(1) मोटरिंग विफलता, हेडिंग विफलता जैसे यांत्रिकीय विफलता।

(2) शरारती तत्वों द्वारा छेड़छाड़ के कारण कागजों का जाम हो जाना।

(3) बिजली गुल दोनों/लुपलुपा करने के कारण प्रदर्श का दोषपूर्ण हो जाना।

कुछ कूपन वैलिडेटिंग मशीनें वारंटी में है और बाकी मशीनों के लिए सालाना अनुरक्षण ठेका मूल उपस्कर विनिर्माता कंपनी को दे दिया गया है। मध्य और पश्चिम रेलवे पर मशीनों की लागत, अनुरक्षण संविदा प्रभार, बेचे गए कूपन, बुकलेट की संख्या तथा औसत आमदनी का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रु. में)

महीना	प्रतिदिन बेचे गए औसतन कूपन बुकलेट	प्रतिदिन औसतन आमदनी
मध्य रेलवे		
नवंबर, 02	7,500	3.14
दिसंबर, 02	11,114	2.61
जनवरी, 03	7,124	1.91
पश्चिम रेलवे		
नवंबर, 02	4,523	2.13
दिसंबर, 02	4.604	2.16
जनवरी, 03	3,729	1.76

मशीन की लागत-लगभग 29500 रु.

अनुरक्षण संविदा प्रभार-प्रति मशीन लगभग 5000 रु.

(ङ) कूपन वैलिडेटिंग मशीनों की कार्य प्रणाली की निगरानी विभिन्न स्तरों पर दैनिक आधार पर की जाती है। दोषपूर्ण अनुरक्षण के कारण विनिर्माता कंपनी पर दंड लगाया गया है जिसे सालाना अनुरक्षण ठेका दिया गया है।

[हिन्दी]

यात्रियों को ठगना और गुमराह करना

1554. डा. बलिराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ रेलवे स्टेशनों, राजधानी में दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों और महाराष्ट्र में थाणे, कल्याण मुंबई सेन्ट्रल, चर्च गेट, दादर और वी.टी. रेलवे स्टेशनों में दलालों द्वारा यात्रियों विशेषकर अशिक्षित ग्रामीण श्रमिकों को ठगने और गुमराह किए जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे एजेंटों और टिकट कलेक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। बहरहाल, समय-समय पर कुछ मामले ध्यान में आते हैं।

(ख) से (घ) ऐसे कदाचारों में संलिप्त दलालों तथा असामाजिक तत्त्वों को रोकने के संबंध में सभी प्रमुख स्टेशनों पर वाणिज्यिक तथा सतर्कता विभागों द्वारा तथा कभी-कभी पुलिस के सहयोग से बार-बार जांचें की जाती हैं। ऐसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों को पकड़ा जाता है तथा कानून के संबद्ध प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप

1555. **श्रीमती रीना चौधरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तेल कंपनियों द्वारा आवंटित पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में किन-किन जिलों में तेल कंपनियां स्वयं पेट्रोल पंपों को चला रही हैं और ये पेट्रोल पंप कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां किसी को भी कोई पेट्रोल पंप आवंटित नहीं किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) की उन योजनाओं के तहत जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न व्यक्तियों को खुदरा बिक्री डीलरशिप (पेट्रोल पंप) आबंटित किए गए थे, में विपणन योजनाएं, ''आपरेशन विजय'' में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/उनके आश्रितों को खुदरा बिक्री डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन की विशेष योजना और सरकार का विवेकाधीन कोटा शामिल है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में तेल कंपनियां 90 कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र और 16 जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां तेल कंपनियों द्वारा कोई खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित न किया गया हो।

[अनुवाद]

परम्परागत मछुआरों हेतु मिट्टी के तेल का आवंटन

1556. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में परम्परागत मछुआरों के लिए शुल्क मुक्त आयातित मिट्टी के तेल के आवंटन को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इस मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत मछुआरों को मिट्टी तेल का कोई पृथक आवंटन नहीं किया जा रहा है। आगे मछुआरों को इसकी आपूर्ति करने के प्रयोजन विशेष से आयातित मिट्टी तेल पर सीमाशुल्क की छूट देने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

घाटे में चल रही शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को बंद किया जाना

1557. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने घाटे में चल रही शताब्दी एक्सप्रेस वातानुकूलित रेलगाड़ियों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) लगातार घाटे में चल रही शताब्दी एक्सप्रेस वातानुकूलित रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी रेलगाड़ियों के लिए नए मार्गों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या वातानुकूलित शताब्दी एक्सप्रेस हेतु नए मार्गों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसी रेलगाड़ियों के रूट को अंतिम रूप दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) शताब्दी एक्सप्रेस सहित गाड़ियों को चलाया/रद्द करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के स्वरूप, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। चूंकि गाड़ीवार लाभ के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं इसलिए घाटे में चल रही शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

बहरहाल, 2002-03 के दौरान कम लोकप्रियता के कारण निम्नलिखित मार्गों पर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं/की जा रही हैं:

1. बरेली-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस
2. भटिंडा-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस
3. टाटा-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस

पूर्वोत्तर राज्यों के लंबित प्रस्ताव

1558. श्री भीम दाहाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु नार्थ ईस्ट इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) को सौपी गयी है।

नीपको

1. तुरियल जल विद्युत परियोजना (2×30 मेगावाट), मिजोरम
2. कोपिली जल विद्युत परियोजना (1×25 मेगावाट), असम
3. कामेंगजल विद्युत परियोजना (4×150 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
4. तुईवई जल विद्युत परियोजना (3×70 मेगावाट), मिजोरम
5. तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट), मणिपुर
6. रंगानदी जल विद्युत परियोजना चरण-2 (3×60 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
7. लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना (3×50 मेगावाट), असम
8. त्रिपुरा गैस आधारित कंबाईंड साइकिल विद्युत परियोजना, त्रिपुरा

एन.एच.पी.सी.

1. लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (3×30 मेगावाट), मणिपुर
2. लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
3. मिडिल सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
4. अपर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना (2500 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
5. लोअर सियांग जल विद्युत परियोजना (1700 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
6. मिडिल सियांग जल विद्युत परियोजना (700 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
7. अपर सियांग जल विद्युत परियोजना (11000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
8. दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2500 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

इन परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधी वर्तमान स्थिति विवरण में दी गयी है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन आमतौर पर त्रिचरणीय अनुमति प्रक्रिया विधि के तहत किया जाता है जिसके अन्तर्गत निवेश अनुमोदन तीन चरणों में यथा-सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा पूर्व सम्भव्यता रिपोर्ट की तैयारी (चरण-1) विस्तृत अन्वेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तथा भूमि अधिग्रहण सहित निर्माण पूर्व (गतिविधियां (चरण-2) तथा (3) मुख्य परियोजना निर्माण कार्य का निष्पादन (चरण-3) प्रदान किया जाता है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर है जिसमें सभी प्रकार के सांविधिक अनुमति प्राप्त करना, वित्तीय पहलू, परियोजना से विद्युत पारेषण/निर्गम की व्यवस्था तथा विद्युत बिक्री के सम्बन्ध में वाणिज्यिक करार शामिल है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा सौंपी गयी विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (लाख रु. में)	राज्य	क्रियान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	तुरियल एचईपी	60	मिजोरम	नीपको	- सभी स्वीकृतियां दी गयी है तथा परियोजना स्वीकृत - कार्य प्रगति पर है। - चालू किए जाने की निर्धारित तारीख जुलाई, 2006
2.	कोपिली एचईपी चरण-II	25	-	-	- सभी स्वीकृतियां दी गयी है तथा परियोजना स्वीकृत - कार्य प्रगति पर है। - चालू किए जाने की निर्धारित तारीख जुलाई, 2003
3.	कामेंग एचईपी	600	-	-	- तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) - टीईसी प्रदान की गयी - पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी - द्वितीय चरण वन स्वीकृति प्रदान की गयी - चरण-2 हेतु निवेश अनुमोदन (निर्माण पूर्व क्रियाकलाप तथा जांच के ब्यौरे) प्रदान किया गया
4.	तुईवई एचईपी	210	मिजोरम	नीपको	- सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्रदत्त - के.वि.प्रा. द्वारा अवसंरचना के विकास के लिए चरण-2 का प्रस्ताव जांचाधीन - परियोजना के लिए निधि की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न विकल्पों की तलाश की जा रही है।
5.	तिपाईमुख एचईपी	1500	मणिपुर	नीपको	- मिजोरम सरकार एवं असम सरकार से क्रमशः अगस्त, 2001 एवं जुलाई, 2002 में एनओसी प्राप्त हो गयी - 9.1.2003 को मणिपुर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

1	2	3	4	5	6
					– 9 जनवरी, 2003 को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया और इसे उपयुक्त पाया गया।
					– के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किया जाना जांचाधीन है।
6.	रंगानदी एचईपी चरण-II	180	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	– विस्तृत जांच एवं पूर्व निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थल स्वीकृति दी गयी।
					– के.वि.प्रा. में चरण-2 का अनुमान विचाराधीन है।
					– के.वि.प्रा. द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता की पुष्टि करने के बाद चरण-2 के कार्य (विस्तृत जांच एवं पूर्व निर्माण कार्य) हेतु निवेश अनुमोदन लिया जाएगा।
7.	लोअर कोपिली एचईपी	150	असम	नीपको	– नीपको द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के.वि.प्रा. के विचाराधीन है।
					– पर्यावरण एवं वन स्वीकृति हेतु इसे भेजा जाना शेष है।
					– राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना शेष है।
8.	त्रिपुरा गैस आधारित सीसीपीपी	–	त्रिपुरा	नीपको	– सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्रदान की गयीं।
					– त्रिपुरा गैस आधारित कंबाईंड साइकिल विद्युत परियोजना की क्षमता 10वीं योजना के दौरान गैस की उपलब्धता के मद्देनज़र पुनःनिर्धारित किया जा रहा है। तदनुसार नीपको द्वारा प्रस्तुत संशोधित डीपीआर के.वि.प्रा. के विचाराधीन है।
					– लाभार्थी राज्यों के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया जाना है।
					– परियोजना को जेबीआईसी हेतु आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया है।
9.	लोकतक डाउनस्ट्रीम एचइपी	90	मणिपुर	एनएचपीसी	– 30.12.1999 को परियोजना को स्वीकृति दी गयी।
					– स्थल पर कानून व व्यवस्था की समस्या के कारण कार्य स्थगित है।

1	2	3	4	5	6
10.	लोअर सुबानसिरी	2000	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	- के.वि.प्रा. ने 13 जनवरी, 2003 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। - निवेश अनुमोदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है। - एम.ओ.ई.एफ. से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है।
11.	मिडिल सुबानसिरी	2000	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	- चरण-1 की पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी। - व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु चरण-1 के कार्य (प्रारंभिक कार्य) प्रगति पर हैं।
12.	अपर सुबानसिरी	2500	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	- चरण-1 की पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी। - व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु चरण-1 के कार्य (प्रारंभिक कार्य) प्रगति पर हैं।
13.	लोअर सियांग	1700	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	- परियोजना प्राधिकारी द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। - चरण-1 के कार्य (प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं जांच) प्रगति पर है।
14.	मिडिल सियांग	700	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	- एमओईएफ द्वारा चरण-1 की स्थल स्वीकृति दी गयी। - चरण-1 के कार्यों (प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं जांच) के लिए निवेश अनुमोदन दिया गया।
15.	अपर सियांग	11000	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	- एमओईएफ द्वारा चरण-1 की स्थल स्वीकृति दी गयी - चरण-1 के कार्यों (प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं जांच) के लिए निवेश अनुमोदन दिया गया।
16.	दिबांग बहुद्देशीय परियोजना	2500	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में दिबांग परियोजना को क्रियान्वयन के लिए एनएचपीसी को सौंप दिया है, जबकि इसकी डीपीआर ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ही केन्द्रीय जल आयोग एवं एनएचपीसी के सक्रिय सहयोग के साथ की जाएगी। डीपीआर को जून, 2003 तक पूरा कर लिया जाएगा।

कर्नाटक में बीदर में कूड़ा-करकट का अपशिष्ट

1559. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में बीदर में बड़ी मात्रा में उस उपलब्ध कूड़ा-करकट के अपशिष्ट की जानकारी है जिसे पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त राज्य में कूड़ा-करकट के अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु कोई संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) लगभग 1.70 लाख की जनसंख्या वाले बीदर शहर में प्रतिदिन लगभग 35 टन कूड़ा-करकट उत्पन्न होने का अनुमान है। इस कूड़े-करकट का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जा सकता है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग) अब तक कूड़े-करकट से ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना हेतु कर्नाटक राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कूड़े-करकट से ऊर्जा प्राप्ति के लिए परियोजनाओं की स्थापना हेतु अभी आवश्यक पहलें की जानी है।

आन्ध्र प्रदेश में भारतीय सीमेंट निगम की इकाइयों का पुनरुद्धार

1560. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में टंदूर में भारतीय सीमेंट निगम के संयंत्र को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में टंदूर और अदिलाबाद में भारतीय सीमेंट निगम के पुनरुद्धार की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने सीसीआई को रुग्ण घोषित कर दिया है। बीआईएफआर जोकि एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, ने आपरेटिंग एजेंसी, दि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आईएफसीआई) को सीसीआई को समग्र रुप से या इसके संयंत्रों को पृथक या सामूहिक रुप से बेचने की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए निदेश दिया है। बीआईएफआर ने दिनांक 31.10.2002 को हुई अपनी सुनवाई में बीआईएफआर के एक विशेष निदेशक के साथ-साथ ऑपरेटिंग एजेन्सी से एक नामिनी, सरकार, कम्पनी, वित्तीय संस्थान एवं कर्न्सोटियम बैंकों, प्रत्येक से एक नॉमिनी को मिलाकर एक परिसम्पत्ति बिक्री समिति (एएससी) गठित की है। परिसम्पत्ति बिक्री समिति (एएससी) को 15.12.2002 से 6 महीने की समय-सीमा दी गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पन बिजली परियोजनाएं

1561. **श्री अनन्त नायक:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपने कार्यकलापों का विविधीकरण किया है और इसने पन बिजली उत्पादन में प्रवेश कर लिया है;

(ख) यदि हां तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने किन-किन राज्यों में पन बिजली परियोजनाएं आरंभ की है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अब तक कौन-कौन सी नई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने अपने कार्यकलापों का विविधीकरण किया है तथा हिमाचल प्रदेश की कोलडैम पन विद्युत परियोजना (800 मेगावाट) का कार्य

कार्यान्वयन हेतु शुरू कर पन विद्युत उत्पादन में प्रवेश किया है, तथा परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा एनटीपीसी ने हाल ही में पन विद्युत परियोजनाओं नामत: लोहारी-नागपाला (520 मेगावाट) तथा तपोबन विष्णुगढ़ (360 मेगावाट) के विकास हेतु उत्तरांचल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के स्थापना तथा सांविधिक अनुमति मिलने पर निर्भर है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनाथों के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन

1562. श्री जय प्रकाश: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सहित विभिन्न राज्यों में अनाथों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में इन संगठनों में से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी है;

(ग) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठनों में से कुछ संगठनों ने इन निधियों का दुरूपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में अनाथों के कल्याण के लिए कार्यरत और देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय की गृहों (शिशु गृह) को सहायता देने की योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जा रहे गैर-सरकारी संगठनों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों में से प्रत्येक को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान योजना के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के किसी गैर-सरकारी संगठन ने इस मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(ग) से (ङ) जी हां। कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में जानकारी मिली है तथा उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गई है। इन संगठनों और इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

"देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता" की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों में से प्रत्येक को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा और उत्तर प्रदेश में अनाथों के लिए गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में विवरण.

(रु. में)

क्र.सं	संगठन का नाम	वित्त वर्ष		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	इंडियन काउंसिल आफ सोसल वेलफेयर, हैदराबाद	740,400.00	550,800.00	-
2.	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन, विशाखापत्तनम	975,300.00	-	-
3.	सोसल एक्सन फार सोसल डेवलपमेंट, महबूबनगर	432,900.00	321,450.00	-
	उप-योग	2,148,600.00	872,250.00	0.00

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश				
1.	ओजु वेलफेयर एसो. ईटानगर	600,000.00	583,200.00	533,700.00
	उप-योग	600,000.00	583,200.00	533,700.00
असम				
1.	श्रीमाता संकर मिशन, नौगांव	-	-	172,125.00
2.	हिलाल संघ कम्यूनिटी सेंटर, करीमगंज	-	-	151,686.00
	उप-योग	0.00	0.00	323,811.00
दिल्ली				
1.	वेलफेयर होम फार चिल्ड्रेन, सरिता विहार	600,000.00	-	-
2.	सेवा भारती, झंडेवालान	464,400.00	177,314.00	466,650.00
	उप-योग	1,064,400.00	177,314.00	466,650.00
गुजरात				
1.	श्री काठियावार निराश्रित बालाश्रम, राजकोट	353,700.00	-	-
	उप-योग	353,700.00	-	-
हरियाणा				
1.	हरियाणा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, चंडीगढ़	447,030.00	347,276.00	223,650.00
2.	एसओएस चिल्ड्रेन विलेजेज, एसो. पंचकुला	-	-	354,452.00
	उप-योग	447,030.00	347,276.00	578,102.00
हिमाचल प्रदेश				
1.	एच.पी. स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, शिमला	-	78,763.00	191,803.00
	उप-योग	0.00	78,763.00	191,803.00
कर्नाटक				
1.	जयंती ग्राम वीमेन एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसो. बीजापुर	496,800.00	496,800.00	252,000.00
	उप-योग	496,800.00	496,800.00	252,000.00
केरल				
1.	दीनसेवन सभा, पट्टूवम, कन्नूर	464,400.00	449,072.00	232,200.00
2.	केरल स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, थायकॉड, तिरूवनंतपुरम	234,000.00	-	278,290.00

1	2	3	4	5
3.	होली एजेंल्स फाउंडलिंग होम, त्रिशूर	-	-	161,325.00
4.	आनंद भवन (फाउंडलिंग होम), पलक्कड़	-	-	198,598.00
	उप-योग	698,400.00	449,072.00	870,413.00
मध्य प्रदेश				
1.	श्री बांके बिहारी कुंज बहुद्देशीय महिला कल्याण समिति	600,000.00	600,000.00	518,850.00
	उप-योग	600,000.00	600,000.00	518,850.00
महाराष्ट्र				
1.	आधारश्रम, नासिक	766,800.00	600,000.00	707,100.00
2.	बाल विकास महिला मंडल, लातूर	600,000.00	594,000.00	512,100.00
3.	पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, बुल्दाना	712,800.00	243,600.00	-
4.	ध्यान गंगोत्री एजुकेशन सोसाइटी, लातुर	600,000.00	594,000.00	516,150.00
5.	पंकज बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, भंडारा	-	-	933,300.00
6.	डिस्ट्रीक प्रोवेशन एंड आफ्टर केयर एसो. कोल्हापुर	138,186.00	-	496,800.00
7.	वात्सल्य ट्रस्ट, मुंबई	-	1,166,400.00	453,533.00
8.	सांधी निकेतन शिक्षण संस्थान, नांदेड	745,200.00	494,100.00	493,900.00
9.	पटेल बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, नागपुर	248,400.00	248,400.00	-
10.	श्रीमती नरसाबाई महिला मंडल, नांदेड	-	1,020,600.00	452,700.00
11.	प्रियदर्शिनी शिक्षण प्रसारक मंडल, चंद्रपुर	606,750.00	410,400.00	-
12.	डिस्ट्रीक प्रोवेशन एंड आफ्टर केयर एसो. अहमदनगर	498,809.00	496,800.00	513,337.00
13.	ज्योतिषा फूले सेवा ट्रस्ट, नांदेड	496,800,00	518,400.00	526,950.00
14.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, लातुर	-	1,004,400.00	497,250.00
15.	उन्नतिशील महिला मंडल, नादेड	297,900.00	-	-
16.	जयश्री सुशिक्षित बेरोजगार महिला मंडल, नागपुर	-	-	172,125.00
17.	रोहिणी कल्याण कारी महिला मंडल, भंडारा	-	-	329,719.00
18.	ग्रामीण शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास मंडल, गढ़चिराली	-	237,600.00	-
19.	साकार (सोसाइटी फार एडॉप्शन नालेज, अवेयरनेस एंड रिसोर्स)	-	-	69,398.00
	उप-योग	5,711,645.00	7,628,700.00	6,674,362.00

1	2	3	4	5
मणिपुर				
1.	सोसल रिफार्मेशन एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन लाइकाइ, इंफाल (इस्ट)	49,500.00	356,400.00	479,700.00
2.	कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थाउबल	49,500.00	99,900.00	479,700.00
3.	टियर फंड इंडिया कमिटी आन रिलीफ एंड रिहैबिलीटेशन सर्विस, चुडाचंदपुर	-	-	172,125.00
4.	इंटीग्रेटेड वीमेन एंड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट सेंटर, इंफाल	-	-	172,125.00
	उप-योग	99,000.00	456,300.00	1,303,650.00
मिजोरम				
1.	इंटरनेशनल पुअर चिल्ड्रेन, आइजाल	49,500.00	496,800.00	525,600.00
	उप-योग	49,500.00	496,800.00	525,600.00
उड़ीसा				
1.	सुभद्रा मेहताब सेवा सदन, खुर्दा	-	1,171,800.00	241,200.00
2.	बसुन्धरा, बसुन्धरा नगर	-	1,150,800.00	-
3.	निलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी	600,000.00	-	-
4.	बनवासी सेवा समिति, कंधमल (फुलबनी)	248,400.00	761,400.00	512,100.00
5.	विकास परिषद, कटक	745,200.00	-	-
6.	लुथरन महिला समिति, केंद्रापाड़ा	243,000.00	496,800.00	504,000.00
7.	कम्यूनिटी लीगल एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, धेनकनाल	243,000.00	-	-
8.	महर्षि दयानंद सर्विस मिशन, धेनकनाल	49,500.00	496,800.00	229,050.00
9.	अनथा परित्यक्त बालाश्रम, नयागढ़	-	-	418,725.00
	उप-योग	2,129,100.00	4,077,600.00	1,905,075.00
राजस्थान				
1.	श्री करनी नगर विकास समिति, कोटा	248,400.00	891,000.00	547,200.00
2.	मधु स्मृति महिला एंड बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा	243,000.00	496,800.00	493,200.00
	उप-योग	491,400.00	1,387,800.00	1,040,400.00
तमिलनाडु				
1.	गिल्ड आफ सर्विस (सेंट्रल), चेन्नई	248,400.00	-	-
2.	मद्रास सोसल सर्विस गिल्ड चेन्नई	220,050.00	-	-

1	2	3	4	5
3.	मलेशियन सोसल सर्विस, चेन्नई	248,400.00	583,200.00	291,600.00
	उप-योग	716,850.00	583,200.00	291,600.00
त्रिपुरा				
1.	त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, अगरतला	599,400.00	583,200.00	266,850.00
2.	त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, नुतननगर	-	-	69,038.00
	उप-योग	599,400.00	583,200.00	335,888.00
पश्चिम बंगाल				
1.	स्काटलेन पोवर्टी इराडिकेशन सेंटर, कोलकाता	-	-	169,425.00
2.	रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, बैरकपुर	-	-	161,325.00
3.	विवेकानंद वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, कोलकाता	-	-	69,488.00
	उप-योग	0.00	0.00	230,813.00
	सर्व-योग	16,205,825.00	18,818,275.00	16,042,717.00

*अनियमितताओं के लिए गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के कारण।

**अनियमितताओं के लिए गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के कारण।

***देश के भीतर दत्तकग्रहण संबंधी लाइसेंस लाइसेंस के सौंपने नहीं के कारण।

विवरण II

शिशु गृह योजना के अंतर्गत अनियमितताओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा और उत्तर प्रदेश में अनाथों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	की-गई-कार्रवाई
1	2	3
1.	इंडियन काउंसिल आफ सोसल वेलफेयर, हैदराबाद, आ.प्र.	अनुदान वापस लिया गया
2.	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन, विशाखापत्तनम, आ.प्र.	अनुदान वापस लिया गया
3.	सोसल एक्शन फार सोसल डेवलपमेंट, महबूब नगर, आ.प्र.	अनुदान वापस लिया गया
4.	विकास परिषद, ग्रा.-कदमपारा (खारीपादिया) पो.-धादीदमनपुर (42 मौजा), जिला-कटक, उड़ीसा	अनुदान वापस लिया गया
5.	कम्यूनिटी लीगल एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, ग्रा.पो.-बेनसिया, वाया-माहिमगाड़ी, जिला-धेनकानाल-759014, उड़ीसा	अनुदान वापस लिया गया

1	2	3
6.	मलेशियन सोसल सर्विसेज, हा.नं.-6, सेनगुनथर स्ट्रीट, सिनाऊ नगर, चेन्नई-600030, तमिलनाडु	अनुदान वापस लिया गया
7.	जयन्ती ग्राम वीमेन एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसो., पो.बा.-55, मल्किार्जुन गयाना योगाश्रम बी.एल.डी.ई. रोड, बीजापुर-586103, कर्नाटक	अनुदान रोक दिया गया और मामला न्यायिक विचाराधीन है।
8.	प्रियदर्शिनी शिक्षण प्रसारक मंडल, चंद्रपुर महाराष्ट्र	अनुदान वापस लिया गया
9.	मद्रास सोसल सर्विस गिल्ड, चेन्नई, तमिलनाडु	अनुदान वापस लिया गया
10.	सोसल रिफार्मिशन एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, इंफाल, मणिपुर	कारण बताओ नोटिस जारी

[अनुवाद]

पावर ग्रिड कारपोरेशन को विश्व बैंक ऋण

1563. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया के सामने करारों को अंतिम रूप देने में असाधारण विलम्ब के कारण विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 117 मिलियन यू.एस. डालर खोने का खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो करारों में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा करारों को अंतिम रूप देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त करारों और ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) पीजीसीआईएल ने विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु 450 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण (विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-II) के लिए 13 जून, 2001 को विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें एक बेकबॉन टेलकम नेटवर्क की स्थापना के लिए 117 मिलियन का एक ऋण शामिल है। जहां विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण वाली अन्य स्कीमें पीजीसीआईएल के क्रियान्वयनाधीन है वहीं बेकबान टेलकम नेटवर्क की स्थापना हेतु स्कीम निवेश अनुमोदन प्रदान किये जाने की अग्रिम अवस्था में है। इसी बीच, विश्व बैंक ने पीजीसीआईएल को सूचित किया है कि यदि परियोजना का निवेश अनुमोदन करने और विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-2 के दूरसंचार घटक के लिए ठेका प्रदान करने के संबंध में 31 जनवरी, 2003 तक निर्णय नहीं लिये जाते हैं तो कथित पैकेज के लिये बोली वैद्यता के विस्तार से बैंक सहमत नहीं हो सकेगा। इसका आशय यह होगा कि प्रश्नगत ठेका का बैंक द्वारा वित्तपोषण नहीं किया जायेगा और ऋण से तदनुरूपी राशि निरस्त हो जायेगी। तथापि बैंक को यह सूचित किया गया है कि पीजीसीआईएल की दूरसंचार परियोजना से संबंधित मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है और निवेश अनुमोदन शीघ्र प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा है। जैसे ही परियोजना के लिए निवेश अनुमोदन जारी हो जायेगा पीजीसीआईएल इस परियोजना के लिए ठेके प्रदान कर सकेगा।

[हिन्दी]

कुंभ के दौरान नासिक को नई विशेष रेलगाड़ियां

1564. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में नासिक को इस वर्ष यहां "कुंभ" के मद्देनजर विभिन्न शहरों से कितनी नई विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा नासिक में कुंभ के समय स्थानीय एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों को ठहराव देने हेतु क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यात्रियों को और सुविधाएं देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) नासिक में कुम्भ मेले के कारण होने वाली भीड़ को संभालने के लिए इस वर्ष रेलवे मेला प्राधिकरण से परामर्श कर इंतजाम करेगी बशर्ते कि परिचालन व्यवहार्यता, यातायात औचित्य और संसाधन की उपलब्धता हो। हाल ही में, 8609/8610 रांची-लोकमान्य तिलक (टी), 2133/2134 मुंबई-लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस, 2103/2104 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-नागपुर समरसता एक्सप्रेस और 1045/1046 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-भुवनेश्वर एक्सप्रेस को नासिक में ठहराव दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में कल्याण कार्यक्रमों हेतु आबंटित धनराशि

1565. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) निधियां राज्यवार नहीं बल्कि योजनावार आबंटित की जाती है। किसी राज्य को निधियों का आबंटन राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ प्राप्त पूर्ण तथा प्रत्येक निर्मुक्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर निर्भर करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ को संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त की गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को पूर्व वर्ष के दौरान निर्मुक्त राशि के संबंध में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के बाद ही निधियां निर्मुक्त की जाती है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ को कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां अनुसूचित जाति विकास

	अनुसूचित जाति विकास	2000-01		2001-02	
		निर्मुक्त	उ.प्र. के लिए प्राप्त	निर्मुक्त	यू.सी. के लिए प्राप्त
	1	2	3	4	5
1.	अ.जा. के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	500.00	284.28	414.68	465.1
2.	अ.जा. के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	0.00	229.91	229.91
3.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	2.24	2.24
4.	अ.जा. के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	0.00	0.00	3.32	3.32
5.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	15.00	अप्राप्त	0.00	0.00
	अल्पसंख्यक				
6.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	0.00	0.00	1.39	1.39
	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण				
7.	विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	207.00	अप्राप्त	156.05	अप्राप्त
8.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने की योजना	6.57	6.57	5.52	5.52

	1	2	3	4	5
9.	सहायक यंत्रों तथा उपकरण लगाने तथा खरीदने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	0.00	0.00	7.54	7.54
	समाज रक्षा				
10.	मद्यनिषेध तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण की योजना	0.00	0.00	2.84	2.84
11.	वृद्धावस्था गृहों का निर्माण	0.00	0.00	10.00	अप्राप्त

एन.आर.-उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ

[अनुवाद]

नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1566. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन नई परियोजनाओं हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क), (ख) और (घ) 10वीं योजना के दौरान 41,110 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। परियोजनावार विवरण और कार्य शुरू करने की निर्धारित तिथि विवरण में है।

(ग) योजना आयोग ने केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत मंत्रालय को 143399 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया है। राज्य क्षेत्र के लिए 10वीं योजना में 93225.1 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि

परियोजना का नाम	जल विद्युत (मेगावाट)	ताप विद्युत (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)	चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5
		केन्द्रीय क्षेत्र		
एनटीपीसी				
सिम्हाद्री	–	500	500	24.8.2002(सी)
तालचेर (उड़ीसा)	–	2000	2000	यू-3 (500 मेगावाट)
				4.1.2003(सी)
				यू-4 (500 मेगावाट)

1	2	3	4	5
				12/2003
				यू-5 (500 मेगावाट)
				9/2004
				यू-6 (500 मेगावाट)
				6/2005
रिहन्द (उ.प्र.)	–	1000	1000	यू-3 8/2005
				यू-4 6/2006
रामागुण्डम	–	500	500	8/2005 (ग)
सीपत-1 (छत्तीसगढ़)	–	1320	1320	यू-1 6/2006
				यू-2 3/2007
कहलगांव (बिहार)	–	660	660	9/2006
बाढ़ (बिहार)	–	660	660	12/2006
विन्ध्याचल (म.प्र.)	–	500	500	8/2006
दादरी (उ.प्र.)	–	490	490	3/2007
ऊंचाहार (उ.प्र.)	–	210	210	12/2006
सीपत-2 (छत्तीसगढ़)	–	660	660	3/2007
उ. कर्णपुरा	–	660	660	3/2007
टीएचडीसी				
टिहरी एचईपी (उत्तरांचल)	1000	–	1000	2003-04
कोटेश्वश्र (उत्तरांचल)	400	–	400	2005-06
टिहरी पीएसपी (उत्तरांचल)	1000	–	1000	2006-07
एनएचपीसी				
दुलहस्ती (जम्मू व कश्मीर	390	–	390	2003-04
चमेरा-2 (हि.प्र.)	300	–	300	2004-05
धौलीगंगा-1 (उत्तरांचल)	280	–	280	2004-05
तीस्ता-5 (सिक्किम)	510	–	510	2006-07
इंदिरा सागर (जेवी) (म.प्र.)	1000		1000	2004-05

1	2	3	4	5
सेवा-2 (जम्मू और कश्मीर)	120	-	120	2006-07
बाव (महाराष्ट्र)	37	-	37	2006-07
पुरूलिया पीएसएस (जेवी) (प. बंगाल)	900	-	900	2006-07
ओंकारेश्वर (जेवी) (म.प्र.)	520	-	520	2006-07
तीस्ता लो डैम-3 (प. बंगाल)	132	-	132	2006-07
तीस्ता लो डैम-4 (प. बंगाल)	168	-	168	2006-07
डीवीसी				
मेजिया-4 प. बंगाल	-	210	210	7/2004
मेजिया-5 प. बंगाल	-	250	250	3/2006
मेथान (झारखंड)	-	1000	1000	2006/07
चन्द्रपुर (झारखंड	-	500	500	6/2006
एनजेपीसी				
नाथपा झाकड़ी (हि.प्र.)	1500	-	1500	2003-04
रामपुर (हि.प्र.)	400	-	400	2006-07
नीपको				
कोपिली-2 (असम)	25	-	25	2003-04
तुरियल (मिजोरम)	60	-	60	2006-07
त्रिपुरा (त्रिपुरा)	-	500	500	12/2006
कोयला मंत्रालय-एनएलसी				
एनएलसी-विस्तार-1 (तमिलनाडु)	-	420	420	यू-1(सी) 21.10.2002 को यू-2 नवंबर, 2003 में प्रत्याशित
एनएलसी-विस्तार-2 (तमिलनाडु)	-	500	500	यू-1 5/2006 यू-2 9/2006
बरसिंगमर (राजस्थान)	-	250	250	3/2007
समग्र केन्द्रीय क्षेत्र (थर्मल+हाइड्रो)	8742	12790	21532	

1	2	3	4	5
न्यूक्लीयर				
तारापुर, एनपीसी, महाराष्ट्र	–	–	1080	यू-3 2005-06
				यू-2006-07
कैगा, एनपीसी, कर्नाटक	–	–	220	2006-07
समग्र केन्द्रीय क्षेत्र (न्यूक्लीयर सहित)	8742	12790	22832	
		राज्य क्षेत्र		
पंजाब				
शाहपुरकंडी (एच)	168	–	168	2006-07
जीएचटीपी-2(टी)	–	500	500	यू-1 1/2006
				यू-2 7/2006
हरियाणा				
पानीपत यूनिट-7 व 8 (टी)	–	500	500	यू-9 9/2004
				यू-8 1/2005
हिमाचल प्रदेश				
लारजी-1 (एच)	126	–	126	2004-05
कशांग-1 (एच)	66	–	66	2006-07
जम्मू व कश्मीर				
बगलीहर (एच)	450	–	450	2004-05
दिल्ली				
प्रगति (टी)	–	225.78	225.78	9.11.2002 (सी)
राजस्थान				
सूरतगढ़-3(टी)	–	250	250	6/2003
रामगढ़-2(टी)	–	75.32	75.32	जीटी-7.8.2002(सी)
				एसटी 3/2003
कोटा-4(टी)	–	195	195	7/2003
मैथानिया (टी)	–	140	140	12/2005

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
परीचा विस्तार (टी)	–	210	210	9/2006
अनपार "ग" (1000)(टी)	–	500	500	9/2006
उत्तरांचल				
मनेरी भाली-2 (एच)	304	–	304	2005-06
छत्तीसगढ़				
कोरबा पूर्व विस्तार (टी)	–	420	420	12/2006
मध्य प्रदेश				
बाणसागर-3 (एच)	20	–	20	24.8.2002(सी)
बाणसागर-2 (एच)	15	–	15	20.8.2002(सी)
बाणसागर-4 (एच)	20	–	20	2004-05
मारीखेड़ा (एच)	40	–	40	2004-05
बीरसिंहपुर विस्तार (टी)	–	500	500	3/2006
महाराष्ट्र				
घाटघर पीएसएस (एच)	250	–	250	2004-05
पारली विस्तार (टी)	–	250	250	12/2006
गुजरात				
सरदार सरोवर (बहुराज्यीय) (एच)	1450	–	1450	2002-07
केएलटीपीएस विस्तार (टी)	–	75	75	3/2006
ध्रुवण गैस (टी)	–	106.62	106.62	4/2003 (जीटी) 6/2003 (एसटी)
अकरीमोटा (टी)	–	250	250	5/2004
तमिलनाडु				
पाइकारा अल्टीमेट (एच)	150	–	150	2003-04
भवानी बैराज (एच) (I, II, III)	90	–	90	2004-06
पेरूंगलम (वलाथूर) गैस(टी)	–	94	94	जीटी-24.12.2002(सी) एसटी 2/2003

1	2	3	4	5
कुट्टालम गैस(टी)	–	100	100	10/2003
आंध्र प्रदेश				
श्रीसेलम एलबीएच (एच)	450	–	450	यू-4 25.11.2002(सी)
				2003-04
जुराला प्रियदर्शिनी	78.2	–	78.2	2006-07
रायलसीमा-2 (टी)	–	420	420	यू-1 6/2006
				यू-2 12/2006
केरल				
कुटियाडी संवर्धन (एच)	100	–	100	2006-07
कर्नाटक				
अलमट्टी बांध (एच)	290	–	290	2004-06
रायचूर यू-7(टी)	–	210	210	11.12.2002 (यू)
बेल्लारी (टी)	–	500	500	3/2006
उड़ीसा				
बालीमेला-2 (एच)	150	–	150	2005-07
झारखंड				
तेनुघाट विस्तार (टी)	–	210	210	9/2006
प. बंगाल				
बक्रेश्वर यू-4 व 5(टी)	–	420	420	यू-4 9/2006
				यू-5 12/2006
सरदारडिगी-1	–	250	250	9/2006
असम				
कारबी लांग्पी (एच)	100	–	100	2004-05
लकवा डब्ल्यूएच (टी)	–	38	38	9/2005
मिजोरम				
बैराबी एचएफओ(टी)	–	22.92	22.92	6/2003
बैराबी (टी)	80	–	80	2006-07

1	2	3	4	5
मेघालय				
बाइरिनहाट (टी)	–	24	24	12/2004
मिंत्दू (लेइस्का) (एच)	84	–	84	2006-07
मेंदीपठार (टी)	–	24	24	12/2004
मणिपुर				
लीमाखोंग डीजी	–	18	18	डीजी-4 10.4.2002(सी) डीजी-5 16.4.2002(सी) डीजी-6 12.4.2002(सी)
त्रिपुरा				
बारामूरा जीटी (टी)	–	21	21	27.11.2002(सी)
रोखिया जीटी(टी)	–	21	21	11.6.2002(सी)
पांडिचेरी				
कराईकाल(टी)	–	100	100	3/2006
द्वीप समूह				
अंदमान व निकोबार				
रंगत बे	–	5	5	3/2005
समग्र राज्य क्षेत्र	4481.2	6675.64	11156.82	
पंजाब				
गोइंदवाल साहिब (टी)	–	500	500	यू-1 6/2006 यू-2 12/2006
हिमाचल प्रदेश				
बास्पा (एच)	300	–	300	2002-03
धामवाड़ी सुंडा (एच)	70	–	70	2006-07
उत्तरांचल				
विष्णुप्रयाग (एच)	400	–	400	2006-07
मध्य प्रदेश				
महेश्वर (एच)	400	–	400	2005-07
बीना (टी)	–	578	578	12/2006

1	2	3	4	5
गुजरात				
जामनगर	–	500	500	6/2006
महाराष्ट्र				
डाभोल-2 (टी)	–	1444	1444	3/2004
तमिलनाडु				
नैवेली जीरो (टी)	–	250	250	11.10.2002(सी)
आंध्र प्रदेश				
पेद्दापुरम	–	78	78	12.9.2002 (सी)
वेमागिरि	–	370	370	12/2005
गौमती-1(टी)	–	464	464	6/2006
रामागुंडम (टी)	–	520	520	यू-1 5/2005 यू-2 12/2005
जेगरूपाडु विस्तार (टी)	–	230	230	12/2005
कोनासीमा (टी)	–	445	445	3/2006
कर्नाटक				
हासन(टी)	–	189	189	3/2006
कनीमिंके (टी)	–	108	108	जीटी-1 4/2005 जीटी-2 6/2005 एसटी 12/2005
बिहार				
भीता (टी)	–	135	135	2006-07
झारखंड				
जोजोबेरा-2 (टी)	–	120	120	3/2006
द्वीप समूह				
बम्बू फ्लैड डीजी	–	20	20	डीजी-1 1.2.2003(सी) डीजी-2 15.6.2002(सी) डीजी-3 1.2.2003(सी) डीजी-4 15.6.2002(सी)
समग्र निजी क्षेत्र	1170	5941	7121	

सी. चालू

गुजरात में रेल परियोजनाएं

1567. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान गुजरात में नई रेल लाइनों, आमान परिवर्तन, रेल लाइनों के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण हेतु गुजरात एवं संसद सदस्यों से सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) नई एवं चालू रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) अब तक प्रत्येक परियोजना हेतु कितने धन का आवंटन किया गया है और कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) नई परियोजना की हरेक मांग का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में गुजरात सरकार के नई रेल लाइनों के निर्माण आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल लाइनों के विद्युतीकरण के संबंध में सरकार को प्राप्त कुछ प्रस्ताव निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1	2	3
	नई लाइन	
1.	गांधी नगर-अदराज मोती	2000-2001 के बजट में किया गया।
2.	वीरावल-सोमनाथ-कोड़ीनार	वीरावल से सोमनाथ तक नई लाइन का कार्य शुरू किया गया
3.	सुरेन्द्रनगर-लिब्दी-लोलया-बड़ा गांव -खंबट-कवि-जम्बूसर-भरूच	सुरेन्द्रनगर-लिब्दी का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड को देखते हुए प्रस्ताव के बाकी भाग के बारे में विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।
4.	मोदासा से तितोई तक रेल लाइन का विस्तार	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रपट की जांच की जा रही है।
5.	खाराघोड़ा संतलपुर	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
6.	धोलेरा पत्तन-भावनगर पत्तन	धोलेरा से होते हुए भावनगर से तारापुर के कार्य का सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
7.	हजिरा पत्तन नई लाइन तक विस्तार	गुजरात मेरीटाइम बोर्ड द्वारा मै. राइट्स को इस बार परियोजना के अध्ययन का कार्य दिए जाने की संभावना है।
8.	भावनगर-तारापुर	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
	आमान परिवर्तन	
1.	भरूच-दहेज	राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत यह एक पहचानी गई योजना है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कार्य की मंजूरी और निधि की व्यवस्था की जाएगी।

1	2	3
2.	अहमदाबाद-भावनगर-पलिताना	सुरेन्द्रनगर-बोलाद-धौला-सिहोर-भावनगर और सिहोर-पलिताना के आमान परिर्वतन का कार्य पहले से ही प्रगति पर है।
3.	सुरेन्द्रनगर-जोरावरनगर-सायला	सुरेन्द्रनगर-जोरावरनगर का कार्य प्रगति पर है। जोरावरनगर-सायाला रेल लाइन काफी पहले उखाड़ दी गई है।
4.	अहमदाबाद-हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा	अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उमरा (उदय सिटी) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
5.	वंसजालिया-जेतलसर	इस लाइन के आमान परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया गया है।
दोहरीकरण		
1.	सूरत-भुसावल	सूरत-उधना और भुसाव-जलगांव खंड पर पहले से ही दोहरी बड़ी लाइन है। उधना-जलगांव खंड पर दोहरीकरण के सर्वेक्षण प्रगति पर है।
2.	विरार-दहानु रोड	इस खंड पर स्वचालित सिगनलिंग द्वारा लाइन की क्षमता बढ़ाई जा रही है।
3.	अहमदाबाद-मुंबई	विरार और अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। इस खंड पर संतृप्ति के कारण स्वचालित सिगनलिंग को अपनाते हुए इस लाइन की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिए गया है। हालांकि, चरण-1 में सूरत से कोसम्बा तक तीसरी लाइन का कार्य शुरू किया गया है।

उपरोक्त के अलवा, योजनाशीर्ष नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण के अंतर्गत अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कुछ मामलों में सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। संसाधनों की तंगी और चालू कार्यों के भारी थ्रो फारवर्ड के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं पर कार्य शुरू करना व्यवहार्य नहीं ह। प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

नई लाइनें

1. पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन
2. न्यू हापा-दहिनसारा
3. तरंग हिल/खेड़ब्रह्मा से अंबाजी और आबू रोड तक रेल लाइन का विस्तार
4. जाफराबाद तक सुरेन्द्रनगर-पीपावाव रेल लाइन का विस्तार
5. अमरेली-लिलियामोटा
6. उमरेठ-वीणा-नादियाड-वासो-ढोलका-सुरेन्दनगर
7. राधनपुर-हारिज चंस्मा-मेहसाणा
8. राधनपुर-सामीशंखेश्वर-वीरमगांव
9. राधनपुर-थारड़-संचोर-जोधपुर
10. धौलावीरा-रापड़-टीकर-हादावाद-मालवन-अहमदाबाद
11. धौलेरा पत्तन-सुरेन्द्रनगर

आमान परिवर्तन

1. भुज-नलिया
2. मेहसाणा-तरंगा हिल
3. वदिया-कुंकावाव
4. सामल्या-मियागम कर्जन
5. जैतलसर-धासा
6. कलोल-काड़ी-कटोसन रोड

दोहरीकरण

1. वीरमगांव-ओखा

रेल विद्युतीकरण

1. अहमदाबाद- द्वारका-वीरमगांव-रोजकोट-ओख
2. दिल्ली-अहमदाबाद
3. अहमदाबाद-पोरबंदर और अहमदाबाद-गान्धीधाम-कच्छ

(ग) से (ङ) आवंटित निधि, किए गए खर्च और कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि सहित नई और चालू परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

जैसलमेर से कांडला, खाराघोड़ा-संतलपुर, भावनगर-तारापुर नई लाइनों के निर्माण, अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उमरा (उदयपुर सिटी) के आमान परिवर्तन दिल्ली-अहमदाबाद के दोहरीकरण, उधना जलगांव के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। ये सर्वेक्षण प्रगति के विभिन्न चरणों में है और संसाधनों के अनुसार 2003-04 पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

आवंटित निधि, किए गए खर्च और कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि सहित नई और चालू परियोजनाओं के ब्यौरे

(क) नई और चालू परियोजनाएं (करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना	बजट में शामिल किए जाने का वर्ष	लागत	मार्च,2002 तक खर्च	2002-03 के लिए बजट परिव्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें						
1.	गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल	2000-01	52	0.003	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को नक्शा प्रस्तुत कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के लिए निविदाओं की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
2.	कपड़वंज-मुदासा	1978-79	61.67	58.54	0.01	कार्य पूरा हो चुका और खंड चालू हो चुकी है। खंड को यात्री यातायात के लिए 27.10.02 को खोल दिया गया है।
3.	गोधर-इंदौर और देवास-मक्सी	1989-90	597	49.63	22.1	यह कार्य चरणों में किया जा रहा है। देवास मक्सी का कार्य पूरा हो चुका है और खंड चालू हो चुका है। शेष खंड पर कार्य शुरू करने के लिए शुरूआती प्रबंध किए जा रहे हैं।
आमान परिवर्तन						
4.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	1993-94	632.35	623.35	9	कार्य पूरा हो चुका है और खंड चालू हो चुका है, अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
5.	गांधीधाम-पालनपुर	1998-99	370.74	15.57	10	मिट्टी, पुल और गिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। रेल मंत्रालय और

1	2	3	4	5	6	7
						गुजरात सरकार तथा अन्य लाभ भोगियों के बीच लागत में भागीदारी के लिए समझौता-ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत आती है।
6.	धागंधा-कुदा साइडिंग	1997-98	10.17	3.67	0.01	कार्य पूरा हो चुका है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
7.	पीपावाव और सिहोर पलिताना तक विस्तार सहित सुरेंद्रनगर भावनगर राजुला महुआ	1996-97	423.63	103.139	25.9	पीपावाव से संपर्क सहित सुरेंद्रनगर से राजुला तक मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के अंतर्गत किया जा रहा है। इस कार्य को 2002-03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। धौला-भावनगर, सिहोर-पलिताना और राजुला-महुआ के आमान परिवर्तन का गैर एसपीवी कार्य भी प्रगति पर है। 2003-04 के दौरान धौला-भावनगर के कार्य का पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	वांकानेर-मालियामियाना	1995-96	100.85	100.72	0.01	कार्य पूरा हो चुका है खंड चालू हो चुका है।
9.	गांधीधाम-भुंज	1995-96	50.75	56.22	0.01	कार्य पूरा हो चुका है और खंड चालू हो चुका है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
10.	वांसजालियां से जेतलसर तक विस्तार के नियम एम.एम. सहित राजकोट -वीरावल	1994-95	291.65	37.32	35	2002-03 के दौरान राजकोट-जूनागढ़ खंड (103 किमी.) के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्य लाइन के शेषभाग का कार्य भी प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा।
11.	भिल्डी-वीलमगांव	1990-91	134.8	16.146	1	इस परियोजना के अंतर्गत वीरमगांव से पाटन तक का आमान परिवर्तन और पाटन से भिल्डी तक नई लाइन का निर्माण शामिल है। वीरमगांव से मेहसाणा तक का आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है जो आंशिक रूप से निर्माण, स्वामित्व और हस्तांतरण के अंतर्गत हो, जिसके लिए ठेका दिया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण						
12.	सूरत-कोसम्बा चरण-1	2000-01	49	0.3	16.38	प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।
रेल विद्युतीकरण						
13.	उधना-जलगांव	1997-98	140.99	108.9	30	मार्च, 2002 तक 176 आर.के.एम. ऊर्जित किया जा चुका है। इस कार्य को पूरा करने का पूरा लक्ष्य दिसम्बर, 2003 है।

अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का गठन

1568. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री मानसिंह पटेल:
श्री पी.सी. थामस:
श्री वी.एस. शिवकुमार:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवीन पुनर्गठन में पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और रेल जोनों/मंडलों का सृजन/द्विशाखन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अहमदाबाद में रेलवे जोनल कार्यालय की आवश्यकता नहीं है।

(घ) जी नहीं, पहले से अधिसूचित को छोड़कर।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. में पूंजी निवेश

1569. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी पूंजी के साथ-साथ उधार ली गई पूंजी का निवेश सरकारी उपक्रमों, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिसंबर 2002 तक और अब तक इन उपक्रमों में निवेश की गई सरकारी और उधार ली गई पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 2002 तक इन उपक्रमों द्वारा अर्जित किए गए लाभ का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिसंबर, 2002 तक इन उपक्रमों में प्रत्येक के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सरकार की इक्विटी संबंधी सूचना और 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों द्वारा उधार ली गई निधियां निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

सा.क्षे.उ. (पीएसयू)	कुल प्रदत्त पूंजी	सरकारी धारिता	उधार ली गई निधियां (चालू वित्त वर्ष)
एचपीसीएल	338.83	173.08	1778.60
बीपीसीएल	300.00	198.60	2004.62

(ग) एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा पिछले तीन वर्षों में अर्जित सकल लाभ निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	एचपीसीएल	बीपीसीएल
1999.00	1.057.41	701.63
2000.01	1.088.01	832.66
2001-02	787.98	849.83

(घ) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार इन दो उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:

एचपीसीएल - 11,263

बीपीसीएल - 12,533

टी.वी चैनलों का संचालन एवं उनका नियंत्रण

1570. प्रो. रासासिंह रावत:
डा. चरणदास महंत:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में प्रसारित होने वाले टी.वी. चैनलों की संख्या कितनी है और इनका संचालन करने वाली कंपनियों के नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार इन पर अपने नियंत्रण का पूरा प्रयोग करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या अभद्रता एवं भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल अन्य मामलों की रोकथाम करने हेतु आचार-संहिता या नियम बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन नियमों/आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) हमारी कला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रत्यक्षतः खतरे में डालने वाले निजी टी.वी.चैनलों के रूख की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) इस मंत्रालय से विधिवत् अनुमति की प्राप्ति के बाद देश से अपलिंक किए जाने वाले टीवी चैनलों की एक सूची विवरण में दी गई हैं। देश के बाहर से भी काफी संख्या में टीवी चैनलों को अपलिंक किया जा रहा है।

(ख) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्रता मानदंडों को पूरा करने और नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने और कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करने पर चैनलों को अपलिंक करने दी अनुमति दी जाती है। चैनलों को 90 दिन की अवधि की अपलिंक की गई सामग्री का रिकार्ड रखना और कार्यक्रम या विषयवस्तु की मानीटरिंग के लिए आवश्यक मानीटरिंग सुविधा उपलब्ध करवाना अपेक्षित होता है।

(ग) से (च) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में प्रावधान है कि सभी टीवी चैनलों के कार्यक्रमों को देश में नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुनः प्रसारित किए जाने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और उसमें बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है। कार्यक्रम

और विज्ञापन संहिता अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कार्यक्रमों/विज्ञापनों के प्रवेश को निषेध करती है जो अच्छी रुचि और शालीनता को आघात पहुंचाते हों और उनमें कोई अश्लीलता शामिल हो। केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारियों अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, उप-जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा सकती है केन्द्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अधीन दो समितियां भी बनायी है। जो स्वतः अथवा शिकायत प्राप्त होने पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करती है और टेलीविजन चैनलों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती हैं। कई मामलों में उल्लंघन करने के लिए चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उसके बाद कार्यवाही की गई हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	चैनलों के नाम	चैनलों की सं.
1	2	3	4
1.	मविस सेटकाम प्राइवेट लि.	जया टीवी	1
2.	मलयालम कम्यूनिकेशन लि.	कैराली	1
3.	विजय ब्रॉडकास्टिंग कं . प्रा.लि.	विजय	1
4.	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	इंडिया टुडे	1
5.	सन टीवी लिमिटेड	सन टीवी, सन न्यूज सूर्या टीवी, सूर्या न्यज एससीवी, सन-2, सूर्या क-2 उरो टीवी, उदय न्यूज तेजा न्यूज, केटीवी	11
6.	जैन स्टूडियो लिमिटेड	जैन टीवी	1
7.	एंशियानेट कम्यूनिकेशन लिमिटेड	एशियानेट (एनॉलॉग) मलयालम, एशियानेट ग्लोबल (डिजिटल) एशियानेट (डिजिटल) मलयालम	3
8.	उदय टीवी लिमिटेड	उदय टीवी, उदय टीवी-2	2
9.	टेक्नोलाजी मीडिया ग्रुप प्रा. लि.	जीएमसी एंटर	1
10.	स्काई (बी) बाग्ला प्रा. लि.	आकाश बी	1
11.	उषोदया एंटरप्राइजिज लिमिटेड	ईटीवी तेलुगू ईटीवी बंगाली, ईटीवी मराठी, ईटीवी कन्नड़ (एनॉलॉग) एवं डिजीटल के रूप में ईटीवी उर्दू ईटीवी उड़िया, ईटीवी गुजराती, (केबल डिजीटल के रूप में) ईटीवी यू पी (हिन्दी) ईटीवी एम पी (हिन्दी) ईटीवी राजस्थान (हिन्दी) ईटीवी बिहार (हिन्दी) ईटीवी पंजाबी ईटीवी तमिल ईटीवी असमी ईटीवी मलयालम	15

1	2	3	4
12.	राज टीवी नेटवर्क लिमिटेड	राज टीवी डिजीटल प्लस	2
13.	इंटेलीविजन लिमिटेड	स्पलैश टीवी, एनयूएमटीवी	2
14.	एसटीवी एंटरप्राइजिज लिमिटेड	पंजाबी टुडे	1
15.	जी टेलीफिल्मस लिमिटेड	अल्फा मराठी अल्फा गुजराती अल्फा बंग्ला अल्फा पंजाबी जी न्यूज जी म्यूजिक अल्फा कावेरी अल्फा भारती अल्फा कृष्णा जी टी वी जी सिनेमा	11
16.	एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क प्रा.लि.	ईटीसी हिन्दी ईटीसी पंजाबी	2
17.	मा टेलीविजन नेटवर्क लि.	मा टीवी	1
18.	दिकसात ट्रॉंसवर्ल्ड लि.	विन टीवी	1
19.	सहारा संचार लि.	सहारा टीवी सहारा टीवी डिजीटल सहारा टीवी एंटरटेनमेंट सहारा समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहारा समय यूपी सहारा समय एमपी सहारा समय बिहार सहारा समय मुंबई सहारा समय राजस्थान सहारा समय एनसीआर	10
20.	श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लि.	सब टी वी	1
21.	ब्रांडकास्ट वर्ल्डवाइड लि.	तारा बंग्ला तारा मराठी तारा गुजराती तारा पंजाबी	4
22.	नई दिल्ली टेलीविजन लि.	एनडीटीवी	1
23.	जीवन टेलीकास्टिंग कार्पोरेशन लि.	जीवन टीवी	1

1	2	3	4
24.	जैमिनी टीवी प्रा. लि.	जैमिनी टीवी तेजा टीवी	2
25.	इंडियाविजन सैटेलाइट कम्यूनिकेशन लि.	इंडियाविजन	1
26.	टीवी लाईव इंडिया प्रा.लि.	टीवी लाईव	1
27.	तमिलन कलाइकूडम प्रा. लि.	तमिलन टीवी	1

चैनलों की कुल संख्या : 80

[अनुवाद]

ओपेक से रियायती दर पर कच्चे तेल की खरीद

1571. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल का रियायती दर पर मूल्य निर्धारित करने पर विचार करने हेतु ओपेक देशों को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ओपेक देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने उच्च तेल मूल्यों की स्थिति में निर्यातक देशों द्वारा विकासशील तेल आयातक देशों को बढ़ाई गई उधार अवधियों, उदार ऋणों और छूटों के रूप में रियायतें देने के लिए ओपेक के सदस्य देशों के साथ विचार-विमर्श किया था। ओपेक के सदस्य देशों ने यह राय दी है कि तेल आपूर्ति के निबंधनों को अंतिम रूप देते समय तेल निर्यातक देशों के साथ इस मामले पर द्विपक्षीय चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

समाचार केन्द्रों का गठन

1572. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर राजस्थान के जोधपुर जिले में समाचार केन्द्र गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रस्तावित समाचार केन्द्रों को कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, देश में कहीं भी किसी भी प्रादेशिक समाचार एकक को स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, प्रादेशिक समाचार एककों को राज्य की राजधानियों में संचालित किया जा रहा है।

संसाधनों, जनशक्ति तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण वर्तमान में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जोधपुर जिले सहित कहीं पर भी कोई प्रादेशिक समाचार एकक स्थापित करने में असमर्थ है।

[अनुवाद]

धरोहर रेलगाड़ियों का संचालन आरंभ करना

1573. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल धरोहर रेलगाड़ियों एवं पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन आरंभ करने हेतु आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भारतीय रेलवे ने आरामदायक पर्यटक रेलगाड़ियां चलाने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार

गाड़ियों के प्रचालन की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की होगी जबकि गाड़ी के अन्दर और बाहर आतिथ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा।

[हिन्दी]

विमान का निर्माण करने हेतु रूस से समझौता

1574. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
डा. अशोक पटेल:
श्री रामदास आठवले:
श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करने और संयुक्त रक्षा परियोजनाओं का गठन करने हेतु रूस के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस सुखोई-30 एमकेआई के कल-पुर्जों के निर्माण में सहयोग करने पर भी सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुखोई के कल-पुर्जों का निर्माण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) पांचवीं पीढ़ी के विमानों के संयुक्त विकास की भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के एक संभावित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

(ग) से (ङ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास भारतीय वायु सेना के लिए सुखोई-30 एमके-1 विमान तथा उसके संघटकों (हिस्से पुर्जों सहित) का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस है। विनिर्माण कार्य वर्ष 2004-2005 में शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

मैसूर-कालीकट विद्युत लाइन का निर्माण

1575. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 400 केवी क्षमता वाली मैसूर-कालीकट विद्युत लाइन का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है और इसका कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पावरग्रिड कारपोरेशन ने 10वीं योजना के दौरान न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन की (2×220 मेगावाट) क्षमता की कैगा-2 परियोजना से संबंध मैसूर और कालिकट में 400/220 केवी, 2×315 एमवीए उपकेन्द्र सहित 400 केवी. डी/सी क्षमता की मैसूर-कालिकट पारेषण प्रणाली स्थापित करने की योजना बनायी है। इस पारेषण परियोजना के कार्य 2006-07 तक पूर्ण होने हैं। पावरग्रिड कारपोरेशन इस पारेषण परियोजना से संबंधित साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा। सरकार द्वारा निवेश स्वीकृति मिलने के बाद ही इस परियोजना का कार्य शुरू होगा।

अपंग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों संबंधी आंकड़े

1576. **श्री अमर रायप्रधान:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके विभाग में अपंग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, सरकार के पास ऐसे आंकड़ें उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर सरकार का बजटीय व्यय कितना रहा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए जुलाई-दिसंबर 1991 के दौरान 47वें दौर में एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में अनुमान लगाया है कि जनसंख्या का 1.9% किसी न किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता से प्रभावित

हैं। जुलाई-दिसंबर 1991 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विलंब से मानसिक विकास वाले बच्चों (0-14 वर्ष की आयु वाले) का एक अलग सर्वेक्षण (रिपोर्ट सं. 391) भी उनके द्वारा किया गया है। इस सर्वेक्षण से बच्चों के बीच लगभग 3% मानसिक मंदता का एक संभावित स्तर का पता चला। वर्ष 1991 में किया गया एन.एस.एस.ओ. के प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर जनसंख्या का लगभग 5% के किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित होने का अनुमान है। वर्ष 2001 की जनगणना के माध्यम से भारत के महापंजीयक द्वारा विकलांगता पर डेटा एकत्र किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने जुलाई-दिसंबर, 2002 की अवधि के दौरान 58वें दौर में विकलांगता पर एक सर्वेक्षण भी किया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाओं/कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया व्यय नीचे दिया गया है।

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	व्यय
1999-2000	164.09
2000-2001	146.64
2001-2002	272.25

एनएफडीसी और प्रसार भारती के बीच विवाद

1577. **डा. चरणदास महंत:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एनएफडीसी और प्रसार भारती के बीच बकाया राशि के विवाद के बारे में जानकारी है जैसा कि 24 जनवरी, 2003 के दि स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विवाद को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दूरदर्शन को भुगतान की जाने वाली सही राशि के बारे में विवाद है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार से इस मामले को देखने तथा विवादित राशि का समाधान करने के लिए कहा गया है।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारियों का चीन दौरा

1578. **श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 2003 के दौरान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने चीन का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उन्नत ऊर्जा प्रबंध प्रणालियों के मध्य में भार-प्रेषण एवं संचार में सुधार लाने हेतु कार्य आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्युत के क्षेत्र में चीन के साथ संयुक्त सहयोग स्थापित करने की विपुल संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावरग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विद्युत मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव और पावर ग्रिड के एक कार्यकारी निदेशक वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने पारेषण प्रणाली और ग्रिड प्रचालन के अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए जनवरी, 2003 में चीन का दौरा किया था प्रतिनिधि मंडल ने स्टेट पावर कॉरपोरेशन ऑफ चाइना बीजिंग म्यूनिसिपिल वितरण कंपनी और साऊथ चाइना पावरग्रिड कारपोरेशन के साथ बैठकें की थी । प्रतिनिधि मंडल ने चीन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विद्युत प्रेषण केन्द्रों तीन जोर्ज परियोजनाओं समेत विभिन्न विद्युत स्टेशनों और एच वी डी सी स्टेशन का भी दौरा किया है।

(ग) से (च) पावरग्रिड के पास प्रेषण एवं संचारण सुविधाओं के क्षेत्र में वृहद अनुभव है। पावरग्रिड पहले ही उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपनी नवीनतम विकसित भार प्रेषण एवं संचारण सुविधाओं को पूरा कर चुका है। इसी प्रकार की सुविधाएं पूर्वी, उत्तरी पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों में भी क्रियान्वयनाधीन है। चीन एक बड़ा देश

है और दोनों देशों में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु पारस्परिक सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।

[हिन्दी]

फतुहा और दीदारगंज में रेल ऊपरी पुल

1579. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पटना जिले में फतुहा एवं दीदारगंज में ऊपरी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) से (घ) फतुहा में ऊपरी सड़क पुल पूरा हो गया है और 5.6.2002 से यातायात के लिए खोल दिया गया है। दीदारगंज में ऊपरी सड़क पुल की चार लाइनों में से दो लाइनों को 30.6.2002 से यातायात के लिए खोल दिंया गया है। इस ऊपरी सड़क पुल की शेष दो लाइनों को 31.3.2003 तक सड़क यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

तरलीकृत नाइट्रोजन गैस (एलएनजी) नीति का उदारीकरण

1580. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मूल्य निर्धारण एवं आयात सहित राष्ट्रीय तरलीकृत नाइट्रोजन नीति का उदारीकरण करने पर विचार कर रहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान विद्युत एवं उर्वरक जैसे कई क्षेत्रों में तरलीकृत नाइट्रोजन गैस की मांग बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय तरलीकृत नाइट्रोजन गैस नीति के उदारीकरण से देश के उर्वरक एवं विद्युत क्षेत्रों को कितनी सहयता मिलने वाली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के लिए अनुमति के साथ मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के तहत रखा गया है। कंपनियां बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल एन जी का आयात और विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) 120 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस के वर्तमान आवंटन के मुकाबले, वर्तमान आपूर्ति लगभग 65 एमएमएससीएमडी है। हाइड्रोकार्बन झलक 2025 के अनुसार प्राकृतिक गैस की मांग विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों सहित 2006-07 में बढ़कर 231 एमएमएससीएमडी हो जाएगी। प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच बड़े अंतराल को पूरा करने के लिए एक विकल्प एलएनजी का आयात करना है।

(ङ) एलएनजी के उदारीकरण से एलएनजी परियोजनाओं में और अधिक निवेश आकर्षित होगा और इस प्रकार उर्वरक और विद्युत क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए गैस की मांग और आपूर्ति में बडा अंतराल कम हो जाएगा।

पेट्रोल में इथानॉल का मिश्रण

1581. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:**
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथानॉल की मात्रा को 5% के बजाय 20% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश राज्य सलाहकार बोर्ड ने केन्द्र सरकार से इस आशय का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जी नहीं।

तेल और गैस परियोजनाओं में इस्पात के पाइपों का उपयोग

1582. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की गैस और तेल परियोजनाओं में देश में बनाए गए इस्पात के पाइपों का उपयोग करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी कुछ वर्षों के दौरान इसकी अनुमानित मांग कितनी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप और प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर देश में बनाए गए इस्पात के पाइपों और केसिंग का तेल और गैस क्षेत्र की अपनी परियोजनाओं में प्रयोग करते रहे हैं। भावी मांग आरंभ की जा रही परियोजनाओं और वाणिज्यिक उपयोग पर निर्भर करती है।

नए खुदरा बिक्री केन्द्र

1583. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए कोई नीति लागू है ताकि वे सरकारी क्षेत्र की किसी अन्य तेल कंपनी के किसी खुदरा बिक्री केन्द्रों के समीप प्रतिस्पर्धी खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित न करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों द्वारा ऐसे नए खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के संबंध में किसी प्रकार की न्यूनतम दूरी की व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो उक्त न्यूनतम दूरी का ब्यौरा क्या है जिसे सरकारी क्षेत्र तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्र के बीच होनी चाहिए; और

(ङ) इस नीति एवं नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के संबंध में लगाए गए निषेध का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति की समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए स्थानों का चयन करने की स्वतंत्रता है बशर्ते कि वे स्थान वाणिज्यिक व्यवहार्यता और मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्र का अतिक्रमण न करने जैसे कुछ मानकों को पूरा करते हों।

पुराने कलपुर्जों की खरीद

1584. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों के तीनों स्कंधो में करोड़ रुपए के पुराने कलपुर्जों के अंबार पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कलपुर्जों, उनकी अनुमानित लागत, उनकी खरीद के स्थान एवं वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में पुराने कलपुर्जों की नीलामी की गई और इन कलपुर्जों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार ने कलपुर्जों की नई खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा की है और कुछ प्रतिबंध यथा नई खरीद हेतु क्रयादेश देने से पहले रखे गए कलपुर्जों का उपयोग/उन्हें समाप्त किया जाए, लगाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) और (ख) जी, हां। हिस्से-पुर्जे विभिन्न किस्म, मूल और समयावधि के हैं। अप्रचलित अतिरिक्त हिस्से पुर्जों, उनकी अनुमानित लागत, उनके मूल तथा उनकी अधिप्राप्ति के वर्ष संबंधी ब्यौरा सुलभ नहीं हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान नीलामी किए गए अतिरिक्त अप्रचलित हिस्से-पुर्जों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	निपटान की गई मदों की संख्या	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2000-01	6804	2.99
2001-02	9380	3.19
2002-03	14143	3.55

(घ) से (च) हिस्से-पुर्जों की जरूरतों का आकलन करने हेतु सेनाओं में निर्धारित प्रक्रिया विद्यमान है। विभिन्न हिस्से-पुर्जों की आवश्यकता की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा उनका इष्टतम इस्तेमाल सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

सेटेलाइट चैनलों के प्रसारण को नियंत्रित करने हेतु संहिता

1585. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेटेलाइट चैनलों से समाचार, चलचित्रों अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के प्रसारण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा कोई संहिता बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि संहिता इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा जनता के बीच सभी प्रकार की सूचना एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए अधिकारों का अनुचित रूप से उल्लंघन न करे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) केवल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित किए जाने वाले सभी चैनलों के कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत बनाई गयी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पूर्व सेंसर की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन जब इन संहिताओं का उल्लंघन देखा जाता है तो कार्यवाही की जाती है।

पिछड़े क्षेत्र में नई रेल लाइन का बिछाया जाना

1586. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नीति आर्थिक व्यवहार्यता का विचार किये बगैर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उनमें नई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केवल आर्थिक व्यवहार्यता के कारण विगत में पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइन नहीं बिछायी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) नई रेल लाइनें, परियोजना उन्मुखी लाइनों, मिसिंग लिंकों, सामरिक कारणों तथा उभरते हुए नए केन्द्रों की स्थापना अथवा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मार्ग प्रदान करने के सहित विभिन्न मानदंडों पर शुरू की जाती है। परियोजना की आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन सर्वेक्षण स्तर के दौरान किया जाता है। बहरहाल, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ नई लाइन परियोजनाएं क्षेत्र की जनता, चुने हुए प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों से निरंतर मांगों के आधार पर शुरू की गई है।

नई दिल्ली-बंगलौर रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा सूची

1587. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आज तक नई दिल्ली और बंगलौर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की अभूतपूर्व लंबी प्रतीक्षा सूची की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को नई दिल्ली से बंगलौर के बीच प्रतिदिन राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस. चलाने की कर्नाटक द्वारा लगातार की जा रही मांग की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) गाड़ी की प्रतीक्षा सूची बदलती रहती है जो न केवल दिन-प्रति-दिन के आधार पर अपितु उसी तारीख में समय-दर-समय के आधार पर भी भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) और (ग) 2429/2430 नई दिल्ली-बेंगलूर राजधानी एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करने सहित गाड़ियों को शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के पैटर्न, संसाधनों की उपलब्धता और परिचालनिक व्यवहार्यता पर निर्भर रहता है।

कोसी पर पुल का निर्माण

1588. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्मली-सरायगढ़ लाइन को बहाल करते हुए कोसी नदी के ऊपर पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) सरकार ने बहुत समय से लंबित इस पुल के निर्माण हेतु क्या प्रभावशाली कदम उठाए हैं; और

(घ) उक्त परियोजना पर काम कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) निर्मली और भाटियाही (सराय गढ़) के बीच संपर्क लाइनों सहित कोसी नदी के ऊपर मेगा पुल के निर्माण के कार्य को "राष्ट्रीय रेल विकास योजना" के भाग के रूप में रेलवे बजट 2003-04 में 323.41 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर शामिल किया गया है। इस कार्य हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान 10 करोड़ रु. की परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) संसद द्वारा बजट पारित होने पर ही कार्य शुरू किया जाएगा ।

प्रशीतन प्रणाली युक्त पार्सल यान

1589. **श्री बिक्रम केशरी देव:**
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रशीतन प्रणाली युक्त पार्सल यान/डिब्बे चलाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा वर्तमान में कितने पार्सल यान चलाये जा रहे हैं;

(ग) वर्तमान में किन मार्गों पर यह सुविधा उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य मार्गों पर भी यह सेवा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। चिलर तथा डीप फ्रीज कंपार्टमेंट वाला एक प्रोटोटाइप रेफिजरेटेड यान, जिसकी कुल वहन क्षमता 17 टन की है, रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला द्वारा विकसित किया गया है तथा प्रयोग के तौर पर 1 नवंबर, 2002 को शुरू किया गया है।

(ग) प्रोटोटाइट रेफिजरेटेड यान का एर्णाकुलम तथा दिल्ली के बीच उपयोग किया गया था तथा फिलहाल बंगलौर और गोरखपुर के बीच चल रहा है।

(घ) और (ङ) अन्य मार्गों पर इस नई किस्म की सेवा को चलाया जाना रेलों को प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्भर करता है।

गांधीनगर-अहमदाबाद-दिल्ली बड़ी रेल लाइन

1590. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे गांधीनगर को अहमदाबाद-दिल्ली बड़ी रेल लाइन से जोड़ने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) कलोल-मोती अदारज बड़ी रेल लाइन का काम पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या बजट प्रावधान नियोजित समय सीमा के अनुरूप है; और

(ङ) गांधी नगर से मोती कलोल-मोती अदारज के बीच नई रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां, गांधी नगर से अदारज मोती तक नई लाइन के निर्माण कार्य और अदारज मोती-कलोल-मी.ला. लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को 2000-2001 के बजट में शामिल किया गया हैं।

(ग) और (घ) अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा ।

(ङ) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और कार्य का विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं और भूमि अधिग्रहण के लिए संयुक्त सर्वेक्षण पूरा हो गया है अभी तक राज्य सरकार ने भूमि सौंपी है।

[हिन्दी]

फ्लाई राख से ईंट बनाया जाना

1591. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताप विद्युत केन्द्रों से निकलने वाली फ्लाई राख ईंट बनाने संबंधी अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई थी;

(ख) उक्त अधिसूचना का पालन करने वाले या न करने वाले ताप विद्युत केन्द्रों के नाम क्या है; और

(ग) समूची फ्लाई राख के कब तक उपयोग में लाये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उड़न राख से ईंट बनाने संबंधी अधिसूचना 14 सितंबर, 1999 को जारी हुई थी। इस अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ मिट्टी से ईंट/टाइल्स/ब्लाक्स निर्माताओं को भर के आधार पर मिट्टी के साथ न्यूनतम 25% उड़न राख का प्रयोग करने की अनुमति है। ऐसा कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशन से 50 कि.मी. की परिधि के अन्दर ही किया जा सकेगा।

(ख) उपयुक्त अधिसूचना का अनुपालन जिन ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा किया गया है तथा जिन स्टेशनों द्वारा नहीं किया गया है उनकी अलग-अलग सूची विवरण-I और II के रूप संलग्न है।

(ग) उपयुक्त अधिसूचना के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ नए विद्युत संयंत्रों को 9 वर्ष की अवधि के अन्दर तथा वर्तमान विद्युत संयंत्रों को 15 वर्ष के अन्दर उड़न राख को पूरी तरह (100%) उपयोग में लाया जाता है।

विवरण I

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 14 सितंबर, 1999 की अधिसूचना का अनुपालन करने वाले ताप विद्युत केन्द्रों की सूची

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	क्र.सं.	स्टेशन	अभियुक्ति
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1.	विशाखापत्तनम	
बिहार	2.	मुजफ्फरपुर	
छत्तीसगढ़	3.	कोबरा (पूर्व)	
	4.	कोबरा (पश्चिम)	
	5.	कोबरा (बालको)	
गुजरात	6.	सिक्का	
	7.	साबरमती	
हरियाणा	8.	फरीदाबाद	
झारखंड	9.	बोकारो	
	10.	चन्द्रपुर	
	11.	जोजाबेरा	
कर्नाटक	12.	रायचुर	
	13.	जिंदल	

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	14.	अमरकंटक	
महाराष्ट्र	15.	भुसावल	
	16.	पारस	
	17.	ट्रांबे	
उड़ीसा	18.	तालचेर	
	19.	राऊरकेला	
	20.	हीराकुंड	
पंजाब	21.	रोपड़	
राजस्थान	22.	कोटा	
तमिलनाडु	23.	मेट्टूर	
उत्तर प्रदेश	24.	रिहंद	
	25.	ऊंचाहार	
	26.	सिंगरौली	
	27.	पनकी	
	28.	परीच्छा	
	29.	हिंडालको	
पश्चिम बंगाल	30.	बज बज	
	31.	तीतागढ़	
	32.	साउदन	
	33.	दुर्गापुर (डीपीएल)	
	34.	दुर्गापुर (एनएसपीसीएल)	
	35.	दुर्गापुर (डीवीसी)	
	36.	कोलाघाट	
	37.	बांडेल	
	38.	चिन्नाकुरी	
दिल्ली	39.	राजघाट	
	40.	इन्द्रप्रस्थ	
	41.	बदरपुर	

विवरण II

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 14 सितंबर 1999 की अधिसूचना का अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत केन्द्रों की सूची

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	क्र.सं.	स्टेशन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	विजयवाड़ा
	2.	रायलसीमा
	3.	कोथागुडेम
	4.	कोथागुडेम वी
	5.	रामाकुंडम बी
	6.	नेल्लोर
	7.	रामागुंडम
असम	8.	बोगाइगांव
बिहार	9.	कहलगांव
	10.	बरौनी
छत्तीसगढ़	11.	कोबरा
	12.	भिलाई (सेल)
	13.	भिलाई (एनएसपीसीएल)
	14.	जिंदल
गुजरात	15.	गांधीनगर
	16.	ऊकाई
	17.	वानकबोरी
	18.	कच्छ
	19.	सूरत
हरियाणा	20.	पानीपत
झारखंड	21.	तेनुघाट
	22.	पतरातू
	23.	बोकारो
मध्य प्रदेश	24.	सतपुरा
	25.	संजय गांधी
	26.	विंध्याचल
महाराष्ट्र	27.	चंद्रपुर
	28.	कोराडीह
	29.	खापरखेड़ा
	30.	नासिक
	31.	पार्ली
	32.	दहानू
उड़ीसा	33.	आई बी थर्मल
	34.	कनिहा
	35.	राऊरकेला
	36.	तलचर
पंजाब	37.	भटिंडा
	38.	लेहरा मुहब्बत
राजस्थान	39.	सुरतगढ़
तमिलनाडु	40.	तूतिकोरिन
	41.	चिन्नई . उत्तर
	42.	एन्नौर
	43.	नेवेली-1
उत्तर प्रदेश	44.	दादरी
	45.	टांडा
	46.	हरदुआगंज
	47.	ओबरा
	48.	अनपारा
पश्चिम बंगाल	49.	मैजिया
	50.	बकरेश्वर
	51.	संतालडीह
	52.	फरक्का

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता में गिरावट

1592. श्री बीर सिंह महतोः
प्रो. दुखा भगतः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता में इन दिनों बड़ी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये एजेंसियां पहले प्रसारित किये गये सीरियल/कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण करती हैं;

(ग) यदि हां, तो डीडी-1 डीडी-2 पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता बेहतर बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठा कर रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती एक संवैधानिक स्वायत्तशासी निगम है और इसे कार्यक्रमों संबंधी मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने अपने चैलनों पर कार्यक्रमों/धारावाहिकों की प्रायोजकता के लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। 2002 में गठित एक सृजनात्मक सलाहकार समिति जिसमें कला संस्कृति और पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध मीडिया विशेषज्ञ शामिल है राष्ट्रीय चैनलों और समाचारों की सृजनात्मक विषयवस्तु की नियमित रुप से समीक्षा करती है। प्रस्तुती की शैली को सुधारने और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व दर्शन किया गया है कि वे सुरुचि और तकनीकी गुणवत्ता के हों। दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयासरत रहता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की अत्याचारों के संबंध में सिफारिश

1593. श्री रामदास आठवलेः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1999 से आज तक की तिथि तक इन समुदायों पर किये गये अत्याचार के संबंध में सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय पासवान): (क) से (ङ) जी हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 6 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट को की गई कार्रवाई का उल्लंघन करते हुए एक ज्ञापन के साथ सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये लोगों के लिए रेल आरक्षण संबंधी कोटा

1594. श्री रामटहल चौधरीः
श्री मान सिंह पटेलः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आरक्षण हेतु क्या मानदंड है;

(ख) क्या संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये जाने वाले लोगों के लिए रेल आरक्षण का कोई कोटा है;

(ग) यदि हां, तो संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये लोगों को आरक्षण दिये जाने का क्या कारण है; और

(घ) क्या संबंधित संसद सदस्यों को सिफारिश किये जाने वाले व्यक्ति का आरक्षण दिये जाने या न दिये जाने के बारे में कोई सूचना दी जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार संसद सदस्यों को उनके द्वारा की गई सिफारिश लेकर रेलवे सीट के आरक्षण के संबंध में उन्हें सूचित करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) उच्च अधिकारियों, संसद सदस्यों/विधायकों अति विशिष्ट व्यक्तियों की मांग और अन्य आपत्तिजनक मांगों के संबंध में यात्रा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से, सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों में आपातकाल कोटा के रूप में सीमित संख्या में शायिकाएं/सीटें निर्धारित की गई हैं। इस कोटे में उच्च गणमान्य व्यक्तियों की स्वयं की यात्रा को वरीयता दी जाती है। उसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अन्य अनुरोधों पर विचार किया जाता है और अनुप्रयुक्त कोटा को यात्रा करने वाले यात्रियों के स्तर, सरकार ड्यूटी की तात्कालिकता, पारिवारिक शोक, बीमारी आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यद्यपि संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित अनुरोध साधारणतया संकलित किए जाते हैं तथापि संसद जब मांग उपलब्धता से बढ़ जाती है तब ऐसे सभी अनुरोधों पर स्थान दिया जाना व्यावहारिक नहीं होता है। प्राप्त हो रहे अनुरोधों की संख्या और व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत उनके द्वारा संस्तुत अनुरोधों की स्थिति के बारे में संसद सदस्यों को सूचित करना व्यावहारिक नहीं हैं।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों का प्रचालन स्थगित किया जाना और बंद किया जाना

1595. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई रेलगाड़ियों का प्रचालन स्थगित कर दिया है/बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को 10-15 वर्ष पूर्व विशेषकर तमिलनाडु में बंद कर दी गई कुछ रेलगाड़ियों को पुनः शुरू कर देने के संबंध में अभ्यावेदन या अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में ट्रांसमीटर

1596. श्री सुरेश चन्देल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी लगाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उनमें से वास्तव में कुल कितने ट्रांसमीटर स्थापित किये गये; और

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसे प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में 22 ट्रांसमीटर परियोजनाओं (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-1, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-3, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-18) को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 19 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-1, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-3, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-15) को नौवीं योजना काल के दौरान पूरा और चालू कर दिया गया था।

(ख) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन पांच ट्रांसमीटर परियोजनाओं (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-2, अति अल्प शक्ति ट्रासमीटर-3) को दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। दूरदर्शन परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है।

[अनुवाद]

केरल में नई लाइनों का निर्माण

1597. श्री पी.सी. थामस: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक से उत्तरी केरल तक नई लाइन के निर्माण के संबंध में केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पावरग्रिड ने 10वीं योजना अवधि के दौरान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के कैगा-II (2×220 मे.वा.) एटामिक पावर प्रोजेक्ट के साथ सहबद्ध पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में मैसूर तथा कोजीकोड में 400/220 केवी. 2×315 एमवीए के साथ 400 केवी मैसूर (कर्नाटक) कोजीकोड (उत्तरी केरल)डी/सी लाईन स्थापित करने की योजना बनाई है। पावरग्रिड पारेषण परियोजना की शक्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जिस पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन हेतु विचार करेगा। परियोजना सन् 2006-07 तक पूरा होने का अनुमान है।

आवारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम

1598. श्री अनंत गुढ़े: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें ''आवारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम'' योजना चल रही है;

(ख) क्या सरकार की इस योजना को अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान इसमें किन-किन राज्यों को शामिल करने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) उन राज्यों का ब्यौरा, जहां योजना चल रहीं है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) इस तथ्य को देखते हुए प्रश्न नही उठता कि यह योजना सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और साथ ही किसी राज्य में स्थित उन गैर-सरकारी संगठनों के लिए है बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

विवरण

आवारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	''आवारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम' की योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	30
2.	आसाम	4
3.	बिहार	2
4.	गोवा	3
5.	गुजरात	16
6.	जम्मू एवं काश्मीर	1
7.	झारखंड	2
8.	कर्नाटक	12
9.	केरल	6
10.	मध्य प्रदेश	6
11.	महाराष्ट्र	16
12.	मणिपुर	3
13.	मेघालय	2
14.	उड़ीसा	3
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	8
17.	तमिलनाडु	13
18.	त्रिपुरा	1
19.	उत्तर प्रदेश	17
20.	पश्चिम बंगाल	28
21.	दिल्ली	7
	कुल	182

प्रसारण क्षेत्र हेतु नया विधान

1599. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रसारण क्षेत्र को नियोजित करने हेतु नया विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत में भी ऐसा कोई भी विधायी प्रस्ताव लाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विधायी प्रस्ताव नामंजूर करने के क्या करण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) इलैक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु को विनियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रसारण विधेयक, 1997 को संसद में मई, 1997 में प्रस्तुत किया गया था जो दिसंबर, 1997 में लोक सभा भंग हो जाने पर व्यपगत हो गया था। इसके बाद एक प्रारूप प्रसारण विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2000 तैयार किया गया था। तथापि, प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्रों के सभी पहलुओं को शामिल करके एक व्यापक विधान बनाने का निर्णय लिया गया था इसलिए, संचार अभिसरण विधेयक, 2001 को संसद में प्रस्तुत किया गया था

हल्के लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाना

1600. श्री ए. नरेन्द्र: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यक्त किए गए इस मत की जानकारी है कि हल्के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के समय पुराने हो जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इसका डिजाइन किसी भी समकालीन लड़ाकू विमान की उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे फ्लाई-बाई-वायर, अकीय उड़ान नियंत्रण प्रणाली अस्थिर विन्यास, उन्नत कम्पोज़िट, मिशन कंप्यूटर तथा डिजीटल कॉकपिट पर आधारित है। इन अग्रणी प्रौद्योगिकियों के साथ, हल्के लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल किए जाने तथा इस्तेमाल में लाए जाने के समय पुराने नहीं होंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धानुवचपुरम रेलवे स्टेशन

1601. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक व्यवहार्यता के मद्देनजर अनुबंध आधार पर चल रहे धानुवचपुरम रेलवे स्टेशन को उन्नयन करके उसे पूर्णतः विभागीय फ्लैग स्टेशन बनाने का है;

(ख) क्या सरकार को वर्तमान प्लेटफार्म को ऊंचा उठाकर के स्टेशन इमारत का प्रारूप पुनः बनाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) जोनल रेलों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल डिब्बे खरीदने का लक्ष्य

1602. श्री प्रबोध पण्डा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार इस वर्ष के दौरान डिब्बों के लक्ष्य को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डिब्बों की खरीद में भारी कटौती से खाद्यान्न, सीमेंट, कोयला, और अन्य वस्तुओं को लाना-ले-जाना प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में नशा मुक्ति केन्द्र

1603. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और अन्य राज्यों में जिलावार नशामुक्ति केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों की संख्या कितनी रही?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-02 के दौरान देश में (जिलेवार) नशामुक्ति केन्द्रों को चलाने के लिए मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण संबंधी योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-I पर है।

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-2002 के दौरान राज्यवार लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II पर है।

विवरण I

उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्होंने वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों को चलाने के लिए मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त किया

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	गैर सरकारी संगठन का नाम	निर्मुक्त राश (रु. लाख में)		
				1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	पीपुल्स एक्शन फॉर सोशल सर्विस, तिरूपति पश्चिम, डोर नं. 10-12 मारूति नगर, पश्चिम चित्तूर, चित्तूर	4.64	6.60	6.80
2.		गुन्तूर	रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्टिविटीज (रोसा) मंथेनवरी पालेम, पोस्ट-पितनावनी, पालेम मंडल, गुंतुर	6.53	7.02	7.02
3.			सेवा मेडिकल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी, डोर नं. 6-20, 27, 12/ए अरंडलनेट, गुंतुर, गुंतुर	5.72	8.32	-
4.		रंगारेड्डी	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया, 11-4-616, हुमायूं नगर, ए.सी. गौरी रोड, हैदराबाद-4	6.83	0.00	13.04

1	2	3	4	5	6	7
5.			स्नेह महिला मंग्ली, फ्लैट नं. 103, सत्य अपार्टमेंट, चप्पल बाजार, कंचीगुड़ा हैदराबाद	7.34	3.67	3.67
6.			सोशल ट्रांसपर्मेशन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, लिक एच. नं. 67/10 III फेज, के.पी.एच. की कालोनी, कुकटपल्ली, हैदराबाद-500072	0.00	6.80	13.60
7.			डीओवीई, हैदराबाद	–	–	1.92
8.			सर्ववैल सोसाइटी, एच नं. 6-164/6, सुदर्शन रेड्डी नगर, चिंतल, कुथुबुलापुर डंकल, रंगारेड्डी जिला-500054, रंगारेड्डी	6.80	3.40	6.80
9.			ज्योति एजूकेशन सोसाइटी, एच नं. 3-2-750, चप्पल बाजार, हैदराबाद रंगारेड्डी	1.91	0.00	6.80
10.			यूथ इन एक्शन सोसाइटी, एच. नं. 16-2-740/बी/सी/ मुशरमबाग, रंगारेड्डी	6.80	3.40	3.40
11.		कृष्णा	ए.पी. गिरिजन सेवक संघ, चंदामामापेट, नंदीगामा-521185 कृष्णा	6.80	6.80	6.80
12.		मेडक	सोसाइटी अपलिफ्टिंग रूरल पुअर एण्ड सोशियली स्ट्रांडेड, सरपास, एच. नं. 3-4-13/1/1 मेडक	6.80	6.80	6.80
13.		नेल्लौर	झांसी महिला मंडली, 3/343, लक्ष्मीपुरम रोड नेल्लौर-524002, नेल्लौर	4.75	10.42	8.97
14.		सिकन्दराबाद	डा. उपकार पशुपुलेती निर्मला हनुमंता रोड, चैरिटेबिल ट्रस्ट, उपकार सर्किल पिकेट सिकन्दराबाद	6.26	3.13	6.26

1	2	3	4	5	6	7
15.		विशाखापत्तनम	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन डी. नं. 45-56-9, सलिंगमपुरम, विशाखापत्तनम	0.00	1.92	0.00
16.		कुर्नूल	भारत इंटिग्रल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, कुर्नूल	–	–	1.92
17.	असम	गुवाहाटी	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया, सुन्दरपेट, आर.जी. बरूआ रोड, गुवाहाटी	3.69	4.24	9.87
18.			नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी फार दी प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेज आश्रम रोड, उतुबारी, गुवाहाटी	3.35	9.55	7.07
19.			अमर प्रगति सांस्कृतिक चोरा एण्ड उन्नयन केन्द्र, दखिन रुकमणी नगर, पोस्ट-बेलतोला, गुवाहाटी	2.81	–	–
20.		जोरहाट एण्ड सिल्चर	दी स्टेट ऐण्टी-ड्रग एण्ड प्रॉहीबीशन काउंसिल गुवाहाटी, असम प्रकाशन परिषद कांप्लैक्स, गुवाहाटी-781021	4.26	11.34	–
21.		लखिमपुर	जागृति संमिलिता उन्नयन केन्द्र, पोस्ट-इस्लामगांव लखीमपुर	5.08	5.80	3.59
22.			खोड़ा पत्थर संमिलिता युवक समाज, पोस्ट-इस्लामागांव लखीमपुर			
23.		नगांव	श्रीमंत शंकर, मिशन, पोस्ट नगांव	3.22	7.13	–
		कुल		29.59	41.65	24.12
24.	बिहार	छपरा	ग्रामीण युवा समन्वय केन्द्र-छपरा	1.92	0.00	6.24

1	2	3	4	5	6	7
25.		मुज्जफरपुर	अल्पसंख्यक एवं हरिजन समाज कल्याण केन्द्र दता कम्बल शाह रोड, मुजफ्फरपुर 842001, मुजफ्फरपुर	0.00	13.61	6.80
26.		पटना	भारतीय विकलांग संघ, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, धोबी घाट, पटना	3.51	10.53	3.51
27.			एन्वाइरोनमेंटल कंसलटेंसी विकास केन्द्र, 278, नेहरू नगर, पटना	0.00	9.46	6.80
28.			जागरण, 55, एम.आई.जी. कंकर बाग, पटना	1.91	6.24	6.80
29.			सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट, फोरम नं. 18, गांधी कालेज, जक्कनपुर	10.81	6.53	6.53
30.			यूथ मोबाइलिजेशन फॉर नेशनल एडवांसमेंट, 303, हिमगिरि भवन, आनन्दपुरी बोरिंग कनाल रोड, पटना	14.76	13.34	13.34
31.			अनिकेत सेवा, पटना	–	–	6.80
32.		सासाराम	बिहार पुनर्वास एवं कल्याण संस्थान, जी-4, पीपल्स कोआपरेटिव कालोनी, कंकरबाग, पटना	3.95	0.00	17.25
33.		गया	सेंट्रल इंग्लिश अकादमी, बोधगया	–	–	4.97
			कुल	36.86	59.71	79.04
34.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	संकल्प सांस्कृतिक समिति, चिखलीनाका राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	–	–	2.48
35.	गोवा	गोवा	कृपा फाउंडेशन गोवा, माउंट कार्मेल चर्च, 81/ए चपेल रोड बांद्रा मुम्बई, गोवा	8.39	8.21	8.21
36.	गुजरात	अहमदाबाद	गुजरात कल्याणी ट्रस्ट, मंगल प्रभात बिल्डिंग, सेंट जेवियर्स हाईस्कूल, मिर्जापुर, अहमदाबाद	7.18	13.34	6.07

1	2	3	4	5	6	7
37.			कनोरिया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदिरा ब्रिज के निकट, हसल-गांधी नगर ग्राम भट, जिला-गांधी नगर, नॉर्थ गुजरात 382428 अहमदाबाद	5.83	5.74	5.83
38.			डॉ. बी.आर. अम्बेडकर निर्व्यसन केन्द्र, बी.आर. जनरल हास्पिटल, काल्पी नगर, अंतिम बस स्टाप, असर्वा, अहमदाबाद	–	–	3.61
39.		सूरत, अहमदाबाद राजकोट	नशाबंधी मण्डल, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के सामने, अपना बाजार, अहमदाबाद, अहमदाबाद	22.28	27.61	25.62
40.		बड़ोदा	एस.सी. पटेल ट्रस्ट, ए-1/ मुद्रा कांप्लेक्स, एल्लौरा पार्क, बड़ौदा-390007, बड़ौदा	5.00	15.00	9.99
41.			सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट, 14-15, भाग्योदय शापिंग केन्द्र, गोरवा, रिफाइनरी रोड, बड़ोदरा	4.79	6.26	8.14
42.		नान्देड़	तपस्वी सेवा चैरिटेबिल ट्रस्ट, नांदेड़	–	–	3.90
		कुल		45.08	67.95	63.46
43.	हरियाणा	भिवानी	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, जिला शाखा भिवानी	–	–	2.26
44.		गुड़गांव, अम्बाला, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सिरसा, नारनौल तथा रेवाड़ी	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, बाल विकास भवन, 650 सेक्टर 16-डी, चंडीगढ़	24.73	24.44	35.30
45.		फरीदाबाद	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रास भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद	9.31	7.24	6.94
46.		फतेहाबाद	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला रेड क्रास सोसाइटी, फतेहाबाद	3.05	3.08	6.14

1	2	3	4	5	6	7
47.		हिसार	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा हिसार	6.05	6.05	5.89
48.		जींद	अमर ज्योति फाउंडेशन, जींद, असेस्टेंट ट्रेजरी आफिस, पहली मंजिल, झुलाना, जींद-126102	1.92	6.80	3.40
49.			इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, रेड क्रॉस भवन, जींद	5.24	6.81	3.40
50.		करनाल	इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा, करनाल	6.55	-	9.95
51.		पानीपत	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा, रेडक्रास भवन जी.टी. रोड, पानीपत	4.12	6.55	2.60
52.		गुड़गांव	कैप सोसाइटी, 46, हैस्सनघट्ट रोड, दसराहली, बंगलौर	15.73	5.84	2.16
53.		रोहतक	इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस भवन, रोहतक	6.62	6.68	3.27
54.		सोनीपत	मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी मंदौरी रोड, ग्राम-मंडौरा, जिला-सोनीपत	-	-	4.19
55.		यमुना नगर	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यमुना नगर, जिला शाखा	6.26	4.45	3.04
			कुल	89.58	77.94	88.54
56.	हिमाचल प्रदेश	नहान	हि.प्र. जेल इम्प्लाईज वेलफेयर एण्ड प्रोवेंसन ऑफ क्राइम सोसाइटी, चैमूर, मॉडल सेंट्रल जेल, नहान	-	3.62	5.40
57.		उना	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा, उना तक्का रोड, उना	-	1.92	3.04
58.		कांगड़ा	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा, कांगड़ा	-	-	3.62

1	2	3	4	5	6	7
59.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	सोसाइटी फॉर दी प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेन, मशवारा अस्पताल, कहनू रोड, जम्मू	6.61	7.64	3.56
60.		श्रीनगर	एच.एन.एस.एस. निर्व्यसन केन्द्र, मेरा मस्जिद, खन्यार, श्रीनगर, श्रीनगर	3.51	11.31	3.71
61.	झारखंड	धनबाद	बिहार पुनर्वास एवं कल्याण संस्थान, जी-4, पीपुल्स कोआपरेटिव कालोनी, कंकेरबाग, पटना	–	–	3.40
62.			कामिनी सेवा सदन, जयप्रकाश नगर, धनबाद	2.57	2.38	6.08
63.		रांची	बिर्सा सेवा संस्थान, 25, श्रद्धानन्द रोड, रांची	–	4.97	3.73
			कुल	2.57	7.35	13.21
64.	कर्नाटक	बंगलौर	कायम सोसायटी, नं. 83/4, बेगुर हुगली ग्राम, कुलीभाऊ बन्नैरघट्टा रोड, बंगलौर, बंग्लौर	19.22	11.56	7.72
65.			फ्रीडम फाउंडेशन 180, नेन्नूर क्रॉस, सेंट थोमस टाउन-43, बंगलौर	–	4.41	–
66.			सेवा संगम, नं. 1163, 80 फीट रोड, प्रकाश नगर, बंगलौर	7.34	7.34	7.34
67.			मदर्स केयर एजुकेशन सोसाइटी, बंगलौर	–	–	3.19
68.			प्रियदर्शिनी मेडीकल एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट, नं. 1, होशंगली, मेन रोड, पदरायनपुरा, बंगलौर	–	–	1.92
69.		बेलगांव	होप रिकवरी केन्द्र, सं. 75 कैम्प बेलगांव, कर्नाटक, बेलगांव	1.92	–	10.21

1	2	3	4	5	6	7
70.			श्री शक्ति एसोसिएशन, गुंतुर कालोनी, हरिहर-577601, देवंगीर	1.92	6.80	6.80
71.		बिदर	कित्तूर रानी चेन्नम्मा महिला मण्डल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जे.पी. नगर, बिदर	3.05	6.60	-
72.			नित्तूर एजूकेशन सोसाइटी, चित्तूर (बी), तालुक बाल्की, बिदर	6.43	6.43	3.21
73.		हुबली	श्री मैत्री एसोसिएशन, सुगर सुगर फैक्ट्री रोड, दोड्डाबथी (पोस्ट) देवगीर	-	1.89	12.04
74.		चिकमगलूर	श्री शक्ति एसोसिएशन, गुतुर पोस्ट, हरिहर, देवंगीर	8.12	10.58	8.69
75.		मण्ड्या	रीवर वैली आरगेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलेपमेंट, चंदगल रोड, श्रीरंगापट्टा-सी. 69 एन ए-571438 मंड्या, मंड्या	6.80	3.40	6.80
76.		मंगलौर	लिंक ट्राडा, बिट्टू रोड, फलनीर, मंगलौर	6.76	3.40	6.80
77.			प्रज्ञा काउंसेलिंग सेंटर, डॉ. मस्करेन्हस लेन, फलनीर रोड कंकानदी, मंगलौर-575002	-	5.72	9.56
78.		मैसूर	श्रीमती रामाबाई अम्बेडकर एजूकेशन सोसाइटी, 1064, गंगा रोड, सी एण्ड डी ब्लाक, कुबेम्पू रोड, मैसूर-23	-	-	4.18
79.			सोसाइटी ऑफ दी सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफटर्बेस, स्तुतिरंगा, सेंट जोसेफस कंवेंट, नीलगिरि रोड, मैसूर	1.92	-	6.24
80.		तुमकुर	अभ्युद सेंटर फॉर ह्यूमेनिटी ए रूरल डेवलपमेंट, नं. 2516, 9वां क्रॉस, एस. एस. पुरम, तुमकुर, तुमकुर	1.87	3.40	12.10
			कुल	65.35	71.53	106.80

1	2	3	4	5	6	7
81.	केरल	कालीकट	कालीकट डिओसीज सोशल सर्विस सोसाइटी, सेंट मिकाइलस चर्च, वैस्ट हिल, कालीकट	2.48	3.73	4.86
82.			मुजहिद एजूकेशन ट्रस्ट, 17/194, एस.एम. स्ट्रीट, पो. बाक्स नं. 60, कालीकट, कोजिकोडे (कालीकट)	9.64	7.74	7.24
83.		थालास्सेरी	प्रतीक्षा डी एडीक्शन सेंटर मक्कुटम, थलास्सेरी	6.71	6.80	3.40
84.		चंगनाचेरी	चंगनाचेरी सोशल सर्विस सोसाइटी, पोस्ट बॉक्स 20, आर्क बिशप हाउस, चंगनाचेरी	9.17	9.18	12.18
85.		कोचीन	निर्मल निकेतन युक्तिसदन त्रिपुनिथुरा, कोचीन	6.80	6.80	6.80
86.			यूनिटी ग्रुप, विल्लोर रोड, पेट्टा एस.एन. जंक्शन, त्रिपुनिथुरा, कोचीन	3.54	2.38	3.96
87.		पल्लीपोर्ट	श्री सत्य साई ह्यूमन हेल्पेज, पल्ली पोर्ट	6.80	4.27	4.37
88.		कोल्लम	इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी एण्ड डेवलपमेंट, संग्रीला हिल्स, वल्लकॉम पोस्ट-691532	5.53	13.01	4.16
89.			श्रीनिकेतन सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट, चयन्नूर, क्विलोन 691572, त्रिवेन्द्रम	2.66	9.46	5.83
90.		कोट्टयम	अल्कोहल एण्ड ड्रग एडिक्ट्स रिसर्च रिहैबिलिटेशन, पला, पोस्ट, कोट्टायम-686575, कोट्टायम	6.26	3.13	9.61
91.			ट्राडा मैंगनम पो.ओ. कोटायम-686018 कोट्टायम	4.10	11.35	6.23
92.			जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल सोशल वेलफेयर पब्लिक कोआपरेशन सेन्टर, कोट्टायम	2.47	3.56	5.49

1	2	3	4	5	6	7
93.		कोलेंचरी	मालंकारा आर्थोडॉक्स सिरियन मिशन अस्पताल, कोलेंचेरी	5.83	5.54	5.56
94.			केरला एसोसिएशन फार सोशल एंड वुमन्स अफेयरस, एमएएसएस बिल्डिंग मनिकुलमारा, कोल्लम	2.38	4.10	3.36
95.		नारांगनम	नारागंनम रूरल डेवलपमेन्ट सोसाइटी नारांगनम	2.38	4.05	9.35
96.		त्रिशूर	सोशल एक्शन फोरम, XII 117 अलूर, त्रिशूर	9.41	7.45	6.48
97.			डिवाइन डि-एडिक्शन ट्रिटमेन्ट सेन्टर, मुरिगूंर पो.ओ. 680316 चलाकुडी, त्रिशूर	-	-	5.65
98.		त्रिवेन्द्रम	अभव वरदा नंदवनम त्रिवेन्द्रम-33, त्रिवेन्द्रम	12.84	6.90	6.62
99.			त्रिवेन्द्रम सोशल सर्विस सोसाइटी, 828, वैल्लायम्बलम 690007, त्रिवेन्द्रम	5.23	5.85	2.93
100.			डाले वीपू त्रिवेन्द्रम	5.83	7.92	6.22
101.		अल्लपूझा	के.वी.एम.ट्रस्ट, चिरतला, अल्लपूझा	-	-	4.82
			कुल	110.06	123.22	125.12
102.	मध्य प्रदेश	भोपाल	गांधी भवन ट्रस्ट, नवजीवनी श्यामला हिल्स, भोपाल	3.51	9.56	7.02
103.			राष्ट्रीय विधान मंच, भोपाल, सी. 219, शाहपुरा, शिवाजी मंदिर के पास आयुष्मान अस्पताल के सामने भोपाल	3.05	6.91	3.51
104.			शांति निकेतन महिला कल्याण समिति लिंक रोड नं. 1, मयूर पार्क के पीछे, 6-एम, बी.डी.ए. कालोनी, तुलसी नगर, भोपाल	6.70	3.14	7.39
105.			शिव कल्याण एवं शिक्षण समिति, एल आई जी-26 हर्षवर्धन नगर, इलाहाबाद नगर के पास, भोपाल	3.05	6.91	3.45

1	2	3	4	5	6	7
106.		ग्वालियर	गुरु तेग बहादुर शिक्षा समिति ग्वालियर, अर्नेजा मार्किट, नौ गजा रोड, शिंदे की छावनी, लश्कर ग्वालियर-474001	2.66	2.66	10.53
107.			असम ज्योति सांस्कृतिक शिक्षा परिषद, रश्मिबल बिहार, फूल बाग गेट, ग्वालियर	2.66	2.37	10.21
108.		इन्दौर	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, जिला-शाखा, एम.ओ.जी. लाइन्स, नजदीक इन्दौर नेत्र अस्पताल, इन्दौर	6.06	2.82	2.89
109.		नीमच	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, जिला शाखा, नीमच	-	-	5.72
110.		उज्जैन	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, नगर निगम, उपकार्यालय माक्सी रोड, फ्रीगंज, उज्जैन	4.86	6.52	1.40
			कुल	32.55	40.89	52.12
111.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	अरुनदया बहुद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, नाजिक बमूल गांव-तालुक, शेष गांव, अहमद नगर	2.66	0.00	16.27
112.		अमरावती	धर्म समन्वय महर्षि श्री संत गुलाब स्व. महाराज वर्कारी विकास व शिक्षण संस्था कारला तालुक, अंजनगन्व सुरजी, अमरावती	5.32	12.02	9.95
113.			महाबोधी सोसाइटी, छत्रसाल नगर वी.एम.वी. कालेज के पीछे अमरावती 444604	-	1.92	6.80
114.		औरंगाबाद	जय विश्वकर्मा सर्वोदय संस्था, एन. 9, एल-152/04, सिडको औरंगाबाद-431001	1.92	6.24	6.80
115.			महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान 167, आर. 27, 212 योजना प्रतापगढ़ नगर, म्हादा कालोनी वीएल-9 सिडको औरंगाबाद	7.87	1.83	6.80
116.		भंडारा	भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान पोस्ट खफा तुमसर, भंडारा	7.87	10.58	8.69

1	2	3	4	5	6	7
117.			इंदिरा ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान पिपाल गांव/कोह ज़िला, भंडारा	–	–	3.45
118.			व्यसनमुक्ति देशभक्ति सहयोग शिक्षण संस्था मन्दरी (बीपू) तह. मोहाली जिला भंडारा	–	–	4.10
119.			महाबोधी शिक्षा सोसाइटी, लाजपत वार्ड, नेहरू गार्डन के नजदीक, मेन्धरा रोड, भंडारा	6.61	6.80	6.80
120.		चन्द्रपुर	जन हिताय मंडल, मार्फत पालीवाल पालिक्लिनिक, बापूपेट, चन्द्रपुर 442403, चन्द्रपुर	1.92	6.24	6.47
121.		धूले	नवजीवन विद्या विकास मंडल नगांव-424002 धूले	6.80	6.80	6.68
122.			सतपुड़ा तापी परिसर समिरहा अपंग शिक्षण समिति, नेवेदा तुल शोध केन्द्र, धूले	6.32	6.75	6.75
123.			स्वर्गीय श्रीराम अहिराव मेमोरियल ट्रस्ट, बेटावाड शिंधकेडा जिला, धूले-425403, धूले	7.02	7.02	9.86
124.			तिरूपति शिक्षा एवं संस्कृति अनुसंधान रामनगर वाडीमोकर रोड, दीपुर धूले-424002	2.48	0.00	17.35
125.			ग्रामीण जन सेवा शिक्षण संस्थान नरदाना, तह. शिधखेडा, धूले	–	–	5.88
126.		नान्दुर्बार	भागीरथी, शिक्षा सोसाइटी, कपाडने धूले	–	–	1.92
127.		गढ़चिरौली	समाकी माता विद्या विकास मंडल गढ़चिरौली	–	1.87	–
128.		गोंडिया	लोक कल्याण शिक्षण संस्थान, डॉ. पाल चौक-441614 गोंडिया	–	4.37	–
129.			मध्य भारत शिक्षा सोसाइटी डॉ. पाल चौक, कन्हार टोली, गोंडिया-441614	–	1.85	–
130.			श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, रिसामा तह-आमगांव, जिला गोंडिया	–	1.92	–

1	2	3	4	5	6	7
131.		हिंगोली	श्री शिवाजी शिक्षा प्रसारक मंडल, मार्फत ज्योतिबा मेडिकल म्यूनिसिपल काऊंसिल के सामने हिंगोली	2.66	9.46	-
132.		जलगांव	आकांक्षा बहुद्देशीय संस्था, प्लाट नं. 40, गणेश कालोनी जलगांव-425001	-	1.92	6.80
133.			स्वर्गीय श्रवण शिवराम महाजन सामाजिक विकास संस्था, पोस्ट बाक्स तलाई, तह. इरेन्डोल, जलगांव	-	6.45	6.80
134.			नेहरू युवा मंडल फरकांडे, एरेन्डोल, जलगांव	1.91	6.24	6.80
135.			राष्ट्रीय विधान मंच 11, सेंट्रल बैंक कालोनी, सिल्क मिल के पीछे पिंपराला-425001 जलगांव	-	20.07	13.77
136.			श्री चामुंडा देवी टेक्नीकल मेडिकल एंड एजुकेशनल सोसाइटी चेरिटेबल ट्रस्ट, पोस्ट कंडार, तह. भूसावल 425201 जिला जलगांव	-	1.83	6.24
137.		जालना	डायमंड एजुकेशन सोसाइटी जालना	1.92	-	4.16
138.			शिवं महिला शिक्षण प्रसारक मंडल कबाड़ी महिला उदसीमठ के सामने जालना	6.53	6.80	6.80
139.		कोल्हापुर	कागल एजुकेशन सोसाइटी, कागल कोल्हापुर	2.66	2.66	6.80
140.			प्रेस अकादमी, 2376 एवार्ड कोल्हापुर	-	-	3.62
141.		लातूर	जीवन रेखा प्रतिष्ठान, दूसरा तल, अबाद कांप्लैक्स अमबजोगाई रोड, लातूर	2.66	6.80	6.80
142.			श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल प्रियदर्शिनी चौक, खडगांव-413531, लातूर	7.65	3.40	6.80

1	2	3	4	5	6	7
143.		मुंबई	कृपा फाउंडेशन, कार्मेल चर्च 81/ए चपेल रोड, बांद्रा, मुम्बई	17.35	10.88	10.32
144.			नेशनल एडिक्शन रिसर्च सेन्टर, तल 5, भरवाडी होस्पीटल, अंधेरी (प.) 400058, मुंबई	8.19	4.90	5.72
145.			सेवा धन, अस्पताल भवन, मारवाडी, अंधेरी (प) मुंबई	7.75	14.53	6.10
146.		नागपुर	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ विदर्भ पानडीस बंगलाव, खामाला, नागपुर	4.53	3.81	8.63
147.			एकात्मकता सामाजिक शिक्षण मंडल डॉ. गटघाटे भवन, के-48 अम्बेडकर नगर, नागपुर	1.92	6.24	-
148.			कल्याण शिक्षा सोसाइटी, 103 टिकेकार रोड, भान्टोली, नागपुर	2.35	4.83	6.80
149.			स्नेह बहुद्देशीय संस्थान, मराठा समाज बिल्डिंग, सक्करदारा चौक-9 नागपुर	6.80	3.40	10.20
150.			वी अर्जुन युवक विकास मंडल, लेन नं. 4, प्लाट नं. 23, वार्ड नं. 76 विश्वकर्मा नगर, नागपुर	3.99	3.95	-
151.		नासिक	अनुण्य शिक्षा प्रसारक मंडल नासिक	-	-	1.83
152.		नान्देड़	जय प्रकाश ग्राम कल्याण संस्थान गोपाल नगर संघवी-431605 नान्देड़	-	6.45	6.80
153.			जनक्रांति शिक्षण प्रसारक तालुक मुखेड, नान्देड	2.48	6.80	-
154.			ज्योतिबा धुले सेवा ट्रस्ट, 7, लक्ष्मी नारायण अपार्टमेन्ट, शिवाजी नगर नान्देड-2	-	1.92	6.80

1	2	3	4	5	6	7
155.			लोकमान्य शिक्षा सोसाइटी, घोटी रामाराव पवार मार्ग सीता सदन श्री नगर, नान्देड-431602	6.80	6.80	3.40
156.			संघी निकेतन शिक्षण संस्था वडगांव तालुक मुखेल, एन.एम. वडगांव पो.ओ. बरहाली, नान्देड	7.02	7.02	7.02
157.			संत कबीर विद्या प्रसारक सोसाइटी, जाधव कांपलैक्स, देना बैंक के सामने, आनन्द नगर, नान्देड	6.80	-	9.64
158.			उन्नतिशील महिला मंडल रवि भवन, गणेश नगर रोड, नान्देड	5.78	3.40	6.80
159.		परभानी	बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, पूर्वा, जिला परभनी-431511, परभानी	1.92	-	9.64
160.			श्री जगदम्बा विद्या प्रसारक मंडल विनकर वाडा, पुरवा-431511 परभानी	6.80	6.80	6.80
161.			आचार्य नरेन्द्र देव निदेशक सामाजिक, आर्थिक विकास अनुसंधान परियोजना एवं इंडिया पदयात्री केन्द्र, परभनी	-	-	1.95
162.		पुणे	मानस वरदान फाउंडेशन, 305 नारायण पेठ, पुणे	1.92	7.45	9.18
163.			मुक्तंग मित्रा, कृष्णा, पत्रकार नगर, पुणे	4.47	-	20.25
164.		शोलापुर	नेहरु युवा केन्द्र, पुणे	1.92	-	1.48
165.		रायगढ़	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल, प्लाट सं. 6, रोड नं. 14, सैक्टर, 19, न्यू पनवेल, रायगढ़	2.66	9.46	3.40
166.		सतारा	परिवर्तन डि-एडिक्शन संस्थान 155 सदाशिव पेठ, सतारा सिटी 415002	6.93	6.80	3.40
167.		वर्धा	क्रान्तिवीर स्व. महादेव रावजी ठाकरे सोशल एसोसिएशन, पित्रुछाया भवन, वार्ड सं. 31, रामनगर, वर्धा	5.32	8.72	13.04

1	2	3	4	5	6	7
168.		वाशिम	अहिल्या देवी शिक्षण प्रसारक एंड बहुद्देशीय मंडल, लम्भोड़ भवन, सुकरावर पेठ, वाशिम	-	1.92	-
169.			लोक सेवा शिक्षण प्रसारक, मंडल चतारी ता. उमराखेड चतारी जिला यवतमाल	-	1.92	-
170.		यवतमाल	ग्रामीण पुनर्वास केन्द्र ड्रग एडिक्टस, हडगांव नंदगांव यवतमाल	15.95	6.80	-
			कुल	212.43	276.64	245.56
171.	मणिपुर	चूड़ाचन्द्रपुर	लमका पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, डोरकास हाल, पो.ओ. सं. 6, न्यू लमका, चूड़ाचन्द्रपुर-795128	4.85	14.41	4.85
172.			सोशल केयर मिनिस्ट्री, लायलम वेंग, चूड़ाचन्द्रपुर	5.10	3.12	-
173.			द सेन्टर फार मेंटल हाइजीन संगाईप्रा एयरपोर्ट रोड, इम्फाल	15.49	7.18	3.59
174.		चन्देल	सुमचिनवम वुमन सोसाइटी, सनी काटेज, न्यू लम्बूलेन रोड, इम्फाल	10.33	3.59	3.59
175.		इंफाल	मणिपुर केरल इंस्टीट्यूट, टेरा बाजार, सपम लिंकाई, इंफाल	7.16	7.18	7.18
176.			सेन्टर फार सोशल डेवेलपमैन्ट, पैलेस कंपाउंड (पश्चिम), इंफाल	9.46	9.44	4.69
177.			गेलेक्सी क्लब सिंगजामी मथक, सिंगजामी मथक चौंगपम लिकायी, इम्फाल	12.77	12.77	12.77
178.			इंटीग्रेटिड वुमन एंड चाइल्ड डेवेलपमैन्ट सेन्टर, टेंगमी बेंड, युमनाम लिकायी, पो.ओ. लांफलपेट, इंफाल	10.26	10.26	10.23
179.			कृपा फाउंडेशन, माउंट केमल चर्च, 81/ए, चेपल रोड बांद्रा, मुम्बई	15.89	12.20	7.01

1	2	3	4	5	6	7
180.			स्नेह भवन, मार्फत लिटिल फ्लावर स्कूल, इंफाल	5.91	6.16	6.16
181.			द सेन्टर फोर मेंटल हाईजीन, संगाईप्रोव एयरपोर्ट	15.49	7.18	3.59
182.			यूनाइटेड वालंटरी यूथ काउंसिल वेस्टली, किसमपेट, मोडु भवन, इंफाल	3.76	9.69	3.59
183.		इम्फाल (पूर्व)	यूथ डेवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन सागोल बैंड, टेरा बाजार, इंफाल	–	–	2.02
184.		काकचिंग	खा मणिपुर योग एंड नेची केयर एसोसिएशन माचिन मनाओ हिल्स, काकचिंग बाजार	11.04	7.18	9.17
185.		बिशनुपुर	पिपुल्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, ओइनम टिड्डिम रोड, इंफाल	9.69	9.69	4.85
186.		सेनापति	रूरल हेल्थ आर्गेनाइजेशन नावरेनिंग थोंग लायश्रम लीरक, इंफाल	8.12	7.18	7.18
187.		थौबल	समुदाय विकास कार्यक्रम केन्द्र, थौबल अचौबा, एम.टी. रोड, थौबल	5.61	7.18	3.59
188.			ग्रामीण विकास सोसाइटी, आर.डी.एस. भवन, बांगीजुंग बाजार, पो.ओ. वांगजुंग, थौबल	2.81	9.99	7.18
189.			सोशल रिफोर्मेशन एंड डेवलपमैन्ट आर्गेनाइजेशन, पोरुमपेट सोइबम लिकायी, जे.एन. होस्पीटल रोड, इंफाल	5.61	7.18	3.59
190.		उखरुल	तंग खुल मयार नगाला लोंग अलुंगतंग पो.ओ. 1 उखकल	9.13	12.89	–
			कुल	168.48	164.47	104.83
191.	मेघालय	शिलांग	खासी जैन्तिया प्रेस्वीटेरियन सिनाड, चर्च हाऊस, मिशन कंपाऊंड	2.27	4.20	–
192.			कृपा फाउंडेशन माउंट कार्मेल चर्च, 81/ए चेपल रोड, बांद्रा, मुम्बई	7.70	9.22	9.05
			कुल	168.48	164.47	104.83

1	2	3	4	5	6	7
193.	मिजोरम	एजल	मोरल रिफार्मेशन आर्गेनाइजेशन आर.जेड लाकूअइया विल्डिंग, 2 तल, डी-74 एजवाल	7.18	7.00	7.36
194.			ब्लैसिंग होम सकावरटुका एजल	6.16	6.16	6.16
195.			फेथ होम सोसाइटी, चिंगशिप, एजल	10.72	10.72	10.72
196.			न्यू लाइफ होम सोसाइटी, 31-डी महात्मा गांधी रोड, एजल	6.27	3.59	7.18
197.			सोशल गाइडेन्स एजेंसी, पो.ओ.-153, एजल	9.69	9.63	9.69
198.		चांदमारी	जोरम ड्राइवर्स रामथिम बोर्ड, मार्फत फ्रेंड्स आटोमोबाइल एन्टरप्राइजेज, चांदमारी, एजल	11.00	3.31	7.82
199.		चंपाई और थिगंसुलाथिल	मिजोरम सोशल डिफेंस एंड पुनर्वास बोर्ड, चल्तलंग एजल	–	13.23	12.96
			कुल	51.02	53.64	61.89
200.	नागालैंड	दीमापुर	बेथेस्डा यूथ वेलफेयर सेन्टर, पीपी नं. 33, डुनकन, दीमापुर	14.05	9.78	9.64
201.			डेवेलपमेन्ट एसोसिएशन और नागालैंड, बिशाप्स हाऊस, पो.बा. 03, दीमापुर	2.02	5.76	5.93
202.			प्रोडिग्लस होम, पो.बा. नं. 148 सर्कुलर रोड, दीमापुर	9.86	9.50	7.18
203.			कृपा फाउंडेशन मां. कार्मेल चर्च, 81/ए चेपेल रोड, बान्द्रा, मुम्बई (कोहिमा केन्द्र)	2.92	9.82	–
204.			यूथ मिशन, पो.बा. नं. 127 हाई स्कूल रोड, नार्थ ब्लाक, कोहिमा	4.99	7.18	7.18
205.			आपरेशन डॉन साटो बिल्डिंग, पो.आर. हिल्स, कोहिमा	6.15	–	4.91

1	2	3	4	5	6	7
206.		तुनसेंग	इल्यूथेरस क्रिश्चियन सोसाइटी, पो.बो. नं. 51, तुनसेंग	2.81	-	-
			कुल	42.80	42.04	38.84
207.	उड़ीसा	अंगुल	कम्यूनिटी लिगल एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, पो.ओ. बैनिया, वाया महिमागढ़ी, अंगुल	6.80	3.40	6.80
208.		बालासौर	पीस बर्ड और केपेबिलिटी बालासौर	6.48	-	-
209.		बेरीपाडा	रूरल डेवलपमैंट एक्शन सैल, वार्ड नं. 14 तुलसी चौरहा, पो.ओ. बेटीपाडा	7.23	3.40	6.80
210.		भुवनेश्वर	सेंटर फार यूथ एवं सोशल डेवेलपमैंट, ई-1 इंस्टीट्यूशनल एरिया पो.ओ. आर.आर.एल. भुवनेश्वर	3.43	10.29	6.86
211.			काउंसिल फार आल राउंड डेवेलपमैंट, 2132/5036 नागेश्वर थंगी, भुवनेश्वर	14.66	3.29	16.04
212.			निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ खारबेला नगर, भुवनेश्वर	6.30	6.67	3.40
213.			ओपन लर्निंग सिस्टम, प्लाट-75 नाल्को के पास, भुवनेश्वर	6.74	10.37	-
214.		कटक	एसोसिएशन फार सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटी पितरापुर, कटक	3.56	10.58	13.23
215.			उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट गराजइलगा, कटक	6.80	3.40	6.80
216.			प्रोजेक्ट स्वराज्य गणेश घाट बखाराबाद, कटक-753002	3.51	16.90	10.10
217.			सहयोग बाडम बाडी, कटक	2.65	0.00	-
218.		डेंकलान	अरुण इंस्टीट्यूट और रूरल एफेयर्स, अश्वर खोला, डेंकनाल	6.26	3.40	10.21
219.			महर्षि दयानन्द सेवा मिशन, जोरान्डा, पोस्ट महिमागढ़ी, डेन्कनाल	6.58	3.29	9.88

1	2	3	4	5	6	7
220.		केन्द्रपाडा	उड़ीसा मल्टीपर्पस डेवेलपमैन्ट सेंटर, केन्द्रपाड़ा	3.40	6.80	10.20
221.		खुर्दा	भैरबी क्लब कुरुमपाडा, पो.ओ. हडापाडा, खुर्दा	12.82	6.80	10.21
222.			नेशनल इंस्टीट्यूट फार कम्यूनिटी एंड चाइल्ड डेवेलपमैंट, खुर्दा	4.19	6.80	3.40
223.			विश्व जीवन सेवा संघ सरधापुर, गढ़सनपुर, जिला-खुर्दा, खुर्दा	12.02	19.61	13.61
224.		नयागढ़	सोसाइटी फार एन्वायरमेन्टल डेवेलपमेंट एंड वालंटरी एक्शन, नयागढ़-752069	6.80	6.80	6.80
225.		पुरी	एसोसिएशन फॉर वालुंटरी एक्शन ग्राम दामपुर पोस्ट बेरबोई, जिला-पुरी-752016	–	20.41	13.61
226.			गोपीनाथ जुबक संघ, पुरी	2.66	2.64	–
227.			जयखिनस यूथ क्लब, ग्राम जानकीगढ़, पोस्ट-गदसाही वाया कनास, जिला-पुरी	2.66	9.46	3.40
228.			नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, दयाविहार (कनास), पुरी	6.53	13.61	–
229.		कोरापूत	गांधियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नीकल एडवांसमेंट, 6-एम-818 शैला श्रीविहार, भुवनेश्वर			
			कुल	132.08	167.92	155.54
230.	पंजाब	अमृतसर	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, जिला शाखा अमृतसर	2.66	8.13	6.68
231.		भटिन्डा	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, भटिन्डा	8.86	6.26	6.85
232.		गुरदासपुर पटियाला, मोहाली, नवाशहर	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, पंजाब रेड क्रास भवन, सेक्टर-16-ए मध्य मार्ग, चंडीगढ़	33.99	28.68	29.68

1	2	3	4	5	6	7
233.		फतेहगढ़ साहिब तथा पटियाला	सोसाइटी फॉर रिहैबिलिटेशन आफ हैंडिकैप्ड एण्ड पर्सन्स सफरिंग फ्राम सोशल एविल्स, 417, सेक्टर 44ए, चंडीगढ़	9.18	11.19	13.59
234.		फरीदकोट	इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, रेडक्रास भवन, फरीदकोट	2.18	5.44	6.31
235.		जलंधर	कायम सोसाइटी, बन्नेरघट्टा ग्राम, बंगलौर (डीसीएट-उपर्युक्त रेडक्रास फिजिओथेरापी सेंटर, सिविल हास्पिटल, जालंधर	3.40	1.35	3.29
236.		लुधियाना	डॉ. डी.एन. कोटनीस हेल्थ एण्ड एजूकेशन सेंटर, सलीम तब्री, लुधियाना	6.98	3.91	10.69
237.			गुरु गोविन्द सिंह स्टडी सर्किल लुधियाना, माडल टाउन एक्सटेंशन, लुधियाना	2.66	7.70	10.89
238.			गुरू नानक चैरिटेबिल ट्रस्ट मुल्लनपुर मंडी, लुधियाना	5.83	5.83	5.83
239.		मंसा	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी जिला शाखा, मंसा	4.75	-	4.28
240.		मोगा	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, मोगा शाखा	5.32	4.81	4.02
			कुल	85.81	83.30	102.11
241.	राजस्थान	भरतपुर	निराश्रित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, पाईबाग, भरतपुर	6.80	6.80	6.80
242.		बीकानेर	आदर्श बीकानेर बालकृष्ण परिषद, एस-1 शांति नगर, बीकानेर	3.51	10.53	7.02
243.			दंतूर विकास सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट बीकानेर, खजुवाला, बीकानेर	6.80	3.40	11.62
244.		जयपुर	जयपुर रूरल हेल्थ एण्ड डेवलपमेंट ट्रस्ट, बी-7, शिव मार्ग, बाणी पार्क, जयपुर	3.79	7.02	7.02
245.			प्राणी सेवा संस्थान, नेचुरल हेल्थ होम, डी-ब्लाक, मानवीय नगर, जयपुर	-	13.77	7.01

1	2	3	4	5	6	7
246.		झालावार	के.जी.एन.एम.एम. डब्ल्यू शैक्षिक अनुसंधान एण्ड एनेलिसिस सोसाइटी, मंगलपुरा, खारी बारी रोड, झालावार	-	-	1.92
247.		जोधपुर	मारवाड़ मेडिकल एण्ड रिलीफ सोसाइटी, बी-10, बस स्टैंड के समीप, जोधपुर	6.53	3.38	6.75
248.		जोधपुर	ओपियम डीएडीक्शन ट्रीटमेंट प्रशिक्षण एण्ड रिसर्च ट्रस्ट, बलिया हाउस, जोधपुर	37.16	25.11	31.52
			कुल	64.59	70.01	79.66
249.	तमिलनाडु	चेन्नई	सेंट पाल्स शैक्षिक एंड मेडिकल ट्रस्ट चेन्नई, 21, बनियर स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम-600094, चेन्नई	7.34	7.34	7.34
250.			टी.टी. रंगानाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन, 17, मेन रोड, इंदिरा नगर, चेन्नई	2.63	12.35	7.91
251.			वालुण्टरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई,	4.75	-	10.61
252.		कोयम्बटूर	फाउंडेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड एम्प्लायमेंट, 1/82-ई, अन्ना नगर, सिरुमुगई-641302, कोयम्बटूर	-	1.92	-
253.		कुड्डालोर	मधार नाला थाउन्डू तिरुवनम पथियियूप्पम, कुड्डालोर-607002	2.27	5.37	5.66
254.		डिन्डीगुल	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एण्ड चाइल्ड हेल्थ ट्रस्ट, पोस्ट-संम्पत्ति, डिन्डिगुल-624707, डिंडीगुल	3.75	4.83	6.80
255.		इरोड	सेंटर फार एक्शन एंड रूरल एजुकेशन 55, कंबार स्ट्रीट, टीचर्स कालोनी, इरोड-638001, इरोड	2.98	3.65	-
256.		मदुरै	ओथाकडाई रूरल हेल्थ सोसल वेलफेयर सोसाइटी, मदुरै	5.10	-	-
257.			एम.एस. चैलामुथु ट्रस्ट, 643, के.के. नगर, मदुरै-625020	9.85	9.86	9.86

1	2	3	4	5	6	7
258.		नागापट्टिनम	आवार्ड विलेज वेलफेयर सोसाइटी किलवेलूर, नागापट्टिनम, जिला-611104, नागापट्टिनम	-	1.94	-
259.		पेरम्बलूर	सेंट जान संगम ट्रस्ट पेरम्बलूर, रोवर कैंपस, पेरम्बलूर	4.95	3.56	6.80
260.		राजापलायम	टीसीएनआर पदमावतियामल फ्री मेडिकल चेरिटीज 121-बी, होस्टीपल रोड-626117, राजापलायम	2.18	4.16	6.80
261.		तंजावूर	दविडराज नर्सरी एजुकेशन सोसाइटी तंजावूर	6.80	6.80	3.40
262.			श्री विक्टोरिया एजुकेशन सोसाइटी तंजावूर मथाक्कोटाई, तंजावूर	7.23	6.80	3.40
263.		त्रिचि	खजामलाई लेडीज एसोसिएशन, खजामलाई, त्रिचि	3.88	9.53	8.94
264.			तिरुचिरापल्ली मल्टीपर्पज सोशल सर्विस सोसाइटी बिशप्स हाउस, त्रिची	5.83	5.83	5.83
265.		कचनम	भारती वुमन विकास केन्द्र कचनम	-	-	3.17
			कुल			
266.	त्रिपुरा	अगरतला	कल्याण समिति गंगाइल रोड, मेलार मठ, अगरतला	6.95	6.95	3.48
267.		साऊथ त्रिपुरा	अखण्ड योग एवं प्राकृतिक केन्द्र सिद्धि आश्रम, अगरतला	-	-	1.95
			कुल	6.95	6.95	5.43
268.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद एवं चित्रकूट	आदर्श जनता शिक्षा समिति, कर्चना, इलाहाबाद	13.37	3.40	12.12
269.		संत रविदास नगर	दबाबा कल्याण समिति, इलाहाबाद ग्रामतेला, जनपथ, इलाहाबाद	5.32	6.80	6.80
270.		इलाहाबाद एवं बस्ती	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, 20-बी 4ए/1 अलाहपुर, इलाहाबाद	10.77	3.51	24.14

1	2	3	4	5	6	7
271.		इलाहाबाद	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, जिला ब्रांच 53 बहादुर गंज इलाहाबाद	5.26	5.31	9.57
272.		सोनभद्र एवं चित्रकूट	परख थारबिल्डर पिन्डी, कर्चना, इलाहाबाद	–	10.21	12.12
273.		बदायूं	सराय नहर खान औद्योगिक समिति पो.ओ. सराय नहर खान, बदायूं	3.76	7.78	3.40
274.		बाराबंकी	अर्चना महिला कल्याण समिति, अभीपुर, पोस्ट भानमऊ, बाराबंकी	2.38	6.97	6.80
275.		बरेली	मंगासुख ग्रामोद्योग विकास संस्था, 484 चभाई, बरेली	–	3.05	6.70
276.			निर्वाण, डी-2059 इंदिरा नगर लखनऊ-226016 (बरेली केन्द्र)	–	1.92	6.52
277.		बिजनोर	बिजनोर सेवा संस्थान, मेहदी शापिंग काम्पलैक्स सिडुर कुटी रोड, बिजनौर	3.76	4.98	–
278.		बुलंदशहर	सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, टीचर्स कालोनी, लल्लाबाबू चौराहा, बुलंदशहर	3.36	6.80	19.21
279.		देवरिया	तारादेवी शिक्षा समिति, नेहरू नगर, चकिवा, देवरिया	–	6.80	10.21
280.		इटावा	श्रीमती कौशल्या देवी, पूर्वा माध्यमिक विद्यालय, शिवपुर तिमरुआ हदोयी, इटावा	6.28	6.80	6.80
281.		गोंडा	शांति सर्वोदय संस्थान, शान्तिगंज तरवगंज रोड, गोन्डा	6.59	6.80	6.80
282.		हरदोई	सार्वजनिक शिक्षोनायन संस्थान, हरदोई	12.10	10.91	13.28
283.		जौनपुर	सोसाइटी फार अर्बन एंड रूरल डेवलपमैंट, विल-कुल्हनामऊ, पो.ओ. कलेचाबाद, जिला-जौनपुर	–	6.59	9.88
284.		कानपुर	हसरत मोहानी चैरिटेबिल सोसाइटी 88/441, हुमायूं बाग, कानपुर	3.78	8.31	7.34
285.			जन कल्याण समिति, 28 आदर्श विहार बाई-पास रोड, हरजेन्द्र नगर, कानपुर	–	3.05	6.80

1	2	3	4	5	6	7
286.		लखनऊ	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, आजाद विल्ला, दलीगंज, लखनऊ	5.13	7.19	7.01
287.			भारतीय समाज सेवा संस्थान, बरफ खाना मिश्री का बाग, लखनऊ	2.64	8.48	7.02
288.			बोधि सत्व बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर स्मारक समिति, 68/363, चितवापुर, पजावा, लखनऊ	-	4.77	-
289.		कानपुर	ग्राम सेवा निकेतन, 295/23, अशरफाबाद, लखनऊ	6.80	6.80	3.40
290.		लखनऊ	जीवन ज्योति सोसाइटी, एफ-1914 राजाजीपुरम	7.34	7.34	6.85
291.			प्रेमा समिति, चिनहट, फैजाबाद रोड (गोयल शीत गृह) लखनऊ	2.59	6.62	7.02
292.			सार्वजनिक शिक्षा समिति 565/180 पूरन नगर आलमबाग, लखनऊ	3.77	7.02	6.56
293.		लखनऊ और कानपुर	शहीद मैमोरियल सोसाइटी, ई-1690 राजाजीपुरम, लखनऊ	25.46	12.07	17.97
294.		लखनऊ	सोशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, सी-2116, इंदिरा नगर, लखनऊ	10.68	6.83	7.02
295.		मेरठ	एसोसिएशन फॉर सोशियल हेल्थ इन इंडिया, अग्रवाल कॉम्पलेक्स दिल्ली रोड, मेरठ	3.69	-	10.53
296.		गौतमबुद्ध नगर	अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण एण्ड शिक्षा समिति, बी-12ए धवलगिरि, सेक्टर-34, नोएडा	9.50	7.02	7.02

1	2	3	4	5	6	7
297.		प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ महिला, कल्याण एवं शिक्षा समिति, देवोकली, पुराने योजना कार्यालय के सामने, प्रतापगढ़	3.65	6.80	6.80
298.			श्री गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान, 32, सुभाषनगर, कुन्डा, प्रतापगढ़	3.65	6.74	6.80
299.		राय बरेली	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, ग्राम कुबेरी खेरा, पोस्ट इन्वा उली, रायबरेली	3.40	10.21	3.40
300.		रायपुर	रतन ग्राम विकास समिति, जहीरपुर, पोस्ट-शाहबाद, रायपुर	3.64	6.80	6.80
301.		सीतापुर	शक्ति साधना संस्थान, तरिनपुर जिला-सीतापुर	6.32	1.19	6.76
302.		वाराणसी	काशी क्लब, गंगा भवन, डी-14/3-ए दशस्वमेघ रोड, वाराणसी	11.58	4.70	18.85
303.			महिला चेतना समिति, वाराणसी	-	9.68	7.02
304.			लक्ष्य सर्विस फाउंडेशन, ग्राम-मदुऐया, पोस्ट-मंदुऐया (पुलिस स्टेशन के पास) वाराणसी-221103	-	-	3.40
305.		चंदौली	खंडवारी देवी शिक्षा प्रसार समिति, चहानिया, चन्दौली, वाराणसी	4.95	2.38	5.49
306.		कौशाम्बी	हरिजन विकास एवं सामाजिक उत्थान समिति, 39, जोधवाल तेलियारगंज, इलाहाबाद	-	-	1.92
			कुल	191.52	232.63	307.13
307.	उत्तरांचल	देहरादून	उत्तराखंड शोषित महिला संस्थान, विकास नगर, देहरादून	4.96	7.60	3.40
308.		हल्द्वानी	निर्वाण, डी-2059, जमालयन रोड, इंदिरा नगर, हल्द्वानी	13.38	9.70	4.86

1	2	3	4	5	6	7
309.		बागेश्वर	पर्वतीय नव जागरण समिति, ग्वार पजेना, डंगोली, बागेश्वर	-	1.92	6.53
310.		चमोली	उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति, ग्वालदम, जिला-चमोली	-	-	2.48
			कुल	18.34	19.22	17.27
311.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	एलहरिष्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिटी स्टडीज, बाबा बिटहिका, एंड्रयूज पल्ली, शांतिनिकेतन	2.37	4.05	8.99
312.		कलकत्ता	ह्यूमन डेवलेपमेंट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 45, बनियातोला लेन, कलकत्ता	11.70	5.95	6.47
313.			रामकृष्ण वेलफेयर फेडरेशन, 132/12 नर्केलडंगा मेन रोड, कलकत्ता	16.34	4.46	-
314.			सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल्स, 71/सी डायमन्ड हार्बर रोड, कलकत्ता	11.27	6.60	6.59
315.			दी कलकत्ता सायरिटन्स, 53-बी, इलियट रोड, किद्देरपोर, कलकत्ता	7.55	4.96	14.17
316.			विवेकानन्द एजुकेशन सोसाइटी 13/3 कालीचरण दत्ता रोड, कलकत्ता-700061	10.90	9.62	9.62
317.			पश्चिम बंगाल स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन, 19-ए, डा. सुन्दरी मोहन एवेन्यू, कलकत्ता	10.29	3.31	6.80
318.			वीमेन्स कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, 5/1 रेडक्रास प्लेस, कलकत्ता	3.90	7.43	7.34
319.		दार्जिलिंग	सोसाइटी फॉर दी प्रमोशन आफ यूथ एण्ड मासेज, 33 एन.बी. गिरि रोड दार्जिलिंग	6.26	6.75	6.75
320.		हावड़ा	काउन्सिल फार एडवांसमेंट ऑफ रूरल एण्ड डाउनट्रोडन, बेगनम स्टेशन रोड (नार्थ) पोस्ट-बगनन, हावड़ा	6.80	3.40	6.80

1	2	3	4	5	6	7
321.			इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिड मेडीसीन, पुरलिया, पोस्ट-उनसानी, हावड़ा	1.46	2.92	5.83
322.			चिमाबिय विलेज पारबक्शी, पोस्ट बक्शी, हावड़ा	7.50	-	12.63
323.		मिदनापुर	पश्चिम बंगाल अ.जा. अल्पसंख्यक कल्याण एसोसिएसन, मिदनापुर	9.40	4.70	14.04
			कुल	105.68	64.15	106.03
324.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	एसोसिएशन फॉर सोशियल हेल्थ इन इंडिया 949, सेक्टर 41-ए, चंडीगढ़	7.02	7.02	7.02
325.	दिल्ली	दिल्ली	बापू नेचर क्यवर हास्पिटल एण्ड योगाश्रम, गांधी निधि, प्रतापगंज, दिल्ली	12.66	14.28	14.65
326.			मानव परोपकारी संस्था 1259, सेक्टर-ए, पाकेट बी, बसंत कुंज, नई दिल्ली-70	1.96	6.73	7.96
327.			समाज सेवा संघ, एन-69/10 गली नं. 16, ब्रह्मपुरी, दिल्ली	6.80	7.34	7.34
328.			सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेज, बी-5, 3034 बसंत कुंज, नई दिल्ली	2.59	2.02	5.79
329.			एसोसिएशन ऑफ नेशनल ब्रदरहुड फॉर सोशल वेलफेयर 21-22 न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली	18.24	18.25	16.96
330.			दिल्ली पुलिस फाउंडेशन फॉर सीडीआर (नव ज्योति) सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन काम्पलेक्स, दिल्ली	8.56	8.39	8.04
			कुल	58.81	57.01	60.7
331.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	एसोसिएशन फॉर साइको-सी341 70 वी वी पी नगर, पांडिचेरी-605009	3.05	9.21	6.16
			कुल	1721.42	1942.79	2166.01

विवरण II

1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 में मद्य निषेध और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना के अधीन लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2644	2567	4125
2.	असम	1139	1396	1957
3.	बिहार	11796	15088	12399
4.	गोवा	1054	727	1613
5.	गुजरात	22611	17718	32242
6.	हरियाणा	27021	29191	45255
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	297
8.	जम्मू और कश्मीर	385	323	353
9.	झारखंड	-	521	704
10.	कर्नाटर	4819	5549	13148
11.	केरल	24779	33122	29016
12.	मध्य प्रदेश	7073	7291	17337
13.	महाराष्ट्र	18002	20694	39194
14.	मणिपुर	7081	7549	9640
15.	मेघालय	343	480	499
16.	मिजोरम	1962	2967	2976
17.	नागालैंड	1398	1558	2919
18.	उड़ीसा	15504	11183	31374
19.	पंजाब	17001	17162	29409
20.	राजस्थान	7578	5763	8219
21.	सिक्किम	138	331	323
22.	तमिलनाडु	25241	29395	27563
23.	त्रिपुरा	7187	6157	8716

1	2	3	4	5
24.	उत्तरांचल	–	–	2372
25.	उत्तर प्रदेश	34407	37550	61546
26.	पश्चिम बंगाल	10163	11463	15950
27.	चंडीगढ़	3273	3076	3000
28.	दिल्ली	12143	15074	23446
29.	पांडिचेरी	2089	1908	11412
	कुल	266831	295803	437004

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परामर्श एवं उपचार-सह-पुनर्वास केन्द्रों से प्राप्त डेटा के आधार पर।

बरवाडिह-अम्बिकापुर-चिरमिरी रेल लाइन का निर्माण

1604. श्री ब्रजमोहन राम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बरवाडिह-अम्बिकापुर चिरमिरी रेल लाइन के पुनर्निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त परियोजना हेतु झारखंड सरकार से योगदान की मांग की है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) फील्ड वर्क पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हाजीपुर जोन में रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति

1605. श्री राजो सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाजीपुर जोन और दानापुर डिवीजन में जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां गठित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त समितियों को कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) दानापुर मण्डल के लिए मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति पहले ही 1.1.2002 से 31.12.2003 तक दो वर्ष की अवधि के लिए गठित कर दी गई है। हाजीपुर जोन के लिए क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति गठित नहीं की गई है क्योंकि यह जोन विभिन्न जोनल रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति के गठन के समय अस्तित्व में नहीं था। व्यवहार्य होने पर नई समिति का गठन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

1606. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की कितनी बड़ी परियोजनाएं अलग-अलग लंबित और अधूरी पड़ी है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र को दी गयी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में 10वीं योजना के दौरान अनुमानित

रूप से लाभ प्रदान करने वाली चालू सात जल विद्युत परियोजनाओं में से एक को पूरा कर लिया गया है, 5 निर्माणाधीन हैं तथा एक पर कार्य स्थगित है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। 10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लिए अभिज्ञात विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है। निजी क्षेत्र के जरिए क्रियान्वित की जा रही माहेश्वर एच.ई.पी. (400 मे.वा.) का काम विदेशी इक्विटी धारक के परियोजना से बाहर निकल जाने की वजह से इक्विटी में अंतर आ जाने के कारण स्थगित है। इस अंतर को भरने की मुख्य जिम्मेवारी परियोजना विकासकर्त्ताओं की है जिससे कि परियोजना का निर्माण कार्य चलता रहे।

विवरण

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य क्षेत्र

क्र.सं.	संस्थापित क्षमता के साथ परियोजना का नाम	मे.वा. में 10वीं योजना क्षमता	आरंभन समय सीमा
1.	बानसागर टांस चरण-4 (2×10 मे.वा.)	20	जुलाई, 2004, अक्तूबर, 2004
2.	बानसागर टांस चरण-2 (यूनिट-2) चरण-3 (यूनिट-3)	35	सितम्बर, 2002 में चालू
3.	माधीखेड़ा (2×20 मे.वा.)	40	जुलाई, 2004, अगस्त, 2004
4.	सरदार सरोवर (5 × 50 मे.वा. + 6 × 200 मे.वा.) (म.प्र., गुजरात और महाराष्ट्र का संयुक्त उद्यम, म.प्र. का शेयर 57%), केनल हेड पावर हाउस 5×50 मे.वा.	1450	4.9.2002 को यूनिट 2 एवं 3 को रोटेट किया गया यूनिट 1, 4 और 5-2003-04 में
	रिवर बेड पावर हाउस 6×200 मे.वा.		सितम्बर 2004 में पहली यूनिट मई, 2006 में अंतिम छठी यूनिट
	उप-कुल राज्य क्षेत्र	1545	
संयुक्त उद्यम			
5.	इंदिरा सागर (8×125 मे.वा.)	1000	मार्च, 2004 में पहली यूनिट मई, 2005 में अंतिम यूनिट
6.	ओंकारेश्वर (8 × 65 मे.वा.) (23.1.2003 को पी.आई.बी. ने स्वीकृति दी)	520	2006-07
	संयुक्त उद्यम का उप-कुल	1520	
निजी क्षेत्र			
7.	माहेश्वर (10 × 40 मे.वा.) श्री माहेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लि. द्वारा क्रियान्वित	400	2005-07 विदेशी इक्विटी साझेदार के बाहर निकलने के कारण परियोजना का काम जुलाई, 2002 से स्थगित है।
	निजी क्षेत्र का उप-कुल	400	
उपर्युक्त सभी का कुल जोड़		3465 मे.वा.	

डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

1607. श्री रतन लाल कटारिया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(घ) उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी हां।

(ख) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अब तक 45.30 लाख रु. (पैंतालीस लाख तीस हजार रु. केवल) निर्मुक्त किए गए हैं।

विवरण

1. योजना का उद्देश्य

उच्चतर अध्ययन करने वाले कमजोर वर्गों के प्रतिभावान छात्रों की पहचान करना उन्हें बढ़ावा तथा सहायता प्रदान करना।

2. पात्रता

1. छात्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
2. छात्र की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग पुरस्कार होगा।
4. छात्र किसी मान्यता प्राप्त राज्य/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शामिल हुआ है तथा उसने माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में कुल अंकों के 50% से कम अंक हासिल नहीं किये हो। 26 बोर्डों/परिषदों की सूची नीचे दी गई है।

3. छात्रवृत्तियों की संख्या

अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा बोर्ड/परिषद् द्वारा संचालित 10वीं स्तर की नियमित कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को प्रदान की जाएगी। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग होगी। यदि प्रथम तीन पात्र छात्रों में कोई बालिका न हो तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। यदि एक से अधिक छात्र समान अंक पाते हों तो ऐसे सभी पात्र छात्रों को शामिल करने के लिए पुरस्कारों की संख्या में उपर्युक्त रूप से वृद्धि की जाएगी।

1991 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान के पश्चात, अगले उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 10,000 रु. की दर से 250 विशेष प्रतिभा छात्रवृत्तियां दी जाएगी। यह उपर्युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त होंगी।

4. छात्रवृत्ति की राशि

छात्रवृत्ति निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जाएगी:

1.	अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र	60,000 रु.
2.	दूसरा अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र	50,000 रु.
3.	तृतीय अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र	40,000 रु.
4.	अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा (यदि वह उपर्युक्त तीन श्रेणियों में शामिल न हो)	40,000 रु.
		अधिकतम 1,90,000 रु. प्रति बोर्ड/परिषद्

ये पुरस्कार किसी अन्य छात्रवृत्ति/पुरस्कार के अतिरिक्त दिए जाएंगे जो छात्र अन्य स्रोतों से प्राप्त कर रहा होगा।

5. चयन की विधि

परीक्षा का संचालन करने वाला बोर्ड/परिषद् परीक्षा के परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर अम्बेडकर प्रतिष्ठान को छात्रों का ब्यौरा (नाम, पता, पारिवारिक आय, अंकों का प्रतिशत, स्कूल में अंतिम बार उपस्थिति, निकटतम बैंक आदि) संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को एक प्रति के साथ भेजेगा। पारिवारिक आय के उद्देश्य से बच्चे के पिता/अभिभावक अथवा उपस्थिति वाले विद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। यह सूचना बोर्ड/परिषद् के सचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित

होनी चाहिए। राज्य सरकार अगले 15 दिनों में प्रतिष्ठान को सूची सत्यापित करके अग्रेषित करेगी, बशर्ते कि यदि ब्यौरे राज्य सरकार से निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होते तो बोर्ड/परिषद् से प्राप्त ब्यौरे के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

6. संवितरण

पुरस्कार की राशि प्राप्तकर्ता छात्रों को बोर्ड/परिषद् तथा अंतिम उपस्थिति वाली शिक्षण संस्था को सूचित करते हुए पंजीकृत डाक द्वारा एक एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट के रूप में सीधे की जाएगी। पुरस्कार प्राप्तकर्ता छात्रों को यह राशि सावधि जमा में रखने तथा उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को उनके अध्ययन स्थान से दोनों तरफ का स्लीपर दर्जे/बस का किराया तथा यात्रा और अभिवादन के वास्तविक दिनों के लिए भोजन आदि हेतु प्रतिदिन 100 रु. की दर से भुगतान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 2.08 लाख रु. (औसतन प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1000 रु. की दर से) की राशि खर्च की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रभाव प्रतिवर्ष 125.88 लाख रु. होगा। इससे प्रत्यक्षरूप से देशभर के अधिकतम 458 छात्रों को लाभ होगा और यह प्रतिभा तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए कमजोर वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए परोक्षरूप से काफी लाभकारी होगा। योजना के संबंध में कोई संदेह की स्थिति में, इसे अम्बेडकर प्रतिष्ठान का निर्णय अंतिम होगा:

बोर्ड/परिषद् की सूची

1. आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम
3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार
4. गोवा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा
5. गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गुजरात
6. हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा
7. एच.पी. विद्यालय शिक्षा बोर्ड. हिमाचल प्रदेश
8. जे. एंड के. राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्नाटक
10. केरल सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड, केरल
11. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक बोर्ड, महाराष्ट्र
13. मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर
14. मेघालय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मेघालय
15. मिजोरम विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मिजोरम
16. नागालैण्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नागालैण्ड
17. उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंजाब
18. पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पंजाब
19. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
20. तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडु
21. त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, त्रिपुरा
22. यू.पी. उच्च विद्यालय तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, यू.पी.
23. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

अखिल भारतीय बोर्ड

24. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
25. भारतीय विद्यालय परीक्षा प्रमाणपत्र परिषद्
26. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

विशेष छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति हेतु	अनुसूचित जनजाति हेतु
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	2	3
4.	बिहार	12	1
5.	गोवा	1	–
6.	गुजरात	3	6
7.	हरियाणा	3	1

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1
9.	कर्नाटक	8	2
10.	केरल	3	1
11.	मध्य प्रदेश	9	9
12.	महाराष्ट्र	10	7
13.	मणिपुर	1	2
14.	मेघालय	1	3
15.	मिजोरम	1	2
16.	नागालैण्ड	–	2
17.	उड़ीसा	6	7
18.	पंजाब	7	–
19.	राजस्थान	8	5
20.	सिक्किम	1	1
21.	तमिलनाडु	11	1
22.	त्रिपुरा	1	2
23.	उत्तर प्रदेश	32	1
24.	पश्चिम बंगाल	18	4
25.	झारखंड	3	6
26.	छत्तीसगढ़	2	6
27	उत्तरांचल	2	–
28.	जम्मू और कश्मीर	1	1
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार	–	1
2.	चंडीगढ़	1	–
3.	दादरा और नगर हवेली	1	1
4.	दमन और दीव	1	1
5.	दिल्ली	2	–
6.	लक्षद्वीप	–	1
7.	पांडिचेरी	1	–
	कुल	167	83 = 250

[अनुवाद]

तंबाकू विज्ञापनों पर प्रतिबंध

1608. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केबल नेटवर्क को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केबल नेटवर्क अधिनियम में संशोधन किये जाने के बावजूद वे चोरी की फिल्मों, मदिरा और तंबाकू संबंधी विज्ञापनों का प्रसारण लगातार कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो मदिरा तंबाकू और सिगरेट के विज्ञापनों के संबंध में देश में कब तक इस अधिनियम को कठोरतापूर्वक लागू कर दिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण करने वाले टेलीविजन चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (च) केबल नेटवर्क के जरिए प्रेषित या पुनः प्रेषित किए जाने वाले सभी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता तथा इसके अंतर्गत बनाए नियमों का पालन करना अपेक्षित है। विज्ञापन संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू,

शराब, अल्कोहल, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री या खपत को प्रोत्साहित करता हो।

कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों की जांच करने के लिए सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत दो समितियों का गठन किया है। इन समितियों की सिफारिशों पर टी.वी. चैनलों को ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित न करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं जो विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करते पाए गए थे। यह एक सतत प्रक्रिया है।

कर्नाटक में पवन और लघु जल विद्युत परियोजनाएं

1609. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पवन और जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न की जा रही कर्नाटक में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा निर्धारित विद्युत का यूनिट दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड ने उपरोक्त प्रशुल्क का भुगतान करने से इसलिए मना कर दिया है क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक महंगी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्पादन के तरीके के आधार पर, संयंत्र की क्षमता और उसके स्थान के आधार पर प्रशुल्क को घटाने हेतु कर्नाटक के साथ बातचीत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) पवन विद्युत एवं लघु जल सहित, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए राज्यों को दिए गए मार्गनिर्देशों में 5% वार्षिक वृद्धि के साथ 2.25 रु. प्रति यूनिट (1994-95 आधार वर्ष) के खरीद मूल्य की सिफारिश की गई ।

(ख) कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (के पी टी सी एल) ने वर्ष 2002-03 से किसी वृद्धि की अनुमति दिए बिना दरों को वर्ष 2001-02 के स्तर पर स्थित कर देने का निर्णय लिया है। दरों के निर्धारण से संबंधित मामला कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग के समक्ष है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने राज्य सरकार से मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति का पालन करने के लिए के पी टी सी एल को सलाह देने का अनुरोध किया है।

दोहरीकरण परियोजनाएं

1610. डा. जयन्त रंगपी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लाइनों के दोहरीकरण की नयी परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए क्या नीति और मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में दोहरी लाइनों की जोनवार लंबाई कितनी है; और

(ग) देश में जारी दोहरीकरण परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण शुरू किया गया है ।

(ख) 31.3.2002 तक दोहरी/मल्टीपल लाइन का जोनवार मार्ग कि.मी. ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है ।

(ग) देश में चालू दोहरीकरण परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

(ख) 31.3.2002 तक दोहरी/मल्टीपल लाइन का जोनवार मार्ग कि.मी. निम्नानुसार है:

जोन	कि.मी.
मध्य रेलवे	3530.94
पूर्व रेलवे	2205.00
उत्तर रेलवे	2333.61
पूर्वोत्तर रेलवे	120.95
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	199.13
दक्षिण रेलवे	1362.40
दक्षिण मध्य रेलवे	1693.11
दक्षिण पूर्व रेलवे	3074.73
पश्चिम रेलवे	1602.90
जोड़	16,122.77

विवरण II

(ग) देश में चालू दोहरीकरण परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	कि.मी.	लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
	मध्य रेलवे		
1.	दीवा कल्याण की पांचवीं और छठीं लाइन का दोहरीकरण	11	48.06
2.	मानिकपुर-चंकी	32.68	46.16
3.	पनवेन-जसाई-जेएनपीटी	28.5	53.25
4.	च्योंकी-लोहगारा	26.88	49.4
5.	पंकी -सोलापुर	16.28	33.33
6.	पनवेल-रोहा (भूमि अधिग्रहण)	75.44	4.1
	पूर्व मध्य रेलवे		
7.	तेरेगना-जहानाबाद	15.2	43.62
8.	पुनपुन-तेरेगना(पटना-गया चरण-III)	16	44.42
9.	छपरा -हाजीपुर	59	73.06
10.	कर्पूरीग्राम-सिहो	26	30.98
11.	कजरा-क्यूल	15.85	21.45
12.	कटियार-सीमापुर	11.26	17.23
13.	पटना-गया (चरण-II)	6	17.45
	पूर्व रेलवे		
14.	गसकारा-बोलपुर(चरण-III)	19	43.42
15.	गरुप-शक्तिगढ़ (तीसरी लाइन)	26	52.39
16.	कालीनारायणपुर-कृष्णानगर, कृष्णानगर-शान्तिपुर तक बतौर जीसी सहित और नई लाइन	22	102.5
17.	सोनारपुर कैनिंग चरण-I (सोनापुर-घुतियारीशरीफ)	29	30.47
18.	बारोईपुर-लक्ष्मीकांतपुर चरण-I (बोराईपुर-दक्षिण बारासात)	17	49
19.	तारकेश्वर-शेराफुल्ली चरण-I (शेराफुल्ली-नालीकुल)	18	38.88
20.	बोलपुर-अहमदपुर	19	54.8

1	2	3	4
21.	बारासात-हसनाबाद विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण चरण-I (बारासात-सौंदालिया)	12.12	24.14
22.	हावड़ा-चांदपाड़ा	22.25	39.58
23.	बंदेल-जीरात	20	47
24.	बारोईपुर-मगराहाट	15	31.81
25.	अहमदपुर-सैंथिया	13	31.61
26.	गया-चखंड	9.29	26.12
27.	चंदनपुर-गुरूप	17	40.69
28.	भुज-भुज-अकरा	6.09	12.21
	पूर्वोत्तर रेलवे		
29.	गोरखपुर-सहजनवा	17.7	61.51
30.	गोंडा-जरवाल	45.45	69.79
31.	जरवाल रोड-बुरवल(कहीं-कहीं दोहरीकरण)	15.69	18.4
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		
32.	हरिशचंद्रपुरम-कुमारगंज	30	48
33.	कुमारगंज-एकलाखी	6	17.06
	उत्तर रेलवे		
34.	टुंडला-यमुना ब्रिज	21	31.54
35.	कानपुर-पनकी तीसरी लाइन	9	64.08
36.	जालंधर-पठानकोट-जम्मूतवी	203	374
37.	उत्तरेतिया-चंदरौली और सुलतानपुर-बंदुकला	37	65.84
38.	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज पांचवीं और छठी लाइन	3	33.74
39.	दयाबस्ती-ग्रेड सैपरेटर	6	25.48
40.	अमरोहा-मुरादाबाद	38	51.41
41.	अमरोहा-कनकेथर	31	56.98
42.	जाफराबाद-उत्तरेतिया चरण-II जाफराबाद-श्रीकृष्णनगर	34	61.08
43.	कानपुर-चंदेरी	4	16.85

1	2	3	4
	दक्षिण मध्य रेलवे		
44.	होसपेट-गुंतकल	115	159.1
45.	गुड्डुर-रेणिगुंटा	83	139.69
46.	बल्लापेले-पुलमपेट, गुत्ती-रेणिगुंटा चरण-I	41	74.77
47.	विजयवाड़ा-श्रीकृष्णानगर कैनाल तीसरी लाइन	5	44.31
48.	गुत्ती-रेणिगुंटा-कहीं-कहीं दोहरीकरण	151	304.5
	दक्षिण पूर्व रेलवे		
49.	रजतगढ़-नरगुंडी	28	82.86
50.	तालचेर-कटक-पारादीप (महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल)	3	104.26
51.	गोलकेरा-मनोहर पुल तीसरी लाइन (चक्रधर पुर-बेंडामुंडा खंड)	40	186.92
52.	टिटलागढ़-लांजिगढ़	47	100.05
53.	नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर	43	112.86
54.	रहमा-पारादीप	23	40.95
55.	बिलासपुर-उरकुरा	110	227.36
56.	कोरबा-गेवरा रोड	9	46.79
57.	रजतगढ़-बारंग	20	166.16
58.	टिकियापाड़ा-संतरागाछी चौथी लाइन	5.6	22.5
59.	पांसकुरा-हल्दिया फेज-I	16	26.02
60.	खुर्दा रोड-पुरी फेज-I	16	47.29
61.	झारसुगडा बाईपास	8.73	19.62
62.	सम्बलपुर-रेंगाली	22.7	48.5
	दक्षिण रेलवे		
63.	व्हाइटफील्ड-बंगारपेट-कुप्पम	162.23	81.21
64.	पत्ताबिरम-तिरूवालूर चौथी लाइन और तिरूवालूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन	71.94	41.89
65.	कुट्टीपुरम शोरूवण्णुर-कालीकट	86	177.19
66	कालीकट-मंगलोर	221	471.09
67.	बंगलोर-केनगेरी विद्युतीकरण सहित	12.45	20.73

1	2	3	4
68.	इरीगुरी-कोयम्बटूर	17.7	38.67
69.	बंगलोर-व्हाइट फील्ड-बंगलोर सिटी-श्रीरकृष्णराजपुरम	23	85
70.	कंकेरी-रामनगरम	32	45
71.	यशवंतपुरम-तुमकर	64	91.82
72.	अट्टिपट्टु- कोरूकुप्टाई	18	77.1
73.	एर्णाकुलम-मुलांतुरूती	17.37	58.93
	पश्चिम रेलवे		
74.	कालापिपल-फंडसा/मकसी-भोपाल	41.49	53
75.	सूरत-कोसम्भा (चरण-I)	35	49

जिन परियोजनाओं का दोहरीकरण पहले ही पूरा किया जा चुका है उनको उपर्युक्त सूची में नहीं दिखाया गया है।

इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत उत्पादन

1611. श्री वीरेन्द्र कुमारः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा सागर विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ताकि विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम के अनुसार आरंभ किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) सरकार ने नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लि. के गठन और मध्य प्रदेश में 8 × 125 मे.वा. क्षमता की इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के लिए लागत अनुमान को मार्च, 2002 में स्वीकृत दे दी थी। इस परियोजना को मई, 2005 तक शुरू किया जाना निर्धारित है।

(ख) और (ग) इस परियोजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रगति पर है। इंदिरा सागर परियोजना के कार्य में तेजी लाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए 4355.57 करोड़ रु. के लागत की स्वीकृति दी गयी थी जिसमें से जनवरी, 2003 के अन्त तक इस परियोजना पर 1761.16 करोड़ रु. व्यय हो चुके हैं। बांध की ऊंचाई को 267 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाना है जिसमे से 225 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार को अभी हाल में ही बांध की ऊंचाई को 238 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के आशय की अनुमति दी गयी है।

[हिन्दी]

आग लगने की घटनाएं

1612. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्यः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुधगारों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन घटनाओं के कारण कितनी क्षति हुई है और उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक उन गोदामों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये घटनाएं घटी; और

(घ) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुध/गोलाबारूद डिपुओं में आग लगने की

घटनाओं का ब्यौरा निम्नवत है-

क्र.सं.	आयुध डिपो/गोलाबारूद डिपो	घटना की तारीख	शस्त्र, गोलाबारूद तथा संपत्ति की अनुमानित हानि
1.	गोलाबारूद डिपो, भरतपुर	28 अप्रैल, 2000	393 करोड़ रु.
2.	गोलाबारूद डिपो, देहु रोड	3 मई 2000	शून्य
3.	केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर	28 मई, 2000	4 करोड़ रुपए
4.	दो गोलाबारूद सब डिपो, मेमून (18 फील्ड गोलाबारूद डिपो) पठानकोट	29 अप्रैल, 2001	27.69 करोड़ रु.
5.	दो गोलाबारूद सब डिपो, बृधवाल (24 फील्ड गोलाबारूद सब डिपो, गंगानगर)	24 मई, 2001	375.04 करोड़ रु.
6.	आयुध डिपो, शकुरबस्ती, दिल्ली	3 जून, 2001	2.87 करोड़ रुपए
7.	केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर	6 अगस्त, 2001	शून्य
8.	गोलाबारूद डिपो, डाप्पर	27 जुलाई, 2002	शून्य
9.	19 फील्ड गोलाबारूद डिपो, जोधपुर	2 अगस्त, 2002	31.54 लाख रुपए

2. आयुध/गोलाबारूद डिपुओं में आग लगने की घटनाओं की जांच-पड़ताल जांच अदालत द्वारा की गई है। पिछले मामलों के विश्लेषण के आधार पर आयुध डिपुओं में आगे लगने के संभावित कारण निम्नवत हैं:-

(i) स्वत: आग सुलगना।

(ii) विद्युत शॉर्ट सर्किट।

(iii) गोलाबारूद के परीक्षण/मरम्मत/नष्ट करने के दौरान अकस्मात विस्फोट होना। तथापि, मानवीय कारक से इंकार नहीं किया गया था ।

3. आयुध/गोलाबारूद डिपुओं का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य/उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:-

(1) सभी डिपुओं को बचाव तथा सुरक्षा अनुदेशों को अद्यतन बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(2) बचाव तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए अफसरों के एक बोर्ड द्वारा सभी डिपुओं का।

(3) अग्नि शमन उपस्करों की कमी पूरी की जा रहीं है तथा खराब उपस्करों की मरम्मत की जा रही है।

(4) उपयोग न किए जा सकने वाले गोलाबारूद का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है।

(5) इस समय, तिरपाल के नीचे जमीन पर रखे गोलाबारूद को अन्यत्र रखे जाने के लिए अतिरिक्त विस्फोटक भंडार गृह बनाए जाने के लिए अतिरिक्त धनराशि का आबंटन।

[अनुवाद]

कोंकण रेल का घाटा

1613. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल निगम को इसके आरंभ से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और दिसंबर 31, 2002 तक हुए घाटों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन घाटों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) निगम अपने संचालन व्यय अपने द्वारा सृजित राजस्व से पूरा करने में समर्थ है। बहरहाल निर्माण अवधि के दौरान वित्त पोषण के लिए किए जाने वाले प्रावधान के कारण बाजार ऋण पर और मूल्यह्रास के कारण निगम तुलनपत्र में घाटा दर्शा रहा है। 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान सकल घाटा क्रमशः 385 करोड़ रु. 382 करोड़ रुपए तथा 370 करोड रु. था। वर्ष 2002-03 के दौरान दिसंबर, 2002 तक शुद्ध घाटा 249 करोड़ रुपए हैं।

(ग) निगम ने एक कार्य योजना बनाई है जिसमें राजस्व को बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय उल्लिखित हैं। ये निम्नलिखित है:-

(1) गहन विपणन अभियान चलाकर यातायात से आमदनी बढ़ाना

(2) निम्नानुसार अपनी निर्माण निपुणता का विपणन करना:

- रेलवे निर्माण के लिए अन्तरराष्ट्रीय संविदाओं में भाग लेना
- देश में राजमार्ग और सुरंग निर्माण जैसे विशिष्ट कार्यों में भाग लेना

(3) भारतीय रेल प्रणाली पर के.आर.सी. द्वारा विकसित टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) के परीक्षण के बाद उसे संस्थापित करना।

योजना निवेश को पूरा करने हेतु राजस्व

1614. श्री रामजी मांझी: क्या **रेल मंत्री** अपारंपरिक संसाधनों से राजस्व अर्जन के बारे में 29.11.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1818 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग योजना आवश्यकताओं में कमी की पूर्ति करने में सफल रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा योजना आवश्यकताओं में कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) वर्ष 2001-02 के दौरान वर्ष के लिए 1400 करोड़ रु. के परिव्यय से विशेष रेल संरक्षा निधि सृजित की गई थी चुनिंदा कार्यों के प्रगति में तेजी लाने के लिए वर्ष के दौरान 898 करोड़ रु. की बजटीय सहायता भी प्राप्त की गई थी । इनसे, आंतरिक सृजन में कमी होने के बावजूद, स्रोतों से वर्ष के लिए योजना परिव्यय 8002 करोड़ रु. का, जो बजटीय लक्ष्य से 912 करोड़ रु. अधिक था। चल स्टॉक की कम आवश्यकता के कारण भारतीय वित्त निगम के माध्यम से बाजार ऋण में कमी आई थी। बोल्ट परियोजनाएं भी फलीभूत नहीं हुई। बाजार ऋणों में कमी के साथ-साथ बजट में 11,090 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2001-02 में शुद्ध योजना व्यय (वास्तविक) 10,177 करोड़ रु. था।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

1615. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में की गई प्रगति का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) देश के सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में कार्यान्वयन के अंतर्गत है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई.आर.ई.पी. का कार्यान्वयन दो संघटकों नामतः केन्द्रीय क्षेत्र संघटक और राज्य क्षेत्र संघटक के माध्यम से किया जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र संघटक के अंतर्गत स्टाफ सहायता, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यकलापों सहित क्षमताओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य क्षेत्र संघटक के अंतर्गत ब्लाक स्तरीय एकीकृत ग्राम ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य योजना परिव्यय से वित्तीय सहयता उपलब्ध कराई जाती है जिसके अंतर्गत आई.आर.ई.पी. ब्लॉकों में ग्रामीण लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए विस्तार, प्रदर्शन और प्रोत्साहनों के माध्यम से विभिन्न ऊर्जा युक्तियों का संवर्धन किया जाता है। आई.आर.ई.पी. के कार्यान्वयन के लिए अब तक कुल 860 ब्लॉकों को मंजूरी दी गई है। इन ब्लॉकों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1999-2000 में बारह राज्यों में आई.आर.ई.पी. की प्रगति पर 'आई.आर.ई.पी.' का विश्लेषण और क्षमता निर्माण कार्यनीति का विकास' नामक एक अद्यतन अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह पता चला कि आई.आर.ई.पी. के फलस्वरूप जिला और राज्य स्तरों पर ग्राम ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना स्थापित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त आई.आर.ई.पी. से ग्रामीण लोगों और क्षेत्र विकास अधिकारियों के ग्रामीण ऊर्जा समस्या के विभिन्न आयामों को समझने और उनके समाधान में मदद मिली है। आई.आर.ई.पी. से नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बड़े पैमाने पर जागरुकता आई है। इस अध्ययन में यह अनुशंसा की गई है कि आई.आर.ई.पी. को समेकित किया जाना चाहिए; राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी जानी चाहिए; और कार्यक्रम की निगरानी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(घ) जैसा कि उपरोक्त अध्ययन से पता चला है कुछ पहलुओं में आई.आर.ई.पी. को सफलता मिली है; परंतु कार्यान्वयन पहलू को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) ग्रामीण ऊर्जा आयोजना और कार्यान्वयन तथा आई.आर.ई.पी. ब्लॉकों में अक्षय ऊर्जा युक्तियों के संवर्धन के लिए अवसंरचना की स्थापना के साथ सफलता प्राप्त हुई है। तथापि सभी राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य सरकारों से अधिक संसाधनों की जरुरत है।

विवरण

आई.आर.ई.पी. के अंतर्गत मंजूर किए गए ब्लॉकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल ब्लॉकों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	32
अरुणाचल प्रदेश	10
असम	21
बिहार	48
छत्तीसगढ़	22
गोवा	5
गुजरात	25
हरियाणा	38
हिमाचल प्रदेश	45
जम्मू एवं कश्मीर	28
झारखंड	8
कर्नाटक	42
केरल	44
मध्य प्रदेश	63
महाराष्ट्र	37
मणिपुर	19
मेघालय	16
मिजोरम	11
नागालैंड	25
उड़ीसा	45
पंजाब	40
राजस्थान	36
सिक्किम	4
तमिलनाडु	21
त्रिपुरा	6
उत्तर प्रदेश	94
उत्तरांचल	21
पश्चिम बंगाल	34
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5
चंडीगढ़	1
दादर व नगर हवेली	1

1	2
दमन व दीव	1
दिल्ली	5
लक्षद्वीप	1
पांडिचेरी	6
कुल	860

[अनुवाद]

हैदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने स्थित डाकघर

1616. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने डाक विभाग का एक कार्यालय कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यालय के कारण यात्रियों को वाहन खड़ा करने और आवागमन में असुविधा हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल अधिकारियों ने इस कार्यालय को अन्यत्र ले जाने के लिए इस मामले में डाक विभाग के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां, हैदराबाद स्टेशन पर परिपथन क्षेत्र के समीप एक आर एम एस कार्यालय मौजूद है।

(ख) केवल व्यस्त यातायात घंटों के दौरान, जब परिपथन क्षेत्र में बसों को पार्क किया जाता है और डाक वैन पत्रों को उठाना शुरू कर देते हैं, उस समय आम जनता को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) डाक प्राधिकारियों को कहा गया है कि अपने वैनों के संचलन को नियंत्रित करे और व्यस्त घंटों के दौरान परिपथन क्षेत्र में भीड़-भाड़ न होने दें।

(ii) स्टेशन यातायात के लिए अलग से प्रवेश और निकास की व्यवस्था करके यातायात को सुगम कर दिया गया है।

नये ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1617. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में वर्ष 2003-2004 के दौरान कितने नये ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार/राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस संबंध में विश्व बैंक से सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नये ताप विद्युत संयंत्रों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) वर्ष 2003-04 के दौरान निम्नांकित विद्युत परियोजनाओं को चालू करने का लक्ष्य है-

परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का अंतिम कार्यक्रम
1	2	3
तालचेर एसटीपीपी चरण-2 यू-4 उड़ीसा (एनटीपीसी)	500	12/03
नैवेली टीपीएस-1 विस्तार यू-2 तमिलनाडु (एनएलसी)	210	6/2003

1	2	3
सूरतगढ़ टीपीपी चरण-3 राजस्थान (राज्य क्षेत्र)	250	6/2003
कोटा टीपीपी चरण-4 यू-6 राजस्थान (राज्य क्षेत्र)	195	7/2003
ध्रुवण सीसीपीपी,जीटी+एसटी गुजरात(राज्य क्षेत्र)	67.85+38.77	4/2003, 6/2003
कुट्टालम सीसीपीपी, जीटी+एसटी तमिलनाडु (राज्य क्षेत्र)	60+35	11/2003, 2/2004
बैराबी डीजीपीपी, मिजोरम	4×5.73	डीजी-1 व 2 12/03 डीजी-3 व 4 1/04
अकरीमोटा लिग्नाइट आधारित टीपीपी गुजरात (राज्य क्षेत्र)	125	2003-04
डाभोल सीसीजीटी चरण-2 महाराष्ट्र (निजी क्षेत्र)	1444	2003-04 चालू विवाद का समाधान होने पर ही परियोजना का आरंभ होना सुनिश्चित हो सकेगा।

केवल एनटीपीसी द्वारा निष्पादित की जा रही तालचेर एसटीपीपी विश्व बैंक में प्रस्तुत की गई है। तथापि, विश्व बैंक से तत्काल सहायता उपलब्ध न होने के कारण एनटीपीसी ने इस परियोजना का क्रियान्वयन अपने संसाधनों से शुरू कर दिया ।

वाहनों में सीएनजी का उपयोग

1618. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन वाहनों द्वारा सीएनजी के उपयोग के कारण पेट्रोल/डीजल की बचत हुई है;

(ख) क्या सार्वजनिक परिवहन द्वारा सीएनजी के उपयोग से राजधानी में प्रदूषण को कम करने में बहुत सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका प्रदूषण नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जनवरी, 2003 में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा विभिन्न वाहनों श्रेणियों को औसतन प्रतिदिन 6.66 लाख कि.ग्रा. संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) बेचा गया। इसमें से बसों को 4.38 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन बेचा गया, जो पहले डीजल का प्रयोग कर रहीं थी। टैक्सियों, निजी कारों, थ्री व्हीलरों आदि को 2.28 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन सीएनजी की आपूर्ति की गई। डीजल और पेट्रोल की लगभग 531 कि.लो. और 315 कि.लो. प्रतिदिन की बचत के अनुमान हैं।

(ख) और (ग) राजधानी में 0.05% अधिकतम सल्फर मिले डीजल और पेट्रोल के प्रयोग के साथ-साथ सार्वजनिक वाहनों और निजी वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से प्रदूषण के स्तर में कमी हुई है। शहर के विभिन्न भागों में प्रदूषण स्तर में कमी उस क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की संख्या और ट्रैफिक स्थिति आदि के आधार पर निर्भर करती है।

विकलांग व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास

1619. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांग लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए कतिपय योजनाएं तैयार की है और नये कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए इस मंत्रालय की विभिन्न चल रहीं योजनाएं/कार्यक्रम हैं। विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित छह राष्ट्रीय संस्थान/शीर्ष स्तरीय संस्थाएं है जो अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास का कार्य करते हैं, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं, कार्यात्मक अनुसंधान आदि करते हैं। इस मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) विकलांग व्यक्तियों के लिए गुणात्मक सहायक यंत्रों और उपकरणों का उत्पादन करता है और इसकी उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देता है। वर्ष 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन एच एफ डी सी) स्व-रोजगार तथा आय सृजक कार्यकलापों के लिए आसान शर्तों पर विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकलांग व्यक्ति के पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन है।

सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की व्यापक कवरेज और समग्र पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए भी पहलें की हैं। व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला केन्द्र स्थापित करने के लिए सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। मेरुदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों और अन्य अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों तथा संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए भी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी) योजना व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना का निर्माण करने के लिए राज्य क्षेत्र में अनुमोदित की गई है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा गुणात्मक सहायक यंत्रों और उपकरणों की आसान उपलब्धता के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के चार सहायक उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए भी योजना अनुमोदित की गई है। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

घाटकोपर में रेल ऊपरि पुल का पुनर्निर्माण

1620. **श्री किरीट सोमैया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घाटकोपर, मुम्बई, मध्य रेलवे के निकट पुराने रेल ऊपरि पुल का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ हो चुका हैं

(ख) क्या पुनर्निर्माण कार्य को आरंभ किये जाने के कारण मौजूदा रेल ऊपरि पुल के लिए नये रेल ऊपरि पुल के निर्माण में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो पुनर्निर्माण कार्य में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) घाटकोपर में रेल पुल ऊपरि पुल के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) नए ऊपरि पुल पर रेलवे के हिस्से का कार्य जून, 2001 में पूरा हो गया था। संपर्क मार्गों के निर्माण में विलंब निगम की तरफ से था। 26.12.2002 से मौजूदा ऊपरि सड़क पुल से नए ऊपरि सड़क पुल के लिए यातायात को परिवर्तित कर दिया गया हैं किन्तु पुल से एमटीएनएल केबल तथा बीएमसी पाइप लाइनों को अभी हटाया जाता है। इसके बाद ही रेलवे के हिस्से का कार्य आरंभ किया जाएगा।

(घ) रेलवे के हिस्से के कार्य पर 1.5 करोड़ रु. की लागत आने की संभावना है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध है।

(ङ) रेलवे का हिस्से कार्य शुरू होने के 18 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा बशर्ते कि पैरा (ख) और (ग) में उल्लिखित बाधाएं दूर हो जाएं।

(च) ठेका दे दिया गया है और एमटीएनएल केबल तथा बीएमसी पाइप लाइनों के हटाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सीएनजी पंप

1621. **डा. बलिराम:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने सीएनजी पंप खोले गये और उनमें से प्रत्येक पंप को चलाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या है और ऐसे सीएनजी पंपों के आवंटन का मापदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में सीएनजी पंपों के आवंटन के मानदंड में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा स्वयं चलाये जा रहे सीएनजी पंपों को कब तक नीलाम किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जनवरी 2001 से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा 53 संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) केन्द्र चालू किए गए हैं। आईजीएल के स्वामित्व वाले सीएनजी स्टेशन और डीटीसी डिपुओं पर सीएनजी सुविधाएं आईजीएल द्वारा प्रचालित की जाती हैं। तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों में स्थापित सीएनजी सुविधाएं कंपनी के संबंधित डीलरों द्वारा प्रचलित की जाती है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

अधिकतम यात्री संख्या की अवधि के दौरान वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराये लागू किया जाना

1622. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का विचार सीटों का अधिकतम अधिभोग सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम तथा न्यूनतम यात्री संख्या अवधि के दौरान वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलग-अलग किराए लागू करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो इन किरायों में कितना अन्तर होगा;

(ग) रेल विभाग द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में अधिकतम संख्या में सीट भरने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाने का विचार हैं;

(घ) क्या विभिन्न जोनों के महाप्रबंधकों को इस समस्या से निपटने के लिए पूरा अधिकार दिया गया हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जैसा कि रेलवे बजट 2003-04 में प्रस्तावित किया गया है, ऐहितायती तौर पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूल द्वितीय के मूल किरायों में 15 जुलाई से 15 सितंबर, 2003 तक गैर-व्यस्त अवधि के दौरान 10% की कमी की जाएगी

(ग) से (ङ) स्थान अधिभोगिता में सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक जैसे समय पालन प्रतीक्षा सूची इत्यादि की नियमित रूप से महाप्रबंधक सहित संबंधित स्तरों पर निगरानी रखी जाती है।

हाइड्रोकार्बन में अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं

1623. श्री अनन्त नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मॉडल प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के हाइड्रोकार्बन डाउनस्ट्रीम तथा अपस्ट्रीम दोनों ही क्षेत्रों में अपने निजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र हैं। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने भी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए पूर्वी एवं पश्चिम तट प्रत्येक के अंतर्गत 'मॉडल फील्ड लेबोरेटरी एरियाज' के रूप में एक क्षेत्र की पहचान की है।

विद्युत वितरण संबंधी कार्य का निजीकरण

1624. श्री चन्द्र नाथ सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत वितरण संबंधी कार्य को निजी क्षेत्र को देने से राजस्व अर्जन में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को दिए गए वितरण कार्य में सुधार के साथ-साथ विद्युत प्रौद्योगिकी में भी सुधार करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी हां। बशर्ते कि निजी वितरण कंपनियां पारेषण व वितरण हानियों को कम करने और बिलिंग तथा संग्रह में सुधार के लिए कदम उठाएं।

(घ) से (ङ) भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत विद्युत प्रौद्योगिकी में सुधार की परिकल्पना की जा रही है। कार्यक्रम में मौजूदा कम वोल्टेज वितरण प्रणाली को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचपीडीएस) में अंतरित करने की परिकल्पना है। एच पी डी एस में शामिल हैं भार केन्द्र तक उच्च वोल्टेज लाइन के जरिए एल टी लाइनों में कमी और अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले कुशल वितरण ट्रांसफार्मरों के जरिए विद्युत की आपूर्ति भौगोलिक सूचना प्रणाली कैपेसिटरों स्विचड/स्वचालित तथा फिक्सड कैपेसिटरों की स्थापना, उपभोक्ता सूची मेनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एंड डाटा एक्विजिसन सिस्टम वितरण आटोमेशन उपभोक्ता इंटरफेस आटोमेशन संचार सुविधाएं, सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ उपभोक्ता सम्बन्ध प्रबंधन प्रणाली। इस कार्यक्रम के तहत अन्य उपाय हैं; नेटवर्क आयोजन भार प्रबंधन आउटेज और इंटरप्शन में कमी कुशल मीटरिंग मीटर रीडिंग, बिल संग्रह विश्वसनीयता सूची वाणिज्यिक हानियों की समाप्ति तकनीकी हानियों में कमी राजस्व में वृद्धि संकट कालीन प्रबंधन उपभोक्ता संतुष्टि आदि

मिलावटी-डीजल बेचने वाले का गिरोह

1625. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री शिवाजी माने:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मिलावटी डीजल बेचने वाले गिरोह की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे गिरोहों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन गिरोहों के लोगों ने खुदरा व्यापारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ स्थापित कर रखी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं। ऐसे कोई गिरोह सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे प्रिंटिंग प्रेसों को बंद किया जाना

1626. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं। प्रिंटेड कार्ड टिकट और मनी वैल्यू मदों का मुद्रण कार्य रेलवे प्रिंटिंग प्रेस निरंतर जारी रखेंगी। बहरहाल, रेलवे की योजना प्रिंटिंग प्रेसों से अन्य बाह्य क्रिया-कलापों को धीरे-धीरे समाप्त करने की है।

[हिन्दी]

एनईएलपी के अंतर्गत तेल और गैस की खोज

1627. प्रो. रासासिंह रावत:
श्री वाई.वी. राव:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एनईएलपी-3 के अंतर्गत तेल और गैस के उत्पादन में भागीदारी निभाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और गैस की खोज संबंधी नई नीति के अंतर्गत देशों में तेल और गैस का पता लगाने के लिए अब तक क्या उपाय किए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकारी तेल कंपनियां तेल और गैस का पता लगाने हेतु खुदाई/उत्खनन आदि संबंधी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के अभाव में निजी कंपनियों से पीछे हैं;

(ङ) यदि हां, तो देश में पता लगाएं गए तेल भंडार का ब्यौरा क्या है और एनईएलपी-3 के अंतर्गत तेल क्षेत्रों का पता लगाने के मद में कितना निवेश किए जाने की संभावना है; और

(च) इन तेल क्षेत्रों से कब तक तेल और गैस मिलना शुरू हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने कई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तृतीय चक्र के तहत अवार्ड किए गए 23 अन्वेषण ब्लाकों के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) और निजी कंपनियों के साथ अकेले अथवा अन्य कंपनियों के साथ परिसंघ के रूप में 4 फरवरी 2003 के उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 23 ब्लाकों में से 8 ब्लाक भूस्थित 6 ब्लाक कम गहरे समुद्री क्षेत्र के और 9 ब्लाक गहरे समुद्री क्षेत्र के हैं।

(ग), (ङ) और (च) एनईएलपी के माध्यम से अन्वेषण प्रयास बढ़ाने के लिए एनईएलपी के तीन चक्रों के तहत 70 ब्लाकों के लिए सरकार द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 9 खोजे की गई हैं। 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में तेल और गैस के भंडारों के लगभग 1,491 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) होने का अनुमान है।

सफल बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोलियों में इंगित किए अनुसार एनईएलपी-3 के तहत अन्वेषण ब्लाकों के लिए अनुमानित निवेश 1,039 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 5002 करोड़ रुपये) है। पीएससीज की शर्तों के अनुसार संविदाकार को तीनों अन्वेषण चरणों में से प्रत्येक के अंत में हट जाने का विकल्प होता है बशर्ते कि उस चरण के लिए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूरा कर लिया गया हो।

(घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

शेल इंडिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्री

1628. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल इंडिया को देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री हेतु सरकार से अनुमति मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन निबंधन और शर्तों के तहत यह अनुमति प्रदान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मैसर्स शेल इंडिया से देश में पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फुलेरा और जोधपुर के बीच टोकन रहित सिगनलिंग सिस्टम

1629. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फुलेरा और जोधपुर रेलवे स्टेशनों के बीच टोकन रहित सिगनलिंग सिस्टम शुरू करने की कोई योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई निविदा आमंत्रित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह निविदा कब आमंत्रित की गई और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता

1630. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बेसहारा बच्चों और अपंग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राज्य सरकारों/और गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) दसवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ नियत की गई कुल धनराशि और प्रत्येक राज्य को प्रस्तावित राशि आवंटन का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत निराश्रित बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याणर्थ कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है।

1. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम
2. सामान्य समाज रक्षा सहायतानुदान योजना
3. सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए सहायता योजना
4. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना

इन योजनाओं के पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार निर्मुक्तियां विवरण में दी गई हैं।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत दसवीं योजना में प्रस्तावित आवंटन 947.40 करोड़ रु. है। कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता ।

विवरण

वर्ष 1999-00 से 2001-02 के दौरान निराश्रित बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ गैर-सरकारी संगठनों/राज्य सरकारों को दी गई सहायता के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1490.74	1548.08	1574.32
2	अरुणाचल प्रदेश	19.00	13.15	26.27
3.	असम	40.74	55.98	69.16
4.	बिहार	91.27	189.07	293.47
5.	छत्तीसगढ़	0.00	9.08	20.03
6.	गोवा	18.66	20.45	30.14
7.	गुजरात	274.39	484.44	362.36
8.	हरियाणा	83.27	217.33	101.31
9.	हिमाचल प्रदेश	52.22	114.53	32.66
10.	जम्मू और कश्मीर	14.99	17.60	10.32
11.	झारखंड	0.00	0.00	8.07
12.	कर्नाटक	617.84	683.21	782.56
13.	केरल	502.62	518.88	690.69
14.	मध्य प्रदेश	151.01	125.75	156.24

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	523.86	550.02	495.35
16.	मणिपुर	91.11	83.29	72.93
17.	मेघालय	17.41	46.38	62.39
18.	मिजोरम	27.59	35.55	50.53
19.	नागालैंड	0.00	0.00	1.78
20.	उड़ीसा	363.48	431.60	582.23
21.	पंजाब	128.68	201.21	173.36
22.	राजस्थान	478.82	528.81	597.46
23.	सिक्किम	0.00	0.00	1.94
24.	तमिलनाडु	505.16	533.18	590.31
25.	त्रिपुरा	14.77	12.57	19.70
26.	उत्तर प्रदेश	1878.47	2018.16	2592.08
27.	उत्तरांचल	0.00	95.85	129.69
28.	पश्चिम बंगाल	730.63	916.81	1034.54
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	18.33	20.13	12.82
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	1.53
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	1159.61	845.22	1008.28
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.44	15.30	7.82

सूचना और प्रसारण की संविधि संबंधी विशेषज्ञ समिति

1631. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमेरिकी तर्ज पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसर बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यक्रम संबंधी कटाई-छटाई को लचीला बनाने के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सेंसर बोर्ड द्वारा क्या कारण बताए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कुछ संविधि की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उक्त समिति में कौन-कौन से लोग होंगे और इसके निवेश पद क्या होंगे;

(ङ) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां, सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित कानूनों नियमों और विनियमों की समीक्षा करने के लिए श्री पी.एम. बक्शी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की थी ।

उक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से थे:-

(1) देश में सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र का अध्ययन करना तथा क्षेत्र को संचालित करने के लिए वर्तमान कानूनों, नियमों और विनियमों हेतु उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

(2) उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना जहां कानून/विनियम की आवश्यकता है तथा जो वर्तमान कानूनों के अंतर्गत नहीं आते।

(3) प्रस्तावित कानूनों के बारे में सिफारिश करना। इन क्षेत्रों में नियमों और विनियमों सहित

(4) निम्नलिखित उद्देश्य से मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना:

(एक) अप्रयुक्त प्रावधानों की पहचान करना।

(दो) उन प्रावधानों की पहचान करना जिनमें बदलते समय के अनुसार संशोधन की आवश्यकता है।

(तीन) कानूनों, नियमों और विनियमों में प्रस्तावित अपेक्षित संशोधनों से संबंधित सिफारिश करना

(ङ) और (च) इस समिति ने निम्नलिखित पर कुल छः रिपोर्ट प्रस्तुत की है:-

(1) प्रथम रिपोर्ट (दिनांक 20.9.2000) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995।

(2) द्वितीय रिपोर्ट (दिनांक 13.10.2000)-संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977

(3) तृतीय रिपोर्ट (दिनांक 7.11.2000)-प्रेस परिषद अधिनियम, 1867

(4) चतुर्थ रिपोर्ट (दिनांक 15.12.2000)-चलचित्र की अधिनियम, 1952

(5) पंचम रिपोर्ट (दिनांक 15.12.2000)-प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867; और

(6) छठी रिपोर्ट (दिनांक 21.12.2000)-प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट विचाराधीन हैं।

पेट्रो उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

1632. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रो उत्पादों पर विशेष उत्पाद शुल्क लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यथा मूल्य शुल्क विशेष शुल्क में बदलने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्ष 2003-04 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क का ब्यौरा 2003-04 के बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद उपलब्ध होगा ।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योजनाएं

1633. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर तमिलनाडु में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में विकलांग लोगों की सेवा और अवसर प्रदान करने हेतु औद्योगिकी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए है;

(घ) गत तीन वर्षों में इसके लिए कितनी राशि आवंटित वितरित और उपयोग की गई;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों को ऐसे उद्योगों के निष्पादन की निगरानी करने में कठिनाई हो रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे उद्योगो का वित्त पोषण करने और निगरानी करने हेतु क्या गंभीर कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्थानों संयुक्त पुनर्वास केन्द्र, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों और जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से नि:शक्त व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठनों को भी नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना (अम्ब्रेला योजना) और सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। स्वरोजगार कार्यों के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा आसान शर्तों पर ऋण भी दिए जाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2001-2002 में तमिलनाडु को कुल 686.82 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ग) से (च) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को नि:शक्त उद्यमी व्यक्तियों द्वारा कारोबार की स्थापना और फैक्टरियों की स्थापना हेतु अन्य बातों के अलावा उन्हें रियायती दरों पर भूमि के प्राथमिकता के आधार पर आवंटन हेतु नि:शक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं बनाने का शासनादेश दिया गया है । 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम 40% या अधिक की नि:शक्ता वाले व्यक्तियों को सेवा या व्यापार क्षेत्र में छोटे व्यवसाय, छोटी औद्योगिक ईकाईयों, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सहायक साधनों के निर्माण/उत्पादन यूनिटों की स्थापना और कृषि कार्यकलापों आदि के लिए ऋण देता है। पिछले तीन वर्षों में एनएचएफडीसी के लघु-ऋण कार्यकलापों की धनराशि सहित संवितरित धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है-:

वर्ष	संवितरित धनराशि करोड़ रु.*
1999-2000	576.02
2000-2001	1,180.87
2001-2002	1,284.32

*कृपया 'करोड़ रुपए' के स्थान पर ''लाख रुपए'' पढ़ा जाए, इस संबंध में मंत्री महोदय द्वारा शुद्धि करने वाला विवरण 10.4.2003 को सभा में दिया गया।

देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना

1634. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस फाउंडेशन द्वारा अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक सुविधाओं की वृद्धि हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान क्या कदम उठाये गये;

(ग) क्या इस फाउंडेशन द्वारा कोई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यक सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित विषयों में प्रतिस्पर्धा कर सके;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विश्वविद्यालयों के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या फाउंडेशन सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा देने हेतु कुछ विश्वविद्यालयों का चयन करेगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी हां। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों तथा सामान्यत: अन्य कमजोर वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

(ख) प्रतिष्ठान ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 69 गैर सरकारी संगठनों के 9,34,63,400 रु. की राशि स्वीकृत की है। उपर्युक्त

में से 58 गैर-सरकारी संगठनों को स्कूलों/कालेजों/होस्टल भवनों के निर्माणार्थ 8,08,40,000 रु. की राशि दी गई है तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 9 गैर-सरकारी संगठनों 1,10,93,000 रु. की राशि और उपचारी कोचिंग के लिए 2 गैर-सरकारी संगठनों 15,30,400 रु. की राशि प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ) प्रतिष्ठान द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं की गई है। प्रतिष्ठान केवल उन गैर-सरकारी संगठनों की सहायता करता है जो भारतीय न्यास अधिनियम/सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हैं। इस श्रेणी में विश्वविद्यालय नहीं आते। अत: उनके साथ संबंध नहीं है।

यू.पी., एम.पी. और राजस्थान में दलितों पर होने वाले अपराध

1635. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीन ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां देश में अनुसूचित जातियों पर होने वाले कुल अपराध की तुलना में सामूहिक रूप से सबसे अधिक अपराध होते हैं;

(ख) अन्य कौन-कौन से राज्य हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान दलितों पर अपराध होने की सूचना है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार कितने अपराध हुए हैं;

(घ) क्या राज्यों में दलितों पर होने वाले अपराध पर रोक लगाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को कोई ठोस कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यों द्वारा राज्यवार किस सीमा तक इन दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) कैलेंडर वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1999 के अंतर्गत सबसे अधिक संख्या में दर्ज मामलों की गणना उत्तर प्रदेश राज्य में (9764 मामले), राजस्थान राज्य (5915 मामले), तथा मध्य प्रदेश राज्य (4432) में की गई है। ये कुल मिलाकर (22131 मामले) हैं। यह इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कुल 30,022 मामलों का 67% था।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरांचल व निकोबार द्वीप समूह दादरा व नगर हवेली, दमन द्वीव, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पांडेचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी मामले दर्ज किए गए।

(ग) कैलेंडर वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो इस अधिनियम को कार्यान्वित करते हैं से अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाता हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रर्वतन तथा न्यायिक प्रर्वतन तंत्र को मजबूत करने दर्ज मामलों का समय पर परीक्षण जांच एजेंसियों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता अपराधों को रोकने के लिए समुचित निवारक कार्रवाई करना तथा राज्य जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर पर चुने हुए जन-प्रतिनिधियों एवं गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शामिल करना विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जान-माल की रक्षा के लिए विशेष उपाय तथा लक्ष्य समूहों में जागरुकता सृजन के लिए अधिनियम को प्रावधानों का प्रचार करने हेतु प्रिंट तथा मीडिया उपकरणों का प्रयोग और कुल मिलाकर पंचायती राज्य संस्थाओं तथा सभ्य समाज को सुनिश्चित करना।

(ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21 (1) में इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के लिए ऐसे उपाय करने की व्यवस्था है जो आवश्यक हो इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विशेष उपाय करने हेतु उन्हें सुझावात्मक पत्राचार भी किया जाता है। तदनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पांडिचेरी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की दिशा में आध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश ने अपने-अपने राज्यों में अत्याचार प्रवण/संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान भी की है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के शीघ्र

अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए 137 अनन्य विशेष न्यायालयों आंध्र प्रदेश (12) बिहार (11), छत्तीसगढ़ (07), गुजरात (10), कर्नाटक (06), मध्य प्रदेश (29), राजस्थान (17), तमिलनाडु (04) तथा उत्तर प्रदेश (40) तथा उत्तरांचल (10) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड जो जनजातीय बहुल क्षेत्र राज्य हैं को छोड़कर सभी राज्यों ने इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को परीक्षण के लिए वर्तमान सेसन कोर्टों को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया है तथापि ऐसे राज्यों जिनके पास न्यायालयों में लंबित मामलों की सार्थक संख्या है और जिन्होंने अभी तक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों का तेजी से परीक्षण करने के लिए अनन्य न्यायालयों की स्थापना करने का आग्रह किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	721	2711	2020
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	1258	568	693
5.	छत्तीसगढ़	-	873	902
6.	गोवा	1	1	1
7.	गुजरात	1846	1699	1217
8.	हरियाणा	28	54	68
9.	हिमाचल प्रदेश	13	10	17
10.	झारखंड	-	26	155
11.	कर्नाटक	1239	1254	1214
12.	केरल	एनए	529	499
13.	मध्य प्रदेश	3990	4122	4432
14.	महाराष्ट्र	927	793	797
15.	मणिपुर	एनए	0	0
16.	मेघालय	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0
19.	उड़ीसा	1449	1354	1277

1	2	3	4	5
20.	पंजाब	19	34	56
21.	राजस्थान	6838	6679	5915
22.	सिक्किम	0	0	0
23.	तमिलनाडु	1011	996	828
24.	त्रिपुरा	0	0	0
25.	उत्तरांचल	-	112	132
26.	उत्तर प्रदेश	6917	8462	9764
27.	पश्चिम बंगाल	9	14	10
	संघ राज्य क्षेत्र			
28.	अंडमान एवं निकोबार	1	1	1
29.	चंडीगढ़	0	1	2
30.	दादरा व नगर हवेली	1	1	5
31.	दमन व दीव	1	1	0
32.	दिल्ली	14	15	17
33.	लक्षद्वीप	0	1	0
34.	पांडिचेरी	2	4	0
	कुल	26,285	30,315	30,022

*अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विस्तार जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं है।

*एन.ए.: उपलब्ध नहीं ।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों का रोजगार

1636. **श्री रामदास आठवले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में अल्पसंख्यकों के प्रतिशत के संबंध में कोई आंकड़े एकत्र किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के रोजगार प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु कोई प्रयास किए गए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए केंद्रीय प्रायोजित कोचिंग और संबंद्ध सहायता की योजना तथा मानव संसाधन विकास

मंत्रालय की शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कोंचिग कक्षाओं से संबंधित योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कमजोर छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तथा केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत सेवाओं में भर्त्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए विशेष कोंचिग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अनुदेश जारी किये है कि समूह ग तथा घ के पदों/सेवाओं भर्त्ती संबंधी चयन समिति/बोर्डों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

1637. श्री राम टहल चौधरी:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके मंत्रालय के उपक्रमों में आरक्षण संबंधी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति की समीक्षा की है और इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके मंत्रालय के अंतर्गत एसे कौन-कौन से उपक्रम है जिनमें आरक्षण संबंधी प्रावधानों का अनुसरण किया गया है और ऐसे कौन-कौन से उपक्रम हैं जो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं; और

(ङ) मंडल आयोग की सिफारिशों का उपक्रमों में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा किया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षण के संबंध में सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म

1638. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार तिरुवन्तपुरम रेल मंडल के अंतर्गत नेमम रेलवे स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में बदलने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) जी हां, नेमम स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में बदलने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

एच.ई.सी. का कार्य निष्पादन

1639. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक झारखंड के हैवी-इंजीनियरिंग निगम (एचईसी), राची को कितना घाटा हुआ है;

(ख) ऐसी कौन-कौन सी कंपनियां है जिनसे गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक एचईसी राची को ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और इस कंपनी से इन ऑडरों पर आपूर्ति की गई मशीनों की लागत क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हैवी-इंजीनियरिंग निगम की परिसंपत्तियों को बेचने और उनको किराए पर देने से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और सरकार की ओर से कम्पनी को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) एच.ई.सी. को उभरने और उसका पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक जो घाटा उठाया है, निम्नानुसार है:-

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपये में)
1999-2000	57.06
2000-2001	189.26
2001-2002	173.78
2002-2003 जनवरी 2003 तक	90.89

(ख) विस्तृत ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि शून्य है। हालांकि, किराये से प्रात हुई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपये में)
1999-2000	2.39
2000-2001	5.23
2001-2002	11.58
सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता:	
1999-2000	64.80
2000-2001	107.36
2001-2002	137.61

(घ) 1972 से लेकर 1996 तक की अवधि के दौरान कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वित किए गए हैं। विगत का पैकेज 1996 में स्वीकृत किया गया था जिसमें ब्याज की दर को त्यागने, ऋण को अनुदान/इक्विटी इत्यादि में परिवर्तित करने के अलावा 252.53 करोड़ रु. के अतिरिक्त नकद राशि जुटाने की परिकल्पना की गई। कम्पनी को वास्तविक निधियां उपलब्ध कराईं हालांकि, कम्पनी स्वीकृत योजना में परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

विवरण

	ग्राहक (उस कंपनी का नाम जिसमें एचईसी रांची ने क्रयादेश प्राप्त किए हैं)	गत 3 वर्षों के दौरान तथा आज इन क्रयादेशों के स्थान पर प्राप्त क्रयादेश तथा की गई आपूर्ति							
		प्राप्त आदेश (करोड़ रुपये में)				की गई आपूर्ति (करोड़ रुपये में)			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002 आज तक	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-आज तक
1.	स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि.(सेल)	27	28	26	18	27	26	26	11
2.	विजाग स्टील प्लांट (वीएसपी)	4	2	8	0	4	2	8	0
3.	कोल इंडिया लि. एवं इसकी सहायिकाएं	35	36	48	33	35	36	44	16
4.	रेलवे	31	28	13	4	31	28	8	0
5.	रक्षा संगठन	1	14	2	1	1	14	2	0
6.	मैकन (आईएसआरओ)	3	15	1	1	3	15	1	0
7.	भेल	4	9	1	0	4	9	1	0
8.	अन्य	26	34	17	13	26	34	17	1
	कुल	131	166	116	70	131	164	107	28

[अनुवाद]

मनोरंजन कर में बदलाव

1640. श्री राजो सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मनोरंजन कर की दरों में एकरुपता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के परामर्श से उक्त दरों में एकरूपता लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी हां, मनोरंजन कर राज्य का विषय है तथा इसकी दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं।

(ख) और (ग) फिल्म उद्योग के चहुंमुखी विकास के उद्देश्य से राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ मनोरंजन कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार का अनुरोध किया था ताकि देश में एक समान दर ढ़ाचा लागू हो सके। तथापि इस मामले पर कोई सहमति नहीं हो सकी और 21.1.2001 को नई दिल्ली में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सूचना मंत्रियों के 24वें सम्मेलन के दौरान मनोरंजन क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों में मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नीतिगत ढ़ांचे का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस समिति में जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनमें से एक मुद्दा मनोरंजन कर की दरों को यक्तिसंगत बनाने से संबंधित था। समिति में किए गए विचार-विमर्शों के फलस्वरूप यह सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रशासन मनोरंजन कर पर 60 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करें। समिति की सिफारिशों को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

1641. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों का कार्य-निष्पादन क्या रहा है और उनके कारोबार/कारोबार से होने वाली आमदनी, कुल मुनाफा, कर संबंधी प्रावधान केंद्रीय कोष में योगदान और कुल आंतरिक संसाधनों का सृजन संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या उदारीकरण के पश्चात न केवल परिशुद्ध राशि में वृद्धि हुई है, बल्कि वित्तीय दरों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध है, जिसे प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बहरहाल पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्य-निष्पादन इस प्रकार है

(करोड़ रुपए)

सूचक	1998-99	1999-2000	2000-2001
कारोबार	310179	389199	458227
निवल लाभ	13203	14331	15653
कर के लिए प्रावधान	6499	7706	9313
सी.टी.सी.ई.*	46934	56157	60978
जी.आई.आर.जी**	31302	35933	37802

*सी.टी.सी.ई.-केंद्रीय राजकोष में अंशदान।

**जी.आई.आर.जी.-सकल आंतरिक संसाधन जुटाना।

(ख) और (ग) कुल मिलाकर उदारीकरण के पश्चात सम्पूर्ण राशि और वित्तीय अनुपातों में सुधार हुआ है, जिसका ब्यौरा सम्बन्धित वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध है।

[हिन्दी]

उज्बेकिस्तान के साथ समझौता

1642. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्यः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उड़ान के दौरान पुनः ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए वायुसेना को आई.एल.-76 प्रदान करने हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान उज्बेकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में ही ऐसे विमानों के विनिर्माण हेतु कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) फरवरी 2001 में उज्बेकिस्तान के साथ 6 आई एल-78 उड़ान के दौरान ईंधन पुनर्भरण की सुविधायुक्त वायुयानों की अधिप्राप्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं, इस प्रकार के वायुयानों की सीमित आवश्यकता के मद्देनज़र इनके स्वदेशी उत्पादन को व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. पर सरकारी नियंत्रण को ढीला करना

1643. **श्री श्रीप्रकाश जायसवालः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. सरकार के नियंत्रण से अपने आप को मुक्त करने हेतु एक गैर-सरकारी संयुक्त उपक्रम बनाने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 10 फरवरी, 2003 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. और अन्य निजी कंपनियों को सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के लिए खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ सुरक्षा और पर्यावरण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हाल के नीतिगत परिवर्तनों क ो देखते हुए आयल और एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) जो अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, की शोधन और विपणन क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हुए मूल्य श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करने की मंशा है, जिससे यह बाजार की प्रतिस्पर्धा का कुशलतापुर्वक सामना कर सकें। इस परिदृश्य में कुशल संरचना के लिए और उभरते हुए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए ओ.एन.जी.सी. के प्रबंध द्वारा विभिन्न विकल्पों की जांच एक सतत प्रक्रिया है। ओ.एन.जी.सी. ने यह सूचित किया है कि उनके निदेशक मंडल ने कथित गैर-सरकारी संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने दिनांक 8 मार्च, 2002 के अपने संकल्प के तहत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना करने के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ईओएल) को अनुमति दे दी है। सभी कंपनियों को खुदरा बिक्री केद्रों की स्थापना के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्धारित सांविधिक शर्तें पूरी करनी होती हैं।

सीएनजी का मूल्य बढ़ने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया जाना

1644. **श्री रामजी मांझीः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के वर्तमान और भूतपूर्व उच्चाधिकारियों को इस आरोप पर रूख स्पष्ट करने के लिए कहा है कि उन्होंने सीएनजी के मूल्य बढ़ने और दिल्ली में बसों के लिए सीएनजी की आपूर्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों ने न्यायालय को गुमराह करने के कारणों को स्पष्ट किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी नहीं। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) ने सूचित किया है कि आई जी एल और उसके अधिकारियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दाखिल किए हैं।

मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

भोजपुरी चैनल की स्थापना

1645. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) उन क्षेत्रीय प्रसारण केन्दों का ब्यौरा क्या है जहां से भोजपुरी कार्यक्रम पहले से ही प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रसारित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि भोजपुरी चैनल शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ, पटना, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर भोजपुरी में नाटक धारावाहिक और लोकगीत प्रसारित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

गेल द्वारा धनराशि जुटाना

1646. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री अम्बरीशः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया (जी ए आई एल) अपनी चल रही परियोजनाओं के लिए बाजार में धनराशि जुटाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गेल की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी जारी है जो धनराशि की कमी के कारण विलंबित है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गेल को कुल कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर कितनी राशि खर्च की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां, गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) का प्रस्ताव अपनी चालू विजाग-सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और दहेज विजयपुर गैस पाइपलाइन परियोजना के वित्तपोषण के लिए 2003-04 अपनी पूंजीगत व्यय योजना पूरी करने के लिए 1400 करोड़ रुपये जुटाने का है ।

(ग) धन की कमी के कारण गेल की किसी भी परियोजना में विलंब नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यात्रियों के सामान की रक्षा में रेलवे सुरक्षा बल की असफलता

1647. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के सामान की सुरक्षा करने में असफल रहा है और इसे रेलगाड़ियों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के मुख्य कारण के रूप में देखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल को कुछ मार्गनिर्देश दिए गए हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। ''पुलिस व्यवस्था'' राज्य का विषय होने के कारण चलती गाड़ियों सहित रेलों पर अपराध का पता लगाना तथा उन पर

अंकुश लगाना राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध संबंधी मामले की रिपोर्ट राजकीय रेल पुलिस, जो संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है, को की जाती है, वे उसे दर्ज करते हैं और उसकी जांच-पड़ताल करते हैं

रेल संरक्षा बल का मुख्य कार्य रेल संपत्ति की संरक्षण एवं सुरक्षा करना है जिसमें रेलवे की अपनी परिसंपत्तियां तथा परिवहन के लिए सौंपी गई संपत्ति शामिल है। इस प्रकार रे.सु.ब. केवल संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी संपत्तियों की खरीद में घोटाला

1648. श्री रघुनाथ झा:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में रक्षा सम्पत्ति अर्जित करने से संबंधित घोटाले में संलिप्त पंजाब लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष को सहायता पहुंचाने में कुछ रक्षा अधिकारियों को संलिप्त पाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें संलिप्त रक्षा सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) जी, हां। कसौली हिमाचल प्रदेश में ''मैसोनिक लॉज'' नामक रक्षा ओल्ड ग्रांट संपत्ति की बिक्री/अंतरण, जिसमें पंजाब लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन संबद्ध हैं, में बरती गई अनियमितताओं में अंबाला छावनी के रक्षा संपदा प्राधिकारियों की कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामला मंत्रालय की जानकारी में आया है।

इस भूमि तथा उस पर पुनर्निर्मित संरचना का अनुमानित मूल्य क्रमश: 21,05,605 रुपए तथा 24,31,000 रुपए आंका गया है।

संयुक्त जांच के परिणामस्वरुप उक्त संपत्ति की बिक्री/अंतरण में की गई गंभीर चूकों के लिए रक्षा संपदा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी तथा उसे निलंबित कर दिया गया था। इस संपत्ति को वापस लेने का भी निर्णय ले लिया गया है तथा इस संबंध में मंत्रालय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

तेल एवं गैस भंडारों की खोज

1649. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश मे तेल और गैस भंडारों की खोज को बढ़ावा देने हेतु एक कृतक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विनियम अथवा मार्ग-निर्देश लागू हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) और (घ) अन्वेषण एवं उत्पादन क्रियाकलाप तेल क्षेत्र (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के प्रावधानों के द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

महिलाओं और बच्चों का प्रवास

1650. श्री अधीर चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया और अन्य महाद्वीपों के गरीब देशों से अनेक महिलायें और प्रतिवर्ष अमेरिका में प्रवास कर रहे हैं और वहां उनका शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी महिलाएं और बच्चे अमरीका प्रवास किए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने हेतु सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1651. **श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक योजना का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार किया है और क्या अभी तक यह योजना लागू है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार करने वाले तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों का अलग-अलग वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) 1.1.2000 से 484

(ग) सूचना नीचे दी गई है:

कैलेन्डर	कर्मचारियों की संख्या		
	तकनीकी	गैर तकनीकी	योग
2000	35	13	48
2001	162	75	237
2002	77	85	162
2003 (31 जनवरी तक)	32	5	37
योग	306	178	484

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को नए पेट्रोल पंपों के संबंध में निदेश

1652. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मंशा पेट्रोलियम क्षेत्र में विनियम प्रक्रिया में फेरबदल करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को ऐसे संभावित स्थलों के दोहन और वहां पर नए पेट्रोल पंपों को स्थापित न करने के निर्देश जारी करने के क्या कारण है। जोकि दूरी संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं और अर्थक्षम भी है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की छवि एवं लाभकारिता के हित में इन निदेशों को कब तक पुन: संशोधित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे। सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि साइट चयन हेतु अगली कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। तथापि डीलरों/वितरकों का अंतिम चयन इस संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

विकलांगों का पुनर्वास

1653. **श्री सुबोध राय:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांगों के पुनर्वास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने विकलांग के पुनर्वास हेतु विकलांगों की कोई राज्यवार सूची तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना का लाभ विकलांगों को देने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) विकलांगता संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार होने की अग्रिम अवस्था में है।

(ख) से (घ) कुछ राज्यों ने विकलांग व्यक्तियों के जिलावार सर्वेक्षण शुरू किए हैं ऐसी सूचियां उन राज्यों के पास उपलब्ध हैं जहां सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, शिक्षा छात्रवृत्तियां, आर्थिक कार्यकलापों आदि के लिए वित्तीय सहायता जैसे क्षेत्रों में

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सिकन्दराबाद से अजमेर को सीधी रेल सेवा

1654. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद से अजमेर जाने वाली बड़ी रेल लाइन पर तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए किसी सीधी रेलगाड़ी की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए आगामी बजट से दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत सीधी रेलगाड़ी शुरू करने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) सिकंदराबाद और अजमेर के बीच एक गाड़ी चलाने की जांच की गई थी किन्तु पारिचालनिक और संसाधनों के तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

सीमा पर गोलाबारी

1655. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों के बीच भारी गोलाबारी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने सैनिक अपनी जान गवां चुके हैं और इसके परिणामस्वरूप भारत को हुए घाटे का स्वरुप क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) नियंत्रण रेखा के आर-पार छोटे हथियारों, तोपखाने और मोर्टार की दोनों ओर से फायरिंग एक आम बात है, हालांकि गोलाबारी की गहनता में विभिन्न सेक्टरों में विद्यमान स्थिति के आधार पर घट-बढ़ होती रहती है।

(ग) 1.7.2002 से 20.2.2003 के दौरान तैंतीस सेना कार्मिक मारे गए थे। 1 जुलाई, 2002 से 31 जनवरी, 2003 की अवधि के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू तथा कश्मीर में गोलाबारी से 17 सिविलियन, 47 मवेशी मारे गए और 93 इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं।

(घ) भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ को रोकने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करते समय संयम बरतती है।

विदेश से बिना सेंसर हुए कार्यक्रम

1656. श्री अमर राय प्रधान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के कुछ लोग और विदेशी कंपनियां भारतीय प्रसारण विनियामक नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशों से सांठ-गांठ करके भारत में बिना सेंसर हुए कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कानूनों के अनुसार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार को फैशन टी.वी. चैनलों पर लगातार अश्लीलता और नग्नता का प्रर्दशन किये जाने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की-गई-कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) टी.वी. कार्यक्रमों की पूर्व सेंसरशिप की व्यवस्था नहीं हैं। सभी उपग्रह चैनलों को केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित या पुनः प्रसारित किये जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता तथा इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है। कार्यक्रम संहिता अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण का निषेध करती है जो अच्छी रुचि के साथ और शालीन न हो और जिनमें कोई अश्लीलता हो तथा जो महिलाओं का अनादर करते हों। संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई किसी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात्

उपजिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियम भी केवल सेवा में किसी ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण का निषेध करते हैं जो चलचित्र की अधिनियम 1952 के प्रतिकूल हो अथवा अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो। टीवी चैनलों पर प्रसारित फिल्मों के पूर्व प्रमाणन के मामले की इस मंत्रालय द्वारा विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रहीं हैं।

कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 20 के तहत दो समितियों का गठन किया है। स्वत: अथवा शिकायत प्राप्त होने पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करती है।

(ग) से (ङ) फरवरी-मार्च, 2001 में एफ.टी.वी. पर प्रसारित कार्यक्रमों से संबंधित चिंताओं को एफ टी.वी के साथ उठाया गया था । एफ टी.वी. इन चिंताओं का निराकरण करने के लिए अपने कार्यक्रमों को संशोधित करने के लिए सहमत हो गया है।

फरवरी 2002 में रियो कार्निवाल 2002 को प्रसारण के मामले को एफ टी वी के साथ उठाया गया था जिसमें इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए क्षमा याचना संप्रेषित की थी और इस कार्यक्रम को तत्काल अपने कार्यक्रम की सूची से हटा दिया था।

आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों का न मिलना

1657. श्री टी.टी.वी दिनाकरन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी से पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे है;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्ति के योग्य बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण/प्रबाधन का काम करती है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्यतौर पर उपलब्ध होते हैं। कुछ मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते है। भारत सरकार के अंतर्गत सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित रिक्तियां अलग-अलग श्रेणियों द्वारा बाद के भर्ती वर्षों में भरे जाने के लिए रिक्त रखी जाती हैं। पदोन्नति के मामले में उपर्युक्त आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में आरक्षण के बाद के वर्षों में आगे लाया जाता है।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न रियायतें तथा छूटें दी जाती हैं। सीधी भर्त्ती के मामले में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवार उपरी आयु सीमा में 5 वर्षों तक छूट, परीक्षा/आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट संघ लोक सेवा आयोग सक्षम प्राधिकारी के विवेक से अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट उपयुक्तता आदि के मानकों में छूट जैसी रियायतें पाते हैं, पदोन्नति के मामलों में वे विचार करने के लिए सामान्य जोन के भीतर उपयुक्त अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के मामले में रिक्तियों की संख्या के पांच गुणा तक विचारनीय जोन में विस्तार अंकों/मूल्यांकन के मानकों में छूट जहां पदोन्नति के लिए उपरी आयु सीमा आदि 50 वर्ष से अधिक नहीं निर्धारित की हैं, उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष छूट जैसी रियायत पाते हैं। अ.पि. वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें तीन वर्षों तक की उपरी आयु सीमा में छूट जैसे रियायतें दी जाती हैं। सीधी भर्ती के मामले में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध भी है।

(ग) 'कमजोर वर्गों के लिए कोंचिग तथा संबंद्ध सहायता' नामक योजना के अंतर्गत कोचिंग कार्यक्रम चलाने वाली गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं को 90% सहायता प्रदान की जाती है तथा शेष 10% संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थाओं को 50% केंद्रीय सहायता (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले 100%) का भुगतान किया जाता है केंद्र तथा राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैकों तथा निजी क्षेत्रों के अंतर्गत 'क ' तथा 'ख' में सभी सेवाओं के लिए भर्त्ती तैयार हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

1658. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राष्ट्रीय नि:शक्त पुनर्वास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उक्त वर्षों के एन.पी.आर.पी.डी. के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) एन.पी.आर.पी.डी. के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर एक चार स्तरीय संरचना के माध्यम से निचले स्तर पर विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाओं की परिकल्पना की गई हैं। राज्यों द्वारा एन.पी.आर.पी.डी. के कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अंतर्गत जिलों का चयन करना, संभावित सहायक संस्थाओं/संगठनों/व्यावसायिकों की पहचान/चयन करना और विकलांगता के कारणों की रोकथाम और पहचान के लिए उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देना शीघ्र खोज तथा समुदाय आधारित पुनर्वास के माध्यम से समय पर उपचार जिला तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न पुनर्वास तथा रेफरल सेवाएं शुरु करना शामिल है।

प्रारम्भिक प्रक्रियात्मक विलंबों के कारण योजना का कार्यान्वयन अधिकांश राज्यों में देर से शुरू हुआ। 74 जिलों का चयन किया गया है और इन जिलों में निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं जैसे समुदाय आधारित पुनर्वास तथा बहुउद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं की पहचान की गई है। इन व्यक्तियों को कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 9 राज्यों अर्थात असम, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब और चंडीगढ़ में राज्य संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि (लाखों में) 1999-2000 के दौरान	2000-01 के दौरान	2001-02 के दौरान	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	12.50	198.35	156.5	366.90
2.	असम	12.50	260.3	203.9	476.70
3.	आंध्र प्रदेश	12.50	136.4	108.2	257.10
4.	उड़ीसा	25.00	198.35	156.05	379.40
5.	उत्तर प्रदेश	25.00	446.15	347.45	818.60
6.	उत्तरांचल	0	148.9	108.2	257.10
7.	कर्नाटक	25.00	198.35	156.05	379.40
8.	केरल	12.50	136.4	108.2	257.10
9.	गुजरात	12.50	198.35	156.05	366.90
10.	गोवा	12.50	74.45	60.35	147.30
11.	जम्मू व कश्मीर	12.50	136.4	108.2	257.10
12.	तमिलनाडु	25.00	193.35	156.05	379.40
13.	त्रिपुरा	12.50	74.45	60.35	147.30

1	2	3	4	5	6
14.	नागालैंड	12.50	136.4	108.2	257.10
15.	पंजाब	12.50	136.4	108.2	257.10
16.	पश्चिम बंगाल	12.50	136.4	108.2	257.10
17.	बिहार	25.00	322.25	251.75	599.00
18.	झारखंड	0.00	210.85	156.05	365.90
19.	मणिपुर	12.50	136.4	108.2	257.10
20.	मध्य प्रदेश	25.00	384.2	299.6	708.80
21.	छत्तीसगढ़	0.00	207.9	156.05	333.95
22.	महाराष्ट्र	25.00	198.35	156.05	379.40
23.	मेघालय	12.50	136.4	108.2	257.10
24.	मिजोरम	12.50	74.45	60.35	147.30
25.	राजस्थान	25.00	198.35	156.05	379.40
26.	सिक्किम	12.50	74.45	60.35	147.30
27.	हरियाणा	12.50	136.4	108.2	257.10
28.	हिमाचल प्रदेश	12.50	136.4	108.2	257.10
29.	अंडमान व निकोबार	12.50	74.45	60.35	147.30
30.	चंडीगढ़	12.50	74.45	60.35	147.30
31.	दमन एवं दीव	12.50	74.45	60.35	147.30
32.	दादरा व नगर हवेली	12.50	74.45	60.35	147.30
33.	दिल्ली	12.50	74.45	60.35	147.30
34.	पांडिचेरी	12.50	74.45	60.35	147.30
35.	लक्षद्वीप	12.50	74.45	60.35	147.30
	कुल	500.00	5551.95	4361.2	10413.15

केबल टी.वी. का डिजिटलीकरण

1659. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल टी.वी. उद्योग में एनालॉग से डिजिटल प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो क्या केबल टी.वी. उद्योग का डिजिटलीकरण करते हुए उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) सरकार ने इस समय डिजीटल और एनोलोग पद्धति

में चलाए जा रहे केबल टी.वी. उद्योग में प्रौद्योगिकी को आवश्यक नहीं बनाया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 में यह उपेक्षा की गई है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्कर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत सुधार पर व्यय की गई राशि

1660. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु कुछ राशि व्यय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत प्राप्ति हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या जनवरी, फरवरी, 2003 के महीनों में विद्युत सुधार कार्यक्रमों पर कोई कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ङ) विद्युत सुधारों के लिए सरकार किस हद तक आश्वस्त है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां, पारेषण और वितरण (तकनीकी और वाणिज्यिक) हानियों में कमी लाने रा.वि. बोर्डों/यूटिलियों द्वारा उठाई जा रही नकद हानियों को कम करने तथा विश्वनीय और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2001 में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम शुरू किया था जिसे अब त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) का नाम दिया गया है। ए.पी.डी.आर.पी. के तहत वर्ष 2000-01 में राज्यों को 978.04 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त की गई थी तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1087.59 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त की गई है। अवमुक्त राशि के ब्यौरे विवरण में हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने ए.पी.डी.आर.पी. के तहत छः स्तरीय मध्यस्थता नीति तैयार की है ताकि विद्युत क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सके और उसे व्यवहार्य बनाया जा सके। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

	विषय/ मुद्दे	पहल
	1	2
राष्ट्रीय स्तर	1. नीतिगत	1. विद्युत विधेयक
	2. विधायी ढांचा	2. मानकीकरण के लिए समिति
	3. मानकीकरण	3. लेखा मानक
	4. लेखाबद्धीकरण	
राज्य स्तर	1. टैरिफ निर्धारण	1. रा. वि. बोर्डों की पुनर्संरचना
	2. विभक्तिकरण	2. क्रास सब्सिडी खत्म करना
	3. सब्सिडी और बजटीय सहायता	3. वितरण कार्य प्रबंध
रा.वि. बोर्ड स्तर	1. पुनर्संरचना कार्य	1. पिछले निर्णयों की स्थिति
	2. लेखाबद्धीकरण	2. ग्रिड कोड का कार्यान्वयन

	1	2
	3. एम.आई.एस	3. टी.ओ.डी.मीटर व्यवस्था
	4. अनियमित फ्रीक्वेंसी	
वितरण सर्किल स्तर	1. बंदी में कमी लाना	1. 100% स्थिर मीटर
	2. हानि में कमी लाना	2. ऊर्जा लेखा
	3. विश्वनीयता	3. बिल और वसूली कार्य की जिम्मेदारी
	4. वोल्टेज और जिम्मेदारी	4. पुरस्कार एवं दंड की योजना
फील्ड स्तर	1. विश्वनीयता	1. क्षमता निर्माण
	2. अनियमित वोल्टेज	2. परियोजना प्रबंधन
	3. मीटर व्यवस्था और वसूली बिल	3. लाभ केंद्र
	4. एच.टी./एल.टी. अनुपात	4. जिलावार नियोजन
		5. तकनीकी उन्नयन
उपभोक्ता स्तर	1. मीटर व्यवस्था	1. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम
	2. बिल कार्य का अनुपालन	2. डी.एस.एम.
	3. उपभोक्ता संतुष्टि	3. जन जागरुकता
		4. पथ-प्रदर्शन
		5. विद्युत चोरी के लिए दंड

विवरण

एपीडीपी/एपीडीआरपी के अंतर्गत जारी निधियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2000-01 कुल	2001-02 कुल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	97.45	111.82
2.	बिहार	21.44	16.11
3.	छत्तीसगढ़	10.26	10.00
4.	दिल्ली	-	-
5.	गोवा	-	15.52
6.	गुजरात	13.62	75.42
7.	हरियाणा	49.62	37.28
8.	झारखंड	21.97	12.00
9.	कर्नाटक	81.50	87.46
10.	केरल	-	30.43
11.	मध्य प्रदेश	40.32	51.35
12.	महाराष्ट्र	134.44	91.74
13.	उड़ीसा	38.00	14.72
14.	पंजाब	37.70	41.72
15.	राजस्थान	45.00	90.64
16.	तमिलनाडु	65.54	76.57
17.	उत्तर प्रदेश	101.46	30.12
18.	पश्चिम बंगाल	43.50	19.02

1	2	3	4
19.	असम	20.02	96.97
20.	अरुणाचल प्रदेश	6.32	0.00
21.	हिमाचल प्रदेश	25.32	33.04
22.	जम्मू व कश्मीर	6.99	-
23.	मणिपुर	0.72	.2.67
24.	मेघालय	1.81	6.57
25.	मिजोरम	1.06	3.78
26.	नागालैंड	1.89	13.14
27.	सिक्किम	6.38	17.20
28.	त्रिपुरा	5.00	2.67
29.	उत्तरांचल	4.80	99.63
30.	भुज	96.00	-
	कुल	978.13	1087.59

गैर-सरकारी संगठन को दिए गए करोड़ों रुपए

1661. श्री बीर सिंह महतो:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किये जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और ऐसी चूककर्त्ता इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु समिति गठित की गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(च) यदि हां, तो समिति ने किन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध रिपोर्ट की है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(छ) क्या सरकार को भ्रष्टाचार के इस कार्य में कई अधिकारियों की मिली भगत का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2600 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मुक्त के राज्यवार विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां, ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) जी, नहीं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या तथा निर्मुक्त राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्षवार निर्मुक्त सहयता अनुदान					
		1999-2000		2000-01		2001-02	
		एनजीओ की सं.	जारी राशि	एनजीओ की सं.	जारी राशि	एनजीओ की सं.	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	323	2413.36	317	2286.05	397	2639.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	13.00	1	6.32	4	45.18

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	37	142.36	45	211.40	57	203.28
4.	बिहार	46	238.04	32	345.72	75	534.94
5.	छत्तीसगढ			1	9.08	9	37.11
6.	गोवा	6	33.17	6	24.87	9	44.50
7.	गुजरात	60	347.62	74	716.11	87	493.21
8.	हरियाणा	59	248.67	56	363.97	63	259.60
9.	हिमांचल प्रदेश	4	69.29	13	126.01	12	63.04
10.	जम्मू व कश्मीर	9	28.91	15	108.78	16	134.80
11.	झारखंड			2	7.35	10	24.24
12.	कर्नाटक	133	1014.60	128	1116.20	183	1270.99
13.	केरल	82	635.86	92	703.61	107	784.42
14.	मध्य प्रदेश	60	300.05	66	297.17	111	448.06
15.	महाराष्ट्र	151	872.05	135	903.15	222	1069.19
16.	मणिपुर	108	369.80	91	411.80	111	347.54
17.	मेघालय	6	27.38	6	59.79	9	71.44
18.	मिजोरम	9	78.11	11	84.21	9.	91.96
19.	नागालैंड	8	49.86	8	46.07	13	50.63
20.	उड़ीसा	149	1195.70	136	1059.70	184	1284.72
21.	पंजाब	49	256.56	42	317.41	48	299.90
22.	राजस्थान	40	611.77	46	643.90	113	801.49
23.	सिक्किम	1	312.	2	5.47	4	7.18
24.	तमिलनाडु	132	762.70	112	742.32	163	909.59
25.	त्रिपुरा	11	26.65	9	36.24	11	53.55
26.	उत्तर प्रदेश	349	2964.95	243	2792.96	301	3653.77
27.	उत्तरांचल			9	117.05	28	194.64
28.	पश्चिम बंगाल	155	1163.28	150	1337.40	171	1547.20
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.55	1	1.58	1	5.28

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	5	32.03	6	33.29	6	16.60
31.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	1	1.53
32.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-
33.	दिल्ली	53	1431.75	102	1227.29	125	1607.98
34.	लक्षदीप	-	-	-	-	-	-
35.	पांडिचेरी	8	16.99	4	22.65	5	22.48
	कुल	2056	15348.18	1961	16164.9	2665	19019.6

विवरण II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान काली सूची बद्ध गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	काली सूची में डालने/सहायता अनुदान रोकने के कारण	संलिप्त राशि	वसूली हेतु की गई कार्रवाई	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	श्री दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी, डी. नं. 17-105, सुन्दरायेट स्ट्रीट, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश	जाली पाया गया।		वसूली के लिए पत्र लिखा जाना अपेक्षित होता है संबंधित उपायुक्त/जिला मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।	
2.	क्राइस्ट रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशन सोसाइटी, दल्लायापल्ली (5) कोडीकांडा (डाकघर) चिल्लामैथूर मंडल, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।	1.35	वसूली के लिए पत्र लिखा जाना अपेक्षित होता है संबंधित उपायुक्त/जिला मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।	
3.	संघमेश्वरा एजूकेशन सोसाइटी, डी नं. 11-292-ए-2-02 चौथा क्रॉस, अरविन्द नगर, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।	0.99	वसूली के लिए पत्र लिखा जाना अपेक्षित होता है संबंधित उपायुक्त/जिला मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।	

1	2	3	4	5	6
4.	कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, पामेडी, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।	1.26	वसूली के लिए पत्र लिखा जाना अपेक्षित होता है संबंधित उपायुक्त/ जिला मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।	
5.	आदर्श महिला मंडली, एम. आई जी 2-50, एपीएचबी कालोनी, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।	0.77	वसूली के लिए पत्र लिखा जाना अपेक्षित होता है संबंधित उपायुक्त/ जिला मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।	
6.	मर्सी मानिरिटी एजूकेशनल सोसाइटी, 132668, पहला क्रास, रामचन्द्र नगर, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।	2.94	वसूली के लिए पत्र लिखा जाना अपेक्षित होता है संबंधित उपायुक्त/ जिला मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।	
7.	मंदर इंडिया, गोरान्तला, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में संगठन का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।	1.37	वसूली के लिए पत्र लिखा जाना अपेक्षित होता है संबंधित उपायुक्त/ जिला मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।	
8.	लर्निंग इन दि फील्ड आफ ट्रेनिंग, फ्लैट न. 302, रॉकी अपार्टमेंट, वेंकटरेड्डी कालोनी, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश	प्रयोजन और संगठन का अस्तित्व नहीं है।	1.85	आवेदनकर्त्ता से संबंधित राज्य सरकार तथा जिला मैजिस्ट्रेट से अनुरोध किया गया था।	
9.	युवजन विकलांगगुला समक्रेसमा, संगम कुमारा, पालम रोड, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश	सीआईएफ के निरीक्षण के समय लाभग्राहियों की संख्या कम पाई गई लाभग्राही वास्तविक बेसहारा बच्चे भी नहीं थे।	0.22	संलिप्त राशि वसूल की गई।	0.24
10.	सोसल सर्विस सोसाइटी फार पुअर पीपुल, 1/2909, थराकारामपुरम, धर्मावारम, अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश	वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास केन्द्र को अनुदान दिया गया था उसका अस्तित्व नहीं पाया गया।	0.51	संलिप्त राशि वसूल की गई।	0.54
बिहार					
11.	ग्रामीण विकास संगठन, डाकघर कुरमाथु भाया, पाईबीघा गया (बिहार)	गैर सरकारी संगठन को बिहार सरकार की झूठी सिफारिश पर मंत्रालय से अनुदान मिला	9.86	दिनांक 2.6.1999 को कालीसूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार	

1	2	3	4	5	6
		बताया जाता है यह सूचना सचिव, बिहार सरकार ने सीसीडी के कार्यालय के माध्यम से दी है।		कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
दिल्ली					
12.	दिल्ली एजूकेशन सेंटर, जिया सराय, नई दिल्ली	कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया गया और आगे सहायता अनुदान रोक दिया गया।		राशि की वसूली के लिए जिला कलेक्टर तथा राज्य सरकार को पत्र लिखा गया।	
गोवा					
13.	आशा भवन, गोवा	गैर सरकारी संगठन को कार्य करते हुए नहीं पाया गया।	0.78	संलिप्त राशि वसूल की गई।	0.78
गुजरात					
14.	उन्नीग्रामोद्योग रचनात्मक समिति, सुरेन्द्र नगर गुजरात	परियोजना संतोषजनक तरीके से कार्य करती हुई पायी गई.		कालीसूचीबद्ध	
15.	बागनिकेतन 10/तुलसीमार्ग ब्रोंग कालोनी अहमदाबाद, गुजरात	संगठन योजना के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा था।	0.38	यह महसूस किया गया कि संगठन का काली सूचीबद्ध किया जाना पर्याप्त है क्योंकि अनुदान की वसूली संभव नहीं है।	
कर्नाटक					
16.	राजीव गांधी मैमोरियल परीक्षा पूर्व कोचिंग सेंटर, बीदर (कर्नाटक)	संस्था का अस्तित्व नहीं है। सरकार की सिफारिश जाली थी।	7.52	जिला कलेक्टर तथा राज्य सरकार को राशि की वसूली के लिए पत्र लिखा गया है।	
17.	इंडिपैंडेट परीक्षा पूर्व कोचिंग सेंटर मुनियप्पा लेआउट के आर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक	संस्था का अस्तित्व नहीं है। सरकार की सिफारिश जाली थी।	4.77	जिला कलेक्टर तथा राज्य सरकार को राशि की वसूली के लिए पत्र लिखा गया है।	
महाराष्ट्र					
18.	जन कल्याण समाज विकास संस्था, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।	4.80	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने तथा संगठन की संपत्तियां जब्त करने को कहा गया है।	

1	2	3	4	5	6
19.	इंटरनेशनल मिशन ऑफ डॉ. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।	3.40	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने तथा संगठन की संपत्तियां जब्त करने को कहा गया है।	
20.	अपंग एसोसिएशन, अमरावती, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।	6.40	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने तथा संगठन की संपत्तियां जब्त करने को कहा गया है।	
21.	तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरावती, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।	3.51	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने तथा संगठन की संपत्तियां जब्त करने को कहा गया है।	
22.	शिव शक्ति एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर, महाराष्ट्र	केन्द्र का अस्तित्व नहीं पाया गया।	3.40	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने तथा संगठन की संपत्तियां जब्त करने को कहा गया है।	
23.	जामुवंत महाराष्ट्र शिक्षा संस्था, बंजारा कालोनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	परियोजना का काम बहुत असंतोषजनक पाया गया और वह तकरीबन काम नहीं कर रही थी।	0.48	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.9.2001 को काली सूचीबद्ध करने और अनुदान की वसूली के लिए आदेश जारी किया गया।	
24.	सावित्री बाई ज्योतिराव फुले समाज सेवा संस्था, जिला अकोला, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश	2.50	महाराष्ट्र सरकार से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कपटपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।	
25.	अपंग एसोसिएशन नन्द गांव खांडेश्वर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश	2.40	महाराष्ट्र सरकार से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कपटपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।	
26.	अपंग महिला मंडल, अमरावती, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश	2.00	महाराष्ट्र सरकार से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कपटपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।	
27.	अक्षर सार्वजनिक वाचनालय, अम्बिका नगर, जिला अकोला, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार की जाली सिफारिश	2.00	महाराष्ट्र सरकार से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कपटपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।	

1	2	3	4	5	6
राजस्थान					
28.	नेतन पब्लिक स्कूल, शिक्षण समिति, नेहरू नगर, जयपुर, राजस्थान	परियोजना संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही थी।		काली सूचीबद्ध	
तमिलनाडु					
29.	एनमास काउंसिलिंग, 157 चेन्नई, तमिलनाडु	परियोजना संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही थी और निधियों का दुरुपयोग	9.13	न्यायालय में मामला दायर	
उत्तर प्रदेश					
30.	जन सेवा संस्थान, काउंधियारा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	10.7.2000 और 27.1.2001 के दो निरीक्षणों से दोनों परियोजनाओं में किसी कार्यकलाप का पता नहीं चला।	5.10	राज्य सरकार से अनुदान की वसूली तथा संगठन की संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया है।	
31.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, 280/69 तिलक नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	संगठन उस परियोजना के लिए कार्य नहीं कर रहा था जिसके लिए अनुदान स्वीकृत था।	5.10	राज्य सरकार से अनुदान की वसूली तथा संगठन की संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया है।	
32.	हरिजन कल्याण समिति, करौली, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	केन्द्र कार्य करता हुआ नहीं पाया गया।	2.57	राज्य सरकार से अनुदान की वसूली तथा संगठन की संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया है।	
33.	भारतीय समाज उत्थान सेवा संस्थान, नेहरू नगर, चाकियावा हिदोरिया, उत्तर प्रदेश	श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, संसद सदस्य (देवरिया) के दिनांक 10.10.2001 के पत्र से यह शिकायत मिली कि संगठन का अस्तित्व नहीं था। मंत्रालय के अधिकारियों की आगे जांच से यह और भी सत्यापित हुआ।	2.43	चूंकि इस संगठन ने न्यायालय में निष्कर्ष का सामना कि है इसलिए राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।	
34.	अखिल भारतीय समाज कल्याण एवं महिला विकास सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश	श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, संसद सदस्य (देवरिया) के दिनांक 10.10.2001 के पत्र से यह शिकायत मिली कि संगठन का अस्तित्व नहीं था। मंत्रालय के अधिकारियों की आगे जांच से यह और भी सत्यापित हुआ।	5.10	चूंकि इस गैर सरकारी संगठन ने निष्कर्ष का न्यायालय में सामना किया है। इसलिए राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने को कहा गया है।	

1	2	3	4	5	6
35.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल वेलफेयर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	गैर सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।	3.40	राज्य सरकार से अनुदान वसूलने को कहा गया है।	
36.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	केन्द्र कार्य करता हुआ नहीं पाया गया जैसा कि योजना में परिलक्षित था।	3.40	राज्य सरकार से पूर्व निर्मुक्त अनुदान तथा संपत्तियां जब्त करने को कहा गया है।	
37.	अवध संस्थान, रामघाट अयोध्या फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	परियोजना और संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।	3.40	पूर्व निर्मुक्त अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से कहा गया है।	
38.	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद, उ.प्र.	संगठन उस परियोजना के लिए कार्य नहीं कर रहा था जिसके लिए अनुदान स्वीकृत था।	5.00	दिनांक 14.6.2000 को कालीसूचीबद्ध किया गया। वसूली कार्रवाई आरंभ करने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है।	
39.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद, डाक नवाबगंज, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार और संयुक्त सचिव (एस डी एंड ए) जिन्होंने 17.6.2002 को निरीक्षण किया था, ने इसके काम न करने की सूचना दी।	9.00	दिनांक 5.9.2000 को काली सूचीबद्ध किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। गैर सरकारी संगठन को सूचीबद्ध किया गया था तथा वसूली कार्रवाई शुरू करने को कहा गया था।	
40.	नन्दनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, हरबंशपुर, जिला गोंडा, उ.प्र.	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट और संगठन से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।	6.84	दिनांक 22.8.2001 को पिछला अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से कहा गया है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।	
41.	अम्बेडकर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, राम जानकी नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	परियोजना संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही थी।	34.32	अनुदान निलंबित कर दिया गया है, और गैर सरकारी संगठन को कालीसूचीबद्ध किया गया। दिनांक 3.8.2001 को राज्य सरकार से अनुदान की वसूली के लिए कहा गया है।	
42.	अंजुमन मदरसा इस्लामिया जलायु, उत्तर प्रदेश	गैर सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।	7.14	दिनांक 3.8.2001 को राज्य सरकार से अनुदान की वसूली के लिए कहा गया है।	

1	2	3	4	5	6
43.	मुरलीधर शिक्षा कल्याण समिति, रुस्तमपुर, धिया, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	परियोजना संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही थी।	1.29	दिनांक 1.8.2001 को अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से कहा गया है।	
44.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संघ बी-405 गोपाल टावर, लखनऊ उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा सूचित जाली सिफारिश	2.41	अनुदान की निर्मुक्ति निलंबित कर दिया गया है और गैर सरकारी संगठन को काली सूचीबद्ध किया गया। दिनांक 1.8.2001 को राज्य सरकार से वसूली के लिए कहा गया है।	
45.	सर्व कल्याण संस्थान 564/44, गुरू नानक नगर आलमबाग, लखनऊ उ.प्र.	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पाई गई।	54.99	दिनांक 4.2.2002 को काली सूचीबद्ध करने तथा अनुदान की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है गैर सरकारी संगठन का उत्तर संतोषजनक नहीं था इसलिए गैर सरकारी संगठन का काली सूचीबद्ध किया गया।	
46.	अनन्त आश्रम सेक्टर एफ, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पाई गई।	6.65	दिनांक 4.2.2002 को काली सूचीबद्ध करने तथा अनुदान की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है गैर सरकारी संगठन का उत्तर संतोषजनक नहीं था इसलिए गैर सरकारी संगठन का काली सूचीबद्ध किया गया।	
47.	प्रभात अन्तराष्ट्रीय, एमडी 1 एलडीए कालोनी, लखनऊ, उ.प्र.	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पाई गई।		गैर सरकारी संगठन को काली सूचीबद्ध किया गया क्योंकि संगठन कार्य करता हुआ नहीं पाया गया।	
48.	सेवा लोक कल्याण समिति, तारांगनी मार्ग, इलीडको कालोनी, बंगला बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पाई गई।		गैर सरकारी संगठन को काली सूचीबद्ध किया गया क्योंकि संगठन कार्य करता हुआ नहीं पाया गया।	
49.	परोपकारी संस्थान, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	निरीक्षण के समय उपस्थित संवासियों की संख्या कम थी।	0.98	दिनांक 16.5.2000 को जिला मैजिस्ट्रेट को वसूली के लिए पत्र भेजा गया है।	
50.	अम्बेडकर शिक्षा प्रसारक समिति, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	गैर सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।	4.50	गैर सरकारी संगठन को काली सूचीबद्ध किया गया।	

1	2	3	4	5	6
51.	करूणोदय सेवा संस्थान, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	केन्द्र कार्य करता हुआ नहीं पाया गया।	2.27	उत्तर प्रदेश सरकार से 6% की पैनल ब्याज के साथ राशि की वसूली के लिए अनुरोध किया गया है।	
52.	यू.पी राणा वेणी मादव जन कल्याण समिति, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	डी.एम., रायबरेली की प्रतिकूल रिपोर्ट।	1.85	उत्तर प्रदेश सरकार से 6% की पैनल ब्याज के साथ राशि की वसूली के लिए अनुरोध किया गया है।	
53.	अभिनव सेवा संस्थान, द्वारकागंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	गैर सरकारी संगठन का अस्तित्व नहीं पाया गया।	9.60	उत्तर प्रदेश सरकार से 6% की पैनल ब्याज के साथ राशि की वसूली के लिए अनुरोध किया गया है।	
पश्चिम बंगाल					
54.	विवेकानन्द अनन्त आश्रम, गांव व डाक कमलाई, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	परियोजना संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही थी।	3.46	वसूली के लिए राज्य सरकार को पत्र जारी किया गया है।	
	कुल		255.32		1.56

अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ

1662. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक और आय स्तर में भारी परिवर्तन के बावजूद अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण लाभ से बाहर रखने हेतु 1993 में तय की गई एक लाख र की वार्षिक आय सीमा अभी भी जारी है; और

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करने हेतु क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखने हेतु इस आय मानदण्ड को संशोधित करने का है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी, हां।

उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठन

1663. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला-वार दंडित किए गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे संगठनों के विरुद्ध अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान काली सूची में डाले गए उत्तर प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों की सूची

(रु. लाख में)

क्र.सं.	जिला	संगठन का नाम और पता	काली सूची में डालने/सहायता अनुदान रोकने के कारण	शामिल राशि	वसूली हेतु की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	जन सेवा संस्थान केन्द्रीय, जिला इलाहाबाद, उ.प्र.	दिनांक 10.7.2000 तथा 27.1.2001 के दो निरीक्षणों से परियोजना में किसी कार्यकलाप का पता नहीं चला।	5.10	राज्य सरकार से संगठन से अनुदान की वसूली करने तथा संपत्तियों को जब्त करने के लिए कहा गया।
2.	इलाहाबाद	मानव शिक्षा प्रसार समिति, 280/69, तिलक नगर, बागमबारी रोड, इलाहाबाद, उ.प्र.	संगठन परियोजना नहीं चला रहा था जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया था.	5.10	राज्य सरकार से संगठन से अनुदान की वसूली करने तथा संपत्तियों को जब्त करने के लिए कहा गया।
3.	अम्बेडकर नगर	हरिजन कल्याण समिति करौली, लाथौरी, जिला अम्बेदकर नगर, उ.प्र.	संगठन को क्रियाशील नहीं पाया गया।	2.57	राज्य सरकार से संगठन से अनुदान की वसूली करने तथा संपत्तियों को जब्त करने के लिए कहा गया।
4.	देवरिया	भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान, नेहरू नगर, चाकियावा, देवरिया, उ.प्र.	दिनांक 10.10.2001 के पत्र के माध्यम से श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, संसद सदस्य (देवरिया) की शिकायत कि संगठन को क्रियाशील नहीं पाया गया। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल के बाद इसका पता लगाया गया।	2.43	चूंकि गैर सरकारी संगठन ने न्यायालय में निष्कर्षों को चुनौती दी है, राज्य सरकार से विस्तृत तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
5.	देवरिया	अखिल भारतीय समाज कल्याण अवाम महिला विकास सेवा संस्थान, ग्राम और पो. चाकियावा, देवरिया, उ.प्र.	दिनांक 10.10.2001 के पत्र के माध्यम से श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, संसद सदस्य (देवरिया) की शिकायत कि संगठन को क्रियाशील नहीं पाया गया। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल के बाद इसका पता लगाया गया।	5.10	चूंकि गैर सरकारी संगठन ने न्यायालय में निष्कर्षों को चुनौती दी है, राज्य सरकार से विस्तृत तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
6.	फैजाबाद	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर, फैजाबाद, उ.प्र.	गैर सरकारी संगठन विद्यमान नहीं पाया गया।	3.40	राज्य सरकार से अनुदान की वसूली करने के लिए कहा गया।

1	2	3	4	5	6
7.	फैजाबाद	जन कल्याण अवाम नारी उत्थान समिति फैजाबाद, उ.प्र.	केन्द्रों को क्रियाशील नहीं पाया गया जैसाकि योजना के अंतर्गत परिलक्षित है।	3.40	राज्य सरकार से पूर्व में निर्मुक्त अनुदान की वसूली करने और संपत्ति जब्त करने के लिए कहा गया।
8.	फैजाबाद	अवध संस्थान, रामघाट, अयोध्या, फैजाबाद, उ.प्र.	परियोजना और संगठन विद्यमान नहीं था।	3.40	राज्य सरकार से पूर्व में निर्मुक्त अनुदान की वसूली करने के लिए कहा गया।
9.	फर्रूखाबाद	भारतीय ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद, उ.प्र.	संगठन परियोजना नहीं चला रहा था जिसके लिए अनुदान निर्मुक्त किया गया था।	5.00	14.6.2000 को काली सूचीबद्ध/ राज्य सरकार से वसूली की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कहा गया।
10.	गोंडा	बाल विकास अवाम महिला कल्याण परिषद, पो. नवाबगंज, जिला गोंडा, उ.प्र.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तथा संयुक्त सचिव (एसडी एवं प्रभाग) जिन्होंने 17.6.2000 को निरीक्षण किया, द्वारा क्रियाशील नहीं होने के बारे में सूचित।	9.00	5.9.2000 को काली सूचीबद्ध/ निर्णय के विरुद्ध प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया तथा राज्य सरकार से वसूली की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कहा गया।
11.	गोंडा	नंदिनी बाल विकास और ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्रा. परबाती, पो. हरवंशपुर, जिला गोंडा, उ.प्र.	निरीक्षण अधिकारी की प्रतिकूल रिपोर्ट और संगठन द्वारा संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं।	6.84	राज्य सरकार से 22.8.2001 को अंतिम अनुदानों की वसूली करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
12.	गोरखपुर	अम्बेडकर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, राम जानकी नगर, गोरखपुर, उ.प्र.	परियोजना संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही थी।	34.32	अनुदान रोक दिया गया है तथा गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया है।
13.	जालौन	अंजुमन मदरसा इस्लामिया, जालौन, उ.प्र.	गैर सरकारी संगठन विद्यमान नहीं पाया गया।	7.14	राज्य सरकार से 3.8.2001 को अनुदानों की वसूली करने के लिए कहा गया है।
14.	जौनपुर	मुरलीधर शिक्षा कल्याण समिति, रूस्तमपुर, दाहिया, जौनपुर, उ.प्र.	परियोजना संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही थी।	1.29	राज्य सरकार से 3.8.2001 को अनुदानों की वसूली करने के लिए कहा गया है।

1	2	3	4	5	6
15.	लखनऊ	राष्ट्रीय समाज कल्याण संघ, बी-405, गोपाला टॉवर, 50-रामतीरथ मार्ग, लखनऊ, उ.प्र.	राज्य सरकार द्वारा जाली सिफारिश की सूचना।	2.41	अनुदान की निर्मुक्ति रोक दी गई है तथा गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया है। 1.8.2001 को राज्य सरकार से अनुदानों की वसूली के लिए कहा गया है।
16.	लखनऊ	सर्व कल्याण संस्थान, 564/44, गुरू नानक नगर, आलमबाग, लखनऊ, उ.प्र.	राज्य सरकार के दिनांक 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना विद्यमान नहीं थी।	54.99	4.2.2002 को काली सूची में डालने के लिए तथा अनुदान की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया। गैर सरकारी संगठन का उत्तर संतोषप्रद नहीं था इसलिए, गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया है।
17.	लखनऊ	अनंत आश्रम, एलडी-9, सेक्टर एफ, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ (उ.प्र.)	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना विद्यमान नहीं थी।	6.65	4.2.2002 को काली सूची में डालने के लिए तथा अनुदान की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया। गैर सरकारी संगठन का उत्तर संतोषप्रद नहीं था इसलिए, गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया है।
18.	लखनऊ	प्रभात अंतर्राष्ट्रीय, एमडी-1 एलडीए कॉलोनी, लखनऊ (उ.प्र.)	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पायी गयी।		गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया क्योंकि संगठन को क्रियाशील नहीं पाया गया।
19.	लखनऊ	सेवा लोक कल्याण समिति, तरंगिनी मार्ग, एलिडको कॉलोनी, बंगला बाजार, पो.आ. बहादरुख, लखनऊ (उ.प्र.)	राज्य सरकार के 24.3.2001 के पत्र के अनुसार संगठन की परियोजना जाली पायी गयी।		गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया क्योंकि संगठन को क्रियाशील नहीं पाया गया।
20.	लखनऊ	परोपकारी संस्थान, एलएस-2/648, सेक्टर-एफ, जानकी पुरम, उ.प्र.	निरीक्षण के समय उपस्थित संवासियों की संख्या बहुत कम थी।	0.98	वसूली हेतु 16.5.2000 को जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा गया है।

1	2	3	4	5	6
21.	महाराजगंज	अम्बेडकर शिक्षा प्रसारक समिति, महाराजगंज, उ.प्र.	गैर सरकारी संगठन को विद्यमान नहीं पाया गया।	4.50	गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया है।
22.	मिर्जापुर	करूणोदय सेवा संस्थान, मिर्जापुर उ.प्र.	केन्द्र को विद्यमान नहीं पाया गया।	2.27	उत्तर प्रदेश सरकार से 6% दंड स्वरूप ब्याज सहित धनराशि की वसूली करने के लिए अनुरोध किया गया है।
23.	रायबरैली	यू.पी. राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति, रायबरेली, उ.प्र.	जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली की प्रतिकूल रिपोर्ट।	1.85	उत्तर प्रदेश सरकार से 6% दंड स्वरूप ब्याज सहित धनराशि की वसूली करने के लिए अनुरोध किया गया है।
24.	सुल्तानपुर	अभिनव सेवा संस्थान, द्वारिकागंज, सुल्तानपुर, उ.प्र.	गैर सरकारी संगठन को विद्यमान नहीं पाया गया।	9.60	उत्तर प्रदेश सरकार से 6% दंड स्वरूप ब्याज सहित धनराशि की वसूली करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की नेता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: श्री जसवंत सिंह सभा-पटल पर पत्र रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जसवंत सिंह जी, आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री जसवंत सिंह जी के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं "आर्थिक समीक्षा, 2002-2003" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7044/2003]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के वर्ष 2001-2002 के लेखाओं के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों/उसके प्रबंधन द्वारा भेजे गए उत्तरों के बारे में विवरण।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7045/2003]

(ख) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7046/2003]

(ग) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7047/2003]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मलित नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)* *

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विनियम, 2002, जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/3/2000-पीबी सेल (खंड-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7048/2003]

(2) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7049/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय-राजस्थान में समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं का कार्यकरण संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग प्रभाग)-बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की समाप्ति के पश्चात विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की नीति संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.3$^1/_2$ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप मुझसे मेरे चैम्बर में मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके नोटिस का क्या हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 11 दिसम्बर, 2002 को हुई, ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज, अपना वक्तव्य दे सकती हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, विपक्ष की नेता, सोनिया गांधी के खिलाफ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा को मैं यह स्पष्ट कर दूं कि नियमों के अन्तर्गत सभा में कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है बशर्ते कि उसे उठाने की अनुमति प्रदान की गयी हो। मुझे श्री प्रभुनाथ सिंह जी से नोटिस मिला है। मैं नोटिस की जांच कर रहा हूँ। मैं उन्हें यह भी आश्वासन दे सकता हूं कि यदि विषय पर सभा में चर्चा की जानी है तो कार्यमंत्रणा समिति यह निर्णय करने की हकदार है कि विशेष विषय पर सभा में चर्चा की जानी है अथवा नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर के मैटर्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कैसे जा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: इतने गम्भीर मामले को दबाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: धनंजय कुमार जी, आप मंत्री थे। अध्यक्ष खड़े हैं तो आप बैठिए। ऐसे कैसे चलेगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए, कार्यमंत्रणा समिति अथवा नियमों के अंतर्गत सहमति प्राप्त किसी मुद्दे को उठाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उस मामले की जांच कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उन्हें यथाशीघ्र सूचित करूंगा ताकि वह उस मुद्दे को सभा में उठा सकें। लेकिन ऐसा करने का यह तरीका ठीक नहीं है। कोई भी सभा में उठ खड़ा होता है। किसी मुद्दे का कई बार उल्लेख करने के बावजूद, वह उस मुद्दे को फिर उठाना चाहता है। सभा में अनावश्यक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और सभा के समक्ष जो मामला होता है वह लंबित पड़ा रहता है। इसीलिए, मैं माननीय सदस्यों से मामलों को उचित ढंग से उठाने का निवेदन करता हूं। किसी विशेष मुद्दे को उठाने वाले सदस्य उस मुद्दे का अध्यक्षपीठ की अनुमति से सही समय पर उचित ढंग से उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने रूलिंग दे दी है। आप अभी मुझसे चैम्बर में मिल सकते हैं। मैं नियमों के अनुसार उसे रेज करने के लिए पर्रामिशन देने को तैयार हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब तक आसन मेरी बात पर निर्णय ले, श्रीमती सोनिया गांधी को पोटा में गिरफ्तार किया जाए। उनके ऊपर इतना गम्भीर आरोप है और फिर भी वह सदन में बैठी हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

अपराहन 12.07 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि सोमवार, 3 मार्च, 2003 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाए:

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर
2. वर्ष 2003-2004 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा
3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:

(क) वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदान मांगें (रेल)

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)

सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना।

वर्ष 2003-2004 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा

निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान–

(क) वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य)

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)

4. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के लिए योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखापरीक्षा कर्मचारीवृंद को दौरा विशेष वेतन दिये जाने के बारे में दिनांक 12 फरवरी, 1999 को माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1992 के सी.ए. संदर्भ संख्या 13 में दिए गए अधिनिर्णय की अस्वीकृति चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)**:** अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

राजस्थान से बहुत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक कार्यों के लिए हरिद्वार जाते हैं परन्तु सीधी गाड़ी के अभाव में बहुत असुविधा होती है। अत: राजस्थान की हृदयस्थली अजमेर से हरिद्वार तक एक सीधी रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।

महिर्ष दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान) की मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में लम्बित प्रोजैक्ट्स को शीघ्र स्वीकृत कर अविलम्ब अनुदान जारी किये जाने की आवश्यकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप बैठ जाइए।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर)**:** मेरा सूचना संबंधी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: सूचना संबंधी प्रश्न जैसी इसमें कोई बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार: मेरा सूचना संबंधी प्रश्न है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उचित समय पर इस मुद्दे को उठाने की अनुमति प्रदान करूंगा। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: अध्यक्षपीठ द्वारा जो टिप्पणियां की गयी हैं, उसी संबंध में मेरा सूचना संबंधी प्रश्न है।

क्या मैं यह समझूं कि सभा द्वारा विचार करने के पश्चात उस विषय पर सभा में पूरी चर्चा होगी, जिसके संबंध में श्री प्रभुनाथ सिंह ने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: इसका निर्णय तो कार्य मंत्रणा समिति करेगी।

श्री वी. धनंजय कुमार: इसी कारण से मैं यह सूचना चाहता था। यदि 'शून्य काल' के दौरान सभा में नोटिस दिये गये विषय का उल्लेख होगा तो उसे कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष नहीं रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री धनंजय कुमार जी, मैंने 'शून्य काल' आरंभ नहीं किया है। आप यह प्रश्न क्यों उठा रहे हैं और सभा का समय नष्ट कर रहे हैं? जब मैं 'शून्य काल' में आपको अनुमति दूं, तब आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं, अभी नहीं। यह तो सभा का समय नष्ट करना हुआ जिसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं तो सत्ता पक्ष की सभा में कार्य संचालन करने में सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाये:

बिहार के खगड़िया जिले में पाला और ओला से किसानों की फसल को हुई क्षति का आकलन केन्द्रीय टीम से किया जाए एवं राष्ट्रीय राहत आपदा कोष से क्षतिपूर्ति की जाए।

अपराह्न 12.11 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2002-2003

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7051/2003]

अपराह्न 12.11½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2000-2001

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7052/2003]

अपराह्न 12.12 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मकारों और कर्मचारियों को सांविधिक रूप से देय राशि का भुगतान न किया जाना

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

> "केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मकारों और कर्मचारियों को सांविधिक रूप से देय राशि का भुगतान न किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों तथा कर्मचारियों को सांविधिक देयताओं का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति पर

वक्तव्य देना चाहता हूं। दिनांक 30.6.2002 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 240 उद्यमों में से 65 उद्यमों में सांविधिक देयताएं बकाया हैं। इनमें से 50% से अधिक उद्यम रुग्ण हैं तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे जा चुके हैं। जिन उद्यमों पर पर्याप्त सांविधिक देयताएं बकाया हैं, वे कपड़ा, भारी उद्योग, कोयला तथा इस्पात जैसे कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।

उपर्युक्त उद्यमों को सामान्यत: आदेश पुस्तिका की खराब स्थिति तथा रुग्ण और घाटा उठाने वाले उद्यमों को राशि प्रदान करने में वित्तीय संस्थानों की अनिच्छा के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। सक्षम उद्यमों के पुनर्स्थापन के लिए पुनर्स्थापन पैकेज सुनिश्चित करने अथवा यहां तक कि अक्षम उद्यमों को बन्द करने या परिसमाप्त करने में भी समय लगता है। ऐसे निर्णयों के मामले में मुख्यत: प्रक्रियात्मक तथा कानूनी औपचारिकताओं के कारण समय लगता है और इन्हें उद्यम के परिसमापन/बन्द करने से पहले पूरा किया जाना होता है।

सांविधिक देयताओं का भुगतान करना पूर्ण रूप से सम्बद्ध उद्यम के प्रबन्धन का दायित्व है। सरकार रुग्ण तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों को समय-समय पर प्रत्येक मामले के अनुसार वित्तीय सहायता देती रही है, ताकि कामगारों तथा कर्मचारियों की देयताओं के भुगतान सहित उद्यमों की अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति की जा सके। सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी वित्तीय सहायता से सरकारी उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के वेतन व मजदूरी से संबंधित कतिपय देनदारियों का भुगतान करने में कुछ हद तक सहायता मिली है। सरकार तथा सरकारी उद्यमों के प्रबंधन ने रुग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे-नई पूंजी का निवेश, पुनर्गठन, क्रय अधिमानता नीति की अवधि में वृद्धि, श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण आदि।

इन सब उपायों के बावजूद सांविधिक देयताओं का भुगतान करने से संबंधित स्थिति चिन्ता का कारण बनी हुई है। सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर गया है और उसने केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कामगारों तथा कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के तरीकों के बारे में अनुशंसा करने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया है। मंत्रियों का दल अब भी ऐसी देयताओं के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से विचार-विमर्श कर रहा है।

मंत्रियों के दल को अभी अपनी अंतिम अनुशंसा प्रस्तुत करनी है। मंत्रियों के दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। यदि माननीय सदस्य इस समस्या के समाधान के तरीकों के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दें तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। बकाया सांविधिक रूप से देय राशि वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बहुत अधिक है।

दिसम्बर में ही, मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 73 उपक्रमों की बकाया देय राशि 2,068.84 करोड़ रु. है। यह आंकड़ा 31 दिसम्बर 2001 की तिथि के अनुसार है। चौदह महीने पहले, बकाया राशि 2000 करोड़ से अधिक थी। एक साल के भीतर कम से कम 500 करोड़ रु. जुड़ गए हैं। आज, बकाया सांविधिक देयराशि लगभग 2500 करोड़ रु. की है। जो कर्मकार दो या तीन वर्ष पहले भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें भविष्य निधि में अपना अंशदान और उपदान भी मिलना अभी शेष है। इस प्रकार के उपक्रम सबसे अधिक भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत हैं। जब कभी यह सवाल सदन में उठा था, हमें मंत्री महोदय से एक ही उत्तर मिला है कि मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है और वे इस विषय की जांच कर रहे हैं। आज भी मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उसी बात का उल्लेख किया है:

> ''सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर गया है और उसने केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कामगारों तथा कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के तरीकों के बारे में अनुशंसा करने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया है। मंत्रियों का दल अब भी ऐसी देयताओं के निपटारे के लिए अपनायी जाने वाली रणनीति के बारे में प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से विचार-विमर्श कर .....''

मंत्रियों के दल का गठन अगस्त 2002 में हुआ था। वे छह महीने से अधिक समय से विचार-विमर्श कर रहे हैं किन्तु अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि किस प्रकार वैध सांविधिक देय यथा भविष्य निधि, उपदान और अन्य मजदूरी दे दी जाए। इस संसद द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम लागू किया गया है। महोदय, मजदूरी संदाय अधिनियम के अनुसार यदि एक महीने के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी के मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। किन्तु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सरकार मालिक है और शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। जब भारत सरकार मालिक है और सरकार स्वयं अपने कानून का उल्लंघन कर रही हैं जिसे इस संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

मुझे पता है कि मजदूरी के भुगतान नहीं किए जाने के कई मामले हैं। हमने इस मुद्दे को इस सदन में कई बार उठाया है। बर्न स्टैंडर्ड हावड़ा वर्क्स के मामले में मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के कारण कम से कम छह कामगारों ने आत्महत्या कर

[श्री बसुदेव आचार्य]

ली है। बर्न स्टैण्डर्ड का रिफ्रैक्शन सेरामिक यूनिट दो साल पहले बंद हुआ और इस समूह के 156 कामगारों को 31.10.2000 को वी आर एस लेने पर मजबूर किया गया। उन्होंने वी आर एस लिया; वे सेवानिवृत्त हुए किन्तु आज तक अपनी भविष्य निधि प्राप्त नहीं कर सके हैं। मैं इन 156 कामगारों की त्रासदी जानता हूं। भारत ये कामगार घर-घर जाकर भीख मांग रहे हैं क्योंकि उनकी धनराशि, उनकी वैध देयताएं उनका अपना अंशदान भी कामगारों को नहीं दिया गया है।

नेशनल इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कामगारों को गत छह महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। पिछले ही सत्र के दौरान इस सदन में श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने यह सवाल उठाया था किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आज मुझे पता चला कि कामगारों को गत छह-सात महीनों से मजदूरी नहीं दी गयी है। महोदय, एन जे एम सी के छह कामगारों ने आत्महत्या की है। बीजेसी के दो कामगार भुखमरी के शिकार हो गए। मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कामगार भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। कामगारों ने वीआरएस लिया किन्तु उन्हें उनकी वैध देयताएं उनकी सांविधिक देयताएं नहीं मिलीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार की जिम्मेदारी है या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है। अब, इन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व सरकार के पास होने से जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।

माननीय मंत्री हिन्दुस्तान केबल के मामले को जानते हैं। यह भारी उद्योग और लोक उद्यम के अंतर्गत है। कुल बकाया सांविधिक देय क्या है? बर्न स्टैण्डर्ड के पास 82 करोड़ रु. एण्ड्रयू यूले के पास 80 करोड़ रु. देय हैं। मैं ऐसे कई मामलों का उल्लेख कर सकता हूं। मेरे पास केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूरी सूची है जहां 2500 करोड़ रु. बकाया है।

हमें सरकार से वही उत्तर मिल रहा है कि इसे मंत्रियों के दल को सौंपा गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी ताकि देयराशि, जो वैध है जिसे सांविधिक देय कहते हैं यथा भविष्य निधि, उपदान और मजदूरी को कामगारों को बिना किसी विलम्ब के दिया जा सके।

महोदय, जेस्सॉप (जेईएसएसओपी), इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, बर्न स्टैण्डर्ड और अन्य कई उद्योगों में कामगारों को तीन चार महीनों से मजदूरी नहीं दी गयी है। कई महीनों से मजदूरी मिले बिना कामगार कैसे जीवनयापन कर सकते हैं?

महोदय, आप मंत्री थे और मैं आपसे मिलता था और इन सभी मुद्दों पर बात करते थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और मंत्रियों के दल का सदस्य भी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप कामगारों की दुर्दशा जानते हैं। उन्हें अपना वैध देय अपनी भविष्य निधि का अंशदान, उपदान और मजदूरी अपने सामान्य सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं मिली है। क्या मंत्री आज सभा को आश्वासन देंगे कि एक महीने के भीतर सांविधिक देयताएं और मजदूरी भी कामगारों को दे दी जाएगी? क्या मंत्री जी इसे मंत्रियों के समूह के सामने उठाएंगे? मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे विचार-विमर्श में समय नष्ट न करें। मुझे नहीं मालूम कि उनके देय भविष्य निधि अंशदान, उपदान और मजदूरी का भुगतान किए जाने के लिए मंत्रियों के समूह के साथ क्या परामर्श करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए। आपको मैं अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या मंत्री जी इस मुद्दे को मंत्रियों के समूह के साथ उठाएंगे ताकि मंत्रियों का समूह शीघ्र, तत्काल और त्वरित निर्णय ले और कामगारों की सांविधिक देयताएं एक महीने के भीतर चुकायी जाए?

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप नियम जानते हैं? नियम अत्यन्त स्पष्ट है। वस्तुतः मैंने कई सदस्यों से बोलने का अनुरोध प्राप्त किया है। आप जानते हैं कि जिस सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है उसे बोलने की अनुमति है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इसीलिए मैंने आपसे अपने विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध किया है। यदि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे तो मैं बोलूंगा, अन्यथा नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा महत्वपूर्ण है किन्तु सदन को ''शून्य काल'' छोड़ना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, इसे पूर्वोदाहरण के रूप में माने बिना आप इन्हें अनुमति दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं केवल एक मिनट बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नियमों के अंतर्गत मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नियम में विशेष उल्लेख है कि जिस सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है उसे अनुमति है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप कामगारों के पक्षधर हैं। मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। महोदय, आप अब भी मजदूरों के हितैषी हैं। अतएव मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह काम नहीं आएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपने मारुति उद्योग की समस्या हल की। हम आपको धन्यवाद देते हैं।

महोदय, जब मैंने नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था तो माननीय मंत्री ने मेरी उपस्थिति में उनका वेतन मंजूर करने और रिपोर्ट बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। केबिनेट ने 18 जून को नेशनल इंस्ट्रूमेंट की इकाई का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया था। नौकरशाही के एक भाग ने बी आई एफ आर का अनुपालन नहीं किया और उसके कारण उन्हें बंद करने का नोटिस देने की घोषणा करनी पड़ी। फिर भी मंत्री ने कहा था कि वह इसमें सुधार करेंगे और बकाया धनराशि का भुगतान करेंगे। आज तक नेशनल इंस्ट्रूमेंट के कर्मचारियों को अपने सांविधिक बकाए का भुगतान नहीं किया गया।

महोदय, जब एक लड़की अपने विवाह के दिन धन की व्यवस्था नहीं कर सकी तो उसने आत्महत्या कर ली थी। यह दुखद बात है। अत: मैं मंत्री से इस पर विचार करने और नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खैरे, कई माननीय सदस्य हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए, मैं आपको अब अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, शून्य-काल में हम लोगों के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि शून्य-काल को शीघ्र प्रारम्भ करें।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए तो मैं इसे पूरा कर रहा हूं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। उदाहरणार्थ सी.आई.आई. ने आठ-नौ महीने से कामगारों की तनख्वाह नहीं दी है। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी आपकी पार्टी से हैं इसलिए आप उन्हें बोलिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या श्री विखे पाटिल जी, आपकी बात सुनते नहीं हैं? आप जानते हैं किनसे कंपलेंट करनी है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई ईश्यूज हैं जिनके तहत केन्द्र सरकार के कई लोक उपक्रमों में सेवारत कामगारों के ड्यूज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि कामगारों के ड्यूज का शीघ्र भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जाएं। मेरा यह निवेदन भी है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को गम्भीरता से लिया जाए और कामगारों की तनख्वाह अथवा देयों का शीघ्र भुगतान कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री की कम्प्लेंट किस के पास करनी है, यह आप जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमें शून्यकाल में बोलना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं सबको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, श्री बसुदेव आचार्य ने जो कुछ कहा है मैं उसकी पूरी तरह समर्थन करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य का सम्पूर्ण सभा समर्थन करती है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं। पश्चिम बंगाल में विनिवेश नीति के कारण कामकाजी वर्ग यानी कर्मचारी सबसे अधिक परेशान हैं और उन्हें सरकार से कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समय पर उनके बकाए का भुगतान करें। उन्हें भारत सरकार से उचित संरक्षण मिलता रहना चाहिए। ऐसा सभा में वक्तव्य देकर नहीं बल्कि वास्तव में उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। हम सरकार से यह आश्वासन और गारंटी चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी आप नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा, आचार्य जी ने जो बकाया और स्टेचुटरी ड्यूस के बारे में सवाल उठाया है। ...*(व्यवधान)* इसमें मैं यह कहूंगा कि अभी तक सरकार ने पांच साल से कैश और नॉन कैश के माध्यम से कैश 1923 करोड़ दिया है ताकि जो पब्लिक सैक्टर सिक हैं और बीआईएफआर के पास गई है या नहीं भी गई। नॉन कैश जैसी गारंटी और बाकी रिवाइवल पैकेज के लिए 12,569 करोड़ के करीब दिया है ताकि इसका सुधार ठीक हो। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो कम्पनियां बंद हैं, चल नहीं रही हैं और जो अभी तक बीआईएफआर के माध्यम से क्लोज डाउन के प्रोसिजर हैं, वह हुआ नहीं है। उसका कुछ बकाया बाकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): क्या बीआईएफआर में कोल्ड स्टोरेज है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: बीआईएफआर में बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज जैसी बात है, आप माफ कीजिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे से ज्यादा जानते हैं। इसलिए अभी जो नया कानून बनाया है, उस कम्पनी लॉ अमेंडमेंट में सुधार हुआ है। उसमें अब बीआईएफआर की जगह जो ट्रिब्यूनल आया है। ...*(व्यवधान)*

आप मुझे उत्तर देने दीजिए या आप उत्तर दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप उत्तर नहीं चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि आजकल बीआईएफआर के कारण जो देरी होती है, उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: दूसरी बात यह है कि खास कर जो चार सैक्टर्स हैं—मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल, जिसमें स्टेचुटरी ड्यू 493 करोड़ है। ...*(व्यवधान)* मिनिस्टरी ऑफ कोल के माध्यम से 493 करोड़ है और हैवी इंडस्ट्री 359 करोड़ है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील 171 करोड़ है। इनके माध्यम से कम से कम 96 प्रतिशत इनका बकाया देना है। जहां तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि बकाया देना अभी बाकी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह तय किया है, मेरे ख्याल से जल्दी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, लेकिन कन्सर्ड मिनिस्ट्री ने तुरंत, जैसे टैक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अभी करीब 3000 करोड़ से ज्यादा की जमीन बेच कर पैसा देने की कोशिश की है और उसके लिए भारत सरकार के पास इन्होंने गारंटी के लिए प्रपोजल भेजा है। ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): जमीन बेचने का कोई हल नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* जमीन बेचने का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं कहना चाहूंगा कि अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सभी संबंधित मंत्रालयों को यह कहा है कि आप कोशिश करो। असैट्स बेचने के बाद कितना पैसा मिल सकता है। अगर पैसा नहीं मिल सकता है तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप पैसा भारत सरकार से लेने के लिए उस माध्यम से रिवाइवल या स्टेचुटरी ड्यूज देने के लिए एक प्रपोजल बनाकर भेज दीजिए, यह आदेश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने संबंधित अलग-अलग विभागों को दिया है। 10-15 दिन में उन सबका उत्तर आने की आशा है, जिसके कारण बकाया की बात हो रही है। सरकार भी इस बारे में काफी चिन्तित है कि मजदूरों का पैसा ज्यादा रखना ठीक नहीं है।

जहां तक वेजेज और वी.आर.एस. के पैसे की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तनख्वाह तो जल्दी से जल्दी हम दे पाएंगे, इसमें महीने, 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यूनिट्स बंद हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनाई आती है। स्टेचुटरी ड्यूज के बारे में आपने सही कहा कि मैनेजमेंट और सरकार की यह जिम्मेदारी है आपको पता है चार लोगों के लिए वी.आर.एस. का नोटिस दिया है, कई लोगों के खिलाफ प्रोविडेंट फंड में कम्पलेण्ट की है, उसके लिए काफी कानूनी कार्रवाई की है। आप चाहेंगे तो वह लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड के कानून में, जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो कार्रवाई रुक जाती है और इसीलिए वह कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यहां प्रश्न कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले सांविधिक बकाए के बारे में है।

[हिन्दी]

मजदूरों को मेहनत की कमाई मिलेगी या नहीं? उसके बारे में आपका क्या फैसला है? ...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील: बिल्कुल मिलेगी। मजदूरों की मेहनत का पैसा मजदूरों को बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): मंत्री जी, समय निर्धारित कर दीजिए।

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): منتری جی، وقت نردھارت کر دیجئے۔

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह कोई ठोस जवाब नहीं है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.37 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से इस प्रकार का उत्तर नहीं सुन सकते ...*(व्यवधान)* यह शर्मनाक है कि कर्मचारियों के वैध देयों का भुगतान नहीं किया जाता और इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.37½ बजे

(इस समय, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की कर्मचारियों द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित देयों का भुगतान करने की कोई योजना नहीं है। इस निर्दयता के विरोध में हम बाहर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.38 बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए। मंत्री जी का उत्तर तो पूरा होना चाहिए। आप रिकार्ड पर जो उत्तर लाना चाहते हैं, पूरा उत्तर रिकार्ड पर लाइए। आप बोलिए।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): मंत्री जी ने कहा है कि पैसा मिलेगा, इसमें इनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये नहीं चाहते हैं कि पैसा मिले, इसलिए चुपचाप सदन छोड़कर चले जाते हैं। यह इस देश के श्रमिक वर्ग का अपमान है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी तक वेजेज एंड सैलरी के पिछले पांच साल में सरकार के माध्यम से 3614 करोड़ रुपये दिये हैं और स्टेचुटरी ड्यूज की मद में 107 करोड़ रुपए दिये हैं। सैलरी और कम्पेंसेशन, वी.आर.एस. के लिए 1123 करोड़ दिये हैं, कुल मिलाकर 4845.78 करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से इन सब पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स को समर्थन के रूप में दिया है। आप जानते हैं कि भारत सरकार रिवाइवल पैकेज देने की बात सोचती है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो बीमार कम्पनीज हैं, चाहे बीमार भी न हों ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जो बात सरकार की ओर से बताई जाती है, मजदूरों के भविष्य के बारे में बताई जाती है, उनको पैसा मिलेगा, यह बात भी बताई जा रही है, लेकिन इनको सुनने की हिम्मत नहीं है। ये इस पर यहां तक वाक आउट करते हैं, राजनीति करते हैं। ये फिर दो मिनट में वापस आ गये। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल शुरू कीजिए, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह हो गया, जब पैसा आ जायेगा, तब मिल जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: इन्होंने मजदूरों के भविष्य की अगर चिन्ता की होती तो पिछली सरकारों के समय में बी.आई.एफ.आर. में ये सारे मामले दर्ज हुए हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं बताना चाहूंगा कि स्टेचुटरी ड्यूज 1750 करोड़ हैं, सैलरी और वेजेज के 332 करोड़ रुपये हैं और 2082 करोड़ रुपये बाकी हैं। सरकार इस बारे में पूरी कोशिश कर रही है।

ऐसेट्स बेचकर हम जल्दी से जल्दी यह पैसा देने की कोशिश करेंगे लेकिन यह कहना कि बिल्कुल पैसा नहीं दिया, ठीक नहीं है। आपके कार्यकाल में भी पैसा दिया गया है और इस सरकार ने भी दिया है। हर साल पैसा दे रहे हैं। जहां तक मजदूर के श्रम का या उसके पसीने के पैसे का सवाल है, तो वह सरकार देना चाहती है और देगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, यह चर्चा तो समाप्त हो सकती है लेकिन मुझे आपसे इस बारे में एक प्रश्न पूछना है। राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी ने एनाउंस किया था कि वे बजट में प्रोवाइड करके यह पैसा दिया जायेगा। उसका उत्तर भी राज्य सभा में आया था। इसके बाद इस बजट में या पिछले बजट में कितना अमाउंट इस कारण दिया गया, क्या इसका कोई अंदाजा आपको मालूम है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: पिछले साल 150 करोड़ रुपये दिये गये थे जिसमें से 100 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। वैसे भी प्लान एक्सपेंडीचर का बजट होता है, नॉन प्लान का बजट नहीं होता। लेकिन देखा जाये तो नॉन प्लान का एक्सपेंडीचर सबसे ज्यादा है। वह 5936 करोड़ रुपये है जिसके बारे में आपको पता है।

अब नॉन प्लान के कारण जो प्रपोजल आते हैं, उसके लिए गवर्नमैंट कैबिनेट में जाकर समर्थन देती है। स्टेच्युटरी ड्यूज देने के लिए, कम से कम सेलरी देने के लिए या वी.आर.एस. का पैसा देने के लिए नॉन प्लान की जहां तक रकम है, प्लान बजट की रकम तो केवल सेलरी में चली जाती है लेकिन प्लान के अलावा जो ज्यादा पैसा लगता है, वह नॉन प्लान के माध्यम से सरकार देती है, यह आपको मालूम है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप सब बैठिए। अगर आप इसी तरह खड़े रहेंगे तो किसी का काम नहीं होगा। इसलिए आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब, सभा 'शून्य काल' शुरू करेगी। परिपाटी यह रही है कि जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है। चूंकि श्री राम विलास पासवान ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है इसलिए मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः हम बाद में दूसरे प्रश्न लेंगे। अगर आप सब थोड़ा सहयोग करेंगे तो सबका प्रश्न आ जायेगा। श्री राम विलास पासवान ने उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में एक एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। राम विलास पासवान जी, मैं आपका एडजर्नमैंट मोशन तो स्वीकार नहीं करता लेकिन जो बोलना चाहते हैं, वह आप दो मिनट में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं घड़ी देखकर दो मिनट ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसानों की समस्याओं के संबंध में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है। किसान का पिछले साल का 148 करोड़ रुपया *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया उन्हें बाधा न पहुंचाएं। वे दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया उन्हें दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.42 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उत्तर प्रदेश में किसानों की दशा के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः आप सुनिये। *...(व्यवधान)* आप बिहार की बात बोलिये। आपको बोलने के लिए कौन रोक रहा है। *...(व्यवधान)* पिछले साल 148 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है। सरकार द्वारा गन्ने का 95 रुपये या 100 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य देने के लिए घोषणा की गयी थी लेकिन चार महीने बीत गये हैं, अभी तक उसकी पैमेंट नहीं हुई। जबरदस्ती किसान के खाते में 81 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने की बेच दिखायी जा रही है। आलू के भाव भी गिर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के खिलाफ धारा 307 और दूसरे मुकदमें चलाकर उनकी कुर्की-जब्ती कर रही है। हजारों किसान जेल में बंद हैं। किसान धरने पर बैठे हैं। उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप किसानों के रक्षक हैं। इस सदन में इस सवाल पर बहुत बार चर्चा हो चुकी

है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी दूसरे काम कर रही है, मैं उस संबंध में नहीं कहना चाहता लेकिन किसानों का जो मामला है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सरकार जान-बूझकर किसानों के साथ कंफ्रन्ट्रेशन का रास्ता अपना रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने गन्ने के मूल्य की जो घोषणा की है, वही मूल्य किसानों को दिया जाये और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाये क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है। हर फ्रंट पर वह फेल्योर है। उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पोटा आदि हर इश्यू को करके अब यह किसानों के ऊपर पड़ गयी है। किसी भी समय वहां गोली चल सकती है। वहां लोग मुजफ्फरपुर को घेरे हुए हैं। हर पार्टी का नेता वहां है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, माननीय राम विलास पासवान जी ने किसानों की लूट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह जी, आप दो मिनट में बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आज, देश के किसानों की हालत बहुत खराब हो गयी है, उसके बाद भी सरकार किसानों की बात नहीं कर रही है। गन्ना भुगतान मांगने पर किसानों पर गोली चलाना, पिटाई करना तथा गिरफ्तारियां करने का मामला गंभीर अत्याचारपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का पैसा बकाया है। इसकी मांग करने पर किसानों को जेल में बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ इतना आतंक फैला दिया गया है कि सरकार के खिलाफ जो भी किसान बोलेगा, उसके विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज हो जायेंगे। मुजफ्फरपुर में किसानों का धरना हो रहा है। इसी तरह खलीलाबाद में भी यही हालत है। यह बहुत गंभीर मामला है और अध्यक्ष महोदय मैं इसे आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

खलीलाबाद में एक ऐसा चीनी मिल मालिक है जिसके ऊपर विभिन्न संस्थाओं का 32 करोड़ रुपये का सरकार का कर्जा बकाया है। 27 करोड़ रुपया उसने चीनी मिल को अपग्रेड करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए लिया था। लेकिन पुराने पुर्जों को डालकर उसी चीनी मिल को अपग्रेड करना दिखा दिया गया और 27 करोड़ रुपये का उसने गबन किया। उसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं हुई। इसी तरह से जब आंदोलन हुआ तो उस चीनी मिल मालिक को गिरफ्तार करके कोतवाली में एक रात रखा गया लेकिन रात भर में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर उसकी जमानत करवा दी। अब उस पर 32 करोड़ रुपये का सरकारी कर्जा है और 53 करोड़ रुपया और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको दे रही है। इस भ्रष्टाचार में बड़े-बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, मंत्री और मुख्य मंत्री भी मिले हुए हैं। 53 करोड़ रुपया और उस मिल मालिक को दिया जा रहा है जबकि पहले का 32 करोड़ रुपया उस पर सरकारी कर्जा है। मेरे पास सबूतों की पूरी फाइल है। हम आपके कार्यालय में दे देंगे। ...*(व्यवधान)* यह हालत है, इसलिए सरकार उस चीनी मिल को अपने हाथों में ले और यदि बेचना पड़े तो सरकार बेचे लेकिन किसानों का 5.5 करोड़ रुपया है और 6.5 करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है तथा 32 करोड़ रुपया सरकारी कर्जा है इसका भुगतान सुनिश्चित कराएये। 53 करोड़ रुपया और देने की फाइल बकायदा स्वीकृति हेतु सरकार के पास हैं। किसी भी दिन मुख्य मंत्री स्वीकृति हेतु दस्तखत करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में लूटपाट की यह हालत हो रही है। इस प्रकरण की हम आपको पत्रावली भी दे देंगे और आपसे निवेदन है कि आप स्वयं इस मामले में जानकारी हासिल करें तथा इसमें हस्तक्षेप करें। यह हालत उत्तर प्रदेश के किसानों की है और खलीलाबाद के चीनी मिल मालिक की यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 32 करोड़ रुपया सरकारी कर्जा है और 53 करोड़ रुपया उसको सरकार की ओर से और दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): यही स्थिति बिहार के गन्ना किसानों की है कि जो दाम भारत सरकार ने तय किए थे, वह दाम भी वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है। मिल मालिक जानबूझकर किसानों के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हमारे गोपालगंज जिले में भी यही स्थिति है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, किसान का सवाल है और सरकार मौन बैठी हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः रघुवंश जी, आप बैठिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः सरकार सुन नहीं रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री राम विलास पासवान दोनों ने उत्तर प्रदेश में किसानों के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। क्या आप मामले को संबंधित मंत्री तक ले जाना चाहेंगी? वे जब चाहें जवाब दे सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, वैसे तो यह राज्य से संबंधित मसला है और राज्य विधान सभा का जब अधिवेशन होता है तो इन विषयों को यहां कभी नहीं लेते हैं। राज्य विधान सभा में लेते हैं लेकिन जिस तरह का आदेश पीठ से होगा, उसका तो निश्चित तौर पर पालन होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: पेपर्स दिये जा रहे हैं। 53 करोड़ रुपया और दिया जा रहा है और 32 करोड़ रुपया उस पर सरकारी कर्जा है, मुकदमा दर्ज है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम विलास पासवान, वह मामले को उठाने जा रही है। वह संबंधित मंत्री को सूचित कर सकती हैं कि यह मामला सभा में उठाया गया था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे केवल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष जी, गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार और प्रधान मंत्री द्वारा तय किया गया है, वह भी गन्ना किसानों को नहीं मिल रहा है। जो चीनी मिल मालिक हैं, उनके द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह बहुत गंभीर स्थिति है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम विलास पासवान, मैंने पहले ही बताया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, आपने पीठ से जो आदेश दिया है, मैं इस मामले की जानकारी मंत्री जी को दे दूंगी और सदस्यों की भावना से भी उनको अवगत करा दूंगी।

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश बाबू, यह आपको क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार किसानों के सवाल पर सुन नहीं रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रेनु कुमारी जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रेनु कुमारी जी आप बैठिए।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): **अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है इसलिए हमारी भी बात सुनी जाए। मैंने आपको परसों भी बताया था।**

अध्यक्ष महोदय: आपका जब नम्बर आएगा, तो मैं आपका नाम बुलाऊंगा, फिर आप अपनी बात कहना।

श्रीमती रेनु कुमारी: आज बिहार में जन प्रतिनिधियों की क्या स्थिति है, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है इसलिए कृपया सदन को व्यवस्थित करें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है। रेनु कुमारी जी आपका नोटिस मेरे पास है। मैं उस पर एक्शन लूंगा और सदन में बताऊंगा। श्री रामजी लाल सुमन के अलावा श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्री चन्द्रभूषण, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्रीमती रीना चौधरी, श्री रामरति बिंद और श्री राममूर्ति सिंह वर्मा ने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है। मैं इन सबका नाम भी श्री रामजी लाल सुमन के नोटिस के साथ एसोसिएट कर दूंगा।

श्री रामजी लाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यधिक गम्भीर मामला सदन में उठाना चाहता हूं। 1985-86 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने की योजना शुरू की गई थी। उस योजना के तहत उस समय छः हजार रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई थी। 1991-92 में इस धनराशि को बढ़ाकर 11500 रुपए कर दिया गया। जब 1996 में श्री देवेगौड़ा इस देश के प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने उस धनराशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया था। 1996-97 से यह धनराशि आज तक इतनी ही है। उस समय से लेकर आज तक मकान बनाने में प्रयोग होने वाली चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। 1996 में जहां ईंट का दाम 1200 रुपये प्रति हजार था, अब 1800 रुपए हो गया है। इसी तरह से सीमेंट का दाम जहां उस समय 120 रुपए प्रति बोरा था, अब 150 रुपए हो गया है। इसी तरह से सरिए का भाव जहां उस समय 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, अब 1800 रुपए हो गया है। उस समय शासन से निर्धारित मजदूरी 48 रुपए प्रति दिन थी, जो अब बढ़कर

58 रुपए हो गई हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। मकान बनाने में भी अभ्यर्थी को उसमें एक कमरा, वरांडा और शौचालय बनाना पड़ेगा। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतनी कम धनराशि में यह कैसे सम्भव है। इसके अलावा यह जो 20,000 रुपए की राशि दी जाती है, उसमें भी बीच में कई लोग काफी रुपया कमीशन के रूप में अभ्यर्थी से ले लेते हैं। इसलिए आज के समय में इस धनराशि का कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग तो अपना पैसा लगाकर मकान पूरा करवा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग पूरा मकान नहीं बनवा पाते और उनसे रिकवरी होती है। भारत सरकार को चाहिए कि इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बनाने के लिए गरीब आदमी को जो 20,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, उसको बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम श्री रामजीलाल सुमन के साथ अपने आपको सम्बद्ध कर रहे हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): मैं उनके साथ अपने आपको सम्बद्ध कर रहा हूं।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार): हम भी उनकी बात के साथ अपने आपको संबद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: आज चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इस 20,000 रुपए में कोई मकान नहीं बनवा सकता। मैंने इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी से इस राशि में वृद्धि करने का अनुरोध कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: इस सवाल पर सदन में बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाएं। शून्य काल में इससे ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती।

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय सदस्य ने जो मकान बनाने में प्रयोग होने वाली चीजों के दामों के जो आंकड़े दिए हैं, उनको देखते हुए आप सरकार को निर्देशित करें कि यह राशि बढ़ाई जाए कम से कम 50,0000 रुपए की जाए।

श्री रामजीलाल सुमन: इस विषय पर पांच और माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन सभी को एसोसिएट किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल आप ही बोलते रहें। मैं सभी सदस्यों को मौका देना चाहता हूं इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित सड़कों की दुर्दशा एवम् टूटे हुए पुलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

एन.एच. संख्या 28 गोरखपुर-मुजफ्फरपुर वाया गोपालगंज सड़क जो गत बाढ़ में कोइनी से देवापुर गांव तक टूट गई थी, उसकी मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं हुआ है।

एन.एच. संख्या 85 जो छपरा सिवान गोपालगंज की सड़क है, वह इस तरह से खराब है कि चलना मुश्किल हो गया है।

एन.एच. संख्या 104 चिकया मधुबन नयागांव शिवहर सीतामढ़ी की हालत मधुबन से सीतामढ़ी तक बुरी तरह खराब है। बागमती नदी के डुब्बा घाट में एस क्रू पाईल ब्रिज जो गत वर्ष बाढ़ में टूट गया था, वह उसी तरह से पड़ा हुआ है। छोटी-बड़ी गाड़ियों का आना-जाना बंद है इसलिए उसका पुनर्निर्माण शीघ्र आवश्यक है। एन.एच. संख्या 77 मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सड़क जहां बुरी तरह से टूटी हुई है, वहीं कटौंझा का बागमती नदी का पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इससे पूरा आवागमन ठप है।

अत: उपरोक्त सभी सड़कों एवम् पुलों के निर्माण करने हेतु मैं अनुरोध करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार में 29 नये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। लेकिन सारे के सारे नये राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय मानकों के आधार पर नहीं बनाए गये हैं, इसलिए उनकी बहुत बुरी दशा है। जो माननीय सदस्य वहां से आते-जाते हैं उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन राष्ट्रीय राजमार्गों को राज्य सरकारों ने भारत सरकार से पैसा लेकर बनाना है। उनके लिए भारत सरकार से पैसा मिलना है। वहां से 482 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट बनकर आ गया है लेकिन भारत सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और राज्य सरकार को राशि नहीं दे रही है। इसके कारण बिहार के 19 राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत खराब है। एनएच संख्या 77 तथा एनएच संख्या 80 से लेकर एनएच संख्या 104 तक की हालत बहुत खराब है। उनकी हालत

पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत से भी खराब है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उनके लिए राज्य सरकार को पर्याप्त राशि मुहैया करायी जाए जिससे इन राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत में सुधार हो सके।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस सभा में बहुत गम्भीर मामला उठा रहा हूं। आज, हम केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को केरल में किसानों की मांगों पर ध्यान दिलाने हेतु इस सभा के सामने धरना देना पड़ा।

लगभग 15 हजार किसान केरल सचिवालय और विभिन्न जिला मुख्यालयों के सामने 101 घंटों का धरना दे रहे हैं। उनकी मांगों में रबड़, काली मिर्च, नारियल तेल इत्यादि कृषि उत्पादों का आयात बंद करना शामिल है। ये सभी वस्तुएं बेरोकटोक आयात की जा रही हैं और स्थानीय किसानों को हानि पहुंचा रही हैं। स्थानीय किसान बहुत गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं। इलायची, कॉफी तथा चाय जैसी फसलें बाजार से दूर हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार की आयात नीति के कारण उन्हें आंतरिक बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। किसान कर्ज में फंसे हैं। इस नीति के कारण वे अपने कृषि ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू हो गई है। वे अपने कृषि उत्पादन नहीं बेच पा रहे हैं। इन सभी कृषि उत्पादों का आयात किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप केरल तथा अन्य राज्यों के उत्पादों को बाजार नहीं मिल रहा है और यह आयातित सामग्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। कुल परिणाम यह है कि किसान भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अभी भूख से मौतें नहीं हुई हैं। वे थोड़े समय में हो सकती हैं। बैंकों ने किसानों के विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू कर दी है। किसानों के विरुद्ध न्यायालय की कुर्की का निर्देश दिया जा रहा है। वे मुश्किल में हैं।

इस सबके कारण किसान केरल सचिवालय के सामने ऐतिहासिक अखंड धरना दे रहे हैं जिसका अर्थ है व्यवधान रहित धरना। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए राहत उपाय शुरू करने हेतु तत्काल कदम उठायें। अन्यथा, हमारे सामने पुनः गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. ए.के. प्रेमाजम, श्री पी. राजेन्द्रन, श्री सुनील खां, डा. राम चन्द्र डोम, श्री सुदर्शन नाच्चीयपन और श्री अधीर चौधरी इस मुद्दे पर स्वयं को श्री वरकला राधाकृष्णन के साथ सम्बद्ध करते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): मान्यवर, महाराष्ट्र में विशेषकर नासिक जिले में दो—पार और नार—बड़ी नदियां हैं। पश्चिम वाहिनी होने से समुद्र में मिलती हैं। इन नदियों का जल न खेती के उपयोग में और न पीने के पानी के रूप में होता है। इन नदियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सिंचन प्रकल्प बनाया है। पश्चिमी वाहिनी को पूर्व वाहिनी के प्रकल्प के लिए भारत सरकार के पास भेजा है। मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री से निवेदन है कि वे इस प्रकल्प को मंजूरी दें और आर्थिक सहायता प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेनु कुमारी द्वारा दिया गया विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे नोटिस में यह प्रश्न आया है और मैं इस बारे में रूलिंग दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणु कुमारी, मुझे आपके साथ पुलिस महानिदेशक, बिहार के कथित दुर्व्यवहार से संबंधित 27 फरवरी, 2003 के विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है। मामला मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

प्रोसीजर यह है कि नोटिस आने के बाद हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं और उनसे जवाब आने के बाद मैं रेनु कुमारी जी को यहां सदन में इस विषय पर बोलने का मौका दूंगा।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): महोदय, महाराष्ट्र के परभनी जिले में श्री सुरेश जाधव जी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव कलैक्टर ने किया था। इसकी भी एन्क्वायरी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: महाराष्ट्र सरकार को नोटिस गया है। उनका जवाब आने के बाद इस विषय पर उनको भी कहने का मौका देंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, सरकार में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 'सेफ' खेलों में भाग न लेने का निर्णय लिया है। यह हमारे देश तथा सेफ से जुड़े देशों में खेलों के विकास के लिए बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं है। इससे खिलाड़ियों के हितों को हानि पहुंचेगी और कुल मिलाकर हमारे देश के खेलों की ही क्षति होगी।

महोदय, हम पाकिस्तान की सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहित और प्रायोजित करने और हमारे देश के विरुद्ध प्रतिकूल गतिविधियां चलाने हेतु भी भर्त्सना करते हैं। हम पाकिस्तान सरकार की भर्त्सना करते हैं। लेकन हम खेलों और संस्कृति के माध्यम से पाकिस्तान के साथ वहां और यहां के लोगों का आपसी संबंध चाहते हैं।

सेफ खेलों में भाग न लेने के सरकार के निर्णय से हमारे देश के खेलों के विकास में रुकावट पैदा होगी। इससे देश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के हितों को धक्का लगेगा। वे भारत सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

इसलिए, महोदय, खेलों के हितों और विकास हेतु मैं भारत सरकार से सेफ खेलों के बहिष्कार के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री हन्नान मोल्लाह।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): हमें पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार को खेल संबंध क्यों बनाने रखने चाहिए जबकि वह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? ...*(व्यवधान)* हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी परिस्थिति में, भारत को सेफ खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: यह आपकी राय है। हमारी राय अलग है। हम यहां और वहां के लोगों के बीच आपसी संबंध चाहते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): हम भी लोग हैं ...*(व्यवधान)* आप पाकिस्तान को बहुत चाहते हैं ...*(व्यवधान)* आप बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को बहुत चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया शान्ति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

अपराहन 1.04 बजे

[अनुवाद]

(दो) नोएडा में बांग्ला भाषी लोगों के विदेशी राष्ट्रिक होने के आरोप में पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के बारे में

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अत्यधिक गम्भीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग 200 बांगला भाषी लोग जिनमें से अधिकतर पश्चिम बंगाल से तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से तथा भारत के अन्य भागों से हैं नोएडा में कार्य कर रहे हैं।

वे नोएडा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और शारीरिक श्रम करते हैं। वे सेक्टर 18, 31, 37, 44 और 58 में रहते हैं। 29 अप्रैल 1999 और 19 जून, 2000 को पुलिस ने सैकड़ों बांग्ला भाषी लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें मारा-पीटा गया, उन पर बर्बर अत्याचार किए गए और काफी धन खसोटा गया। सरकार के हस्तक्षेप के उपरान्त यह बंद किया गया।

लेकिन हाल में पुलिस ने 7 फरवरी, 15 फरवरी और 20 फरवरी को क्रमश: 18, 16 तथा 11 लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें उत्पीड़ित किया गया। उन्हें मारा-पीटा गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें पीटा जाता है और यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वे भारतीय नहीं हैं लेकिन वे भारतीय नागरिक होते हैं। माननीय सदस्य पी.आर. दासमुंशी के प्रमाणपत्र वहां हैं। मतदान पहचान-पत्र तथा अन्य दस्तावेज उनके पास होते हैं ...*(व्यवधान)* नोएडा में इन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। कुछ लोगों को मारा-पीटा जाता है और उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है ताकि पता चल सके कि वे हिन्दू हैं या मुस्लिम। मेरे पास लगभग 200 लोगों की सूची है, उनके नाम इस प्रकार से बदले जा रहे हैं, ताकि वे नाम मुसलमानों के नाम के अनुसार हो सके। उदाहरणार्थ लक्ष्मण मंडल को लक्ष्मण खान में बदला जा रहा है इसी प्रकार से मुसलमानों के नाम हिन्दू नामों के बाद जोड़े जा रहे हैं ताकि वे मुसलमानों के नाम लग सकें और उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाते हैं, यह गम्भीर मामला है और उत्तर प्रदेश सरकार उन पर अत्याचार करा रही है।

मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को इन बांग्लाभाषी लोगों पर अत्याचार ढहाने से रोका जाए क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जाए लेकिन बंगलाभाषी लोगों का उत्पीड़न इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपको बंगलाभाषी और बांग्लादेशी के बीच अन्तर करना चाहिए। मैं सरकार से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, वह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसे श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाया गया है ...*(व्यवधान)* हम इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। बंगलाभाषी लोगों का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): बंगाली लोग इस मुद्दे पर आन्दोलित हैं। कई लोग विभिन्न राज्य सरकारों के

अधिकारियों के अत्याचार के कारण कष्ट उठा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों में भी बंगाली लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: हम सरकार की प्रतिक्रिया चाहते हैं ..*(व्यवधान)* महोदय, हम इस मुद्दे पर आपका संरक्षण चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, हम कम से कम इस मुद्दे पर सरकार से प्रतिक्रिया चाहते हैं। यह गम्भीर मामला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी कई लोग इस बात का सामना महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में कर रहे हैं। कई लोग मुम्बई में श्री रामदास आठवले के पास इस बात को लेकर गए हैं। प्रायः बांग्ला भाषी भारतीय लोगों पर इस तरह के हमले देश के विभिन्न भागों में पुलिस द्वारा संगठित ढंग से किये जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अन्य माननीय सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने में बाधा न डालें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ सकता हूं कि मामला महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने इसे नोट कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चिल्ला क्यों रहे हैं? यदि यह महत्वपूर्ण है तो कृपया, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: हम सरकार से प्रतिक्रिया चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी यहां हैं। वह आपको सुन रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, बैठ जाइए। आप सब बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेशी और बंगला भाषी में फर्क है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, मेरी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: हमें बंगाली होने का गौरव है। बंगाली राष्ट्रीय भाषा है और हम सब बंगाली हैं। हमें बंगाली होने का गौरव है। हमें इस बात का गौरव है कि हम बंगाली हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम बंगाली बोलते हैं ...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। क्या इस देश में बंगाली बोलना गलत है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जब मैं खड़ा हूं, प्लीज आप लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सभा में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब मैं खड़ा हूं तो आप क्यों खड़ा होना और बोलना चाहते हो?

आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, विभिन्न तरीकों से बंगलादेशी लोगों को वापस जाने के लिए कहा जा सकता है लेकिन उन्हें नहीं, जो बंगाली भाषा बोलते हैं। माननीय मंत्रीजी ने इस मुद्दे को नोट कर लिया है और वह गृह मंत्री तक आपकी भावनाएं पहुंचा देंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: वह प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं कर रही हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बंगाली लोग अपनी अच्छी संस्कृति के लिए माने जाते हैं। आपको यह बात सभा में प्रदर्शित करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यहां तक मंत्री जी को भी बोलने नहीं देंगे?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, आपको याद होगा कि जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो मैं, अजीत पांजा और श्री अकबर अली खांदोकर आपसे इसी मुद्दे पर मिले थे। देश वापस भेजे जाने के नाम पर सभी बंगाली भाषी लोगों को शहर से हटा दिया गया था। स्वाभाविक रूप से उठाया गया मुद्दा काफी गम्भीर है, वे सभी लोग जो बंगाली बोलते हैं बंगलादेशी नहीं हैं। बंगलादेशी के नाम जांच-पड़ताल बहुत ही सुस्पष्ट, प्रभावी और सटीक होनी चाहिए। अन्यथा बंगाली भाषी लोगों को बंगलादेशी के रूप में दिखाया जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की यह ज्वलंत समस्या है। राज्य सरकार ने भी इसे महसूस किया है। आरम्भ से ही इस पूरे विचार का विरोध किया करता थी लेकिन अब इसने केन्द्र सरकार की अपील पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, श्री एल.के. आडवाणी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस पर आपस में चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल गरीब बंगलादेशियों के लिए स्वर्ग बन गया है। हमें इस पर सभी एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए और इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, लोग बंगलादेशी और बंगाली भाषी लोगों के बीच अन्तर नहीं कर पा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: आपको अवश्य याद होगा, महोदय, जब आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे कुछ बंगलादेशियों का पता लगाया गया और उन्हें महाराष्ट्र से रेलगाड़ी द्वारा पश्चिम बंगाल की सीमा की ओर भेज दिया गया। लेकिन भीड़ पंसकुरा स्टेशन में रेलगाड़ी में घुस गई, सुरक्षा पुलिस के साथ मारपीट की और उन्होंने उन बंगलादेशियों को छुड़ा लिया। श्री हन्नान मोल्लाह इसे अच्छी तरह जानते हैं और वह इसका उत्तर दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदय, क्या हमें बंगलादेशियों और बंगला भाषा बोलने वाले लोगों के मुद्दे को गोलमाल करना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। यदि मंत्री जी चाहती हैं तो उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। आप उनकी बात में खलल क्यों डाल रहे हैं?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता से अपने सांसद साथियों से कहना चाहूंगी कि जब वे मुझे कहें, तब मैं रैस्पांड करूंगी। वे लोग डायरेक्टली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रैस्पौंड नहीं कर रही है। जब वे लोग आपके माध्यम से कहते हैं और आप मुझे कहते हैं, तब मैं रैस्पौंड कर रही हूं। वैसे आपने स्वयं ही आदेश दिया है कि संबंधित मंत्री को बता देंगी। इसी संदर्भ में मैं भी यही कहूंगी कि आपके आदेशानुसार मैं माननीय गृह मंत्री जी, जो उप प्रधान मंत्री भी हैं, निश्चित रूप से सदस्यों की भावनाओं से उन्हें अवगत करा दूंगी।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त सभा और विद्युत मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि एम टी पी सी प्रबंधन और पश्चिम बंगाल के भू-राजस्व और भू-सुधार मंत्री के बीच इस आशय के करार पर हस्ताक्षर हुए थे कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के दुर्लभपुर क्षेत्र में भूमि खोने वाले 520 लोगों को तीन इकाइयां शुरू करने के बाद भर्ती कर लिया जाएगा। अब हुआ यह है कि तीन वर्ष पूर्व 210 मेगावाट क्षमता वाली तीन इकाइयां शुरू करने के बाद केवल 247 लोगों को काम पर लगाया गया है और प्रबंधन के समक्ष 273 मामले अभी भी लंबित हैं। पश्चिम बंगाल के भू-राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने एन टी पी सी प्रबंधन और चेयरमैन के साथ बैठक की और यह सुझाव दिया कि इन 273 लोगों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए ताकि उन भूमि खोने वाले लोगों को यह पता चले कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा।

उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भूमि खोने वाले 273 व्यक्तियों की तुरन्त भर्ती की जाए ताकि एम टी पी सी कार्यालय में भ्रष्टाचार पर रोक लगे।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रह रहे हैं और उनमें से कुछ को उनके नियोक्ता द्वारा काफी परेशानी और कष्ट में रखा जाता है। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उनके परेशानी और कष्ट में रहते हुए भी हमारे कुछ मिशन और दूतावास उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मेरे ध्यान में लाया गया है जिसे मैं इस सभा के ध्यान में लाने को बाध्य हूं।

महोदय, ओमान के मसीराह द्वीप में 19 भारतीयों को 20 महीने तक वेतन नहीं दिया गया। उनके पास न तो भोजन था और न ही रोजगार और न ही रहने के लिए स्थान। उनके पासपोर्टों और वीजाओं की अवधि भी समाप्त हो गई थी। उन्हें मस्कट स्थित भारतीय दूतावास से कोई सहायता या मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। वे हमारे दूतावास को इस बारे में लिख रहे हैं। ओमान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र 'द टाइम्स ऑफ

[श्री ई. अहमद]

ओमान' ने इस पर एक संपादकीय लिखा है जिसमें यह कहा गया है:

"मामला दायर करने के 13 महीने बाद, मसीराह द्वीप की एक फर्म के कर्मचारियों को न दिये गये वेतन का भुगतान किया जाना अभी बाकी है।"

महोदय, यह सब ओमान स्थित हमारे दूतावास के अनुदार और अकारुणिक दृष्टिकोण के कारण है। उनमें से एक श्री आयमीदकुट्टी, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हैं, ने अपनी तथा अपने सहयोगियों की दयनीय दशा के बारे में मुझे भी लिखा है उन्होंने भारी मुसीबत झेलकर, मसीराह द्वीप से मस्कट स्थित भारतीय दूतावास तक की यात्रा की और दूतावास में एक याचिका दाखिल की। उन्होंने दिसम्बर, 2001 में भी भारतीय दूतावास को एक पत्र लिखा था किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

अत: मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे विदेश मंत्री से इस मामले पर यथासंभव बात करें और जो कुछ संभव हो सके वह करें।

श्री ए. कृष्णा स्वामी (श्री पेरूम्बुदुर): महोदय, मैं सेना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

महोदय, सेना और सुरक्षाकर्मियों के लिए बुलेट प्रूफ जाकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोशाक है। पहले ओ सी एफ, आवड़ी ने देश में ही बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के नमूना परीक्षण में सभी मानदंडों को पूरा किया था। किंतु अमरीका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने से उसे अचानक इसका उत्पादन रोकना पड़ा। चूंकि अब अमरीका द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध उठा लिए गए हैं, बुलेट प्रूफ जाकेट बनाने में प्रयुक्त कावेलर फैब्रिक का आयात किया जा सकता है। इसके बावजूद इस मामले में न तो कोई प्रगति हुई है और न ही इन जाकेटों को देश में बनाने में कोई रुचि दिखाई गई है। ओ सी एफ, आवड़ी जो एक अत्यधिक सुरक्षा वाला रक्षा उत्पादन एकक है, हमारे देश का गौरव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार आयातित जाकेटों की तुलना में कम खर्चीली और अच्छी गुणवत्ता वाले जाकेटों के विनिर्माण हेतु आगे क्यों नहीं आ रही है? जब हमारे पास तकनीकी जानकारी है, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और मशीनरियां हैं तो हमारे रक्षा विभाग को अमरीकी निर्मित बुलेट प्रूफ जाकेटों पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है। यदि इन जाकेटों को भारत में बनाया जाता है तो इससे प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होगी।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रक्षा विभाग को ओ सी एफ, आवड़ी में बुलेट प्रूफ जाकेट का निर्माण करने का निदेश दे।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, केरल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए काफी बड़ी प्रतीक्षा सूची है। केरल सर्किल में 11 सैकेण्डरी स्विचिंग एरिया हैं। इन सभी सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया में लगभग 6 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। ओ वाई टी के लिए कुल प्रतीक्षा नम्बर-789, विशेष श्रेणी के लिए-75,375 और बॉन ओ वाई टी के लिए प्रतीक्षा नम्बर-5,00,000 है। यह स्थिति 31.1.2003 के अनुसार है। 1995 से सभी सैकेण्डरी स्विचिंग एरिया में इतनी बड़ी प्रतीक्षा सूची चल रही है। प्रयोक्ता बी एस एन एल से बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्हें समय पर टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलता है। बी एस एन एल प्रतीक्षा सूची को कम करने हेतु कोई पहल नहीं कर रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं केरल को अनिवासी भारतीयों का राज्य कहा जाता है। अत: प्रत्येक परिवार को अपने घर में एक टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता है। किन्तु बी एस एन एल ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार हेतु काफी कम राशि आवंटित की गई है। साथ ही, उपकरण और केबिल आबंटन भी पर्याप्त नहीं है। बी एस एन एल निदेशालय केरल दूरसंचार के विकास की उपेक्षा कर रहा है।

केरल में टेलीफोन कनेक्शनों की सबसे ज्यादा मांग है। प्रतिदिन हजारों आवेदक टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवेदन करते हैं। किंतु बी एस एन एल इस समस्या से निपटने हेतु पहले से कोई योजना नहीं बना रहा है।

अत:, मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से यह पुरजोर मांग करता हूं कि प्रतीक्षा सूची समाप्त करने और सभी आवेदकों को तुरन्त बुनियादी टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं। मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को यह सुझाव देता हूं कि वे केरल के सांसदों, केरल के संबंधित मंत्री और केरल या दिल्ली के बी एस एन एल अधिकारियों की शीघ्र ही एक बैठक बुलाएं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के कोणार डैम पर हाइडल पावर प्रोजैक्ट, पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव दामोदर वैली कारपोरेशन द्वारा एन.एच.पी.सी. को भेजा गया है। इस संबंध में हमने सी.एम.डी., एन.एच.पी.सी. से चर्चा भी की है। पुन: इस पर चर्चा करने के लिए सी.एम.डी., एन.एच.पी.सी. से बात करने के लिए मैं करीब दो माह से प्रयास कर रहा हूं, परंतु समय नहीं मिल पा रहा है।

यह मामला वर्षों से चल रहा है। कोणार डैम पर पनबिजली परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दामोदर वैली कारपोरेशन

मदद करना चाहती है। ताकि झारखंड में बिजली का उत्पादन एवं वितरण उपयुक्त मात्रा में हो। यह मामला हम मंत्री महोदय की जानकारी में भी लाये हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि कोणार डैम पर प्रस्तावित हाइडल पावर प्रोजेक्ट का काम शीघ्र कराने की कृपा करें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल जो राज्य बना है, उस राज्य के बनने के पहले वहां के लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड के नाम से राज्य का निर्माण किया जाए। उत्तरांचल का पूरा पार्ट बहुत बड़ी बैल्ट है। इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि वह लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस राज्य के नाम उत्तरांचल को बदलकर उत्तराखंड करने की कृपा करें। इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इसलिए उत्तरांचल राज्य के नाम को बदलकर उत्तराखंड किया जाए।

[अनुवाद]

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी (नालगोंडा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है। पिछले कुछ वर्षों से यह जिला भयंकर सूखे के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा है। स्थिति इतनी विकट है कि किसान बहुत मुश्किल में हैं। वे पानी के बिना अपनी फसल नहीं बो सके। यहां तक कि पेयजल भी बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने को अन्य सदस्यों से संबद्ध कर सकते हैं।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: महोदय, पशुओं के लिए भी पानी नहीं है। बहुत सारे पशु मर गए हैं। राज्य सरकार ने 'स्वजल धारा' योजना के अंतर्गत पेयजल हेतु ग्रामीणों के दस प्रतिशत योगदान वाली कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास भेजी थी।

महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह नालगोंडा की पेयजल परियोजना को स्वीकृति देने हेतु उचित कार्यवाही करे और 'स्वजलधारा' योजना के अंतर्गत शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन* हुए**]**

नियम 193 के अधीन चर्चा

अयोध्या मामला

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, श्री रामजीलाल सुमन और श्री नवल किशोर राय के नाम से अयोध्या मुद्दे को चर्चा हेतु स्वीकार किया गया है। चूंकि श्री रामजीलाल सुमन ने मुझसे यह अनुरोध किया है कि मैं श्री मुलायम सिंह यादव को उनकी ओर से बोलने की अनुमति दूं, मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी है। अब श्री मुलायम सिंह यादव चर्चा शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर सदन में बहस होने जा रही है, उस बहस की शुरूआत करने का आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अयोध्या प्रकरण पर संसद और संसद के बाहर 15 वर्षों से लगातार बहस चलती चली आ रही है और बहस ही नहीं, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनके हम स्वयं एवं हमारे अनेक साथी भुक्तभोगी हैं।

सभापति महोदय, अयोध्या विवाद ऐसे अवसर पर उठाया जाता है जब चुनावी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं। इस विषय को उठाकर सदैव राजनीतिक लाभ लिया जाता रहा है। इस वक्त देश के सामने अनेक गम्भीर संकट हैं। कई तरह के खतरे हैं, जिनमें आंतरिक एवं बाहरी खतरे भी शामिल हैं। देश की जनता में बहुत असंतोष है और हर वर्ग के लोग हर स्तर पर दुखी हैं। इस प्रकार से जब देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हों, और खतरे हों तब देश को एक रखकर उनका मुकाबला करना चाहिए और यह सवाल केवल हमारा, विपक्ष का या समाजवादी पार्टी का ही नहीं है बल्कि पूरे देश का सवाल है। ऐसे अवसर पर देश को एक रखने की आवश्यकता है। जब चुनौतियों का मुकाबला करना हो, तो देश को एक रखना चाहिए और सबको इस हेतु विश्वास में लेना चाहिए।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सभापति महोदय, वर्ष 1994 में तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए. एस. वर्मा ने एक फैसला दिया था जिसके अनुसार जल्दी ही इस मुद्दे को बन्द कर दिया जाना चाहिए, इसका फैसला बातचीत से करना चाहिए और यदि बातचीत से कोई समाधानकारक हल न निकले, तो फिर अदालत पर छोड़ देना चाहिए। चूंकि लोकतंत्र में न्यायालय के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस निर्णय पर अमल होना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि अयोध्या की पूरी जमीन विवादित है और उस पर जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम रूप से नहीं आ जाता है तब तक किसी भी पक्ष को कोई भी निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं है और न किसी प्रकार का निर्माण उस भूमि पर किया जा सकता है। इसलिए अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।

महोदय, ऐसे अवसर पर, जब अयोध्या विवाद को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी और जब देश अन्य अनेक प्रकार के संकटों से गुजर रहा हो चाहे वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हों या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सवाल हो तब ऐसी विषम स्थिति में अयोध्या विवाद को पुनः जागृत करने की कोई आवश्कता नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगढ़): मैं समझता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा इतनी महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करने पर कम से कम एक कैबिनेट मंत्री को सभा में उपस्थित होना चाहिए। मैं अन्य मंत्रियों की नेयनीयती पर सवाल नहीं उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): सभापति महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डा. सत्यनारायण जाटिया जी सदन में उपस्थित हैं।

सभापति महोदय: डा. जटिया जी आप फ्रंट सीट पर आ जाइए ताकि माननीय सदस्यों को दिखे कि आप हाउस में प्रैजेंट हैं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: वे बीच में बैठे हैं, आगे नहीं बैठे हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह मात्र औपचारिकता है, लेकिन फिर भी प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर को यहां सदन में होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये हमेशा बच कर रहना चाहते हैं और इस संबंध में हमारी राय और अधिक पक्की हो गई।

अपराह्न 2.36 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): महोदय, माननीय उपप्रधान मंत्री के पास कुछ विदेशी मेहमान आए हुए हैं। इसलिए वे आधे घंटे के भीतर आयेंगे। वे तीन बजे यहां होंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने नये कानून मंत्री कानून बनाने के लिए बना ही दिए हैं और मुझे पता है कि इन विवादों के लिए एक सीधा-साधे आदमी को हटा कर इन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। हमारी पक्की राय है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस विवाद हेतु सीधे इन आंदोलनों में साझेदारी नहीं करेगी। उसका कारण यह है कि अगर सीधे साम्प्रदायिक और हिन्दुत्व की भावनाओं को भड़का कर संघर्ष में आएंगे तो साम्प्रदायिक मुद्दों को उठाने वाले दलों को मान्यता मिलने की समस्या चुनाव आयोग के समक्ष खड़ी हो सकती है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हिन्दुत्व का नारा देकर और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का कर हिन्दुत्व के नाम पर वोट लेने की अपील पर चुनाव जीत गया था, न्यायालय ने इस प्रकार चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि के चुनाव को रद्द कर दिया था और एक दल के सुप्रीमो को वोर्ट देने का अधिकार तक छीन लिया था। अब केवल अदालत के भय और कानून दायरे के कारण सीधे भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आना चाहती क्योंकि भाजपा इस तरह के मुद्दों को प्रत्यक्ष अथवा चुनावी मुद्दे के रूप नहीं उठा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता निकाला है-तथाकथित गेरूआ वस्त्रधारियों को आगे कर भारतीय जनता पार्टी ने साधु प्रकोष्ठ खोल दिया है। आप इस बात को गंभीरता से सुनिए। ये कोई साधु संत नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का साधु प्रकोष्ठ है और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकोष्ठ ने गेरूआ वस्त्रधारियों को आगे करके, इन्हें मैदान में कर दिया है। अब वे आगे आए हैं और ये तब आगे आते हैं जब कोई चुनाव होता है। अभी गुजरात में जो कुछ हुआ है, वह अयोध्या की तरह ही हुआ है। चाहे रामसेवक के नाम पर किया गया हो। वहां जो कुछ हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, हत्याएं एवं आगजनी हुई है, इसके लिए पूरी तरह गुजरात सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने जो नारा दिया, उसके कारण ही गुजरात की सरकार दोबारा सिंहासन पर बैठ गई है। अभी हिमाचल में चुनाव हो रहे थे तथा अन्य कई सूबों में भी 26 तारीख को चुनाव हुए। उन चुनावों को लेकर

फिर शुरुआत की गई और इससे पहले उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो अयोध्या में कुम्भ महापर्व के अवसर पर भी यही भारतीय जनता पार्टी का साधू प्रकोष्ठ था, जिसने कहा कि हम राम की सौगंध खाते हैं कि मंदिर वहीं बनायेंगे, के उदघोष के साथ संकल्प लिया गया और यह केवल चुनाव की दृष्टि से किया गया।

महोदय, यह सरकार हर स्तर और मोर्चे पर विफल रही है। सरकार गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति के मामलों में पूरी तरह विफल रही है, पड़ोसी देशों से बढ़ती हुई कटुता, 2004 में लोक सभा के चुनाव होने वाले हैं, ये सारे मुद्दे आगे आने वाले चुनाव में कहीं राजनीतिक मुद्दे न बन जाएं, इसलिए अब साधु प्रकोष्ठ को आगे करके, उन्हें बढ़ावा देकर, आपने उच्च न्यायालय में एक आवश्यक विवाद खड़ा कर दिया। जमीन न्यास को देना चाहते हैं और विश्व हिन्दू परिषद के नाम से देना चाहते हैं। शायद बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि जो देशभक्त धर्मदास संत हैं, उन्होंने मुकदमा दायर किया है जिससे यह न्यास विवादित हो गया है। उन्होंने कहा कि इस न्यास में सिंघल नाम का व्यक्ति कहां से आ गया। यह मामला अदालत में है कि कोई तथाकथित सिंघल इसमें है या नहीं है। उनका अदालत में यह आरोप है। समाचार-पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि विश्व हिन्दू परिषद के पास अरबों रुपया कहां से आया, क्या विदेशों से आया? यह बताना चाहिए। यह हम नहीं कह रहे, धर्मदास जी जैसे देशभक्त सन्त ने यह आरोप लगाया है। इस रुपये को बर्बाद किया जा रहा है। शौकीनी पर खर्च किया जा रहा है। जब भी साधू प्रकोष्ठ का कोई सम्मेलन होता है तो सरकारी खर्चे पर होता है। अभी यहां पर सम्मेलन हुआ था तो सरकारी खर्चे पर हुआ था।

न्यास के जो जबरदस्ती सदस्य बने हैं, वे आजकल सब कुछ बोल रहे हैं। आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि जापान की एक राडार कम्पनी है, उसने अन्वेषणकर कह दिया कि यहां मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हमें तब आश्चर्य हुआ, जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी गये और उन्होंने सिंघल जी की भाषा को वहां दोहरा दिया। वे आजकल सिंघल से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जो सिंघल साहब बोले, वही प्रधानमंत्री जी हिमाचल में जाकर सभा में बोले। उन्होंने कहा कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उपाध्यक्ष जी, कितना गम्भीर मामला है। छ: मार्च को उच्चतम न्यायालय में फैसला होने वाला हो, उस समय प्रधानमंत्री का इस प्रकार का बयान आया। प्रधानमंत्री के कन्धों पर लोकतंत्र के सबसे उच्च पद पर बैठकर संविधान की रक्षा करने का दायित्व है। पूरे हिन्दुस्तान में यदि लोगों की भावनाओं की रक्षा का भार प्रधानमंत्री के कन्धों पर हो, वह प्रधानमंत्री ऐसे अवसरों पर जाकर कहे, जबकि उच्चतम न्यायालय में छ: मार्च को फैसला होने वाला हो तो क्या यह न्यायपालिका को प्रभावित करने वाला बयान नहीं है? जो न्यायालय निर्भीक और निष्पक्ष निर्णय देने में विख्यात है, उस समय देश के समक्ष प्रधानमंत्री का बयान न्यायालय को सरासर प्रभावित करने वाला है। प्रधानमंत्री अपना निर्णय स्वत: सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान देकर अपने पद की गरिमा गिराई है।

हालांकि पद की गरिमा तो कई जगह जाकर वे गिराते चले जा रहे हैं। गुजरात में आपने देखा। यह परम्परा है कि कोई भी मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद अपना सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री के घर आता है, प्रधानमंत्री से मिलता है। लेकिन ये हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो एक मुख्यमंत्री के लिए अपने पद की मर्यादा तोड़कर सम्मान प्रकट करने गये। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अटल जी जैसे प्रधानमंत्री, मर्यादा की बात करने वाले और मर्यादा का पालन करने वाले, हम लोगों को भी उपदेश देने वाले, अब भी कहते हैं कि हमने सवाल को रोक दिया है। हम लोग देश के महत्वपूर्ण सवालों को उठाते हैं तो वे हमें उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं तो हम उनकी उम्र को देखते हुए बहुत सी बातें कह नहीं पाते हैं। उनकी उम्र का लिहाज तो करना ही पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए लिहाज तो करना ही पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के और साधू प्रकोष्ठ के प्रधानमंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूं? वे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री को देश की बात करनी चाहिए, लेकिन आज वे खुद क्या कहते हैं, यह सबके समक्ष है।

हम यह कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर हैं, एक श्री एस.पी. श्रीवास्तव हैं और दूसरे श्री बी.एन. मंडल हैं, दोनों को पुरातत्वविद माना जाता है। उनके ग्रन्थ को आप देख लें। उन्होंने लिखा है कि यहां पर कभी भी कहीं कोई मंदिर का नामोनिशान नहीं था। क्या आपने उसे पढ़ा है, क्या आप उनके खिलाफ कुछ कहेंगे, क्या उस ग्रन्थ की सदन में चर्चा करेंगे? वे दोनों इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में जोशी जी के साथी रहे हैं। उन्हीं लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वहां कहीं भी मंदिर नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसा सिंघल जी कहते हैं, उनका समर्थन करते हुए जब सभा में कहते हैं तो न्यायालय का औचित्य क्या है? जब सरकार न्यास को जमीन दे देगी तो उच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है, उसके निर्णय का क्या होगा? व्यावहारिक रूप से मेरा देखा हुआ है, यदि मुस्लिम मस्जिद जीत भी जायें तो प्रवेश कैसे और कहां से कर सकेंगे? वह जमीन किसको दे रहे हैं, जो न्यास में भी नहीं है।

दिनांक 22, 23 और 24 फरवरी को धर्म संसद की बैठक हुई। उसमें उन्हें इसके बारे में कोई जन समर्थन नहीं मिला इसलिए वापिस लौट गये। यह कौन है, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से माफी मांगी है? वे कहते हैं कि 24 मार्च तक आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कितनी बार आत्महत्या करने का ऐलान किया लेकिन कभी भी आत्महत्या नहीं की। पता नहीं उन्होंने आत्महत्या क्यों

[श्री मुलायम सिंह यादव]

नहीं की? मेरा कहना है कि वे लोग ही आत्महत्या करते हैं जो कायर होते हैं। ये लोग कितनी बार आत्महत्या करेंगे? जब देखो तब कह देते हैं कि मैं आत्महत्या करूंगा। अब फिर 24 फरवरी तक उन्होंने आत्महत्या करने के लिए कहा है। आज साधु प्रकोष्ठ जो बार-बार कह रहा है, उसके बारे में हिन्दुस्तान के पत्रकार और नेता आदि सभी लोग कहते हैं कि भाजपा साधु प्रकोष्ठ के माध्यम से राजनीति कर रही है। देश की एकता का बिखराव किया जा रहा है। यहां मंदिर-मस्जिद का विवाद चल रहा है कि हम वहीं मंदिर मस्जिद बनायेंगे जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम देश बनायेंगे। अगर देश बनेगा तो मंदिर-मस्जिद आदि सब कुछ बनेगा। यदि देश की एकता खत्म हो गई तो न मंदिर बनेगा और न मस्जिद बनेगी। यह प्रश्न आज देश के सामने है।

आज गेरूआ वस्त्र धारण करने वाले लोग देश में जिस तरह का बयान दे रहे हैं और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मेरा कहना है कि उन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाये, कड़ी कार्रवाई की जाये और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाये। यह हमारी मांग है, क्योंकि ये देश की एकता के तोड़क हैं। देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये देश की एकता को तोड़ रहे हैं। जब हम देश को एक बनाये रखने वाले लोग कह रहे हैं कि देश को एक बनाये रखना है, मंदिर मस्जिद सब बन जायेंगे लेकिन ये ऐसा किसी तरह से नहीं होने देना चाहते।

गुजरात में जो नंगा तांडव हुआ, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे कुछ साथी यहां बैठे हुए हैं। वे हमारा छोटे भाई की तरह आदर करते हैं। वे कहते हैं कि वहां श्री नरेन्द्र मोदी ने अभी थोड़ी ही मूंछ घुमाई है, हम पूरी मूंछ घुमा देंगे। मेरा कहना है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी केवल एक सूबे में आग लगाई गई ऐसी आग पूरे देश में लगा देंगे। मेरे साथी हैं, वह छोटे भाई की तरह है वह पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* मैने नाम नहीं लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद): हनुमान जी की पूंछ में आग किसने लगाई? उसे रावण के लोगों ने लगाई, इसी कारण लंका जल गई।...*(व्यवधान)* आप इशारा कर रहे थे इसलिए कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप हनुमान को ज्यादा मानते हैं? क्या आप हनुमान चालिसा पढ़कर आये हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: आप उन्हें मानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम हनुमान चालीसा पढ़कर आये हैं और रोज पढ़ते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: आप मानते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम किसी को नहीं मानते। केवल हनुमान जी को मानते हैं। मेरे पलंग के बगल में हनुमान की तस्वीर है। ...*(व्यवधान)* हमें 1966 के दिन याद हैं, जब कहा जाता था कि देश धर्म का नाता है, गऊ हमारी माता है जबकि इनके घर में गाय की पूंछ भी नहीं है। आपके पास कितनी गाय हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: हमारे पास चार गाय हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: श्री आडवाणी जी के पास कितनी गाय हैं?

श्री विनय कटियार: उनके पास उतनी ही गाय हैं जितनी आपके पास हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारे पास 14 गाय हैं। ...*(व्यवधान)* जितनी आप सबके पास हैं, उतनी मेरे पास अकेले हैं। ...*(व्यवधान)* अच्छी बात है।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: सब सांसदों को दूध भिजवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारे पास से कुछ चली गयी, वही उनके पास हैं।...*(व्यवधान)* श्री प्रभुनाथ सिंह जी के पास हैं। वे हमारा साथ छोड़कर चले गये हैं ...*(व्यवधान)* जो हमारा साथ छोड़कर चले गये उन्हीं के पास गायें हैं ...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका को हम मानते हैं हमें उस पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी कोर्ट में जो कुछ लिखकर दें, न्यायपालिका हमेशा निर्भीक और निष्पक्षता से अपना निर्णय देने के लिए विख्यात चल रही है। वह इन सब चीजों को समझती है। हम जानते हैं कि जस्टिस जे. एस. वर्मा ने कहा कि मैं राष्ट्रहित में अपनी जुबान खोल रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे निर्णय की व्याख्या जो तरह-तरह से गलत तरीके से की जा रही है, वह गलत है इसीलिए हमें बोलना पड़ रहा है। ये न्यायालय को मानने वाले नहीं हैं। इनका साधु प्रकोष्ठ कहता है कि न्यायालय निर्णय दे या न दे हम बहुमत के बल पर वहां मंदिर बनायेंगे। मार-पीटकर हत्या करके, आग लगाकर हम गुजरात को पूरे देश में दोहरायेंगे।

गुजरात को जब दोहराएंगे तो पहले दिन ही आपको पता चलेगा कि गुजरात कैसा बनाया। ...*(व्यवधान)* मैंने भी राजग का राष्ट्रीय एजेंडा देखा है। इसमें अयोध्या विवाद से दूर रहने की कोशिश है। एनडीए के एजेंडा में किसी भी पेज पर, किसी भी लाइन पर मन्दिर मस्जिद का विवाद का उल्लेख नहीं है। फिर भी अयोध्या की गैर-विवादित राम जन्मभूमि न्यास को सुपुर्द करने की अर्जी लेकर केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चली गई ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रवोक मत कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: जो पिछलग्गू दल हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह सबसे अक्षम्य राष्ट्रीय अपराधी सरकार है। उस सरकार के पिछलग्गू बने हुए हैं। सहयोगी दलों के कंधों पर सवार होकर यह सरकार चल रही है और मुझे अफसोस होता है कि हमारे कुछ पुराने साथी भी इसमें शामिल हैं। वे अपने कंधों पर इस सरकार को चला रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज, बिहार): हम लोग तो आपके पिछलग्गू हैं लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हम लोग क्या करें? ...*(व्यवधान)* कुछ करिए ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह सही है। प्रभुनाथ जी के बारे में इनकी धारणा जो कुछ बनी रहे लेकिन इस मामले में वह सही हैं। वह हमारे साथी हैं।...*(व्यवधान)* पिछलग्गू तो और लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या प्रभुनाथ सिंह भी आपके साथ पहले थे?

श्री रघुनाथ झा: हम लोग सब साथ के हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम लोग एक ही कुटिया से निकले हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: प्रभुनाथ सिंह एवं रघुनाथ झा जी आपकी दशा वैसी होगी जैसे हिमाचल के पंडित सुखराम की हुई कि पांच साल सरकार चलाई और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लात मारकर अलग कर दिया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: हम भी आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग एजेंडा से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग उस एजेंडा पर कायम हैं।...*(व्यवधान)* उसके खिलाफ कुछ बात होगी तो हम कभी साथ नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: बहुत अच्छी बात है लेकिन पूछिए कि 1994 के न्यायालय के फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय क्यों गए? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि अध्यक्ष महोदय इस बात को नहीं मानते हैं तो इस प्रकार के व्यवधान कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: प्रभुनाथ सिंह, एवं रघुनाथ झा जी के जो संस्कार हैं, वे नहीं जा सकते। हम भी मौके की तलाश में हैं। जहां तक यह कहा गया कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो समाजवादी साथी भटक गये वे पुनः वापस आ जायें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हम कहना चाहते हैं कि क्या यह सवाल उठा सकते हो? क्योंकि इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गयी कि न्यास को जमीन दे दी जाये। क्या यह भी कह सकते हो कि 1992 में जिन अदालतों में मस्जिद के गिराने वाले दोषी हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है तो क्या न्यायालय में जाओगे कि इनका भी फैसला जल्दी कर दो? अगर जरा भी गैरत है तो इसको भी कहना चाहिए कि जो लोग मस्जिद गिराने के दोषी हैं, उनके खिलाफ जो न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, उस मुकदमे के भी शीघ्र निस्तारण की फरियाद यह सरकार क्या न्यायालय से करेगी? क्या आप दो मुंह से बात करोगे? दो जीभों की बात करने वाले लोग बड़े खतरनाक और जहरीले होते हैं। यह दो जीभ वाला कौन होता है? प्रधान मंत्री जी और पूरा मंत्री मंडल राष्ट्रपति जी से कहलवाए कि यह मामला बातचीत से नहीं, अदालत से तय हो और आप उच्चतम न्यायालय में चले जाएं, आप उच्चतम न्यायालय में क्यों गए? आप इस मामले में क्यों नहीं जाते हो कि जो लोग मस्जिद गिराने के दोषी हैं, जो चार्जशीटेड हैं, उनके खिलाफ भी जल्दी से फैसला होना चाहिए।

यह भी आपको करना चाहिए। ये दो जीभ से बात क्यों करते हैं, क्योंकि दो जीभ वाला तो सांप होता है, और वह अगर काट ले तो बड़ा जहरीला होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय नहीं लूंगा। मैं चन्द्रशेखर जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भी इस पर बोलें, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, तटस्थ रहेंगे तो यह भी सही बात नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कहा है, वह आपको भी याद होगा। मैं उन पंक्तियों को यहां नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि मैं आपका आदर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

करता हूं। आपको खुलकर अपने विचार रखने चाहिए, तटस्थ नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को या इधर या उधर रहना चाहिए। ये गठबंधन सरकार के लोग तो देश को बर्बाद करने वाले, देश का बिखराव करने वाले हैं, जबकि हम लोग देश को जोड़ने वाले हैं, और देश को एक रखना चाहते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि जो देश के अंदर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। इनके कारनामों के कारण जितना नुकसान हिन्दुओं को उठाना पड़ा है, उतना और किसी को नहीं उठाना पड़ा है। ये सही अर्थों में हिन्दुओं के हमदर्द नहीं हैं। इनके कारनामों की वजह से ही आज हिन्दुओं को अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा करने में परेशानी हो रही है, मुश्किल हो रही है। वहां कितने हिन्दुओं की हत्या हुई, कितने हिन्दू परेशान हैं, केवल गठबंधन सरकार कारनामों से ही यह हुआ है। आज दुनिया में अकेला हिन्दू बाहुल्य राष्ट्र भारत बचा है, वहां भी देश की एकता टूट गई तो इस देश को दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा, हिन्दुओं को कोई पूछने वाला नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* हम गम्भीरता से कह रहे हैं और आप हंस रहे हैं। हम असली हिन्दू हैं और आप नकली हिन्दू हैं। ...*(व्यवधान)* हम कह रहे हैं कि आप अकेले होते जा रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है। नेपाल जो हिन्दू राष्ट्र है, वह भी आपके साथ नहीं है, उसको भी आप ठीक से साथ नहीं रख पाए। यहां पर भी आपका साथ देने वाले, नहीं हैं। आप हमें चुनौती देते हैं कि समाजवादी, वामपंथियों के खिलाफ महाभारत करेंगे। क्या इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अगर एक भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता पर हाथ उठा दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको पता चल जाएगा। समाजवादी बड़ा जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। आचार्य नरेन्द्र, डा. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी जैसे समाजवादी हमारे पुरखे हैं। आप लोग माफी मांगने वाले हैं। आप हमसे क्या महाभारत करेंगे। आप गृह मंत्रालय से सूची मगांइये तो पता चल जाएगा कि इमर्जैंसी के अंदर किन लोगों ने माफी मांगी थी। हम न झुकेंगे, न डरेंगे और न टूटेंगे। आप हम लोगों से महाभारत की बात करते हैं, हमें चुनौती देते हैं। हम किसी को चुनौती नहीं देते, अगर कोई हमें चुनौती देता है तो वह हमें स्वीकार है। हमें साधु प्रकोष्ठ की चुनौती स्वीकार है। हम राजनीतिक विचारधारा से लड़ना चाहते हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर भाजपा चुनौती देती है तो हम उसे स्वीकारने को तैयार हैं, जिस तरह से भी लड़ना चाहो लड़ लें। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। आप कहते हैं समाजवादी और वामपंथी, आपने एक को छोड़ दिया। हम पर आरोप लगाते हैं। कहां गए रघुनाथ झा जी, उनको पता होना चाहिए कि इन्होंने समाजवादियों को, वामपंथियों को और मुसलमानों को चुनौती दी है।

श्री रघुनाथ झा: पहले समाजवादी तो एक हो जाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव: इन्होंने कांग्रेस को चुनौती नहीं दी। हम लोगों को चुनौती देते हैं, लेकिन याद रखिए, गांव के लोग कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी आप उनको प्रवोक करते हैं तो यहां गड़बड़ होती है।

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने मंदिर मुद्दे का बातचीत से हल निकालने की बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से कहलाई है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी बताएं कि पांच साल सरकार चल गई। इस अवधि में सभी पक्षों को एक साथ बैठाकर हल करने की कोई सरकारी पहल की गई? आप क्यों देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हिन्दुओं के पुरखों ने विश्व हिन्दु परिषद को वाटरमार्क पेपर पर हिन्दुत्व का पट्टा, वारिसनामा कर दिया है कि आप ही इस देश के और हिन्दुओं के मालिक हैं? लेकिन हिन्दुत्व का मतलब है आपस में मेलजोल की सभ्यता को कायम रखना। हम सनातनी हिन्दू हैं। सनातनी धर्म का मतलब है आपस में मेलजोल की सभ्यता, संस्कृति और सबको साथ लेकर चलना तथा सभी धर्मों की आदर करना। इसी बात को लेकर यह देश महान बना है और आप इसके टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। आप बहुमत के लोगों की भावनाओं को भड़काकर देश को एक नहीं रखना चाहते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

जब आप देश को एक नहीं रख सकते तो गरीबी, बेरोजगारी और मेहनतकश लोगों की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। आज हमारे देश के जवान हमारी ही जमीन पर शहीद हो रहे हैं। इससे ज्यादा राष्ट्रीय शर्म की बात और क्या हो सकती है। इससे ज्यादा राष्ट्र के लिए अपराधी सरकार और कौन सी हो सकती है? तीन बार दुश्मनों को खदेड़ने वाले हमारे बहादुर जवान अपनी ही जमीन पर शहीद हो रहे हैं। आज देश को एक रखने का सवाल है। माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है तो वे बताएं कि कहां-कहां बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई। पूरा देश जानना चाहता है। हम जो कहेंगे उसे तो ये मानेंगे नहीं। हमारे पूर्वजों ने विश्व-हिन्दू परिषद् के नाम कोई वसीयतनामा नहीं लिख दिया है, जो ये ही हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। संसद ने पास किया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद पूजा-स्थलों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा नहीं कर सकता। जिन धर्म स्थलों की जो स्थिति थी, उसकी यथास्थिति बनाये रखना केन्द्रीय सरकार का दायित्व होगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। विश्व-हिन्दू परिषद के लोग तो 3 हजार मस्जिदों पर कब्जा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गेरूआ वस्त्रधारी साधु प्रकोष्ठ खोला हुआ है। जैसे हमारे यहां

समाजवादी युवा संगठन है उसी प्रकार का उनका यह प्रकोष्ठ है। बजरंग दल वाले हमारे भाई मानेंगे नहीं। ये राजनैतिक लाभ उठाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इन्हें देश की चिंता नहीं है, देश को एक रखने की चिंता नहीं है। आज देश पर आतंकवादियों से खतरा है। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी हम दहशत के माहौल में मनाते हैं। संसद में भी ऐसी सिक्योरिटी लगी हुई है जैसे हम संसद से जिंदा भी जायेंगे या नहीं जायेंगे। एक बार तो हम बच चुके हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): कम से कम माननीय मुलायम सिंह जी ने यह तो माना कि यह हिन्दू राष्ट्र है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह हिंदू राष्ट्र नहीं है बल्कि हिंदू बहुमत वाला देश है। मेरा कहना है कि आज आप विश्व में अकेले पड़ गये हैं। आप ऐसे कारनामें करोगे तो दुनिया में आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह मैं आपको अपनी सच्ची राय एवं चेतावनी दे रहा हूं। आप जितना मुसलमानों, सिखों या ईसाईयों का नुकसान कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। हिंदुओं का अपमान और हत्याएं कहीं ज्यादा हो रही हैं। हिन्दु लोग अमरनाथ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप हिंदू विरोधी हैं। आप लोग झगड़ालू हैं। अयोध्या के विवाद में लोगों को ले जाकर जो मुख्य मुद्दे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा के हैं उनसे आप लोगों का ध्यान बंटाना चाहते हैं ताकि वे चुनावी बहस के मुद्दे न बन जायें। इसलिए आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे लिए देश की एकता और सार्वभौमिकता बड़ी है, सर्वोपरि है। हम देश को एक रखना चाहते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम तो राजनैतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी को भी दुश्मन नहीं मानते हैं। ठीक है हमने देश की एकता और अखंडता के लिए कठोर कार्रवाई की। माननीय शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करवाना पड़ा। हमारे भाई विनय कटियार इस बात को नहीं भूलेंगे, बहन उमा भारती भी परेशान हुई होंगी कि मैंने उनको गिरफ्तार कराया। लेकिन हमने देश की एकता और अखंडता की खातिर न चाहते हुए यह सब किया था। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए यह सब नहीं किया था। हम जानते हैं कि इसके कारण माननीय चन्द्रशेखर जी की सरकार को हटना पड़ा, हमें भी हटना पड़ा। लेकिन देश हित में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए कार्यवाही करने में संकोच नहीं किया।

कांग्रेस की कृपा न होती, तो चन्द्रशेखर जी नहीं हटते और हमारी भी सरकार नहीं बनने दी। यह सही है कि ये सफल रहे हैं, हम साथ देते रहेंगे, क्योंकि हम वचन के पक्के हैं। ...*(व्यवधान)* चुनाव के बाद प्रदान मंत्री कौन बनेगा हम तय कर लेंगे। परन्तु इस गठबंधन को तो सरकार से हटना पड़ेगा। किसी को तो बनना है और बना भी इन्हीं लोगों में से और इधर से ही बनना है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2004 का चुनाव निकट है। आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए, ये वाल उठाये जा रहे हैं। हम देश को ढांढस बंधाना चाहते हैं। और इस सरकार की कोशिश है कि हिन्दू-मुस्लिम व सामप्रदायिक तनाव के कारण देश के असली मुद्दे न उठने पायें। यही हमारी आपसे अपील है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हम इस बात को कई बार कह चुके हैं। ...*(व्यवधान)* अन्य माननीय सदस्यों को मौका देंगे। आप हमारी बात मानें, तो हम सदन का समय नहीं लें। आप हमारी बात नहीं मानेंगे। हम कहना चाहते हैं कि इन संगठनों पर कड़ाई से कार्यवाही करें और प्रतिबंध लगायें। इन पर मुकदमा चलायें और देश को एक रखने के लिए इनको बन्द करें। अगर आप इनको जमीन दते हैं, तो यह निश्चित ही आतंकवाद का तुष्टीकरण होगा। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम हिन्दू, मुसलमान और सिख, सभी के साथ हैं और हम अन्याय के साथ हैं। सत्य का हम साथ देते हैं। उत्तर प्रदेश जो हमारे विरोधी हैं और उनके ही बल पर आपने साढ़े पांच साल सरकार चलाई है। हम जानते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी अन्याय के विरोध में उनके साथ है। हम पोटा कानून के विरोध में हैं। हम पोटा हटाने के पक्ष में हैं और सिद्धांन्ततः पोटा कानून के खिलाफ हैं। हम लोग अगर सत्ता में आये, तो पोटा कानून किसी पर नहीं लगेगा। गलती करेंगे, तो आईपीसी और सीआरपीसी कानून दुनिया के मुकाबले हमारे देश में काफी सख्त हैं और उनके माध्यम से पूरी सजा दी जा सकती है, लेकिन इस कायर सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह संविधान की रक्षा करे। इससे यह उम्मीद नहीं है कि हमारे देश की भावनाओं का आदर करें। हम चाहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करिए और इस सदन व इस देश की भावनाओं का आदर कीजिए। इस देश की भावनाओं का आदर करते हुए आपका दायित्व है कि न्यास को जमीन दिलाने की जो बात कही है, तथा न्यायालय से अनुरोध किया है उसको वापिस लें और देश को एक रखें। देश को एक रखकर शक्तिशाली बनायें। सरकार तुष्टीकरण की अपनी नीति को नमस्कार करे और देश रक्षा के संकल्प को पूरा करने में संसद की भावनाओं का आदर करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अत्यन्त संवेदनशील मुद्दे पर सदन में चर्चा करने का अवसर मुझे दिया। मैं श्री मुलायम जी का भी आभारी हूं जिन्होंने विषय पर तो कम, विषय से हटकर पर्याप्त चर्चा की है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं विषय से बिलकुल भी बाहर नहीं जाऊंगा और अयोध्या के संबंध में ही चर्चा करना चाहूंगा।

महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह जी से सहमत हूं कि 15 साल से लगातार यह मामला सदन में उठ रहा है। संसद का शायद ही कोई ऐसा सत्र होगा, जिस सत्र में अयोध्या की चर्चा सन् 1991

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]
के बाद से न हुई हो। मैं 1991 से इस लोक सभा का लगातार सदस्य रहा हूं बीच के कुछ अंतर को छोड़कर और संभवतः कोई ऐसा सत्र नहीं गया है, जब इस चर्चा न हुई हो।

लेकिन लगता है कि चर्चा ही होती रहेगी। इस चर्चा का अंत कहां होगा, इस चर्चा का विश्राम कहां होगा, कहना मुश्किल है कि क्योंकि जब तक इस मसले को हल करने लिए सम्प्रभुता सम्पन्न संसद स्वयं विचार नहीं करेगी क्योंकि यह देश का सर्वोच्च सदन है सर्वशक्तिमान सदन है, यही के बनाए कानूनों पर न्यायालयों में चर्चा और बहस होती है तब तक कोई हल नहीं निकलना कठिन है। एक दिन किसी चर्चा के दौरान माननीय दासमुंशी जी ने कहा था कि हम संसद के कॉलैक्टिव विजडम सामूहिक विवेक का उपयोग अयोध्या जैसे मसले को हल करने के लिए नहीं कर पाए। मैं बड़े दुखी मन के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी की चिंता हम सब की चिंता है। राष्ट्र बिखर जाएगा, देश और बिखर जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और समाज बिखर जाएगा परिवार और समाज बिखर जाएगा यह कोई नहीं चाहेगा क्योंकि बिखरे हुए देश में जीना मुश्किल होगा जातीय बिखराव हमारे सामने चुनौती पैदा करता है। मुलायम सिंह जी ठीक समझते हैं कि जातियां किस प्रकार आपस में लड़ रही हैं उन्हें लड़ाने वाले कौन हैं, जातीय विद्वेष की आग में देश को धक्का देने वाले कौन लोग हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है? सभी आदरणीय नेता जानते हैं। स्वाधीनता आंदोलन से पहले देश में जातीयता जैसे कोई चीज नहीं थी जातियां थी। वे आज से नहीं, अनेक वर्षों से हैं लेकिन जातीयता नहीं थी और जाति समाज को बांटने नहीं जोड़ने के लिए थी।

मैं खेतिहर परिवार में पैदा हुआ हूं। दूर-दूर तक खेतों में पहुंचने के लिए मेढ़ बनाए जाते हैं। जमीन को बांटने के लिए मेढ़ नहीं बनाए जाते हैं। इसी तरह समाज में जो जातियां हैं, वे आपस में जोड़ने के लिए हैं लेकिन जातियों में जहर पैदा किया गया। किसके लिए पैदा किया गया मैं नहीं जानता लेकिन उस जहर में देश जल रहा है। जिस साम्प्रदायिकता की बात कही जाती है, मैं समझता हूं कि जातीयता के जहर को अगर हम कम करने की कोशिश करें तो साम्प्रदायिकता अपने आप सिमट जाएगी। कहा गया कि अयोध्या के मसले में राजनीति की जा रही है। यह बात सच है। 15 अगस्त 26 जनवरी और दूसरे राष्ट्रीय दिवस में उतने उत्तेजित नहीं होते, जितने हर वर्ष 6 दिसंबर को होते हैं। यह संसद का कर्मकांड बन गया और हम इस पर लगातार चर्चा करवाते हैं। जब भी विंटर सैशन होता है तो ऐसा होता है। दूसरे मौके हम कभी-कभी चूक जाते हैं। लेकिन अयोध्या को हर मौके पर चर्चा की जाती है। 193 में ही नहीं नियम 184 में भी एक बार चर्चा हो चुकी है।...*(व्यवधान)* कृपया मंत्री शान्त रहें।

उपाध्यक्ष महोदयः आप इसमें मेरी मदद कर रहे हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामीः मैं अनुरोध कर रहा हूं। नियम 184 के अंतर्गत भी इस वर्ष पर चर्चा हो चुकी है और मत विभाजन भी हो चुका है। उस संबंध में लोक सभा ने अपना बहुमत भी दिया है हमें याद होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है। इसे लेकर नियम 184 में चर्चा हुई थी और मत विभाजन हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का लोक सभा ने बहुमत से समर्थन किया था।

एक बात श्री नरसिंह राव जी ने भी कही थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा था कि यदि यह मामला राजनीति से अलग हो जाए तो मसला हल हो सकता है। मैं भी इस बात को समझता हूं कि यह राजनीति से अलग हो जाए क्योंकि शुरू से ही इसमें राजनीति हुई है। 1949 से नहीं, मैं बहुत पीछे जाता हूं। मुकदमों का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहला मुकदमा महन्त रघुवर दास ने 1885 में किया था। उस समय मजिस्ट्रेट ने कहा था कि यह सच है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायी गई थी लेकिन बात बहुत पुरानी हो चुकी है इसलिए इस पर कोई फैसला देना बहुत मुश्किल है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सन् 1885 की बात है। उसी साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जितनी कांग्रेस पुरानी है, उतना ही यह मसला पुराना है। सन् 1934 में एक दंगा हुआ था जिसमें यह ढांचा टूटा था। अंग्रेज सरकार ने उसकी मरम्मत कराकर उसे ठीक करवा दिया लेकिन उसके बाद से वहां आज तक नमाज़ अदा नहीं की गई। उसके पहले वहां नमाज़ पढ़ी जाती थी। यह भी कहना मुश्किल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 24 सितंबर 1991 को इसी सदन में था कि अगर कोई कुराने पाक की कसम खाकर यह कहे कि मैंने वहां नमाज़ पढ़ी है तो उस विषय पर हम पुनर्विचार करने के लिये तैयार हैं और उन्हें यह ढांचा दिया भी जा सकता है। उस समय सैयद शाहाबुद्दीन, सांसद खड़े हो गये और कहने लगे कि दो प्रकार की मस्जिदें होती हैं- एक वह जहां नमाज़ पढ़ी जाती हैं-और दूसरी वह जहां नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है। हमारे एक मित्र कहते हैं कि वह मस्जिद नहीं है, महज़ एक जिद्द है, उस जिद को ठीक से पहचान रहे हैं। वहीं जिद्द है जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ देश के टुकड़े हुये। इस सब के पीछे एक ही जिद्द थी अन्यथा मुसलमान जितने इस देश में सुरक्षित रहते हैं, उतना दुनिया के किसी मुल्क में सुरक्षित नहीं हैं। मैं श्री मुलायम सिंह जी की इस बात से सहमत नहीं हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: मैं आपसे सहयोग कर रहा हूं आप मुझे सहयोग कीजिए।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, सभा को पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है, वर्ष 1885 के मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वहां मस्जिद के भी साक्ष्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, जब आपको मौका मिलेगा तब बोलेंगे और अपना विचार रखेंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला: लेकिन सच्चाई के प्रति आदर तो होना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, वह नहीं मान रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि जितना माननीय मुलायम सिंह जी यादव को समय मिला, उनकी डिस्टरबैंस में से माइनस करके मुझे भी पूरा समय दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: सच्चाई के प्रति कोई आदर नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, जब आपको मौका मिलेगा तब आप अपने विचार रखेंगे। अब वह नहीं मान रहे हैं। मैं आपको मौका कैसे दे सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष जी, श्री बनातवाला साहब मेरे बुजुर्ग हैं। मैं इनका लिहाज करता हूं और इनका सम्मान करता हूं। उपाध्यक्ष जी, मुझे इतना वक्त दिया जाये कि मैं अपनी बात कह सकूं, उसके बाद मैं इनकी पूरी बात सुनूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी.एम. बनातवाला: लेकिन आप सच्चाई कहियेगा।

جناب جی.ایم. بنات والا (پونّانی): لیکن آپ سچائی کہیے۔

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: यदि मैं सत्य नहीं कह रहा हूं तो आपको मुझे बेनकाब करने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: बनातवाल जी, मैंने आपसे जो कहा था, वही स्वामी जी भी कह रहे हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष जी, मैं इस संबंध में मुकदमों का इतिहास बताना चाहता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह देश और इस देश का आम आदमी आश्वासन देता है जो भी मजहब जहां भी पैदा हुआ हो यदि वहां वह खत्म हो जाता है तो भारत में उसके लिए जगह है। उसे शान्ति से रहने के लिए भारत की जमीन है। हम मज़हबों को खत्म नहीं करना चाहते, हम उसे मानना चाहते हैं, उसका आदर करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है:

सर्वे: भवन्तु सुखिन:
सर्वे: संतु निरामय:
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चित दु:ख भाग भवेत्।

इस धरती पर हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। जो पर्शियन लोग अपने देश में पैदा हुये और वहां से यहां चले आये, वे इस देश में सुरक्षित रह रहे हैं। उनकी कौम को कोई खतरा नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मुकदमों का इतिहास बहुत लम्बा है। सन् 1885 में पहला मुकदमा हुआ। उसके बाद में झगड़ा हुआ। उसके बाद से वहां आज तक नमाज़ नहीं अदा की जा रही है। आजादी के बाद सन् 1947 में यह घटना हुई। सोमनाथ मंदिर जिसे आक्रान्ताओं द्वारा तोड़ दिया गया था।

इस देश के स्वाभिमानी गृह मंत्री माननीय पटेल जी के हस्तक्षेप से, राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू की उपस्थिति में वहां पूजा हुई और वह मंदिर पुनर्प्रतिष्ठित हुआ। अयोध्या के लोगों में भी विश्वास पैदा हुआ कि जैसे सोमनाथ का मंदिर बहाल हुआ है, वैसे ही अयोध्या का मंदिर भी बहाल होगा। लेकिन जब दो साल तक इंतजार करने पर कुछ नहीं हुआ तो 22 दिसंबर, 1949 की रात को हुए चमत्कार की कहानी मैं नहीं दोहरा रहा हूं केवल इतना कहता हूं कि वहां रामलला का प्राकट्य ...*(व्यवधान)* कुछ भी लोग हो भगवान स्वयंभू ही होते हैं। भगवान किसी के पैदा किये हुए नहीं होते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): स्वयंभू या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ से, यह बताइये ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: आपका ही राज था ...*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मणि जी को बताना चाहता हूं कि वह भी आई.ए.एस. अफसर थे, आप भी पहले आई.ए.एस. अफसर रहे हैं, आप लोग जो कुछ करते हैं उसे आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, आपको ज्यादा पता है, आप एक दूसरे को समझते हैं। जो भी हो उस समय प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार थी कोई दूसरी सरकार नहीं थी। जब वहां रामलला का प्राकट्य हुआ तो वहां नगरपालिका के अध्यक्ष श्री प्रियदत्त राम थे वे कांग्रेस के ही नगरपालिका अध्यक्ष थे। उन्हीं को इसकी व्यवस्था सौंपी गई। इसके बाद फिर श्री गोपाल सिंह विषारद ने न्यायालय से पूजा का अधिकार मांगा था हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, न्यायपालिका ने उन्हें पूजा का अधिकार दिया और कहा किया कि आप पूजा कर सकते हैं। उसके खिलाफ दूसरा पक्ष कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसे मना कर दिया और मना ही नहीं किया बल्कि यहां तक कह दिया कि आप वहां बाधा पहुंचाने नहीं जायेंगे, दो सौ गज के अन्दर आप नहीं जा सकते। यह न्यायालय का निर्णय था और विवाद को देखते हुए वहां ताला लगा दिया गया। ताले का कोई न्यायिक औचित्य नहीं था। उस ताले के पीछे कोई जूडिशियल जजमेंट नहीं था। बल्कि स्थानीय प्रशासन ने ऐसे ही ताला लगा दिया था यह बड़ी विचित्र बात लगती है कि रामलला को बिठाया भी गया, रिसीवर बैठाया गया, पूजा का अधिकार दिलाया गया, उसके बाद ताला लगा दिया गया। यानी थोड़ा शुरू, थोड़ा बंद। वहां ताला लगा रहा। 22 दिसंबर 1949 की घटना के विरोध में 18 दिसंबर, 1961 को, 11 साल, 11 महीने और 26 दिन के बाद दूसरे पक्ष को ज्ञान हुआ कि वहां हमें मस्जिद का अधिकार पाना चाहिए 11 साल, 11 महीने और 26 दिन तक उस मस्जिद पर दावा करने के लिए कोई अगर नहीं आया। इससें जाहिर होता है कि यदि इसके पीछे राजनीति नहीं होती तो यह मसला नहीं उठता। उसे कभी किसी ने मस्जिद नहीं कहा, उसे सभी जन्मस्थान कहते थे। आज श्री बी.एन. कृपा साहब ने जो निर्णय दिया है उसमें उसे रामचंद्र कोट कहा है। उस इलाके का नाम रामचन्द्र कोट है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1949 के बाद लगातार जितने भी मुकदमे हुए हैं, उन सभी में फैसला रामभक्तों के पक्ष में हुआ है। भले ही वहां कोई स्टे दिया गया हो, लेकिन स्टे भी बाद में रामभक्तों के पक्ष में खारिज किये गये। इसके बाद मैं उस बात पर आना चाहता हूं जब ताला खोला गया। जब उसका ताला खोला गया तो उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, प्रदेश में मुख्य मंत्री श्री बीर बहादुर सिंह जी थे और केन्द्र में गृह मंत्री श्री अरुण नेहरू थे। ताला खोलने के लिए एक उमेश पांडे नाम का आदमी कोर्ट में गया। अभी माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि मुकदमे पड़े हुए हैं। जिनका निपटारा नहीं होता है, यह सच है। लेकिन वह मुकदमा बड़े अद्भुत ढंग से तय हुआ। 23 जनवरी 86 को वह कोर्ट में गया, 25 जनवरी को वहां खारिज हुआ, उसी दिन वह दूसरी कोर्ट में चला गया और एक फरवरी को फैसला आ गया कि ताला हटाया जाना चाहिए और एक फरवरी, 1986 को कोर्ट के आदेश में ताला हट गया। जब कोर्ट के आदेश से ताला हटा तो उसका विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जन्म हुआ। न्यायालय के निर्णय का विरोध करने के लिए एक फरवरी 1986 को ताला खोला गया और 14 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ।

ये कहते हैं कि न्यायालय की बात मानेंगे। कौन भरोसा करेगा इन पर कि ये न्यायालय की बात मानेंगे। एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की घोषणा की गई। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 200 गज के अंदर नहीं आएंगे लेकिन अयोध्या में मार्च का आयोजन किया गया। अयोध्या में भक्त लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां मार्च का आयोजन किया गया। चुनौती दी गई जैसे जेहाद के लिए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला हल हो गया होता तो अगर इनके पीछे नीयत साफ होती। नीयत साफ नहीं थी। फिर सवाल आया शिलान्यास का। बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस दिन शिलान्यास होना था उसके 24 घंटे पहले तक 8 नवंबर तक, वह जगह विवादित थी। कोर्ट ने वह जगह विवादित घोषित कर रखी थी, लेकिन पता नहीं रातों रात क्या चमत्कार हुआ कि भारत सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह जी वहां गए। वहां भी नारायण दत्त तिवारी जी थे। इनकी आवास में बातचीत हुई और सवेरे वह मसला हल हो गया, कहा गया कि यह जमीन विवाद से बाहर है। वहां शिलान्यास हो गया। जब शिलान्यास होता है तो उसका मतलब होता है शुरुआत। मंदिर बनने की शुरुआत किसके समय में हुई? वह शुरुआत किसने की? और वह शुरुआत ही नहीं की जब शिलान्यास हो गया तो उसके बाद वहां जन सभा हुई जिसमें रामराज्य स्थापित करने की घोषणा एक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई कि हम देश में रामराज्य की स्थापना करेंगे। उन्होंने अयोध्या से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की। शिलान्यास के बाद दूसरे दिन जब लोग निर्माण के लिए पहुंचे तो कहा कि यह स्थान गलती से विवाद से बाहर नहीं है, केवल शिलान्यास के लिए वह विवाद से बाहर था और शिलान्यास होते ही वह फिर विवादित हो गया। जैसे मंदिर में रामलला स्थापित होते ही ताला लगा दिया गया था। कुछ बढ़ो कुछ रुको, रुक-रुककर चलो जिससे सब मौकों पर इसमें राजनीति की जा सके। राजनीति किसने की? माननीय मुलायम सिंह जी ने भी ताल ठोंका था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता-ऐसी एक चुनौती दी

दी थी। परिंदा तो नहीं मरा, मगर न जाने कितने ज़िन्दा लोग मरे। वह शाबाशी है आपको।

श्री मुलायम सिंह यादव: कितने मरे?

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: गिनती आप करें, मारने वाले आप थे। हम क्या बताएं। ....*(व्यवधान)* लाशें गिनना मेरा काम नहीं है मैं तो गोलियां गिनता हूं। कितनी गोलियां चलाईं वह गिनता हूं। ...*(व्यवधान)* खैर, यह हुआ और पहली बार हुआ, आज भी आप कह रहे हैं कि साधु-संतों को गिरफ्तार करो। मध्य प्रदेश के एक मुख्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में नकली साधु आए थे। मजेदार बात यह है कि वह जिनको नकली कह रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों से वह कथा सुनते हैं लेकिन जब वे यहां आ जाते हैं तो उनको नकली कहते हैं। नकली-असली का भेद इतना है कि आपके घर में हैं तो असली और हमारे घर में हैं तो नकली।

गेरुए वस्त्र की बात जो माननीय मुलायम सिंह जी ने कही है, साक्षी सच्चिदानन्द महाराज को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। उनको आपने राज्य सभा में सम्मानपूर्वक भेजा। वह इसी साधु प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और हमसे ज्यादा गाढ़ा कपड़ा पहनते हैं......*(व्यवधान)* ये धर्मदास की बात करते हैं। धर्मदास अभी पिछले एक साल तक उसी साधु प्रकोष्ठ के सदस्य थे। इसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि पहलवानी में कई बार इनकी उनसे कुश्ती हुई है। मगर उन पर भरोसा मत कीजिए। वह कितने दिन आपके साथ रहेंगे, हमें भरोसा नहीं है। जैसे साक्षी जी महाराज रूठ गए, वैसे धर्मदास भी टिकने वाले नहीं हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि स्थिति किस तरह से बिगाड़ी जाती है। उस समय वार्ता की बात आनी चाहिए थी। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के लिए बड़ा अनुकूल समय था क्योंकि उस समय लोग इनके साथ थे और प्रदेश में जिस चुनाव को लड़कर मुख्य मंत्री बने थे, उस चुनाव में सब लोग मिलकर एक हुए थे, मिलकर चुनाव लड़ा था। अच्छा मौका था बाहर बैठकर बात करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बड़ी हिम्मत के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय चन्द्रशेखर जी को। इस सारे प्रकरण में अगर किसी ने ईमानदारी से इस मसले को हल करने के लिए कदम बढ़ाया तो वह पूरे हिन्दुस्तान में और पूरे सदन में अकेले व्यक्ति हैं—माननीय चन्द्रशेखर जी।

इन्होंने अकेले नहीं किया। इसमें मुलायम सिंह जी को भी शामिल किया। माननीय भैरों सिंह शेखावत जी और शरद पवार जी को भी साथ लिया तीनों मुख्य मंत्रियों को साथ बैठाया था और दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाने का काम किया था, लेकिन वह भी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मसला हल होने लगा, हल के करीब पहुंच गया और यहां तक कि दोनों पक्ष राजी हो गए थे कि यदि वहां यह साबित हो जाए कि मंदिर का स्ट्रेक्चर तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई है, तो हम अपना दावा वापस ले लेगें। इसके लिए दोनों पक्षों में सहमत बन गई थी यहां तक कि विदेश के कई शासकों ने उस समय के प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर को आश्वस्त भी किया था कि यह सही हैं हम इसे उचित मानते हैं, लेकिन जैसे ही यह मसला हल होने वाला था तो पता नहीं हरियाणा के दो पुलिस वाले राजीव जी के घर पर पहुंच गए और उन्होंने भड़ककर चन्द्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया अगर ये इस मसले को हल करना चाहते तो माननीय चन्द्रशेखर जी को थोड़ा समय और दे देते कौन सी आफत आ रही थी लेकिन इन्होंने बाधा पहुंचाई, लगा कि अगर यह मसला हल हो गया तो इन्हें राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। आप राजनीति करना चाहते थे। चन्द्रशेखर जी का कार्यकाल पूरा हुआ और चुनाव हुए। उसके बाद राव साहब की सरकार बनी। इनके कार्यकाल में भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसमें उकसाने का काम ज्यादा किया गया। मुझे वह भाषा अभी भी याद है कि मंदिर बने भव्य बने लेकिन मस्जिद न टूटे। यह बात लाल किले से कही गई और दोनों बातें एक साथ कही गई। उस समय इस मसले को हल करने का प्रयास नहीं किया गया था। नतीजा यह हुआ कि आक्रोश बढ़ गया और वह ढांचे पर जाकर फूटा। वह ढांचा हटाने का वह तरीका सही नहीं था, गलत था।

महोदय, अगर ये चाहते तो दोनों पक्षों के लोग बैठते और उस मसले के बारे में सोचते कि इसे कैसे हल किया जाए। उसके लिए परिस्थितियां निर्मित नहीं की गईं। मैं 18 दिसंबर 1992 का भाषण दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि वह लम्बा भाषण है। उसमें मैंने एक-एक बिन्दु स्पष्ट किया था। किसी तरह लोगों को उकसाया गया, हम इस विषय पर किसी का उकसाना नहीं चाहते। वह मसला वहीं पर रह गया। आज खुशी और संतोष की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी शिमला में कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से निर्णय आएगा। कारण यह है कि न्यायालय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में जो बात चल रही है, उसमें केवल इस बात पर बहस हो रही है जिसे माननीया चन्द्रशेखर जी ने अधूरा छोड़ा था। क्या वहां कोई स्ट्रक्चर पहले से था, इस पर बात चल रही है और इस पर जो गवाह हैं, मैंने अभी मुलायम सिंह जी से जिन दो इतिहासकारों की बात सुनी है। अच्छा होता कि जब कोर्ट द्वारा गवाह मांगा गया था तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से वे गवाही देने जाते। वे गए या नहीं गए, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें जाना चाहिए था। आर्क्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, डा. बी.बी. लाल, जिन्होंने सन् 1975

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

में वहां खुदाई की थी और वह खुदाई माननीय इंदिरा जी के आदेश से की थी। मुझे 74-75 की बात याद है, 74 में पूरे देश में रामचरित मानस की रचना का 400वां वर्ष मनाया गया था। एक समिति बनाई गई थी और उस समिति की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी थी, कार्यवाहक अध्यक्ष, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी थे और मैं भी उस समिति में था। उस समय एक चर्चा आई कि राम कथा से जुड़े हुए जितने स्थल हैं उन्हें पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया जाना चाहिए और उनकी प्राचीनता पर शोध किया जाना चाहिए। उस शोध के क्रम में ही डा. बी.बी. लाल ने खुदाई की थी इनकी खुदाई 75 से लेकर 80 तक चली। जब मंदिर के साक्ष्य आने लगे तो इन्हें रोक दिया गया। जब ढांचा टूटा तभी तमाम सबूत मिले थे, लेकिन उसे ये लोग नहीं मानते, क्योंकि इनका मानना है वह कहीं से ले जाकर रख दिए गए थे। अब न्यायालय में एक एप्लीकैशन दी गई कि इस मुद्दे पर हिस्टोरियन आर्क्योलोजिस्ट की रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। कुछ लोग गए, उनके बयान लिए गए। न्यायालय को लगा कि इसका सर्वे किया जाना चाहिए। उन्होंने आर्क्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि आप किसी को इंगित कीजिए। उसका राडार सिस्टम से (जीपीआरएस) ग्राउंड पेनीट्रेटिंग राडार सिस्टम से भू-गर्भीय अध्ययन किया जाए जो जमीन के नीचे की फोटो खींचता है। मैं उस रिपोर्ट को कोट नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी न्यायालय ने उसे सार्वजनिक करने से रोक दिया है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की जाए.आर्क्योलोजिकल डिपार्टमेंट यह रिपोर्ट टेबल करें क्योंकि कोर्ट ने पार्लियामेंट में रखने से मना नहीं किया है। इसमें सारी बातें उभरकर सामने आई हैं। अगर यह मसला हल करने की नीयत है तो हमें हल करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए और इस पर संसद के सभी पक्षों को, सभी लोगों को केवल सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ देनी चाहिए। पिछली सरकारों ने क्या किया है, इस इतिहास को दुहराने की जरुरत नहीं हैं, बल्कि संसद को अपनी संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए और जैसा दासमुंशी जी ने कहा था कि इसे हल करने की दिशा में कलैक्टिव विस्डम आगे आनी चाहिए। यह देश के लिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री मुलायम सिंह जी ने कहा है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बार माननीय आडवाणी जी ने भी कहा था कि यह मसला जितना लम्बा चलेगा, उतना ही देश का नुकसान होगा। जब देश के नुकसान को सभी महसूस करते हैं तब इस मसले को लम्बा करने से कैसे रोका जायेगा। इस पर भी विचार होना चाहिए। क्या इसे पार्लियामेंट तय नहीं कर सकती, क्या देश के चुने हुए लोग देश की सर्वोच्च संस्था संसद इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकती?

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी पीड़ा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं देश में ऐसे तमाम डिस्प्यूट्स होते हैं तो आप लोगों को बुलाकर, बिठाकर बात करते हैं और कहते हैं कि आप इसका कोई हल निकालिये तो क्या इसका हल निकालने के लिए संसद को आगे नहीं आना चाहिए ? मैं निवेदन करना चाहूंगा और विश्व हिन्दू परिषद और धर्म संसद के लोगों ने कुछ भी ऐसा पारित नहीं किया है जिसमें कुछ आपत्तिजनक हो। उन्होंने जमीन नहीं मांगी है और इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह जमीन उनको दे, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन न्यायालय ने यह कहा है कि जो जमीन के पूर्व मालिकान हैं, उनको वह जरूरत से अधिक जमीन वापस की जाये।

श्री सोमनाथ दादा, मैं आपकी तरह ज्यादा पढ़ा-लिखा तो नहीं हूं लेकिन मैंने भी थोड़ी अंग्रेजी और कानून पढ़ा है। मुलायम सिंह जी, मैं एक पैरा पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं।

[अनुवाद]

> "न्याय निर्णयन होने तक अंतरण पर रोक, और तत्संबंधी शर्तों के अनुसार, धारा 6(1) के साथ पठित......"

[हिन्दी]

6(1) वह है, जिसके बारे में वे स्वयं कहते हैं कि 6(1) में क्या है।

[अनुवाद]

"मुसलमानों द्वारा जिस भूमि का दावा किया गया है, वह वो विवादित भूमि है जहां तोड़े जाने से पहले मस्जिद खड़ी थी। इस दावे का हिन्दुओं द्वारा किए गए विरोध का फैसला किया जाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत की गई शेष समूची भूमि ऐसी है जिसके स्वामित्व के बारे में मुसलमानों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। तत्संबंधी अधिकांश भूमि ऐसी है जो हिन्दुओं की है और जिसके स्वामित्व के बारे में कोई विवाद नहीं है।"

[हिन्दी]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): स्वामी जी, पैरा नम्बर बताइए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: यह जजमेंट का हिस्सा है। इसे मैं अभी टेबल पर रख दूंगा।*

[अनुवाद]

"न्याय निर्णयन होने एक अंतरण पर रोक और तत्संबंधी शर्तों के अनुसार धारा 6(1) के साथ पठित यह केवल विवादित क्षेत्र पर लागू होता है जबकि ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र के किसी हिस्से का

---

*अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की, अत: पत्र/दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

अंतरण, जिसका रखना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि उस विवादित क्षेत्र का फैसला न हो, तब तक उस पर कोई रुकावट नहीं हैं चूंकि अतिरिक्त क्षेत्र का अंतरण सार्वभौम नहीं है किन्तु इसे स्वामी को उस हालत में बहाल किया जा सकता है जब इसका रखना अनावश्यक पाया गया है, जैसा कि दर्शाया गया है।''

''धारा 3 और 6 में 'वेस्ट' शब्द का अर्थ विवादित क्षेत्र तथा इससे लगने वाले अतिरिक्त क्षेत्र दोनों के संबंध में अलग-अलग लगाया जाए।''

[हिन्दी]

हमें अखबारों में पढ़कर न्यायालय के निर्णय को परिभाषित नहीं करना चाहिए, जजमेंट हमारे सामने है, पढ़ना चाहिए। वर्मा जी ने जो कुछ अखबार में कहा, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ याद नहीं था और मैं यह भी याद दिला दूं कि मुलायम सिंह जी कई चीजें भूल जाते हैं। उस समय चीफ जस्टिस वेंकचेलैया जी थे। 1993 में भारत सरकार ने एक जमीन का एक्वीजीशन किया था, वह इसीलिए किया गया था कि जो डिस्प्यूटिड लैंड है, अगर उसका निर्णय किसी के पक्ष में जाता है, मान लीजिए, मुसमलानों के पक्ष में हो जाता है तो वहां तक आने-जाने का रास्ता उनको मिले।

अब गवर्नमेंट क्यों कोर्ट में गयी? गवर्नमैंट कोर्ट में इसलिए गयी क्योंकि वह रिसीवर है। गवर्नमैंट को ही आदेश पालन के लिए कहा गया है। यह अपेक्षित है कि वह ऐसा करे इसलिए वह कोर्ट में गयी। पिछले साल जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैन लगाया गया वह दस हफ्तों के लिए लगाया गया। वह दस हफ्ते बहुत पहले पूरे हो गये। पिछली 13 मार्च को यह दस हफ्ते शुरू हुए थे इसलिए वह काफी समय पहले पूरे हो गये। हमारा कहना है कि गवर्नमैंट किसी के पक्ष में नहीं गयी है। वह इसलिए गयी है कि 1994 के निर्णय में यह बात है तो न्यायालय का आदेश इसे इनके पूर्व स्वामियों को वापिस दे। वह किसी पक्ष विशेष को देने की बात नहीं कर रही है।

इसलिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें गलतफहमियों से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, वोट बैंक निर्माण करने से ऊपर उठकर इस मसले को हर करने के लिए एक मन बनाना चाहिए। राम सबके हैं। इकबाल ने राम को इमामे हिंद कहा है। वह इस देश के इमाम हैं। राम ने इस देश को क्या दिया है, यह स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों से आप पूछो। पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था तो वह राम था। आज भी चाहे राम विलास पासवान जी हों, या काशी राम हों, वे सभी राम से जुड़े हुए हैं। राम से कोई अलग नहीं है। राम की अयोध्या राष्ट्र के स्वाभिमान की अयोध्या है। इस छोटे से डिस्प्यूट को लेकर, इस छोटे से झगड़े को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बदनाम हो रहे हैं कि हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान में एका नहीं है। उनमें झगड़ा हो रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे राष्ट्रीय सौहार्द्र या राष्ट्रीय सम्मान का विषय बनाना चाहिए। संसद स्वयं इस मसले को हल करके देश में सद्भाव कायम करने का प्रयास करे। उसके बाद अगर कोई इस तरह का मसला उठाता है तो वह वाजिब नहीं है। राव साहब ने 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जो कानून बनाया था, उसमें सारे देश के मंदिरों को खड़ा किया था लेकिन अयोध्या को उससे बाहर रखा था। अयोध्या को इसलिए बाहर रखा था क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं यह था कि वहां मंदिर बनना चाहिए। इसलिए हम कांग्रेस के लोगों से कहना चाहते हैं कि आज जैसे वीर सावरकर जी के बारे में आपकी नीतियां बदल गयी, पहले आपने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किये। अंडमान में आपने सेलुलर जेल को उनका स्मारक बनाया और संसदीय समिति में आपने उनका चित्र बनाने की सिफारिश की लेकिन उसके बाद आप बदल गये वैसे ही राम जी के बारे में आप बराबर बदल रहे हैं। कम से कम राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में जो आपके पूर्व नेताओं की धारणा रही है, उसको आप समझो। आज नेता बदल देने से नीयत नहीं बदलनी चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: उपाध्यक्ष महोदय, श्री स्वामी चिन्मयानन्द राम मंदिर समिति के अधिवक्ता की तरह बोले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं ''ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटि'' के अधिवक्ता के रूप में नहीं बोलने जा रहा हूं। मैं कानून का शासन के अधिवक्ता के रूप में बोलने जा रहा हूं जो जनतंत्र की जड़ है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: आप ? ‹ बात सही-सही कहिये ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत गंभीर मामला है इसलिए आप जरा सावधानी से बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: पिछले तेरह वर्षों के दौरान हमने इस मुद्दे पर काफी चर्चा की है। हालांकि, जिस संदर्भ में हम आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से यह अलग है क्योंकि वर्तमान चर्चा इस सरकार की जानबूझकर की गई भारी गलती के कारण हो रही है। यदि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पहल न की होती, तो आज सभा में इस पर कोई चर्चा नहीं होती।

मैं शुरुआत में ही यह कहना चाहूंगा कि सरकार की यह पहल अत्यन्त भेदभावपूर्ण और घोर असंवैधानिक है।

महोदय, यह तंत्र के लिए विध्वंसक है। इस सरकार ने भारत के संविधान के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिश की है। महोदय, राजनीतिक प्रश्न यह है कि इस सरकार ने इस तरह की अनैतिक, अनुचित पहल करने के लिए इस तरह का राजनीतिक अपराध क्यों किया? यह अवसर कुछ ठोस राजनीतिक विश्लेषण करने और इतिहास पर नजर डालने का है। यह सभा वह मंच है जहां हम अपने विचारों को इतिहासविदों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए रिकार्ड करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले वक्ता ने कुछ पत्र प्रस्तुत किए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें कार्यवाही का हिस्सा बनाया जा रहा है और क्या उन्हें अधिप्रमाणित किया गया है या नहीं। यदि यह केवल संदर्भ के लिए है ...*(व्यवधान)* इसे अधिप्रमाणित किया जाना है। मैं किसी चीज पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। यह तब तक वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे अधिप्रमाणित न किया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, सदस्य के रूप में क्या मैं उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी राय दे सकता हूं? मैं समझता हूं कि सदस्य ने केवल दस्तावेज का संदर्भ पेश किया। उन्होंने दस्तावेज से उद्धृत नहीं किया। इसलिए, यह वृत्तांत का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं केवल अपनी राय दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहूंगा। प्रक्रिया के नियम हैं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि उन प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात रखने दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी ने उस पैरा के बारे में पूछा है जिससे स्वामीजी ने उद्धृत किया है। उस पैरा विशेष के बारे में उन्होंने कहा है कि उसे वह सभा पटल पर रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, कोई भी दस्तावेज जिसे सभा पटल पर रखा जाता है उसे उसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए जो इसका संदर्भ देता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: स्वामीजी ने उस पैरा को सभा पटल पर रखा है। स्वामीजी, क्या आप इसे अधिप्रमाणित कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): नई प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। मैं समझता हूं स्वामीजी ने उस दस्तावेज को रिपोर्टरों के रिपोर्टिंग करने की सुविधा के ख्याल से भेजा है। यह केवल रिपोर्टरों की मदद के लिए है और इसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इसे उस तरह से लिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्होंने इसे सभा पटल पर रख दिया है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने इसे सभा पटल पर रखने के लिए न तो आपकी अनुमति मांगी है और न आपने उन्हें अनुमति दी है ...*(व्यवधान)* उन्हें सबसे पहले आपसे अनुमति लेनी चाहिए। यह अधिक महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा था कि निर्णय का पैरा जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं, वह इसे अधिप्रमाणित करेंगे और मैं उन्हें इसे सभापटल पर रखने की अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मेरा स्पष्टीकरण का प्रश्न है। मैं उन्हें कोई दस्तावेज रखने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। उन्होंने किसी निर्णय का उल्लेख नहीं किया है। मैंने तो उसे अभी-अभी देखा है। वह जिसको उद्धृत कर रहे हैं, हमें उसे वृत्तांत का हिस्सा बनने से पूर्व अवश्य देखना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें ऐसा करने दें। लेकिन पहले उन्हें यह बताने दें कि यह है क्या ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अपने भाषण में वह पहले इस निर्णय का उल्लेख कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: कौन-सा निर्णय? हम उनके भाषण को हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: हमने स्पीच में कहा था, आपने नहीं सुना।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि यह रिपोर्टरों को दे दिया जाता है, तो यह ठीक है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक पैरे का उल्लेख किया और मैं उसे सभापटल पर रखे जाने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं जानना चाहूंगा कि यह किस निर्णय का हिस्सा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह अपने भाषण में उस निर्णय को पहले ही उद्धृत कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: उन्होंने इस निर्णय का उल्लेख नहीं किया था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे रिकार्ड देखने दीजिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश): महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक पूरा फैसला अधिप्रमाणित न किया जाये तब तक एक पैरा अधिप्रमाणित नहीं किया जा सकता। अत: इसे उद्धृत करने के लिए रिपोर्टरों की सहायता ही माना जाये। यह उनके भाषण में होगा। यदि वे इसे अधिप्रमाणित करते हैं और सभा पटल पर रखते हैं, तो इससे क्या उद्देश्य हासिल होगा? मैं स्वामीजी से अनुरोध करूंगा कि वे इसे सभा पटल पर रखने के लिए जोर न दें। मेरा यह भी अनुरोध है कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से न निकाला जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी: बिल्कुल ठीक है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह तब तक बिल्कुल ठीक है जब तक वे इस बात पर जोर नहीं देते कि वह फैसले का हिस्सा है। यदि वे कहते हैं कि यह फैसले का हिस्सा है, तो उन्हें अधिप्रमाणित करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, यदि कोई सदस्य इस बल पर जोर देता है कि यह फैसले का हिस्सा है तो उन्हें अधिप्रमाणित करना होगा। अन्यथा इसे भाषण का हिस्सा माना जाना चाहिए अत: उन्होंने इसे रिपोर्टरों की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया है। लेकिन यदि वे सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो उन्हें फैसले और अन्य ब्यौरे को भी उद्धृत करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह आपके भाषण का हिस्सा है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे इसे समझने दीजिए। क्या यह आपके भाषण का हिस्सा है?

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: वह मेरे भाषण का हिस्सा है, मैंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके भाषण का हिस्सा है, तो फिर ठीक है। वह ले लीजिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: 24 अक्तूबर, 1994 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, जिसको माननीय जे.एस. वर्मा ने लिखा है, पढ़ा है, उस बैंच में जस्टिस वेंकचलैया जी रहे हैं। उसी बैंच का एक अंश है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं। मैं उनकी सच्चाई की प्रशंसा करता हूं। चूंकि उन्होंने जोर दिया है कि उन्होंने वेंकचलैया के फैसले के हिस्से के रूप में उद्धृत किया है। मैंने मांग की कि पूरा फैसला अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए। एक पैरा अधिप्रमाणित नहीं किया जा सकता या उन्हें पैराओं की संख्या उद्धृत करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: महोदय, वे जोर नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: उनका कहना है कि उन्होंने जो उद्धृत किया है, वह फैसले का हिस्सा है।

श्री हरिन पाठक: लेकिन जब आपने अनुरोध किया है तो वे अपने भाषण के हिस्से के रूप में इसे रखने पर सहमत हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पाठक, अब उनका कहना है कि यह फैसले का हिस्सा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, उन्होंने अधिप्रमाणित नहीं किया है कि *...(व्यवधान)* मुझे उन द्वारा किसी दस्तावेज के उद्धरण देने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि वे सभा पटल पर कोई दस्तावेज रखते हैं तो उसे उनके द्वारा नहीं बल्कि उस एजेंसी द्वारा अधिप्रमाणित करना होगा जिसे उसे दिया है। वे स्वयं उसे अधिप्रमाणित नहीं कर सकते। वे अधिप्रमाणित करने वाले प्राधिकारी नहीं हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप उसका पैराग्राफ बतायें, वह ले कीजिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: पैरा 56, वही, 1994 वाला है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: रिट पीटिशन का नम्बर भी कोट करें।

[अनुवाद]

महोदय, मैं चाहता हूं कि आप फैसले की कापी सभा पटल पर रखने का निर्देश दें। वे फैसले के एक या दो पृष्ठ सभा पटल पर नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए, क्योंकि आप यह नहीं समझ सकते कि यह फैसले का हिस्सा है या चर्चा का *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही अपने भाषण में उद्धृत किया है। आप रिकार्ड चैक अप कर लीजिए। अगर उन्होंने कोट किया है तो इसे भाषण का हिस्सा माना जायेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब उन्होंने पूरे फैसले को सभा पटल पर रख दिया है। अब कोई भ्रम नहीं है। श्री रेड्डी अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप जो भी मांगना चाहेंगे। वे हम टेबल पर रख देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: स्वामी जी, आप बहुत शांत और धैर्यवान सदस्य माने जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: इस विशेष विवाद के इतिहास में, यह पहली बार है कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय में गई है। सरकार उच्चतम न्यायालय में क्यों गई? यही सरकार पहले उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं गई। इस बीच की चर्चा के पहले मैं इसी बात पर जोर देने का प्रयास कर रहा था।

महोदय, मेरा कहना यह है कि भाजपा प्रतिशोध की भावना के साथ अपने 1996 के पूर्व के एजेण्डा पर फिर लौट आयी है। हालांकि एजेण्डा, बहुत पुराना है। गत सात वर्षों के दौरान 6 महत्वपूर्ण वर्षों में स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया है *...(व्यवधान)*

महोदय, मुझे यह भी नहीं मालूम कि चर्चा का जवाब कौन दे रहा है। जो की हो, सभी मंत्री नोट कर रहे हैं लेकिन सभा में चर्चा का जवाब देने के लिए मंत्री महोदय नहीं हैं।

महोदय, इसे जैसा है, वैसा रहने दीजिए। गत सात वर्षों के दौरान छह महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। सर्वप्रथम, 1996 से पहले भाजपा विपक्ष में थी। अब वे सत्ता में हैं। दूसरी बात उस समय श्री आडवाणी भाजपा का नेतृत्व कर रहे थे। अब भाजपा का नेतृत्व श्री वाजपेयी के हाथ में है। तीसरी बात श्री आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा 'एकला चलो' की नीति अपनाये हुये थी। यह बेसब्री से सहयोगी दलों की तलाश कर रही थी। उसके सांप्रदायिक नारे, नक्कारखाने में तूती के समान थे। आज राजग के सहयोगी दल उसका समर्थन कर रहे हैं। चौथी बात श्री बाजपेयी तब नम्य उदारवादी का मुखौटा पहने हुये थे। आज उन्होंने हिन्दुत्व कट्टरपंथियों की टोपी ओढ़ रखी है। पांचवीं बात, इसी समय भाजपा को अपना एजेण्डा औपचारिक तौर पर छोड़ना पड़ा और दो बार 1998 और 1999 में साम्प्रदायिक एजेण्डे के बगैर चुनाव में उतरना पड़ा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा है? कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: छठी बात, राजग के सहयोगी दल इस तरह किनारे कर दिये गये हैं कि अब राजग की परिभाषा भाजपा के ऐसे अवशिष्ट के रूप में की जा सकती है जिसका वर्णन ही न किया जा सके।

अपराह्न 4.00 बजे

वे अधिक समय तक सहयोगी दल नहीं रहेंगे; वे कैदी हैं क्योंकि उन्होंने फास्टियन सौदा किया है। अंग्रेजी में चार्ल्स मार्लो

और जर्मन में गोये द्वारा महानाटक डा. फास्टस में कहा गया है कि डा. फास्टस ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। राजग के सहयोगी दलों ने भी बिल्कुल यही किया है। उन्होंने अपनी आत्मा, भाजपा को बेच दी है। इसके परिणामस्वरूप भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप की तरफ से उच्चतम न्यायालय में जाने का साहस जुटा लिया। ...*(व्यवधान)* मैं अयोध्या पर ही आ रहा हूं। मैं अयोध्या की ही बात कर रहा हूं। यदि आप नहीं समझते तो मुझे आपकी अज्ञानता पर तरस आता है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.01 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहल करने से पहले ही राजग का स्वाद चख लिया है। न्यूयार्क में नवम्बर, 2000 में श्री वाजपेयी ने स्वयं को स्वयंसेवक कहा था। उस समय राजग के सहयोगी दलों ने थोड़ा बहुत विरोध किया था। उसके बाद 6 दिसम्बर, 2000 को श्री वाजपेयी ने बयान दिया कि राममंदिर आन्दोलन, राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति था। राजग सहयोगी दलों ने फिर औपचारिक विरोध किया। उसके बाद मोदी मामले पर इस सभा में गरमा-गरम बहस हुई और राजग के सहयोगी दल थोड़ा-बहुत ही विरोध कर सके और अपने विरोध को एक सीमा से अधिक नहीं ले जा सके। राजग के सहयोगी दल चोट करना चाहते थे लेकिन हमला करने से डरते थे। इसी कारण भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अंततः अपने मूल साम्प्रदायिक एजेण्डे पर लौटने का निर्णय कर लिया। अब वे अपना एजेण्डा छिपाते नहीं हैं।

श्री के. येरननायडू: यह राजग सरकार है। कोई भी अपने पुराने एजेण्डे पर नहीं लौटेगा। हम सब यहां हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे अपने मूल एजेण्डे पर वापस जा रहे हैं। अभी हाल में श्री वाजपेयी और श्री आडवाणी ने कहा कि सरकार राजग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर टिकी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यदि श्री येरननायडू स्वप्न लोक में रहना चाहते हैं तो वे मूर्खता करने के लिए स्वतंत्र हैं मेरा कहना यह है कि हाल में राजग के संयोजक, श्री जार्ज फर्नांडीज ने सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। श्री येरननायडू की पहल श्री चन्द्रबाबू नायडू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। क्या यह प्रस्ताव राजग के एजेण्डा के अनुकूल है? मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं। उन्हें इसका जवाब देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रेड्डी, क्या आप बात मानने जा रहे हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं, इन लोगों की नहीं।

सभापति महोदय: वे नहीं मान रहे हैं, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइये। श्री रेड्डी बात मानने को तैयार नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि श्री जयपाल रेड्डी जी ने जार्ज फर्नान्डीज जी का नाम लिया है, जो एनडीए की सरकार के संयोजक हैं। एनडीए के एजेंडे में जो प्रावधान है, उसका समर्थन किया है और उस पर ही सरकार चल रही है। उस सरकार को चलाने के लिए मंदिर या मस्जिद को तोड़ने या बनाने की बात नहीं है और उस पर कोई समर्थन जार्ज फर्नान्डीज जी का नहीं है। एनडीए का जो एजेंडा है, उस पर समर्थन है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं स्पष्टीकरण का स्वागत करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रामदास, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री रामदास आठवले, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सच्चाई पर आधारित नहीं है क्योंकि मैं प्रेस को दिए गए श्री जार्ज फर्नान्डीज के वक्तव्य से इस बात को उद्धृत कर रहा हूं। आज, राजग के असहाय साझेदारों का पूरा लाभ उठाकर भाजपा नेताओं ने उन सभी बंधनों को हटा लिया है और वे अपने मूल एजेन्डा को निर्बाध रूप से प्रकट करने जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एक सार्वजनिक सभा में वक्तव्य दिया। मैं इस वक्तव्य को पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि:

> "हम अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह साबित हो जाएगा कि वहां मंदिर था।"

पहला यह कि उन्होंने यह वक्तव्य चुनाव नियमों के घोर उल्लंघन करते हुए चुनाव सभा में भाषण के दौरान दिया। इसके अलावा मैं सरकार से एक और मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जयपाल रेड्डी]

जब प्रधानमंत्री ने कहा 'हम', तो इसका क्या तात्पर्य है? 'हम' से क्या इंगित होता है? क्या वे भाजपा के नेता के रूप में बोल रहे थे या एक व्यक्ति के रूप में या वह देश के प्रधान मंत्री के रूप में बोल रहे थे? क्या प्रधान मंत्री ऐसा वक्तव्य दे सकते हैं? स्वामी चिन्मयानन्द किसी विशेष स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की वकालत करने वाले हो सकते हैं। क्या देश के प्रधान मंत्री इस तरह की वकालत कर सकते हैं? क्या उन्होंने उस शपथ का उल्लंघन नहीं किया है जिसे उन्होंने देश के प्रधान मंत्री बनते समय लिया था।

मुझे प्रधान मंत्री द्वारा ली गई शपथ के उस भाग को उद्धृत करना है. जब श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उस शपथ में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बात का भी उल्लेख किया गया था। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।

इसमें कहा गया है "आल मैम्बर ऑफ पीपुल"। इसमें हिन्दू ही शामिल नहीं हैं न ही इसमें भाजपा के नेता के रूप में जिन हिन्दुओं का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी ओर कोई संकेत है। इसमें देश का हर व्यक्ति शामिल है। लेकिन उनका वक्तव्य किसी विशेष भाग के प्रति उनके स्नेह की कहानी कहता है और अन्य लोगों के प्रति विद्वेष की। वह न्यायालयों पर कुछ नहीं छोड़ते, वे कहते हैं:

"हमें विश्वास है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह साबित हो जाएगा कि वहां मंदिर था"

हम यह नहीं कर रहे हैं कि मंदिर नहीं था, न ही हम अब कह रहे हैं वहां मंदिर का। यह मुद्दा न्यायालय ने निर्णित करना है। संसद के राजनीतिक दलों को इस संबंध में निर्णय नहीं लेना है। प्रधान मंत्री ने ऐसा वक्तव्य किस आधार पर दिया है। ऐसे अत्यधिक साम्प्रदायिक वक्तव्य देने का राज क्या था?

मैं 'एलिस इन वंडरलैंड' से कुछ पक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। इन पंक्तियों में उल्लेख है: "चालाक बूढ़े ज्यूरी ने कहा मैं ही न्यायाधीश हूंगा, जूरी हूंगा, मैं ही पूरे मुकदमे को सुनूंगा और इसे मृत्यु दंड दूंगा।"

इसलिए, प्रधान मंत्री स्वयं अभियोजक, ज्यूरी, न्यायाधीश और हर चीज बनना चाहते हैं, वह न्यायालयों की ओर से न्यायालयों द्वारा इस मामले पर विचारण करने से पूर्व निर्णय देना चाहते हैं।

यही कारण है कि मैं प्रधान मंत्री पर उस शपथ भंग का आरोप लगाता हूं जो उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में ली थी और मैं प्रधान मंत्री पर पद की* भारत के संविधान और हमारे देश की व्यवस्था के विरुद्ध आरोप लगाता हूं।

महोदय, दिसम्बर 2000 में वाद-विवाद के दौरान मैंने कहा कि प्रधान मंत्री ने आगे बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अब मेरा कहना है कि उन्होंने विधिक आधार भी खो दिया है क्योंकि उन्होंने उस शपथ की सारगर्भिता का उल्लंघन कर दिया है जो उन्होंने ली थी। यह अलग बात है कि हमारी व्यवस्था में प्रधान मंत्री पर इस प्रकार के दायित्व थोपने का प्रावधान नहीं है।

मेरे अमरीकी सरकार की विदेश नीति से कई मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मैं उनके लोकतंत्र का अत्यधिक प्रशंसक हूं। मैं उनके लोकतंत्र के गौरव का बड़ा प्रशंसक हूं। केनेथ स्टार, जो कि एक साधारण अभियोजक थे, ने संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को डी.एन.ए. टैस्ट के साथ सम्मन किया। इसलिए, अमरीका में ऐसी व्यवस्था है जिससे कि अमेरिका की सत्ता चल रही है।

मैं अमरीका में हाल में हुई एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। हाल में, अमरीकी सीनेट में बहुमत प्राप्त दल के नेता ट्रेनेट लॉट को त्यागपत्र देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने उस सीनेटर को बधाई दी थी जो कि सीनेट से सेवानिवृत्त हो गए थे। अमरीका में सेवानिवृत्त सीनेटर का नाम स्टार्म थर्मोंड था। वह सौ वर्ष के थे। वह सौ वर्ष के तब हुए जब वह सीनेट के सदस्य थे। जब वे अपने दल के नेता के रूप में बिना चुनाव लड़े सेवानिवृत्त हुए तो उस समय श्री लॉट ने सीनेट के बाहर उनके सम्मान में यह कहा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मात्र इतना कहा था "श्री थर्मोंड एक ऐसे पृथक्कारी हैं जिनके प्रति मेरी सहानुभूति है।" इसी साधारण टिप्पणी के लिए श्री ट्रेनेट लॉट को पार्टी के नेता पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। उन्होंने इस तरह के सम्मान को उस समय श्री स्टोर्म थर्मोंड को दिया जब वे सेवानिवृत्त हो रहे थे। लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। इसके कारण उनकी पार्टी में भारी विद्रोह हुआ। उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा।

लेकिन इस देश में स्थिति यह है कि श्री वाजपेयी प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। यह बात काफी प्रसिद्ध है कि श्री वाजपेयी ने श्री मोदी को राजधर्म का पालन करने को कहा। लेकिन अब मैं श्री वाजपेयी से पूछता हूं कि क्या वे राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री पर राजधर्म का पालन न करने का आरोप लगाता हूं बल्कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया। वास्तव में उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया है।

महोदय, बहुत से लोगों को इस बात का आश्चर्य है कि श्री प्रवीण तोगड़िया और हमारे प्रधान मंत्री के बीच मुख्य अन्तर क्या

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

है, मैं कहता हूं कि श्री प्रवीण तोगड़िया और श्री वाजपेयी के बीच बहुत अन्तर है। यह उत्तर शैली में है विषयवस्तु में नहीं। श्री प्रवीण तोगड़िया हमारी संवेदनशीलताओं को भड़काते हैं जबकि श्री वाजपेयी हमारी संवेदनशीलताओं का विध्वंस करते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं का परिणाम एक ही है और वह ही भारत के संविधान, हमारे देश के लोकतंत्र को एनिस्थीसिया देना।

हमारे भाजपा नेताओं या संघ नेटवर्क के नेताओं ने नई 'मामा' का सृजन किया है। वह 'मामा' क्या है? यह है कि वहां दो प्रकार की भूमि है। एक विवादित, दूसरी गैर-विवादित। उन्होंने एक मिथक का प्रचार किया कि गैर विवादित भूमि बहुत पहले से राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित है। मामले का तथ्य यह है कि जब श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने 42 एकड़ भूमि राम जन्म भूमि न्यास को पुरस्कार स्वरूप दी थी। मात्र एक एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास ने खरीदी थी। शेष 42 एकड़ भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप दिया गया था, इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। वे इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां जो गैर विवादित भूमि है वह हमेशा से ही राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित रही है। इसलिए वे कहते हैं कि आप कतिपय भागों से अन्याय कर रहे हैं। यह पूरा प्रचार एकदम झूठ पर आधारित है। ऐसा लोगों को धोखा देने और मुझे डर है यह न्यायालयों की अवधारणा को विध्वंस करने के लिए किया जा रहा है।

मुझे खुशी है कि मेरे मित्र श्री अरुण जेटली यहां उपस्थित हैं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार किस आधार पर उच्चतम न्यायालय में यह कहने के लिए जा सकती है कि गैर-विवादित भूमि दे देनी चाहिए। जब मार्च 2002 में प्रश्न उठा तो महान्यायवादी की यही राय थी। हमें इसे याद रखना चाहिए कि हमारी याददाश्त इतनी छोटी नहीं है, श्री सोली सोराबजी ने महान्यायवादी के रूप में यही राय दी थी। उस समय श्री जेटली ने विधि मंत्री के रूप में कहा था कि उन्होंने यह राय सरकार की ओर से दी है। प्रधान मंत्री ने लोक सभा में अपने वक्तव्य में कहा कि महान्यायवादी ने यह राय महान्यायवादी के रूप में दी थी। बाद में महान्यायवादी ने प्रेस को दो घंटे के सीधे प्रसारण में संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने यह राय न्यायालय के मित्र के रूप में दी थी न कि सरकार के महान्यायवादी के रूप में। अब बात खुल गई है। महान्यायवादी द्वारा गत वर्ष लिया गया रुख अब औपचारिक रूप से स्वयं सरकार ने भी अपना लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी राय में गैर-वकीलों के द्वारा किसी निर्णय को बेहतर रूप से समझा जाता है। मैं उच्चतम न्यायालय मामले 1994 खण्ड 6 के 45वें पैरा से उद्धृत कर रहा हूं। श्री अरुण जेटली कृपया अपनी प्रति निकालें और इसे देखें। इसमें कहा गया है:

"खण्ड 7 जब उसे हम पढ़ते हैं, तो यह एक अस्थायी प्रावधान है जिसका आशय यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा विवाद के समाधान पर सम्पत्ति का अंतरण होने तक विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसका उद्देश्य उस अंतरण को प्रभावी करना और अवकाश के दौरान विवादित क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप हताशा की किसी सम्भावना से बचने के लिए इसे अर्थपूर्ण बनाना है। जब तक यथास्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक विवादित क्षेत्र में किसी ऐसे परिवर्तन से विवाद के समाधान संबंधी अंतिम परिणाम निराशाजनक हो सकता है जिससे जीतने वाली पार्टी के पक्ष में परिणाम का कार्यान्वयन हताशा भरा हो सकता है और इसे अर्थहीन बना सकता है।"

"विवादित सम्पत्ति में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश एक सुविदित विधि है और न्यायनिर्णय होने तक विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्पत्ति के संरक्षण और इसके वास्तविक स्वामी के हितों की सुरक्षा के लिए प्राय: इस प्रकार का आदेश दिया जाता है। वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करना खतरनाक है और वास्तविक स्वामी, जिसका अभी निर्धारण होना है, के अधिकारों से पूर्वाग्रह करना है। यह अपने आप स्पष्ट संकेत है कि ऐसे विवादित क्षेत्र के वास्तविक स्वामी का पता लगाने के लिए अवकाश के दौरान वहां यथास्थिति बनाए रखने और इसे उचित पाये जाने वाले स्वामी को सौंपने के लिए किया जाता है। इसलिए अंतिम निर्णय होने तक वहां पूर्णत: यथास्थिति बनाई रखी जानी होगी।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): क्या इसका संबंध विवादित क्षेत्र से है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: सभापति महोदय, क्या वे क्षण भर के लिए शांत रहेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जी, हां।

श्री अरुण जेटली: महोदय, यदि हम पैराग्राफ 45 को पढ़ें, तो इसका संबंध केवल विवादास्पद क्षेत्र से है और गर्भ गृह के ऊपर के ढांचे वाले विवादास्पद क्षेत्र की यथापूर्व स्थिति से है। इसका संबंध शेष 71 एकड़ से नहीं है ...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): सभापति महोदय, मैं सभा का ध्यान श्री जयपाल रेड्डी द्वारा दिये गये पूर्व वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे अंग्रेजी भाषा का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है जितना श्री जयपाल रेड्डी जी को है। लेकिन उन्होंने प्रधान मंत्री के संबंध में एक विशेष शब्द का प्रयोग किया और उसे मैंने नोट कर लिया। उन्होंने कहा: "प्रधान मंत्री ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है।" क्या मैं ठीक कर रहा हूं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जी, हां।

श्री राम नाईक: मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ऑक्सफोर्ड शब्दकोश लिया और इसमें इस शब्द का अर्थ यह दर्शाया है। अब, मेरे पास असंसदीय शब्दों की पुस्तक है और पृष्ठ 138 पर, यह लिखा है कि शब्द को "असंसदीय" शब्द माना जाता है। अत: यदि वे अपने शब्दों को वापस लेने अथवा क्षमा मांगे तो यह अच्छी बात होगी ...*(व्यवधान)* इसीलिए, उन्हें उस शब्द के लिए क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इसे दिखवा लिया जायेगा। कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द प्रोसीडिंग्ज में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, यदि यह शब्द असंसदीय है तो इसे आप हटा दीजिए। लेकिन मैं हाउस ऑफ कॉमन्स के विनिर्णय से उद्धृत कर सकता हूं। हम किसी व्यक्ति को 'विश्वासघाती' नहीं कह सकते, हम 'विश्वासघात का कार्य' कह सकते हैं। इसलिए, यह वाक्य की संरचना पर निर्भर करता है। फिर भी, मैं गैर-महत्वपूर्ण बातों पर झगड़ना नहीं चाहता ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: महोदय, क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधान मंत्री जी को ... कहना मुद्दा नहीं है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैंने उन्हें 'विश्वासघाती व्यक्ति' नहीं कहा है। यदि मैं कहता हूं, 'उन्होंने विश्वासघातपूर्ण व्यवहार किया है' तो यह असंसदीय नहीं है। मैं अपने तर्क पर दृढ़ हूं। फिर भी, मैं इसे अध्यक्षपीठ के विवेक पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इसको देख लिया जायेगा। आप आगे बोलिये।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, अब आप मुझे उसी निर्णय के पैराग्राफ 49 को उद्धृत करने दें। यह कहता है:

"यह स्पष्ट है कि आसपास की भूमि के अधिग्रहण का एक उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को मुकदमे में सफलता मिलने पर उसके द्वारा विवादित स्थल के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना है; और इसके आसपास के क्षेत्र का अधिग्रहण मुख्य उद्देश्य के आनुषंगिक है और इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।"

इसलिए, यथापूर्व स्थिति न केवल 2-7 एकड़ भूमि पर लागू होती है वरन् यह वर्ष 1993 में अधिगृहीत सारी भूमि पर लागू होती है। सम्पूर्ण अधिग्रहण को बनाए रखा गया और अधिगृहीत सम्पूर्ण भूमि को तब तक आस्थगित रखा जाना है जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। इस प्रकार के फैसले के आलोक में, सरकार उच्चतम न्यायालय में गई थी। यदि ऐसा मामला था तो उन्होंने ऐसा गत वर्ष क्यों नहीं किया? जब महान्यायवादी ने सुझाव दिया था, तो उन्होंने स्वयं को क्यों अलग रखा था?

उस समय रा.ज.ग. सहयोगियों ने आपत्ति क्यों की? मैं रा.ज.ग. के कई नेताओं को जानता हूं जिन्होंने इस पर आपत्ति की थी। अब वे आपत्ति क्यों नहीं जता रहे हैं? क्या वे अब नपुसंक हो गये हैं? इस बीच असल में हुआ क्या है?

मैं पुन: पैरा 57 से उद्धृत कर रहा हूं:

"यद्यपि, ऊपर से देखने पर, प्रत्यक्षत:, आसपास के क्षेत्र का अधिग्रहण, जिसके स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जो हिन्दू लोगों से संबंधित है, हिन्दुओं के विरुद्ध पक्षपात हो सकता है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर, ऐसा नहीं है क्योंकि यह साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने, उसे बढ़ावा देने के वृहद राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए है और यह धर्मनिरपेक्षता के मत के सामंजस्य में है।"

यह निर्णय का एक भाग है। इस सबके बावजूद, श्री अरुण जेटली सरकार में केवल संविधान पर इस प्रकार का प्रहार करने के लिए वापस लौटे हैं ...*(व्यवधान)* यह संविधान पर हमले के सिवाय और कुछ नहीं है।

जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि आज जो चर्चा शुरू हुई है वह सरकार के निर्लज्ज हस्तक्षेप के कारण हुई है। और सरकार का हस्तक्षेप न केवल संविधान विरोधी है बल्कि मेरी राय में यह राष्ट्र-विरोधी भी है क्योंकि यह एक पार्टी का दूसरी पार्टी के विरुद्ध पक्ष लेती है। किसी पार्टी को दूसरी पार्टी के विरुद्ध करके उसका पक्ष लेना सरकार का काम नहीं है।

अब प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। क्या विश्व हिन्दू परिषद इससे सहमत है? विश्व हिन्दू परिषद ने परसों ही एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि वे

विवादास्पद भूमि सहित भूमि के प्रत्येक टुकड़े को मार्च, 27 तक लेना चाहते हैं। क्या विश्व हिन्दू परिषद ने न्यायालय के समक्ष यह वचनबद्धता दी थी कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे? नहीं, विश्व हिन्दू परिषद इस भूमि कानून से ऊपर है क्योंकि भा.ज.पा. सत्ता में है। और भा.ज.पा. सत्ता में इसलिए है क्योंकि रा.ज.ग. सहयोगियों ने उन्हें सत्ता प्रदान की है।

हम, निःसन्देह, मालिकाना हक से संबंधित मामले का शीघ्र निपटान चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय में क्या लंबित है? भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय में क्यों जाना पड़ा? इसीलिए यदि आप मालिकाना हक संबंधित मामले के निपटान को शीघ्रतापूर्वक करने के लिए कोई कदम उठाते हैं,—मुझे यह बताया गया है कि यह प्रक्रिया वास्तव में चल रही है—तो हम इसका सम्मान करते हैं लेकिन वह न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए न कि सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से।

मेरी राय में, पहले हमने राजनैतिक स्थितियों पर चर्चा की थी। आज, हम सरकार के गैर-कानूनी, अनैतिक और पक्षपातपूर्ण कदम से उत्पन्न असामान्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। न केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है बल्कि न्यायालय के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। लेकिन, पार्टी के रूप में, भारतीय न्यायपालिका की व्यापक स्वतंत्रता पर हमारा बहुत विश्वास है। हमारी व्यवस्था को परखा जा रहा है। हमारी तंत्र हमारी व्यवस्था संकट का सामना कर रही है। मुझे डर है कि कई पार्टियां, जिनका रा.ज.ग. के साथ गठबंधन है, इसके प्रति गंभीर नहीं हैं। वे इस अपराध के प्रति एक-दूसरे के साझेदार बन चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि वे अब भी जाग जाएं तो यह अभी देरी नहीं होगी। जैसा भी हो, हम सरकार की गलत बातों को उजागर करते रहेंगे। हमारा हमारे न्यायालयों में भरोसा बना रहेगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन हमारे मित्र श्री मुलायम सिंह यादव जी ने दो वाक्य ऐसे कहे जिससे मैं दो शब्द कहने के लिए विवश हूं। मैं इस मामले में निष्पक्ष नहीं हूं। मैं पूरी तरह से उसी विचार का हूं जिस विचार के श्री मुलायम सिंह यादव हैं। उनकी और मेरी भाषा अलग हो सकती है। वह भाषा शायद मैं न इस्तेमाल करूं। प्रधान मंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में दिया गया वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जो यहां कहा जा रहा है, चाहे एक तरफ से या दूसरी तरफ जो कुछ कहा जा रहा है, वह मामले को और पेचीदा बनायेगा इसलिए मैं इतने दिन से चुप था।

अभी स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने इस मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किया था। मैंने कोई प्रयास नहीं किया था। प्रयास करने वाले श्री भैरो सिंह शेखावत, श्री शरद पवार और मुलायम सिंह यादव जी थे। मैं उन लोगों का सहायक था, उन लोगों की मदद कर रहा था। सारी बातें उनको मालूम हैं। लेकिन तब से चार सरकारें गयीं। पहले श्री नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री हुए, फिर देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री हुए, उसके बाद श्री गुजराल जी प्रधानमंत्री हुए और अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री हैं। चारों प्रधान मंत्रियों ने चार मिनट भी हमसे बात नहीं कि वह मामला कैसे सुलझ रहा था। यदि मामले को सुलझाने की कोई नीयत होती तो मेरे जैसे छोटे से, अदने से आदमी के पास उनको आने में लज्जा हो सकती है लेकिन वे श्री भैरो सिंह शेखावत, श्री मुलायम सिंह या शरद पवार जी से बात कर सकते थे। अगर उसमें भी कष्ट है तो सारे दस्तावेज गृह मंत्रालय में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया।

यह बात सही है कि यह मामला सुलझ सकता था, आज भी सुलझ सकता है लेकिन जितनी अधिक बहस होगी उतना ही मामला उलझता जायेगा। मैं यह समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस बहस को बढ़ा रही है। मैं नहीं समझता, चाहे हमारे मित्र श्री अरुण जेटली जी जितने भी चतुर, सुजान वकील हों, सरकार इस समय क्यों गई? इस समय सरकार का उच्चतम न्यायालय में जाना केवल एक ही बात को दर्शाता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है। प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य का भी यही द्योतक है कि उनके ऊपर दबाव है। दबाव के अंदर अगर सरकार, प्रधान मंत्री जी और मंत्रिमंडल काम करेगा तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

मुझे दुख इस बात का है कि जिस मामले को हम लोग आपस में बैठकर सुलझा सकते थे, उसमें तरह-तरह की दलीलें दी जाती हैं कि उच्चतम न्यायालय के पास जायें, वकीलों की बहस करें और जो बहस हमारे मित्र श्री जयपाल रेड्डी जी ने किताबें पढ़कर कीं, वही किताबें सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी जायेंगी। मैं नहीं जानता कि छह तारीख को फैसला क्या होगा?

मैं न्यायपालिका का बड़ा आदर करता हूं लेकिन न्यायालय में श्री अरुण जेटली जी कोई प्रस्ताव लेकर गये होंगे तो बिना अर्थ नहीं गये होंगे। बिना जाने नहीं गये होंगे। कुछ तो उनकी दृष्टि में रहा होगा कि उनके पक्ष में भी फैसला हो सकता है। अगर छह तारीख को फैसला हो गया तो फिर क्या होगा? ...*(व्यवधान)* मैं नहीं समझता कि इससे कोई देश में अच्छा वातावरण बनेगा। अभी जो हमारे मित्र सरकारी पक्ष में हैं चाहे एन.डी.ए. में हों या भाजपा में हों, उन्होंने एक नारा दिया है—सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। पता नहीं वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? मैं तो इसे समझ नहीं पाता

[श्री चन्द्रशेखर]

हूं लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यही मतलब है जो मतलब, स्वामी जी यहां पर नहीं हैं, मैं बड़े विनम्रतापूर्वक शब्दों में कहना चाहता हूं कि राम में सारा देश है तो राम का वह भक्त है जो सारे स्टेट्स को अपना मानता है। कण-कण में राम व्याप्त है, जब यह माना जाता है तो फिर किसी से विरोध क्यों? आज जितना काम हो रहा है, जिस तरह के नारे लगाये जा रहे हैं, जिस तरह के कदम उठाये जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हमारे देश के वासी जो बड़ी संख्या में हैं, उनके मन में एक तनाव पैदा होगा, अविश्वास पैदा होगा।

मैं बड़े विनम्रतापूर्वक शब्दों में इस सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके सुप्रीम कोर्ट में जाने से उनके मन में एक संदेह पैदा हुआ है। वास्तविकता क्या है, कानून क्या है, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर वास्तविकता यह है कि सरकार के कदम से अल्पमत लोगों में अविश्वास पैदा होता है, उनके मन में एक वेदना, पीड़ा होती है तो उससे समाज में और गतिरोध पैदा होगा। जिस दौर से दुनिया आज गुजर रही है, उसमें भारत के लिए एक बड़ा भारी संकट उपस्थित हो सकता है। अगर उनकी व्याख्या का राष्ट्रवाद बदले तो मैं नहीं जानता कि कश्मीर में यह दावा कितना सफल हो सकेगा। हम उत्तर पूर्व के राज्यों को अपने साथ बनाये रखें या नहीं, आदिवासी इलाकों के असंतोष को दबा पायेंगे या नहीं, पंजाब हमारे साथ रहेगा या नहीं, यह बात सोचनी चाहिए कि हम शांति की ओर, आपस में बातचीत के जरिए ही बढ़ सकते हैं। कानूनी दायरे में जाकर अरुण जेटली जी आप जीत सकते हैं लेकिन लोगों का मन नहीं जीत सकते हैं। लोगों का मन जीतने की कोशिश कीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि अरुण जेटली जी से मुझे बड़ी आशा थी। जनता पार्टी के दिनों में मैंने उनको बहुत सराहा था जिसे वह जानते हैं और सारे लोगों के विरोध के बावजूद भी सराहा था। उसी तरह मेरे मन में अटल जी के लिए बहुत आदर था और आज भी है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए और जीतेंगे कि हारेंगे, मैं नहीं जानता लेकिन जीतने के लिए वह वक्तव्य देश का प्रधान मंत्री, चाहे कोई भी हो, कैसे दे सकता है जो वक्तव्य उन्होंने दिया जिसका जिक्र उन्होंने किया है। मैं अपना दुख प्रकट करना चाहता हूं और यही दुख प्रकट करने के लिए आपसे मैंने समय मांगा क्योंकि किसी आवश्यक कार्यवश मुझे कहीं और जाना है और मैं आपसे और सदन से क्षमा चाहता हूं कि मैं इसके बाद यहां सदन में नहीं रह सकूंगा। धन्यवाद।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): सभापति जी, जैसा कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि यह बहस बीस सालों से चल रही है। ठीक है कि बीस सालों से चर्चा चल रही होगी लेकिन यह बहस 1528 से इस देश के अंदर शुरू हुई है। 1528 से लेकर आज तक इस देश के अंदर विभिन्न प्रकार के उतार-चढ़ाव आए, विभिन्न प्रकार के लोगों ने इस देश के अंदर हमले भी किये। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन इतनी जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि बाबर के साथ जो इस देश के लोग जुड़ते हैं, उनको अपनी मनोभावना को समझना चाहिए और हमारे महापुरुषों के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। मुलायम सिंह जी डा. लोहिया और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं के समर्थक रहे हैं। हमारे देश के अंदर कोई कतारी मुसलमान नहीं था और न कोई मंगोलियाई था। हमारे देश के अंदर रहने वाले किसी मुसलमान ने हमला नहीं किया। हमला तो बाहर के लोगों ने आकर किया। यह भी इतिहास में सच है कि कतारी, मंगोलियाई या अफगानी ये सब आपस में लड़ते थे और पूरी ताकत के साथ लड़ते थे, एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते थे और आज भी इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर, विश्व के अंदर इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है लेकिन भारत के अंदर जब आते थे तो एक सूत्रीय कार्यक्रम रहता था कि इस देश की संस्कृति को नष्ट करना है, इसको अपमानित करना है और उसके लिए समय अनुसार काम किया। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब बाबर मर गया तो आगरा के पास उसकी मजार बनाने की बात आई और मजार बनी भी लेकिन उसके परिवार के लोग उसे उखाड़कर अफगानिस्तान ले गये और वहां पर जब उसकी मजार बनाने की बात आई तो अफगानियों ने कहा कि इसकी मजार यहां नहीं बन सकती क्योंकि यह अफगानी नहीं है, यह कतारी है। कतारी का स्मारक अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अफगानिस्तान कहता है कि कतारी हमलावर हैं, उसका स्मारक नहीं बन सकता तो भारत के अंदर बाबर के नाम पर स्मारक कैसे बन सकता है? इस देश का हिन्दू-मुसलमान कैसे इसे स्वीकार कर सकता है कि उसका स्मारक यहां बने। ...*(व्यवधान)* उसका स्मारक भी नहीं बन सकता। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने सदा सर्वदा यह कोशिश की। आप तो उस समय शायद इस दल में नहीं थे। दूसरे दल में थे और आपको उस समय का इतिहास भी नहीं मालूम है। मैं आज पहली बार इस विषय पर कहना चाहता हूं।

सभापति महोदयः आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें।

श्री विनय कटियारः आपको भी जानकारी नहीं होगी। चन्द्रशेखर जी चले गये हैं। जिस समय अयोध्या के अंदर मामला आया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः प्रवीण राष्ट्रपाल जी आप बैठ जाएं। अगर वे ईल्ड करेंगे, तभी आप बोल सकते है।

श्री विनय कटियार: मैं इस विषय पर पहली बार बोल रहा हूं और इस बात का रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं इसलिए कृपया मेरी बात सुनें। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि देश की स्थिति बहुत खराब है, कृपा करके कोई रास्ता निकालें। चौहान साहब तैयार थे, लेकिन आपके प्रधान मंत्री तैयार नहीं थे। नरसिंह राव जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमसे कहा कि हमारी और आपकी भेंट हो रही है, किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि चोरी-छिपे मिलने आया हूं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी नेता हूं। इसलिए बात सार्वजनिक हो, देश के हित में हो। जिस स्थान की चर्चा अभी जयपाल रेड्डी जी कर रहे थे और उसमें घालमेल कर रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको वहां का इतिहास नहीं मालूम है। न ही आपको नक्शा मालूम है कि कौन सी जमीन कहां है, कौन सा मंदिर पहले कहां था। इसलिए आपने उस जजमेंट को इधर का उधर किया। उस समय मैं नक्शा लेकर गया और कहा कि कोई जमीन विवादित नहीं है। विवादित केवल 60 बाई 40 स्केयर फीट जमीन है। मुसलमान बंधुओं ने भी कहा कि सीता रसोई, राम चबूतरा यह विवादित नहीं है। कोर्ट में लिखकर यह दे रखा है। विवादित केवल 60 बाई 40 स्केयर फीट जमीन है। मैंने कहा कि इस समस्या का आप समाधान निकालिए। कोई चीज ऐसी न हो जाए कि देश में खून-खराबा हो, स्थिति को आप नियंत्रित करें और मैं आपका उसमें सहयोग करना चाहता हूं। 6 दिसम्बर के पहले 28-20 नवम्बर को प्रधान मंत्री जी से हमारी भेंट होती है और उस विषय को मैं नक्शे के साथ रखता हूं। वाह रे कांग्रेस वालों की सोच, अच्छी-मीठी बात कही, तुरंत अदालत ले गए। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में इसे ले गए और कहा कि इसको भी विवादित कर दो। अदालत ने इनकी बात नहीं मानी। उस दिन से लगा कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। इनका पुराना इतिहास रहा है और उसकी जड़ कांग्रेस की है। मैं कहना चाहता हूं शायद नरसिंह राव जी किसके दबाव में थे, यह मालूम नहीं। राजीव जी के समय में अर्जुन सिंह जी उनके सलाहकार थे, शायद उनके दबाव में थे। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी से हमें बड़ी शिकायत है। आप साधु प्रकोष्ठ की बात कर रहे थे। आप जिसकी बात कर रहे थे वृंदावन के उसी आश्रम में जाकर उस गुरू के सामने आप भी मत्था टेकते हो। अगर वह आपको आशीर्वाद देता है तो राम जन्म भूमि के लिए वह हमें भी आशीर्वाद देता है। इससे वह भाजपा का प्रकोष्ठ कैसे हो गया, क्या वह साधु भाजपा का प्रकोष्ठ हो गया, आपका नहीं रहा। संतों के विषय में इस प्रकार की वाणी बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। आप भी वी.पी. सिंह जी के चक्कर में फंस गए। आप दोनों में टकराहट शुरू हो गई थी कि इसका श्रेय कौन ले। वी.पी. सिंह जी लें या आप लें। हम चाहते थे कि आप श्रेय ले लें। आप गए भी थे, एक संदेश भी भेजा, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आप चाहते थे।

श्री मुलायम सिंह यादव: करिए-करिए।

श्री विनय कटियार: नहीं करूंगा, अगली बार जब बहस होगी, तब करूंगा। ...*(व्यवधान)* अगली बार भी इस पर बहस होगी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो। जिस विवादित स्थान की आप चर्चा कर रहे हैं, क्या आपके मन में, 60 बाई 40 स्केयर फीट को छोड़कर, यह बात नहीं थी कि आप तत्काल चारों तरफ घेरकर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करें। जब आपके मन में यह बात थी कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, ऐसा नहीं था। मेरा कहना था कि कहीं अलग जमीन ले लो। हम पर्यटन की दृष्टि से आपकी जमीन विकसित कर देंगे और जब जीत या हार हो, दूसरा मंदिर बनवा लो। जो यह कह रहे हैं, वह मैंने नहीं कहा था।

श्री विनय कटियार: अच्छा है। वैसे इनका स्वभाव कभी बदलने का नहीं है, अपनी बात पर कायम रहते हैं। लेकिन जब से कांग्रेस के सत्संग होने लगा है तो कुछ का कुछ कहते रहते हैं। लग रहा है कि आपका स्वभाव बदल रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही है। आप वहां की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। कहीं अलग जमीन लेते, हम विकसित करते। जब जीत या हार होती तो मंदिर बनवा देते। अब पश्चाताप कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी की बात नहीं मानी, गलती हुई मंदिर बन जाता। उसको बाद में देखते। मैं चाहता हूं कि आज भी ये उसी रास्ते पर चलते। उसी से समस्या का समाधान होगा।

श्री विनय कटियार: हमने तो नहीं कहा कि डिस्प्यूटेड लैंड है। आज डिस्प्यूटेड लैंड की बात हो रही है। जो विवादित स्थान था, आपके मन में भी उस विवादित स्थान को छोड़ने की कल्पना थी। वहीं की चर्चा चल रही है। आज जिसको कह रहे हैं रेड्डी साहब, वह हमारा ऑफिस था। आप उसी एक एकड़ जमीन की वकालत कर दीजिए हाउस में। आप हाउस में कह दें कि दे दीजिए। आपने जिस एक एकड़ जमीन की बात कही कि हमने खरीदी है, आप वही कहिये, आप समर्थन करिये तो कल से विवाद खत्म। आप शुरू करिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसका समर्थन करते हैं। क्या आप उस एक एकड़ भूमि पर विश्व-हिंदू परिषद् और श्रीराम जन्मभूमि न्यास की मल्कियत को स्वीकार करते हैं। अगर आप उसे स्वीकार करते हैं और जैसा आपने कहा कि उनकी जमीन है तो फिर आप हमारा समर्थन करिए। आज से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन

[श्री मुलायम सिंह यादव]

आपको समाधान नहीं करना है, आपको तो जो ऊधर से सिग्नल मिला होगा, वही आपको बोलना है। मेरा आशय कहां से है, आप जानते हैं।

आपने कहा कि अशोक सिंघल कौन हैं? वे श्रीराम जन्मभूमि न्यास के प्रबंधक हैं, अध्यक्ष दूसरे हैं। आपने अदालत की चर्चा कर दी। हमने कब अदालत का सम्मान नहीं किया। हमने तो सर्वदा अदालत का सम्मान किया है लेकिन अदालत की अगर किसी ने अवहेलना की है तो कांग्रेस ने अवहेलना करने की शुरुआत की। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट आ गया, आपने पुतला फूंकना शुरू कर दिया। वकीलों को अपमानित करना शुरू कर दिया। अदालत के सम्मान की आज आप बात कर रहे हैं। हम अपमान कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। अपमान तो आपने किया।

दूसरे आपने अभी अदालत की बात कही। मैं तारीख बताता हूं। सन् 13 सितम्बर 1994 को आपके लोगों ने इलाहाबाद में किया था। आपके लोगों ने भी अदालत के अंदर उसी प्रकार से मारपीट की। आपने कहां अदालत का सम्मान रखा।

जहां तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है तो हम तो कहते हैं कि कुछ विषय तय कर लीजिए। सब नेता बैठ जाएं। सारे विषय तय हो जाएं कि ये-ये विवादित विषय हैं। इन विषयों पर एक एक सप्ताह, महीना भर बैठ कर उनका समाधान कीजिए। अमरनाथ यात्रा पर अगर कहीं हमला हो रहा है तो उसके लिए कौन दोषी है, किसकी नीतियां दोषी हैं? किसने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया, किसने वहां के लोगों का रक्त बहाया। *...(व्यवधान)* अभी जब माननीय मुलायम सिंह जी बोल रहे थे तो दादा जी मेज थपथपा रहे थे। हम तो केवल उसका जवाब दे रहे हैं। अपने ही देश के अंदर लाखों की संख्या में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश कौन हैं? किसने यह सब किया? हम मानते हैं कि इसके लिए कांग्रेस की नीतियां दोषी हैं। यह ठीक है कि हम सभी कहीं न कहीं आतंकवाद से पीड़ित हैं। आतंकवादियों द्वारा जब कार्रवाई होती है तो सबको दुःख होता है। खुशी की बात है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या दिसम्बर 1926 में हुई। वे बीमार थे। अब्दुल रशीद ने उनको मारा। उसके बाद दिल्ली के प्रसिद्ध आर्य समाजी लाला नानक चंद की हत्या 6 अप्रैल 1929 को हुई। सितम्बर 1934 में नाथुराम शर्मा की हत्या हुई। कई और नेताओं की हत्याएं हुई, उनकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): महोदय, यह चर्चा अयोध्या मुद्दे पर हो रही है। अयोध्या से, वह कहां जा रहे हैं?

सभापति महोदयः आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियारः हत्यारे अब्दुल क्यूम का पक्ष लेते हुए बैरिस्टर बरकत अली ने कहा कि क्यूम हत्या के दोषी नहीं हैं क्योंकि कुरान के हिसाब से हत्या जायज है। यह विनय कटियार नहीं बोल रहे हैं। यह डा. अम्बेडकर ने कहा है। उनकी यह पुस्तक है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, वह किसी का नाम उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान ऐसा कहती है। मेरा इसे लेकर विवाद है।

महोदय, वे हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है? *...(व्यवधान)* वह केवल किसी का नाम लेकर उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान ऐसा कहती है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, इसका अयोध्या संबंधी चर्चा से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री आर.एल. जालप्पाः वह कुछ नहीं जानते। वह नहीं जानते कि वह क्या बोल रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियारः महोदय, स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या की बात कही, लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप विषय पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, इस सदन में अयोध्या विषय पर चर्चा चल रही है। इसके महानायक श्री मुलायम सिंह जी और श्री कल्याण सिंह जी हैं। इन दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। विवादित भूमि पर चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री विनय कटियार जी के अलावा कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

श्री नरेश पुगलिया: अगर वे गलत बात कहेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर गलत बोलेंगे, तो पाइंट आफ आर्डर के द्वारा आप अपनी बात कह सकते हैं कि माननीय सदस्य कोई गलत बात कह रहे हैं। उसके लिए आपको अनुमति दी जाएगी।

श्री विनय कटियार: 1526 ई. में अयोध्या के अन्दर मन्दिर तोड़े। अगर हमारे देश के महापुरुषों के बारे में इस तरह की बातें कही जायेंगी ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह बताइए, आपने रामजन्म भूमि के आसपास मंदिरों को नहीं तोड़ा?

श्री विनय कटियार: हमने नहीं तोड़ा।

श्री मुलायम सिंह यादव: सब तोड़ दिया है। एक महीने में सत्तर संतों को खाना खिलाया है, सबने रो-रोकर कहा कि बर्बाद कर दिया। उन सब को हटाया है और मंदिर तोड़ दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: महोदय, मैं रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विषय तक ही अपने आपको सीमित करता हूं।

औरंगजेब के पुत्र के पुत्री ने 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में रचित (सहीफा-ए-चहल नसाही बहादुरशाही) 40 नसीहतें दी गई हैं। यह पुस्तक हमारी लिखी हुई नहीं है, यह उनकी पुत्री की लिखी हुई पुस्तक है। उसमें जो लिखा है, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है—मथुरा, बनारस व अवध (अयोध्या) आदि स्थानों पर स्थित हिन्दू देवालयों तथा कन्हैया के जन्म स्थान पर नमाज नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: श्री मुरली मनोहर जोशी के शिक्षक कौन हैं? श्री विनय कटियार श्री मुरली मनोहर जोशी के गुरू हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: महोदय, मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूं— हदाकएसाइदा 1856 ई. लेक हैं—मिजा जान। उन्होंने लिखा है— सीता राम की पत्नी का नाम है। जहां पर जन्म स्थान राम का मूल मंदिर है। अत: उस स्थान पर बाबर बादशाह ने मूसा आशिका के मार्गदर्श में मस्जिद बनवाई। ये ऐतिहासिक बातें हैं। इन्होंने 15 साल की बात कही है, लेकिन यह 1528 ई. की बात है। चौथा उदाहरण—शेख मुहम्मद अजमद अली ने कौरवीं द्वारा रचित तीराखें-अवध (मूकां-ए-खुसरवीं) में लिखा है—अवध ही अयोध्या के नाम से जानी जाती है। लक्ष्मण और राम के पिता की राजधानी अयोध्या रही है। जहां पर राम जन्म स्थान में एक भव्य मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। निर्माण की तारीख का आकलन खैर बाकी सेकिया जा सकता है। अगला उदाहरण— मौलवी अब्दुल करीम करत गुम गरते हलाते अयोध्या अवध (अयोध्या की भूली बिसरी घटनायें) में लिखा है—तारीखें पढ़निया मदीना अलवालिया (1885) ये पुस्तक फारसी है। ये बाबरी मस्जिद का जो इमाम बनाया गया था, हजरत शाह जमाल गौजरी करी दरगाह का विवरण उसने दिया है, जिसमें राम के मन्दिर को तोड़ने और बाबर के आदेश पर मस्जिद बनाने का उल्लेख है।

1880 का फैजाबाद सैटलमेंट रिपोर्ट में भी यही लिखा है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है—कमालुद्दीन हैदर-उस्मी-अल हुसैनी-अल मसाहदी कृत यह 1896 (खण्ड-2) पृष्ठ 100 से लेकर 112 तक इस पुस्तक का नाम है—केसरूल त्वारिख अवध। इन्होंने लिखा है—रामचन्द्र जी त्रेतायुग के ठाकुर थे और उनके मन्दिर को बाबर ने जन्म स्थान को ध्वस्त करके मस्जिद बनवाई। अली मियां साहब के पास मुलायम सिंह जी भी जाते रहे हैं। उनका देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सम्मान है।

आज वह हमारे बीच नहीं हैं। उनके पिताजी ने भी इसी प्रकार की पुस्तक लिखी। मैं उनके उदाहरण देकर बात आगे बढ़ाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप वर्ष 2003 पर आइए।

श्री विनय कटियार: मौलना हाकिम शहीद अब्दुल हमी कृत (हिन्दुस्तान इस्लामी आहित में) मौलाना हाकिम सहीद अब्दुल हमीद जिन की मृत्यु 1923 में हुई इस्लामी संस्कृति के, इतिहास के मूर्धन्य विद्वान थे, नदवत उल उल्मा के रैक्टर थे उन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दुस्तान इस्लामी आहिद के नाम से अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी जो 1972 में हैदराबाद से प्रकाशित हुई इसका उर्दू अनुवाद, उनके विद्वान योग्य पुत्र मौलाना जिन को अली मियां के नाम से जाना जाता है अब्दुल हसन, नदवी उपाक्य अली मिया के प्राक्कथन सहित नदवत उल उलमा लखनऊ में 1973 में प्रकाशित हुआ और 1977 में उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। इस पुस्तक में हिन्दुस्तान की मस्जिदों के शीर्षक से एक अध्याय था। इसमें कम से कम ऐसी 6 मस्जिदों के निर्माण के उदाहरण दिए गए हैं।

माननीय सदस्यों को इतिहास जानना चाहिए। राम जन्म भूमि के संबंध में वह लिखते हैं इस मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा

[श्री विनय कटियार]

अयोध्या में किया गया था। मैं केवल मुसलमान साक्ष्य नहीं परन्तु कुछ विदेशी साक्ष्य भी आपको देना चाहता हूं। मैं अदालत में इसलिए जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि स्वामी चिन्मयानन्द जी ने सारे विषय रख दिए, कुछ आपने रखे। हमारे और वक्ता उन्हें रखेंगे। लेकिन ऐतिहासिक सच क्या है, साक्ष्य क्या है हम उसे पढ़े, जानें। यूरोपवासी यात्री विलियम फिंग्स की यात्रा रपोर्ट 1608 से 1611 तक है। उसने लिखा है कि राम कोट मोहल्ले में राम के मंदिर जिस में हिन्दुओं की हजारों वर्ष पहले जहां राम ने अवतार लिया था वहां बाबर ने मंदिर तोड़ा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं क्योंकि इन लोगों को कठिनाई हो रही है। अगर इस देश के मुसलमानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। ...*(व्यवधान)* 1838 एडवर्ड थार्टन इस्ट इंडिया कम्पनी गजटियर (1854) वह भी ऐसा ही कहता है। सर्जन जनरल एडवर्ड-बाल फोर कृति उन्होंने भी 1258 में ऐसे ही लिखा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह सही है कि यह हमारे भाई हैं और पढ़ाई-लिखाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अदालत में सरकार क्यों गई और उसके क्या परिणाम हुए, उस पर बहस होगी। ...*(व्यवधान)* हमारा भी फर्ज है। हम आपको हिस्ट्री का लेक्चरर बना देंगे लेकिन आप यहां भी बने रहोगे। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, उस पर बहस हो सकती है तो इस पर कैसे बहस नहीं हो सकती है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुलायम सिंह यादव ने यह कहा है कि मामला यह है कि सरकार न्यायालय में क्यों गयी। इस पर चर्चा की जानी चाहिए। फिर हम राजग के साझेदारों की भूमिका पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अब, हम यह जानते हैं कि श्री विनय कटियार डा. मुरली मनोहर जोशी जी के गुरु हैं, जो इतिहास के पुनर्लेखन में लगे हुए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: आप हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री जी के भाषण का उल्लेख कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: विनय कटियार जी के अलवा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मंत्री जी आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कटियार जी, आप बोलिए। दूसरे सदस्यों की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार: मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मेरी मंशा किसी की भावना को आहत करने की नहीं है। जब भी यह चर्चा होती है हर बार यह विषय आता है। यहां अदालत का जजमैंट कोट हो सकता है तो उनसे संबंधित जो लोग रहे, मुस्लिम शासक रहे यदि उन्होंने अपनी बातें राम जन्म भूमि के संबंध में लिखी हैं तो मैं उन्हें पढ़ रहा हूं। मैं किसी दूसरे स्थान के संबंध में चर्चा करूं तो मुझे जरूर टोक दीजिए। मैं सिर्फ राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद तक ही सीमित हूं। सारा विषय देश के सामने आना चाहिए।

गजेटियर ऑफ दी प्रोविंस ऑफ अवध 1877 में पुष्टि करता है कि मुगलों ने अयोध्या में तीन महत्वपूर्ण मंदिरों को नष्ट किया। उनके स्थानों पर मस्जिदें बनायी। बाबर ने 1528 में राम जन्म भूमि पर मस्जिद बनवाई। फैजाबाद स्टेट (1880) सैटलमैंट रिपोर्ट में भी यही लिखा है।

अपराह्न 5.00 बजे

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ फैजाबाद, 1902 में भी यह लिखा है कि ठाकुर मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ए.आर. नेविल गजेटियर आफ बाराबंकी, 1801 और फैजाबाद (1905) में यही लिखा है। इसके अलावा एनटोनीट बिवरीज (बाबरनामा इन इंगलिश) 1920 में यही लिखा है कि बाबरी मस्जिद का विश्लेषण करने के बाद पुरातत्व वास्तु विशेषज्ञ के अध्ययन के उपरांत लेखक का कहना है कि बाबर ने मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाने का काम किया।

सभापति महोदय: अब आप 1947 में देश को आजादी मिली, उसके बाद आगे कहिये।

श्री विनय कटियार: सभापति जी, जहां तक अदालत का सवाल है, इस्लामी कानून के अनुसार मस्जिद में मुल्तवी को विधि प्रक्रिया के प्रारम्भ करने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं होता है तो उसे किसी प्रकार का काम नहीं है। मैं मुसलमान बन्धुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आपको तातारी, अफगानी, गजनी, मंगोलिया के साथ क्यों जोड़ते हो? हिन्दुस्तान का मुसलमान यहां सब के साथ मिल-जुलकर रहता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लोग बैठिए, श्री कटियार कन्कलूड कर रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विनय कटियार: सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर इस देश में विवाद भी है तो अदालत के बाहर भी इस समस्या का समाधान हो सकता है बशर्ते ये लोग तैयार हों। मैं मुसलमान बन्धुओं को बताना चाहता हूं कि मोहम्मद रसूल के सात साथी हुआ करते थे। उनके नाम पर जब झगड़ा शुरू हुआ तो मोहम्मद रसूल ने उन सातों के नाम अलग-अलग मस्जिद का निर्माण कराया। ये मस्जिदें मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती थीं क्योंकि ये मोहम्मद रसूल ने मस्जिदें बनवाई थीं। मैं ऐसी पांच मस्जिदों के नाम बताता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति जी, यह बात गलत है ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: सभापति जी, मैं उन पांच मस्जिदों के बारे में पवित्र शब्द कह रहा हूं, फिर क्या बात है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राशिद साहब, आप बैठिए, आपका नाम सूची में है, आप अपनी बात कहियेगा, जब आपको मौका मिलेगा।

श्री विनय कटियार: सभापति जी, ये लोग हमारे मन्दिरों के बारे में बोल सकते हैं, हम तो इन लोगों की पवित्र मस्जिद के बारे में कह रहे हैं। हम पवित्र कहकर उनका सम्मान कर रहे हैं, फिर इन्हें क्यों आपत्ति हो रही है? हम इनकी भावनाओं का आदर करते हैं। मैं बता रहा था कि वे पांच मस्जिदें हैं—मस्जिदे मोहम्मद, मस्जिदे अबु बक्र, मस्जिदे उमर, मस्जिदे उसमान और मस्जिदे अली। इन पांच मस्जिदों में से चार को तोड़ दिया गया, क्यों तोड़ा गया? इसलिए कि वहां सड़क को चौड़ा करना था। अगर यह बात साबित न हो जाये तो मैं लोक सभा से इस्तीफा दे दूंगा, अन्यथा ये इस्तीफा दे देंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं हल्की-फुल्की बात नहीं करता।

श्री राशिद अलवी: कटियार जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: राशिद जी, आपको जब समय मिलेगा, आप अपना इतिहास कहियेगा। अब आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, यह ठीक है कि कटियार जी तथ्यों का इतिहास बता रहे हैं लेकिन मेरे पास भी उज्जैन, कन्नौज आदि मंदिरों के इतिहास हैं जहां पर पूजा और प्रसाद के लिए और उन मन्दिरों को मदद देने के लिए औरंगजेब ने सरकारी खजाने में से पैसा दिया।

श्री विनय कटियार: सभापति जी, अगर यह बात साबित हो जायेगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुलायम सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री विनय कटियार: सभापति महोदय, वर्षों से ये मुस्लिम समाज के पवित्र स्थान माने जाते हैं। इसलिए मैं मुस्लिम बंधुओं से अपील करना चाहता हूं और इस रौ में अपील करना चाहता हूं, जब मैंने आंदोलन प्रारंभ किया था तो मैं देवबंद गया था और वहां से एक फतवा लाया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जाधव जी, आप क्यों खड़े हैं, मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं, आप अपनी सीट पर बैठिये। कटियार जी, आप बोलिये।

श्री विनय कटियार: इसलिए हम चाहते हैं कि हिन्दू-मुसलमानों में एकता स्थापति हो और इसमें से राजनीति दूर हो। अगर वहां ये सब हो सकता है, सौहार्द्रपूर्वक हो सकता है, अच्छे वातावरण में हो सकता है, इस्लामिक राष्ट्रों में भी मस्जिदें हटाई गई हैं, यदि वहां हो सकता है ...*(व्यवधान)* आप ठीक कह रहे हैं, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। यही मैंने प्रारंभ में अपील की थी कि अगर वहां ये सब हो सकता है तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। अयोध्या के अंदर अवध के नवाब ने हनुमानगढ़ी का निर्माण कराया था, जो आज भी वहां पर है। वहां सारे लोग पूजा करने और माथा टेकने के लिए जाते हैं। ये केवल कुछ लोग हैं, जिसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि इस समस्या का समाधान हो। दूसरी भूमिका इसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी और आदरणीय वी.पी. सिंह जी की आपस की लड़ाई थी।

श्री मुलायम सिंह यादव: नहीं।

श्री विनय कटियार: इस लड़ाई के कारण इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकला। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आप भी लोक सभा में बहस करते हो और कहते हो कि अदालत निर्णय दे दे या बातचीत से समाधान हो जाए, ये बात आप रोज कहते हो। माननीय अटल जी या हमारी सरकार ने ऐसा तो नहीं कहा कि इसका निर्णय ऐसा कर दो, इसके पक्ष में कर दो या उसके विपक्ष में कर दो। यदि उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान हो और इसका आप जल्दी निर्णय कर दो तो इसमें कौन सी आपत्ति हो गई। अगर छः दिसम्बर, 1992 के पहले कांग्रेस सरकार यह निर्णय देती, जब मैं मिलने गया था तो मैंने यही निवेदन किया था कि पांच तारीख को यह फैसला होने

[श्री विनय कटियार]

वाला है, इसका इस समय निर्णय करा दीजिए। जो हमने नक्शा दिया, उस पर कोई विवाद नहीं है। उस पर मुसलमान भी असहमत नहीं हैं। दादा आप उस समय अयोध्या गये थे या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वहां गये थे। जो लोग वहां गये थे, उन्होंने उसी स्थान पर जाकर प्रसाद लिया और कहा कि कहां है वह स्थान। भारत के उस समय के गृह मंत्री श्री चव्हाण साहब ने हमसे कहा कि कटियार

अपराह्न 5.07 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

साहब जहां मुझे आना था, वह विवादित स्थान कहां है। उन्होंने कहा कि आप मंदिर क्यों ले आये। मैंने कहा आप पहले प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद मैंने कहा कि यही वह स्थान है। वहां जो जाता था, उसे मंदिर दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज में बैठते हैं, दिल्ली आने लगती है और कुर्सी दिखाई देने लगती है तो मंदिर के स्थान पर मस्जिद दिखाई देने लगती है। जब तक यह होता रहेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)* मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। डा. अम्बेडकर ने कहा है, महोदय, आप जहां के माननीय मुख्य मंत्री रहे हैं, वहां डा. अम्बेडकर ने 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' नाम की पुस्तक लिखी। यह उसका 15वां हिन्दी संस्करण है। हमारी सरकार तब नहीं थी। आपके रिजीम में वह पुस्तक नहीं लिखी गई, कांग्रेस के रिजीम में यह पुस्तक लिखी गई। हिन्दू शिक्षा मंत्री और मुस्लिम शिक्षा राज्य मंत्री दोनों ने मिलकर उनके भाषण और लेख की पुस्तक लिख डाली। इस पुस्तक में बाबरी मस्जिद, बनारस की मस्जिद, मथुरा और विदेशी आक्रांताओं का उल्लेख है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पुस्तक को सदन के पटल पर रख दूंगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें 'एकता का विघटन' नाम का एक चैप्टर है, इसमें सारे विचार उपलब्ध हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो डा. अम्बेडकर का नाम लेते-लेते दिन-रात सोते और जागते हैं, आज अगर विनय कटियार ने डा. अम्बेडकर पर बोलना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्यों इन्हें बीमारी सी शुरू हो गई।

मैं इसीलिए उस पर बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात कहूंगा कि जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था, तो उस समय कन्हैयालाल मुंशी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा मैं उस पत्र का एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा:

"... मेरे लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, यदि वह मुझे मेरी भगवद्गीता से वंचित कर दे अथवा इस देश के करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा ही उजाड़ दे, जिस श्रद्धा से वे अपने मंदिरों को निहारते हैं। फिर तो जीवन का सारा ताना-बाना ही बिखरकर रह जाएगा।..."

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुंशी जी के पदचिह्नों पर चलते हुए सदन एक बार तय करे और इस समस्या का समाधान करे तथा जल्दी करे। इतने सारे प्रमाण मौजूद हैं देश के अंदर और विवाद केवल 15 सालों का नहीं है, विवाद 1528 से प्रारंभ हुआ है। उस विवाद को समाप्त करिए और समाप्त होने का एक ही रास्ता है कि उसी स्थान पर भगवान राम का मंदिर भव्य और सुन्दर बने, यही एक समाधान है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे मित्र कहते हैं, 'हम हर सत्र में अयोध्या पर चर्चा क्यों करें?' भारतीय जनता पार्टी के दो अति प्रतिष्ठित सदस्यों के भाषण सुनने के बाद मेरा यह मानना है कि सभा यह महसूस करती है कि यह अति आवश्यक है कि हम इस मुद्दे पर गहन चर्चा करें। अन्यथा, भारतीय संसद इस समय राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दे से निपटने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएगी।

यह सही है कि हम यह कहते रहे हैं और कल भी हमने यह कहा था कि हमारे देश के सामने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे—बेरोजगारी, औद्योगिक मंदी, देश में किसानों की दुर्दशा, सूखा, विनिवेश आदि मुद्दे। हमारे राष्ट्रीय जीवन का हरेक पहलू एक या दूसरे संकट से पीड़ित है और हम उसे प्रमुखता देना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम ऐसे मुद्दे उठाने का अवसर देने की मांग कर रहे हैं और आप ऐसे अवसर देते रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर आपके द्वारा ध्यान दिए जाने की प्रशंसा करता हूं। फिर भी, भारत सरकार द्वारा बिना आवश्यकता के इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में ले जाने के आकस्मिक निर्णय ने आज हमें आपसे यह चर्चा करने की अनुमति देने का अनुरोध करने को उद्धृत किया है।

यदि कोई भी पार्टी—भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश शाखा और बजरंग दल के अध्यक्ष के रूप में श्री विनय कटियार—मैं नहीं जानता हूं कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है अथवा नहीं—न्यायालय में गई होती तो हम इस मुद्दे को नहीं उठाते। हम ऐसा नहीं करते। किंतु 5 फरवरी को बिना किसी उकसावे के भारत सरकार ने अचानक वर्तमान आदेश और इस प्रकार 'यथास्थिति' को बदलने हेतु उच्चतम न्यायालय जाने का निर्णय लिया।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने इसके औचित्य के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने 14 शताब्दी के आगे के इतिहास को अपनी तरह से हमें बताया। हमें यह बताया गया कि वहां क्या था और क्या नहीं था जैसे कि आज हम यहां बैठे यह निर्णय ले सकते हैं कि वहां मस्जिद थी या मन्दिर अथवा इस संबध में क्या किया जाना चाहिए। हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं। मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री द्वारा एक लंबित मामले पर की गई टिप्पणी पर अपना क्रोध और आपत्ति व्यक्त की।

हमने आपत्ति क्यों की? हमने आपत्ति इसलिए की क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। वे प्रधानमंत्री होंगे किन्तु उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर होने संबंधी अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान होना चाहिए। वे सरकार के मुखिया हैं और उन्होंने किस प्रकार एक लंबित मुद्दे पर अचानक कोई टिप्पणी कर दी? अतः मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने यह बिल्कुल ठीक कहा था कि यह कार्ड हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के लिए खेला गया है।

महोदय, यह मुद्दा केवल आज ही नहीं उठा है और चाहे श्री येरननायडू को यह अच्छा लगे या न लगे, यह भाजपा के एजेंडे का एक भाग है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: आप अपना एजेंडा बना लें, क्या दिक्कत है। आप अपना एजेंडा बना लें तब मामला हल हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं आपके हस्तक्षेप का आभारी हूं। मैं श्री एल.के. आडवाणी की साफगोई की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने वही कहा जिसमें उनका विश्वास है। उन्होंने कहा कि वे अपने एजेंडे में विश्वास रखते हैं किंतु सरकार में बने रहने के लिए उन्होंने शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा अपना लिया है। अब उन्होंने जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी अध्यक्षों की बैठक में क्या कहा था? उन्होंने अब तक इससे इंकार नहीं किया है। समाचार-पत्रों में यह बताया गया है और मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> ''आज श्री एल.के. आडवाणी ने यह संकेत दिया कि भाजपा सरकार शासन के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेंडा को छोड़ने की इच्छुक है और विवादित प्लाट सहित अयोध्या में अधिगृहीत की गई सारी 67 एकड़ भूमि विश्व हिन्दू परिषद के नियंत्रण वाले ट्रस्ट को सौंपने के लिए एक विधान लाने को तैयार है।''

यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता के संबंध में विधान ला सकती है, धर्मांतरणों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है और सारे देश में गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु भी एक विधान लाएगी। इससे अभी तक इंकार नहीं किया गया है। टिप्पणी बताती है कि ऐसा वी.एच.पी. और आर.एस.एस. के दबाव में किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं किया गया है।

महोदय, जब श्री आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी प्रकाशन बीजेपीज व्हाइट पेपर ऑन अयोध्या एण्ड द एम टेम्पल मूवमेंट' की प्रस्तावना में लिखा था। यह पुस्तक भाजपा ने प्रकाशित की थी और इसकी प्रस्तावना श्री आडवाणी जी ने लिखी थी। इसमें क्या कहा गया है। मैं उद्धृत करता हूं:

> ''बाबर के आदेश पर मीरबकी द्वारा बनाए गए ढांचे का धार्मिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं था। यह विशुद्ध और सामान्य तौर पर आस्था और धर्म का प्रतीक न होकर विजय का प्रतीक था। उसी प्रकार स्पष्टतया यह एक बाधा है जो हिन्दुओं को उनके भगवान श्री राम की जन्मभूमि की पूजा करने से रोक रही है, यह देश के लिए दासता का एक प्रतीक है।''

इस प्रकार भाजपा ने बाबरी मस्जिद को दासता का एक प्रतीक माना। उन्होंने यह भी कहा है:

> ''जिस प्रकार से राज्य बनाम तत्कालीन सरकार...'' जिसका अर्थ संभवतः कांग्रेस सरकार है.... रूढ़िवादियों और आतंकवादियों की बात मानने लगी और जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के स्वयंसिद्ध नेताओं ने अलगाववाद की राजनीति को पुनरुज्जीवित किया जिससे देश का विभाजन हुआ और इससे भी आगे जिस प्रकार प्रधानमंत्रियों और अन्यों ने उसके आगे घुटने टेक दिए और वे दोहरे मानदण्ड जो भारत में यह प्रवचन देते समय अधिकाधिक अपनाये जाते रहे कि 'हिन्दू' शब्द ऐसी चीज बन गया जिस पर हम शर्मिन्दा हों। ऐसा इस हद तक हो गया कि राष्ट्रीयता एक गंदा शब्द बन गया जिससे लोगों में काफी घृणा पैदा हो गई। यह सब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया गया और इससे लोगों को यह महसूस होने लगा कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह धर्मनिरपेक्षता नहीं है अपितु विकृत आचरण है। लोग इस बात की खोज करने लगे कि धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ क्या है? उन्हें इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि यदि राष्ट्रीयता अभिशाप होती तो

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

क्या हमारा देश जीवित रह सकता था? श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण इस उभरती चेतना का प्रतीक बन गया।"

उन्होंने कहा:

"हमारी सरकारों ने रामजन्म भूमि के संबंध में लोगों की तीव्र इच्छा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि न्यायालयों ने भी हमारे लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।"

उस समय न्यायपालिका उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। वह भाजपा के भी अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कहा:

"सरकारें अपने आंकड़ों के खेल में खोई रहीं। हमारे नेता विघ्नकारी बने रहे और उनका ध्यान होशियार बनने में ही लगा रहा, हमारे न्यायालयों ने उन्हें कानून में उलझे रहने दिया।"

किन्तु मैं इस किताब का अंतिम वाक्य पढ़ना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

"कारसेवकों ने काफी अधिक काम कर दिया। उन्होंने न केवल हमारी दासता के प्रतीक को मिटा दिया, उन्होंने न केवल पुनरुत्थान के एक प्रतीक का निर्माण शुरू किया है उन्होंने हमें यह दिखा दिया है कि देश ने दो बिल्कुल विपरीत कार्य किस प्रकार किए हैं ..."

उन्होंने, जिसे वे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कहते हैं, के आधार पर इसे तर्कसंगत ठहराया। वे हर रोज हम पर छद्म-धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगाते हैं और अपनी बारी पर बीएचपी ने अपने अनुयायियों के लिए उन पर भी छद्म-धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगाया।

श्री एल.के. आडवाणी ने खुले तौर पर यह कहा है कि 'रथ यात्रा' के कारण वे सत्ता में हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने यह भी कहा 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी है किन्तु हम एक गठबंधन सरकार में हैं।' गठबंधन सरकार में विचारधारा की कोई प्रासंगिकता नहीं है। केवल सत्ता में बने रहना ही प्रासंगिक है।

अब मैं उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में शीघ्र होने वाले चुनाव के समय कही गई बातों के बारे में बताता हूं। यह राष्ट्रीय चुनाव नहीं हैं। उनके बहुत ही अच्छे मित्र और हाल ही में पद्मविभूषण से सम्मानित किए गए श्री प्रभु चावला ने कहा:

"राजनीति समझौता करने की कला है। कई बार इसमें समझौते तोड़ भी दिए जाते हैं। लगभग पांच वर्ष सत्ता में रहने के बाद दो महीनों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पांच वर्ष तक सत्ता में रहने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री बन जाएंगे। ऐसा लगता है कि भाजपा ने दोनों ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। विभिन्न राज्यों में आगामी विधान सभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणा-पत्र तथा शासन हेतु राष्ट्रीय एजेण्डा के बीच अन्तर स्पष्ट करते हुए वर्ष 1998 के पश्चात् पहली बार पार्टी ने पिछले सप्ताह यह स्पष्ट किया कि वह राजग के शासन हेतु राष्ट्रीय एजेण्डा द्वारा लागू बाध्यताओं से बंधी नहीं है। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को स्पष्ट संकेत भेजा है कि इसका मुख्य नारा वह प्रमुख वैचारिक मुद्दे होंगे जिनके कारण पिछले पंद्रह वर्षों में पार्टी का बहुमुखी विकास हुआ।

हाल ही में, फरवरी में हिमाचल प्रदेश; इस वर्ष के अन्त में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों के संबंध में बैठक हुई थी। इस बैठक में उप प्रधान मंत्री और पार्टी अध्यक्ष सहित तीस वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। आडवाणी ने विचार-विमर्श का रुख यह स्पष्ट करते हुए तय कर दिया"

यह 3 फरवरी 2003 के 'इंडिया टुडे' में प्रकाशित हुआ है। यह लेख श्री प्रभु चावला द्वारा लिखा गया है जिनकी किस दल के प्रति कमजोरी है यह विदित है। वह कहते हैं:

"गुजरात चुनाव के परिणामों ने भाजपा को नई जीवंतता और विश्वास दिया है। कांग्रेस ने अब तक यह महसूस नहीं किया है कि वह छद्म धर्मनिरपेक्षता और हिन्दू विरोध के कारण हारी है। भाजपा अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के प्रति स्पष्ट है और उसे इसका खेद नहीं है।"

इसी बात ने सरकार को न्यायालय जाने को प्रोत्साहित किया। हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं।

गत वर्ष, मार्च 2002 में, 1994 के निर्णय के बाद जिसने सारे मुद्दे को शांत कर दिया, सबने स्वीकार किया कि यह न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। मेरे पास एक पत्र है जो पहले प्रधानमंत्री द्वारा हम सबके पास भेजा गया था। दि. 7 जून 1998 के इस पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी से ऐसा कहा था:

"जहां तक मेरी सरकार का प्रश्न है, संविधान और कानून सर्वोच्च हैं। अयोध्या मामले में न्यायपालिका अपना कर्त्तव्य स्वतंत्र रूप से निभाएगी। यदि उच्चतम न्यायालय अयोध्या में राममन्दिर के निर्माण का पथ प्रशस्त करता है, तदनुसार निर्णय को लागू किया जाएगा। यदि, उच्चतम न्यायालय इसके विपरीत निर्णय देता है तो मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने का

सांविधानिक दायित्व निर्वाह करेगी कि कोई भी निर्णय के विरुद्ध कार्य न करे।''

1994 में, एक निर्णय दिया गया था। निर्णय उस समय दिया गया था जब 1993 के अधिग्रहण अधिनियम को चुनौती दी गयी थी, जब मस्जिद ध्वस्त किए जाने के बाद भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जब 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरायी गयी थी और जिसे हम राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाने वाली और शर्मनाक घटना कहते हैं। 1993 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लगभग 67 एकड़ और 2.77 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी थी और इस मुद्दे पर विस्तृत जांच की गयी है। मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलैय्या, न्यायमूर्ति वर्मा और न्यायमूर्ति राय ने बहुमत से जिसे हमें मानना चाहिए स्पष्टत: यह कहा कि मामले के अंतिम न्यायनिर्णयन पर ही, विवादित या अविवादित भूमि से संबंधित प्रश्न का निर्णय हो सकता है। मुझे लगता है कि जब मैं यह कह रहा हूं, हमारे महान विधि विशेषज्ञ जिन्हें विधि मंत्री बनाया गया है, अपना सिर हिला रहे हैं।

महोदय, सदन और आपका समय लेने के बजाए, हम इस मामले के निष्कर्ष को पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष वाले अध्याय में विस्तृत चर्चा है। यदि कोई माननीय सदस्य इसे देखना चाहे तो उनका स्वागत है। यह मेरा अनुरोध है कि वे इस निर्णय के पैरा 49 को पढ़ें जो उच्चतम न्यायालय के मामले 1994 के खंड-6, और 1995 एआईआर में प्रकाशित है। मैं निष्कर्ष के पैरा 96 से पढ़ने जा रहा हूं। श्री अलवी, मैं जानता हूं कि आपको अत्यन्त कठिन भूमिका निभानी है। कृपया पैरा 49 से पैरा 53 तक भी पढ़ें।

''अधिनियम की धारा 3 के कारण कथित विवादित क्षेत्र का केन्द्र सरकार में निहितीकरण एक सांविधिक रिसीवर तक ही सीमित है और इसका कार्य धारा 7 के अनुसार उस भूमि का प्रबंधन और प्रशासन है। एक सांविधिक रिसीवर के रूप में केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य मुकदमों में अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन हेतु उसके न्यायनिर्णयन के अनुरूप विवादित भूमि को अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सौंप देना है। विवादित भूमि को अधिगृहीत करने का यही उद्देश्य है।''

''विवादित क्षेत्र के अलावा पार्श्वस्थ क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 3 के तहत केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम द्वारा अधिग्रहीत किया है, उस पर अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 1 के अनुसार, सरकार का प्रबंधन और प्रशासन का तब तक पूर्ण अधिकार रहेगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार इसका निहितीकरण आगे किसी प्राधिकारी अथवा किसी निकाय अथवा किसी न्यास के न्यासी में नहीं कर दिया जाता। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विवादित क्षेत्र से भिन्न पार्श्वस्थ क्षेत्र का आगे निहितीकरण इसके अधिग्रहण नामत: अंतिम अधिग्रहण के प्रयोजन के दृष्टिगत, दर्शाये गये समय और रीति से किया जायेगा।''

इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है। पैरा 96 के उप पैरा 9 में दिया गया है:

''पार्श्वस्थ क्षेत्र के किसी भाग के अधिग्रहण को दी गयी चुनौती की जांच इस चरण में इस आधार पर नहीं की जा सकती कि लंबे समय से विवादित मामले के हल के लिए यह आवश्यक नहीं है। तथापि, निश्चित क्षेत्र जो विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है, के अतिरिक्त क्षेत्र जिसके बारे में गलत वचन लिया गया है को अविवादित स्वामियों को सौंप दिया जाना चाहिए।''

क्या अतिरिक्त है, और क्या नहीं, उसका उपयोग कैसे किया जाए, कैसे नहीं, यह विवाद के न्यायनिर्णयन के पश्चात ही तय हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टत: कह दिया है। 1994 से सब लोगों ने इस स्थिति को स्वीकार किया है। गत वर्ष तक कोई समस्या नहीं थी जब पूजनीय सन्यासी कांची मठ के शंकराचार्य दिल्ली आए। तब अचानक शिला पूजा करने की मांग उठी। कृपया इसे याद कीजिए। यहां तक कि पिछले साल भी ऐसे कोई मांग नहीं थी कि उन्हें शीघ्र भूमि दी जाए। उन्होंने कहा था कि वे कुछ पूजा वहां करना चाहते थे। केवल यह मांग की गयी। कोई अन्य दावा नहीं किया गया। तब भी हमने अपनी दलील दी थी। देश में आन्दोलन छिड़ा था। अयोध्या, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था का गंभीर खतरा था। पूरा देश विक्षुब्ध था। यह सदन विक्षुब्ध था। हमने इस पर चर्चा की।

तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिलापूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे महान्यायवादी श्री सोली सोराबजी के 'महान' हस्तक्षेप के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने उनकी दलील खारिज कर दी। उनकी दलील क्या थी? यह एक विधिसम्मत दलील कैसे हो सकती है? हां, हम लोग उतने काबिल अधिवक्ता नहीं हैं। तब महान्यायवादी श्री सोली सोराबजी ने न्यायालय को बताया था कि अविवादित भूमि का अल्प समय के लिए प्रतीकात्मक पूजा करने के लिए अस्थायी इस्तेमाल की अनुमति देने से यथास्थिति बनाए रखने का उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता केवल विवादित भूमि के विषय में है। वे ऐसे लोगों का साथ रखते हैं। हम इससे ज्यादा उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने बलपूर्वक बहस की कि 300 से 400 साधुओं द्वारा प्रतीकात्मक पूजा और भूमि में प्रवेश किए बिना दूर से कार सेवकों को देखने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को बेझिझक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा था, ''मैं ऐसा न्यायालय के मित्र 'एमिकस

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

क्युरे' के रूप में कर रहा हूं।'' उच्चतम न्यायालय को तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहण की गयी भूमि का कोई हिस्सा किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे बनाए रखा जाए और अगले आदेश तक किसी भी उद्देश्य के लिए इसके किसी भाग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा:

''हम निर्देश देते हैं कि रामचन्द्रपुरम गांव में प्लाट सं. 159/60 पर स्थित 67.703 एकड़ भूमि जो केन्द्रीय सरकार में निहित है पर भूमि पूजा, शिला पूजा और शिला दान सहित कोई भी धार्मिक कार्य किसी के द्वारा भी किए जाने की अनुमति अगले आदेशों तक नहीं दी जाएगी।''

चूंकि दलील यह थी कि यह अविवादित भूमि के संबंध में नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट की। मैं इसे उद्धृत करना चाहूंगा:

''इस बीच हम निर्देश देते हैं कि कोट रामचन्द्र गांव में राजस्व प्लाट सं. 159 और 160 में स्थित 67.703 एकड़ भूमि पर, साथ ही अयोध्या में कतिपय क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम, 1993 (अधिनियम सं. 33/1993) की अनुसूची में वर्णित भूमि सहित जो केन्द्र सरकार में निहित है, पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि भूमि पूजा या शिला पूजा सहित चाहे वह प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, किसी के द्वारा भी किए जाने की अनुमति या स्वीकृति नहीं दी जायेगी।''

भारत सरकार इस आदेश को निरस्त कराना चाहती है। किस उद्देश्य से? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? वे कहते हैं: ''हम विवादित भूमि की मांग नहीं कर रहे।'' यदि कल यह निरस्त हो जाए तो सरकार क्या करेगी यह केन्द्रीय सरकार का भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करेगी? ये किसे हस्तांतरित करेगी? आप 2.77 एकड़ भूमि की मांग नहीं कर रहे हैं—इतनी दया दिखायी गयी है—जहां मस्जिद थी और जिसे अनियंत्रित रूप से गिरा दिया गया। आप दूसरा भाग चाहते हैं। किसलिए? किस प्रकार के निर्माण के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए? हमेशा से उनका यही मामला रहा है कि गर्भ-गृह वहीं रहेगा जहां मस्जिद थी। आप इसका निर्माण वहां नहीं कर सकते। खैर, जब तक मामले पर अंतिम न्यायनिर्णय नहीं हो जाता, कोई भी इसका दावा नहीं कर सकता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसमें केन्द्र सरकार का क्या हित है। सम्पूर्ण देश में जानबूझकर यह कहकर भ्रांति फैलाई जा रही है कि उच्चतम न्यायालय ने उस समय वहां उपद्रव के खतरे को रोकने के लिए ही आदेश दिया था अन्यथा उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं किया होता। आगे कहा गया है कि अब शांति है—कब्रिस्तान की शांति—और कोई समस्या नहीं है, कोई आशंका नहीं है और इसलिए वे उन लोगों को भूमि दे सकते हैं। वे इसको किसे देंगे? क्या वे इसे न्यास को देंगे अथवा विश्व हिंदू परिषद को देंगे अथवा बजरंग दल को देंगे? यह किसके नाम की जाएगी? किसके द्वारा ऐसा किया जाएगा। इसीलिए हमें चिंता है। हमारी चिंता दूसरे बारे में है कि हिन्दुत्व का एक भाग जो उन्हें बहुत उपयोगी लगा क्योंकि गुजरात ने उन्हें दिखा दिया है कि इसी जगह वे फायदा उठा सकते हैं। यदि मैं 'फ्रंटलाइन' से अपने निवेदन के भाग के रूप में एक अनुच्छेद से कुछ पंक्तियां पढ़ूं तो यह स्पष्ट हो जाएगा। यह 28 फरवरी के अंक में से है। मैं उद्धृत करता हूं:

''गुजरात में एक बार पुन: हिंदुत्व कार्ड की प्रभावोत्पादकता को महसूस करके भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के जटिल मुद्दे के संबंध में अपनी सभी अंतर्बाधाओं को दूर कर लिया है। स्पष्टत: उसकी दृष्टि इस वर्ष अनेक राज्यों में अगामी चुनावों और संभवत: समय से पूर्व होने वाले लोक सभा चुनावों पर है और पार्टी विश्व हिन्दू परिषद के साथ सभी मुद्दों को पुनरुज्जीवित करने हेतु पूरी तरह तैयार है।''

इसीलिए, मैंने कहा था कि उनका यही संबंध है। न्यायालय के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत करने की उनकी यही मंशा है। यह आवेदन करने का उद्देश्य अपने उसी एजेंडे को चलाये रखना है। वे हिंदुत्व के एजेंडे पर निर्भर रहते हैं।

भाजपा सरकार के सहयोगियों, हमारे मित्रों, आपकी अंतरात्मा को तो ठेस नहीं लगती। हम क्या कर सकते हैं? आप हर बार खड़े होकर कहते हैं कि आपको शासन के राष्ट्रीय एजेंडा से ही मतलब है। मैं नहीं जानता कि आपके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए अथवा आप पर दया करनी चाहिए। परन्तु मैं देश के भविष्य के लिए सोचता हूं। देश का क्या होगा? आपके लिए कौन परेशान होगा? उन्होंने कहा है कि राजस्थान में विधान सभा चुनावों के लिए आप लोगों की कोई गिनती नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावों के लिए आप लोगों की कोई गिनती नहीं है। कोई भी उनको नहीं गिनता। उनको चिंता नहीं कि आप उनके साथ रहें अथवा बाहर जाएं। आप कहां जाएंगे? आपने खून चख लिया है। आपने बहुत मीठा खून चख लिया है। यह आदान-प्रदान वाली सरकार है। आप लोगों को सभी लाभ मिल गए हैं और किसी भी चीज से ज्यादा भौतिक लाभ मिल गए हैं और सांसारिक लाभ नहीं मिले किन्तु आप उन्हें सांसारिक समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। डा. सेनगुप्ता जैसे कुछ शिक्षित लोग वहां बने हुए हैं और अशिक्षित हो गए हैं। वह पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। डा. सेनगुप्ता, आपको यहां भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। यह घोटालों का देश है। आप घोटालों की

सरकार का समर्थन कर रहे हैं। क्या यह राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इस मुद्दे पर न्यायालय में जाना राजनैतिक भ्रष्टाचार नहीं है? इससे आपको कष्ट नहीं होता क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा, यदि कोई है, उसको बेच दिया है। ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैंने कहा है कि यहां राजनैतिक भ्रष्टाचार है। मैंने यह नहीं कहा कि यह वित्तीय भ्रष्टाचार है। देश के लोगों को इसका पता है। मुझे इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह राजनैतिक और नैतिक भ्रष्टाचार का प्रश्न है। डा. विजय कुमार मल्होत्रा मेरे साथ नहीं हैं। मैं बहुत विचलित महसूस कर रहा हूं। यदि वह मुझसे सहमत हों तो कुछ समस्या है ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: न्यायालय में जाना देश में हरेक का मौलिक अधिकार है। आप न्यायालय में जाने पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं उसकी बात करूंगा। यह बहुत अच्छी बात है। हमें ध्यान दिलाया गया है कि न्यायालय में जाना हरेक नागरिक का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जाना और कहीं नहीं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जाना है। किसी अन्य न्यायालय में नहीं। तथापि, सरकार न्यायालय में चली गई। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आवश्यकता थी। एक दिन सरकार जाती है और कहती है:

> ''चलो न्यायालय चलें।'' यह श्री अरुण जेटली की तरह नहीं है। श्री अरुण जेटली पैसा कमाने के लिए न्यायालय जाते हैं। सरकार इस मामले में न्यायालय में क्यों गई? इसका कोई उद्देश्य है। मुझे बताया गया है कि उन्हें अपने कर भुगतान करने के लिए 'सम्मान' मिला है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: कोई भी इच्छुक पक्ष न्यायालय में जा सकता है और तेजी से सुनवाई करने हेतु कह सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: हां, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी उत्सुकता में उन्होंने कहा है कि सरकार एक इच्छुक पक्ष है। ...*(व्यवधान)* हां, सरकार इस विवाद में एक इच्छुक पक्ष है। हमारा यही कहना है। ...*(व्यवधान)* उन्हें न समझ है और न ही विवेक है। इसलिए, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* आप बंधुआ मजदूर के रूप में वहां हैं। चलते रहिए ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब अनावश्यक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: फिर आपने अनावश्यक रूप से हमारी आलोचना क्यों की?

डा. नीतिश सेनगुप्ता: नहीं, मैंने केवल वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)* मैंने इस सभा के वर्तमान सदस्य और अपने सहयोगी के ही भाषण का उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम यहां पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* आप सरकार का हिस्सा हैं। यह मत भूलें कि ...*(व्यवधान)* आपको हटा दिया गया है। आप मंत्री बनना चाहते थे और आपको मंत्रालय नहीं मिला ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हमारा प्रश्न है। अचानक कोई उठता है और न्यायालय चला जाता है। कोई भी केवल मजे के लिए न्यायालय नहीं जाता। उच्चतम न्यायालय जाना मौज-मस्ती नहीं होता। हम वहां कुछ आवेदन करने जाते हैं न कि बगीचे देखने और न ही मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय देखने। यह सुंदर भवन है जिस पर हम सबको गर्व है। मैंने भी कभी-कभी वहां से पैसा कमाया है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): आपने न्याय दिए बगैर पैसा कमाया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे न्याय देना नहीं होता। मुझे केवल न्याय मांगना पड़ता है। ...*(व्यवधान)* महोदय, उनके लिए कुछ कक्षाएं आयोजित करें।

महोदय, यह सरकार विश्व हिंदू परिषद, शंकराचार्यों तथा धर्म संसद के साथ मिलकर कार्य कर रही है। अब क्या हो रहा है? कृपया तारीख देखिए। 22 फरवरी धर्म संसद की तारीख है। अब, हमारे भले प्रधान मंत्री कांप रहे हैं। पहले वह उनके विरुद्ध खड़े हो जाते थे। अब वे 7, रेस कोर्स रोड के नियमित आगंतुक हैं। अवश्य ही उनका जाने का हक है और इन्हें आमंत्रित करने का उन्हें हक है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): वे वहां प्रधान मंत्री को समझाने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: नहीं, उन्हें समझाने नहीं। वे कह रहे हैं: ''या तो आप हमारी बातें मानें अन्यथा आप जाइये।'' यह संदेश दिया गया था। वास्तव में उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। गोवा, मनाली और जहां भी वह बाहर जाते हैं वह अपना चिन्तन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): मैं सोमनाथ चटर्जी जी से एक ही बात जानना चाहता हूं। अभी आपने एक पत्रिका में से पढ़ कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपने पढ़ कर सुनाया। आपने यह भी कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इस समस्या का निदान कैसे होगा, इस बारे में वे कुछ नहीं बोलते हैं, केवल भूमिका बांध रहे हैं। आप इस बारे में बताइए कि क्या करना है और कैसे करना है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: धन्यवाद, प्रभुनाथ जी। मैंने अपना भाषण लगभग समाप्त कर दिया है। यदि आप पांच मिनट और प्रतीक्षा करते तो आपको पता चल जाता।

महोदय, इसलिए हमारी चिंता है कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाये रखने का बहुत गम्भीर प्रश्न दांव पर लगा हुआ है। गुजरात में क्या हुआ? हमें याद है कि हमारे प्रधान मंत्री ने गुजरात में निर्दोष लोगों के शवों पर वर्तमान मुख्य मंत्री की भारी सफलता का दावा करने के लिए वहां जाने का कष्ट किया जैसाकि श्री मुलायम सिंह यादव ने भी इसका उल्लेख किया है। उसे अब मुद्दा बनाया गया है। इसीलिए श्री आडवाणी कहते हैं: हमें इसका अफसोस नहीं है: यह हमारा कार्ड, हमारा एजेंडा है।''

इसलिये, वे धर्म संसद द्वारा की गई मांग पर आगे-पीछे कार्य कर रहे हैं। धर्म संसद ने चेतावनियां दी हैं। अब विश्व हिंदू परिषद कहती है कि वे हिंदुओं के स्वनियुक्त प्रतिनिधि हैं। इस देश के 85 प्रतिशत लोग हिन्दू हैं। उन्हें किसने निर्मुक्त किया। कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। वे कहते हैं, 'हम हिंदू हैं, जैसे कि हिंदुओं पर उनका एकाधिकार है।'

आज, हमने श्री विनय कटियार को हिंदूवाद के बारे में उनकी जानकारी के बारे में सुना। वह हमारे अच्छे मित्र हैं। वह बहुत अच्छे आदमी हैं। लॉबी में वह सभ्यता और स्नेह के अवतार हैं। हम उन्हें पसंद करते हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। वह मेरी समिति में हैं। वह बहुत मददगार हैं। मैं इस बात को खुले रूप में स्वीकार करता हूं। श्री पवन कुमार बंसल भी सहमत होंगे।

हम कह रहे हैं कि यह सरकार की नीति है। अब, प्रमुख दल भाजपा का निर्णय एन.ए.जी. को छोड़ने तथा भाजपा के कार्ड पर विचार करने का है। इसलिए यह खेल का हिस्सा है। यह उस निर्णय का हिस्सा है। धर्म संसद के लोगों और विश्व हिंदू परिषद को प्रसन्न रखने के लिए यह आवेदन किया गया है। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? यह कहना बहुत सरल है: ''उच्चतम न्यायालय है जो हमारे बीच में खड़ा है। इसलिए, मैं उच्चतम न्यायालय गया। यदि मैं न्यायालय जाता हूं तो आप मुझे दोष कैसे दे सकते हैं। परन्तु इसके पीछे के घृणित उद्देश्य को देखिए। जो शैतानी तरीका उन्होंने अपनाया है वह न्यायिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास है। और यदि न्यायिक स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वह धर्म संसद को एक प्रकार का उत्तर होगा और जब तक कुछ नहीं होता श्री वाजपेयी की मंशा का पता चल जाएगा। अतः हमारा समाधान बहुत स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराम जाधव (परभनी): सॉल्यूशन बताइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैंने सॉल्यूशन ठीक बताया है और इसका सॉल्यूशन एक ही है।

[अनुवाद]

श्री वाजपेयी बार-बार यह कहते रहे हैं। यह अब परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए, हम विरोध कर रहे हैं। समाधान है: बातचीत के द्वारा अथवा अंतिम न्यायिक निर्णय के द्वारा। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

मैं पाता हूं कि वहां पर उल्लास व्याप्त है। 'निर्धारण' का अर्थ अस्थायी व्यवस्था नहीं है। निर्धारण मुख्य प्रश्न पर होना चाहिए चाहे उसे कोई एक व्यक्ति पसंद करे या न करे। चाहे इसे भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र पसंद करें या न करें, मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वहां पर मंदिर था अथवा वहां पर मस्जिद थी या मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। मस्जिद के विध्वंस पर विवाद नहीं है। आप इसे चाहे ढांचा बोले अथवा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या वह संरचना जिसे आप ढांचा कहते हैं और हम मस्जिद कहते हैं, ध्वस्त की गई है? उससे पूर्व, क्या वहां पर कोई मंदिर था? यही मुद्दा है।

मुझे लगभग रोज बताया जाता है कि मामले की सुनवाई हो रही है। अनेक गवाहों ने अपनी गवाही दी है। जहां तक मैं जानता हूं, जो लोग मस्जिद के वजूद के पक्ष में हैं उन्होंने पहले ही अपनी गवाही दे दी है। जो लोग अन्यथा तर्क देते हैं वे अब गवाही दे रहे हैं। मामले का निर्णय होगा। सुधार की गुंजाइश के

साथ इसकी लगभग प्रतिदिन अथवा नियमित समय पर सुनवाई की जा रही है। उसके बाद, धर्म संसद, विश्व हिंदू परिषद के शोर-शराबे तथा गुजरात के चुनाव के नतीजों को छोड़कर जिससे उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया ऐसा अचानक क्या हो गया। वे खुलेआम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुलेआम कह रहे हैं: "हां, हमारा मुद्दा--चुनावी आधार हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुत्व है। तब, मैं ऐसा क्यों न कहूं?"

इसलिए, जैसा कि मेरे मित्र ने ठीक ही पूछा: "हमारा सुझाव क्या है?" अब, हमारा सुझाव है कि: "हमें सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए।" उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। इसमें कहा गया है: "आप अंतिम अधिनिर्णय तक प्रतीक्षा कीजिए। अंतिम अधिनिर्णय के संबंध में प्रक्रिया जारी है। इसलिए, जब तक कि सभी पक्ष ना कि स्व-नियुक्त नेता और स्व-नियुक्त प्रतिनिधि अचानक यह कहें: "कि हम प्रतिनिधित्व करेंगे।" न कहें तब तक हम सब प्रतीक्षा करें।"

कृपया विचार कीजिए। मैं केवल एक मिनट और लूंगा। वर्ष 1994 से 2002 तक वहां पर 'शिला पूजन' की मांग न किए जाने तक वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं थी। मार्च, 2002 से वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं थी जब तक कि इस धर्म संसद में यह मांग नहीं की थी कि:

"विभिन्न राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वातावरण का सदुपयोग कीजिए। नई अवधारणा का सदुपयोग कीजिए। आपके पास एक चीज है, जिसे आप मोदित्व अथवा हिंदुत्व कहते हैं। अब, उसका पालन करो। इसलिए, इन छोटी बातों को भूल जाइए। वे दिल्ली के लिए इच्छे हैं। वे मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य राज्यों के लिए बेकार हैं जहां पर चुनाव होंगे। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।" इसलिए हमारा विरोध इस देश को संयुक्त रखने के उद्देश्य से है।

हम अपने इस उद्देश्य के लिए जोर देना जारी रखेंगे और धर्म के नाम पर देश को बांटने की इच्छा रखने वालों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। इस देश के लोग देश के बंटवारे को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और मैं सरकार से उस याचिका को वापस लेने की मांग करता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोध्या के इस मुद्दे पर सभा में अनेक बार चर्चा की गई थी। तेलुगू देशम पार्टी शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ रही है। सरकार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम से विचलित नहीं होना चाहिए। जब कभी धर्मनिरपेक्षता का विरोध होता है अथवा न्यूनतम साझा कार्यक्रम से विचलित होने की बात आती है तो हम सभा में तथा संसद के बाहर भी अपनी आवाज सब तक पहुंचाते हैं।

पूरा देश तेलुगू देशम पार्टी के दर्शन के बारे में, इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के बारे में जानता है। भारत सरकार द्वारा इस याचिका को उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के बाद, पत्रकारों ने मेरे मुख्यमंत्री से उसके बारे में पूछा। हम सरकार का हिस्सा नहीं हैं। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बाहर से समर्थन दे रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य में, तत्काल मैंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और यह प्रतिक्रिया समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई। मैंने उनसे पूछा कि वे न्यायालय में क्यों गए? मेरा यह मानना है कि हमें न्यायालयों में बहुत विश्वास है, हम भारत के संविधान, कानून के शासन का पालन करते हैं। कोई सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी।

गत वर्ष भी, मार्च के महीने में, हमने शिलान्यास के मुद्दे के बारे में चर्चा की थी। उस समय वे हमारी बात पर दृढ़ रहे थे और उन्होंने कार सेवकों को विवादित स्थल में प्रवेश करने से रोका था। हमने इस बात की सभा में भी सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उप-प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, "हमें भारत के संविधान, कानून के शासन का पालन करना चाहिए।" श्री सोमनाथ चटर्जी ने सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। यही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, लेतुगू देशम पार्टी का अपना एजेंडा है। बारहवीं लोक सभा के चुनाव के समय हम एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े। यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर है। उस समय हमें अगले चुनाव से बचना था इसलिए हम इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सीटों के बंटवारे के आधार पर हमने भी तेरहवीं लोक सभा चुनाव में एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि ये सभी विवादास्पद मुद्दे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाएंगे। सिर्फ उस शर्त के साथ ही तेलुगू देशम पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को समर्थन दिया। जब कभी यह सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम से विचलित होती है तो, हम बाहर से समर्थन दे रहे एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी आवाज उन तक पहुंचाते हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं, पूरा देश यह जानता है।

वर्ष 1995 से आज तक आंध्र प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। गुजरात की घटना के बाद भी, देश में क्या हुआ यह पूरी सभा जानती है, अनेक राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे हुए लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ। हम शांति बनाए रखने के लिए ऐसी घटनाओं को रोक रहे हैं।

वर्तमान स्थिति में, हमने बताया कि इस मुद्दे को निपटाने के लिए एक सहमति बनाने में सरकार, धार्मिक नेता तथा संगठन भी

[श्री के. येरननायडू]

असफल हो गए हैं। शंकराचार्य ने भी इस मुद्दे को हल करने के लिए अपने पूरे प्रयास किए लेकिन वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। इसलिए, सभी मुद्दे न्यायालयों में लंबित हैं। कुछ मुद्दे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और कुछ मुद्दे उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।

ऐसे महत्वपूर्ण समय में, मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं कि जैसे हम, संसद सदस्यों ने संविधान का पालन करने की शपथ ली है, तो हम इस मुद्दे पर देश का विभाजन न करें। पूरा देश एक है।

हम एक धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। हम सभी धर्मों से संबंध रखते हैं, और हम सद्भावपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। एक धर्म की जनसंख्या 80 प्रतिशत हो सकती है, और दूसरे धर्म की जनसंख्या पांच प्रतिशत हो सकती है, तब भी हम, सद्भावपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमने सभा में संविधान के अनुसार शपथ ली है। हमारे लिए संविधान का सम्मान करना जरूरी है। हम देश में सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यह संविधान दिया है। इसलिए, तेलुगू देशम पार्टी को उच्चतम न्यायालय में आस्था है। अनेक मुद्दे न्यायालय में लंबित हैं। सरकार भी न्यायालय में पहुंची थी लेकिन न्यायालय ने सरकार की याचिका पर कोई निर्णय नहीं दिया? न्यायालय निर्णय देने से पूर्व सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा। सरकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। मैं भी न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। न्यायालय के समक्ष सभी समान हैं। इसलिए, उसके बारे में चिंता मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य माननीय सदस्यों ने सरकार से मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है। मैं उपस्थित था। मैडम गांधी भी वहां पर उपस्थित थीं। हमने सरकार से मामले को शीघ्र निपटाने और सभी को स्वीकार्य सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसलिए, न्यायालय इन सभी मुद्दों अर्थात् हक आदि के संबंध में 1994 के पूर्ण खंडपीठ के निर्णय का संज्ञान लेगा। अतः, पूरा देश इस बारे में जानता है। इसलिए मैं भी अपनी तेलुगू देशम पार्टी की ओर से यह मुद्दा सभा में उठाता हूं। कभी-कभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह बताते हुए विनिर्णय दिया कि यह मामला न्यायाधीन है। लेकिन अयोध्या मुद्दे पर अनेक मामले लंबित हैं, और हम प्रतिवर्ष इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि इसकी जल्दी है। लेकिन इस महत्वपूर्ण समय में किसी राजनीतिक दल को इस स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तेलुगू देशम पार्टी आरंभ से ही यह कहती रही है कि किसी भी राजनीतिक दल को धर्म का फायदा नहीं उठाना चाहिए चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो अथवा अन्य दल हों। इसीलिए हमें न्यायालय के निर्णय का पालन करना होगा। हमें न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करना होगा। यदि न्यायालय का निर्णय आता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह गलत है। सरकार को निर्णय के अनुसार चलना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं। क्या आप सभा में प्रधान मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में दिए गए वक्तव्य को स्वीकार करेंगे? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं?

श्री के. येरननायडू: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, बहुत से व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिमिनट कई प्रकार की बात कर रहे हैं। मुझे उनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है ...*(व्यवधान)*

मैं एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं। पूरा देश तेलुगू देशम पार्टी के विचारों के बारे में जानता है। यदि कोई संगठन अथवा व्यक्ति हमारे दल के विरुद्ध बात करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं प्रतिदिन उन्हें उत्तर देता रहूं।

अंत में, भारत सरकार, संवैधानिक रूप में निर्वाचित राज्य सरकारें निर्णय लेने से पूर्व सभी बातों पर विचार करेंगी। यदि न्यायालय किसी संगठन के विरुद्ध एक आदेश देता है, तो वह संगठन बीच में कैसे आ सकता है? सरकार कदम उठाएगी। हम शांत नहीं रहेंगे। सरकार सर्वोच्च है। सरकार न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य करेगी उस निर्णय से आगे बढ़कर नहीं अन्यथा आपसी समझौते से कार्य करेगी। यदि दोनों पक्ष साथ मिलकर बैठते हैं और सहमति अथवा समझौते पर पहुंचते हैं, तो हम उसे स्वीकार करेंगे।

अयोध्या मुद्दे के केवल दो समाधान हैं और तीसरा कोई समाधान नहीं है। उस समय तक सभी राजनीतिक दलों को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हमें अयोध्या के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, यदि हमारी धर्मनिरपेक्षता में आस्था है तो हमें धर्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हम सदस्यों की सहमति से इस बहस, जिसमें माननीय मंत्री महोदय का उत्तर भी सम्मिलित है, के समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, आप समय फिक्स कर दीजिए, नहीं तो यह बहुत समय तक चलता रहेगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ था,

इसलिए अयोध्या एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था।

सायं 6.00 बजे

बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह हमारी श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा ही नहीं बल्कि इस संबंध में मैं कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूं क्योंकि इतिहास सुबूतों पर आधारित होता है। लोकशाही ने हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखने का अधिकार दिया है। श्री एच.आर नेवेल नाम के ब्रिटिश आई.ए.एस. अधिकारी ने लखनऊ गैज़ेटियर में लिखा है कि वहां प्रभु रामचन्द्र का मंदिर था। 1528 में उस मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया गया। वह उन्होंने कहा था, किसी हिन्दुस्तानी आदमी ने नहीं कहा था। वहां से लेकर अब तक संघर्ष जारी है। इस पर 1 लाख 79 हजार लोगों ने अभी तक बलिदान किया है।

अयोध्या से छः किलोमीटर दूर देवीनाथ पांडे नाम का व्यक्ति रहता था। उसने 70 हजार की सेना साथ में ली और मीर बकी के साथ संघर्ष किया। उसमें वह मारे गए और पांच तक वह लड़ाई चली। उसके बाद 80 हजार की सेना महावत सिंह लेकर आए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्लीज़ आप लोग बैठिये। आप लोग आपस में बातें मत करिये।

श्री मोहन रावलेः महावत सिंह 80 हजार की सेना लाए। ...*(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमाः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि प्रधान मंत्री के स्टेटमेंट और कोर्ट में सरकार के जाने के बारे में बात होगी। यहां किस युग की बात की जा रही है? ...*(व्यवधान)* इश्यू पर न बोलकर ये मामले को गंभीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): اسپیکر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ پردھان منتری جی کی اسٹیٹمینٹ اور کورٹ میں سرکار کے جانے کے بارے میں بات ہوگی۔ یہاں کس یگ کی بات کی جاری ہے؟...(مداخلت) ایشو پر نہ بول کر یہ معاملے کو سنگین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔...(مداخلت)

श्री मोहन रावलेः 70 हजार की देवीनाथ पांडे की सेना थी और 80 हजार की सेना लेकर महावत सिंह ने मीर बकी की सेना के साथ लड़ाई की। वे सब लोग मारे गए। बाबर की आत्मकथा तुजकी-बाबरी में यह लिखा गया है। वहां राजा रणविजय और उसकी वीर पत्नी जयकुमारी के नेतृत्व में लड़ाई हुई। 25 हजार सेना उनके साथ थी और रानी जयकुमारी ने तीन हजार महिलाओं की पलटन वहां खड़ी की थी। मीर बकी वहां से भाग गया था लेकिन दुर्भाग्य से राजा रणविजय उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। रानी जयकुमारी ने पुनः मुगल सेना पर हमला किया। उस वक्त बाबर की मृत्यु हुई थी। रानी जयकुमारी ने दस बार संघर्ष किया और इस संघर्ष का उल्लेख अकबराने दरबारी अकबरी में मिलता है। हुमायूं के काल में रानी जयकुमारी ने रामजन्मभूमि को मुक्त कराया था और वह दो साल तक उनके कब्जे में रही। उसके बाद दिल्ली से सेना मंगाकर रानी जयकुमारी की सेना पर हमला किया गया और रानी जयकुमारी भी वीरगति को प्राप्त हुईं। बाद में सम्राट अकबर के समय हिन्दुओं ने 20 बार हमले किये। बाद में अकबर ने मस्जिद में एक चबूतरा बनाकर उसमें प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना की और आदेश दिया कि हिन्दुओं द्वारा वहां पूजा अर्चना करने पर किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिन्दू भावनाओं का आदर किया। उसके बाद जहांगीर के राज में पूजा पाठ चलता रहा। बाद में औरंगजेब ने अयोध्या में जो राम चबूतरा था उसको तथा मंदिर को ध्वस्त करने के लिए सेना भेज दी। रात में सरयू नदी पार करने के समय दस हजार साधुओं ने मुगलों के साथ संघर्ष किया। रामदास स्वामी के शिष्य बाबा वैष्णव दास के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। ऐसा औरंगजेब ने खुद आलमगीरनामा में उल्लेख किया है। औरंगजेब ने वहां जाकर राम चबूतरा तुड़वा दिया। प्रभु रामचन्द्र जी का जन्म अयोध्या में एक ही जगह हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि जब स्वतंत्रता मिली तब हमारे हिन्दुस्तान में 82 प्रतिशत हिन्दू थे और तब भी हमें राम मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हमें ऐसा लगा था जैसे सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था। हमारे हिन्दुओं के तीन हजार मंदिर तोड़े। मस्जिद को भी मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था, उसके टुकड़े-टुकड़े किए थे। हिन्दुस्तान में कांग्रेस का राज था और उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे और डा. राजेन्द्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। उन्होंने मंत्रिमंडल की सहमति के बाद उसका पुनर्निर्माण किया और हमें राम मंदिर मिला। उसके बाद उमेश चंद्र पांडेय नाम के एक वकील कोर्ट में गए। उन्होंने 21 जनवरी, 1986 को एक प्रार्थना-पत्र दिया। स्वतंत्रता के बाद मंदिर में ताला लग गया, लेकिन उसके बाद भी 1949 से पूजा होती थी और कोर्ट के आदेश से होती थी। उस मंदिर में पुजारी पूजा करता था। कोर्ट की अनुमति से वहां पूजा होती थी, लेकिन वह मंदिर खुला नहीं था। एक फरवरी, 86 को मंदिर खुला। उन्होंने उसका कहना माना और उस वक्त साधु-संतों ने भी दो दिन का अल्टीमेटम दिया था। जिला जज ने वहां ताला खोलने के लिए निर्देश दिया था और यह हुआ था कि पूजा में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। जिस बात के लिए, पूजा स्थल के लिए 37 साल तक संघर्ष करते रहे और वह 1986 में खोला गया। आठ दिन में फैसला लिया गया और उसके बाद ताला खुल गया।

महोदय, जब वहां नवाब का राज शुरू हुआ तो अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिम्परा के राजा राजकुमार सिंह ने नवाब

[श्री मोहन रावले]

के साथ संघर्ष किया और 1856 और 57 में इस संघर्ष में सभी राजा तथा रजवाड़े एक हो गए। उन्होंने नवाबी सेना को विध्वंस किया। राम चबूतरे का पुन: निर्माण किया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया। फैजाबाद जिले के गैजेटियर में इसका वर्णन किया गया है। 1857 के क्रांति युद्ध में हिन्दू-मुस्लिम के बीच में जो समझदारी की हवा चल रही थी, उसे क्रांति नेता अयोध्या के नवाब अमीर अली को अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए हिन्दू साधु-संतों ने छोटे-छोटे राजाओं तथा रजवाड़ों ने सहयोग दिया था और हिन्दुओं की भावनाओं का आदर करते हुए अयोध्या के मुसलमानों की तरफ से अमीर अली ने रामजन्म भूमि हिन्दुओं को देकर 331 वर्ष पुरानी अपनी गलती दूर की।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाए और परम्परा, इतिहास, धार्मिक ग्रंथों, शिला लेखों, सिक्कों, मुद्रा, ताम्रपटों, रामायण कालीन अवशेष, राजवाड़ा मंदिर अवशेष, रामजन्म भूमि मंदिर का उल्लेख, तीर्थ क्षेत्र का उल्लेख, रामजन्म भूमि मंदिर तोड़ कर बाबरी मस्जिद ढांचा बनाने का उल्लेख, मंदिर की मुक्ति के लिए लड़ाई का उल्लेख, विदेशी प्रवासियों द्वारा किए गए वर्णन का उल्लेख, फारसी, हिन्दी और संस्कृत में किए गए उल्लेख को ध्यान में रखना चाहिए। श्रद्धा की भावनाओं के साथ-साथ इन सभी तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। हिन्दुओं ने मंदिर टूटने के बाद उस स्थान पर पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। उसी स्थान पर पुन: मंदिर बनाने के प्रयास सतत् किए जा रहे हैं। हिन्दुस्तान में जो हिन्दू हैं, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और वहां जो मंदिर है उसके लिए मैं सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि वहां कभी भी नमाज़ नहीं पढ़ी गई। मुसलमानों ने यह जगह 1935 में छोड़ दी थी। उसमें वे नमाज़ भी नहीं पढ़ते थे। इस तथाकथित बाबरी मस्जिद में आवश्यक मीनार भी नहीं है। हाथ-पांव धोने या नमाज से पहले वजू करने के लिए पानी का टेंक भी नहीं है। जन्म स्थल को कभी कोई बदल नहीं सकता, उनके जन्म स्थान पर ही मंदिर है। हमारी भावनाओं का आदर सभी को करना चाहिए, आज जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में मुसलमानों को दिलदार होकर उसका आदर करना चाहिए। मैं साधु-संतों और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे सदभाव का वातावरण रखें। राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम अयोध्या में, उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। लेकिन आज पता नहीं कांग्रेस की क्या व्याख्या है? कुछ दिन पहले यानी 26 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में इलैक्शन हुए, उस समय इन्होंने अपनी व्याख्या बदल दी। उन्होंने कहा कि वहां अयोध्या का मंदिर होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में आपकी क्या भावना है? मैं शिवराज पाटिल जी से और यहां बैठे कांग्रेस भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपकी इस बारे में क्या राय है? वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आपको दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ...*(व्यवधान)* स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने वहां जाकर पूजा की थी। उन्होंने इलैक्शन की शुरुआत वहीं से की थी। इसका मतलब यह हुआ कि वह भी मानते थे कि वहां राम मंदिर था। ...*(व्यवधान)* उन्होंने पूजा की थी, यह उस समय के सारे अखबारों में छपा था। ...*(व्यवधान)* अभी तो बेचारे राजीव जी नहीं हैं। वहां शिलान्यास की अनुमति भी उन्होंने ही दी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने वह अनुमति नहीं दी थी?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): मैं प्रतिवर्ष अयोध्या जाकर पूजा करता हूं लेकिन मैं हनुमानगढ़ी में करता हूं। जहां का मामला कोर्ट में लंबित है वहां मैं पूजा नहीं करता हूं। अगर कोर्ट फैसला दे देगी तो वहां भी करूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंदिर में जाकर पूजा की थी। वहां राम जी का जन्म हुआ था। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पूजा की थी, क्या यह आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: आप चाहें तो मैं अखबार लाकर दिखा दूंगा। ...*(व्यवधान)* वहां राजीव गांधी जी गये थे, यह हम साबित कर दें तो क्या आप कहेंगे कि वहां मंदिर होना चाहिए? आज जैसे आम लोग बोलते हैं, शिवसेना कहती है कि वहां मंदिर होना चाहिए वैसे आप भी कहेंगे कि वहां मंदिर होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* क्या आपकी हिम्मत है? ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): आप उनसे कहिये कि मैं एक मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप खड़े रहेंगे या बैठेंगे। वैसे आप चाहें तो खड़े भी रह सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। आप बैठेंगे तो मैं उनको बोलने की इजाजत दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: मेरा इतना कहना है कि प्रचार के लिए विश्व हिन्दू परिषद या शिव सेना जो जी में आये, वह कहे लेकिन सच यह है कि राजीव गांधी जी ने उस गली में न कभी पूजा की और न वह उसमें शामिल हुए। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: वहां शिलान्यास की अनुमति किसने दी थी, क्या कांग्रेस सरकार ने नहीं दी थी? ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: जो हुआ है, उसके लिए मैं स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं। मगर यह बात गलत है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गयी थी। वहां वज़ू के लिए हांद भी नही है। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा की अवमानना करते हैं, मेरा उनसे कहना है कि वहां हिन्दुओं का मंदिर होने का चिह्न अंकित हैं। बाबर ने हिन्दुओं की भावना का अपमान किया है। बाबरनामा में इसका उल्लेख है। हमारा कहना है कि राम जन्म की एक ही जगह है और इसी जगह पर राम मंदिर बनना चाहिए। यह हिन्दुओं के आत्मगौरव का प्रश्न है। भूतकाल में जो अन्याय हुआ, उसका निराकरण हम करना चाहते हैं।

बाबरनामा में इसका उल्लेख है कि हजरत फजल अब्बास मूसा की इजाजत से मंदिर तोड़कर उसी सामान से वहां मस्जिद बनाई गई और यही इरादा बाबर के सेनापति मीरबाकी का था। ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: इतिहास का स्टूडैंट होने के नाते मैंने कोर्स में बाबरनामा पढ़ा है। उसमें कहीं भी अयोध्या का जिक्र नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: हम आपको बता देंगे कि वह कहां है। ...*(व्यवधान)* इसमें आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब मन्दिर के साहित्य से वे मन्दिर बनाते थे तो दिन भर बनाया गया ढांचा रात को अपने-आप गिर जाता था। मीरबाकी ने यह बात बाबर को लिखकर भेजी थी और बाबर ने स्वयं अयोध्या में आकर इसे अपनी आंखों से देखा था। उसने एक पांच सूत्री मसौदा तैयार किया जिसमें लिखा था कि वहां साधु-संतों को पूजा-पाठ करने की अनुमति है। उसने खुद यह अनुमति दी थी और उसके सेनापति मीरबाकी ने उसे माना था। मैं एक सवाल सदन से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के· ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल नहीं है इसलिए आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

उनका कहना है कि कोर्ट की बात आप कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं सदन से पूछना चाहता हूं और विशेषतः कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर कोर्ट का वर्डिक्ट ऐसा आ गया कि समझो वहां मंदिर बनाना है तो क्या आप उसे मानेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सर, ये बार-बार हमसे पूछते हैं। मैं इनका जवाब दे दूं। डॉक में आप हैं। हम लोग नहीं हैं। आपको जवाब देना है और हमने कह दिया है कि कोर्ट जो कहेगा, वह सब पर बंधनकारक रहेगा। देश में जितने मन्दिर बनाने हैं, आप बनाइए। एक नहीं हजारों मन्दिर बनाइए लेकिन मन्दिर बनाकर किसी का दिल मत तोड़िए। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अगर आपके फेवर में फैसला नहीं आया तो आप क्या करेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने आपसे प्रश्न पूछा है, आप उनका जवाब दीजिए कि कोर्ट का जवाब आपके खिलाफ आएगा तो आप मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मोहन रावले जी, आप सुनना चाहते थे। हम कोर्ट का आदेश मानेंगे, जो भी फैसला हो लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि फैसला अगर आपके खिलाफ हुआ तो आप मुम्बई बंद तो नहीं करोगे? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: शाहबानो केस का फैसला आने के बाद आपने जो सदन में किया था, हम भी कोर्ट का फैसला यदि खिलाफ आएगा तो वही हम सदन में करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: शाहबानो केस के समय यही वर्डिक्ट आया था और शाहबानो का पैसा देने के लिए कोर्ट ने कहा था लेकिन राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधान मंत्री थे, महिलाएं आकर उनसे मिलीं। एक महिला किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है और किसी की मां होती है लेकिन तलाक-तलाक कहकर उसका अपमान किया जाता है तलाक दिया जाता है। तो कोर्ट ने ऐसा फैसला शाहबानो के पक्ष में दिया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस राजीव गांधी ने कहा था कि मैं शाहबानो की तरफ से हूं, उसी शाहबानो के केस का वर्डिक्ट इसी सदन ने उल्टा किया। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इसका जवाब भी अभी दे दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: आप मुस्लिमों के लिए बहुत बोलते हैं लेकिन एक महिला का आपने अपमान किया। एक महिला को आपने पैरों के नीचे कुचल डाला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः प्रकाश परांजपे जी, आप बैठिए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): हमारे आदरणीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने साफ-साफ कहा है कि राम मन्दिर बनना चाहिए। शिव सेना के कार्यकारी अध्यक्ष श्री उद्धव जी ठाकरे जी ने भी कहा है राम मंदिर होना ही चाहिए। बाबर का पक्ष लेने वाले ये कौन होते हैं? ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वे ऐसी ही भाषा का उपयोग कर रहे है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हिन्दुओं के तीन हजार मन्दिर तोड़े गये। तालिबान में बुद्ध मन्दिर तोड़ा गया। किसके कारण मस्जिद तोड़ा गया? जो प्रवृत्ति थी, जो टेंडेंसी थी, उसी ने राम मंदिर को तोड़ा और उसी टेंडेंसी ने बुद्ध मंदिर को तोड़ा, तब ये लोग नहीं चिल्लाए और इनको कोई दुख नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः सुरेश जाधव जी आप क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री मोहन रावले: प्रभु रामचन्द्र जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से जाने जाते हैं। वे एक संयमी नेता थे, जिनके लिए सभी लोगों के दिलों में अच्छी भावना है। उनका मंदिर जब तोड़ा गया, तो यह उनके साथ अन्याय हुआ, जबकि वे खुद न्यायी थे, जिनकी पूरी दुनिया में सराहना होती है। जब वह ढांचा तोड़ा गया, तो हिन्दुस्तान में एक ही नेता ऐसा था, जिसने यह कहा कि जिसने भी यह ढांचा तोड़ा है, उसका मैं सम्मान करता हूं। यह नेता हैं शिव सेना प्रमुख माननीय बाला साहेब जी ठाकरे। पोलैंड में जब एक चर्च को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाई गई, तो जब वापिस रशिया से उसका कब्जा लिया गया, तो उस मस्जिद को तोड़कर फिर से चर्च बनाया गया। इसी तरह जब हिटलर पहले युद्ध में हार गया था तो जर्मनी के अपमान का प्रतीक एक स्तम्भ फ्रांस में पैरिस में लगाया गया था। लेकिन जैसे ही हिटलर ने दूसरे युद्ध में वहां कब्जा किया तो उस अपमान के प्रतीक स्तम्भ को तुड़वा दिया था। यह स्वाभिमान की बात होती है, आत्म गौरव की बात होती है। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कोर्ट में इतना समय गुजर जाने के बाद जिसको न्याय नहीं मिला, सात दिन में राम मंदिर खुलवाने के लिए न्याय मिले तो कुछ भी गलत नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम दबाव डालेंगे। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, उसको हम मानेंगे। हम भी उसको मानेंगे। लेकिन क्या आप लोग भी मानेंगे? मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, अभी मुलायम सिंह जी यहां नहीं हैं, क्या वे भी उसको मानेंगे? इसके साथ ही मैं कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से और बहुजन समाजवादी पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या वे भी इसको मानेंगे? मैं शिव सेना पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि वहां मंदिर बनना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब श्री राशिद अलवी बोलेंगे।

इसके पहले कि आप भाषण शुरू करें, मुझे घोषणा करनी है कि इस मुद्दे पर बोलने वाले करीब 20 सदस्य हैं, इसलिए सभी केवल दस मिनट तक बोलेंगे ताकि हम कम से कम रात के 10 बजे तक वाद-विवाद पूरा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): स्पीकर साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अयोध्या के विषय पर इस हाउस में यह कोई पहली बार चर्चा नहीं की जा रही है। इस 13वीं लोक सभा के अंदर शायद ही कोई ऐसा सत्र होगा, जिसमें बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि की बात न की गई हो। लेकिन अफसोस की बात है कि उस हाउस के अंदर इतने तमाम डिसकशन के बाद आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है।

मैं बहुत तवज्जुम में हूं, जो तकरीरें मैंने सुनी। मैं पहले सोच रहा था कि मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात कह दूं, लेकिन तकरीरें सुनने के बाद मेरा मन बदला और मैंने सोचा कि कुछ बातों का जवाब मुझे देना चाहिए। अगर मैं अपनी बात विनय कटियार जी की तरह 1528 से शुरू करूं, जब बाबरी मस्जिद बनी

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

थी, तब से शुरू करूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। 1528 में बाबरी मस्जिद बनी थी और 22 दिसम्बर, 1949 के अंदर पहली बार वहां लार्ड राम का स्टेच्यू रखा गया। अभी मेरे मित्र स्वामी जी चले गये। उन्होंने कहा था कि अगर उस मस्जिद के अंदर कभी भी नमाज पढ़ी गयी हो तो मैं उसी बुनियाद पर मैं फैसला करने को तैयार हूं। मैं 1528 से न चलकर स्वामी जी की तकरीर से चलता हूं। सन् 1994 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जस्टिस भरूचा ने पेज 685, पैराग्राफ 105 पर कहा है कि

[अनुवाद]

"22-23 दिसंबर, 1949 की रात तक मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए विवादित ढांचे का उपयोग किया जाता था।"

[हिन्दी]

जस्टिस भरूचा ने कहा कि सन् 1949 तक बाबरी मस्जिद के अंदर पांचों वक्तों की नमाज होती थी। जो वाकयात हैं वे उसके बाद के वाकयात हैं। इसी जजमेंट का पैराग्राफ 56 यहां पर पैश किया गया है। अगर मैं उस जजमेंट को पढ़ दूंगा तो बहुत से लोगों को दु:ख होगा। पैराग्राफ 56 के पेज 671 पर कहा गया है कि

[अनुवाद]

"6 दिसंबर, 1992 को मस्जिद के विध्वंस के लिए कुछ उपद्रवी जिनकी पहचान नहीं की जा सकी, और हिन्दू समुदाय से उनकी समानता की गई और इसलिए उपद्रवियों द्वारा की गई उपद्रव की कार्रवाई को सम्पूर्ण हिन्दु समुदाय की कार्रवाई नहीं माना जा सकता।

सामान्य रूप से ढांचे के विध्वंस का हिन्दूओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसका विरोध किया जिसका सबूत उसके बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसमें दु:ख की क्या बात है?

श्री राशिद अलवी: सर, मैं 1994 का जजमेंट पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि

[अनुवाद]

"मस्जिद का विध्वंस करने वाले लोगों का एक आपराधिक चरित्र के अलावा कोई धर्म, जाति या सम्प्रदाय नहीं था।"

यह वर्ष 1994 का निर्णय है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अब उन पर रायबरेली की अदालत में मुकदमा चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): उस दृष्टिकोण, से मैं भी एक अपराधी हूं।

श्री राशिद अलवी: अगर आप क्रिमनल हैं तो बहुत अच्छा है। यह लोक सभा की कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा है। कि आप एक अपराधी हैं। अब आप स्वयं यह मान रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे ऐसा कहने में खेद है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप इस सभा के सदस्य है, इसलिए आप अपराधी कैसे हो सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: जो काम सियासतदानों का होता है वह आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस जजमेंट में बार-बार याद दिलाने की कोशिश की गयी है कि सारे मजहब बराबर हैं। हिंदू-मुस्लिम इख्तलाफ की राजनीति नहीं की जा सकती। गांधी जी के "ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम" को इसमें कोट किया गया है। गुरू गोविन्द सिंह जी के कोटेशन की चर्चा के अंदर जाएं, जिसमें कहा गया है कि आप चाहे मंदिर, गुरूद्वारे, मस्जिद या गिरजाघर में जाए, वहां पर सारे लोग भगवान के आगे झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो काम सियासतदानों का है उसे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हमारे मित्र विनय कटियार जी ने कहा था कि अरब के अंदर पांच सहाबी थे, फ्रैंड थें। उनके मस्जिद को गिराकर वहां सड़क बना दी गयी। मैं विनय कटियार जी आपको बताना चाहता हूं कि 15 दिन पहले मैं सऊदी अरब में था। इस सरकार के मंत्री माननीय शाहनवाज जी भी उस जगह गये। वहां पर जो पांच मस्जिद थीं वे सड़क बनाने के लिए नहीं गिराई गयीं, बल्कि बड़ी मस्जिद बनाने के लिए गिराई गयीं।

श्री विनय कटियार: आपने उस समय भी यह विवाद खड़ा किया था। हमारी बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है। मैंने कहा था कि मौलाना रसूल ने सात मस्जिदों का निर्माण कराया था। उनमें से चार मस्जिदें तोड़ी गईं और वहां से हटाई गईं। तीन मस्जिदें आज भी विद्यमान हैं। उस संदर्भ में मैंने कहा था कि अगर वहां पर मौलाना साहब के द्वारा बनाई गई मस्जिद हटाई जा सकती है, तो अयोध्या के अन्दर, जहां पर मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसमें मुस्लिम भाइयों को सहयोग करना चाहिए। बाबर तो तातारी था, कोई हिन्दुस्तानी नहीं था। मंगोलियन

[श्री विनय कटियार]

भी इस देश में नहीं रहते हैं। इसलिए उस संदर्भ में मैंने यह बात कही थी। दूसरी बात जो आपने कही है, वह यह है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मान रहे हैं?

श्री राशिद अलवी: मैं नहीं मान रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री कटियार जी, जब तक आप बैठेंगे नहीं, तब तक वे कैसे बोल सकते हैं।

श्री विनय कटियार: आप वहां हज करने के लिए और यह प्रमाणित हो गया, ऐसा नहीं है। वहां से चार मस्जिदें हटाई गईं और उन चारों मस्जिदों के नाम मैंने गिनाए। उस स्थान पर सड़क चौड़ी करने का काम किया गया। रसूल साहब द्वारा बनाई गई मस्जिदों को हटाया गया ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इजाजत दी है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): क्या आप अरब देशों की किसी पक्ष का अनुसरण करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: मैं यह कहना चाहता हूं, विनय कटियार जी इतिहास को ठीक करें। वे सातों मस्जिदें, मो. प्राफिट साहब ने बनाई थीं। मो. प्रॉफिट साहब जब लड़ाई लड़ने लगे, इतिहास में आता है, वह जंग-ए-औत कहलाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हैं, तो ज्यादा जानते हैं और मैं हिन्दू हूं तो नहीं जानता हूं। मौलाना साहब के सात साथी थे। वहां एक मस्जिद तार के फूस से बनी थी। उसमें पूजा को लेकर युद्ध हुआ और मौलाना साहब दुखी हो गए, तो उन्होंने सातों के लिए अलग मस्जिदें बनवाईं और कहा कि आप जाकर अब नमाज पढ़िए। आप गलत व्याख्या मत करिए।

श्री राशिद अलवी: परेशानी यह है कि हिन्दुइज्म के बारे में जानते हैं और मुस्लिम इतिहास के बारे में भी ज्यादा जानते हैं। जंग-ए-औत की जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो कैम्प्स में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किसी का नाम लिए बिना अपनी बात कहिए।

श्री राशिद अलवी: वहां छोटी-छोटी मस्जिदें बनवाई गईं और पूरी दुनिया के लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और वे सात जगह नमाज पढ़ते थे। पहले एक मस्जिद में पढ़ते थे और फिर दूसरी जगह पढ़ते थे। उनके स्थान पर एक बड़ी मस्जिद बनाने का काम किया है, ताकि लोग एक जगह नमाज़ पढ़ सकें।

दूसरी बात, विनय कटियार जी, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है और सऊदी अरब का हिन्दुस्तान के मुसलमानों को कुछ लेना-देना नहीं है। सऊदी अरब में बादशाहत है और वे जो कुछ करना चाहें, कर सकते हैं।

श्री विनय कटियार: बाबर तो तातारी और हमलावर था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको नाम नहीं लेना है। वैसे विनय कटियार जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। वह ऐसा नहीं कह रहे हैं जो आपने कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: सऊदी अरब के अन्दर डैमोक्रेसी नहीं है, वहां बादशाहत है। बादशाह जो कुछ करना चाहता है, वह कर सकता है। हिन्दुस्तान के मुसलमानों का सऊदी अरब से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वे हज करने जाता है। वहां के सिस्टम से, वहां के बादशाह और तौर-तरीकों से हिन्दुस्तान के मुसलमानों को कुछ लेना-देना नहीं है। मैं बार-बार आपने कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की मिसालें न लोक सभा में दीजिए और न मुसलमानों को दीजिए कि सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है और हिन्दुस्तान का मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। यह जुबान छोड़ दीजिए कि हिन्दुस्तान में मुसलमान हमारी सरकार के समय में सबसे ज्यादा महफूज है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे है।

श्री राशिद अलवी: जितना मुल्क विनय कटियार का है, उससे ज्यादा राशिद अलवी का है।

अध्यक्ष महोदय: जो उन्होंने नहीं कहा है, वह आप क्यों कह रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हमारे यहां लोकतांत्रिक सिस्टम है। ...*(व्यवधान)* मुसलमान पहले हिन्दुस्तानी है। ...*(व्यवधान)* ऐसी बातें कह कर यह दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। आप हिन्दुस्तान की बात करिए। हिन्दुस्तान का एक-एक मुसलमान और उनके पुरखे हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं। कोई सऊदी अरेबिया में पैदा नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: हमें सऊदी अरेबिया से कोई लेना देना नहीं है। हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पुछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री ई. अहमद, आपको उस नियम को उद्धृत करना होगा जिसके तहत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री ई. अहमद: महोदय, जब इस्लाम के पैगम्बर, जिसका आदर एक अरब से भी अधिक लोग करते हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से उद्धृत किया गया और माननीय सदस्य उनके बारे मे कुछ गलत बात कह रहे हैं, तो क्या इसकी अनुमति सभा में है ...*(व्यवधान)* मैं किसी साधारण व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)* वह पैगम्बर के बारे में बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

मैं केवल यह पूछना चाहूंगा कि जब कोई सदस्य ऐतिहासिक तथ्यों पर सभा को गुमराह कर रहे हैं, तो क्या इसकी अनुमति है? यही मेरा प्रश्न है।

सबसे पहले, सदस्य मेरा प्रश्न नहीं मानते, दूसरी बात, वह ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं, और वह गलत तरीके से बात को रख रहे हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर सभा को गुमराह कर रहे हैं। क्या इसकी अनुमति सभा में होगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका एक ही उपाय है। श्री राशिद अलवी को अनुमति दी गई है और बोलते समय, वह इसका उनको जवाब दे सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, मैंने मोहम्मद साहब की कोई चर्चा नहीं की। ऐसा कह कर यह देश को क्या संदेश दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)* मैंने मस्जिद के बारे में चर्चा की और पूजा स्थल बनाने के बारे में चर्चा की। यह कोई गलत बात नहीं है। वह पूजा स्थल बनना चाहिए। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ऐसी चर्चा करके गलत संदेश जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: जो इतिहास कहता है उसे मानना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उनका भाषण समाप्त होने तक किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान ने आजादी बड़ी मुश्किल से हासिल की। सिर्फ मस्जिद और मंदिर के झगड़े से आजादी को गंवाया नहीं जा सकता है। हिन्दुस्तान की आजादी के लिए बुजुर्गों ने अपने जिस्म की रगों में बहने वाले खून को बहाया है और उसके अन्दर हिन्दू और मुसलमान सब शामिल थे। खूनी दरवाजा जो बहादुरशाह जफर मार्ग पर बना है वह इसलिए कहलाता है कि जामा मस्जिद इलाके से बुजुर्गों को लाकर फांसी दी जाती थी। चूंकि वे हिन्दुस्तान की आजादी चाहते थे। दिल्ली में महरौली के पास कुतुब मीनार के पीछे पेड़ इस बात का गवाह हैं कि उन लोगों को पकड़-पकड़ कर फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि वे हिन्दुस्तान की आजादी चाहते थे। हमारे बुजुर्गों ने हिन्दुस्तान के लिये लड़ाई लड़ी। देवबंद मदरसे के मौलवी मौलाना मोइनुल हसन, मौलाना हसन अहमद मदनी जैसे लोगों की फहरिस्त लंबी है लेकिन मौलाना ओबोदुल्लाह सिन्धी, जिनको आज की तारीख में कोई जानता नहीं, रेशमी रूमाल की तहरीक चलाई। वे लोग हिन्दुस्तान की आजादी चाहते थे। वे अंग्रेजों को भगाने में अफगानिस्तान के जंगलों में मारे-मारे फिरते रहे। उन्हें नहीं पता था कि आजाद होने के बाद हिन्दुस्तान जो हिस्सों में बंट जायेगा और मन्दिर-मस्जिद की लड़ाई के अंदर बंट जायेगा। बाबर के बारे में जो गलतफहमी है, वह दूर किये देता हूं। हिन्दुस्तान के मुसलमानों को बाबर से कुछ लेना-देना नहीं है। बार-बार कहा जा रहा है कि बाबर की औलादें। हिन्दुस्तान के मुसलमानों का बाबर से कोई वास्ता नहीं। यदि कटियार जी अपने पैसों से कोई मस्जिद बनवा दें तो वह मस्जिद भी रैस्पैक्टेबल होगा जितनी बाबरी मस्जिद है। मस्जिद-मस्जिद रहती है क्योंकि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, यह उस जमाने की थी। अयोध्या या दिल्ली की मस्जिद हो या

[श्री राशिद अलवी]

कहीं की मस्जिद हो, किसने बनवाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर को हिन्दुस्तान के मुसलमानों से केवल इतना लेना है कि उन्होंने और उसकी औलादों ने हिन्दुस्तान के अंदर राज किया। उनके बारे में किसकी क्या राय है, वह अलग हो सकती है। बाबरी मस्जिद डिमौलिशन के बाद संसद के दोनों हाउसेज़ में यूनानिमसली एक रिजोल्यूशन पास किया गया। इससे मुनासिब मौका और कोई नहीं हो सकता, जब कि मैं दो लाइनें आपके सामने न रख दूं।

[अनुवाद]

"यह सभा विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल जैसे संगठनों द्वारा और उनके उकसावे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की कड़े शब्दों और स्पष्ट रूप से निंदा करती है जिससे देश में साम्प्रदायिक हिंसा हुई। इस प्रकार के उपद्रव की यह घटना न केवल उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके की गई अपितु इसने हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष नींव पर हमला किया"

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: मैं उस समय जेल में था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी: महोदय, मैं नहीं मानता। इस तरह की बात मानना मेरे लिए संभव नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: मैं उस समय जेल में था। मैंने इसे कंडम किया था ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: कटियार जी, मुझे पांच मिनट बोलने दीजिये। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, तब आप बोलियेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, मैं उस समय जेल में था। उस समय हम लोगों को बंद करके यह प्रस्ताव पास किया गया यदि यहां होता तो पूरे विरोध के साथ कहता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, वी.एच.पी., बजरंग दल का नाम लिया गया है और जिस आधार पर इन पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया था लेकिन बाहरी कमीशन ने हमें, वी.एच.पी., आर.एस.एस. और बजरंग दल को मुक्त किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कटियार जी, आप इतना कह सकते थे कि आप जेल में थे, भाषण क्यों करते हैं?

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, यह दोनों हाउसेज का रिजोल्यूशन था। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: हम इसका विरोध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* हमारे संगठन का नाम जबरदस्ती डाल दें तो मैं इसका विरोध ही करूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह संकल्प संसद द्वारा उस समय पारित किया गया था जब वर्तमान प्रधानमंत्री सभा में मौजूद थे। वही उस संकल्प को संशोधित करने के लिए कह सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: अगर आप जेल में थे तो आपकी पार्टी बी.जे.पी. के बाकी सदस्य तो यहां थे, वे उस समय सहमत थे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस सभा में संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब वह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आप संकल्प में संशोधन करना चाहते हैं, तो आप प्रधान मंत्री से संशोधन लाने के लिए कह सकते हैं। वह उस समय इस सभा में मौजूद थे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अदालत ने हमें निर्दोष साबित कर दिया। उसके बाद आपने कमीशन बनाया था, हमने नहीं बनाया। आपने बजरंग दल, आर.एस.एस. का नाम लिया। जब अदालत ने पूरे संगठन को निर्दोष साबित कर दिया तो इनका नाम लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी संगठन के पीछे इस तरह से पड़ना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको दिया गया समय दो मिनट में खत्म हो जाएगा। कृपया अपनी बात समाप्त करें। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: महोदय, यह उस संकल्प का पाठ है जिसे दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: क्या उचित नहीं है। वह यूनेनीमस रिजोलूशन था। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: मैं विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आपके प्रधान मंत्री सहमत थे।

श्री राशिद अलवी: मैं उस वक्त मैम्बर नहीं था। लेकिन इस हाउस के ऊपर डिपैंड करता है कि अपने द्वारा पास किये रिजोलूशन को किस तरह से लेता है।

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आज तक चैनल में सरकार के मंत्री श्री शाहनवाज का इंटरव्यू, श्री प्रभु चावला ने लिया, देखा था। कटियार जी, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कहीं। श्री शाहनवाज को मैं बड़ा एप्रीशिएट करता हूं वह बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब श्री शाहनवाज ने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद जब सारे मुसलमानों के बारे में इस तरीके की जबान बोलती है तो मेरी गरदन शर्म से झुक जाती है। वह इस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वह इंटरव्यू में कह रहे थे कि वी.एच.पी. सारे मुसलमानों के बारे में जिस तरीके से एलीगेशंस लगाती है, मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता हूं, मेरी गरदन शर्म से झुक जाती है। मैं अल्फाज एक्जैक्टली इनवर्टेड कोमाज में नहीं दे सकता, लेकिन उसका मतलब इसी तरीके का था। जो विनय कटियार जी यहां कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चंद फायदों के लिए इस मुल्क को तोड़ने का काम मत कीजिए। इलैक्शन आते हैं और चले जाते हैं। इक्तदार आता है और बदल जाता है। जो दायें हाथ पर लोग बैठे हैं, ये चालीस साल तक इक्तदार में रहे हैं। लेकिन अपनी गलतियों की वजह से आज ये वहां बैठे हैं। आपको इस देश के लोगों ने इसलिए नहीं चुना था कि आप अलहदा रास्ते पर चलेंगे। आप देश को ठीक करने का काम करेंगे। कभी इक्तदार किसी के लिए परमानैन्ट नहीं होता है। यह देश एक सेक्युलर देश है और इसके सेक्युलरिज्म को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम कांस्टीट्यूशन के प्रति वफादार नहीं होंगे। हमारी वफादारी तभी होगी जब इस मुल्क के कांस्टीट्यूशन को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान की आजादी की मशरिख की जब पहली किरण निकली थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर हिन्दू और मुसलमानों को एक नजर से देखा जायेगा। इस मुल्क के हर आदमी के लिए एक कानून होगा। इस मुल्क में 13-14 करोड़ मुसलमानों की जो भी तादाद है, उस बड़ी तादाद को नजरअंदाज करके आगे नहीं चला जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडैन्ट एड्रैस में सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, वह सरकार को मान्य होगा। प्रेसीडैन्ट एड्रैस में कहा गया है कि या तो म्युचुअल एग्रीमैन्ट के साथ कुछ होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से होना चाहिए। वे तमाम लोग, जो इस बात को बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, वे इस देश के दोस्त नहीं हो सकते। मैं अपनी पार्टी बी.एस.पी. की तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी सर्कम्साटांसेज में इम्पलीमैन्ट करेगी। उसके खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। लेकिन मैं जाति तौर पर, राशिद अलवी की कैपेसिटी से एक मशविरा देना चाहता हूं कि अगर इस मामले को खत्म करना है तो इस देश के अंदर रेफरेंडम करा लीजिए और उसमें मुसलमानों को अलहदा कर दीजिए। अगर मुसलमानों को वोटिंग राइट देंगे तो फिर देश में कम्युनल सिचुएशन हो जायेगी। आप हिन्दुओं के अंदर रेफरेंडम कराकर फैसला करा लीजिए। अगर वे राम मंदिर बनवाना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, आप बैठ जाइये, मेरे बाद बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम एक बात कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्षरशः लागू करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाने के संबंध में निर्णय दिया तो इनकी सरकार क्या करेगी और अगर नहीं बनवाने के संबंध में निर्णय दिया तो जब बी.जे.पी. आपसे समर्थन वापस ले लेगी तो उस समय इनकी सरकार क्या करेगी, जरा बताइये।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी: मैं नहीं मानता हूं ...*(व्यवधान)* वास्तव में, मेरे मित्र बहुत कुंठित व्यक्ति है। वह हमेशा समस्या खड़ी करते हैं। जो मैं कह रहा हूं वह उसे समझने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। अगर यह भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आपसे हाथ जोड़ता हूं।

स्पीकर साहब, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उस फैसले को हम सबको मानना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कृष्णा बोस। उसके बाद श्री देवेगौड़ा जी बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ह्रदय की व्यथा के साथ इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं लम्बे समय से जारी आरोप-प्रत्यारोपों को सुन रही हूं। मैंने विभिन्न पक्षों की तरफ से किए गए विभिन्न ऐतिहासिक उल्लेखों को और जारी विभिन्न विधिक अड़चनों के बारे में सुना। इससे दुःख होता है जब आप अपने देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय बैठे-बैठे यह सब सुनें और इस पर चर्चा करें। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं-गरीबी, निरक्षरता और बीमारी। हम अपना समय गंवा रहे हैं, मैं नहीं जानती, यह व्यर्थ का वाद-विवाद है। अभी समय की मांग क्या है? समय की मांग यह है कि हम अपने राष्ट्रीय जीवन में शांति, एकता और सद्भावना को बनाए रखें। हम सभी को यह देखना चाहिए कि यह सब अभी चल रहा है। हालांकि, इसके पहले कि हम और कुछ कहें इस पर मैं अपने दल का पक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। एन.डी.ए. के हिस्से के रूप में, हम सामान्य न्यूनतम एजेंडे पर कायम हैं। इससे थोड़ा-सा भी दुराव, हमें स्वीकार नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हम न्यायालय के अंतिम निर्णय को मानने के लिए वचनबद्ध हैं, चाहे वह जो भी निर्णय हो, और मैं यह देख सकती हूं कि आप सब भी वही बात कह रहे हैं। इसलिए फिर झगड़ा किस बात का है? आप सभी यही बात कह रहे हैं।

ऐसा कहने के बाद, मैं सिर्फ एक या दो मुद्दे उठाना चाहती हूं। क्या यह सब कुछ एकड़ भूमि, कुछ ईंट और गारा की बात है या इसमें कुछ वास्तविक मुद्दे शामिल हैं? इसमें कुछ वास्तविक मुद्दे शामिल हैं। किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया लेकिन एक वास्तविक मुद्दा है जनतंत्र। जनतंत्र में बहुमतवाद किसी धर्म या किसी अन्य चीज द्वारा परिभाषित नहीं होता। धार्मिक बहुलतावाद किसी भी देश के लिए खतरनाक है। बहुमत अच्छे कार्यक्रमों, सुशासन और अच्छी परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। एन.डी.ए. के सहयोगी के रूप में मैं चाहूंगी कि एन.डी.ए. को उस तरह से बहुमत प्राप्त करना चाहिए न कि किसी अन्य तरीके से।

महोदय, इसके अलावा, सार्वजनिक जीवन में मैं अत्यधिक धर्मनिरपेक्ष इंसान हूं लेकिन मैं एक हिन्दू हूं-एक भक्त हिन्दू हूं, ऐसा मैं कई अन्य लोगों की तुलना में दावा करती हूं जो अब हिन्दू के रूप में मंच पर सवार हैं। मैंने अपना हिन्दुत्व स्वामी विवेकानन्द और श्री अरबिन्द से सीखा है। उन्होंने जो सिखाया उसे मैं सभा को याद दिलाना चाहती हूं। मैं एक हिन्दू हूं और मैं चाहती हूं कि आप सुनें। मैं स्वामी विवेकानन्द की कही सिर्फ दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे मित्र इसे ध्यानपूर्वक सुनें। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि सभी धर्म सत्य हैं। उन्होंने सार्वभौमिक धर्म की बात कही। उन्होंने कहा: मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा। मैं उसे दुहराती हूं-''मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा; मैं इसाइयों के गिरजाघर में जाऊंगा और सूली के सामने घूटने टेकूंगा; मैं बौद्ध मंदिरों में जाऊंगा जहां मैं बुद्ध और उनके कानून की शरण लूंगा; और मैं वन में जाऊंगा और मैं हिन्दू के साथ ध्यान लगाकर बैठूंगा जो प्रकाश देखने की कोशिश कर रहा है जो प्रत्येक व्यक्ति के ह्रदय को जागृत करता है।''

महोदय, यह हिन्दुत्व है। हिन्दुत्व बहुत बड़ा दर्शन है, उसमें घृणा की कोई जगह नहीं है। 'उपनिषद', पढ़ने के बाद, महान जर्मन दार्शनिक, शेपेनहावर ने कहा था कि उपनिषद उनके जीवन में तसल्ली प्रदान करेगा और उनकी मृत्यु पर भी तसल्ली प्रदान करेगा। उपनिषद पढ़ने के बाद कितनी बड़ी बात कही गई है। इसलिए, मैं चाहूंगी कि ऐसे मौके पर सभी खड़े हों और धर्म एवं हिन्दुत्व के नाम पर फैलाई जा रही किसी भी घृणा का विरोध करें।

महोदय, दूसरी बात जो मैं रखना चाहूंगी वह यह है कि भारत में मिली-जुली संस्कृति है। हमने कई साम्राज्यों के उत्थान-पतन को देखा है-जैसे हिन्दू साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य। श्री अरबिन्द ने क्या किया-जिन्हें हम सब आदर करते है, इस मिली-जुली संस्कृति के बारे में कहा है? मैं आप सबको मुगल साम्राज्य के बारे में उनके मूल्यांकन को सुनने के लिए आमंत्रित करती हूं। उन्होंने कहा था और मैं उसे उद्धृत करती हूं:

> ''मुगल साम्राज्य की संरचना बड़ी भव्य थी। इसके सृजन और अनुरक्षण में बड़ी संख्या में राजनीतिक मेधावी और योग्यता वाले लोग लगे थे। यह वैभवशाली, शक्तिशाली और परोपकारी था और इसके साथ ही इतना और बता दिया जाए कि औरंगजेब के कट्टरपन के बावजूद यह निश्चित रूप से अधिक उदार और यह किसी मध्यमकालीन या समकालीन यूरोपीय राजतंत्र की अथवा साम्राज्य की अपेक्षा निश्चित रूप से कहीं ज्यादा उदार था और धर्मसहिष्णु था तथा मुगल साम्राज्य शक्ति के मामले में, आर्थिक सम्पन्नता के मामले में तथा अपनी कला और संस्कृति के मामले में बहुत आगे था।''

यह उद्धरण श्री अरविन्द की पुस्तक ''स्पिरीचुअल फार्म ऑफ इण्डियन पोलिटी'' से लिया गया है। उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने भारतीय कला के पक्ष में एक अन्य पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह भारत की मस्जिदों और मकबरों

के सौन्दर्य और कला की लौकिक रूप से कितनी प्रशंसा करते हैं। मुझे इस बात का ठीक-ठीक पता नहीं कि हमारे देश में जो कुछ एक विशेष मस्जिद के साथ हुआ उससे वह खुश होते।

महोदय, मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि यह हिन्दुत्व के नाम पर और भारत के नाम पर एक कलंक है। किसी तरह से इसे रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें गरीबी, निरक्षरता और बीमारी से लड़ने के अपने पुराने काम में फिर से जुट जाना चाहिए। हमें सैकड़ों विद्यालयों एवं चिकित्सालयों का निर्माण करना चाहिए। मैं इस ओर बैठे अपने सहकर्मियों से यह कह सकती हूं कि यही श्री राम के वास्तविक मन्दिर हैं। वह इन मन्दिरों में ही निवास करेंगे। वह हम सभी को आशीर्वाद देंगे। यदि किसी भव्य भवन का निर्माण किया जाए और उसकी नींव खून-खराबे पर, हिंसा पर और घृणा पर रखी जाए तो श्री राम उस मन्दिर में रहने से मना कर देंगे। मेरा ऐसा मत है।

महोदय, किसी ने अभी-अभी भारत के स्वाधीनता संघर्ष का उल्लेख किया और हमें महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में सोचने, नेताजी सुभाष बोस के नेतृत्व में बनी इण्डियन नेशनल आर्मी के बारे में सोचने का स्मरण कराया। हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई, सभी भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के जज्बे के लिए उठ खड़े हुए थे और वे सभी कंधे-से-कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे थे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें यह आजादी उन्हीं से दाय में मिली है। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि हम सभी-हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और इसाई को भारत में ही रहना होगा। इस प्रकार के जहरीले विवाद पर सदैव लड़ते रहने का कोई लाभ नहीं है। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष बोस के नाम पर मैं आप सभी का आह्वान करती हूं कि आप सभी इस तुच्छ वस्तु से ऊपर उठें और भारत के विषय में सोचें। भारत की महान संभावनाएं हैं। भारत शीघ्र ही एक महान् आर्थिक शक्ति बन सकता है। आइए हम सभी इन सब बातों से ऊपर उठें और भारत के लिए एक अधिक महान् और अधिक बड़ा स्वप्न देखें। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना था।

सायं 7.00 बजे

श्री एच.डी. देवगौड़ा (कनकपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। आपने मेरे लिए दस मिनट निर्धारित किए हैं और मैं नियत समय में अपनी बात पूरी करने का प्रयास करूंगा।

यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि माननीय विधि मंत्री अविवादित भूमि पर लगे स्थगन आदेश के निरसन के लिए उच्चतम न्यायालय में गये। अन्यथा, आज इस मुद्दे को सभा में चर्चा के लिए नहीं उठाया जाता। हम बार-बार अयोध्या मुद्दे पर चर्चा करते आ रहे हैं, कतिपय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है। यह मुद्दा आज यहां आया है उसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार स्वयं उच्चतम न्यायालय के समक्ष गयी है और उससे अविवादित भूमि पर लगे स्थगन को निरस्त करने के लिए कहा है और अब यही झगड़े की जड़ है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कथन का पुनः उल्लेख करना चाहता हूं जो उन्होंने कुछ समय पहले इस सभा में कहा था। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप एक वरिष्ठ संसदविज्ञ हैं, उनके प्रति हमारा अगाध सम्मान है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही होता है, भले ही आप मानें या न मानें। वह इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। इसी सभा में जो बातें उन्होंने कहीं थीं वही बातें प्रकट करती हैं कि इस सभा के माध्यम से देश के साथ कौन विश्वासघात करने वाला है अथवा दिए गए वचन को तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा है:

> "कई मुद्दे उठाये गये हैं। विपक्ष की नेता और अन्य सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल का एक गुप्त एजेंडा है। मैं नहीं जानता कि वे क्या कहना चाहते हैं। हमारा एजेंडा खुला है और स्पष्ट है। यह एक राष्ट्रीय एजेंडा है और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। किसी अन्य एजेंडा से हमें कोई सरोकार नही है। जब तक यह सरकार सत्तासीन है और जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तब तक सरकार केवल राष्ट्रीय एजेंडे के अनुसार ही कार्य करेगी।"

मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि वह राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं।

मैं राजनैतिक विचारधाराओं पर झगड़ना नहीं चाहता। इस पर कोई विवाद नहीं है। जब वह इस सभा के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र को यह आश्वासन दे चुके हैं, तो उन्हें अपने दिये गये वचन का पालन करना चाहिए। अब मैं यहां पर इसी बात पर जोर देना चाहूंगा। वह अथवा उनकी सरकार अविवादित भूमि पर लगे स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए क्यों गयी?

गुजरात की घटना घटी। वस्तुतः, गत वर्ष 28 फरवरी को जब एक उपचुनाव में मैं यहां आया था, उसी दिन यह दुःखद घटना गुजरात में घटी थी। तत्पश्चात् प्रधानमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री दोनों ने ही अनेक अवसरों पर बहुत-से वक्तव्य दिये हैं। मैं उन वक्तव्यों को पढ़ते रहना नहीं चाहता। यदि आज कोई भी व्यक्ति राजनीति को जोड़े बिना इन वक्तव्यों का अध्ययन करे तो इससे सरकार का कोई नाम नहीं हो जायेगा–मैं इस बात को ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूं। आप अगले डेढ़ वर्ष तक सत्ता में बने रह सकते हैं क्योंकि रा.ज.ग. में, हमारे कुछ मित्र लाचार हैं। मैं उनकी राजनीतिक विवशताओं को समझ सकता हूं और उनका अपमान

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत सारी विवशताएं हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप अगले डेढ़ वर्ष तक शासन कर सकते हैं। आप इस भुलावे में न रहें कि प्रत्येक राज्य में नरेन्द्र मोदी हैं और प्रत्येक राज्य में साबरमती जैसी रेल दुर्घटनाएं होंगी। यह एक महान देश है और यह अपने सभी मुद्दे आसानी से निपटा लेगा। मुझे इस बारे में चिंता नहीं है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रधानमंत्री कुछ संगठनों के बीच दब गये हैं जिनका उल्लेख मेरे मित्रों ने किया है। मैं इन संगठनों के नाम नहीं गिनाना चाहता। हमने उस समय इनके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी जब गुजरात की स्थिति पर चर्चा की गयी थी। इस महीने की 21 और 22 तारीख को, धर्म संसद की बैठक होनी थी। इससे पहले ही भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंच गयी। हम इसकी विवशता को समझ सकते हैं।

गुजरात के चुनावों के पश्चात् आर.एस.एस., विश्व हिन्दू परिषद आदि बजरंग दल के विभिन्न नेताओं ने क्या बातें कही थीं? आखिरकार, प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रिमंडल के सहकर्मी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाने के लिए कहना ही पड़ा। उन्होंने इस काम को प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बगैर नहीं किया। क्या यह ऐसा मुद्दा है जिससे प्रधानमंत्री की सहायता प्राप्त होती है? गत 50 वर्षों में श्री वाजपेयी के रूप में और विपक्ष के नेता के रूप में जो विश्वसनीयता और सम्मान उन्होंने अर्जित किया वह आज टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया है। यह पद स्थायी नहीं है। उनका, उनकी उम्र का और विपक्ष के नेता के रूप में राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा का अत्यधिक सम्मान करता हूं। पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय उन्होंने इस देश की ओर से कतिपय शिष्टमंडलों का प्रतिनिधित्व किया था। मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हूं। लेकिन आज, वह इस सभा के माध्यम से राष्ट्र को दिये गये अपने वचन को तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि वह अगले डेढ़ वर्ष की अपनी पूर्ण अवधि को पूरा कर लें अथवा वह अगली बार भी सत्ता में आ सकते हैं। मैं प्रतियोगी नहीं हूं। मैं अपनी शक्ति जानता हूं। लेकिन वह वचन इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था।

इस सरकार का राष्ट्रीय एजेंडा क्या है? आपने इसकी घोषणा की है। आप इसका उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं? यदि आपने न्यायालय को शीघ्र निपटान के लिए कहा है तो हमें इस पर आपत्ति नहीं है। अंततः, न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह हमें स्वीकार्य होगा। इस पर कोई विवाद खड़ा करने वाला नहीं है। लेकिन आप इस समस्या को क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? चुनाव लड़ने वाली अन्य पार्टियों द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद, हमें न्यायालय का निर्णय स्वीकार्य होगा चाहे वह जो भी हो। आप लोग क्यों उच्चतम न्यायालय में गये? इसका कारण यह है कि आपका गुजरात में कुछ राजनैतिक स्वार्थ है। इसकी वजह से ही आप उच्चतम न्यायालय के समक्ष गये।

सायं 7.07 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

आप इस भुलावे में न रहे कि यह देश गुजरात के नक्शे कदम पर चलेगा। प्रत्येक राज्य का अपना राजनैतिक ढांचा है। आपको अपने रा.ज.ग. एजेंडे से जो अधिकांश वोट मिली हैं वो लगभग 23 प्रतिशत हैं। भा.ज.पा. को केवल 23 प्रतिशत वोट मिली हैं। लगभग हमारे सभी मित्र इस बात को जानते हैं और इसके बारे में कोई नयी बात नहीं है। आज, यदि आप विभिन्न राज्यों के राजनैतिक समीकरणों से लाभान्वित होना चाहते हैं और रा.ज.ग. सहयोगियों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं तो एक समय आयेगा जब वे उठ खड़े होंगे और विद्रोह करेंगे। वे अपनी राजनीति को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ काम कर चुके कुछ मित्रों में मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं विस्तृत भाषण नहीं देना चाहता।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे पर विचार करने का आग्रह करता हूं। आज भी, मेरा यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी उस गलती का अहसास करेंगे जो उन्होंने की है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अविवादित भूमि को खाली कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन को वापस ले लेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दो बजे से इंतजार करते-करते ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि श्री देवेगौड़ा जी के बाद हमारा नम्बर है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष जी के हाथ का लिखा हुआ मैंने पढ़ा है।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, जिस अयोध्या के मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके ऐसा बोलने से मेरे जजमैंट में थोड़ा रिफलेक्शन होता है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि आपका नाम होता तो क्या मैं इनको फ्लोर दे दूंगा? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अब आपको हर बात पर गुस्सा आ जाये तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी ने जो कहा था, मैंने वही कहा है। अब इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: गुस्से की बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपको इस तरह से गुस्सा आता रहेगा तब तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इस चर्चा की आवश्यकता इसलिए पड़ी की हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह अनुरोध किया, ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: जब पार्टी की संख्या के हिसाब से भी चलें तो आप देख लीजिए कि हमारा नम्बर छूट गया है। समता पार्टी का नम्बर छूट गया है। आखिर किसी नॉर्म्स पर तो चलिएगा। आपको गुस्सा आता है तो सदस्यों को भी आ सकता है। यहां पर आप सदस्यों की संख्या देख लीजिए और समता पार्टी के कम सदस्यों को बुलवाया गया है कि नहीं। आखिर यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं तो डेढ़ घंटा पहले बैठा था और फिर अभी आया हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपको गुस्सा आता है तो सदस्य तो बैठे रहते हैं, उनको भी गुस्सा आ सकता है। हमने कौन सा अपराध कर दिया?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर मैंने इनको बुलाया है तो भी क्या आपको ऐसा बोलना ठीक है? क्या आपके कहने का यह आशय नहीं है कि मैंने आपके साथ भेदभाव किया है?

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इस बहस की आवश्यकता इसलिए पड़ी की अयोध्या मुद्दे पर बहस कराने की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई कि विवादित भूमि पर स्टेटस-को की जो स्थिति है, उसको समाप्त कर दिया जाए। इस तरह की अर्जी लगाने की क्या आवश्यकता थी? किन परिस्थितियों में यह रिक्वेस्ट कोर्ट से की गई? हमारे बहुत सारे मित्र कल तक यह कहते थे कि कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए तो क्या इस तरह की अर्जी लगाना कोई पाप था? मामला जल्दी निपटे और जल्दी फैसला आए, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता। कांग्रेस भी यही चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से और हाईकोर्ट से अयोध्या के मामले में पर जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए लेकिन देश को गुमराह करने वाली बातें जब कही जाती हैं और इस बात को छिपाया गया कि प्रतिबंधित भूमि पर स्टेटस-को को समाप्त करने के लिए अर्जी लगाई गई और इस बात को छिपाकर केवल इतना हिस्सा कहा गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के लिए गई कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर फैसला किया जाए और इस केस को एक्सपेडाइट किया जाए। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने यह स्वीकार किया और इस मुद्दे पर बहस की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार ने यह कहा कि इस मामले पर जो प्रतिबंधित भूमि है, उसक स्टेटस-को को समाप्त कर दिया जाए। हालांकि हम समझते हैं कि सरकार जिस तरह से दबाव में है, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस का जो दबाव सरकार के ऊपर है तथा हिमाचल प्रदेश में आसन्न हार के खतरे का दबाव सरकार के ऊपर है। इन सारी चीजों ने मिलकर सरकार को मजबूर किया कि एक असंवैधानिक कदम सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर सरकार ने उठाने की कोशिश की। इस संबंध में सोमनाथ दादा ने बहुत कुछ कहा है और खासकर जयपाल रेड्डी साहब ने अपना पूरा लेक्चर ही उसी संवैधानिक पहलुओं के ऊपर दे दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: फिर तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: बोलने की जरूरत है क्योंकि विनय कटियार जी और आप लोग भी बहुत सारी बातें ऐसी-ऐसी बोलते हैं, जैसे आज आपने उठाया और आज तो आपने कम उठाया। जहां हिन्दू भाइयों का समूह होता है वहां बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमान सऊदी अरब से माइग्रेट होकर आए हैं। कटियार साहब शत-प्रतिशत भारत का मुसलमान और उसके पुरखे भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, किसी दूसरे देश में पैदा नहीं हुए हैं। आप इस तरह से हिन्दुओं के बीच में चर्चा करते हैं कि सऊदी अरब में, अफगानिस्तान में, कतर में और फलां देश में ऐसा होता है, इसका क्या मतलब है? मैं अपने मित्र को बधाई दूंगा, जिन्होंने स्थिति को बहुत साफ किया। ...*(व्यवधान)* वे भाग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार चली जाएगी और यहां भी खतरे में पड़ जाएगी। वे यहीं कहीं कोने में बैठे होंगे। इस तरह की बातों को कहकर हिन्दुओं को जो गुमराह करने की कोशिश की

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

जाती है, उसका कुछ न कुछ खुलासा तो होना ही रहना चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी की सरकार है, उसकी हमदर्दी ऐसे लोगों के साथ है। मैं कहता हूं कि यह नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। 1999 का चुनाव हुआ, तो अयोध्या इश्यू से कोई मतलब नहीं था। वहां मंदिर बनाएंगे या नहीं, इससे इनका कोई ताल्लुक नही था। उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव जैसे ही आहत होने को हुए, अयोध्या में शिलादान का आयोजन शुरू हो गया। कभी हमने सुना भी नहीं था कि शिलादान कार्यक्रम भी होता है। लेकिन हमारे विश्व हिन्दू परिषद के साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य मित्रों ने अयोध्या में शिलादान कार्यक्रम किया। खैर वह जैसे-तैसे करके टला। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि शिलादान से कोई बात नहीं बनी, हमारा उल्लू शिलादान से सीधा नहीं होगा। शायद उनको यह भी जानकारी हुई होगी कि शिलादान कार्यक्रम में जिस तरह के बयान इलैक्ट्रानिक मीडिया से आए हैं, उन्होंने हिन्दुओं का सिर ऊंचा नहीं किया है, बल्कि नीचा किया है। आज जब साधु-संतों पर अंगुली उठाई जाती है तो आपको ऐतराज होता है। साधु-संतों को हम भी मानते हैं, सारे हिन्दू उनको मानते हैं।

श्री विनय कटियार: शिलादान चुनाव के बाद हुआ।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: लेकिन जब साधु-संत इलैक्ट्रानिक मीडिया में यह कहें कि सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या लेना देना। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा तो उसको मानेंगे, अगर विपक्ष में होगा तो नहीं मानेंगे। यह इन महान साधु-संतों ने कहा। हमारे पास इसकी वीडियो टेप मौजूद है।

योगी आदित्यनाथ: शाहबानो के मामले में आपने क्या किया। आपने भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैंने विनय कटियार जी के लिए कहा था। मैंने जब वे बोल रहे थे, तो उनसे कहा था कि वे मेरे भाषण के दौरान मौजूद रहें, क्योंकि मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। वे बजरंग दल के अध्यक्ष रह चुके हैं और आज भगवा ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप मौजूद रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, विनय कटियार साहब हमारे कानपुर में पले हैं और वहीं इन्होंने पढ़ाई की है। यह हमारे अभिन्न मित्र हैं। जब साधु-संतों का कमेंट इस तरह से देश के कोने-कोने में पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमारे मामले में टांग अड़ाने वाला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा तो मानेंगे, विपक्ष में होगा तो नहीं मानेंगे, तो ऐसे साधु-संतों को हमें कितना रिगार्ड देना चाहिए, विनय कटियार जी हमें बता दें।

श्री विनय कटियार: वह तो संतों का मामला था।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह मामले की बात नहीं है, आप बताइए कि क्या रिगार्ड दें। अब आप पलट रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: यह अब यह तो नहीं हो सकता कि आप हमें ही हर चीज के लिए कटघरे में खड़ा करें। ...*(व्यवधान)* आप बताएं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय आया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। दोनों को एक साथ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, क्या आप उनको बोलने का मौका दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांतों में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। दोनों को एक साथ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है। पहले, उन्हें आपको बोलने का अवसर देना भी चाहिए। क्या आप उनकी बात मान रहे हैं?

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जब ये खड़े होकर रैफरेंस कोई और देने लगेंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। हम तो दुनिया के सबसे उदार हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं और ये राजनीतिज्ञों की बात करने लगे। ...*(व्यवधान)* गुजरात से जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने रथ-यात्रा प्रारम्भ की थी तो देश के सारे राजनीतिज्ञों दलों ने चेतावनी दी थी कि इसका भारत की जनता के मन पर बड़ा गलत असर पड़ेगा, देश का साम्प्रदायिक सद्भाव नष्ट होगा। लेकिन आडवाणी जी नहीं माने। नतीजा यह

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ कि पूरे उत्तरी भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश की गयी, सैंकड़ों की जानें गयीं, हजारों लोग हताहत हुए और अरबों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। कल्याण केवल भारतीय जनता पार्टी का हुआ जिसकी सीटें तीन से बढ़कर 180 हो गयीं। जब फिर ये 180 से तीन सीटों पर आने लगते हैं तो फिर इसी तरह का एजेंडा ये उठाने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में 26 तारीख को चुनाव था और दिल्ली में 23-24 तारीख को धर्म-संसद आयोजित की गयी, क्योंकि अयोध्या में धर्म-संसद होती तो उसका मैसेज हिमाचल में न जाता। गुजरात में जब ये तहसील स्तर पर, ताल्लुका स्तर पर और हरेक स्तर पर चुनाव हारने लगे तो ये किसी मुद्दे की तलाश कर रहे थे। दुर्भाग्य से कुछ वहशियों ने, राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने गोधरा का कांड कर दिया। उससे उपजे वैमनस्य को दबाने के बजाए गुजरात के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दो महीने तक दंगे करवाये गये और हजारों लोगों को कत्ल करवा दिया गया। इसलिए करवाया गया जिससे भारतीय जनता पार्टी की जमानत तो जब्त होने वाली थी वह बच जाए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गयी। जितने वोट आपको बाई-इलेक्शन में मिलते थे, जितने वोट वहां आपको 6 महीने में मिले हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: गुजरात के चुनाव परिणाम इस बात को सिद्ध करते हैं कि तीन दिशाओं में कांग्रेस गुजरात में आगे रही और काफी सीटों से आगे रही। केवल मध्य गुजरात जहां दंगे हुए वहां कांग्रेस हारी, वहां उसे तीन सीटें मिलीं। दूसरी जगह उसे 28 सीटें मिलीं। इससे साबित होता है कि अगर गुजरात में दंगे न हुए होते तो कांग्रेस वहां दो-तिहाई बहुमत से जीतती। 6 से 8 महीने के बाद दूसरे सूबों में चुनाव होने हैं। सौभाग्य से ऐसे सूबों में चुनाव होने हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बहुत अस्तित्व है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। उसकी व्यूह रचना अभी से शुरू कर दी गई है और पूरे देश को यह संकेत दे दिया गया है कि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ बन्धे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत नहीं दी है। यही सोचकर सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन को मूव किया गया, जिससे सारे देश को यह संदेश जाए, देश के सारे साधु-संतों को यह सन्देश जाए कि सरकार मंदिर बनवाना चाहती है और सरकार प्रतिबंधित जमीन को भी मुक्त करवाना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त नहीं किया, हम क्या करें।

महोदय, दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। विश्व हिन्दू परिषद के लोग अभी तक इस बात को कहते थे कि शाहबानों के केस में भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो अयोध्या के केस में भारत के संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है। आज तो हमारे परममित्र श्री विनय कटियार जी ने संसद में यह बात कह दी है। आपने यह बात कह दी है कि जब शाहबानों के केस में संशोधन हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्व. राजीव गांधी जब शाहबानो के केस में भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो अयोध्या के मंदिर निर्माण के मामले में आज संसद संशोधन क्यों नहीं कर सकती है। ...*(व्यवधान)* आपने कहा है या अन्य किसी माननीय सदस्य ने कहा है। शाहबानो के केस को अयोध्या केस से मिलान करना देश की जनता को भ्रमित करना है। शाहबानों का केस देश के एक सम्प्रदाय का मामला था, उनकी निजी मामला था और उस सम्प्रदाय को शतप्रतिशत लगों संविधान में संशोधन करना चाहते थे और उससे किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत होने का प्रश्न नहीं था, चाहे वह हिन्दू हो, सिक्ख हो या ईसाई हो। इन लोगों को इस केस से दूर-दूर तक सरोकार नहीं था, लेकिन अयोध्या के मामले में सीधे-सीधे हमारे मुस्लिम भाइयों का संबंध है। इसलिए यह कैसे तर्क दिया जा सकता है कि शाहबानो के केस में संविधान में संशोधन हो सकता है और अयोध्या के मामले में संविधान में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग मुंह-मियां मिट्ठू बनते हैं और इस तरह की बातें कह कर तालियां पिटवाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें दूसरे धर्म के लोगों का वास्ता नहीं है। सीधे-सीधे मुस्लिम भाइयों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर शाहबानों का केस किसी दूसरे धर्म का मामला होता, तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता था। हरगिज नहीं हो सकता था। दूसरी बात यह है कि शाहबानो का केस में शत-प्रतिशत मुसलमान संशोधन चाहता था। अयोध्या के केस में किसी ने यह बात कह दी कि मुस्लिम भाइयों से वोट न डलवाए जायें और मैनडेट ले लिया जाए, तो 90 प्रतिशत हिन्दू भाई यही चाहेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, हम उसे मानेंगे, मनमानी हम नहीं करेंगे। इसलिए शाहबानो के केस से मिलान करना, इस देश की जनता को भ्रमित करना है और उनके सामने सऊदी अरब तथा बाबर की बात कहना शुरू

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

कर दिया है। इस तरह से आप हिन्दू भाइयों के सामने ये बातें कहकर हिन्दुओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विश्व हिन्दू परिषद के नेता है। वह इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाते हैं। कभी शास्त्रार्थ कोई वास्तविक हिन्दू पंडित करे तब उनको एक-एक बात का जवाब मिलेगा। वह हजारों की भीड़ में हिन्दू भाइयों के सामने खड़े होकर भाषण देते हैं और उनसे तालियां मारने के लिए कहते हैं, चले जाते हैं। आम हिन्दू समझता ही नहीं कि वह क्या कह गए? वे सोचते हैं कि शाहबानो के मामले में संविधान संशोधन हो गया इसमें क्यों नहीं होता है। यह उन्हें बताया ही नहीं जाता कि उस केस में क्या था, वह किस धर्म का मामला था और दूसरा धर्म उससे प्रभावित नहीं होता है।

श्री खारबेल स्वाइं: इनको मालूम है और हमें मालूम नहीं है, ऐसा यह कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाइं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप नियमों को जानते हैं। यदि वे आपको मौका नहीं देते हैं, तो आप कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: सुप्रीम कोर्ट का फैसला धर्म का फैसला नहीं था। यह गलत व्याख्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय धर्म के आधार पर नहीं था। इन्दिरा गांधी के केस में कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसे इन्होंने बदला। बूटा सिंह जी को छोड़ कर यह हमेशा कोर्ट का अपमान करते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, मैं यूपी से आता हूं और अयोध्या यूपी का मामला है। हमारी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी ने अकेले मुझे बोलने के लिये यूपी से अधिकृत किया है।

गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने बार-बार कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव जीतती है तो हिन्दुस्तान की तमाम अवाम को खुशी होगी और यदि चुनाव हारती है तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति मियां मुशर्रफ को खुशी होगी। सच्चाई क्या है? देश का दुश्मन नम्बर एक कौन है, दुश्मन नम्बर एक की भावना क्या है? दुश्मन नम्बर एक की भावना होती है कि हम दुश्मन का बाल बांका यूं नहीं कर पा रहे हैं तो वह अन्दरूनी टकरार से टूट जाए। ऐसे में दुश्मन खुश होते हैं। बीजेपी के गुजरात में जीतने की जितनी खुशी मियां मुशर्रफ को हुई है, शायद दुनिया के किसी व्यक्ति को हुई हो। वह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में धर्म के नाम पर बंटवारा हो और बंटवारे की बुनियादी तैयार हो। बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री कहते थे कि बीजेपी के हारने पर सबसे ज्यादा खुशी मियां मुशर्रफ को होगी और उसके जीतने की खुशी हिन्दुस्तान की अवाम को होगी। सच्चाई यह है कि बीजेपी के जीतने की सबसे ज्यादा खुशी मियां मुशर्रफ को हुई है और बीजेपी के जीतने का सबसे ज्यादा दुख हिन्दुस्तान के अवाम को हुआ है। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।

दो रोज बाद हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आएंगे। तब पता चल जाएगा कि किस को दुख हुआ और किस को खुशी हुई? एक बार आपका जादू चला है। आपने गुजरात में दंगे करवाए और देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे करवाने की कोशिश की गई। इसका हिन्दुस्तान की जनता खुद ही जवाब देगी।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम मानते हैं। इस धरती पर राम पैदा हुए। अयोध्या में राम पैदा हुए।

श्री अरुण जेटली: आप इसे स्वीकार करते हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: बिल्कुल स्वीकार करते हैं। आप वकील हैं। अयोध्या में राम पैदा हुए, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं लेकिन जहां बतला रहे हैं इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी।

अयोध्या में 50 किलोमीटर के एरिया में पैदा हुये न कि 62 बीघे जमीन के अंदर पैदा हुये। हम मानते हैं कि वे अयोध्या में पैदा हुये। अगर आप वहां किसी जमीन पर मंदिर बनाना चाहें तो हमें भी कारसेवा के लिये बुला लीजिये। हम उस निर्माण कार्य में योगदान देंगे लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, तब तक आपका यह धर्म है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने पुरुषों में उत्तम कहा जाता है, जो सारी दुनिया के लिये मिसाल हैं और जिनके समय में हजारों साल पहले अयोध्या में लोकतंत्र अस्तित्व में आया, हम उस भगवान श्रीराम को मानते हैं। वही सही स्वरूप श्रीराम हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम पर हम हिन्दुस्तान में खून-खराबा करके अपने लिये सत्ता की बात करते हैं तो हम श्रीराम के भक्त नहीं हैं, हम उनके दुश्मन कहलायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं तथाकथित रामभक्तों से अनुरोध करूंगा कि राम के नाम पर खून-खराबा न करें। अगर इन लोगों को संघर्ष करना है तो देश की अर्थ-व्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिये काम करें। यदि निगाह डालेंगे तो मालूम होगा कि आज देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। ऐसी कई मिलें जो करोड़ों रुपये का मुनाफा कमा रही है, उनका विनिवेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कई कताई मिलें हैं जिनमें से आधी से ज्यादा बंद हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि यदि 2-4 सालों में उत्तर

प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया गया, किसी समय भी वहां हिंसा भड़क सकती है। अगर देश की समस्याओं का समाधान करता है तो किसानों की समस्याओं का समाधान करें। राम अपने आप में कोई समस्या नहीं है, राम के लिये आप लोग समस्या बने हुये हैं। आप राम को स्वतंत्र कीजिये, उनकी कृपा होगी तो देश की सारी समस्याओं का अंत होगा। उन्हें साधु-संतों की आवश्यकता नहीं होगी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जो कुछ कर रहे है, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: राम की मर्यादा की रक्षा की जाये, हिन्दुस्तान में राजनीति का अखाड़ा न बनायें, राम के नाम की दुकान न खोलें, राम के नाम पर कुर्सी प्राप्त करने की कोशिश न करें, सरकार बनाने की कोशिश न की जाये और हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमान भाइयों को लड़ाकर हिन्दुस्तान का दूसरा बंटवारा का बीज न पैदा किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्यों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कक्ष के जलपान गृह में सदस्यों, मीडिया कर्मियों और सभा को कार्यवाही से जुड़े लोगों के खान-पान की व्यवस्था की गई है। रात्रि 8.30 बजे से ये खानपान वस्तुयें उपलब्ध होंगी।

अब श्री ए.के.एस. विजयन।

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अयोध्या मुद्दे पर अपनी पार्टी डी.एम.के. के नजरिये को स्पष्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे नेता डा. कलाइगार ने बार-बार कहा था कि केवल उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा और यह निर्णय इस मामले में रुचि रखने वाले के लिए मान्य होगा।

महोदय, मैं अपने नेता के रुख को दोहरा रहा हूं और यह कह रहा हूं कि इस मुद्दे से संबंधित पक्ष उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करें और बिना किसी आपत्ति के इसे पूर्णरूप से स्वीकार करें।

केन्द्र सरकार ने मामले के शीघ्र निपटान के लिये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी और उच्चतम न्यायालय ने 6 मार्च, 2003 को इस मामले की सुनवाई करने की मेहरबानी की।

इस समय, मेरा संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे भड़काऊ बयान देकर और भाषण के द्वारा स्थिति को बदतर न करें क्योंकि इससे अनावश्यक कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है।

महोदय, यह देश सुस्थापित संवैधानिक विधि से चलाया जा रहा है न कि धर्मोक्तियों से। देश का कानून सर्वोच्च है और भारत का उच्चतम न्यायालय इस मामले समेत किसी मामले में निर्णय देने वाला सक्षम निकाय है।

इसलिये, मेरा कहना है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम और मान्य है और इस मामले के सभी पक्षों और भारत सरकार को भी निर्णय का सम्मान करना चाहिये और उसे स्वीकार करना चाहिये और उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत कोई रुख अपनाने से संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा और यह सुनिश्चित करना भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि बगैर किसी उल्लंघन के उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन हो।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि अयोध्या के मामले पर एक बार नहीं, अनेकों बार सदन में चर्चा हो चुकी है। मैं समझती हूं कि यह बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। लेकिन मैं सदन में दोनों पक्षों के लोगों को देख रही हूं कि वे आरोप-प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं कि उनके समय में क्या हुआ था और उनकी सरकार में क्या हुआ था। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम इतिहास की बातें करते हैं। लेकिन आज मौजूदा परिवेश में धर्म ऐसी चीज है, जिसके लिए हम अपने मन में आस्था रखते हैं। जैसे धर्म व्यक्ति की मानसिक अभिव्यक्ति है। जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति पूजा, अर्चना, व्रत, स्नानादि आदि कर्मों से होती है। परंतु अत: करण की शुद्धि के लिए व्यक्ति ध्यान, साधना, श्रद्धा, व्रत आदि का सहारा लेता है। लेकिन आज धर्म के नाम पर जिस तरह से विवाद हो रहे हैं, ये उचित नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर हम किस तरह से बहस कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के मामले में हम मंत्रियों को कोई पत्र लिखते हैं तो वे कहते हैं कि यह मामला कोर्ट में लम्बित है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

[श्रीमती कान्ति सिंह]

मुझे 11 साल सदन में हो गये हैं, इन 11 सालों में मैंने देखा है कि हर बार सदन में अयोध्या का मसला उठाया जाता है। लेकिन इस पर यह नहीं कहा जाता कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला कोर्ट में लम्बित है। इसमें प्रमुख चीज यह है कि यह मुद्दा बार-बार क्यों उठ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय प्रधान मंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश में जो बातें कहीं कि वहां पर कुछ पुरातत्व के ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। हम समझते हैं कि एक आम नागरिक के दिमाग में यही आता है कि कोर्ट को प्रभावित करने के लिए देश के प्रधान मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन सबका क्या अर्थ है। प्रधान मंत्री जी ऐसा चाहते हैं और दोबारा कोर्ट में जाकर विवादित स्थल पर पूजा करने के लिए स्वीकृति लेने की याचिका दायर करने का क्या तात्पर्य है। यहां विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हमारा एक एजेंडा है, हम एक एजेंडा पर चलते हैं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलते हैं। लेकिन पता नहीं, इन्हें कब समझ में आएगा कि सरकार की मंशा क्या है। जब सरकार की मंशा स्वच्छ रहती है, कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर केस दोबारा दायर करने की क्या आवश्यकता थी। ...*(व्यवधान)* इसलिए जब विश्व हिन्दू परिषद् ने 23 फरवरी तक मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं मिलने पर आंदोलन छेड़ने की धमकी दी तो उसे तुष्ट करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से यह याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण की अनुमति मिलेगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है लेकिन याचिका दायर करके उन्होंने अपनी मंशा को साफ तरीके से बताने का काम किया है कि वहां पर हम मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। साथ ही विश्व हिन्दू परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण तोगड़िया ने अयोध्या के मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई छेड़ने की जो चेतावनी देते हुए अयोध्या की विवादित भूमि भी राम जन्मभूमि न्यास को सौंपे जाने की मांग करके एक तरह से टकराव पैदा करने की बात की जा रही है। बार-बार इस तरह से धर्म संसद की बात की जाती है जबकि सर्वोच्च सदन यह संसद है। उसके बावजूद भी धर्म संसद बनाने की बात क्यों हो रही है? सरकार में रहने वाले लोग हैं, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग हैं, बजरंग दल हैं, धर्म संसद है और सरकार है। इन तमाम लोगों की आपसी मिलीभगत की वजह से ऐसी बात की जा रही है। हमारे विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातों का उल्लेख किया है। माननीय सोमानाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताने का काम किया कि क्या इनकी साजिश है। अन्य सदस्यों ने भी बार-बार इस ओर इंगित किया है। इसलिए इंगित किया है कि जनभावनाएं किस तरह से उठ रही हैं, किस तरह से लोगों के मन में भय व्याप्त है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, जबकि कोर्ट में मामला लंबित है, तो हम इस पर बहस क्यों करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि:

"पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूँ पहार,
तासे तो चक्की भली, पीस खाय संसार।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहती हूं कि 1990 में आडवाणी जी ने जो कि आज उप प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने एक राम रथ लेकर चलने का काम किया था। अनेक राज्यों से गुजरने के दौरान किसी राज्य के मुख्य मंत्री या सत्ताधारी लोगों ने उस राम रथ को रोकने का काम नहीं किया, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बिहार में थी तो आडवाणी जी के राम रथ को, जो बनावटी राम रथ था, उसको पकड़कर बंद करने का काम किया। आज भी ये लोग साजिश कर रहे हैं। 1990 के बाद से सामाजिक न्याय की सरकार बिहार में बनी। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि जब से हमारी सरकार बनी, चाहे लालू जी हों या माननीय राबड़ी देवी जी हों, उनकी सरकार में एक बार भी सांप्रदायिक दंगा बिहार में नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: 90 दंगे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: आज स्थिति यह है कि जगह-जगह पर विश्व हिन्दू परिषद् के लोग काम कर रहे हैं। कहीं मस्जिदों पर कुछ गलत लिख देते हैं, कहीं मंदिरों में मांस फेंकने का काम कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं कि बिहार की सरकार को भी सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंका जाए। मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूं कि:

"तोड़ते हो क्यों घर की उन दरो-दीवारों को जहां खुदा रहते हैं,

अगर हिम्मत है तो मुक्त करा लो मानसरोवर को जहां शिवशंकर रहते हैं।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज की चर्चा इस बात पर चल रही है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई, उसे जाना चाहिए या नहीं और गई तो क्यों गई। हम बहुत कम दिनों से इस सदन के सदस्य हैं, लेकिन हम जब सदस्य नहीं भी थे तो भी हम मीडिया के माध्यम से सदन के समाचार बराबर सुनते थे। यह विषय इस सदन में आम चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही उसका कुछ रिजल्ट निकले या न

निकले, मगर हम कुछ सवालों पर चर्चा जरूर करते हैं। जब बाढ़ का समय आता है तो बाढ़ पर चर्चा करते हैं, थोड़े दिनों के बाद सुखाड़, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर करते हैं तथा विनिवेश पर भी करते हैं। जब छः दिसम्बर आता है तो हम लोग कर्मकांड करते हैं। जैसे देहातों में बरसी मनाते हैं, हम यह मनाते हैं। हम हिन्दू परिवार से आते हैं और हम लोगों में जब कोई पूर्वज मर जाता है तो उसकी साल में एक बार बरसी की जाती है। ऐसा कोई हिन्दू परिवार नहीं होगा, जिसने डायरी में अपने 50सौ पीढ़ी के पूर्वजों का नाम लिख कर रखा हो। जब किसी का पिता मर जाता है तो पुत्र उसकी बरसी मनाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलता है। लेकिन इस सदन में जब छः दिसम्बर आता है तो जरूर अयोध्या की बरसी मनाने के लिए एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आता है। उधर के माननीय सदस्य कहेंगे कि आज लोक सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी और इधर से जय श्रीराम का नारा लगेगा।

उपाध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि जो बरसी मनाई जाती है और जय श्रीराम का नारा लगाया जाता है, उससे इस सदन से हम देश को क्या संदेश देते हैं। क्या हम इस सदन से यह संदेश नहीं देते कि हिन्दुओं और मुसलमानों की जो भावना सोई रहती है, उसे भी हम एक बार जगा कर, हिन्दू और मुसलमानों के विवाद में इस देश को झोंकने का काम नहीं करते? क्या इस पवित्र सदन से हम यही संदेश प्रतिवर्ष देश की जनता को देते रहेंगे, जिससे एक साम्प्रदायिक तनाव इस देश में बना रहे। यहां इस समय सोमनाथ दा बैठे नहीं हैं। वे कह रहे थे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार है, इस ढंग से करने से वोट की राजनीति है। हम यह जानना चाहते हैं कि छः दिसम्बर को विपक्ष की तरफ से जो बरसी मनाई जाती है, वह किस चीज की राजनीति होती है। राजनीतिक और राजनीतिज्ञ लोग जो हैं वे इस मुद्दे को जिन्दा करके रखे हुए हैं। इस देश की जनता में, खास कर अयोध्या के हिन्दू और मुसलमानों में भी विवाद नहीं है।

महोदय, एक लेख निकला था। हमने अखबार में पढ़ा था, हमें उसका नाम याद नहीं। हम विनय कटियार जी से पूछ रहे थे कि हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े शायर मुसलमान परिवार के थे। उनके संबंध में उनकी जीवनी निकली थी। बचपन में एक बार उनका पेशाब बंद हो गया, उनके इस रास्ते में दर्द हो गई। तब हिन्दू परिवार की एक महिला ने कहा कि सीता रसोई से खाना बना कर खिलाए तो यह ठीक हो जाएगा। उस मुसलमान की औरत ने कहा कि हम रसोई में कैसे जा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्र के समान है, हम सीता रसोई से खाना बना कर लाते हैं, उसे आप अपने पुत्र को खिलाएं, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हिन्दू की औरत अपना पुत्र समझ कर वहां खाना बना कर ले आई और उन्हें खिलाया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। यह उनकी जीवनी में है। अयोध्या में हिन्दू और मुसलमानों में कहां विवाद है, विवाद तो राजनीतिज्ञ लोग कर रहे हैं और करा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी यहां इस समय नहीं हैं, वे चले गए हैं। वे तथ्यों के आधार पर साक्ष्य दे रहे थे कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वहां राम का जन्म हुआ था। विनय कटियार जी बैठे हुए हैं, ये इतिहास का पुलिन्दा लाये थे, देश और दुनिया का ये सदन के सामने तथ्य बता रहे थे। सोमनाथ चटर्जी जी भी वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने बहुत से तथ्यों के आधार पर पक्ष और विपक्ष की बात रखी, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि अगर कांग्रेसी हुकूमत में ताला खोलने का काम नहीं किया गया होता तो शायद यह विवाद इतना नहीं बढ़ता, यदि राजीव गांधी जी के जमाने में वहां शिलान्यास नहीं किया गया होता तो यह विवाद इतना नहीं बढ़ता। आखिर इस विवाद को बढ़ाने में भूमिका किसकी है, यह विवाद बढ़ने का कारण क्या था। उस दिन भी उन लोगों ने ताला खोला और शिलान्यास किया तो उसके पीछे उनकी वोट की राजनीति छिपी हुई थी और वोट की राजनीति के चलते ही यह काम किया गया।

आदरणीय चन्द्रशेखर जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किये थे, यहां कानून मंत्री बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि उनके सवालों का जवाब वे अपने जवाब में दें। उन्होंने सवाल खड़ा किया था, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि चन्द्रशेखर जी की सरकार रहती तो कुछ दिनों में यह मामला समाप्त हो जाता। उसमें तीन लोगों का नाम आया, जैसा कि चन्द्रशेखर जी ने बताया, आदरणीय भैरोसिंह शेखावत जी, जो आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी, जो आपके सामने मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और शरद पवार जी अभी मौजूद नहीं हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि यदि यह सरकार चाहती है कि यह मामला, यह विवाद सुलट जाये तो इन तीनों आदमियों से क्या बात की और बात नहीं की तो इसका क्या कारण है। अगर किसी मंत्रालय में इससे संबंधित पंजिका पड़ी हुई है तो क्या सरकार ने इसका अध्ययन किया? अगर अध्ययन नहीं किया तो इसका कारण क्या है? हम चाहेंगे कि कानून मंत्री इस बिन्दु पर बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से सदन को अवगत करायें। दूसरा सवाल हम यह बताना चाहते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे और अन्य लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो हिमाचल प्रदेश में भाषण दिया, वह न्यायालय को प्रभावित करने के लिए था। हम नहीं जानते कि भारत की न्यायपालिका कितनी कमजोर है या कितनी मजबूत है। हो सकता है कि वह भाषण से प्रभावित होती हो या नहीं होती हो। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम तो मंदिर बनाना चाहते हैं, न्यायालय अवरोध बनता है, बयान देने का यह कारण था। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में जो भाषण हुआ तो उससे न्यायालय प्रभावित होता है, लेकिन अगर विपक्ष की नेता और अन्य लोग इस सवाल पर बोलते हैं तो उससे न्यायालय पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? चन्द्रशेखर जी ने ठीक कहा था कि अगर इस सवाल को, विवाद को समाप्त करना चाहते हो तो भाषणबाजी बन्द करो, इस पर बहस बन्द करो। इस पर बहस बन्द होनी चाहिए। अगर देश में अमन-चैन रखना है तो देश में अमन-चैन को रखने के लिए इस पर भाषणबाजी और बहसबाजी बन्द होनी चाहिए, चाहे इधर के लोग भाषण देते हों और बहस करते हों, चाहे उधर के लोग बहस करते हों, भाषण देते हों। ..*(व्यवधान)*

हम ज्यादा समय नहीं लेगें, हम दो-चार मिनट के लिए बोल रहे हैं। हम एक बात यह भी बताना चाहते हैं कि यहां के न्यायपालिका में प्रमाणित हो चुका है कि कभी-कभी न्यायपालिका प्रभावित भी होती है। उदाहरण के तौर पर हम यह बताना चाहते हैं कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे, ...*(व्यवधान)* यदि सच है तो हम सदन में नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे, क्या बन्द कोठरी में कहेंगे। अगर ज्यूडीशियरी गलत काम करेगी तो कहां कहेंगे. यह सर्वोच्च सदन है, इस सदन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उनके मामले में तीन आदमियों की सर्वोच्च न्यायालय में बेंच बनी हुई थी, उनमें से एक जज, जिन्होंने जजमेंट दिया, एक हफ्ते के बाद राज्य सभा में सदस्य बनाये गये। हम यह जानना चाहते हैं कि प्रभावित करने का दूसरा कारण क्या हो सकता है। वह कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस की हुकूमत में ऐसा होता आया है, इसलिए संदेह किया जा सकता है कि न्यायपालिका के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इन सब सवालों पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

एक बात हम और कहना चाहते हैं। जो इधर से तर्क आ रहा है, हम उससे सहमत नहीं हैं कि मंदिर यहीं बने। देश में और दुनिया में लोग कहते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। हमारा धार्मिक ग्रन्थ रामायण भी कहती है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। विनय कटियार जी कहते हैं कि राम का जन्म यहां हुआ था। ये उंगली से ऐसे बताते हैं, जैसे उनका जन्म हुआ था तो ये लोग नाल काटने के लिए वहां बैठे हुए थे। अयोध्या में जन्म हुआ था और यह भी सत्य है कि यदि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था तो बिना विवाद के, निर्विवाद तरीके से कोई रास्ता निकालकर अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। अगर अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में तो नहीं बन सकती।

रात्रि 8.00 बजे

श्री मुलायम सिंह यादव: वह कहां बनना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: जहां निर्विवाद जगह है, वहां मंदिर बनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभनाथ सिंह के कथन के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, धर्म की जहां तक बात चलती है, तो हम मानते हैं कि हिन्दू कोई धर्म नहीं है। हमें हिन्दुत्व की विशालता को समझना पड़ेगा। हिन्दुत्व की विशालता में कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि धर्म कर्म पर आधारित होता है। धर्म कहीं मंदिर और मस्जिद से नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी का वृद्ध पिता एक-एक बूंद पानी के लिए तड़पता हो और अपने पिता की प्राण रक्षा के लिए कोई पुत्र एक-एक बूंद पानी उसके मुंह में डालता हो और बगल की पड़ोसन के घर में कोई किसी अबला का कोई बलात्कार या अपहरण करता हो तो ऐसी स्थिति में वह अबला यदि अपनी सुरक्षा के लिए चीत्कार कर रही है तो उस व्यक्ति को तय करना पड़ेगा कि इस समय उसका क्या फर्ज बनता है। वह पिता को एक-एक बूंद पानी देकर प्राण बचाना या तलवार उठाकर अबला की लाज बचाना, वही उसका कर्म होगा और उसी कर्म में उसका धर्म भी होगा।

हम यह बताना चाहते हैं कि कहीं मंदिर और मस्जिद धर्म से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग सदन के अंदर या बाहर किसी भी दल से या किसी भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वह ऐसा बयान देते हैं जिससे साम्प्रदायिक तनाव फैलता है तो उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम यह पूछना चाहते हैं कि मीडिया में श्री तोगड़िया का बयान बार-बार आता है। उनका बयान कहीं से भी देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लायक नहीं होता। सब लोग उस पर चर्चा करते हैं लेकिन हम लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि श्री तोगड़िया के बयान पर कभी-कभी अखबार में चर्चा आ जाती है लेकिन जब यहीं पर इमाम बुखारी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का बयान आया कि हम आई.एस.आई. के एजेंट हैं, मुलायम सिंह जी किसी नेता का बयान नहीं आया कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आप लोग गलत कहते हो। मुलायम सिंह वह है जिसकी हैसियत हिन्दुस्तान में किसी की नहीं है। मैंने इमाम साहब के बारे में कहा है, बोला है। ...*(व्यवधान)* आपने नहीं सुना होगा लेकिन जेटली साहब के साथ-साथ बहुत लोग जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम आपको बधाई देते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः जो भी सत्ता पक्ष हो। चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई है, मुलायम सिंह उसके खिलाफ है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम आपको बधाई देते हैं। आपसे ऐसी उम्मीद इस देश की जनता भी रखती है। हम यह बताना चाहते हैं कि देश के नेता जो लोग दुरंगी भाषा बोलते हैं यानी एक तरफ तोगड़ियां के बयान पर आपत्ति और दूसरी तरफ इमाम बुखारी के बयान पर चुप्पी, ये दोनों बयान एक साथ नहीं चल सकते। अब हम समता पार्टी की एक नीयत बताकर अपनी बात समाप्त करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः हम जानते हैं कि क्या होता है? सरकार आपकी है, ताकत आपकी है। आपने आज तक क्या किया है? हम पर क्यों आरोप लगाते हैं। जिनकी सरकार है, वह जिम्मेदार हैं। विश्व हिन्दू के सदस्य क्या बोल गये? समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल का मुसलमानों से महाभारत होगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आपने यील्ड किया है। मैने उनको इजाजत नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम ज्यादा से ज्यादा दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः बहुत लोग बोलने वाले हैं। इस तरह तो 11 या 12 बज जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले का निपटारा करने के लिए अगर कहीं बैठकर बात करने से नहीं हो रहा हो तो सरकार को न्यायालय में पहल करनी चाहिए कि इस मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी हो ताकि इस देश का विवाद समाप्त हो सके। इसी के साथ यहां श्री जयपाल रेड्डी जी बैठे हुए हैं। जब ये बोल रहे थे तब हम हंस रहे थे। ये हमारे सम्मानित नेता हैं और जनता दल परिवार के सदस्य रहे हैं लेकिन अब वह वहां के प्रवक्ता हो गये हैं। यह अपनी बात कभी नहीं कहते। जो दूसरे कहते हैं, उसे ही यह कहने का काम कर रहे हैं। हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं लेकिन यह जिस जमात में हैं, उस जमात से अगर नैतिकता की बात आती है तो हमको लगता है कि अब नैतिकता की परिभाषा बदलनी होगी। कांग्रेस की तरफ से नैतिकता की बात सुनकर शर्म भी शर्माने लगती है। इसलिए यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अगर नैतिकता की बात न ही करें तो वह देश के लिए ज्यादा अच्छा होगा। समता पार्टी की नीयत बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। समता पार्टी स्पष्ट रूप से चाहती है कि इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बना रहे और जो एनडीए का एजेंडा है, उस पर सरकार चले लेकिन अगर एनडीए के एजेंडा से सरकार जरा भी दाये-बाएं चलेगी जिससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा तो फिर इसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यह गलत बात है। आपके लोग पत्तल चाट रहे हैं और सब सह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): अभी मुंगेर में तीन मुसलमानों की हत्या हुई है। उस पर कार्यवाही भी की गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री प्रभुनाथ सिंह के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः अभी बहुत सारे सदस्य बोलने के लिए रहते हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः आप कहें तो हम अभी बैठ जाते हैं। अभी कुछ खास नहीं है। आपको धन्यवाद देकर हम बैठ जाते हैं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज चर्चा प्रारम्भ हुई है और यह चर्चा मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं पर केन्द्रित होनी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः सब पार्टीज का टाइम खत्म हो चुका है।

...(*व्यवधान*)

योगी आदित्यनाथः उनमें से एक बिन्दु यह था कि सरकार कोर्ट क्यों गई? दूसरा, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में अयोध्या का जिक्र क्यों हुआ और तीसरे, हिमाचल प्रदेश में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया भाषण का जिक्र था। इसको लेकर 18 से लेकर अब तक बहुत बार संसद की कार्यवाही को भंग करने का प्रयास किया गया, कार्यवाही में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया और जब सरकार ने उस चर्चा को स्वीकार किया तो जब विपक्ष चर्चा से भागी थी तो विपक्ष के चर्चा से भागने से ही स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता था कि केवल अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए, अयोध्या के मुद्दों को ये लोग उलझाना चाहते हैं, सर्वसम्मति बनाने के लिए नहीं चाहते हैं। प्रश्न उठता है कि बार-बार अयोध्या का मुद्दा क्यों उठता है? हर व्यक्ति जानता है कि अयोध्या हिन्दुओं की पवित्र स्थली है। हमारे शास्त्रों में सात पवित्र नगरों के नाम दिये हैं उनमें अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवन्तिका, पुरी, द्वारिकाचेव सप्तेता मोक्षदायिका। सात पवित्र नगरियां हैं जो व्यक्ति को जन्म-मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए और जिनके दर्शन मात्र से, उनकी यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारा विश्वास है, हमारी मान्यताएं हैं कि व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति वहां से होती है और उनमें सबसे पहला नाम अयोध्या का आता है और अयोध्या की पहचान राम जन्मभूमि के मन्दिर से है। आज इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। मैं दो बजे से जब से चर्चा प्रारम्भ हुई है, तभी से ही मैं यहां पर बैठा हूं सुन रहा हूं। ...(*व्यवधान*) हमारे विनय कटियार जी ने मक्का की कुछ मस्जिदों के बारे में चर्चा की थी। यानी वहां की मस्जिदों की चर्चा होने से कुछ सदस्य उत्तेजित होते गए। अगर वहां के बारे में सही तथ्य पेश किए जाते हैं, तो उससे उत्तेजित होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बार-बार अयोध्या के मुद्दे को, राम जन्म भूमि के मुद्दे को यहां उठाकर इस देश के हिन्दुओं की भावना के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, क्या उस समय यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों ने इसके बारे में सोचा है। आज भगवान राम की तुलना एक विदेशी आक्रान्त बाबर से की जा रही है। भगवान राम के जन्म स्थल की तुलना की जाती है। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम् के पास धनुषकोटि से लंका के लिए जो सेतुबंध का निर्माण किया था, उसको अमेरिका की नासा ने भी स्वीकार किया है। यह बात समाचार पत्रों में छपी है और इस बात को स्वीकार किया गया है कि आज से साढ़े 17 लाख वर्ष पहले से वहां गए थे। उस समय से वे सारे के सारे प्रमाण हमारे पास हैं। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे उसके उपरांत साहित्यिक प्रमाण हों, चाहे शास्त्रीय प्रमाण हों, वे सब हमारे पास मौजूद हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है, यह नासा ने कहा है और साढ़े 17 लाख वर्ष पहले इसकी स्थिति के बारे में बताया है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डीः महोदय, मेरा कहना है कि यह सच नहीं है। नासा ने इसका खंडन किया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में और उसके उपरांत समय-समय पर रामायण का जो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है, विभिन्न कवियों ने राम की गाथा गाई है, उनमें अयोध्या का जिक्र हुआ है, राम जन्म भूमि का जिक्र हुआ है। उसके बाद भी अयोध्या में सबसे पहला आक्रमण दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में सालार मसूद के द्वारा हुआ था। हर व्यक्ति जानता है कि सालार मसूद ने सबसे पहले अयोध्या में भगवान श्रीराम की ऐतिहासिक मंदिर को तोड़ा था, जो जन्म भूमि में स्थित था। उसके बाद गढ़वार के महाराजा ने वहां पर मंदिर का निर्माण किया था, जिसे 1528 में बाबर के एक सिपहसालार मीर बाकी के द्वारा तोड़ा गया था। वहां के ऐतिहासिक प्रमाण, वहां के पुरातात्विक प्रमाण, वर्तमान में जीपीआर का जो सर्वे हुआ है, ये सब इस बात के सबूत हैं। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि संसद के पटल पर उस रिपोर्ट को मंगाया जाना चाहिए। इस तरह से जो प्रमाण मिले हैं, उस विवादित और अविवादित भूमि का प्रश्न आया है। जिस धर्म संसद की बात यहां उठाई गई है, उस धर्म संसद ने यह मांग की थी अयोध्या के बारे में, वहां दो प्रकार की भूमि है, एक विवादित और दूसरी अविवादित। विवादित भूमि जो केवल 60 बाई 40 का चबूतरा है, जिसमें राम लला विराजमान हैं और जहां कोर्ट के आदेश पर हिन्दू पूजन और दर्शन करते हैं, उसको विवादित बना दिया गया। एक वह है जो अविवादित है, जो 67 एकड़ अविवादित भूमि है, उसको वापस लेने की मांग इस देश के धर्माचार्य कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आता है कि अयोध्या में राम जन्म भूमि का मुद्दा जब आता है, तो बाबर को अपना आदर्श मानकर माननीय सदन के कुछ माननीय सदस्य क्यों चल पड़ते हैं। क्या इस देश का आदर्श बाबर हो सकता है, बाबर एक बर्बर आक्रांता था, दुष्ट था। बाबर का कोई स्मारक अयोध्या तो क्या भारत के अंदर हमें स्वीकार नही होगा, इस बात के बारे में हम भी आज कह सकते हैं। औरंगजेब ने क्या किया था, उसने वही किया था, बार-बार हिन्दुओं के स्थानों को तोड़ा था। किसी ने राम जन्म भूमि का मंदिर तोड़ा, तो किसी ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि का मंदिर

तोड़ा और किसी ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। यही नहीं, कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद खड़ी हुई है, वहां पर आज भी पुरातात्विक विभाग की ओर से बोर्ड लगा हुआ है। उसमें लिखा है कि उस क्षेत्र के 27 हिन्दू और जैन मंदिरों को तोड़कर उस मलबे से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। कौन नहीं जानता है कि एक इस्लाम का स्वरूप वह था जो केरल के तट पर आया था और केरल के राजाओं ने वहां इस्लाम के अनुयायियों को मस्जिद बनाने के लिए मुफ्त में जगह दी थी। दूसरा इस्लाम का स्वरूप वह था जब 1026 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ने से लेकर ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आदित्यनाथ जी, एक मिनट। इनका पाईट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डीः मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदयः आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री एस. जयपाल रेड्डीः आज शाम, हमने मानकों में इस हद तक ढील दी है कि मुझे आश्चर्य हुआ है। वे एक धर्म के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे हैं। ऐसी बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल होने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

श्री बसुदेव आचार्यः हां, महोदय, यह बहुत अनुचित है।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः क्या आप ऐसे आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाले जाने का निर्देश देंगे?

उपाध्यक्ष महोदयः मैं इसकी जांच करूंगा और जो भी अनुमति योग्य नहीं होगा, उसे निकालने को कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, उन्हें यह पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि कुछ आपत्तिजनक हुआ तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं। जो सच्चाई और तथ्य हैं मैं उन तथ्यों को यहां पर रख रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं किसी इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं कर रहा हूं। जो हमारी संस्कृति के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, मैं उन्हीं बातों को रख रहा हूं। ...*(व्यवधान)* जब केरल के तट पर इस देश के हिंदू राजाओं ने उन्हें मुफ्त में जमीन देकर मस्जिद निर्माण का काम स्वयं किया था। दूसरा स्वरूप वह भी आया था जो दसवीं शताब्दी से इस देश में प्रारम्भ हुआ था। ...*(व्यवधान)* महोदय, हम इस्लाम के उस स्वरूप को स्वीकार करते हैं जिसने इस देश में शरण लेकर यहां की मान्यताओं के अनुसार चलना प्रारम्भ किया था। लेकिन दसवी शताब्दी के बाद मौहम्मद गजनवी के रूप में गौरी, खिलजी, बाबर और औरंगजेब के रूप में जो स्वरूप आया था वह हमें कतई पसंद नहीं है। उसके खिलाफ आज भारत का धर्माचार्य, विश्व-हिंदू-परिषद, बजरंग दल या आरएसएस कहता है तो गलत नहीं कहता है। वे राष्ट्रवाद की बात कहते हैं। महोदय, जिस हिंदुत्व की ये बात करते हैं, उसकी परिभाषा हमारे शास्त्रों में की गयी है। "आ सिंधु-सिंधु पर्यन्ता, यस्य भारत भूमिका, पितृ-भू पुण्य भूश्चैव सः ते रिवि स्मृत।" यानि सिंधु नदी से लेकर समुद्र पर्यन्तक तक का भू-भाग जिसे वहां के नागरिक अपनी मातृ-भूमि पितृ भूमि एवं पुण्यभूमि मानते हैं वहीं हिंदू है। हिंदू की परिभाषा कैसे बुरी है। अगर देश के मुसलमानों ने देश में जन्म लिया है और भारत माता को माता कहने में उसे परेशानी होती है, इसे अपनी मातृभूमि और पितृभूमि नहीं मानता है तो चाहे वह इस्लाम का, चाहे ईसाइयत का अनुयायी हो या स्वयं हिंदू हो, क्या उसे इस देश में रहने का अधिकार होना चाहिए। आज यह प्रश्न हमारे सामने है। हम हिंदुत्व का प्रश्न लेकर सामने आये हैं। जब हिंदू संगठन इसी बात को कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह एक संस्कृति है। इसमें न जाने कितने मत और संप्रदाय हुए होंगे और आज भी हैं। लेकिन जो इस भूमि को माता मानता है, पुण्य भूमि मानता है उसे इस देश का नागरिक होने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)* अगर इंग्लैंड का निवासी सब कुछ होते हुए वहां का नागरिक है और पंथनिरपेक्ष होने का प्रयास करता है तो कोई बुराई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथः हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है, इसी कारण यह देश पंथ-निरपेक्ष है। अगर हिंदू यहां अल्पसंख्यक होता तो बंगला देश और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, वही यहां होता। कश्मीर से जिस तरह से हिंदू भगाये गये, फिर सिखों की सामूहिक हत्याएं हुईं और आज बौद्ध काटे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथः अभी तो मैंने अपनी पूरी बात और तथ्य नहीं रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: 15 लोगों ने अभी और बोलना है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, यह उनका एकाधिकार नहीं है। यह हमारा भी देश है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि कुछ आपत्तिजनक हुआ तो मैं कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया उनकी बात में दखल मत डालिये। उन्हें बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: महोदय, वह ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: इस देश में हिन्दू बहुसंख्यक हैं। इसलिये यह देश पंथनिरपेक्ष है। अगर हिन्दू साम्प्रदायिक होता, कट्टर होता तो इस देश से इस्लाम के आतताइयो को देश से बाहर कर दिया गया होता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विनय कटियार: उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी भी सदस्य को दंगा फैलाने वाला भाषण नहीं देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे समझने दीजिये। कृपया बतायें किस नियम के तहत?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उनसे यह पूछ रहा हूं कि वे किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रोसीडिंग्स देखा जाए। एक जाति के लोगों को चैलेंज करेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये इर्रेलेवेंट बात कैसे बोल सकते हैं। ये धर्म संसद है या भारत की संसद है। धर्म संसद में जो दंगा फैलाने की बात बोलते हैं, वही बात यहां बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है, जो भी आब्जैक्शनेबल होगा, वह मैं निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे भी नहीं सुन रहे हैं। मैंने दरख्वास्त किया है कि जो व्यवस्था का प्रश्न है, उसे मैंने रूल आउट किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी आपत्तिजनक होगा उसे मैं निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं कुछ कह रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है *...(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: अगर ये कालनेमी है, तो हमें हनुमान बनना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जाकि तन मन चिन्ता व्यापी, हरि विष्णु न निश्चर पाती। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे समझ नहीं आ रहा कि सभा को कैसे नियंत्रित करूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इतना सीरियस डिबेट चल रहा है, आप हंस रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं उनकी बात पर हंस रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: छोटी-छोटी पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियों को दिया जाने वाला समय समाप्त हो गया है। दस मिनट से ज्यादा समय किसी को नहीं मिलेगा। अब आपको कनक्ल्युड करना ही है। आपको 15 मिनट का समय दिया जा चुका है।

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं कनक्ल्युड कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

अन्यथा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, और मैं अगले वक्ता का नाम पुकार दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: किस नियम के अन्तर्गत?

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: यह नियम 380 के अन्तर्गत है। इसमें कहा गया है

> "यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिए जाएं।"

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मैं उनका पूरा भाषण देखूंगा और जो भी आपत्तिजनक होगा उसे मैं नियम 380 के अन्तर्गत कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अब रिप्लाई करवा दीजिए क्योंकि हमें जाना है। हम मंत्री जी का जवाब सुनना चाहते हैं।

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, 1528 से लेकर 1934 तक 76 बार हिन्दुओं ने राम जन्म भूमि के लिए संघर्ष किया, आन्दोलन किया। 77वीं बार 6 दिसम्बर 1992 को गुलामी के उस ढांचे को गिरा दिया। साढ़े तीन लाख से ज्यादा हिन्दू शहीद हुए। हम इतनी संख्या में शहीद हुए हिन्दुओं को वैसे ही जाने नहीं देंगे। अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो। *...(व्यवधान)* अयोध्या में राम मंदिर का राजनीतिकरण कांग्रेस ने किया और उसके लिये वह दोषी है। 1980 और 1989 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी ने जो बातें यहां रखीं, मैं उसके बारे में कुछ कह दूं।

उपाध्यक्ष महोदय: उनके बारे में नहीं, सब्जैक्ट के बारे में कहिए।

योगी आदित्यनाथ: वह लोकतंत्र के बहुत हितैषी बन जाते हैं। पता नहीं कैसे हितैषी हो गये?

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इसे पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वह अब कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं कोई भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, मैं उन्हें साफ करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने सारा एक्सपंज कर दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैंने हिन्दुओं को नहीं पिटवाया है, अपराधियों को पिटवाया है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सर्वोच्च सदन में अयोध्या के मुद्दे पर इससे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। अयोध्या का मामला आज न्यायालय में लम्बित है आर यही चर्चा का मुख्य मुद्दा है। मैं मुलायम सिंह जी और सोमनाथ दादा का भाषण सुन रहा था। मैं इनके प्रति बहुत आदर का भाव रखता हूं लेकिन उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया। मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी और सोमनाथ दादा ने हम लोगों की निष्ठा की तरफ इशारा किया। यहां तक कि मुलायम सिंह जी ने पिछलग्गू शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि घटक दल पिछलग्गू की तरह क्यों हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैंने अपने पुराने साथियों के बारे में कहा और उन्हें सावधान किया कि वे इनके साथ क्यों बैठे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मुझे अपना नजरिया साफ करने दिया जाए। एनडीए का जो साझा कार्यक्रम है उसके अन्दर न मन्दिर, न ही धारा 370 और न ही कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे हैं। हम ऐसे मुद्दों के लिए बाध्य नहीं हैं चाहे वे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या बजरंग दल के विनय कटियार जी हों या आदित्यनाथ जी हों। हम उनका समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: संघ परिवार के कुछ नेता प्रधान मंत्री जी से मिले थे और उनसे कहा गया कि मेरा समर्थन करना उनकी मजबूरी है, परवाह मत करो, जो चाहे करो, अपना एजेंडा लागू करो। इस बात को मैंने और सोमनाथ दादा ने यहां कहा। आडवाणी जी ने खुले आम इस बात को कहा। हमारी रथ यात्रा और अयोध्या के कारण आज सत्ता में बैठे हुये हैं। यह उन्होंने खुल्लम-खुला कहा था। क्योंकि देवेन्द्र जी, आपकी मजबूरी थी, उसे बतायें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष जी, पूरे देश में मैंडेट हो जाये। इसलिये कह रहा हूं कि एन.डी.ए. का एग्रीड एजेंडा है जिसमें कॉमन सिविल कोड, धारा 370 और मन्दिर-मस्जिद नहीं हैं। आज मुद्दे से बाहर बात हो रही है क्योंकि मामला न्यायालय में है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्ज़ी दी है, उस संबंध में घटक दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिये था। हमारे साथी श्री येरननायडू ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके राज्य के मुख्य मंत्री ने साफ कहा है कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया, ऐसा समाचार-पत्रों में आया है। इसलिये मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी देने से पहले घटक दलों को इस मुद्दे पर विश्वास में लिया जाना चाहिये था। कानून मंत्री बहुत बड़े विद्वान हैं, वे अभी नहीं बैठे हैं। वे आस्तिक को नास्तिक और नास्तिक को आस्तिक बताने वाले हैं। इनकी जबान में फोर्स है ताकत है। यह उनकी चातुर्य कला है जो हम लोगों में नहीं है क्योंकि हम गांव के किसान हैं, सीधी बात करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि सरकार ने हम लोगों को विश्वास में नहीं लिया। हम लोग सरकार के साथ इस मुद्दे पर नहीं हैं। क्योंकि यह पूरे देश का संवेदनशील मामला है, इसलिये सरकार को घटक दलों को विश्वास में लेना चाहिये था। जिस तरह से यह मामला बनाया जा रहा है, उससे सरकार की तरफ से जो अर्जी कोर्ट में दी गई है, और हम लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अयोध्या का

मुद्दा धार्मिक कम, राजनैतिक ज्यादा रहा है। यदि मुद्दा धार्मिक रहता तो किसी को विरोध नहीं होता। मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हमारी बात किसी को पसंद नहीं, फिर भी मैं साफ कहना चाहता हूं कि लोगों ने इसे राजनैतिक मुद्दा बना दिया है। इन लोगों को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिये, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं?

रात्रि 8.33 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

जब ये संविधान, संसद को मानते हैं तो फिर क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं? इन लोगों को न्यायालय के फैसले को मानना चाहिये, उसका सम्मान करना चाहिये, यह मेरा स्टैंड है।

सभापति महोदय, आज इस देश में ऐसी ताकतें उभरकर सामने आ रही हैं जिन्हें 'न्यू फौर्सेज' का नाम दिया गया है। मेरे कहने से कटियार जी को तकलीफ होगी। 6 मार्च को फैसला होने वाला है और कोर्ट कोई न कोई फैसला देने वाली है लेकिन इस बीच में इतना बड़ा तूफान उठाने की क्या जरूरत थी। देश में मन्दिर मस्जिद मुद्दा उठाकर उसे राजनैतिक रंग देना या हिन्दू राष्ट्र की मांग उठाना आत्मघाती काम है। इससे अन्य धर्म के लोगों का ध्रुवीकरण होगा। जहां तक हिन्दू धर्म की बात की जाती है, यह कोई धर्म नहीं अपितु एक संस्कृति है जो हमारी हजारों सालों की धरोहर है। ये लोग इस संस्कृति का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इससे अन्य धर्मों का ध्रुवीकरण होगा। इससे राष्ट्र के विघटन की शुरूआत होगी। क्या आप चाहते हैं कि आई.एस.आई. जैसे कैटेगरी की खुफिया एजेंसी धार्मिक आधार पर हिन्दुस्तान को बांट जाये, यह आई.एस.आई. की मानसिकता है। यह बिना पैसे के आई.एस.आई. का कमाल हो जायेगा। क्योंकि आई.एस.आई. वर्षों के प्रयास के बावजूद हिंदुस्तान में जो चीज नहीं भड़का सकी, इस कम्युनल पोलिटिक्स से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ेगा, हमारे देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ेगा। देश में जितना साम्प्रदायिक सद्भाव मजबूत होगा, उतना ही देश का दुश्मन कमजोर होगा, उसका मनोबल टूटेगा। यह मैं राष्ट्रीय एकता के हित में कह रहा हूं। राष्ट्र की एकता, सम्प्रभुता और जो हमारा लोकतंत्र, हमारी जम्हूरियत है, उसमें यह मेरी मान्यता है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि वे ऐसी ताकतें कौन है जो यहां उपद्रव मचा रही हैं। क्या ऐसी ताकतों को सरकार चिह्नित नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का स्टैंड है कि न्यायालय की बात माननी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि न्यायालय का जो निर्णय होगा, वह मान्य होगा। उन्होंने आधी बात बोली है, इसलिए आप लोगों को आपत्ति है। उन्होंने शिमला में कुछ तथ्य की बात भी बोली है, जो पेपर में निकला है, उसकी सफाई सरकार देगी। सदन में सरकार मौजूद है, वह अपनी बात स्पष्ट करे, जहां धुंध है, कुहासा है, वह साफ हो। तथ्य की बात क्यों दी, उससे न्यायालय प्रभावित होगा। लेकिन उन्होंने जो बात न्यायालय वाली कही है, जो आधा पोर्शन कहा है, वह बिल्कुल सही है। उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐसी ताकतें हैं जो धर्म संसद का निर्माण करती हैं, उस धर्म संसद में क्या-क्या पास हुआ है-उसमें हिन्दू राष्ट्र की मांग पास हुई है। यदि केन्द्र सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो वह गद्दी छोड़े, यह पास हुआ है। सेक्युलरवाद को उखाड़ फेंकना है, यह पास हुआ है। इस देश में जो प्रोग्रेसिव ताकत या सोशलिस्ट फोर्स है, उससे भी पूरा महाभारत हम करेंगे, यह भी इसमें पास हुआ है।

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू किया है। आप घंटी बजा देते हैं। मैं एक बात कहता हूं और यह दर्ज कर लिया जाए कि यदि इस देश में बहुसंख्यकों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें हमलावर बना दिया जायेगा तो इस देश में न पलटन, न फौज, न पुलिस कोई काम नहीं आयेगी। जिस तरह गुजरात में कोई काम नहीं आई थीं। बहुसंख्यक हमलावर कैसे हो सकते हैं। जिस दिन इस देश में बहुसंख्यक हमलावर हो जायेंगे, उस दिन फौज, कानून-व्यवस्था आदि कुछ काम नहीं करेंगी।

सभापति महोदय, सदन में जो अयोध्या मुद्दे की चर्चा हो रही है, उस पर इससे अलग विशेष चर्चा करनी हो तो पूरी बहस होनी चाहिए। देश में बहुसंख्यकों को हमलावर बनाने वाली जो ताकतें हैं, उन्हें मानने को बाध्य करना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र के हित में, इस देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस देश की सम्प्रभुता को बनाये रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। मेरा कहना है कि देश में अयोध्या के सवाल पर बहुत जल्दबाजी की जा रही है। यदि आंतरिक मामलों को हम इतना उपद्रवी बना देंगे, इतना लोगों की भावनाओं को भड़का देंगे तो इसे हम क्या कहें, यह देश के अंदर सुपर आतंकवाद हो जायेगा। आतंकवादियों का मुकाबला करना है, उससे समूचा सदन एकमत है, पूरा देश एकमत है।

सभापति महोदय, हमारे मित्र हिन्दू संस्कृति की बहुत चर्चा कर रहे थे। हिन्दू संस्कृति के बारे में कहा गया कि हजारों साधु और संतों की उपस्थिति में संसद मार्ग चलने की बात की गई। जो बातें वहां की गईं, वे हमें मालूम हैं। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, हम लोगों की जो पढ़ाई हुई है, आपकी पढ़ाई भी उसी स्कूल में हुई होगी। जो हमने पढ़ा है-

[श्री देवेंद्र प्रसाद यादव]

सिंह न की नहीं लेंहड़ी, हंसों की नहीं पांत
लालन की नहीं बोरियां साधु न चले जमात''

ये जमात में साधु कहां से आ गये, इतनी भीड़ कहां से आ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा है। साधु शब्द का अर्थ हम लोग यही समझते है कि 'स' का अर्थ है शुभ, अच्छाई और 'ध' शब्द का अर्थ ध्रुवीकरण, धुरी यानी समाज को जोड़ने का काम। समाज को तोड़ने, भड़काऊ भाषण देने का काम साधु, संतों का नहीं हो सकता। इसलिए मैं हिन्दू संस्कृति के विषय में कहना चाहता हूं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस पर कहा है-

''साधु कहावन कठिन है लंबा पेड़ खजूर,
चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर''

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमारे हिन्दू संस्कृति के ग्रंथों में जहां संस्कृति की बात होती है, वहां भाईचारा, करुणा, प्यार, मोहब्बत, बंधुत्व, उदारता और इंसानियत की बात होती है। स्वामी चिन्मयानन्द जी कह रहे थे: ''सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया; सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुखभाग्भवेत्।'' हमारी संस्कृति में भी सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि हम किसी से बैर नहीं करेंगे।

सभापति महोदय: यह भी कहा गया है-''सियाराम मय सब जग जानी।''

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इतना ही नहीं, हमारी संसद की दीवारों पर भी लिखा हुआ है:

''अयं निज: परोवेति गणना: लघुचेतसाम्,
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।''

क्या हिन्दू संस्कृति का यह दर्शन बदल गया है, क्या हिन्दू संस्कृति का यह दर्शन नाज़ी दर्शन में बदल गया है? जो लोग हिन्दू दर्शन की चर्चा करते हैं, हम उनसे यह सवाल करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* जो हिन्दू संस्कृति पीठ है इस देश में, अभी आदित्यनाथ जी सदन में नहीं हैं, सदन में वे द्वारकापीठ की, पुरी पीठ की और कांची पीठ की चर्चा कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि दोनों समुदायों की वार्ता से यह मामला हल होना चाहिए, हिंसा और आंदोलन से हल नहीं होना चाहिए, यह शंकराचार्य ने कहा है-चाहे द्वारकापीठ के शंकराचार्य हों, पुरी के शंकराचार्य हों या कांची के शंकराचार्य हों। क्या शंकराचार्य से बड़ा इनका संगठन है? ये हिन्दू की बात करते हैं। सभापति जी, अब समय नहीं है नहीं तो मैं विस्तार से बताता कि किस तरह से ये लोग वार्ता के वातावरण को खराब कर रहे हैं। जब वातावरण खराब कर रहे हैं तो हल कैसे होगा?

सभापति जी, हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं इसलिए विज्ञान की बात कहेंगे। विज्ञान ने भी मानव जाति को, सभी धर्मावलंबियों को चार कैटेगरीज में रखा है। ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी और ओ। इस तरह से खंड खंड करके सीढ़ी लगाकर नहीं रखा है। आखिर जल्दबाज़ी क्यों है और इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि फिज़िक्स में हमने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। गुड कंडक्टर लोहे की छड़ है। एक किनारा गरम करें तो दूसरा छोर भी गरम हो जाएगा। लेकिन बैड कंडक्टर सूखी लकड़ी है। एक छोर पर गरम करिये तो दूसरे छोर पर तापक्रम नहीं आएगा। जो सूखी हुई लकड़ी है, जो बैड कंडक्टर है, वह गरीबी, भ्रष्टाचार, देश की आर्थिक स्थिति, देश में पेयजल का संकट, देश में आवास की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, बाढ़, सुखाड़, किसानों की हालत, गांवों की हालत, यह सूखी लकड़ी की तरह है। इस पर बहस करें तो देश में फैलती नहीं है। लेकिन जो गुड कंडक्टर है, जाति, मज़हब और धर्म, ये गुड कंडक्टर हैं। इसलिए हमारे मित्र शॉर्ट कट पोलिटिक्स के लिए यह मामला उठा रहे हैं। इसका समाधान करने की उनकी मंशा नहीं है। हम उन मित्रों से अपील करना चाहते हैं कि शॉर्ट कट पोलिटिक्स छोड़ दीजिए। रातोंरात किसी समुदाय के नेता बन जाते हैं, रातोंरात उनसे वोट ले लेते हैं। क्या यह मुद्दा वोट की मशीन है? एक प्रतिशत कट्टरपंथी, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, उन्होंने इस देश के 99 प्रतिशत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले, शांति और जम्हूरियत में विश्वास रखने वाले लोगों के अमन-चैन में खलल पहुंचाया है। हम ऐसी ताकतों की निन्दा करते हैं। ऐसी ताकतों को निश्चित रूप से देश से उखाड़कर फेंक देना चाहिए और इस मामले में न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए और न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, वक्ताओं की सूची लंबी है और जिस तरह से बहस चल रही है, उसका अंत पूरी रात में होने वाला नहीं है। आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि अभी तक काफी सार्थक चर्चा हमारे मित्रों ने की है। कानून मंत्री यहां विद्यमान हैं। उनका जवाब अब हो जाना चाहिए। अब इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसको लंबा खींचना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। कानून मंत्री यहां बैठे हैं। आप मेहरबानी करके उन्हें निर्देशित कीजिए कि वे जवाब देने की कोशिश करें, वरना हमें कोरम का सवाल उठाना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.46 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* **हुए**]

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, यह वाद-विवाद को उलझाने का प्रयास है। हममे से सभी को सुनना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): सुमन जी, हमारी तरफ से कुछ माननीय सदस्य बोलने वाले शेष रहते हैं। शायद हमारे दो आदमी रहते हैं, अभी हमने एक नाम काट दिया है। इसलिए आप ऐसे जल्दी मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवालाः महोदय, हमें अवश्य सुना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह रात भर डिबेट खत्म नहीं होगी। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कुछ लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन इस सवाल पर काफी सार्थक चर्चा हो चुकी है। यहां कानून मंत्री बैठे हैं, हमारा आपके मार्फत विनम्र आग्रह है कि सरकार जवाब दे वरना पूरी रात भर चर्चा होगी। ...*(व्यवधान)* हमें कोरम का सवाल उठाना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः सुमन जी, यहां खाने का प्रबंध किया गया है। कई माननीय सदस्य छोटी-छोटी पार्टियों के हैं। अभी प्रसन्ना कुमार जी का भाषण होना है।

श्री चन्द्रकांत खैरेः बनातवाला जी की बात सुन ली जाए, उसके बाद मंत्री जी बोलें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः केवल सात और सदस्यों को बोलना है। कृपया सभा का समय व्यर्थ न कीजिए। आप सभी पांच-पांच मिनट लीजिए। अब श्री प्रबोध पण्डा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः महोदय, आपने खाने का इंतजाम किया है, लेकिन खाना खाने वाले हैं कहां? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप खाना खाकर आइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष जी, आपने भोजन का इंतजाम किया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपा कर आप सब माननीय सदस्य जरा बैठ जाइए। सात माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री मुलायम सिंह यादवः जब उधर से तीन माननीय सदस्य लगातार बोलते रहे तब आप क्यों नहीं बोलें। यह क्या हुआ? जब एक ही पक्ष के तीन मेम्बर लगातार बोले तो आपको खड़ा होना चाहिए था।

श्री जे.एस. बराड़ः हमारा नम्बर इनके बाद था, यह भी अध्यक्षपीठ का निर्णय है। परन्तु हम चर्चा में भाग लेना चाहते है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः हमें कोरम का सवाल उठाना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः आप कोरम का प्रश्न मत उठाइए। अन्यथा इससे समस्या उत्पन्न होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः अभी सात माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष जी, आप समय-सीमा तय कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका उत्तर सुनें, लेकिन हम यह भी कहेंगे कि जब तीन माननीय सदस्य उधर से लगातार बोल रहे थे, तब कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* इनका नम्बर आ जाना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, कोई सीमा तय होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक आधा घंटे चलाइए और उसके बाद मंत्री जी का जवाब हो जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: दस मिनट इस बात में चले गए हैं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं आपको मुझे बोलने की अनुमति देने और चर्चा को पूरा होने तक सभा को जारी रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी। ...*(व्यवधान)* मैंने अपना हाथ उस समय उठाया था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जहां आपने खाने का इंतजाम कराया है, बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन इस समय सदन में 50 लोग भी उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप वह मामला मत उठाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा: ऐसा पहली बार नहीं है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा इस सभा में पहली बार नहीं आया है। परन्तु मेरे मन में यह संदेह है कि सरकार ने इस स्थिति को कहां तक महसूस किया है कि इस चर्चा का क्या परिणाम होगा और किस प्रकार यह चर्चा सरकार के लिए लाभदायक होगी।

हिन्दू धर्म के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। हिन्दुवाद के बारे स्वामी विवेकानन्द ने जो कुछ कहा है उसे उद्धृत करते हुए मैं अपने विचार रखता हूं। उन्होंने कहा है कि:

> '' 'हिन्दू', शब्द, वेदान्त के संबंध में थोड़ी व्याख्या की अपेक्षा रखता है। 'हिन्दू' एक नाम था जिसे प्राचीन फारस वासी सिन्धु नदी के लिए प्रयोग करते थे। अब यह शब्द 'हिन्दू' सिन्धु के उस पार के निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्राचीन काल में इसका जो भी अर्थ रहा हो, आधुनिक युग में इसने अपना सारा अर्थ खो दिया है; सिन्धु के इस तरफ रहने वाले सभी लोग अब एक ही धर्म के नहीं है। यहां हिन्दू तो है ही, मुसलमान, पारसी, इसाई, बौद्ध एवं जैन भी है। 'हिन्दू' शब्द में इसके शाब्दिक अर्थों में इन सभी को सम्मिलित करना चाहिए, परन्तु धर्म को दर्शाते हुए। अतएव, हमारे धर्म के लिए कोई सामान्य नाम ढूंढ़ना बहुत कठिन है।''

यह व्याख्या महान स्वामी विवेकानन्द की है।

मेरा यही कहना है। हम हिन्दुत्व की बात कर रहे हैं। यह हिन्दुवाद से अलग है। हिन्दूवाद हिन्दुत्व नहीं है। हम यहां अयोध्या से संबंधित वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस सरकार ने उच्चतम न्यायालय के मार्च, 2002 के आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने में बेकार की जल्दीबाजी दिखायी है। प्रेस में यह प्रकाशित हुआ कि आवेदन पत्र में 'अनिश्चितता की स्थिति' का उल्लेख किया गया है। इस 'अनिश्चितता' के लिए कौन उत्तरदायी है? स्वयं सरकार, विश्व हिन्दू परिषद और संघ परिवार के सदस्यों के अलावा कोई दूसरा पक्ष इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। माननीय सदस्यों ने यहां कई मुद्दे उठाए हैं।

चर्चा के बाद, माननीय विधि मंत्री कुछ तकनीकों पर आधारित और कुछ कानूनी बिन्दुओं के आधार पर अपने तर्क से हमें आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे। परन्तु मेरा मुद्दा यह है कि यह मात्र कानून का प्रश्न नहीं है बल्कि यह तकनीकी से सम्बद्ध प्रश्न भी है। यह हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष ताने बाने और देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना का प्रश्न है। इसलिए, यह इससे बहुत ज्यादा सम्बद्ध है।

अयोध्या मुद्दे के संबंध में, आज हम भूमि, वैमनस्यकारी और साम्प्रदायिक संगठनों और सबसे प्रमुख हमारी राष्ट्रीय संरचना के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा देश धर्म पर आधारित देश नहीं है। हमारा राज्य धर्मतंत्रीय राज्य नहीं है। पाकिस्तान और खाड़ी देशों के बारे में कई बातें कहीं गईं है। हम खाड़ी देशों और पाकिस्तान के नक्शे कदम का अनुसरण करने में समर्थ नहीं हैं। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। इस प्रकार, हम यहां इसे बदलने अथवा धर्मतंत्रीय राज्यों के नक्शे कदमों का अनुसरण करने के लिए नहीं हैं।

अयोध्या के बारे में यह तर्क दिया गया है कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान है। जी हां, महोदय ऐसा रामायण में उल्लिखित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रामायण एक इतिहास नहीं है बल्कि एक महाकाव्य है। इसके बावजूद, देश के अधिकतर लोग यह मानते हैं कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम

का जन्मस्थान है। हिन्दु पुराणों में कई देवी-देवताएं हैं। मेरे विचार से हिन्दू पुराण में 33 करोड़ देवी एवं देवताएं हैं। क्या हम इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं? विधि मंत्री अथवा गृह मंत्री हमारे पुराणों में उल्लिखित सभी 33 करोड़ देवी-देवताओं के जन्म स्थलों के बारे में जानते होंगे। इसलिए मेरा मुद्दा यह है कि रामायण को एक महान महाकाव्य के रूप में मानना चाहिए। यह इतिहास नहीं है।

धर्म के बारे में कई बातें कहीं गईं हैं। अब मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं। यह कहा गया है:

''सर्वे भवन्तु सुखिनां
सर्वे संतु निरामया।''

मेरे मित्रों, आप सर्वत्र के का अर्थ क्या समझते हैं? आप उन्हें किसी समुदाय विशेष तक ही सीमित रखना क्यों चाहते हैं? राम के बारे में यह कहा गया है कि वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी और सर्वव्यापी व्यक्ति हैं। ऐसा होते हुए, आपको उन्हें किसी स्थान विशेष तक ही क्यों सीमित रखने का प्रयास करना चाहिए? यह खोज की गई है कि रामलला का गर्भगृह यहां है, सीता की रसोई यहां है। मैं इसका ब्यौरा नहीं देना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता श्री जे.एस. बराड़ हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, क्या वह अंतिम वक्ता है? मैं यह अनुरोध करता हूं कि श्री बराड़ को अंतिम वक्ता होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। श्री पण्डा, आप कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री प्रबोध पण्डा: मेरा यह कहना है कि इसका समाधान होना चाहिए। हमें सर्वसम्मति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका को वापस ली जानी चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने संघ परिवार के प्रवक्ता के रूप में बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह भाषण नहीं दिया था। इसलिए, मैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव अभियान के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का समर्थन नहीं करता। जैसाकि मैंने पहले कहा है, मेरा मुद्दा यह है कि याचिका को वापस लिया जाना चाहिए।

अब मैं अपनी अंतिम बात कहता हूं। ऐसा पूर्व में कई बार कई शासकों के बारे में कहा गया है। क्या हम भारतीय सभ्यता के विकास के बाद से की गई सभी अच्छे कार्यों और दुष्कार्यों की समीक्षा करने की स्थिति में हैं? क्या हम इसकी समीक्षा करने की स्थिति में है कि अन्य शासकों ने क्या किया है और अन्य धार्मिक लोगों ने क्या किया है? क्या हम भारतीय सभ्यता के विकास के बाद से सभी चीजों की समीक्षा करने की स्थिति में हैं? इसलिए, आपको एक तिथि विशेष को स्वीकार करना होगा। वह तिथि स्वतंत्रता दिवस है। यह तिथि संविधान के लागू होने की तिथि है। यह आधार होना चाहिए। इसके आधार पर हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत इस समस्या के संबंध में सभी चीज का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योकि माननीय मुलायम सिंह जी मुझसे प्यार से नाराज हो रहे थे। सही मायने में ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम नाराज नहीं हो रहे थे। उधर से चार वक्ता इकट्ठे बोले। मैं कह रहा था कि आपको बोलना था तो आप खड़े होते। हमने सोचा कि अब कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए मैंने कोरम के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि कोरम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: उपाध्यक्ष महोदय, सारे स्वामी सदन से उठकर चले गये हैं। ...*(व्यवधान)* सत्ता पक्ष की ओर से मैं दो बोलने वाले स्पीकर्स की तकरीर पर टिप्पणी करना चाहता हूं-एक स्वामी चिन्मयानंद जी और दूसरा आदित्यनाथ। ये दोनों सदन से उठकर चले गये हैं। अब डिबेट के अंतिम चरणों में जब सारा रस खत्म हो चुका है, तो मैं बोल रहा हूं।

रात्रि 9.00 बजे

मैं आपकी इजाजत से केवल प्वाइंट्स ही बोलूंगा और जितना वक्त आपने मुझे दिया है, उसमें मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वैसे सारी बात का सारांश मैं भाजपा सत्ता पक्ष, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, आर.एस.एस. और संघ परिवार से इस बहुत कठिनाई भरे मोड़ में यह कहना चाहता हूं जो किसी ने कहा है और यह इनके ऊपर लागू होता है:

देखो, ओ दीवानो, तुम यह काम न करो,
राम का नाम बदनाम न करो।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सत्कार करो लेकिन हम इस ट्रैप में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धर्म एक तरफ है और राम का जो राजनीतिकरण किया गया है, वह दूसरी तरफ है।

[श्री जे.एस. बराड़]

मैं अब पहला मोड़ इस डिबेट का जो अभी तक बात नहीं कही गई है, वह मैं कहना चाहूंगा, जैसे ब्रिटिश एम्पायर का केन्द्रीय बिन्दु डिवाइड एंड रूल रहा तो मेरे पास सनसनीखेज दस्तावेज है।

[अनुवाद]

''यह गौरतलब है कि जब अयोध्या के हिन्दुओं और मुसलमानों ने रौजा देवी बक्श सिंह, अमीर अली और राम चरण दास के नेतृत्व में विवाद का समाधान करने वाला समझौता किया और रामचतुर्भुज के रुप में जाने वाले चबूतरे के निर्माण हेतु मस्जिद के खुले आहाते में एक भूमि सौंपी गई। दोनों समुदायों के बीच एकता का प्रदर्शन करने से ब्रिटिश हताश और चिंतित थे। सुल्तानावाद गजेटियर में कर्नल मार्टिन की टिप्पणियों में यह क्षोभ इस प्रकार प्रकट होता है, ''हम, ब्रिटिश, इस निर्णय से बहुत चिंतित है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के यह समझौता हुआ है। हमें आशंका है कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त होने जा रहा है।''

[हिन्दी]

अब 56 वर्ष बीत जाने के बाद, भाजपा की यही नीति है। मैं भी दसवीं लोक सभा का सदस्य था। मैंने यहां से अपोजीशन बेंचेज से माननीय एल.के. आडवाणी साहब और श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के भाषण सुने और इस टिप्पणी पर जो उन्होंने की। जेटली साहब के लिए यह शोचनीय बात होगी जो मैं कहने जा रहा हूं और जो 1994 में जस्टिस एस.पी. भरूचा ने कहा:

[अनुवाद]

''अयोध्या एक तूफान है जो गुजर जाएगा। उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता।''

[हिन्दी]

यह उन्होंने डिसेंट फोर्म में मैजोरिटी जजमेंट के खिलाफ कही, इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट की डिगनिटी के साथ जो खिलवाड़ करेगा, क्योंकि-कम्प्रोमाइस करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उनका हम विरोध करते हैं। यह बात भी पहले नहीं आई है जो मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। यह मैंने नहीं कही, यह हमारे माननीय नेता सोनिया गांधी ने नहीं कही, यह शिवराज पाटिल साहब और हमारे सीनियर कुलीग जयपाल रेड्डी साहब ने भी नहीं कही। लेकिन 95 वर्षीय वृद्ध रामचंद्र परमहंस ने यह ऐलान किया कि 25 मार्च को मन्दिर के निर्माण का काम आरम्भ कर दिया जाएगा और साध्वी रितम्बरा ने जो धर्म संसद अभी हुई है, उसमें रामचंद्र परमहंस जी के बारे में यह कहा:

जिन पर यह गुमान था कि वे हंस हैं, वे बगुले निकले,
हमको भी कौवों से बगुले बनाने आते हैं।

राज धर्म, धर्म निष्ठा और न्याय निष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिन्दगी का सारांश है जो एक-दूसरे को प्यार और भावना सिखाता है, वह इस बात से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा, तोगड़िया साहब के बयान का जिक्र हुआ है। उन्होंने कहा है-

[अनुवाद]

''यदि हम कोई कार्रवाई नहीं करते है तो हिन्दू असुरक्षित होंगे। हिन्दुस्तान में 10 पाकिस्तान होंगे। हमें नया महाभारत लड़ना होगा।''

[हिन्दी]

जेटली साहब, महाभारत के बारे में आपके नेता, हमारे सत्कारित प्रधान मंत्री जी ने जो 51 कविताएं लिखी हैं, उनमें एक कविता में उन्होंने कहा है-

कौरव कौन, कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है,
दोनों ओर शकुनियों का फैला कूट जाल है।

मैं एक अन्य मुद्दे पर आना चाहता हूं। हम इसमें पार्टी हैं इसलिए कि हम माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी हैं। आर.एस.एस. के सर संघचालक सुदर्शन साहब अमृतसर में गए थे। 55 बरस बीत जाने के बाद, जो स्ट्रगल वहां के लोगों ने की, जिसका जिक्र गुरू रवीन्द्र नाथ टैगोर जी ने भी किया है कि हिन्दू, मुसलमानों, सिखों और दलितों आदि ने जो इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी, वहां जाकर वे कहते हैं कि हम केवल अपने समाज के लोगों का ऑनर करने जा रहे हैं। क्या इसमें धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है और क्या इससे धर्म बनता है। जिसने सरबंस लुटाया इस देश की खातिर, उन गुरू गोविंद साहब ने और उनके पिता गुरू तेगबहादुर ने जो सबसे बड़ी युनिक शहादत दी, उनका फरमान है कि हिन्दू-तुर्क कोऊ, राफजी इमामसाफी, मानस की जात सब एक ही पहचानबो। वे मानस की जात की बात करते हैं और ये एक फिरके की, एक धर्म की बात करते हैं। इस तरह से पंजाब के पानी में आग लगाने से देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह बात मैं इस पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं। अगर श्रीमती सोनिया गांधी जो इस देश की नेता हैं, जिनके परिवार ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं,

वे मंदिर में जाती हैं तो भाजपा वाले कहते है वे मंदिर क्यों जाती हैं। अगर वे रघुनाथ मंदिर में मत्था टेकने जाती हैं, तो विश्व हिन्दू परिषद वाले कहते हैं कि क्यों जाती हैं। वे अक्षरधाम में, जहां इतनी बड़ी ट्रेजिडी आतंकवाद की हुई, जो उनके लिए जेहाद था, वहां सबसे पहले वे कमेंट करने के लिए जाती हैं तो कहते हैं कि क्यों गईं। विपक्ष की नेता होने के नाते वे श्रीनगर में जाकर भाषण देती हैं तो उसके ऊपर भी टिप्पण हुई।

मैं एक और सनसनीखेज रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी आप देश के नेता हैं, आपके लिए हमारे मन में बहुत आदर है।

[अनुवाद]

"पुलिस कांस्टेबल माता प्रसाद ने 23 दिसम्बर, 1949 को पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि रामदास, राम शकल दास ने 50-60 व्यक्तियों के साथ मस्जिद के अन्दर प्रतिमाओं को रखकर इसे अपवित्र किया। यह कहना गलत है कि ये प्रतिमाएं यहां अनंत काल से विद्यमान थी।"

[हिन्दी]

यह सही मानो में 23 दिसम्बर, 1949 को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्रतिमा वहां आटोमेटिकली नहीं आ गई। यह एफ.आई.आर. की रिपोर्ट है कि कैसे वहां उनका प्रवेश हुआ। इसके बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम राम महाराज जी का मंदिर बने, सारा देश चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सही मानो में मुझे रावण महाराज के समय रानी मंदोदरी की एक बात याद आ रही है, वह मैं जरूर एक मिनट में कहना चाहूंगा। यहां पर मेरी बहन सुषमा स्वराज जी नहीं हैं, अगर होतीं तो उनको अच्छी लगती। अगर बाबर की हम निंदा करते हैं, सबसे पहले,

[अनुवाद]

"गुरु नानक पंजाब में बाबर की ताकत के सामने खड़े हो गए।"

[हिन्दी]

एमनाबाद की जेल में रखा गया। उनको कहा गया कि चक्की पीसो। उन्होंने पाप की जंज में काबिलों जाया, चोरी मंगे कन्न मिला लो, वह नानक जो हिन्दू-मुसलमानों के एक कॉमन फिगर थे, उन्हें वहां गिरफ्तार किया। मैं मंदोदरी की बात कर रहा था। वे रावण को, अपने पति को समझाने को लगी। वह बहुत मनोहर बोल बोली। उसने रावण के चरण पर सिर रखकर अंचल पसारा। यह रामचरित मानस में तुलसी दास जी की वाणी है। उसने कहा कि बैर उससे करना चाहिए, जिसको बल और बुद्धि से जीता जा सके। मंदोदरी कह रही है कि जितना सूर्य और जुगनू में अंतर है, उतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आप में है। इस देश की आस्था टौलरेंस है, जिसके लिए मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं। अब जैसा कहा गया है कि नव-महाभारत होगा। उसका नतीजा क्या होगा? इस देश का पहले 6 देशों में नम्बर आ रहा है और 21वीं सदी में कोलम्बिया शटल से कल्पना चावला की शहादत का बखान क्या धर्म के नाते होता है, क्या वह हिन्दुस्तानी के नाते होता है। यह बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय गोलवरकर साहब को मैंने पढ़ा और उसकी कापी की। वे कहते हैं कि "वे सब व्यक्ति जिनका राष्ट्रीयता अर्थात् हिंदू जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा से संबंध नहीं है वे स्वभावत: वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के दायरे से बाहर आ जाते हैं.... केवल वे ही राष्ट्रवादी देशभक्त होते हैं जो ह्रदय से हिंदू जाति और राष्ट्र का गुणगान करते हैं जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तत्परता से कार्य करते हैं तथा प्रयास करते हैं। अन्य सभी राष्ट्रीय हित के लिए या तो देशद्रोही और शत्रु भी हैं अथवा नरमी से विचार करें तो वे मूर्ख हैं। आपने सत्ता का पांच बरस का आनन्द लिया है। लेकिन आप तोगड़िया साहब को और बजरंग दल की गलत नीतियों को नहीं रोकेंगे तो आप संघर्ष की सही कैसे ठहरा सकते हैं। जो पंजाब के लोगों ने 12 साल आतंकवाद के खिलाफ लड़ी। उनके खिलाफ टाडा, पोटो और अन्य कई कानून लगे। अगर देश का कानून एक है और अगर श्री एल.के. आडवाणी साहब में दम है तो 9 सितम्बर, 1997 "आडवाणी सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश।"

[हिन्दी]

किस शक्ति के कारण ये यहां बैठे हैं। मैंने आडवाणी साहब को नोट लिखतें माननीय अटल बिहारी साहब के सामने देखा। उन्होंने कहा कि जब तक उनके खिलाफ चार्जेज हैं मैं सदन में उतनी देर नहीं आऊंगा जब तक चार्जेज से बरी नहीं हो जाऊंगा। ये सारी की सारी कार्यवाही देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए देश को कमजोर करने के लिए है

[अनुवाद]

अथवा पंजाब में उनके सहयोगी दलों, अकाली दल में भी गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है।

[हिन्दी]

वे कह रहे हैं कि अगर अक्लियतों का इस प्रकार मलियामेट भाजपा की नीतियों ने करना है तो इनके साथ बैठना और सरकार चलाना, विश्वभर में उसका क्या प्रभाव जाता है, उसके चर्चे वहां हो रहे हैं।

[श्री जे.एस. बराड़]

महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

विश्व हिंदू परिषद दारा सिंह की माता को सम्मानित करती है, मुख्य अतिथि कहते हैं कि वह कौन है?

"विश्व हिन्दू परिषद के विष्णु हरि डालमिया ने आज पूर्व सांसद बी.एल. शर्मा 'प्रेम' का जन्मदिन मनाने के लिए आयोजित समारोह में ग्राहम सटेन्स की हत्या के अभियुक्त दारा सिंह की माता राज रानी और धर्मरक्षक श्री दारा सेना के अध्यक्ष श्री मुकेश जैन को सम्मानित किया।"

[हिन्दी]

ग्राहम स्टेन्स के दो बच्चे थे। गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के चार बच्चों की कुर्बानियों की तस्वीरें देश के घर-घर में हैं। उनका क्या दोष था? दो बच्चे जो सात और नौ बरस के थे, उनका क्या दोष था? वे लोग लैप्रोसी के रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करते थे, लेकिन उनको जला दिया गया। वीएचपी जो उनका अंग है, वे दिल्ली में आकर ऑनर करते हैं। यह कितने शर्म की बात है।

अंत में, मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। टालरेंस होनी चाहिए, विरोधी की बात में अगर दम है, तो उसको सुनने के लिए हौंसला और तौफिक होनी चाहिए। बाबर के खिलाफ पंजाब में सबसे पहले लड़ाई लड़ी गई। मैं एक बात और रिकार्ड में लाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि फारसी भाषा में बाबरनामा (1589) के रुप में तथा अंग्रेजी (1921-22) में अनुदित तुज्क बाबरी, विश्व स्तरीय गौरव-ग्रन्थ है। बाबर की विद्वत्ता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। उसने जुल्म किए, कत्ले आम हुआ, पंजाब को 15 बार खत्म किया और हरमिन्दर साहब जी से साथ भी हुआ, गायों के सिर काटे गए, और आदमियों का लहू फैंका गया, वह केवल महान प्रतिभावान कवि नहीं थे। बल्कि वह उतने ही शैली के महान गद्य लेखक थे।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब है कि विरोधी भी अगर विरोध करते हैं, उनमें अगर 90 अवगुण होते हैं और दस गुण होते हैं, तो बाबर की औलाद के नारे लगाए जाते हैं। जेटली जी, सत्ता मिल सकती है और आपका चेहरा तो देश के भविष्य का चेहरा है। आज की पीढ़ी आपकी हमसफर है, लेकिन जो हिडन एजेंडा है, उसको त्याग दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर कानून मंत्री जी इजाजत दें, तो मैं जाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: इजाजत हमसे लीजिए, उनसे क्यों पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्यजनक है कि सरकार ने किसी धार्मिक क्रियाकलाप अथवा अयोध्या में अधिग्रहीत भूमि के किसी भाग के हस्तांतरण संबंधी स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने को उचित ठहराया। यह खेदजनक है कि सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के लक्ष्य का समर्थन करने और तटस्थता के सिद्धांत को त्याग देने को सही माना है।

महोदय धर्मनिरपेक्ष राजव्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि सरकार का धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना चाहिए और सरकार को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। लेकिन यहां, इन सभी सिद्धांतों के उल्लंघन में हम सरकार को अपनी याचिका के साथ उच्चतम न्यायालय जाता हुआ पाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर निर्माण को राष्ट्रीय भावना के रूप में वर्णन करते हैं।

बाद में, हिमाचल प्रदेश में अपने भाषण के दौरान वह यहां तक भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर पूर्व समय के मंदिर होने के पर्याप्त प्रमाण हैं। महोदय, यह सब न्यायालयों को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है।

उपप्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के प्रयास को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में बताते हैं। उन्होंने कानून के द्वारा मंदिर निर्माण के लिए समस्त अभिगृहित भूमि, विवादित बाबरी मस्जिद भूमि तथा कथित अविवादित अयोध्या भूमि दोनों को सौंपने हेतु कानून लाने की तत्परता तक के बारे में कहा है, हालांकि उन्होंने राजनीतिक प्रश्न भी जोड़ा है कि यह कार्य तभी होगा यदि कांग्रेस सहमत होती है। महोदय मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि संसद ऐसे मामले में कानून विधान नहीं बना सकती जो उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष है तथा ऐसे मामले में जिसे संपत्ति अधिकारों के संबंध में विवाद है। विधान के द्वारा हम संपत्ति विवाद को नहीं निपटा सकते हैं। ऐसा

करना न्यायपालिका के कार्यों को छीनना, न्यायपालिका तथा विधायिका के निजी संवैधानिक प्रकार्यों में विघ्न डालना उन्हें छीनना तथा नष्ट करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि अयोध्या मुद्दे पर सरकार का रवैया संवैधानिक शासन के सभी ठोस सिद्धांतों का विनाशक, संविधान की मूलभूत विशेषताओं का खुला उल्लंघन, धर्मनिरपेक्ष राजव्यवस्था का विध्वंसक, देश की लोकतांत्रिक बुनियादों का विध्वंस तथा फांसीवादी सांप्रदायिक राज लाने का एक शर्मनाक प्रयास है। यह सब समस्त राष्ट्र के लिए खतरनाक है।

महोदय, एक निरंतर गुमराह करने वाला प्रचार चल रहा है कि विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि न्यास और धर्म संसद सिर्फ अविवादित भूमि चाहते हैं जोकि उनकी अपनी भूमि है। और यह इसलिए है क्योंकि वे मंदिर का निर्माण आरंभ करना चाहते हैं।

महोदय, यह सब राष्ट्र को गुमराह कर रहा है। सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि ब्लूप्रिंट जिस पर मंदिर का निर्माण आरंभ किया जाना है उसमें विवादित बाबरी मस्जिद भी सम्मिलित है और इसलिए, पूर्णत: कानूनी वैधता का अभाव है।

महोदय, यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो अविवादित भूमि कहलाती है उसमें काफी वक्फ भूमि भी शामिल है। यह वक्फ भूमि अविवादित भूमि है जिसमें 12 राजस्व प्लाटों से 23 नाजुक प्लाट भी शामिल है।

उनमें प्लाट सं. 580, 590, 593 और 595 में चार मस्जिदें आती हैं *...(व्यवधान)* महोदय, मैं नहीं मानता। मेरे पास समय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: वे नहीं मानते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: उनमें प्लाट नं. 580, 590, 593 और 595 पर चार अन्य मस्जिदें शामिल हैं *...(व्यवधान)* उनमें 13 मुस्लिम कब्रिस्तान शामिल हैं *...(व्यवधान)* महोदय, कृपया आप सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहें। मैंने यह बात नहीं मानी है। यहां मेरा समय छीना जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा है

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका रिकार्ड में नहीं जायेगा। आपको नियम के अंतर्गत कोई विषय उठाना चाहिए। मैं ऐसे कैसे अलाऊ करूं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनमें प्लाट सं. 580, 581, 582, 588, 590, 593, 594, 595, 606, 607, 619, 620 पर 13 कब्रिस्तान आते हैं *...(व्यवधान)* उनमें प्लाट सं. 625 पर ख्वाजा हत्ती की मजार नामक प्रसिद्ध दरगाह शामिल है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि वह मान नहीं रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं।

...(व्यवधान) *

श्री जी.एम. बनातवाला: वहां पर वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाले प्लॉट भी है नामत: प्लाट सं. 588 वक्त अहदे शाही हैं, जिस पर शिलान्यास किया गया था *...(व्यवधान)* भूमि अविवादित हो सकती है लेकिन यह हिंदुओं अथवा विश्व हिंदू परिषद से संबंधित नहीं है। यह राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित नहीं है *...(व्यवधान)*

महोदय, वहां पर अविवादित भूमि भी है जो विभिन्न हिंदू मंदिर न्यासों से संबंधित है *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): क्या आप सदस्यों को सभा में भी बोलने की अनुमति नहीं देते हैं? आपका क्या मतलब है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब माननीय सदस्य नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में जो कुछ उन्होंने कहा है वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान) *

श्री जी.एम. बनातवाला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविवादित भूमि में मंदिर न्यासों के प्लाट भी सम्मिलित है *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: वह व्यवधान डाल रहे हैं। हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार, कृपया अब व्यवधान मत डालिए। आप उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री जी.एम. बनातवाला: यह अविवादित भूमि हो सकती है लेकिन इसका विश्व हिंदू परिषद अथवा राम जन्मभूमि न्यास से संबंध नहीं है। इस भूमिका से अनेक मंदिर न्यासों से संबंध है लेकिन विश्व हिंदू परिषद से नहीं है।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह उचित तरीका नहीं है।

श्री जी.एम. बनातवाला: मुझे संरक्षण प्रदान किया जाए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कटियार जो भी मामला उठाना हो, उसका कोई कायदा होता है। अगर आपको आपत्ति है तो कोई तरकीब से उठाना होता है। नियमों के मुताबिक माननीय सदस्य को पहले यील्ड करना होगा। जब ये यील्ड नहीं कर रहे तो मैं आपको इजाजत कैसे दे सकता हूं। आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाना है, क्या कोई अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जब चाहें खड़े होकर बोलते रहें।

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

...(*व्यवधान*)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: जी, नहीं, मैंने बात नहीं मानी है। मुझे मेरा उचित अवसर दिया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी रैमेडी दूर हो सकती है लेकिन नियम के मुताबिक मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, अविवादित भूमि में अनेक मंदिर न्यास भूमियां सम्मिलित हैं, जो कि अविवादित हो सकती हैं लेकिन उनका विश्व हिंदू परिषद अथवा राम जन्मभूमि न्यास से संबंध नहीं है। उक्त मंदिर न्यास विश्व हिंदू परिषद द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी का कड़ा विरोध करते हैं।

उदाहरण के लिए, अयोध्या में पंच रामानंद निर्मोही अखाड़ा है, जिसने न्यायालय में मुकदमा करके विश्व हिन्दू परिषद के हस्तक्षेप को चुनौती दी है। मेरे पास ऐसे नौ मंदिर न्यासों की सूची है जिनकी गैर-विवादित भूमि में अपनी सम्पत्ति है। वह गैर-विवादित भूमि उनकी है पर विश्व हिन्दू परिषद या राम जन्मभूमि न्यास की नहीं है। वे मंदिर न्यास विश्व हिन्दू परिषद या रामजन्मभूमि न्यास के हस्तक्षेप को चुनौती देंगे। अन्य सम्पत्ति भी वहां हैं ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: सर, यह हमें गाली देने का फोरम हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर ऐसा होगा तो हम एक्सपंज करेंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी.एम. बनातवाला: मैं कैसे अपनी बात समाप्त कर सकता हूं। मेरा सारा समय तो उन्होंने ले लिया। कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए थोड़ा समय दें।

मुकदमे के अंतिम निर्धारण के बाद भी, अयोध्या के कतिपय क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम, 1993 की धारा 6(क) के उप खंड (1) के संदर्भ में विश्व हिन्दू परिषद या राम जन्मभूमि न्यास को कोई भी भूमि स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इसमें कहा गया है कि अंतिम विनिर्णय के बाद और सभी मालिकाना हक के अंतिम निर्धारण के बाद अतिरिक्त भूमि अधिनियम के प्रभावी होने के बाद किसी न्यास या निकाय को दी जा सकती है। विश्व हिन्दू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना सरकार द्वारा इस विधान के लागू होने के पूर्व गई थीं। ...(*व्यवधान*)

वे केवल राष्ट्र के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। उनका ऐसा करने का कोई आधार नहीं है। यहां तक कि गैर-विवादित भूमि पर मंदिर न्यास उनके हस्तक्षेप को चुनौती देते हैं।

विश्व हिन्दू परिषद और राम जन्म भूमि आंदोलन न्यायालय के प्राधिकार को स्वीकार नहीं करते। यह घृणास्पद है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से उपस्थित होने का निर्णय लिया है। यह घृणास्पद है कि सरकार की उनके साथ मिली-भगत है जिनका रिकार्ड खराब है, जिनकी मंशा और तरीकों पर प्रश्नचिह्न लगा है और जिनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। जब सरकार की उनसे मिली-भगत है, तो ये ताकतें उच्चतम न्यायालय के समक्ष लिखित में वचन देने के बाद भी उसका बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* सरकार की उनके साथ मिलीभगत है जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के घोर अपराध के दोषी हैं, उनके साथ मिली-भगत है जो न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं, उनके साथ मिली-भगत है जिनका कानून का शासन या न्यायपालिका के प्रति कोई सम्मान नहीं है और उनके साथ मिलीभगत है जो लगातार उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

आज, बाबरी मस्जिद के आस-पास के विवादित क्षेत्र में निर्माण शुरू करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे बाद में न्यायालय के निर्णय को लागू करना असंभव हो जाएगा।

मुझे कोई संदेह नहीं है कि बेहतर विचार-विमर्श इस सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा। मुझे इस तरह की कोई आशंका नहीं है लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार अपनी याचिका वापस ले ले।

समय की यही मांग है और इस मांग को पूरा करने की आवश्यकता है। पूरी प्रणाली को चुनौती देने वालों के विरुद्ध ठोस और कठोर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है या फिर भारत के बुद्धिजीवी लोगों को निश्चित रूप से उनको उचित जवाब देना चाहिए जो इस समय शासन कर रहे हैं।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): उपाध्यक्ष महोदय, इस अंत समय में चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, वे गुण्डों, मवालियों, पुलिस और ब्लैक कैट से घिरे हैं एवं हम उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार करने में क्या परेशानी है जो सन्यासी, साधुओं और संतों के साथ घूम रहे हैं? इसलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान करता हूं।

पहले मुझे यह साबित करने दें कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? मेरे भगवान जगन्नाथ ब्रह्माण्ड के भगवान एक धर्मनिरपेक्ष देवता हैं। वह लुंगी पहने हुए हैं और उनका चेहरा आधा ढंका हुआ और हंसता हुआ हैं। मुसलमान भी लुंगी पहनते हैं और अर्द्ध चन्द्र की पूजा करते हैं। इसलिए मेरे भगवान 'मुसलमान' हैं। ठीक इसी तरह, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समय रथ में जाते हैं और लाखों लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। उन्हें ''तहिया'' अर्थात् फूलों का ताज पहनाया जाता है और यह उनके कमर में रस्सी से बंधा होता है। यह सूली की तरह दिखता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भगवान ईसा मसीह के रूप में बदल गए हैं। सूली ईसाइयत का प्रतीक है। इसलिए हमारे भगवान जगन्नाथ भगवान ''हनुमान'' की तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। जैसे मैं 'भगवान हनुमान' की पूजा करता हूं, मुसलमान निराकार की पूजा करते है जिसे 'पवन' या ''हवा'' कहा जाता है।

मात्रात्मक भौतिकी के अनुसार, यह अवस्था अल्प उद्दीपन की है और यही शून्य एंट्रोपी है, जहां मस्तिष्क ध्यान शून्य अवस्था में चला जाता है, लोकोत्तर ध्यान ही शून्य कहा जाता है। इसलिए, वह शून्यावस्था सभी संभावनाओं वाला क्षेत्र है और वह सभी तरह के ज्ञान का घर है। हम 'शून्य', 'महाशून्य' प्राप्त कर सकते हैं, और यही ब्रह्माण्ड है और ब्रह्माण्ड को अंतरिक्ष में बदला जा सकता है जब कोई पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। इसलिए, मुसलमान निराकार का उच्चारण कर रहे हैं, और निराकार ''पवन'', अदृश्य भी है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। 'पवन', भगवान 'हनुमान' के पिता हैं। भगवान 'हनुमान' जो कि 'पवनपुत्र' हैं, सुल्तान, रहमान और मुसलमान हैं। वही भगवान 'हनुमान' ने अपने गुरु 'राम' को अपना शरीर का सीना भी दिया हृदय चीर कर दिखा दिया, अपने महान गुरुदेव भगवान ''राम'' को दिखाने के लिए। इसी तरह, भगवान की पूजा इसाई के रूप में होती है। इसलिए 'हनुमान' धर्मनिरपेक्ष भगवान है, हिन्दुओं के मुसलमानों और ईसाइयों के भगवान हैं।

अब, मैं 'त्रिशूल' के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो कि स्फटिक है। यदि आप स्फटिक पूजा को लिए धारण करते हैं तो छड़ (शलाका) और उसके ऊपर ''त्रिशूल'' अर्द्ध-चन्द्र (अर्द्ध चन्द्र और एक बिंदी) इसे उर्दू में ''अल्लाह'' के नाम से जाना जाता है। इसलिए, ''त्रिशूल'' धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। इसकी प्रत्येक धर्म में पूजा होती है।

[हिन्दी]

वह अल्लाह बन जाता है। त्रिशूल भी अल्लाह हो जाता है, त्रिशूल भी क्रिश्चियन हो जाता है।

[अनुवाद]

इसी तरह, एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी धर्मनिरपेक्षता के नेता हैं क्योंकि वह यह कला जानते हैं

[डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

कि विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी का सम्मान किस तरह से किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ, वह यह कला भी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का सम्मान किस तरह से किया जाना चाहिए। इसलिए, हमारे प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता के नेता है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, भारत (भा) मतलब आलोक, जहां कोई ज्ञान प्राप्त करने में लगा है, कोई साधना में लगा है, कोई तपस्या में लगा है और कोई ध्यान में लगा है, और यह सब 'भारत' के बराबर है। भारत का मतलब है 'भात' और 'भात' का मतलब चावल, जिससे प्रेम की कला और खेती की कला की संस्कृति चल रही है।

जहां कोई युद्ध नहीं होता, उसे हम 'अयोध्या', का नाम दे सकते हैं, 'अ' का मतलब अनादि, 'अ' का मतलब अनन्त, 'अ' मतलब अखण्ड, स्वतंत्र, अथाह, असीमित ओर इससे भी अधिक शाश्वत हैं। 'ज' का मतलब 'जननी', अपनी मातृभूमि, 'ज' मतलब युद्ध, जहां अयोध्या है, वहां युद्ध नहीं है। 'ज' मतलब 'ज्योतिर्मय', कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 'हम' मतलब 'ध्यानम्' जहां मोहब्बत हुई, वहां युद्ध नहीं हुआ। जहां निर्द्वन्द्व एकता है जहां ज्ञान से जागरुकता फैल रही है, उसी जागरुकता ध्यान में सकारात्मक विद्वता की प्रेरणा भी वास करती है। उसके भीतर के स्थान को अयोध्या कहते हैं। अयोध्या देश का ह्रदय है।

[हिन्दी]

"भ" मतलब ध्यान होता है लेकिन जहां ध्यान होता है, उसे अयोध्या कहा जाता है। जहां निरंतर योग होता है, उसे अयोध्या कहा जाता है और जहां अध्यात्मक के लिए युद्ध होता है, उसे अयोध्या कहा जाता है।

[अनुवाद]

हिन्दू वह है जो सहिष्णुता की कला जानता हो। वह सबसे अच्छा हिन्दू है जो मुसलमानों का सम्मान करने की कला जानता हो। वह सबसे अच्छा हिन्दू है जो ईसाइयों का सम्मान करना जानता हो, जो सभी जातियों-धर्मों के लोगों का सम्मान करने की कला जानता हो। अयोध्या का ह्रदय 'राम' है। 'राम' सूरज है। 'म' का मतलब मातृभूमि और 'भ' का मतलब भारत, 'म' का मतलब "हि"

[हिन्दी]

का मतलब हिमालय और इंदु का मतलब कुमारीका होता है। जो आलोक खंड में रत, साधना में रत है, उसे भारतवर्ष कहा जाता है, अयोध्या कहा जाता है।

[अनुवाद]

अब मैं राम मंत्रोच्चार के विषय पर आता हूं। मंत्र जिसका कोई उस नाम का उच्चारण कर रहा हो, राम मंत्र ब्रह्मण्डीय कंपन से परिपूर्ण है। इसलिए, यह कंपन मंदिर के लिए है और उसके लिए अयोध्या में मंदिर होना चाहिए।

[हिन्दी]

अयोध्या में टेम्पल नहीं होगा तो क्या लंदन या पाकिस्तान में होगा।

[अनुवाद]

श्री नरसिम्हा राव विध्वंस रोकने में असफल रहे। श्री नरसिम्हा राव मंदिर की रक्षा करने में असफल रहे। वे मंदिर निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। जब विध्वंस को नहीं रोका जा सका तो निर्माण को कैसे रोका जा सकता है? यह तो प्रकृति का नियम है और यह प्रकृति के नियम के अनुसार ही हुआ है। प्रकृति का जो भी नियम है उसका पालन करना चाहिए। प्रकृति का यही नियम है और यदि आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन व्यक्ति तनाव, दबाव और थकान छोड़ता है और यह ब्रह्माण्ड ये समा जाता है। यह ब्रह्माण्ड स्याही सोख पन्ने (ब्लोटिंग पेपर) की तरह काम कर रहा है। इसी तरह, यदि प्रकृति के नियमों को तोड़ा जाता है तो इसका परिणाम भूखमरी, बाढ़ और युद्ध के रुप में सामने आता है। युद्ध को रोकने हेतु हम धर्म के लिए युद्ध में कूद पड़े ताकि वहां मंदिर है। उस मंदिर के आस-पास, आप गिरजाघर बना सकते हैं। मानवता की रक्षा हेतु इस मंदिर के निकट आप मस्जिद बना सकते हैं-मानवता की रक्षा करने के लिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम अपना देश बचाए। हमें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं इसका सम्मान करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या मुद्दा बहुत संवेदनशील विषय है। इसके पहले भी इस पर बहुत बार यहां चर्चा हुई है और आज एक बार फिर हम इस संवेदनशील विषय पर बहस कर रहे हैं।

महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह जो संवेदनशील अयोध्या के विवाद का मुद्दा है, उस पर उच्चतम न्यायालय के पास अर्जी देकर सरकार की ओर से जो प्रयास किया गया है, सर्वप्रथम मैं उसकी निन्दा करता हूं। सरकार के सहयोगी दल, यानी घटक दलों ने भी अपनी-अपनी बातें कहने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद थी कि घटक दलों की जो भूमिका सत्ता पक्ष

के लिए होनी चाहिए थी, वह भूमिका घटक दल अदा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन वक्ताओं ने घटक दलों की ओर से यहां अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, उनमें से कुछ वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास किया कि सत्ता पक्ष की जो मंशा है, उनके साथ उनकी ओपिनियन अलग है। जो घटक दल इस तरह के विचार रखते हैं, उन घटक दलों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों को और गम्भीरता से, और शक्तिशाली रूप में रखें ताकि जिस नीयत से यह सरकार देश को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है, उस सरकार की हम लोग निन्दा कर सकें।

इस मुद्दे का फैसला उच्चतम न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए, इसमें कोई दो राय हमारे बीच में नहीं है, ऐसा मेरा सुझाव है। लेकिन मुझे लगता है कि धर्म का जो मुद्दा है, यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसीलिए शायद आम जनता में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा और बहुत सहज ढंग से होने की संभावना है और इसीलिए शायद सत्ता पक्ष, विशेषकर वाजपेयी जी ने नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है, वह धर्म के नाम पर सस्ती राजनीति करना चाहती है। मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि किस परिस्थिति में वह ऐसा कर रही है। शायद आर.एस.एस., बजरंग दल या विश्व हिन्दू परिषद के दबाव में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में अपने वक्तव्य में जिस तरह की बात कही, वह काफी निन्दनीय है। इस तरह की बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश का चरित्र धर्मनिरपेक्षता है, सैकुलर करैक्टर के कारण हमें अपने देश पर गर्व होता है, हम अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन तब दुख लगता है, जब सत्ता पक्ष के लोग सस्ती राजनीति के लिए इसे हथियार बनाने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही निन्दनीय काम है। इस कार्य में हमें बाधा पहुंचानी चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए।

हमारे देश में क्या अन्य समस्याएं नहीं हैं, गरीब लोगों की समस्याएं नहीं हैं, किसानों की समस्याएं क्या नहीं हैं, मजदूरों की समस्याएं क्या नहीं हैं, गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध क्या हम लोग करने में सफल हुए हैं? इन समस्याओं को कितनी गम्भीरता से यह सरकार लेती है, मुझे उनकी नीयत पर संदेह है, मुझे उनकी मंशा पर संदेह है, इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि धीरे-धीरे आर्थिक गुलामी की जंजीर में हमारा देश, हमारी आम जनता जकड़ न जाये। जिस अर्थनीति की बात यह सरकार चला रही है, जिस तरह की नीति यह बनाने का प्रयास कर रही है, उससे मुझे लगता है कि किसी के दबाव में यह सरकार जरूर है। हमारे देश में जहां तक धर्म का सवाल है, हमारे देश में जहां सम्प्रदाय का सवाल है, हम तो सब को एक साथ मिलकर चलने के आदी हैं। हमें जिस तरह बगीचे में विभिन्न तरह के फूल होते हैं और उसके कारण से बगीचे का सौन्दर्य बढ़ जाता है, इसी तरह हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा देश महान है। हमारे भारत देश में विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न सम्प्रदाय के लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, जिस तरह से सत्ता पक्ष के कुछ वक्ताओं ने अपनी बातें यहां कहने की कोशिश की, जिस तरह से एक विशेष धर्म के पक्ष में वकालत करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि यह निन्दनीय है। इस मानसिकता से ऊपर उठने की आवश्यकता है, इस संकीर्णता से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब तक हमारी मानसिकता इस संकीर्णता को सजाएं रखेगी, तब तक हम इस देश का विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस देश में एक दूसरे को बांटने का काम करेंगे। इसलिए आइये, हम लोग एक साथ मिलकर इस देश के मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करें, न कि धर्म के नाम पर कहां मंदिर बने, कहां गिरजा बने, उस पर अपना समय बर्बाद करें। यह फैसला उच्चतम न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का जब फैसला आयेगा, तब हमें उस फैसले को मानने के लिए तैयार होना चाहिए।

यही निवेदन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं।

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः आप मंत्री जी का रिप्लाई अभी करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस का संबंध है तो हम समान एजेंडे के आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अगर कॉमन एजेंडे से बाहर यह गवर्नमैंट कोई फैसला लेती है तो नैशनल कांफ्रेस उस फैसले के साथ नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)* फैसला नहीं ले चुकी। सवाल यह है कि इस वक्त जो बहस चल रही है, वह यह है कि हुकूमत को विवादित जमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था या नहीं? यह बुनियादी मुद्दा है। इसमें हिन्दुस्तान के मुसलमान या अरब के मुसलमान का सवाल नहीं है।

[श्री अली मोहम्मद]

[अनुवाद]

बुनियादी बात यह है और सरकार ने जो किया है, मैं उसके विरुद्ध हूं। मैं उसके विरुद्ध हूं। यह बुनियादी बात है। सरकार को उच्चतम न्यायालय जाने से पूर्व अपने सहयोगी दलों से परामर्श करना चाहिए था। यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार को अपने सहयोगी दलों से परामर्श ही नहीं करना चाहिए था बल्कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था।

[हिन्दी]

अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने से यह मसला हल होता है तो ओपोजिशन के यहां जितने भी बुजर्ग लीडर्स हैं, उनको भी विश्वास में लेना चाहिए।

अब सवाल यह नहीं कि बाबरी मस्जिद कैसे गिरी और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत मरकज में थी और बी.जे.पी. की हुकूमत वहां यू.पी. में थी। इसका डिसक्रेडिट दोनों को जाता है लेकिन इस वक्त यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस मसले को कैसे हल किया जाये। जहां तक इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है। इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत यह है कि एक बार मस्जिद बनने पर वह सदैव मस्जिद रहती है। अगर मुसलमान की मस्जिद मुसलमान किसी और काम के लिए इस्तेमाल करेगा तो वह मजहब के मुताबिक नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* इसमें मेरी गुजारिश है कि इस मसले को हल करने के दो ही तरीके हैं। ...*(व्यवधान)* मुस्लिमों और हिन्दुओं के मध्य चर्चा होनी चाहिए और जो भी परिणाम निकले, वह दोनों पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्यथा, यह मामला उच्चतम न्यायालय को भेज दिया जाना चाहिए। हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह निर्णय अन्तिम होना चाहिए।

मुल्क के अंदर जो लोग मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले नहीं हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों और आतंकवादियों के मध्य कोई अन्तर नहीं है।

SHRI ALI MOHD. NAIK (ANANTNAG): Mr. Deputy-Speaker, sir as far as Jammu and kashmir national Conference is concerned, we are supporting the NDA Government on the basis of the Common Agenda.

اگر کامن ایجنڈے سے باہر یہ گورنمنٹ کوئی فیصلہ لیتی ہے تو نیشنل کانفرنس اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔...(مداخلت) فیصلہ نہیں لے چکی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بحث چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کو متنازعہ زمین کے بارے میں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ بے بنیاد مدعا ہے۔ اس میں ہندوستان کے مسلمان یا عرب کے مسلمان کا سوال نہیں ہے۔

The basic point is, I am against what the Government has done. I am against that. That is the basic point. The government should have consulted its alliance partners before going to the Supreme Court. It is so important a matter that the Government should not only have consulted the alliance partners but also have taken into confidence the leader of all opposition parties.

اگر سپریم کورٹ میں جانے سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اپوزیشن کے یہاں جتنے بھی بزرگ لیڈرس ہیں، ان کو بھی بھروسے میں لینا چاہیے۔

اب سوال یہ نہیں ہے کہ بابری مسجد کیسے گری اور کون اس کے لئے ذمہ دار ہے۔ اس وقت کانگریس کی حکومت مرکز میں تھی اور بی جے پی کی حکومت وہاں یوپی میں تھی۔ اس کا ڈس کریڈیٹ دونوں کو جاتا ہے لیکن اس وقت یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ جہاں تک اسلام کا بیسک پرنسپل ہے۔ The basic principle of Islam is, once a mosque, alsways a mosque. اگر مسلمان کی مسجد مسلمان کسی اور کام کیلئے استعمال کرے گا تو تب وہ مذہب کے مطابق نہیں ہو سکتا۔...(مداخلت) اس میں میری گذارش ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔...(مداخلت) There should be a discussionn between Muslims and Hindus and whatever emerges out of that should be acceptable to both the parties. Or else, this matter should be referred to the Supreme Court. We must wait for the judgement of the Supreme Court. That should be final.

ملک کے اندر جو لوگ مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو ماننے والے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ there is no difference between those people who use that language and the militants.

[अनुवाद]

जो लोग यह कहते हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करेंगे उन्हें 'पोटा' के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: महोदय, मेरा अनुरोध है कि चर्चा सोमवार तक स्थगित कर दी जाए। मैं समझता हूं कि सभा में कोई कोरम नहीं है। हम कैसे कार्यवाही जारी रख सकते हैं। हम सोमवार तक चर्चा स्थगित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य नहीं मान रहे हैं।

श्री अली मोहम्मद नायक: महोदय, इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि इस मामले को या तो सभी पार्टियों के मध्य मतैक्य से हल किया जाना चाहिए अथवा सभी पार्टियों को माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक कुछ नहीं किया जाना चाहिए।

श्री ई. अहमद: महोदय, मंत्री खाली सभा में चर्चा का उत्तर कैसे दे सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: दो और सदस्यों को अभी बोलना है। हम यह कार्य आज रात पूरा कर लें।

श्री ई. अहमद: महोदय, मेरी राय है कि चूंकि यह एक गम्भीर और संवेदनशील मुद्दा है, मंत्री जी को पूरी सभा में उत्तर

देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब यह सभा में कोरम भी नहीं है। यह अच्छा होगा यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय चर्चा को सोमवार तक स्थगित कर दें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी का उत्तर सोमवार को करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष महोदय, हम दस बजे से यहां बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आप अकेले बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: कभी-कभी मंत्री और दो-तीन सदस्य ही हाउस में होते हैं तब भी मंत्री जी उत्तर देते हैं। ...*(व्यवधान)* आज यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: यह बहुत गम्भीर सवाल है। जब सदन में अधिकांश सदस्य उपस्थित हों, कोरम पूरा हो, तब मंत्री जी का जवाब होना चाहिए। सरकार खुद इस सवाल पर गम्भीर नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि सोमवार को मंत्री जी का जवाब करा दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया यह प्रश्न न उठाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सोमवार को सदन में कोई जवाब नहीं है। इसलिए आप मंत्री जी का जवाब करा दें। इस समय शायद सदन में कोरम नहीं है। सोमवार को पूरा सदन इनकी बात गम्भीरता से सुन सकेगा। हालांकि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है। इसलिए हमारा विनम्र आग्रह है कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करें और सोमवार को जवाब हो जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उत्तर सोमवार को दिया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: अगला सप्ताह अति व्यस्त है। समय नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी दो सदस्य और हैं। एक आप हैं और दूसरे रामदास जी आठवले हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: सोमवार को रिप्लाई देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने आज का तय किया है।

श्री बसुदेव आचार्य: कैसे खत्म होगा, हाउस में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हम किसी मतैक्य पर पहुंचे।

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक हमारा संबंध है हम आज भी माननीय मंत्री जी को सुनने के इच्छुक हैं। किन्तु श्री मुलायम सिंह यादव चले गए हैं। हो सकता है वह मंत्री को सुनना चाहते थे। इसलिए यदि हमें सोमवार के अपराह्न में माननीय मंत्री का उत्तर लगभग पन्द्रह मिनट अथवा आधे घंटे तक सुनने को मिले तो इससे सहायता मिलेगी। यदि मंत्री सोमवार को खाली हैं तो उत्तर सोमवार को दिया जा सकता है। अथवा जो भी आप निर्णय करेंगे हम उसका पालन करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: अभी दो वक्ता और हैं। उनके बाद मैं उत्तर दे सकता हूं। दस मिनट के भीतर मैं अपना उत्तर समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अथवा हम सीधे माननीय मंत्री जी को सुनें।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): नहीं, महोदय, आपने मुझे बुलाया है और मैं यहां हूं। इसलिए मुझे बोलना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम सोमवार को उत्तर सुनें ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, हम दोनों शेष वक्ताओं को बोलने के लिए दो मिनट का समय देकर बोलने की अनुमति दे सकते हैं। तत्पश्चात् माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार खुद इस मामले में गम्भीर नहीं है। अगर वह गम्भीर होती तो इनकी हाजिर ज्यादा होती, लेकिन आप देख लें इस समय शायद कोरम का अभाव है। यह

[श्री रामजीलाल सुमन]

गम्भीर मामला है इसलिए सोमवार को मंत्री जी का जबाव होना चाहिए।

श्री अरुण जेटली: सरकार पूरी गम्भीर है। आप लोग इसको आज ही समाप्त करें।

श्री चन्द्रकान्त खैरे: जिन्होंने इस बहस पर नोटिस दिया था और शुरुआत की थी, उनको पूरी चर्चा होने तक रुकना चाहिए था, लेकिन वे चले गए। बी.ए.सी की मीटिंग में तय हुआ था कि आज ही मंत्री जी का भी जबाव होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अमर राय प्रधान जी को मैंने बुलाया है।

श्री अमर राय प्रधान: उपाध्यक्ष महोदय, देश आज गंम्भीर संकट से गुजर रहा है। इस देश में देखने में आया है कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

रात्रि 10.00 बजे

इस देश के 10 करोड़ नौजवान बेकार घूम रहे हैं। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। आज हालत यह है कि बेरोजगार और गरीब लोग अस्पतालों में खून बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पास राम मंदिर का केवल एक ही मुद्दा है। राम मंदिर को छोड़कर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय आज साधु संत लोग जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, विश्व-हिन्दू परिषद के लोगों के नेतृत्व में जिस तरह का प्रर्दशन कर रहे हैं, और वहां पर साम्प्रदायिक भाषण कर रहे हैं उसमे हमें लग रहा है कि यह देश फिर 1947 की राह पर जा रहा है। विनय कटियार जी ने भारत की सभ्यता, संस्कृति पर भाषण दिया। आप भारत की सभ्यता और इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग आदिवासी अनार्थ इंडिया के प्राचीन आदर्मा हैं। आप अपने को आर्य कहते है। आप तो भारत के बाहर से आये हुए हैं। अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो आपको देश से मुगल और पठान के साथ निकाल देना चाहिए। आपने तो इतिहास को काफी खत्म कर दिया।

उपाध्यक्ष जी, देश का जब विभाजन हुआ, उस समय और उसके बाद भी कितने मंदिरों और मस्जिदों को गिराया गया, ध्वस्त किया गया। बिहार में बंगाल में उत्तर प्रदेश में कितनी ही मस्जिदों का विध्वंस किया गया हैं।...*(व्यवधान)* क्या आप इतिहास को दोहराना चाहते हैं, वही विध्वंस फिर चाहते हैं। लगता है कि आपके मन में यही है कि देश का बंटवारा फिर दुबारा होना चाहिए। हिन्दू कहते हैं कि देश का विभाजन मुस्लिम-लीग ने किया, उन्होंने नहीं किया। जेटली साहब आप इतिहास बताइये। सन् 1947 के जून महीने में डा. मूंजे के साथ वीर सावरकर और मुखर्जी साहब रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि देश के विभाजन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस (आरएसएस) और मुस्लिम लीग सभी ने समर्थन किया था। क्या आप फिर चाहते हैं कि देश का विभाजन हो जाए।

इस देश में 15 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। क्या आप जानते हैं कि इस देश में 2 करोड़ लोग ईसाई हैं और बहुत बड़ी संख्या में दूसरे धर्म के भी लोग यहां रहते हैं। अगर वे लोग भी अपने हितों में के लिए बोलेंगे कि हमें भी एक अलग देश चाहिए तो क्या होगा। उधर आपके खिलाफ अमरीका और ब्रिटेन हैं।

यह बहुत दुख की बात है। आपने हिन्दू सभ्यता पर भाषण दिया है, हमने मन से मान लिया है कि हमारा देश धर्म-निरपेक्ष है इस देश की रक्षा मन और दिल से करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रधान मंत्री जी ने सिंगापुर जाने से पहले भाषण दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई वीएचपी का सदस्य भाषण दे रहा हैं। विवादित और अविवादित क्षेत्र का शोर है। और कहा जा रहा है कि कोर्ट जो निर्णय देगा, उसको मानेंगे। उधर वीएचपी ने कहा है जल्दी से जल्दी मंदिर खड़ा करो और सुप्रीम कोर्ट में एक पैटिशन डाल दी गई। ऐसी स्थिति में देश का विभाजन हो जाएगा। बीजेपी और सहयोगी दल जिस तरह से काम कर रहे हैं। उससे देश विभाजन की ओर जा रहे हैं। यह हमारी बात नहीं हैं, देश के आम आदमी की बात है, देश के सौ करोड़ लोगों की बात हैं। हम सब को मिलकर चलना चाहिए और देश को धर्म-निरपेक्ष रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बांत समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अटल जी आप क्या पाओगे।

मंदिर और मस्जिद का मामला हल करने के लिए आप
अयोध्या कब जाओगे।
वीएचपी, बजरंग दल और संघ परिवार को सैक्युलर रास्ते पर
कब लाओगे।
नहीं तो आने वाले चुनाव में आप सत्ता से बाहर जाओगे।

उपाध्यक्ष महोदय बहुत गम्भीर विषय पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा कई सालों से चल रही है। हमारे साथी विनय कटियार जी और मोहन रावले जी ने राम जन्म भूमि के बारे में कहा है। मेरा कहना यह है कि वह राम स्थल नहीं है।

अगर राम में श्रद्धा है और हमारी भी श्रद्धा थी। अगर आपके पास कोई प्रूफ होगा कि वह राम स्थल है, तो मैं अपनी मैम्बरशिप से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। राम का जन्म अगर उसी स्थल पर हुआ होगा, जैसा आपने बताया है तो आप लोग क्या उस समय सोए हुए थे। बाबर आ गया और राम मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जितनी आवाज आज उठा रहे हो, उस वक्त तो आपने सपोर्ट करने का काम किया। मुगल आए, हिन्दुओं ने सपोर्ट करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने अपना राज चलाया। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। उस वक्त यदि राम मंदिर होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे और यदि उस समय मस्जिद होगी तो भारतीय संविधान के मुताबिक उसे तोड़ने का अधिकार नहीं होगा। देश के मुसलमान मंदिर तोड़ने की बात करेंगे तो भी हम भी उसका विरोध करने वाले हैं। मंदिर तोड़ कर राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव का हम पूरा विरोध करते हैं।

बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर रहना चाहिए। हिन्दू दूसरे धर्म के न मानने वालों को डिस्टर्ब कर सकते हैं और वे मुसलमानों को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव रखा था।

श्री चन्द्रकांत खैरे: डा. अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर बायफरकेशन हो गया तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र होगा। हिन्दुस्तान में हिन्दू रहने चाहिए और हिन्दुस्तान के जितने मुसलमान हैं, उन्हें सब पाकिस्तान रहना चाहिए।....*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: अम्बेडकर जी ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैजोरटी वाले हिन्दू लोग यहां के मुसलमानों को तकलीफ दे सकते हैं। यहां हम आपकी भावना समझते हैं लेकिन आपको भी दूसरों की भावना समझनी चाहिए। यदि आपको राज चलाना है तो मजबूत करना है तो यहां के मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है। यहां के मुसलमान हिन्दू थे हम भी हिन्दू थे यह भी हिन्दू थे सब हिंन्दू थे। कुछ लोगों ने हिन्दू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया। बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद आर.एस.एस., शिव सेना वाले अपने आप को हिन्दू बताते हैं लेकिन वे मूल हिन्दू नहीं हैं। आज का हिन्दू धर्म का मनु स्मृति पर आधारित है, जो विषमता फैलाता है, आदमी-आदमी में झगड़ा करवाता है। यह सही हिन्दू धर्म नहीं है। इसलिए आप असली हिन्दू नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री विनय कटियार: मैं अम्बेडकर जी की पुस्तक के खंड 15 का उल्लेख करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी क्या आप यिल्ड कर रहे है?

श्री विनय कटियार: इन्होंने बाबा अम्बेडकर की चर्चा की और बार-बार बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद का नाम लिया इसलिए मैं केवल एक लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं इसमें लिखा हैं ''मगर जिस बात को दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है वह यह है कि अपने सभी विवादों और संघर्षो के बावजूद एक सामूहिक उद्देश्य से प्रेरित थे हिन्दू धर्म का विध्वंस'' यह भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है।

पेज नम्बर 39 में यह लिखा है।.....*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: अम्बेडकर जी ने जरूर बुद्धइज्म को स्वीकार किया होगा लेकिन देश को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढाने के लिए हिन्दू लोग साथ रहें। सभी धर्म के लोगों को समान न्याय देने की सैकुलर बात भारतीय संविधान में आई है। हम आपकी भावना समझते हैं। लेकिन आप लोगों को दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि आप लोगों को उस जगह पर राम मंदिर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। कटियार जी अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाना है तो हम आपके साथ आते हैं, लेकिन जहां आपने बाबरी मस्जिद गिराई है, वहां मंदिर बनाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: उपाध्यक्ष महोदय, 1528 से लगातार संघर्ष होता रहा, वहां मस्जिद नहीं, माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं।....*(व्यवधान)* डा. अम्बेडकर ने भी कहा था कि राम मंदिर बाबर ने तोड़ा था ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कटियार, कृपया बैठ जाइए।

श्री रामदास आठवले: अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा होगा तो रामभक्तों ने बुद्ध मंदिर तोड़ा है। अगर आप इतिहास देखे तिरुपति जाते हैं या पंडरपुर जाते हैं बुद्ध मंदिरों को आप ने तोड़ा हैं। क्या हम इस बात का दावा करें?....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई, क्या वे हिन्दूओं ने तोड़ी? तालिबान द्वारा किया गया ....*(व्यवधान)* यह सब वहां हो रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई बात आपत्तिजनक होगी तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में से निकाल दूंगा,

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अफगानिस्तान में जब बुद्ध मूर्तियां तोड़ी गई, उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। हमने पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान द्वारा बुद्ध मूर्तियां तोड़ी जा रही है, आप उस समय पर हमला करो, उन्हें सबक सिखाओ। जब तक आप सबक नहीं सिखाओगे, तब तक तालिबान मूर्तियां तोड़ते रहेंगे। आपकी सरकार को जबाव देने की आवश्यकता

[श्री रामदास आठवले]

नहीं थी, सेना भेजने की आवश्यकता थी, बुद्ध मूर्तियों को सुरक्षा देने के लिए युद्ध की आवश्यकता थी मगर तब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब यह है कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा लेकिन जब देश को आजादी मिली वहां मस्जिद थी और 1949 में रात के समय के उस जगह पर मूर्तियां रखी गई। तब से कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट का जल्दी जजमेंट होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात यह जरूर कहना चाहूंगा कि कोर्ट का फैसला आप लोगों को मानना होगा अगर आपको राज चलाना है। माननीय कानून मंत्री जी बैठे हुये हैं, उन्हें कानून सिखाने का प्रयत्न करना होगा। क्या वीएचपी या साधु-संतों से राज्य चलेगा, उन लोगों को कानून सिखाओ। यहां कानून का राज चलेगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते है कि सबको कोर्ट का फैसला मानना होगा। कटियार जी, क्या आप तैयार हैं, मगर प्रधानमंत्री जी बतायें कि कोर्ट का फैसला.. मंजूर होगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश जाकर जो आवाज उठाई थी कि उस जगह पर राम मंदिर होने का प्रमाण है तो वे कोर्ट में दिखायें। यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को कोर्ट का फैसला मानना होगा। अगर वे हिन्दू लोगों का आदर करते हैं। तो हम लोग को मुसलमानों का आदर करना चाहिए अगर हमारा विरोध करते रहेंगे।........*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : समझने वाले 90% लोग हिन्दू हैं लेकिन इन लोगों में ऐसे कौन हैं? हम इस देश में सैकुलरिज्म को मजबूत करना चाहते हैं, जिस जगह मस्जिद है, अगर मंदिर का झगड़ा होता है तो वहां बुद्ध बिहार बनाना चाहिए। उससे सैकुलर इंडिया मजबूत होगा। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि वहां जाकर मन्दिर बनाने का प्रयत्न मत करो अन्यथा हम लोग वहां आ जायेंगे। आप लोगों ने वहां मस्जिद तोड़ी हैं। इसलिए हम लोग वहां जायेंगे और मंदिर की जगह मस्जिद का सृजन करेंगे।

सरदार बूटा सिंह (जालौर): उपाध्यक्ष जी मैं आज इस सदन में कुछ कहना चाहूंगा कि जब-जब भी अयोध्या का मामला सदन के अन्दर या बाहर उठा है, उसमें हमेशा व्यक्तिगत रूप से मेरे नाम की और उस वक्त की सरकार की चर्चा की गई हैं।

तरह-तरह से उसकी व्याख्या करके सत्तापक्ष के लोग यही कहते आये हैं कि जो भी हुआ वह कांग्रेस ने किया। मैं वह तथ्य सदन के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि हमेशा के लिए यह फैसला हो जाए कि किन परिस्थितियों में क्या-क्या हुआ। मैं सदन का ज्यादा समया नहीं लूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा कि इनके द्वारा लोगों को गुमराह करने का प्रयास किस हद तक जा पहुंचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या का मसला आज का नहीं हैं। श्री रामदास आठवले और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इसकी पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में कहा है। बाबर का हमला 1526 में हुआ। बाबर इस देश पर पहले भी हमला कर चुका था, उसके बाद वह काबिज हो गया। उस वक्त देखना पड़ेगा कि अवध का राजा कौन था और अयोध्या की भूमि किसने तश्तरी पर रखकर उस वक्त के मुगल सम्राट को दी। मैं नहीं कहता कि वह हिन्दू था। मगर सामंत हमेशा अपनी जान की रक्षा के लिए हमलावर के सामने सब कुछ पेश कर देते थे और उस समय अयोध्या भी पेश की गई थी। उनका कभी जिक्र नहीं हुआ। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते श्री अरुण जी जानते होंगे कि किस प्रकार अयोध्या के ऊपर समझौता के बाद के अफसर आये और उन्होंने यह सब कुछ किया। मैं उस इतिहास में आज नहीं जाऊंगा, फिर कभी मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद 1946 से शुरु होता है। 1946 में डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज ने फैसला दिया कि यह भूमि यह मस्जिद की भूमि है और सुन्नी और शिया दोनों समुदाय के लोग इसके मालिक हैं मेरे से पूर्व एक वक्ता ने अभी कहा कि 1946 में जब जज का फैसला हुआ, उसके बाद यह चर्चा हुई और बहुत चोरी-छिपे अपराधियों ने राम जी की एक मूर्ति उसके अन्दर दाखिल करा दी। राम जी की मूर्ति को दाखिल करने के पश्चात 1949 में जब यह सब हुआ तो 1950 में सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया, चूंकि विवाद बढ़ रहा था उसके बाद 1961 में वक्फ बोर्ड ने कचहरी के सामने एक मुकदमा दायर किया कि यह मस्जिद जिसके अंदर मूर्ति रख दी गई है, यह वापस हमारे समाज को दे दी जाए। 1961 में यह एप्लीकेशन मूव हुई। उसके बाद इस एप्लीकेशन का परिणाम यह हुआ कि विवाद आगे बढ़ा। 1984 के आखिर में विश्व हिन्दू परिषद ने इस मोर्चे को अपने हाथ में ले लिया। दोनों तरफ से विवाद बढ़ गया और 1985 में हिन्दू प्रीस्ट ने फैजाबाद के सब जज के सामने वहां मंदिर बनाने और मस्जिद हटाने की एक एप्लीकेशन दे दी, जब कि यह भूमि डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज के सामने विवादग्रस्त है और इसमें वक्फ बोर्ड और एक दूसरी पार्टी है, इसमें तीसरी पार्टी कोई नहीं थी। विश्व हिन्दू परिषद ने जबरदस्ती एक न्यास कायम कर लिया और न्यास कायम करके जबरदस्ती उसमें पार्टी बनने की कोशिश की गई। जब यह मासला बढ़ गया तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। उस बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने यह घोषणा कर दी कि देश के कौने-कोने से दस्ते लेकर मस्जिद को हासिल करने के लिए लोग पहुंचेंगे, उसके मुकाबले में विश्व हिन्दू परिषद ने भी उसी तरह का प्रचार किया और पूरे देश में आग लग गई। कई जगहों पर भयंकर किस्म के दंगे हुए। उसके बाद यह मसला बढ़ते-बढ़ते यहां तक आ गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज ने 1986 में जो जायदाद बंद थी, जिस पर ताला लगा हुआ था,

उसका ताला खोलने का आदेश दे दिया। बताइये, इसमें कांग्रेस का कहां रोल था। जो भी साहब बोलते हैं, वे यहां आकर कहते हैं कि कांग्रेस ने यह सब किया। 1986 तक जो भी कुछ होता रहा वह कोर्ट, कचहरी के हुक्म से होता रहा। 1986 में जो सिचुएशन आई तब 1988 में हमने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया। उस वक्त की हमारी कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि सभी लोगों के सहयोग से बातचीत करके इस मसले को निपटाया जाए। एक नहीं, दर्जनों मीटिंग इस पर हुई। इस सदन के सभी नेताओं को इकट्ठा करके दो-दो, तीन-तीन मीटिंग हुई। राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों को लेकर देश भर के संतों, महंतों, पीरों, फकीरों, मुतवल्लियों को लेकर एक मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ और हमें उम्मीद की किरण नजर नहीं आई कि बातचीत के माध्यम से बात आगे बढ़ सकती है। उसी सिलसिले में जब हम सब लोगों से मिल रहे थे तो आर.एस.एस. के उस वक्त के मुखिया ...* और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग उसी शृंखला में मिलने के लिए आए। सभी शंकराचार्यों से मीटिंग हुई और उस समय उन्होंने जो बात कही, उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा।

मैंने उनसे कहा कि मुझे खुशी है कि हम बातचीत के माध्यम से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। उसमें अलीमियां और बड़े-बड़े लोग शामिल थे। बालासाहब ने कहा कि हमें यह भी विश्वास है कि आप लोग इसका हल ढूंढ लेंगे मगर हमारा जो राम मन्दिर का प्रश्न है, जो मुद्दा हमने उठाया है, वह मंदिर निर्माण का नहीं है। हमको वहां जो मस्जिद है, उसको गिराकर इस देश में हिन्दू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं, उसके माध्यम से राष्ट्र की राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं और मंदिर उसका एक जरिया है। ये व्यक्तिगत बातें हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सुबूत है क्योंकि सारी मीटिंग्ज की प्रोसीडिंग्ज हमने रखी है। उसी क्रम को लेकर आगे बढ़े। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आप वह प्रूफ सदन के पटल पर रखिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, जिनका नाम ये ले रहे हैं, वे सदन में अपने बचाव के लिए मौजूद नहीं हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो यहां उपस्थित नहीं है उसके नाम का उल्लेख न करें। जो अपना बचाव नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत से आपत्तिजनक बातें निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह: 1989 में जब इलेक्शन अनाउंस हुए और 1989 के इलेक्शन के वक्त एक मीटिंग इस बात को लेकर हुई कि विवादग्रस्त क्षेत्र में कोर्ट के फैसले के माध्यम से इसको एक्सपीडाइट करवाकर सभी पार्टियों की सहूलियत से इसका फैसला होना चाहिए। बाकायदा जो केसेज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने थे, उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा एप्लीकेशन मूव करके उन केसेज को कंसॉलिडेट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ले गई और एक स्पेशल बैंच निर्मित हुई। उसी बैंच के सामने जब केस लगा तो उसमें फैसला हुआ कि इस भूमि में विवाद में कौन कौन सा एरिया आता है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नक्शा दिया गया, वह दो रैक्टेन्गल के रूप में था-ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। यह विवादग्रस्त कैसे माना गया है। बाद में उन्होंने बाकायदा रेवेन्यू रेकार्ड से खसरा नंबर देखकर बताया कि यह विवादग्रस्त क्षेत्र है।

पूरे देश से शिला पूज पूजकर लाखों की तादाद में अयोध्या की तरफ भेजे जा रहे थे। उन शिलाओं के साथ जो प्रचार हो रहा था, बड़ा भयंकर किस्म का सांप्रदायिकता का प्रचार हो रहा था। दूसरी तरफ लोक सभा के इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे। हमारी सेन्ट्रल फोर्सेज सारी की सारी तैनात हो चुकी थी।। एक भी कांस्टेबल हमारे हाथ में नहीं था कि हम उसको नियंत्रित कर सकते। अयोध्या पर मीटिंग हुई आदरणीय मुख्य मंत्री जी के घर पर। सभी लोगों को उसमें बुलाया गया। विस्फोटक परिस्थिति से निपटने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ जिस पर विश्व हिन्दू परिषद् के सभी पदाधिकारियों ने दस्तखत किये जिसमें दोनों चीजों को माना हुआ है। एक तो यह कि जितनी शिलाएं यहां पर आएंगी, उनका कलैक्शन करके एक जगह रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। दूसरा यह कि शिला पूजन का मसला विवादग्रस्त क्षेत्र में नहीं होगा। 7 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवादग्रस्त क्षेत्र कौन सा है और अविवादित क्षेत्र कौन सा है, इसके लिए क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर मिला। इसके लिए क्लेरिफिकेटरी आर्डर मिला और उस आर्डर में जिस जगह पर निमोही अखाड़े के महंत थे और उनका झंडा था, वहां इन्होंने शिलान्यास के लिए ईंटे रखी हुई थीं और बाकायदा एक मीटिंग हुई, जिसमें चीफ सैक्रेट्री, उत्तर प्रदेश, रेवेन्यू सैक्रेट्री, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल, यूपी, ये सब शामिल हुए तथा मैं भी उसमें शामिल हुआ, जिसमें ये फैसले हुए थे। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने दो प्लाट, जो उस वक्त डिस्प्यूटेड थे, उनका जिक्र किया और जिस जगह झंडा था, उसे हाई कोर्ट के प्रतिनिधि की प्रेजंस में कह दिया गया कि यह अनडिस्प्यूटेड है। मैंने अर्ज किया, दो दिन बाद लोक सभा के वोट पड़ने वाले थे और पूरे देश भर में सारी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लायड थी। हमारे पास फोर्स नहीं थी,

[सरदार बूटा सिंह]

जिससे कि हम इसे बचा सकते हैं। उस वक्त अविवादित क्षेत्र में शिला की पांच या सात ईंटे रख कर तय हुआ था, विश्व हिन्दू परिषद वाले सभी प्रतिनिधियों ने कहा था कि आज हम यहां केवल ये ईंटे रख कर, समाप्त करके चले जाएंगे और जब भी कोर्ट का फैसला होगा, उसके अंतर्गत मंदिर का निर्माण होगा या नहीं होगा? ये उस वक्त के तथ्यों के ऊपर है, जो कहानी मैंने आपको बताई है। उसके बाद यह हुआ कि विश्व हिन्दू परिषद ने पांच शिला रख कर चले जाने के बाद, बिना वहां के एक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, जिसकी बैकग्राउंड आरएसएस की थी, उसके सामने अर्जी लिख कर यह मनवा लिया कि हम मंदिर के निर्माण की इजाजत नहीं देंगे, उस बात को सारी दुनिया में घुमा दिया। बेगम बेनजीर भुट्टो उस वक्त लंदन में थीं, उसने वहां कह दिया कि मस्जिद के मीनार टूट गए, जब कि यहां कोई भी मीनार नहीं था, केवल गुंबद थे। इस तरह दुष्प्रचार हुए। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से और दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से हुए कि यहां पर हमें मंदिर बनवाने की इजाजत नहीं मिली। इसी प्रचार को लेकर ये सारे इलैक्शन में पोस्टर लगा कर, घुमा दिया। उसके बाद जो नतीजा हुआ वह आपके सामने है।

आज भी परिस्थिति वही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस दिन विश्व परिषद का ऑर्डर, उस वक्त विश्व हिन्दू परिषद का एग्रीमैंट इस बात के लिए पूरे राष्ट्र के लिए बाध्य है कि जब तक कचहरी का फैसला हासिल नहीं हो जाता इसके बीच 1994 की जजमैंट एक बहुत अहम है, माइल स्टोन है। उस जजमैंट में जो उसका स्पष्टीकरण जस्टिस वर्मा ने दिया है उसके बाद कोई स्कोप नहीं रह जाता, न ही इस सरकार के लिए और न ही संगठन के लिए कि वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में दखल देकर, जो इस वक्त वस्तुस्थिति वहां से 55 साल से चल रही है उसके अन्दर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसलिए आज जिस तरफ सरकार ने मुंह मोड़ने की कोशिश की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सरकार इस गलत कदम को वापस ले। सरकार के कितने ऐसे मुखौटे हैं जो बोलते हैं। जो एक सच्चा मुखौटा प्रधान मंत्री का है, वह भी कई बातें बोल जाते हैं। हिमाचल का भाषण खास तौर पर इस बात में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके मन में कुछ और है और एक्शन में कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल कर नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की है वह देश को खत्म और बरबाद करने की चेष्टा की गई है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आज तक मुझे एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि हम राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं। डिस्प्यूट उस जगह है और इस बात का है कि वहां पूजा स्थली को तोड़ कर एक नया मंदिर बनाना चाहते हैं। वहां बिना मस्जिद तोड़े एक शानदार भव्य मंदिर बन रहा था। मगर विश्व हिन्दू परिषद के लोग और समर्थक इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे इसलिए उन्होंने राजनीति का जाल रच कर आज वही एक पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया।

मेरी सदन से करबद्ध प्रार्थना है कि देश को अंधे कुएं में डालने से बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है-सर्वोच्च न्यायालय। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कुर्सी पर जो लिखा है-"सत्यमेव जयते, धर्मचक्र प्रवर्तनाय" इसे कायम रखिए वरना देश में जो कुछ आपने बोला है बाबा साहेब का नाम लिया है, मुझे शर्म आती है। दुनिया में जो गाली बाबा अम्बेडकर को कोई नहीं दे सका वह मंत्री जी ने दी है। वह आपके एक माननीय मंत्री का 800 पन्ने का पोथा लिखकर, ग्रंथ लिखकर दी है, आज आप उस बाबा साहेब की बात कर रहे हो, आउट ऑफ कन्टैक्स्ट उनको कोट कर रहे हो। मैं बैकग्राउण्ड में नहीं जाना चाहता कि बाबा साहेब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वह दुनिया जानती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि जो कुछ आज तक 56 वर्षों में कांग्रेस ने किया है, वह अदालत के फैसले का पालन किया होगा। कांग्रेस का इसमें कभी कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं था। आज तो यहां तक भी कहा गया कि राजीव गांधी भी डिस्प्यूटेड स्थली पर पूजा करके आये। इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता। हाथी सफेद हो सकता है, लेकिन आपका झूठ इतना सफेद है कि हाथी भी उसके सामने शर्मसार है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि हिन्दू मंदिर बने, मगर उन लोगों की सहमति से बने या फिर कचहरी का जो फैसला हो, सब को मान्य हो, सब को सर्वप्रिय हो, उसके मुताबिक हिन्दू मंदिर बने। ये कोई राम के बड़े भक्त नहीं और हम ऐसे नहीं हैं कि जिनको राम के ऊपर आस्था नहीं है। ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, हमारे समाज को बांटने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे समाप्त करके सही मायने में देश का निर्माण हो।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव का अत्यधिक आभारी हूं जिन्होंने यह चर्चा शुरू की। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मंत्री जी, सब लोग अंग्रेजी में बोलते रहे, आप तो अच्छी हिन्दी जानते हैं, आप तो हिन्दी में बोलिये।

श्री अरुण जेटली: उपाध्यक्ष जी, क्योंकि सुमन जी के नाम से प्रस्ताव था और उनका आग्रह था, इसलिए मैं उनके आग्रह के अनुसार मैं हिन्दी में ही बात कहता हूं।

इस पूरी चर्चा का और बहस का जो सन्दर्भ था, वह सन्दर्भ था कि अयोध्या में बनी हुई जो विशेष परिस्थिति है, चार फरवरी को केन्द्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन दायर की थी, 21 फरवरी को उस एप्लीकेशन की सुनवाई हो गई। उस एप्लीकेशन की सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया कि जो मुकदमा पिछले साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, उसकी सुनवाई छः मार्च से आरम्भ हो जायेगी और अगर किसी वजह से छः मार्च से उसकी सुनवाई आरम्भ न हो पाये तो जो अंतरिम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2002 में दिया था, उसके संबंध में चर्चा हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार ने जो याचिका दी थी, जिसका विशेष उद्देश्य यह था कि मुकदमे की सुनवाई शीघ्र हो जाये, उस पर आदेश भी पारित हो चुका है और आदेश पारित होने के बाद में मुख्य याचिका की सुनवाई की तिथि भी तय हो चुकी है और आज संसद में इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उस एप्लीकेशन, जिस पर आदेश भी पारित हो चुका है और मुकदमा केन्द्रीय सरकार ने दायर नहीं किया था, किसी अन्य व्यक्ति ने किया था। सरकार को उसमें उन्होंने पार्टी बनाया था और सरकार ने यह कहा था कि इसकी शीघ्र सुनवाई हो और जब इन मुकदमे की सुनवाई पिछले वर्ष हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 13 मार्च को यह कहा कि "दस सप्ताह के पश्चात प्रत्यावर्तनीय नियम" 13 मार्च, 2002 को यह कहा कि 10 सप्ताह के बाद यह दोबारा हमारे सामने हो और इसकी सुनवाई हो। यह भी आदेश दिया कि इसकी सुनवाई पांच जजों के सामने होगी। जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो केन्द्रीय सरकार की याचिका पर 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं वे दो पैराग्राफ पढ़ देता हूं:

[अनुवाद]

> "विभिन्न राहतों के लिए याचिका 31 मार्च, 2002 को दायर की गई थी। तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करते समय प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें 14 मार्च 2002 को संशोधन किया गया। तत्पश्चात् कुछ और पत्रकारों पर मुकदमा चलाया गया। और 24 सितम्बर 2002 को प्रारम्भिक नियम जारी किया गया।
>
> यह निर्देश दिया गया कि इस मामले को पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा निपटाया जाए। अक्तूबर 2002 में यूनियन आफ इंडिया ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किया। कुछ कारणों से यह मामला सुनवाई हेतु सूचीबद्ध नहीं किया गया। 4 फरवरी 2003 को यूनियन आफ इंडिया ने अन्य बातों के साथ-साथ 13 और 14 मार्च, 2002 को अंतरिम आदेश का परित्याग करने की प्रार्थना करते हुए और याचिका की सुनवाई की शीघ्र तारीख निर्धारित करने की प्रार्थना करते हुए आवेदन किया।"

याची द्वारा दायर प्रति शपथपत्र में इसने अंतरिम आदेश खारिज करने का विरोध किया है किंतु शीघ्र सुनवाई पर सहमत हो गया है। इसमें कहा गया है:

> "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम महसूस करते हैं कि यह न्यायसंगत और उपयुक्त है कि मामले को 6 मार्च 2003 को पांच न्यायाधीश वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यदि याचिका उस दिन स्थगित हो जाती है, तो खंडपीठ अंतरिम आदेश के परित्याग के मुद्दे पर विचार करेगी।"

[हिन्दी]

जो एप्लीकेशन सरकार ने दायर की थी, उसके ऊपर निर्देश भी हो चुका है। आज संसद में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि यह याचिका सरकार ने क्यों फाइल की? कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि इस याचिका को वापस ले लेना चाहिए। पहली बार एन.डी.ए. के एजेंडे में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि अयोध्या का जो मामला है, वह यहां बातचीत के माध्यम से हल होगा या न्यायपालिका के माध्यम से हल होगा। कोई भी पार्टी अगर न्यायपालिका के सामने जाये और कहे कि सरकार 2002 के उस मुकदमे में पार्टी है, यह कहे कि इसकी शीघ्र सुनवाई करिये और न्यायपालिका इसके लिए कहे, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह: सरकार एक पक्षकार नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: सरकार व्यथित पक्षकार कैसे है?

श्री अरुण जेटली: मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार करूंगा क्योंकि सरकार के अधिकार और दायित्व हैं जो 1994 के निर्णय द्वारा सृजित हुए हैं। श्री रेड्डी मेरे साथ सहयोग करें चूंकि उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। मैं आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें पढ़कर बताऊं कि 1994 के निर्णय में क्या कहा गया है।

इसलिए सरकार भी जो इस मामले में पक्षकार प्रतिवादी है, इस स्थिति को अपने हाथों में नहीं लेती है। सरकार न्यायालय जाती है और राहत के लिए प्रार्थना करती है कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आप यह स्पष्ट करे कि अधिकार क्या है।

महोदय, सरकार ने दो पृष्ठ का आवेदन पत्र दायर किया था। सरकार ने कहा है:

> "13 मार्च 2002 को उच्चतम न्यायालय ने कहा था "हम दस सप्ताह में मामले की सुनवाई करेंगे। यह सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इस कारण कुछ स्थितियों के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है इसलिए मामले की सुनवाई शीघ्र करें अथवा अंतरिम आदेश का वैकल्पिक रूप से परित्याग करें ताकि 1994 का निर्णय कार्यान्वित किया जा सके।"

[श्री अरुण जेटली]

अयोध्या मामले में पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेन्डे में कहा गया है और यह वह एजेन्डा है जिसका उल्लेख किया गया है कि हम इस मुद्दे को बातचीत अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हल करेंगे। न्यायालय जाना आघाती कार्य है। न्यायालय जाना विश्वासघाती मामला है, न्यायालय जाना निन्दनीय है, न्यायालय जाना नैतिक भ्रष्टाचार का कार्य है।

[हिन्दी]

इसके लिए न्यायपालिका के सामने जाना कि आप शीघ्र ही इसकी अगुवाई कर लीजिए-यह नैतिक भ्रष्टाचार है, डेप्लोरेबल है, ट्रेचरस है, शाकिंग है। न्यायपालिका के सामने जाकर अगर कोई यह रिलीफ नहीं मांगते तो और कौन सा दूसरा तरीका है जो एन.डी.ए. के एजेंडा और सरकार के कमिटमैंट के अनुरूप इस समस्या का समाधान दे सकता है। क्योंकि सरकार की उस एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर चुकी है इसलिए इस बहस का फोकस यहीं था कि सरकार ने यह दरख्वास्त क्यों दायर की? शायद इस चर्चा के दौरान इतिहास में और तथ्यों के खिलाफ जाकर और मुझे बड़ा विचित्र लगा जब एक माननीय सदस्य ने खड़े होकर कहा कि स्वर्गीय श्री बाला साहेब देवरस ने मुझे आकर एक कहानी बताई कि हमारा उद्देश्य क्या है और मेरे पास एक लिखित दस्तावेज है। मुझे मालूम नहीं वह उस समय गृह मंत्री थे। वह लिखित दस्तावेज उस प्रकार की चर्चा से संबंधित गृह मंत्रालय के पास है या नहीं लेकिन उन सदस्य का कहना है कि मेरे पास इस प्रकार का दस्तावेज है। ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: वह मीटिंग में रखा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: इस प्रकार की बात उन्होंने कही तो मुझे लगता है कि कई बार बहस की दिशा कुछ बदल गयी थी। अयोध्या का विषय, मैं इसके पूरे इतिहास में नहीं जाता लेकिन आज जो विवादित विषय है, उस विषय से संबंधित मूलत: दो मुकदमे चल रहे हैं-एक मुकदमा लखनऊ बैंच इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और वह उस विवादित स्थान के संबंध में है जहां पहले एक ढांचा था। उसका क्षेत्रफल कितना है, मैं इस पूरे इतिहास में नहीं जाता। कुछ सदस्यों ने उसके संबंध में कुछ कहा। उसमें दोनों जो विवादित पक्ष हैं, उनके अधिकार का प्रश्न है। वह मुकदमा लखनऊ बैंच में, हाई कोर्ट में चल रहा है। मुझे बड़ा विचित्र लगा जब यह कहा गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों लगाई। लखनऊ बैंच के सामने केन्द्रीय सरकार पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम पार्टी हैं। लेकिन क्योंकि लखनऊ बैंच के सामने वह विवादित स्थल का मामला बहुत वर्षों से, दशकों से चल रहा था, तो जब पिछले वर्ष सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें सभी दलों ने केन्द्रीय सरकार को कहा कि आप पार्टी नहीं भी हैं, फिर भी आप कोर्ट के सामने जाकर कहें कि इसकी सुनवाई शीघ्र हो। उस सर्वदलीय निर्णय के अनुकूल उस मुकदमे में जो टाइटल सूट है, केन्द्रीय सरकार पार्टी नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों के आग्रह के बाद केन्द्रीय सरकार ने एक याचिका दायर की। उसमें कहा कि यह बहुत समय से मुकदमा चल रहा है और समाज के हित में भी यह है कि इसकी वजह से कई प्रश्न उठते हैं, तनाव पैदा होता है इसलिए इसकी शीघ्र सुनवाई हो और डे-टू-डे सुनवाई हो। हाई कोर्ट पहले भी और पार्टीज की इस तरह की दरख्वास्त को मना कर चुका था कि इतना समय लगता है, हमारे पास समय नहीं है। तीन जज उस मुकदमे को सुनते हैं। सरकार की उस याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया और उस वक्त सभी दलों ने कहा कि इसकी डे-टू-डे हियरिंग की। यह विषय कम क्षेत्र की भूमि का था, जो टाइटल सूट का एरिया है, जिसको विवादित क्षेत्र कहते हैं। एक अन्य क्षेत्र भी है, उसके बारे में भी जान लें। मुझे याद है कि 1990 में, जयपाल जी को भी याद होगा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देश के प्रधान मंत्री थे, उस वक्त भी समस्या को हल करने का क्या तरीका है, यह विषय आया था। कुछ दिनों के लिए, शायद दो-तीन दिन के लिए आर्डिनेंस के माध्यम से एक कानून बनाया था, उस वक्त की सरकार ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद (क्षेत्र अधिग्रहण) अधिनियम, 1990। यह आर्डिनेंस जारी हुआ और दो दिन के बाद इसको वापस ले लिया गया। इस आर्डिनेंस के तहत जो शिडयूल्ड एरिया था, उसको एक्वायर कर लिया और वह केन्द्रीय सरकार के पास रहेगा। उसके आसपास की जमीन जिसकी है, उसका कोई झगड़ा नहीं था। इस एरिया में जो एक्वायर्ड एरिया है, वह लगभग 2.77 एकड़ था। इस आर्डिनेंस से यह 2.77 एकड़, जिसका बार-बार जिक्र आता है, उसमें से पैदा हुआ। यह आर्डिनेंस वापस ले लिया गया। सन् 1993 में जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे, तो लगभग शब्दश:, वर्बेटम यही कानून दोबारा आया। उसके सब क्लाज, सब एक्ट्स लगभग वही थे। उसके तहत भी एक क्षेत्र को एक्वायर सरकार ने कर लिया। लेकिन इसका जो क्षेत्र था, शिडयूल्ड एरिया का, वह 1990 का 2.77 नहीं था, लेकिन 71.361 एकड़ था। उस विवादित भूमि के आसपास जो 71 एकड़ भूमि थी, उसको भी सरकार ने इसमें एक्वायर कर लिया और एक्वीजिशन के पीछे कारण यह बताया गया कि जो टाइटल का मुकदमा चल रहा है, जो उस मुकदमे को जीतता है, इसमें से कुछ क्षेत्र उसकी हिफाजत के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए, प्रयोग के लिए, उसके बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए एक्वायर्ड होगा। उसी सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता होगी। इस आर्डिनेंस को चुनौती दी गयी और इसमें कई संगठनों का, जिसमें राम जन्म भूमि न्यास भी है, कहना था कि बाकी जमीन जो ली गयी है, उसमें से बहुत

बड़ा हिस्सा हमारा और अन्य लोगों की भूमि है। मैं उस विवाद में नहीं जाता कि इसके मालिक कौन थे। बनातवाला साहब ने कहा कि इसमें कुछ भूमि वक्फ की है। जिसकी यह जमीन थी, उसके विचार सन् 1994 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1994 में यह विषय गया और पांच जजों की पीठ ने इसकी सुनवाई की। उनका जो मैजोरिटी व्यू था उसकी मैं चार-पांच पंक्तियां पढ़ देता हूं। इस जजमेंट का सही अर्थ क्या है, यह एक बहस का विषय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जैसा माननीय जयपाल जी ने या माननीय सोमनाथ जी ने कहा, उनकी धारणा मुझसे शायद भिन्न होगी, लेकिन सन् 2002 में जो मुकदमा दायर हुआ, उसमें इस निर्णय का सही अर्थ क्या है? इस निर्णय की वास्तविक व्याख्या क्या है?

[अनुवाद]

> "तथ्यों का वर्णन इंगित करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्तियों के अधिग्रहण का प्रभाव मुस्लिमों पर ही नहीं वरन दोनों समुदायों पर पड़ता है। वह हित जिसका दावा मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया है, वह विवादित स्थल के बारे में ही है।"

[हिन्दी]

बनातवाला साहब, वह इससे मेल नहीं खाता, लेकिन मैं मानता हूं और हो सकता है कि आपकी बात में कुछ वजन हो। इसमें कहा गया है:

[अनुवाद]

> "मुस्लिमों द्वारा दावा किया गया कि उस विवादित स्थल के बारे में है जहां विध्वंस से पूर्ण मस्जिद स्थित थी। इस दावे पर हिन्दुओं की आपत्ति का निर्णय किया जाए। इस अधिनियम के अंतर्गत अर्जित शेष सम्पूर्ण सम्पत्ति ऐसी है जिस पर मुस्लिमों द्वारा किसी हक का दावा नहीं किया गया है। इस सम्पत्ति का बड़ा भाग हिन्दुओं की सम्पत्ति है जिसका हक विवाद में भी नहीं है।"

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट पैरा 49 में कहता है कि इसमें मानस भवन, सीता रसोई, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो मुस्लिम समुदाय की सम्पत्ति नहीं थे, हिन्दू समुदाय के थे, कुछ उसके संबंध में टिप्पणियां की गयीं, मैं उसमें नहीं जाता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आप उससे बचना चाहते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: श्री जयपाल रेड्डी, मैं सम्पूर्ण निर्णय पढ़ सकता हूं। तत्पश्चात् मुझे यह बताइये ...*(व्यवधान)* महोदय, पैराग्राफ 49 में कहा गया है ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। क्या निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख है कि अविवादित भूमि विश्व हिन्दू परिषद की है? ...*(व्यवधान)* क्या इसका अर्थ है कि यह भूमि हिन्दू समुदाय की है?

श्री अरुण जेटली: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह भूमि किसकी है ...*(व्यवधान)* तत्पश्चात् श्री जयपाल रेड्डी ठीक कह रहे हैं। पैराग्राफ 49 में कहा गया है ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: प्रापर्टी किसी और की है लेकिन कब्जा जमाने के लिए विश्व-हिन्दू-परिषद् और राम जन्म भूमि की बात होती है, यह अजीब बात नहीं है।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): پراپرٹی کسی اور کی ہے لیکن قبضہ جمانے کیلئے وشو ہندو پریشد اور رام جنم بھومی کی بات ہوتی ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے۔

श्री अरुण जेटली: प्रापर्टी किसकी है यह विषय नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने यह याचिका क्यों लगाई, मैं केवल उस तर्क में जा रहा हूं। पैरा 49 फिर कहता है कि इसके आस-पास की प्रापर्टी को इसलिए एक्वायर किया गया ताकि कल को अगर कोई टाइटल का मुकदमा जीतता है तो उसके अधिकार पर उसका असर न पड़े।" वह सम्पत्ति का भरपूर आनंद ले पायेगा। सुरक्षा, पारण यह सब उपलब्ध होने चाहिए।

[हिन्दी]

पैरा 50 में कोई कहता है कि जिन लोगों की सम्पत्ति को एक्वायर किया गया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह पैरा आवश्यक है, इसलिए मैं इसकी चार-पांच पंक्तियां पढ़ता हूं। इस पैरा में कहा गया है:

[अनुवाद]

> "बाद की किसी स्थिति में जो भी हो जब अधिग्रहण के स्वज्ञापित उद्देश्य को पाने की आवश्यकता वाले उसी अधिगृहीत क्षेत्र का पता चल सकता है तो यह केवल अनुज्ञेय ही नहीं रहेगा बल्कि वांछनीय भी होगा कि अतिशय क्षेत्र अधिग्रहण से मुक्त कराया जाये और फिर इसे इसके मालिकों को दिया जाये।"

[हिन्दी]

इसलिए बाद की किसी स्थिति में, वह स्थिति कब आयेगी

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह निर्णय के अंतिम अधिनिर्णय से जुड़ा हुआ है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: मैं उस पर नहीं आऊंगा। मैं आपको यह दिखाउंगा कि आप अब भी उस पर ठीक नहीं हैं। कृपया मुझे पढ़ने की अनुमति दें।

पैराग्राफ 50 में कहा गया है:

"बाद वाली स्थिति में, विवादित क्षेत्र को बचाने के लिए जितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी वह मुकदमा जीतने वाले को दे दिया जायेगा ताकि मुकदमे के निर्णय का फायदा उठाया जा सके। शेष भूमि जो कि अतिरिक्त भूमि है वह उसके वाजिब स्वामियों को लौटाया जायेगी।"

यदि न्यास को लगता है कि वे उसके स्वामी है, तो कुछ भूमि उन्हें दे दी जायेगी। यह अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 50 में इस बात का भी उल्लेख है कि इस अधिगृहित भूमि पर केन्द्र सरकार के सिवाय और किसी को भी निर्णय का अधिकार नहीं है। जयपाल रेड्डी जी, बाद वाली स्थिति कौन सी है? आज का एकमात्र यही विषय है। क्या बाद वाली स्थिति तब आयेगी जब लखनऊ में सम्पत्ति के विवाद का निर्णय हो जायेगा और फिर आप यह निर्णय करना प्रारम्भ करेंगे कि कितनी सम्पत्ति की आवश्यकता है? अथवा क्या आप पूर्वाशा के साथ आज भी यह निर्णय कर सकते हैं कि यहां मस्जिद बनेगी या मंदिर? फिर यह सबको मालूम है कि जहां मन्दिर अथवा मस्जिद बनाई जानी है, वह विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र पर कौन अधिकार जमायेगा विवाद तो इसी बात का है। इसकी सुरक्षा तथा इसका उपयोग के निमित्त कितनी भूमि की आवश्यकता है? आज आप इसका रेखाचित्र बना सकते हैं और शेष वापिस लौटा सकते हैं। अथवा क्या आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक मुकदमे का निर्णय न हो जाए? प्रश्न यही है।

जयपाल रेड्डी जी चूंकि आपको निर्णय का लाभ मिला है तो आप पैराग्राफ 56 की अंतिम पांच पंक्तियों पर लौटकर आयें। यदि आवश्यक हुआ तो मैं इसे पुन: पढ़ूंगा। अब इस भूमि का कुछ भाग लौटाना होगा। वाजिब भूस्वामी सरकार से अपनी भूमि वापिस लौटने के लिए कह रहे हैं। सरकार क्या करे? सरकार कह सकती है कि "वह 1994 के निर्णय की अवहेलना करेगी।" या सरकार कहेगी, "वह 1994 के निर्णय का पालन करेगी" अब मैं अनुच्छेद 56 की अंतिम पांच पंक्तियां पढ़ रहा हूं।

"खंड 6(1) में निर्णय तथा तत्संबंधी नियमों तक पढ़ा जाने वाला हस्तांतरण संबंधी आदेश मात्र विवादित क्षेत्र से संबंधित है जबकि इसके अतिरिक्त क्षेत्र के किसी भाग का हस्तांतरण विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद के अधिनिर्णय तक इसको कब्जे में रखने का कृत्य यह जरूरी नहीं कि तब तक निषिद्ध न हो। चूंकि अतिरिक्त क्षेत्र का अधिग्रहण करके इसे इसके मालिक को दिया जाये, इसको अपने कब्जे में रखना अनावश्यक पाया गया है जैसा कि इस संबंध में बताया गया है।"

इसलिए पैरा 56 में कहा गया है कि यह कब लौटा दी जाएगी। टाइटल मामले के विजेता के लिए स्थानांतरण संबंधी आदेश अधिनिर्णय तक विवादित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा और अतिरिक्त क्षेत्र का स्थानांतरण, जो कि लौटायी जायेगी, वह टाइटल मुकदमे के निर्णय तक निषिद्ध नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: क्या आप कृपया पैरा 57 पढ़ेंगे?

श्री अरुण जेटली: मैं इसे पढ़ूंगा। कृपया मुझे अनुमति दें। आखिरकार, श्री जयपाल रेड्डी का अंग्रेजी साहित्य पर अच्छा अधिकार है। इसका अर्थ अत्यंत स्पष्ट है। मेरी दृष्टि में पैरा 56 में स्पष्ट रूप से कहा गया है और यही एटार्नी जनरल का भी मानना है कि अतिरिक्त भूमि के स्थानांतरण का अधिनिर्णय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अब मुझे आपको वास्तविकता बता देने दीजिए। अन्य कोई मान सकता है कि समानांतर दृष्टिकोण सही है। अब, 1994 के इस निर्णय की व्यवस्था क्या है? क्या आप इसे लौटाने के लिए अधिनिर्णय तक इंतजार करेंगे? कुल मिलाकर, यह भी एक गंभीर मामला है। मैं कहता हूं कि यह एक गंभीर विषय है क्योंकि यह भी विचार है कि बाद में अन्य कोई आकार इसी प्रकार कहेगा। अब मुझे यह मानना चाहिए कि वी.एच.पी. और न्यास को इससे कोई वास्ता नहीं है, परन्तु इस भूमि में एक सीता रसोई है। उस सम्पदा के स्वामी आकर कहेंगे।

[हिन्दी]

'मुझे मेरी सम्पत्ति वापिस मिले। 50 एकड़ जमीन के झगड़े का निर्णय किसके पक्ष में होता है, कुछ पता नहीं है। मानस भवन मेरा धार्मिक स्थान है, उसे वापिस किया जाए। जब तक 50 एकड़ जमीन का निर्णय नहीं होता है, तब तक मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूं।' 1994 के निर्णय के तहत केन्द्रीय सरकार की कुछ जिम्मेदारी है। यह संभव है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, कल कोई दूसरी प्रतिक्रिया दे। यह विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सन् 2002 में याचिका दायर हुई। उस जमीन को प्रोटैक्ट करना है, बचाना है, क्योंकि उस पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। हम इसके रिसीवर हैं, इसलिए इसका प्रशासन हमारे पास है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2002 में इस याचिका को एडमिट किया।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं इसे बिना चुनौती के जाने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि मंत्रीजी का व्याख्या भेदभावपूर्ण और प्रेरित करने वाली है।

रात्रि 11.00 बजे

श्री अरुण जेटली: मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में अपना पिंड छुड़ाने के लिए आपकी पार्टी के पास सिवाय यह कहने कि मेरी व्याख्या खराब है, कोई विकल्प नहीं है; परन्तु उसके लिए यह मंच नहीं है। मेरी आपत्ति यह है कि यह वही विषय है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय 6 मार्च को निर्णय देगा कि आपकी व्याख्या सही है या अन्य की। यह कहते हुए आप उस निर्णय को अग्रक्रमेण कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि केन्द्र सरकार के लिए न्यायालय को इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कहना विश्वासघातक है? क्या किसी आदमी के लिए यह दु:ख की बात नहीं है कि वह न्यायालय में इसलिए जाता है कि वह मामले के संबंध में शीघ्र निर्णय दे। यह कैसे हो सकता है कि न्यायालय इससे टस भी न हो और वह विवाद चलता रहे। कृपया ऐसा कहने के लिए मुझे माफ कीजिए। कुछ लोगों ने बारबार सरकार तथा मेरी पार्टी के विरुद्ध आरोप लगाये हैं कि इस विवाद को लंबा खींचने में हमारा निहित स्वार्थ है। मेरा कहना यह है कि इस विवाद को खींचने में आपका स्वार्थ निहित है। जो इस न्यायिक प्रक्रिया का विरोध कर रहे है, उनका इसे लम्बा खींचने में निहित स्वार्थ है। सरकार इस प्रक्रिया के शीघ्रतम निपटारे में रुचि रखती है और इसी वजह से हम न्यायालय गये हैं। *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आप स्वयं यह मानते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा शीघ्रतम निपटारे की प्रक्रिया के लिए सभी दल सहमत थे।

श्री अरुण जेटली: ओह, मैं नहीं जानता कि शीघ्रतम निपटारे के लिए आप दोहरे मापदण्डों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए, लखनऊ में शीघ्रतम निपटारा हुआ और दिल्ली में देरी स्वाभाविक भी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला लम्बित नहीं है।

श्री अरुण जेटली: श्री जयपाल रेड्डी, मुझे आशंका है मैं आपकी अज्ञानता और नहीं बढ़ा सकता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लम्बित है *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह याचिका आपके खिलाफ दर्ज नहीं की गयी है।

श्री अरुण जेटली: यह याचिका भारत संघ के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है कि भारतीय संघ 1994 के निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है। यह जनहित याचिका है। भारतीय संघ प्रतिवादी है। यह आदेश भारतीय संघ के विरुद्ध है। भारतीय संघ एक दल से प्रभावित होकर निर्णय लागू कर रहा है। दूसरी पार्टी कहती है, 'निर्णय को लागू मत करो। भारतीय संघ को वही करना है जो कि इन परिस्थितियों में अत्यंत सम्माननीय है और इसलिए न्यायपालिका से इनके शीघ्रतम निपटारे का अनुरोध किया गया है और यह भी कहा गया है कि वह यह स्पष्ट करे कि कानूनी स्थिति क्या है *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं श्री अहमद की बात नहीं मान रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: जब पार्टियों को उनकी परिसम्पत्तियों के दावे करने के लिए न्यायालय जाने की स्वतंत्रता है तो सरकार अन्य पार्टी के प्रतिनिधित्व के लिए क्यों जाती है?

श्री अरुण जेटली: इसकी व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूं। जिन पार्टियों के लिए टाइटल मुकदमा है वे लखनऊ में है। दिल्ली की जनहित याचिका राज्य के विरुद्ध है जो कि भारतीय संघ के विरुद्ध है जहां की भारतीय संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और कुछ निजी दल प्रतिवादी हैं। भारतीय संघ के विरुद्ध सहायता का दावा किया गया है। राहत का दावा भारतीय संघ के विरुद्ध किया गया है जिसमें न्यायालय से कहा गया है कि यह मामला जारी है और लोग दावे कर रहे हैं। न्यायालय में दायर हमारा आवेदन पत्र यही कहता है। 'पिछले वर्ष मार्च में आपने कहा था कि, आप इसकी सुनवाई दस सप्ताह बाद करेंगे। दस सप्ताह बीत गये और इसलिए कृपया इस मामले की सुनवाई की तिथि निश्चित कीजिए। अन्ततः भारतीय संघ ने क्या किया है यह मामला उच्च न्यायिक फोरम में जाएगा और अधिनिर्णय के लिए पुछा जाएगा। आज, सरकार ने इस बारे में मांग क्यों की? *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आपने राहत मांगी थी।

श्री अरुण जेटली: हमने 1994 के निर्णय के तहत राहत मांगी थी कि एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए भारतीय संघ पर कुछ बाध्यताएं थोपी जाये।

भारतीय संघ की बात इस संबंध में अत्यंत स्पष्ट है। भारत संघ न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। लखनऊ मामले में विवादित क्षेत्र के बारे में न्यायालय जो भी निर्णय देगा सरकार उसका पालन करेगी। दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय शेष मुद्दों के संबंध में चाहे जो भी निर्णय दे भारतीय सरकार उन निर्देशों को लागू करेगी।

[श्री अरुण जेटली]

जहां तक भारतीय संघ का संबंध है, मैं दोहराता हूं कि हमारे दृढ़ निश्चय एन डी ए के एजेंडे के अनुसार है जो चाहे समझौतों के अनुसार हो या न्यायिक बंदोबस्त के अनुसार। अभी फिलहाल कोई समझौता नहीं है। इसलिए जहां तक न्यायिक बंदोबस्त की बात है, हम लखनऊ मामले के शीघ्रतम निपटारे के लिए सर्वदलीय निर्णय का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में याचिका के शीघ्रतम निपटारे के लिए हम अपनी सामर्थ्यानुसार प्रयासरत हैं। हमें मात्र न्यायालय के आदेशों का पालन करना है जब और जैसे भी वे पास होंगे, हमें यह नहीं देखना है कि वे क्या है। वास्तव में न्यायालय ने हमारे आवेदन पर एक आदेश पारित कर यह कहा है, 'इस मामले पर 6 मार्च को सुनवाई के लिए हम तैयार हैं' इसलिए मैं उन लोगों से जो इस चर्चा को सभा में लाये हैं। यह जानना चाहता हूं कि इस चर्चा की अभी क्या प्रासंगिकता है। क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है जब न्यायालय पहले ही भारतीय संघ के आवेदन पर आदेश पारित कर चुका है? इसलिए क्या मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित कर सकता हूं कि शीघ्रतम निपटारे के लिए सरकार का यह प्रयास वास्तविक और प्रामाणिक है और अनुरोध करता हूं कि हमारी इच्छा इस विवाद के न्यायिक प्रक्रिया द्वारा शीघ्रतम निपटारे के अलावा कुछ नहीं है?

इन शब्दों के साथ, मुझे यह मौका दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, अब मैं यह रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूं कि हम माननीय मंत्रीजी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, हम भी जवाब से असंतुष्ट है, इसलिए सदन से वाक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

रात्रि 11.04½ बजे

(इस समय श्री शिवराज वि. पाटील तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.05 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार 28 फरवरी 2003/9 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.—48.31.9/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।